कैलिफोर्निया

आम चुनाव

मंगलवार, 6 नवंबर, 2012

★ आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका ★

शुद्धता का प्रमाणपत्र

मैं, Debra Bowen, कैलिफोर्निया राज्य की सेक्रेट्री ऑफ स्टेट, एतद्वारा घोषित करती हूं कि इस दस्तावेज में शामिल प्रयासों को 6 नवंबर, 2012 को होने वाले आम चुनाव में मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और यह कि इस गाइड को कानून के अनुसार निर्मित किया गया है।

मैं 13 अगस्त, 2012 को सेक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में इस पर अपने हस्ताक्षर व राज्य की आधिकारिक मुहर लगने को प्रमाणित करती हूं।

इलेक्शन डे के दिन सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक मतदान खुला है

Debra Bowen
सेक्रेटी ऑफ स्टेट

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट

प्रिय मतदाता:

वोट के लिए पंजीकरण कराकर आपने कैलिफोर्निया के भविष्य का निर्णय करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। अब फैसला लेने में आपकी मदद करने के लिए, मेरे कार्यालय ने यह आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका—तैयार की है जो इस बारे में जानने के लिए उपयोगी साधनों में से एक साधन है कि आपके मतपत्र में क्या होगा और यह चुनाव कैसे संपन्न होता है। उम्मीदवारों के बारे में विवरण और आपके क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट प्रयास आपकी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उपलब्ध है। और चुनाव प्रक्रिया के बारे में अधिक विवरण—इसके सहित कि अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जांच कैसे करें, मत कहां दें, या क्या आपका डाक द्वारा वोट का मतपत्र प्राप्त हो गया— जानने के लिए *www.sos.ca.gov/elections* पर जाएं या मेरे टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फ़ोन करें।

मतदान करना आसान है और हर पंजीकृत मतदाता के पास डाक द्वारा वोट देने या स्थानीय चुनाव स्थल पर जाकर वोट देने का विकल्प मौजूद है। आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में डाक द्वारा वोट हेतु मतपत्र का अनुरोध करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इलेक्शन डे पर, चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा।

चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करने के कई तरीके हैं।

- सभी पात्र मतदाताओं की वोट देने में सहायता करते हुए और चुनाव अधिकारियों द्वारा गिनती किए जाने तक मतपत्रों की रक्षा करते हुए, इलेक्शन डे पर चुनाव कर्मी बनें।
- मतदाता पंजीकरण समयसीमा और मतदान अधिकारों के बारे में ईमेल, फोन कॉल, ब्रोशर और पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।
- विचार-विमर्श समूह आयोजित करके उम्मीदवारों व मुद्दों के बारे में अन्य मतदाताओं को जागरूक करने में मदद दें या दोस्तों, परिवार और सामुदायिक नेताओं के साथ बहस में भाग लें।

इस मार्गदर्शिका में एटॉर्नी जनरल Kamala D. Harris द्वारा तैयार राज्य मतपत्र प्रयासों के शीर्षक और सारांश; लेजिस्लेटिव एनालिस्ट Mac Taylor द्वारा तैयार मतपत्र प्रयासों का निष्पक्ष विश्लेषण और करदाताओं के लिए संभावित लागत; समर्थकों व विरोधियों की ओर से मतपत्र प्रयासों के पक्ष में एवं विरोध में तर्क; लेजिस्लेटिव काउंसेल Diane F. Boyer-Vine द्वारा तैयार व प्रूफरीड किया गया प्रस्तावित कानूनों का पाठ; और अन्य उपयोगी सूचना शामिल हैं। इस मार्गदर्शिका का प्रकाशन राज्य के कार्यकारी प्रकाशक Kevin P. Hannah की निगरानी में किया गया।

लोकतंत्र में कई विकल्पों में से चुनने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार एक शानदार अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ चुनाव केवल कुछ वोट के छोटे से फासले तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको प्रत्येक उम्मीदवार और मतपत्र प्रयासों के बारे में सावधानीपूर्वक पढ़ने—और अपने मतदान अधिकारों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।

अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने और अपनी राय को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद!

विषय सूची

पृष्ठ

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका 5

प्रस्ताव

30 शिक्षा में धन लगाने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन। **12**

31 राज्य का बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम। **20**

32 वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों के लिए योगदान। पहल अधिनियम। **28**

33 वाहन बीमा कंपनियां। बीमा कवरेज के ड्राईवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम। **32**

34 मौत की सजा। पहल अधिनियम। **36**

35 मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम। **42**

36 तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़े अपराध करने वाले अपराधी। दंड। पहल अधिनियम। **48**

37 आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम। **54**

38 शिक्षा और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों में धन लगाने के लिए कर। पहल अधिनियम। **58**

39 बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण। पहल अधिनियम। **68**

40 ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह। **74**

यू.एस.सीनेट उम्मीदवार विवरण 79

प्रस्तावित कानूनों का पाठ 80

मतदाता अधिकार बिल 143

सूचना संबंधी पृष्ठ

मत कैसे दें 4
ऑनलाइन स्रोत 10
मतपत्र की बहसों के बारे में 10
कैलिफोर्निया में चुनाव 11
अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार 78
विधायिका व कॉन्ग्रेस के उम्मीदवार 78
बड़े अक्षरों में प्रकाशित सामग्री व ऑडियो वोटर गाइड 142
चुनावकर्मी के तौर पर काम करें 142
मतदाता पंजीकरण 142
मतदाता पहचान संबंधी राज्य व संघीय आवश्यकताएं 142

मत कैसे दें

वोट देते समय आपके सामने दो विकल्प होते हैं। आप अपनी काउंटी में मतदान स्थल पर जाकर व्यक्तिगत रूप से वोट दे सकते हैं या आप डाक द्वारा वोट दे सकते हैं।

आपको अपने मतपत्र के प्रत्येक चुनाव के लिए वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा वोट दिए जाने योग्य प्रत्येक चुनाव में आपके वोट की गिनती होगी।

इलेक्शन डे पर मतदान स्थल पर वोट देना

कैलिफोर्निया में इलेक्शन डे पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक मतदान खुला है। कुछ काउंटी इलेक्शन डे से पहले कुछ मतदान स्थलों पर समय से पहले वोटिंग की सुविधा देती हैं। जब आपको इलेक्शन डे से कुछ सप्ताह पहले डाक से अपनी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका मिले तो पुस्तिका के पिछले कवर पर अपना मतदान स्थल देखें। यदि आपको अपनी नमूना मतपत्र पुस्तिका नहीं मिली है तो अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में संपर्क करें। आप *www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm* पर जाकर या सेक्रेटी ऑफ स्टेट की टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फ़ोन करके भी अपने मतदान स्थल का पता हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने मतदान स्थल पर पहुंचते हैं तो एक चुनाव कर्मी आपका नाम पूछेगा और उस मतदान स्थल के पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची देखेगा। सूची में अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करने के बाद, चुनाव कर्मी आपको कागज का मतपत्र, विशिष्ट पासकोड, या कंप्यूटर मैमोरी कार्ड देगा जो आपकी काउंटी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वोटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। निजी बूथ पर जाएं और वोटिंग करें। मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया के बारे में सहायता देने के लिए वहां चुनाव कर्मी मौजूद होते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि वोट कैसे दिया जाए तो इस बारे में निर्देश देने के लिए चुनाव कर्मी से कहें कि वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किस तरह करना है। राज्य व संघीय कानून यह आवश्यक करते हैं कि सभी मतदाता अपने मतपत्रों को निजी व स्वतंत्र रूप से दे सकें। प्रत्येक मतदान स्थल के लिए कम से कम एक ऐसी वोटिंग मशीन रखना आवश्यक है जो नेत्रहीन या कमजोर दृष्टि वाले लोगों सहित, मतदाताओं को सहायता के बगैर वोट देने का मौका देती है। वोटिंग मशीन से आपको निजी व स्वतंत्र रूप से अपने वोट विकल्पों की जांच करने और यदि इसमें कोई गलती है तो अंतिम वोट देने से पहले इन विकल्पों को ठीक करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

डाक द्वारा वोट देना

यदि आप स्थायी तौर पर डाक द्वारा वोट देने वाले मतदाता (पहले अनुपस्थित मतदाता कहा जाता था) नहीं हैं तो भी आप इस चुनाव में डाक द्वारा वोट देने का विकल्प चुन सकते हैं। आपकी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में डाक द्वारा वोट मतपत्र के लिए एक आवेदन मौजूद रहता है। आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में डाक द्वारा वोट हेतु मतपत्र का अनुरोध करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। अपने डाक द्वारा वोट मतपत्र में अपने विकल्पों पर निशान लगाने के बाद, अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक लिफाफे में इसे रखें और सीलबंद कर दें। लिफाफे के बाहर उस जगह पर हस्ताक्षर करें जहां इसका निर्देश दिया गया है। आप अपने डाक द्वारा वोट मतपत्र को इन माध्यमों से वापिस भेज सकते हैं:

- अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में डाक द्वारा भेजकर;
- इलेक्शन डे पर अपनी काउंटी के भीतर किसी भी मतदान स्थल या चुनाव कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से इसे लौटाकर; या
- इलेक्शन डे पर अपनी काउंटी के भीतर किसी भी मतदान स्थल या चुनाव कार्यालय में आपकी ओर से मतपत्र वापिस करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत तीसरे पक्ष (जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोती, भाई, बहन या आपके घर में ही रहने वाला व्यक्ति) को अधिकृत करना।

डाक द्वारा वोट मतपत्र इलेक्शन डे पर काउंटी के चुनाव कार्यालयों में शाम 8 बजे से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए, इसलिए अपने डाक द्वारा वोट मतपत्र को इलेक्शन डे से कुछ दिन पहले भेजना सुनिश्चित करें।

चाहे आपको डाक द्वारा वोट मतपत्र प्राप्त हो गया है तब भी आप अपना फैसला बदल सकते हैं और इलेक्शन डे पर अपने मतदान स्थल पर जाकर वोट दे सकते हैं। हालांकि, आपको मतदान स्थल पर अपना डाक द्वारा वोट मतपत्र लाना चाहिए और इसे मतदात स्थल के मतपत्र से बदलने के लिए चुनाव कर्मी को दे देना चाहिए। यदि आपके पास अपना डाक द्वारा वोट मतपत्र नहीं है तो आपको अस्थायी मतपत्र पर वोट देने की अनुमति दी जाएगी।

अस्थायी मतपत्र

यदि आपका नाम आपके मतदान स्थल की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपके पास अस्थायी मतपत्र पर उस काउंटी में किसी भी मतदान स्थल पर वोट देने का अधिकार है जिसमें आप वोट देने के लिए पंजीकृत हैं। अस्थायी मतपत्र ऐसे मतपत्र होते हैं जिनपर उन मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है जो:

- मानते हैं कि वे वोट देने के लिए पंजीकृत हैं हालांकि उनके नाम आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में मौजूद नहीं हैं;
- मानते हैं कि आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में उनकी राजनीति पार्टी संबंधी वरीयता गलत सूचीबद्ध की गई है; या
- डाक द्वारा वोट देते हैं लेकिन अपना डाक द्वारा वोट मतपत्र खोज नहीं पाए हैं और अब मतदान स्थल पर वोट देना चाहते हैं।

आपके अस्थायी मतपत्र की गिनती तब की जाएगी जब काउंटी के चुनाव अधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि आप वोट देने के लिए पंजीकृत हैं और आपने उसी चुनाव में किसी अन्य स्थान में वोट नहीं दिया।

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव 30 शिक्षा में धन लगाने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

स्कूलों को धन देने के लिए, सात वर्षों के लिए $250,000 से अधिक की आय पर करों में, और चार वर्षों के लिए बिक्री करों में ¼ सेंट की वृद्धि करता है। सार्वजनिक सुरक्षा धन का पुनर्निर्धारण करने की गारंटी देता है। राजस्व संबंधी प्रभाव: 2018–19 तक राज्य कर राजस्व में वृद्धि, जो अगले कुछ वर्षों में औसतन लगभग $6 बिलियन सालाना होगी। राज्य के बजट के लिए धन देने के लिए राजस्व उपलब्ध है। 2012–13 में, मुख्य रूप में शिक्षा कार्यक्रमों खर्च में, योजनाबद्ध कटौतियां, नहीं होंगी।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: राज्य उच्च आमदनी वाले करदाताओं पर सात वर्षों के लिए व्यक्तिगत आय कर और चार वर्षों के लिए बिक्री कर को बढ़ा देगा। राज्य बजट के कार्यक्रमों को फंड देने के लिए नए कर राजस्व उपलब्ध होंगे।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: राज्य व्यक्तिगत आय कर या बिक्री कर नहीं बढ़ाएगा। राज्य के व्यय में कटौती खासतौर पर शिक्षा कार्यक्रमों में 2012-13 में प्रभावी होगी।

तर्क

पक्ष स्कूलों व सार्वजनिक सुरक्षा में कई वर्षों की कटौती के बाद, अब समय डटकर खड़े होने का है। प्रस्ताव 30 सर्वाधिक धनी लोगों को अत्यधिक स्कूल कटौतियों को रोकने के लिए अस्थायी रूप से अधिक भुगतान करने, नए शिक्षा फंडिंग में कुछ बिलियन धन देने, स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी देने और राज्य बजट को संतुलित करने के लिए कहता है। अधिक जानकारी *YesOnProp30.com* पर पाएं।

विपक्ष 30 को ना कहें—ऊंची बिक्री और आय कर में $50 बिलियन, लेकिन स्कूलों के लिए अतिरिक्त धन की कोई गारंटी नहीं। प्रस्ताव 30 स्कूलों, पेंशन या कटौती के नुकसान और नौकरशाही में सुधार नहीं लाता है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि धन वास्तव में कहां जाता है। शिक्षा से जुड़े लोग, छोटे बिजनेस और करदाता समूह 30 पर ना कहते हैं।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
Ace Smith
प्रस्ताव 30 पर हां
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

विपक्ष
30 पर ना—करों में नहीं बल्कि नौकरियों में सुधारों के लिए कैलिफोर्निया वासी
925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

प्रस्ताव 31 राज्य का बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

दो साल का राज्य बजट स्थापित करता है। नए खर्चों को पूरा करने के लिए नियम, और राजस्व संबंधी आपातस्थितियों में बजट में गवर्नर द्वारा कटौतियां स्थापित करता है। स्थानीय सरकारें राज्य द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रमों को संचालित करने वाले कानूनों के लागूकरण में परिवर्तन कर सकती हैं। राजस्व संबंधी प्रभाव: राज्य बिक्री कर राजस्व में $200 मिलियन सालाना की कमी, और स्थानीय सरकारों के लिए धन में अनुरूप वृद्धि। राज्य और स्थानीय बजटों में अन्य, संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा भविष्य के फैसलों पर निर्भर करेंगे।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: राज्य व स्थानीय बजटिंग व निगरानी प्रक्रियाओं सहित, विधायिका व गवर्नर की निश्चित राजकोषीय जिम्मेदारियां बदल जाएंगी। राज्य सेवाओं में तालमेल बैठाने के लिए योजनाएं बनाने वाली स्थानीय सरकारों को राज्य से फंड प्राप्त होगा और वे राज्य कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं विकसित कर सकती हैं।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: राज्य व स्थानीय बजटिंग व निगरानी प्रक्रियाओं सहित, विधायिका व गवर्नर की निश्चित राजकोषीय जिम्मेदारियां नहीं बदलेंगी। स्थानीय सरकारों को (1) सेवाओं में तालमेल हेतु नई योजनाएं लागू करने के लिए फंड प्राप्त नहीं होगा या (2) राज्य कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं विकसित करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

तर्क

पक्ष यस ऑन 31 राजनीतिज्ञों को कैलिफोर्निया के लोगों को अंधेरे में रखने से रोकेगा कि उनकी सरकार कैसे काम कर रही है। यह राज्य को बंद दरवाजों के पीछे बजट पास करने से रोकेगा, राजनीतिज्ञों को ऐसे कार्यक्रम बनाने से रोकेगा जिसके लिए राज्य के पास धन नहीं है और सरकार के लिए आवश्यक करेगा कि वह अधिक खर्च करने से पहले परिणामों की सूचना दे।

विपक्ष प्रस्ताव 31 अत्यधिक दोषपूर्ण प्रयास है जो व्यय और संविधान में परस्पर टकराने वाले प्रावधानों को उलझाता है जिससे मुकदमे, उलझन और व्यय बढ़ेंगे। प्रस्ताव 31 सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है, स्कूलों की फंडिंग के लिए भविष्य में वृद्धि को रोकता है और कर कटौतियों को अवरोधित करता है। टीचर, पुलिस, कंर्सवेशनिस्ट, कर सुधारकर्ता जुड़ें: नो ऑन प्रॉप 31 को वोट दें।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
सरकार की जवाबदेही के लिए करदाता
(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

विपक्ष
पारदर्शी और जबवाबदेह सरकार के लिए कैलिफोर्निया वासी

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव 32 वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों के लिए योगदान। पहल अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

यूनियनों को वेतन में से कटौती किए गए धन को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करता है। कॉरपोरेशन व सरकारी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वेतन में से कटौती, यदि कोई है, पर उपयोग का समान प्रतिबंध लागू करता है। यूनियन व कॉरपोरेट अंशदान को उम्मीदवारों व उनकी समितियों को देने को प्रतिबंधित करता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के अंशदान निर्वाचित अधिकारियों या उनकी समितियों को देने को प्रतिबंधित करता है। राजस्व संबंधी प्रभाव: उपाय की ज़रूरतों को लागू करने और बाध्य करने के लिए, राज्य और स्थानीय सरकार के लिए बढ़े हुए खर्चे, संभावित रूप से $1 मिलियन सालाना से अधिक।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: यूनियन व कॉरपोरेशन किसी कर्मचारी के वेतन से काटे गए धन का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकती हैं। यूनियन, कॉरपोरेशन और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर अभियान की अतिरिक्त वित्तीय पाबंदियों के अधीन होंगे।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी कर्मचारी के वेतन से काटे गए धन का उपयोग यूनियनों व कॉरपोरेशन द्वारा करने की क्षमता नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनों में कोई बदलाव नहीं आएगा। यूनियनें, कॉरपोरेशन और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर वर्तमान अभियान वित्तीय कानूनों के अधीन बने रहेंगे।

तर्क

पक्ष प्रस्ताव 32 विशेष हितों व राजनीतिज्ञों के बीच के धन संबंधी गठजोड़ को संविधान द्वारा प्रदत्त पूर्ण सीमा तक काट देता है। कॉरपोरेशन और यूनियनों द्वारा राजनीतिज्ञों को धन देने से प्रतिबंधित करता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से अंशदान को प्रतिबंधित करता है। राजनीति के लिए वेतन रोके रखने को समाप्त करता है, सभी अंशदान को स्वैच्छिक बनाता है। बचाव का कोई रास्ता नहीं, कोई छूट नहीं। सेक्रामेंटो का माहौल साफ-सुथरा बनाने के लिए यस को वोट दें।

विपक्ष प्रस्ताव 32 सुधार नहीं है—यह बिजनेस सुपर पीएसी और हजारों बड़े बिजनेस को इसके प्रावधानों से बचाता है और साथ ही कामकाजी लोगों और उनकी यूनियनों पर पाबंदिया थोपता है। यह अनुचित, असंतुलित है और इससे राजनीति से धन दूर नहीं होगा। द् लीग ऑफ वीमेन वोटर्स आपसे नो को वोट देने की अपील करती है!

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
32 पर हां—अब विशेष रुचि धन को बंद करो। छोटे व्यवसाय के मालिकों, किसानों, शिक्षा से जुड़े लोगों और करदाताओं द्वारा समर्थित।
(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

विपक्ष
Chris Dombrowski
32 पर ना, शिक्षा से जुड़े लोगों, फायर फाइटर, स्कूल कर्मचारियों, स्वास्थ्य चर्या प्रदाताओं, पुलिस अधिकारियों और श्रम संगठनों द्वारा प्रायोजित जो कॉरपोरेट स्पेशल इंटरेस्ट के लिए अभियान के वित्तीय नियमों से विशेष छूट देने के खिलाफ हैं।
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

प्रस्ताव 33 वाहन बीमा कंपनियां। बीमा कवरेज के ड्राइवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

मौजूदा कानून में परिवर्तन करके बीमा कंपनियों को इस आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या ड्राइवर ने पहले किसी बीमा कंपनी के साथ वाहन का बीमा कराया था। कुछ पूर्व कवरेज वाले ड्राइवरों के लिए आनुपातिक छूट की अनुमति देता है। निरंतर कवरेज के इतिहास के बिना के लिए बढ़ी हुई लागत की अनुमति देता है। राजस्व संबंधी प्रभाव: शायद राज्य बीमा प्रीमियम कर राजस्व पर राजस्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: बीमा कंपनियां नए ग्राहकों को ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिस्काउंट दे सकती हैं जो पिछले पांच वर्षों में उन वर्षों की संख्या पर आधारित होगा जिन वर्षों में ग्राहक ने बीमा करा रखा था।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: बीमा करने वाली कंपनियां अपने लंबे समय से जुड़े ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस ग्राहकों को डिस्काउंट देना जारी रख सकती हैं लेकिन बीमा करने वाली दूसरी कंपनी से आने वाले नए ग्राहकों को डिस्काउंट देना प्रतिबंधित बना रहेगा।

तर्क

पक्ष कार बीमा कराने वाले कैलिफोर्निया वासी कानून का पालन करने पर डिस्काउंट पाते हैं। लेकिन यदि आप कंपनी बदलते हैं तो आप डिस्काउंट खो देते हैं। प्रस्ताव 33 आपको बीमा कंपनियां बदलने और अपना डिस्काउंट बनाए रखने की आज़ादी देता है। प्रस्ताव 33 बीमा कंपनियों को प्रतियोगी बनाता है, कीमतें कम करने में मदद करता है और अधिक ड्राइवरों को बीमाकृत करता है।

विपक्ष प्रस्ताव 33 बीमा कंपनी की एक और धोखा देने वाली चाल है। बीमा कंपनियों ने 2010 में इसी तरह का कानून बनाने के लिए कई मिलियन खर्च किए थे—मतदाताओं ने उसे हरा दिया। प्रस्ताव 33 ऑटो इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों को *जिम्मेदार ड्राइवरों पर $1,000 तक का प्रीमियम बढ़ाने* की अनुमति देता है, और इस तरह अनुचित तरीके से लोगों को दंडित करता है जिन्होंने वाजिब कारणों से ड्राइविंग करना छोड़ दिया है। अपोज़ प्रस्ताव 33 को ग्राहक समर्थन देते हैं।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
33 पर हां—2012 वाहन बीमा छूट अधिनियम
1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

विपक्ष
Consumer Watchdog Campaign
(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव 34 मौत की सजा। पहल अधिनियम।

सारांश

याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें

मौत की सजा को भंग करता है और इसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास से बदलता है। मौजूदा मौत की सजा पर पिछली तारीख से लागू होता है। हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को $100 मिलियन देता है। राजस्व संबंधी प्रभाव: कुछ वर्षों के अंदर जारी रहने वाली लगभग $130 मिलियन सालाना की राज्य और काउंटी आपराधिक न्याय से संबंधित बचतें, जिसमें कुछ मिलियन डॉलर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। स्थानीय कानून प्रवर्तन अनुदानों के लिए $100 मिलियन के एक बार होने वाले राज्य खर्चे।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: राज्य कानून के अंतर्गत किसी अपराधी को मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। मौत की सजा पा चुके अपराधियों को दोबारा पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी। राज्य अगले चार वर्षों के दौरान स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कुल $100 मिलियन अनुदान प्रदान करेगा।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: हत्या के अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो चुके कुछ अपराधियों को मौत की ही सजा मिल सकती है। मौत की सजा पाये अपराधियों की स्थिति नहीं बदलेगी। राज्य के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अतिरिक्त अनुदान फंडिंग देना आवश्यक नहीं होगा।

तर्क

पक्ष 34 गारंटी देता है कि हम कैलिफोर्निया के अनुपयोगी मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर किसी निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा न दें। यह हत्यारों को काम करने और न्यायालय के आदेश के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देना आवश्यक करता है। कर के बेकार खर्च होने वाले धन को प्रस्ताव 34 बचाता है और बलात्कार व हत्या के मामले सुलझाने के लिए कानून प्रवर्तन में $100 मिलियन देता है।

विपक्ष कैलिफोर्निया कंगाल हो चुका है। प्रस्ताव 34 करदाताओं के ऊपर चार वर्षों में $100 मिलियन का भार डालता है और लंबे समय में कई मिलियन का। करदाता एक वर्ष में कम से कम $50,000 देंगे, यानी जीवनभर की हेल्थकेयर/हाउसिंग का पैसा उन हत्यारों के लिए देंगे जिन्होंने बच्चों, पुलिस वालों, माताओं और पिताओं को यातना दी है, बलात्कार किए हैं और हत्याएं की हैं। डीए, शेरिफ और पुलिस चीफ़ कह रहे हैं नो को वोट दें।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
Steve Smith
34 पर हां—SAFE केलिफोर्निया अभियान
237 Kearny Street #334
San Francisco, CA 94108
(415) 525-9000
info@safecalifornia.org
www.YesOn34.org

विपक्ष
Californians for Justice and Public Safety
455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
www.waitingforjustice.net

प्रस्ताव 35 मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

सारांश

याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें

मानव तस्करी की दोषसिद्धियों के लिए जेल की सजा और जुर्मानों को बढ़ाता है। दोषसिद्ध किए गए मानव तस्करों को यौन अपराधियों के रूप में पंजीकृत करने की मांग करता है। पंजीकृत यौन अपराधियों से इंटरनेट गतिविधियों और पहचानों का खुलासा करने की मांग करता है। राजस्व संबंधी प्रभाव: मानव तस्करी पर ध्यान देने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों पर वार्षिक रूप से कुछ मिलियन डॉलर की लागत। उसी राशि के वार्षिक जुर्माना राजस्व में संभावित वृद्धि, जो मुख्य रूप से मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए समर्पित किया जाएगा।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: मानव तस्करी अपराध करने के लिए कैद की लंबी सजा और अधिक जुर्माना।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: मानव तस्करी के लिए वर्तमान आपराधिक दंड प्रभावी रहेंगे।

तर्क

पक्ष यस ऑन 35—मानव तस्करी खत्म करें। बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकें। तस्कर महिलाओं और बच्चों को उनका शरीर ऑनलाइन व सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। प्रस्ताव 35 कठोर सजा के साथ उन पर प्रहार करता है, पीड़ित लोगों की मदद करता है और ऑनलाइन अपराधों से बच्चों की रक्षा करता है। तस्करी से बचने वाले लोग; बच्चे व पीड़ितों के वकील अपील करते हैं: 35 पर यस कहें।

विपक्ष प्रस्ताव 35 वास्तव में कई निर्दोष लोगों को डराता है "मेरा बेटा जिसने सेना में कई साल तक देश की सेवा की है और जो अब कॉलेज जाता है, को मानव तस्कर ठहराया जा सकता है और यौन अपराधी के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है यदि मैं उसे पैसे देती हूं जो मैं ईरोटिक सर्विस करके कमाती हूं।"
—Maxine Doogan
कृपया नो को वोट दें।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
Kristine Kil
35 पर हां वोट दें
P.O. Box 7057
Fremont, CA 94537
(510) 473-7283
info@VoteYesOn35.com
www.VoteYesOn35.com

विपक्ष
Maxine Doogan
Erotic Service Providers Legal, Education, and Research Project, Inc.
2261 Market Street #548
San Francisco, CA 94114
(415) 265-3302
noonprop35@gmail.com
http://esplerp.org/

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव 36 तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़ा अपराध करने वाले अपराधी। दंड। पहल अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

कानून को संशोधित करके केवल उस समय उम्र कैद देता है, जब नए बड़े अपराध की दोषसिद्धि गंभीर या हिंसक हो। दोबारा सजा देने के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि तीसरे हमले की दोषसिद्धि गभीर या हिंसक नहीं है। राजस्व संबंधी प्रभाव: वार्षिक तौर पर लगभग $70 मिलियन की जारी रहने वाली राज्य सुधारक बचत, और आने वाले कुछ दशकों में और भी अधिक बचत ($90 मिलियन तक)। राज्य की भविष्य की कार्यवाहियों पर निर्भर करते हुए ये बचतें काफी भिन्न हो सकती हैं।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: पिछले दो गंभीर या हिंसात्मक अपराधिक कृत्य करने वाले आपराधिक दोषी जो नया आपराधिक कृत्य करता है, को अभी भी उम्रकैद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, पिछले दो गंभीर या हिंसात्मक अपराधिक कृत्य करने वाले आपराधिक दोषी जो फिलहाल कई अगंभीर, गैर-हिंसात्मक अपराधिक कृत्यों के लिए उम्रकैद की सजा भुगत रहा है, को अपनी उम्रकैद की बची हुई अवधि पूरी करनी होगी।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: पिछले दो गंभीर या हिंसात्मक अपराधिक कृत्य करने वाले आपराधिक दोषी जो कोई अगंभीर, गैर-हिंसात्मक आपराधिक कृत्य करते हैं, उन्हें राज्य कैद में कम अवधि की सजा सुनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, पिछले दो गंभीर या हिंसात्मक अपराधिक कृत्य करने वाले आपराधिक दोषी जो फिलहाल कई अगंभीर, गैर-हिंसात्मक अपराधिक कृत्यों के लिए उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं, उन्हें कैद की कम अवधि के लिए दोबारा सजा सुनाई जा सकती है।

तर्क

पक्ष हिंसक अपराधियों पर फोकस करके थ्री स्ट्राईक्स लॉ (तीन हमलों का कानून) की मूल मंशा को फिर से स्थापित करता है। गंभीर या हिंसक अपराध दोहराने वाले अपराधियों को उम्रकैद की सजा मिलती है। गैर-हिंसक अपराधियों को साधारण कैद की सजा से दोगुनी सजा मिलती है। $100,000,000 से अधिक की वार्षिक बचत करता है और सुनिश्चित करता है कि बलात्कारी, हत्यारे और अन्य खतरनाक अपराधी जीवनभर जेल में रहें।

विपक्ष प्रस्ताव 36 उन खतरनाक अपराधियों को उनके लंबे आपराधिक इतिहास के कारण जेल से रिहा कर देगा जिन्हें उम्रकैद की सजा मिली है। यह प्रयास इतना अधिक दोषपूर्ण है कि इनमें से कुछ अपराधी तो बिना निगरानी के रिहा हो जाएंगे! प्रस्ताव 36 पर नो को वोट देने के लिए कैलिफोर्निया के शेरिफ, पुलिस, अभियोजक और अपराध पीड़ित के साथ जुड़ें।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
Pedro Rosado
Committee for Three Strikes Reform
(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

विपक्ष
Mike Reynolds
Save Three Strikes
P.O. Box 4163
Fresno, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

प्रस्ताव 37 आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

उपभोक्ताओं को बेचे गए ऐसे खाद्य पदार्थ पर लेबल लगाने की मांग करता है जो निर्दिष्ट तरीके से बदली गई आनुवंशिक सामग्री के साथ पौधों या जानवरों से बनाया गया है। ऐसे भोजन, या अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को "प्राकृतिक" के रूप में बेचने से प्रतिबंधित करता है। छूटें प्रदान करता है। राजस्व संबंधी प्रभाव: आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने को नियंत्रित करने के लिए कुछ लाख डॉलरों से लेकर $1 मिलियन तक के बढ़े हुए वार्षिक राज्य खर्चे। उपाय के अंतर्गत उल्लंघनों से निपटने के लिए अतिरिक्त खर्चे, लेकिन जिनके महत्त्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: कैलिफोर्निया में बेचे जाने वाले जेनेटिक रूप से संवर्धित खाद्य को जेनेटिक संवर्धित खाद्य के तौर पर विशेष रूप से लेबल लगाना आवश्यक होगा।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: कैलिफोर्निया में बेचे जाने वाले जेनेटिक रूप से संवर्धित खाद्य को जेनेटिक संवर्धित खाद्य के तौर पर विशेष रूप से लेबल लगाना आवश्यक नहीं रहेगा।

तर्क

पक्ष प्रस्ताव 37 हमें यह जानने का अधिकार देता है कि उस खाद्य सामग्री में क्या है जो हम खाते हैं अपने परिवार को खाने के लिए देते हैं। यह जेनेटिक रूप से संवर्धित तरीके का इस्तेमाल करते हुए बनी खाद्य सामग्री की लेबलिंग आवश्यक करता है ताकि हम चुन सकें कि इन उत्पादों को खरीदना है या नहीं। हमें यह जानने का अधिकार है।

विपक्ष प्रस्ताव 37 एक धोखा देने वाली, अत्यधिक दोषपूर्ण फूड लेबलिंग योजना है जो विशेष हित छूटों और बचाव के रास्तों से भरा हुआ है। प्रस्ताव 37: नई सरकारी नौकरशाही निर्मित करेगा जिससे करदाताओं पर कई मिलियन का बोझ पड़ेगा, किसानों व छोटे व्यवसायों के खिलाफ खर्चीले शेकडाउन मुकदमे चलाना अधिकृत करता है और परिवार के लिए प्रत्येक वर्ष कई सौ डॉलर का ग्रॉसरी बिल बढ़ा देता है।
www.NoProp37.com

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
Gary Ruskin
California Right to Know
5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

विपक्ष
प्रस्ताव 37 पर ना, भ्रामक खाद्य लेबलिंग योजना बंद करें
(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव 38 शिक्षा और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों में धन लगाने के लिए कर। पहल अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

बारह वर्षों के लिए, सरकने वाले पैमाने का इस्तेमाल करते हुए, आय पर करों को बढ़ाता है। राजस्व K–12 स्कूलों और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों के लिए, और चार सालों तक राज्य के कर्ज का भुगतान करने के लिए जाएगा। राजस्व संबंधी प्रभाव: 12 वर्षों के लिए राज्य कर राजस्व में वृद्धि—शुरू के सालों में लगभग $10 बिलियन सालाना, जो समय के साथ बढ़ेगी। धन को स्कूलों, बच्चों की देखभाल, और प्रीस्कूलों के लिए, और साथ ही राज्य के कर्ज का भुगतान करने के लिए बचतें प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: राज्य का व्यक्तिगत आय कर 12 वर्षों के लिए बढ़ जाएगा। अतिरिक्त राजस्व का उपयोग स्कूलों, बच्चों की देखभाल, प्रीस्कूल और राज्य के कर्ज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: राज्य का व्यक्तिगत आय कर अपने वर्तमान स्तरों पर रहेगा। स्कूलों, बच्चों की देखभाल, प्रीस्कूल और राज्य के कर्ज का भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध नहीं होगी।

तर्क

पक्ष 38 स्कूलों को फिर से एक प्राथमिकता बना देता है। यह बजट कटौतियां करने और शैक्षिक परिणाम बेहतर करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए नई फंडिंग को प्रत्येक स्थानीय सरकारी स्कूल में भेजने की गारंटी देता है। प्रस्ताव 38 सेक्रामेंटो के राजनीतिज्ञों को धन में हाथ लगाने से रोकता है। स्वतंत्र ऑडिट सहित, व्यय करने के फैसले सामुदायिक स्तर पर मिलने वाली सूचना और जवाबदेही की अत्यधिक आवश्यकताओं से स्थानीय स्तर पर लिये जाते हैं।

विपक्ष नो ऑन 38: यदि आप कर योग्य आय में प्रतिवर्ष $17,346 कमाते हैं तो आपका कर बढ़ जाता है। उच्चतर करों में कुल $120 बिलियन। छात्र के प्रदर्शन को बेहतर करने की कोई आवश्यकता नहीं। धोखाधड़ी होने पर भी 12 वर्षों तक बदला नहीं जा सकता है। छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है। नौकरियां खत्म करता है। शिक्षा से जुड़े लोग, करदाता और बिजनेस 38 को नो कहते हैं।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
प्रस्ताव 38 पर हां
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

विपक्ष
Jason Kinney
मध्यम वर्ग आय कर वृद्धि को रोकें—प्रस्ताव 38 पर ना
980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

प्रस्ताव 39 बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण। पहल अधिनियम।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

बहुराज्य व्यवसायों से कैलिफोर्निया में उनकी बिक्री के प्रतिशत के आधार पर आयकर का भुगतान करने की मांग करता है। पांच साल के लिए साफ/कुशल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित राजस्व। राजस्व संबंधी प्रभाव: वार्षिक रूप से $1 बिलियन का बढ़ा हुआ राजस्व, जिसमें से अगले पांच वर्षों में आधा राजस्व ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। शेष राजस्व में से, एक बड़े भाग की स्कूलों पर खर्च किए जाने की संभावना है।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: मल्टीस्टेट बिजनेस अब राज्य कर योग्य आय निश्चित करने का तरीका चुनने में सक्षम नहीं रहेंगे जो उनके सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कुछ मल्टीस्टेट बिजनेस को इस बदलाव की वजह से अधिक कॉरपोरेट आय कर चुकाना पड़ेगा। बढ़े हुए इस कर राजस्व का लगभग आधा हिस्सा किफायती ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता देने के लिए उपयोग किया जाएगा।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: ज्यादातर मल्टीस्टेट बिजनेस अपनी कैलिफोर्निया की कर योग्य आय के दो तरीकों में से एक तरीका चुनने में सक्षम रहेंगे।

तर्क

पक्ष 39 पर हां करने से कर से बचने के अनुचित रास्ते बंद होते हैं जो राज्य से बाहर के कॉरपोरेशन को कैलिफोर्निया से बाहर नौकरियां रखते हुए कर देने से बचने का मौका देते हैं। कर से बचने के रास्ते बंद करने से स्थानीय नौकरियां बचती हैं और कैलिफोर्निया को $1 बिलियन मिलते हैं। फंड का उपयोग स्कूलों में नौकरियां पैदा करने वाली किफायती ऊर्जा परियोजनाओं और कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। यस ऑन 39—बचाव के रास्ते बंद करो।

विपक्ष प्रयास 39 कैलिफोर्निया में नौकरियां देने वालों पर $1 बिलियन की भारी-भरकम कर वृद्धि है जो मिडिल क्लास कर्मचारियों के हजारों लोगों को नौकरी देते हैं। यह संसाधनों की बर्बादी और भ्रष्टाचार का मेल है जो सेक्रामेंटो के राजनीतिज्ञों को वास्तविक जवाबदेही के बगैर कई बिलियन खर्च करने के लिए ब्लैंक चेक देता है। कैलिफोर्निया कई बिलियन के कर्ज में है; प्रस्ताव 39 इसे और खराब करता है।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
39 पर हां—राज्य के बाहर कर से बचने के अनुचित रास्ते बंद करने के लिए केलिफोर्निया वासी
www.cleanenergyjobsact.com

विपक्ष
California Manufacturers & Technology Association
1115 11th Street
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव 40 ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह।

सारांश

याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें

"हाँ" वोट सिटीज़न्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा तैयार किए गए राज्य के नए सीनेट ज़िलों को स्वीकृति देती है, और "नहीं" वोट उन्हें अस्वीकार करती है। यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ज़िलों को कैलिफ़ोर्निया की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अधिकारियों द्वारा समायोजित किया जाएगा। राजस्व संबंधी प्रभाव: जनमत संग्रह को अनुमति देने से राज्य और स्थानीय सरकारों पर कोई राजस्व संबंधी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनमत संग्रह को अस्वीकार करने के परिणाम-स्वरूप राज्य और काउंटियों को एक बार होने वाला $1 मिलियन का खर्च उठोना होगा।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: सिटिजंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा प्रमाणित राज्य सीनेट ज़िलों की सीमाएं उपयोग की जाएंगी।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: नए राज्य सीनेट ज़िलों की सीमाएं तय करने के लिए कैलिफोर्निया का सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मास्टर्स को नियुक्त करेगा।

तर्क

पक्ष 40 पर हां करने से मतदाता द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र सिटिजंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए नए राज्य सीनेट के नक्शों की रक्षा होती है। 40 पर यस वोट देने से कैलिफोर्निया मतदाताओं की राजनीतिज्ञों को नए ज़िले बनाने की प्रक्रिया से दूर रखकर उन्हें जवाबदेह रखने की इच्छा लागू होती है। गुड गवर्नमेंट समूह, वरिष्ठ नागरिक, बिजनेस और करदाता "यस ऑन 40" को स्वीकार करने का सुझाव देते हैं।

विपक्ष प्रस्ताव 40 के प्रायोजक के तौर पर, हमारी मंशा 2012 के लिए कमीशन की राज्य सीनेट ज़िलों के फैसले को उलट देना था। हालांकि राज्य के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से जिसने 2012 के लिए इन ज़िलों का प्रावधान लागू रखा, हमने अपना अभियान रोक दिया और अब इस पर नो वोट नहीं चाहते हैं।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
40 पर हां
राजनेताओं को जवाबदेह ठहराएं
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

विपक्ष
FAIRDISTRICTS2012.com

इनके लिए सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वेबसाइट देखें:

- अभियान अंशदान और लॉबिंग गतिविधि पर शोध करने *http://cal-access.sos.ca.gov*
- अन्य भाषाओं में मतदाता मार्गदर्शिकाएं देखने के लिए *www.voterguide.sos.ca.gov*
- अपना मतदान स्थल खोजें *www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm*
- डाक द्वारा वोट मतपत्र की सूचना पाएं *www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm*
- पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सहायक सूचना *www.sos.ca.gov/elections/new-voter*
- इलेक्शन डे पर चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव परिणाम लाईव देखें *http://vote.sos.ca.gov*

मतपत्र की बहसों के बारे में

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट मतपत्र में मौजूद तर्क नहीं लिखता है। मतपत्र प्रयासों के पक्ष व विपक्ष में तर्क मतपत्र प्रयासों के समर्थकों व विरोधियों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रस्तुत किए गए तर्कों की भाषा को सटीकता के लिए सत्यापित या किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है जब तक न्यायालय आदेश न हो कि भाषा को बदला जाए।

अपने वोटिंग अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शिका के पृष्ठ 143 को देखें।

कैलिफोर्निया में चुनाव

1 जनवरी, 2011 से प्रभावी, द् टॉप टू कैंडिडेट्स ओपन प्राईमरी एक्ट के अनुसार यह आवश्यक है कि मतदाता-नामांकित पद के सभी उम्मीदवार एक ही मतपत्र पर सूचीबद्ध किए जाएं। पहले जिन्हें पार्टीगत पद के नाम से जाना जाता था, ऐसे मतदाता-नामांकित पद हैं राज्य विधायिका पद, यू.एस.कॉन्ग्रेस के पद और राज्य संवैधानिक पद। सर्वाधिक मत पाने वाले केवल दो उम्मीदवार—पार्टी वरीयता पर ध्यान दिए बगैर—आम चुनाव के लिए, कुल मतों पर ध्यान दिए बगैर आगे जाते हैं।

मतदाता-नामांकित पदों के लिए केवल राईट-इन (मतदाता द्वारा मतपत्र में नामांकित उम्मीदवार) उम्मीदवार ही प्राथमिक चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि राईट-इन उम्मीदवार आम चुनाव में केवल तभी आगे जा सकता है जबकि वह प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार है। इसके अतिरिक्त, आम चुनाव के लिए स्वतंत्र नामांकन प्रक्रिया नहीं है।

कैलिफोर्निया का नया ओपन प्राईमरी सिस्टम अमेरिकी राष्ट्रपति, काउंटी की केंद्रीय समिति या स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता है।

कैलिफोर्निया कानून आवश्यक करते हैं कि इस गाइड में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाए।

पार्टी-नामांकित पद/पार्टीगत पद

राजनीतिक पार्टियां प्राथमिक चुनाव में पार्टी-नामांकित पदों/पार्टीगत पदों के लिए पहले से ही उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती है। कोई नामांकित उम्मीदवार आम चुनाव में किसी खास पद के लिए उस पार्टी का उसके आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा और मतपत्र में आधिकारिक स्थिति दर्शाई जाएगी। प्राथमिक चुनाव में प्रत्येक पार्टी के सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार आम चुनाव में चले जाते हैं। पार्टियां प्राथमिक चुनाव में भी काउंटी की केंद्रीय समिति के अधिकारी चुनती हैं।

कोई मतदाता केवल तभी किसी राजनीतिक पार्टी के प्राथमिक चुनाव में मत दे सकता है यदि उसने मत के लिए पंजीकृत होते समय ऐसी वरीयता प्रकट की है। हालांकि, किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस पार्टी के प्राथमिक चुनाव में मत देने की अनुमति दी जा सकती है जिसने पार्टी वरीयता प्रकट करने से मना कर दिया है।

मतदाता द्वारा नामांकित पद

प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित पदों के लिए उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नामांकित करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को नहीं है। प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित पद के लिए नामांकित होने वाला उम्मीदवार, लोगों द्वारा नामांकित होता है और आम चुनाव में किसी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के समान नहीं होता है। मतदाता-नामांकित पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास उसकी पार्टी वरीयता होगी, या पार्टी वरीयता नहीं होगी जो मतपत्र पर उल्लेखित की जाएगी, लेकिन पार्टी वरीयता स्थिति एकमात्र रूप से केवल उम्मीदवार द्वारा चुनी जाएगी और केवल मतदाताओं की सूचना के लिए दर्शाई जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि उम्मीदवार नामित पार्टी द्वारा नामांकित किया गया है या उसके द्वारा समर्थित है, या पार्टी और उम्मीदवार के बीच कोई संबंध है, और मतदाताओं द्वारा नामांकित कोई उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक रूप से नामांकित उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका में, मतदाता-नामांकित पदों के लिए पार्टियां उन उम्मीदवारों की सूची दे सकती है जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

मतदाता-नामांकित पद के लिए कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है यदि वह उस पद के लिए वोट देने हेतु अन्य योग्यताओं को पूरा करता है। प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवार मतदाता-नामांकित पद के लिए आम चुनाव में चले जाते हैं चाहे दोनों उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी वरीयता स्थिति दर्शाई हो। किसी भी पार्टी को इसकी पार्टी वरीयता स्थिति वाले उम्मीदवार को आम चुनाव में भेजने का अधिकार नहीं है जब तक कि उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में इसके दो सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों में से एक नहीं होता है।

गैर पार्टीगत पद

राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिक चुनाव में गैर पार्टीगत पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने का अधिकार नहीं है और प्राथमिक चुनाव का कोई उम्मीदवार, आम चुनाव में किसी खास पद के लिए किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामांकित व्यक्ति नहीं होता है। गैर पार्टीगत पद के नामांकन के लिए कोई उम्मीदवार मतपत्र पर अपनी पार्टी वरीयता, या पार्टी वरीयता की कमी निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवार गैर पार्टीगत पद के लिए होने वाले आम चुनाव में चले जाते हैं।

प्रस्ताव
30 शिक्षा में धन लगाने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

शिक्षा में धन लगाने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

- सात वर्षों के लिए $250,000 से अधिक की वार्षिक आय पर व्यक्तिगत आयकर को बढ़ाता है।
- चार वर्षों के लिए बिक्री और उपयोग कर में ¼ सेंट की वृद्धि करता है।
- अस्थायी कर राजस्व का 89% K–12 स्कूलों को और 11% कम्युनिटी कॉलेजों को आवंटित करता है।
- धन को प्रशासनिक खर्चों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है, लेकिन स्थानीय स्कूल संचालन बोर्डों को, खुली बैठकों में और वार्षिक लेखा जांच के अंतर्गत, इस बारे में फैसला करने का अधिकार देता है कि धन को कैसे खर्च किया जाएगा।
- गारंटी देता है कि सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए धन का राज्य से स्थानीय सरकारों में पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- 2012–13 से लेकर 2016–17 तक लगभग $6 बिलियन सालाना का अतिरिक्त राज्य कर राजस्व। 2011–12, 2017–18, और 2018–19 में अतिरिक्त राजस्व की छोटी राशियां उपलब्ध होंगी।
- ये अतिरिक्त राजस्व राज्य के बजट में कार्यक्रमों में धन देने के लिए उपलब्ध होंगे। 2012–13 में लगभग $6 बिलियन की खर्च में कटौतियाँ, मुख्य रूप से शिक्षा कार्यक्रमों में, लागू नहीं होंगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अवलोकन

यह उपाय सभी करदाताओं के लिए राज्य बिक्रीकर की दरों और ऊपरी आय वाले करदाताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर (PIT) की दरों में अस्थायी रूप से वृद्धि करता है। ये अस्थायी कर वृद्धि राज्य के बजट में वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिए भुगतान के लिए अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराती है। राज्य का 2012–13 योजना बजट—जिसको विधायिका और गवर्नर द्वारा जून 2012 में अनुमोदित किया गया है—इस उपाय को पारित किया हुआ मानता है। मतदाताओं के इस उपाय को अस्वीकार करने की दशा में बजट में, तथापि, एक बैकअप योजना भी शामिल है जिसमें खर्च में कटौती ("ट्रिगर कटौती" के रूप में ज्ञात) की आवश्यकता शामिल है। यह उपाय कुछ राज्य कार्यक्रम जिम्मेदारियों के हाल ही में स्थानीय सरकारों को हस्तांतरण से संबंधित आवश्यकताओं को राज्य के संविधान में स्थापित करता है। चित्र 1 इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधानों को साराँशित करता है, जिन पर और अधिक विस्तार से चर्चा नीचे की गई है।

चित्र 1

प्रस्ताव 30 का अवलोकन

राज्य कर एवं राजस्व

- बिक्री कर की दर को चार साल के लिए प्रति डॉलर के लिए एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाता है।
- उच्च आय कर दाताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरों को सात वर्षों के लिए बढ़ाता है।
- 2012–13 से लेकर 2016–17 तक 2011–12, 2017–18, एवं 2018–19 में छोटी राशि के साथ अतिरिक्त वार्षिक राज्य राजस्व में लगभग $6 बिलियन उत्पन्न करता है।

राज्य व्यय

- यदि मतदाताओं द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए, तो 2018–19 तक राज्य के बजट के संतुलन में मदद करने के लिए अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध।
- यदि मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो 2012–13 के बजट में $6 बिलियन की कटौती। 2018–19 तक राज्य के राजस्व में कमी।

स्थानीय सरकारी कार्यक्रम

- गारंटी देता है कि स्थानीय सरकारों को उन कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए सालाना कर राजस्व प्राप्त हों जिनके लिए 2011 में उनको राज्य द्वारा जिम्मेदारियों स्थानांतरित की गई।

राज्य कर एवं राजस्व

पृष्ठभूमि

सामान्य निधि राज्य का मुख्य संचालन खाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 (जो 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक चला) में सामान्य फंड का कुल राजस्व $93 बिलियन था। सामान्य फंड के तीन सबसे बड़े राजस्व स्रोत व्यक्तिगत आयकर, बिक्रीकर एवं कॉर्पोरेट आयकर थे।

बिक्रीकर। बिक्रीकर की दरें कैलिफोर्निया में जगह के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं। वर्तमान में, औसत बिक्रीकर दर 8 प्रतिशत से बस थोड़ा उपर है। बिक्रीकर राजस्व का एक हिस्सा राज्य को जाता है, जबकि शेष स्थानीय सरकारों को आवंटित कर दिया जाता है। राज्य के सामान्य फंड में वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान $27 बिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ।

व्यक्तिगत आयकर। PIT वेतन, व्यापार, निवेश, और व्यक्तियों और परिवारों की अन्य आय पर लगने वाला कर है। राज्य की PIT दर कई आय कोष्ठकों में से प्रत्येक में किसी करदाता की आय के कुछ भागों पर 1 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक होती है। (उनको सीमांत कर दरों के रूप में जाना जाता है।) जैसे-जैसे आय बढ़ती है, उच्च सीमांत कर दरें ली जाती हैं। इस कर से उत्पन्न कर राजस्व—वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान कुल $49.4 बिलियन—को राज्य के सामान्य फंड में जमा किया जाता है। इसके अलावा, $1 मिलियन से अधिक की वार्षिक आय पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना कर लागू होता है (संबद्ध राजस्व को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित करने के साथ)।

प्रस्ताव

2013 से लेकर 2016 तक बिक्री कर की दर को बढ़ाता है। यह उपाय प्रत्येक डॉलर से खरीदे गए सामान पर राज्यव्यापी बिक्री कर की दर को अस्थायी रूप से एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाता है। यह उच्च कर दर चार साल लिए प्रभावी होगी—1 जनवरी 2013 से लेकर 2016 के अंत तक।

2012 से लेकर 2018 तक व्यक्तिगत आयकर की दर को बढ़ाता है। जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, यह उपाय उच्च आय पर मौजूदा 9.3 प्रतिशत की PIT दर को बढ़ाता है। जैसे-जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है, अतिरिक्त सीमांत कर दरों में वृद्धि होगी। संयुक्त रूप से दाखिल करने वालों के लिए, उदाहरण के लिए, सालाना $500,000 से लेकर $600,000 की आय पर दर में कुल 1 प्रतिशत की वृद्धि कर उसको 10.3 प्रतिशत कर सीमांत कर दर में अतिरिक्त 1 प्रतिशत सीमाँत कर दर लागू होगी। इसी तरह, $600,000 एवं $1 मिलियन के बीच की सालाना आय पर एक अतिरिक्त 2 प्रतिशत सीमांत कर दर, और $1 मिलियन से अधिक की सालाना आय पर एक अतिरिक्त 3 प्रतिशत सीमांत कर दर लागू होगी, जो इन आय कोष्ठक पर कुल दरों को बढ़ाकर क्रमशः 11.3 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत कर देगा। ये नई कर दरें कैलिफोर्निया के 1 प्रतिशत PIT दाखिल करने वालों को प्रभावित करेंगी। (ये करदाता वर्तमान में राज्य व्यक्तिगत आय कर में लगभग 40 प्रतिशत भुगतान करते हैं)। कर की दरें सात सालों के लिए प्रभावी लागू होंगी—कर वर्ष 2012 में शुरू होकर कर वर्ष 2018 के अंत तक। (क्योंकि दर

चित्र 2

प्रस्ताव 30 के तहत वर्तमान और प्रस्तावित व्यक्तिगत आयकर दरें

एकल दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	संयुक्त दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	परिवार के मुखिया की दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	वर्तमान सीमांत कर दर[b]	प्रस्तावित अतिरिक्त वर्तमान सीमांत कर दर[b]
$0–$7,316	$0–$14,632	$0–$14,642	1.0%	—
7,316–17,346	14,632–34,692	14,642–34,692	2.0	—
17,346–27,377	34,692–54,754	34,692–44,721	4.0	—
27,377–38,004	54,754–76,008	44,721–55,348	6.0	—
38,004–48,029	76,008–96,058	55,348–65,376	8.0	—
48,029–250,000	96,058–500,000	65,376–340,000	9.3	—
250,000–300,000	500,000–600,000	340,000–408,000	9.3	1.0%
300,000–500,000	600,000–1,000,000	408,000–680,000	9.3	2.0
500,000 से अधिक	1,000,000 से अधिक	680,000 से अधिक	9.3	3.0

[a] दिखाए गए आय कोष्ठक 2011 के लिए प्रभाव में थे और भविष्य के वर्षों में मुद्रास्फीति के लिए उनको समायोजित किया जाएगा। एकल दाखिलकर्ताओं में शादीशुदा व्यक्ति और पंजीकृत घरेलू भागीदार (RDPs) भी शामिल हैं जो करों को अलग से दाखिल करते हैं। संयुक्त दाखिलकर्ताओं में शादीशुदा और RDP दंपत्ति शामिल हैं, जो संयुक्त रूप से दाखिल करते हैं, और साथ ही आश्रित बच्चे के साथ पात्र विधवाएं या विधुर भी शामिल हैं।

[b] सीमांत कर दर सूचीबद्ध प्रत्येक कोष्ठक में कर योग्य आय पर लागू होती हैं। प्रस्तावित अतिरिक्त कर दरें 2012 में में शुरू होकर प्रभावी होंगी और 2018 के अंत में समाप्त हो जाएंगी। सूचीबद्ध वर्तमान कर दरों में $1 मिलियन से अधिक की कर योग्य पर आय पर लगने वाला अतिरिक्त 1 प्रतिशत की मानसिक स्वास्थ्य कर की दर की शामिल नहीं है।

प्रस्ताव 30 के पाठ के लिए, पृष्ठ 80 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

में वृद्धि 1 जनवरी 2012 को लागू होगी, प्रभावित करदाताओं को आने वाले महीनों में अधिक भुगतान करना होगा ताकि दरों में वृद्धि के कारण पूरे साल की भरपाई हो सके।) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर अभी भी $1 मिलियन से अधिक की आय पर लागू होती है। इसलिए, प्रस्ताव 30 के दर परिवर्तन इन करदाताओं की सीमांत PIT दर को 10.3 प्रतिशत से 13.3 प्रतिशत तक बढ़ाते हैं। इस मतदान पर प्रस्ताव 38 भी PIT दरों में वृद्धि करता है। पास का बॉक्स वर्णन करता है कि अगर दोनों उपायों को अनुमोदित कर दिया जाता है तो क्या होगा।

क्या होता है अगर मतदाता प्रस्ताव 30 व प्रस्ताव 38 दोनों को स्वीकृत कर देते हैं?

राज्य का संविधान निर्दिष्ट करता है कि अगर दोनों उपायों में संघर्ष होता है तो क्या होता है। यदि राज्यव्यापी मतदान में स्वीकृत दो उपायों के प्रावधानों में संघर्ष होता है तो संविधान निर्दिष्ट करता है कि अधिक "हाँ" के मत प्राप्त करने वाले उपाय के प्रावधान प्रबल होंगे। इस राज्यव्यापी मतदान में प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 38, दोनों व्यक्तिगत आय कर (PIT) की दरों में वृद्धि करते हैं, और इस तरह उनको परस्पर विरोधी के रूप में देखा जा सकता है।

उपाय व्यक्त करता है कि कर वृद्धि का केवल एक सेट ही प्रभावी होता है। प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 38, दोनों में यह स्पष्ट करने के लिए खण्ड हैं कि अगर दोनों उपाय पारित हो जाते हैं तो कौन से प्रावधान प्रभावी होंगे:

- ***यदि प्रस्ताव 30 को अधिक हाँ मत प्राप्त होते हैं।*** प्रस्ताव 30 में एक खण्ड है जो संकेत देता है कि इसके प्रावधान अपनी सम्पूर्णता में लागू होंगे और PIT की दरों में वृद्धि करने वाले किसी भी अन्य उपाय के प्रावधान—इस मामले में प्रस्ताव 38—प्रभावी नहीं होंगे।
- ***यदि प्रस्ताव 38 को अधिक हाँ मत प्राप्त होते हैं।*** प्रस्ताव 38 में एक खण्ड है जो संकेत देता है कि इसके प्रावधान प्रबल होंगे और बिक्री कर या और PIT की दरों में वृद्धि करने वाले किसी भी अन्य उपाय के प्रावधान—इस मामले में प्रस्ताव 30—प्रभावी नहीं होंगे। इस परिदृश्य के तहत, खर्च में कटौती, जिसे "ट्रिगर कटौती" के रूप में जाना जाता है, प्रस्ताव 30 की कर वृद्धि के प्रभावी न होने पाने के कारण प्रभावी होगी।

वित्तीय प्रभाव

2018–19 तक अतिरिक्त राज्य राजस्व। पाँच सालों के दौरान जिसमें बिक्री कर और PIT में वृद्धि प्रभावी होती है (2012–13 से लेकर 2016–17 तक), इस उपाय की कर वृद्धि से औसत वार्षिक राज्य राजस्व बढ़ोत्तरी का अनुमान लगभग $6 बिलियन है। उच्च कर दरों के चरणबद्ध तरीके से बाहर होने से 2011–12, 2017–18, और 2018–19 में राजस्व वृद्धि कम होने का अनुमान है।

जारी

राजस्व में एक साल से दूसरे साल काफी परिवर्तन हो सकता है। इस उपाय से राजस्व में होने वाली वृद्धि में कई बिलियन डॉलर का परिवर्तन हो सकता है—उपर अनुमानित राजस्व से उपर या नीचे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उपाय से अतिरिक्त राजस्व का अधिकाँश भाग ऊपरी आय वाले करदाताओं पर PIT की दर में होने वाली बढ़ोत्तरी से आता है। ऊपरी आय वाले करदाताओं द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली अधिकाँश आय कुछ मायनों में उनके निवेश और व्यापार से संबंधित होती है, न कि उनकी मजदूरी और उनके वेतन से। जहाँ ऊपरी आय वाले करदाताओं की मजदूरी और वेतन में कुछ हद तक उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी निवेश आय में शेयर बाजार के प्रदर्शन, आवास की कीमतों और अर्थव्यवस्था के आधार पर एक साल से अगले साल काफी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में $1 मिलियन से अधिक आय वाले करदाताओं से मानसिक स्वास्थ्य कर से आने वाली कुल आय 2009–10 में $730 मिलियन थी, जो पिछले वर्षों में आय से दो गुने से भी अधिक बढ़ गयी। करदाताओं की इस आय में होने वाले उतार-चढ़ाव और दर में वृद्धि के प्रति प्रतिक्रियाओं की अनिश्चितता के कारण इस उपाय से राजस्व में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाना मुश्किल है।

राज्य व्यय

पृष्ठभूमि

राज्य सामान्य फंड कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का समर्थन करता है। सामान्य फंड में जमा राजस्व विभिन्न किस्म के कार्यक्रमों का समर्थन करता है—जिसमें सार्वजनिक स्कूल, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक सेवाएं, और जेल शामिल हैं। स्कूल पर होने वाला खर्च राज्य बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य के मतदाताओं द्वारा इससे पहले पारित प्रस्तावों की आवश्यकता है कि राज्य स्कूलों (किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक) और सामुदायिक कॉलेजों (संयुक्त रूप से K–14 शिक्षा के रूप में संदर्भित) को न्यूनतम वार्षिक राशि—जिसे आमतौर पर प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी कहा जाता है—उपलब्ध कराए। न्यूनतम गारंटी का वित्तपोषण राज्य सामान्य फंड और स्थानीय संपत्ति कर राजस्व के संयोजन के माध्यम से होता है। कई वर्षों में, न्यूनतम गारंटी की गणना राज्य के सामान्य कोष राजस्व में परिवर्तन करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। उन वर्षों में, जब राज्य के सामान्य फंड में काफी वृद्धि होती है तो गारंटी के भी काफी मात्रा में बढ़ने की संभावना है। राज्य और स्थानीय वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा, जो स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए आबंटित किया जाता है, वह "अप्रतिबंधित" है, जिसका अर्थ है कि वे धन का उपयोग किसी भी शैक्षणिक प्रयोजन के लिए कर सकते हैं।

प्रस्ताव

नया कर राजस्व स्कूलों के वित्तपोषण और बजट संतुलन में मदद के लिए उपलब्ध है। उपाय की अस्थायी कर वृद्धि से उत्पन्न राजस्व को प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी की गणना में शामिल किया जाएगा—जो प्रत्येक वर्ष गारंटी में कई बिलियन डॉलर की वृद्धि करता है। इसलिए, इस नए राजस्व के एक हिस्से का इस्तेमाल उच्चतर स्कूल वित्तपोषण के लिए किया जाएगा और शेष राज्य के बजट के संतुलन में मदद करेगा। एक लेखा परिप्रेक्ष्य से, नए राजस्व को एक नवगठित राज्य खाते में जमा किया जाएगा, जिसे शिक्षा संरक्षण

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

खाता (EPA) कहा जाता है। खाते में धनराशि के 89 प्रतिशत को स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा और 11 प्रतिशत को सामुदायिक कॉलेजों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल और सामुदायिक कॉलेज इस धन का इस्तेमाल किसी शैक्षिक प्रयोजन के लिए कर सकते हैं। धन का वितरण उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि मौजूदा अप्रतिबंधित धन का किया जाता है, सिवाय इसके कि किसी स्कूल जिले को EPA फंड में प्रति छात्र $200 से कम प्राप्त नहीं होंगे और किसी भी सामुदायिक कॉलेज जिले को EPA फंड में प्रति पूर्णकालिक छात्र $100 से कम प्राप्त नहीं होंगे।

अगर उपाय को मंजूरी दे दी जाती है तो वित्तीय प्रभाव

2012–13 बजट योजना इस उपाय की मतदाता स्वीकृति पर निर्भर करती है। विधायिका और गवर्नर ने जून में 2012–13 वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट घाटे को संबोधित करने के लिए और साथ ही भविष्य के वर्षों में अनुमानित बजट घाटे को संबोधित करने के लिए एक बजट की योजना को अपनाया। 2012–13 की बजट योजना (1) मानती है कि मतदाता इस उपाय का अनुमोदन करते हैं और (2) इसके परिणामस्वरूप आने वाले राजस्व को राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च करती है। इस उपाय के द्वारा उत्पन्न राजस्व का एक बड़े हिस्से को स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों पर खर्च किया जाता है। इससे स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए 2012–13 में वित्तपोषण में बड़ी वृद्धि—वर्ष 2011–12 में $6.6 बिलियन की वृद्धि (14 प्रतिशत) की व्याख्या करने में मदद मिलती है। इस वृद्धि का लगभग अधिकाँश भाग पिछले वर्ष के व्यय का भुगतान करने और कुछ का इस्तेमाल K–14 भुगतानों में देरी को कम करने के लिए किया जाता है। बड़े अनुमानित बजट घाटे को देखते हुए, बजट योजना में कुछ स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों पर खर्च को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई, राज्य कर्मचारी मुआवजे में कमी, एक बारीय धन का उपयोग, और अन्य राज्य खातों से उधार लेना शामिल हैं।

2018–19 तक बजटों पर प्रभाव। इस उपाय के अतिरिक्त कर राजस्व 2018–19 तक राज्य के बजट को संतुलित करने में मदद के लिए उपलब्ध होंगे। इस उपाय से अतिरिक्त राजस्व 2018–19 तक सालाना कई बिलियन डॉलर उपलब्ध कराता है जो कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला के लिए उपलब्ध होगा—जिसमें मौजूदा राज्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण, K–14 शिक्षा भुगतान में देरी को समाप्त करना, और अन्य राज्य कर्ज का भुगतान करना शामिल हैं। विधायिका और गवर्नर की भविष्य की कार्रवाई इन निधियों के उपयोग का निर्धारण करेगी। उसी समय, ऊपरी आय करदाताओं की आय में उतार-चढ़ाव के कारण, इस उपाय के तहत राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव कुछ वर्षों में राज्य के बजट को उलझा सकते हैं। प्रस्तावित कर वृद्धि के समाप्त हो जाने के बाद, संबद्ध कर राजस्व के नुकसान से बाद के वर्षों में अतिरिक्त बजट दबाव आ सकता है।

चित्र 3

यदि मतदाता प्रस्ताव 30 को अस्वीकार कर देते हैं तो 2012–13 के खर्च में कटौती

(मिलियन में)

स्कूल एवं सामुदायिक कॉलेज	$5,354
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय	250
कैलिफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय	250
विकास सेवा विभाग	50
शहर पुलिस विभाग अनुदान	20
कैलफायर	10
DWR बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	7
स्थानीय जल सुरक्षा पैट्रोल अनुदान	5
मत्स्य एवं क्रीड़ा विभाग	4
पार्क एवं मनोरंजन विभाग	2
DOJ कानून प्रवर्तन कार्यक्रम	1
कुल	**$5,951**

DWR = जल संसाधन विभाग, DOJ = न्याय विभाग

अगर उपाय को नामंजूर कर दिया जाता है तो वित्तीय प्रभाव।

अगर मतदाता इस उपाय को नामंजूर कर देते हैं तो बैकअप बजट योजना खर्च कम कर देता है। यदि यह उपाय विफल रहता है, तो राज्य को प्रस्ताव की कर वृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति में, 2012–13 की बजट योजना की आवश्यकता है कि इसके खर्च को $6 बिलियन तक कम किया जाए। इन ट्रिगर कटौतियों को, जो वर्तमान में राज्य के कानून में निर्धारित हैं, चित्र 3 में दिखाया गया है। लगभग सभी कटौतियाँ शिक्षा कार्यक्रमों में हैं—$5.4 बिलियन K–14 शिक्षा में और $500 मिलियन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में। K–14 कटौतियों में से, लगभग $3 बिलियन कटौती अप्रतिबंधित वित्तपोषण में से है। स्कूल और सामुदायिक कॉलेज इन कटौतियों पर विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें आरक्षित राशि में कटौती, स्कूलों के लिए अनुदेशात्मक साल को छोटा करना, और सामुदायिक कॉलेजों के लिए नामांकन को कम करना शामिल हैं। शेष $2.4 बिलियन की कटौती स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों में विलंबित भुगतान की राशि में 2011–12 के स्तर पर वृद्धि करेगी। इससे स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों की वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी की जरूरत प्रभावित हो सकती है, जो संभवतः अधिक अल्पकालिक उधार लेने को बढ़ावा देगी।

2018–19 तक बजटों पर प्रभाव। यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो राज्य के राजस्व 2018–19 तक प्रत्येक वर्ष उसके मुकाबले कई बिलियन डॉलर कम होंगे जब इसको स्वीकार कर लिया जाता। विधायिका और गवर्नर के भविष्य के कार्य निर्धारित करते हैं कि राज्य के बजट को राजस्व के इस निचले स्तर पर कैसे संतुलित किया जाए। भविष्य में राज्य के बजट को स्कूलों या अन्य कार्यक्रम के लिए कटौती कर, नए राजस्व, और एक बारीय कार्रवाई के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है।

प्रस्ताव 30 के पाठ के लिए, पृष्ठ 80 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

स्थानीय सरकारी कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

2011 में, राज्य ने कई कार्यक्रमों के प्रशासन और वित्तपोषण की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों (मुख्य रूप से काउंटियों) को हस्ताँतरित कर दी थी। हस्तांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों में कुछ वयस्क अपराधियों को जेल में डालना, पैरोलों का पर्यवेक्षण करना, और मादक द्रव्यों के सेवन की उपचार सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। इन नए दायित्वों के लिए भुगतान करने के लिए, विधायिका ने लगभग $6 बिलियन को राज्य कर राजस्व में से स्थानीय सरकारों को सालाना स्थानांतरित करने के लिए कानून पारित किया। इन निधियों में अधिकांश बिक्री कर के एक हिस्से को राज्य से स्थानीय सरकारों को हस्ताँतिरत करने से आते हैं।

प्रस्ताव

यह उपाय राज्य कार्यक्रम जिम्मेदारियों के 2011 हस्तांतरण से संबंधित कुछ प्रावधानों को संविधान में स्थापित करता है।

चालू राजस्वों की स्थानीय सरकारों को गारंटी देता है। यह उपाय राज्य से 2011 (या समकक्ष फंड) में कर राजस्वों को स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित करने को जारी रखने की अपेक्षा करता है ताकि वे हस्तांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों के लिए भुगतान कर सकें। यह उपाय स्थानीय सरकारों को पुनर्निर्देशित बिक्री कर राजस्व को स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों के लिए न्यूनतम वित्तपोषण गारंटी की गणना से स्थायी रूप से बाहर करता है।

राज्य प्राधिकरण को कार्यक्रम आवश्यकताओं का विस्तार करने से रोकता है। स्थानीय सरकारों को भविष्य के किसी भी राज्य कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी जो 2011 में स्थानांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों का प्रशासन करने में स्थानीय लागत को बढ़ाते हैं, बशर्ते राज्य ने बढ़ी हुई लागत का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया हो।

राज्य से कुछ अप्रत्याशित कार्यक्रम लागत को साझा करने की अपेक्षा करता है। इस उपाय राज्य की आवश्यकता है कि राज्य उन किसी भी नई स्थानीय लागतों के हिस्से का भुगतान करे जो कुछ अदालती कार्रवाई और स्थानांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों से संबंधित संघीय विधियों या नियमों में परिवर्तन के फलस्वरूप आती हैं।

संभावित जनादेश अनुदान देयता को समाप्त करता है। संविधान के तहत, राज्य को स्थानीय सरकारों को उस समय प्रतिपूर्ति करनी होगी जब यह नई जिम्मेदारियों या "जनादेश" को उन पर लागू करता है। वर्तमान कानून के तहत, राज्य से स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त वित्तपोषण (जनादेश प्रतिपूर्ति) उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे हस्तांतरित कार्यक्रम जिम्मेदारियों में से कुछ के लिए भुगतान कर सकें। यह उपाय निर्दिष्ट करता है कि राज्य को ऐसे जनादेश प्रतिपूर्ति को उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

खुली बैठक अधिनियम लागत की राज्य प्रतिपूर्ति को समाप्त करता है। Ralph M. Brown अधिनियम की आवश्यकता है कि स्थानीय विधायी निकायों के सभी बैठकें खुली और सार्वजनिक हों। अतीत में, राज्य ने ब्राउन अधिनियम के कुछ प्रावधानों (जैसे कि सार्वजनिक बैठकों के लिए पहले और बाद का एजेंडा तैयार करने की आवश्यकता) से उत्पन्न लागत के लिए स्थानीय सरकारों को प्रतिपूर्ति है। यह उपाय निर्दिष्ट करता है कि राज्य ब्राउन अधिनियम में खुली बैठक प्रक्रियाओं का पालन करने की लागत के लिए स्थानीय एजेंसियों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

वित्तीय प्रभाव

राज्य सरकार। हस्तांतरित कार्यक्रमों के लिए राज्य लागतें उनसे अधिक हो सकती हैं जो अन्यथा होतीं क्योंकि यह उपाय (1) गारंटी देता है कि राज्य स्थानीय सरकारों को उनका भुगतान करने के लिए वित्तपोषण जारी रखेगा (2) अपेक्षा करता है कि राज्य भविष्य के संघीय कानून में परिवर्तन और अदालती मामलों से जुड़ी लागत का हिस्सा साझा करे, और (3) स्थानीय सरकारों को उन नए राज्य कानूनों और विनियमों से मना करने के लिए अधिकृत करता है जो उनकी लागत में वृद्धि करते हैं, जब तक कि राज्य अतिरिक्त धन प्रदान न करे। इन संभावित लागतों को आँशिक रूप से 2011 कार्यक्रम हस्तांतरण और ब्राउन अधिनियम प्रक्रियाओं में राज्य जनादेश देयता को समाप्त करने के इस उपाय की लागतों से ऑफसेट किया जाएगा। इन प्रावधानों के शुद्ध वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करना संभव नहीं है और यह निर्वाचित अधिकारियों और अदालतों द्वारा भविष्य की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। ऊपर चर्चा किए गए कारकों का स्थानीय सरकारों पर विपरीत वित्तीय प्रभाव होगा। यही कारण है, स्थानीय सरकार के राजस्व उससे अधिक होंगे जो वे अधिक होते, क्योंकि राज्य को (1) स्थानीय सरकारों 2011 में स्थानांतरित कार्यक्रम के लिए भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध कराना आवश्यक है और (2) भविष्य के संघीय और राज्य के कानून में परिवर्तन और अदालती मामलों के साथ जुड़ी लागतों का पूरा या आँशिक भुगतान करना आवश्यक हो सकता है। इन बढ़े हुए स्थानीय राजस्व को उपाय के उन प्रावधानों द्वारा आँशिक रूप से ऑफसेट किया जाएगा जो 2011 कार्यक्रम हस्ताँतरण और ब्राउन अधिनियम प्रक्रियाओं के लिए जनादेश प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के स्थानीय सरकार के अधिकार को समाप्त करते हैं। इन प्रावधानों के शुद्ध वित्तीय प्रभाव को निर्धारित करना संभव नहीं है और यह निर्वाचित अधिकारियों और अदालतों द्वारा भविष्य की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

सारांश

अगर मतदाता इस उपाय का अनुमोदन करते हैं, राज्य बिक्री कर की दर में चार साल के लिए वृद्धि होगी और PIT में सात साल के लिए वृद्धि होगी, जिससे एक अनुमान के अनुसार औसतन 2012–13 और 2016–17 के बीच सालाना $6 बिलियन अतिरिक्त राज्य राजस्व पैदा होगा। (2011–12, 2017–18, और 2018–19 वित्त वर्षों के लिए राजस्व में छोटी वृद्धि होने की संभावना है)। इन राजस्वों का इस्तेमाल राज्य की 2012–13 बजट योजना के वित्तपोषण में मदद करने के लिए किया जाएगा और अगले सात वर्षों में बजट संतुलन में मदद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उपाय यह भी गारंटी देता है कि स्थानीय सरकारों को कुछ राज्य कार्यक्रम जिम्मेदारियों को स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान करने के लिए 2011 में हस्ताँतरित राज्य के कर राजस्व का हिस्सा प्राप्त होना जारी रहेगा।

यदि मतदाता इस उपाय को अस्वीकार कर देते हैं, तो राज्य बिक्री कर और PIT दर में वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि इन कर दरों में वृद्धि से धन राज्य की 2012–13 बजट योजना निधि में उपलब्ध नहीं होगा, 2012–13 में राज्य के खर्च में लगभग $6 बिलियन की कमी होगी, शिक्षा से संबंधित कटौती में समान कटौती के साथ। भविष्य के वर्षों में, राज्य के राजस्व में उसके मुकाबले कई बिलियन डॉलर की कमी होगी जो इन उपायों को स्वीकार करने पर प्राप्त होते।

प्रस्ताव 30 के पाठ के लिए, पृष्ठ 80 देखें।

प्रस्ताव 30 शिक्षा को फंड देने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

★ प्रस्ताव 30 के पक्ष में तर्क ★

लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया टीचर्स एण्ड एंफोर्समेंट प्रोफेशनल्स की ओर से एक संदेश

साथी कैलिफोर्नियावासियों,

कटौती के सालों बाद, कैलिफोर्निया के सार्वजनिक स्कूल, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक सुरक्षा सेवाएँ टूटने के कगार पर हैं।

केवल पिछले चार वर्षों में ही, हमारे स्कूलों में $20 बिलियन से अधिक की कटौती की गई है, 30,000 से भी अधिक कम शिक्षक हैं और कक्षा के आकार देश में सबसे बड़े हैं। हमारे बच्चे इससे बेहतर के लायक हैं।

यह कुछ कार्रवाई करने और कैलिफोर्निया को वापस पटरी पर लाने का समय है।

प्रस्ताव 30, स्कूल एवं और स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम को गवर्नर Jerry Brown, लीग ऑफ वीमैन वोटर्स और शिक्षा, कानून प्रवर्तन और व्यापार के अग्रणियों के राज्यव्यापी गठबंधन का समर्थन प्राप्त है।

प्रस्ताव 30 के लिए व्यापक समर्थन है क्योंकि यह ही मात्र पहल है जो स्कूलों और सुरक्षा के वित्तपोषण की रक्षा करेगी और राज्य की पुरानी बजट गड़बड़ियों का समाधान करने में मदद करेगी:

- *स्कूल में गहन कटौती को रोकता है।* प्रस्ताव 30 के बिना, हमारे स्कूल और कॉलेज इस वर्ष $6 बिलियन की एक अतिरिक्त विनाशकारी कटौती का सामना कर रहे हैं। प्रस्ताव 30 ही *मात्र* पहल है जो उन कटौतियों को रोकती है और इस वर्ष शुरू होने वाले हमारे स्कूलों के कई बिलियन डॉलर का नया वित्तपोषण उपलब्ध कराती है—वह धन जिसको छोटी कक्षाओं, अद्यतन पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों को पुनः नियोजित करने पर खर्च किया जा सकता है।
- *स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्तपोषण की गारंटी देता है।* प्रस्ताव 30 ही *मात्र* उपाय है जो हमारे राज्य के संविधान में सार्वजनिक सुरक्षा के वित्तपोषण को स्थापित करता है, जहाँ इसको मतदाताओ की स्वीकृति के बिना छुआ नहीं जा सकता है। प्रस्ताव 30 सड़क पर पुलिस को लाता है।
- *बजट संतुलन में मदद करता है।* प्रस्ताव 30 हमारे बजट को संतुलित करता है और कैलिफोर्निया के ऋण का भुगतान करने में मदद करता है—जो वर्षों की चालबाज़ियों और उधार लेने के कारण पैदा हो गया है। यह बजट खामियों को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे कैलिफोर्निया ग्रस्त है।

स्कूलों और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए, प्रस्ताव 30 अधिक आय वाले लोगों—एक वर्ष में $500,000 से अधिक आय वाले दंपत्तियों—पर व्यक्तिगत आयकर को अस्थायी रूप से बढ़ाता है और बिक्रीकर को पिछले वर्ष की तुलना कम पर स्थापित करता है।

प्रस्ताव 30 के कर अस्थायी, संतुलित और स्कूलों और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए आवश्यक हैं:

- *केवल उच्चतम आय अर्जक ही अधिक आयकर का भुगतान करते हैं:* प्रस्ताव 30 उन लोगों से अस्थाई तौर पर अधिक आयकर देने के लिए कहता है जो सबसे अधिक कमाते हैं। $500,000 प्रति वर्ष से कम कमाई करने वाले दंपत्तियों को किसी अतिरिक्त आयकर का भुगतान *नहीं* करना होगा।
- *सभी नए राजस्व अस्थायी है:* प्रस्ताव 30 के कर अस्थायी हैं, और इस पहल को *लोगों के मतदान के बिना नहीं बदला जा सकता है।* बहुत उच्चतम अर्जकों को सात सालों के लिए अधिक भुगतान करना होगा। बिक्रीकर के प्रावधान चार साल के लिए प्रभावी होंगे।
- *धन एक विशेष खाते में जाता है जिसे विधायिका छू नहीं सकती:* स्कूलों के लिए एकत्र किए गए धन को एक विशेष कोष में जमा किया जाता है जिसे विधायिका छू नहीं सकती और इसका इस्तेमाल राज्य की नौकरशाही के लिए नहीं किया जा सकता है।
- *प्रस्ताव 30 अनिवार्य लेखा परीक्षण को उपलब्ध कराता है:* अनिवार्य, स्वतंत्र वार्षिक लेखा परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि धन को **केवल** स्कूलों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ही खर्च किया जाता है।

लीग ऑफ वीमैन वोटर्स और कैलिफोर्निया टीचर्स एण्ड एंफोर्समेंट प्रोफेशनल्स के साथ शामिल हों।

प्रस्ताव 30 पर **हाँ** में मतदान करें।

स्कूलों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बीड़ा उठाएं।

अधिक जानने के *YesOnProp30.com* जाएँ।

JENNIFER A. WAGGONER, अध्यक्ष
लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया

DEAN E. VOGEL, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया टीचर्स एसोसिएशन

KEITH ROYAL, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया स्टेट शेरिफ्स एसोसिएशन

★ प्रस्ताव 30 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

प्रस्ताव 30 के समर्थकों का कहना है कि हमें या तो एक भारी कर वृद्धि को मंजूरी देनी है या स्कूलों में कटौती करनी है।

हम सभी कैलिफोर्निया में उत्कृष्ट स्कूल चाहते हैं, लेकिन करों में बढ़ोतरी करना ऐसा करने का एकमात्र तरीका नहीं है।

राजनेता हजारों राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों, भारी भरकम नौकरशाही और अपशिष्ट को व्यवस्थित करने के बजाय करों में वृद्धि करेंगे।

जरा देखें कि उन्होंने अभी क्या किया: राजनेताओं ने "बुलेट ट्रेन जो कहीं नहीं है" के लिए कैलिफोर्निया बांड्स में लगभग *$5 बिलियन* को अधिकृत किया जिससे करदाताओं पर प्रति वर्ष $380 मिलियन की लागत आई। हमें उन डॉलरों का इस्तेमाल स्कूलों के लिए करना चाहिए!

इसके बजाय, नेता हमें प्रति वर्ष झूठे विकल्प देते हैं—बिक्री को प्रति वर्ष $1 बिलियन बढ़ाना और छोटे व्यवसायों पर आयकर बढ़ाना या स्कूलों में कटौती करना।

प्रस्ताव 30 ऐसा नहीं है जैसा कि यह लगता है: यह कक्षाओं के वित्तपोषण के लिए एक भी नए धन की गारंटी नहीं देता है।

30 प्रस्ताव पर नहीं: यह राजनेताओं को वर्तमान में शिक्षा के लिए निर्धारित पैसे को लेने के लिए और इसको दूसरे कार्यक्रमों पर खर्च करने की अनुमति देता है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में पैसा कहाँ चला गया।

30 प्रस्ताव पर नहीं: यह सेक्रेमेंटो राजनेताओं को बिना बजट, पेंशन, या शिक्षा में सुधार की आवश्यकता के खाली चेक देता है।

30 प्रस्ताव पर नहीं: यह छोटे व्यवसायों का नुकसान करता है और नौकरियाँ खत्म करता है।

30 प्रस्ताव पर नहीं: यह सेक्रेमेंटो राजनेताओं के लिए बस और अधिक पैसा है जिसे वे खर्च कर सकते हैं।

गुमराह न हों, प्रस्ताव 30 वह नहीं है जैसा कि यह लगता है। यह सिर्फ सेक्रेमेंटो राजनेताओं के लिए अपने लिए अधिक धन लेने के लिए एक बहाना है, जबकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकासन पहुँचेगा और शिक्षा में कुछ मदद नहीं होगी।

कैलिफोर्निया के निवासी इतने समझदार हैं कि उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है: *प्रस्ताव 30 पर नहीं का मतदान करें!*

JOEL FOX, अध्यक्ष
स्मॉल बिजनेस एक्शन कमेटी

JOHN KABATECK, कार्यकारी निदेशक
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस/कैलिफोर्निया

KENNETH PAYNE, अध्यक्ष
सेक्रेमेंटो टैक्सपेयर्स एसोसिएशन

इस पृष्ठ पर छपे तर्क लेखकों की राय हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इनकी सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 30 शिक्षा को फंड देने के लिए अस्थायी कर। गारंटीकृत स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्त-पोषण। पहल संविधान संशोधन।

★ प्रस्ताव 30 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 30 पर **नहीं**: यह सिर्फ $50 बिलियन अरब का राजनीतिक "शैल खेल" है—लेकिन स्कूलों के लिए किसी नए वित्तपोषण की गारंटी नहीं।

प्रस्ताव 30 के पीछे नेता चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि अगर मतदाता प्रस्ताव 30 की सात साल में भारी कर वृद्धि को मंजूरी देते हैं तो नया पैसा कक्षाओं में जाएगा। कुछ भी सच्चाई से बढ़कर नहीं हो सकता।

प्रस्ताव 30 स्कूलों के लिए नया वित्तपोषण प्रदान करने के बजाय नेताओं को एक "शैल खेल" खेलने के लिए अनुमति देता है:

- वे स्कूलों के लिए मौजूदा पैसे को ले सकते हैं और इसको अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकते हैं और फिर इस पैसे को नए करों से उगाहे गए पैसे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। वे इसको एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से वापस डाल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके चारों ओर कैसे घूमते हैं, प्रस्ताव 30 स्कूलों के लिए नए वित्तपोषण के एक नए पैसे की भी गारंटी नहीं देता है।
- कई शिक्षविदों ने इस दोष को उजागर किया है और यहां तक कि कैलिफोर्निया स्कूल बोर्ड्स एसोसिएशन ने कहा है कि ". . . गवर्नर की पहल स्कूलों के लिए नए वित्तपोषण को प्रदान नहीं करती है।" (20 मई, 2012)
- वाल स्ट्रीट जर्नल ने भी उसी दोष की पहचान करते हुए कहा कि "कैलिफोर्निया के गवर्नर Jerry Brown अपनी कर वृद्धि को यह कहकर इस नवंबर में मतदाताओं को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि यह स्कूलों में जाएगा। गंदा छोटा रहस्य है कि नया राजस्व दिवालिया हो चुकी शिक्षक पेंशन निधि को फिर से भरने के लिए आवश्यक है।" वाल स्ट्रीट जर्नल संपादकीय, 22 अप्रैल 2012
- यहां तक कि प्रस्ताव 30 का आधिकारिक शीर्षक और सारांश का कहना है कि पैसे को ". . . अन्य खर्च प्रतिबद्धताओं का भुगतान करने के लिए" इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा, ऐसी कोई आवश्यकताएं या आश्वासन नहीं हैं कि वास्तव में अधिक पैसा कक्षाओँ में जाता है और प्रस्ताव 30 में बरबादी में कमी करने के लिए, नौकरशाही को खत्म करने के लिए या प्रशासनिक ओवरहैड में कटौती करने के लिए कुछ भी हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं करता है।

प्रस्ताव 30 पर **नहीं**—कोई सुधार नहीं

प्रस्ताव 30 के पीछे राजनेता और विशेष हित अपने नियंत्रण से बाहर खर्च का भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि करना चाहते हैं, लेकिन सार्थक सुधारों को पारित करने से इंकार करते हैं:

- विशेष हितों और राजनेताओं ने, जिनको वे नियंत्रित करते हैं, पेंशन सुधारों को अवरुद्ध कर दिया है। कैलिफोर्निया में हमारी अनिधिक पेंशन देनदारियाँ $500 बिलियन हैं और इसके बाबजूद राजनेता असली सुधारों को अधिनियमित करने से इंकार कर रहे हैं।
- इन्हीं लोगों ने बजट सुधार को भी अवरुद्ध किया है। राजनेता राज्य से अधिक खर्च करना जारी रखे हुए हैं। प्रस्ताव 30 उनको बिना किसी सुधार के खर्च करने के लिए कई बिलियन डॉलर उपलब्ध कराकर खतरनाक पुरस्कार देता है, जिसमें कोई गारंटी नहीं कि पैसे की बरबादी नहीं की जाएगी और यह वास्तव में कक्षाओं में जाएगा।

प्रस्ताव 30 पर **नहीं**—राजनेताओं की धमकी को रोकें

गवर्नर, राजनेता और प्रस्ताव 30 के पीछे विशेष हित मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि "हमारी भारी कर वृद्धि के लिए मतदान करें या फिर हम इसे स्कूल से निकाल लेंगे," लेकिन उसी समय वे पैसे को बचाने के लिए शिक्षा या पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए मना करते हैं।

हमें रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और अपशिष्ट में कटौती करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, सरकार को साफ करना है, अपनी बजट प्रक्रिया में सुधार करना है और राजनेताओं को छोटे व्यवसायों और कामकाजी परिवारों पर $50 बिलियन की कर वृद्धि करने के लिए, जो स्कूलों के लिए नए वित्त पोषण की कोई जवाबदेही या गारंटी नहीं करती है, जवाबदेह बनाने की जरूरत है।

प्रस्ताव 30 पर **नहीं**—सुधार और नौकरियां पहले, उच्च कर नहीं

JON COUPAL, अध्यक्ष
हावर्ड जार्विस टैक्सपेयर्स एसोसिएशन
TOM BOGETICH, कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त)
कैलिफोर्निया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन
DOUG BOYD, सदस्ये
लॉस एंजिल्स काउंटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन

★ प्रस्ताव 30 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

कटौती के वर्षों बाद, अब स्कूलों और स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए रेखा खींचने का समय है।

प्रस्ताव 30 के **कड़े राजकोषीय नियंत्रण** सुनिश्चित करते हैं कि पैसे को केवल स्कूलों और सार्वजनिक सुरक्षा पर ही खर्च किया जाता है:

- संविधान में राजस्व के बारे में गारंटी हो कि यह स्कूलों के लिए एक विशेष खाते में जाए ताकि *विधायिका इसे छू न सके*।
- पैसे का *हर साल* लेखापरीक्षण किया जाएगा और इसको प्रशासन या सेक्रेमेंटो नौकरशाही पर खर्च नहीं किया जा सकता है।
- प्रस्ताव 30 पैसे के दुरुपयोग के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने को अधिकृत करता है।

हमारे बच्चों को देश में सबसे अधिक भीड़ कक्षाओं से बेहतर की अपेक्षा है। प्रस्ताव 30 अत्याधिक अमीर लोगों से अपना एक उचित हिस्सा कक्षाओं को खुला और पुलिस को सड़क पर रखने के लिए कहता है।

- **इस साल स्कूलों में गहरी कटौती को रोकता है:** प्रस्ताव 30 ही मात्र पहल है जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इस साल स्वत: कटौती में $6 बिलियन को रोकती है। प्रस्ताव 30 के बिना, हम इस साल एक छोटे स्कूल वर्ष, शिक्षकों की छंटनी और ट्यूशन शुल्क में भारी वृद्धि का सामना करेंगे।
- **नए स्कूल वित्तपोषण में कई बिलियन उपलब्ध कराता है:** प्रस्ताव 30 कक्षा का आकार घटाने और कला व पीई जैसे कार्यक्रमों को बहाल करने के लिए अतिरिक्त धन के रूप में कई बिलियन डॉलर प्रदान करता है।
- **स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करता है:** प्रस्ताव 30 राज्य के संविधान में स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा वित्तपोषण की गारंटी देता है और भविष्य की जेल लागत में कई बिलियन को बचाने में मदद करता है।
- **बजट संतुलन में मदद करता है:** प्रस्ताव 30 राज्य के बजट संतुलन के एक लंबी अवधि के समाधान का हिस्सा है।

शिक्षक, कानून प्रवर्तन, व्यापार जगत के अग्रणी और गवर्नर Jerry Brown, सभी प्रस्ताव 30 का समर्थन करते हैं क्योंकि यही मात्र उपाय है जो कैलिफोर्निया को बहाली की राह पर डालेगा।

www.YesOnProp30.com पर और अधिक जानें।

JENNIFER A. WAGGONER, अध्यक्ष
लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया
JOSHUA PECHTHALT, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया फेडरेशन ऑफ टीचर्स
SCOTT R. SEAMAN, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया पुलिस चीफ्स एसोसिएशन

प्रस्ताव
31 राज्य का बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

31

राज्य का बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम।

- राज्य के बजट का दो साल का चक्र स्थापित करता है।
- विधानमंडल को $25 मिलियन से अधिक के खर्च तैयार करने से प्रतिबंधित करता है जब तक खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व या खर्च में कटौतियों की पहचान न कर ली जाए।
- गवर्नर को घोषित राजस्व संबंधी आपातस्थितियों के दौरान एकतरफा ढंग से बजट में कटौती करने की अनुमति देता है यदि विधानमंडल कार्य करने में विफल रहता है।
- राज्य के सभी कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की मांग करता है।
- राज्य और स्थानीय बजटों में प्रदर्शन लक्ष्यों की मांग करता है।
- विधान-संबंधी वोट से कम से कम तीन दिन पहले बिल प्रकाशित करने की मांग करता है।
- स्थानीय सरकारों को इस बारे में परिवर्तन करने की अनुमति देता है कि राज्य द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रमों को संचालित करने वाले कानून उन पर कैसे लागू होते हैं, जब तक विधानमंडल या राज्य एजेंसी 60 दिनों के अंदर परिवर्तन को वीटो नहीं कर देते हैं।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- राज्य बिक्री कर राजस्व में लगभग $200 मिलियन सालाना की कमी, और कुछ स्थानीय सरकारों के लिए धन में अनुरूप वृद्धि।
- राज्य और स्थानीय खर्च और राजस्व में अन्य, संभावित रूप से अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी मात्रा सरकारी अधिकारियों द्वारा भविष्य के फैसलों पर निर्भर करेगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अवलोकन

यह उपाय स्थानीय सरकारों, विधायिका, और गवर्नर की कुछ जिम्मेदारियों में बदलाव करता है। यह राज्य और स्थानीय सरकार के संचालनों के कुछ पहलूओं में भी बदलाव करता है। चित्र 1 में उपाय के मुख्य प्रावधानों का सारांश दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा नीचे दी गयी है।

स्थानीय सरकार की योजनाओं को अधिकृत और वित्तपोषित करता है

प्रस्ताव

स्थानीय सरकारों को नयी योजनायें विकसित करने की अनुमति देता है। इस उपाय के तहत काउंटी और अन्य स्थानीय सरकारें (जैसे शहर, स्कूल जिले, सामुदायिक कॉलेज जिले, और विशेष जिले) यह समन्वय करने के लिये योजनायें तैयार कर सकते हैं कि वे जनता को सेवायें कैसे उपलब्ध करायें। योजनाएं इस बात को भी संबोधित कर सकती है कि स्थानीय सरकारें अनेक क्षेत्रों में सेवाओं को कैसे दें, जिसमें आर्थिक विकास, शिक्षा सामाजिक सेवायें, सार्वजनिक सुरक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं। प्रत्येक योजना को (1) काउंटी (2) काउंटी के छात्रों में से अधिकांश स्कूल जिले और (3) काउंटी की जनसंख्या के अधिकांश का प्रतिनिधित्व करने वाली स्थानीय सरकारों के प्रशासन मंडलों द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। स्थानीय एजेंसियों को योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य से वित्तपोषण प्राप्त होगा (नीचे दिये वर्णन के अनुसार)।

स्थानीय सरकारों को नयी योजनायें विकसित करने की अनुमति देता है। यदि स्थानीय सरकारों को लगता है कि राज्य का कानून या विनियम उनकी योजना को चलाने की क्षमता को प्रतिबाधित करते हैं तो वे स्थानीय प्रक्रियाओं का विकास कर सकते हैं जो मौजूदा राज्य के कानून या विनियम के उद्देश्यों के क्रियात्मक समकक्ष हैं। स्थानीय सरकारें राज्यों द्वारा वित्त पोषित के कार्यक्रमों का प्रशासन करने में—राज्य के

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

कानूनों या विनिमयों के बजाय—इन स्थानीय प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकती हैं। विधायिका (राज्य कानूनों के मामले में) या संबंधित राज्य विभाग (राज्य विनियमों के मामले में) के पास इन वैकल्पिक स्थानीय प्रक्रियाओं को अस्वीकार करने का अवसर होगा। स्थानीय रूप से विकसित प्रक्रियायें चार साल के बाद समाप्त हो जायेंगी बशर्ते समान प्रक्रिया के माध्यम से उनका नवीकरण न किया जाये।

स्थानीय संपत्ति-करों के हस्ताँतरण की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया के करदाता स्थानीय सरकारों को सालाना संपत्ति करों के रूप में लगभग $50 बिलियन का भुगतान करते हैं। राज्य के कानून प्रशासित करते हैं कि संपत्ति करों को प्रत्येक काउंटी की स्थानीय सरकारी संस्थाओं में किस प्रकार बाँटा जाना है। यह उपाय स्थानीय सरकारों को उनको आवंटित संपत्ति करों को अपने बीच अपने द्वारा चयनित किसी तरह से हस्ताँतरित करने के लिए योजनाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। प्रत्येक प्रभावित स्थानीय सरकार को परिवर्तन को अपने प्रशासन मंडल के दो तिहाई मतों से स्वीकृत कराना होगा।

कुछ राज्य बिक्रीकर राजस्व को स्थानीय सरकार को हस्ताँतरित करता है। वर्तमान में, राज्य में औसत बिक्री कर की दर सिर्फ 8 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर है। इससे राज्य और स्थानीय सरकार के बीच लगभग बराबर आवंटित राजस्वों के साथ 2009–10 में $42.2 बिलियन एकत्र किये गए। वित्तीय वर्ष 2013–14 में शुरू होकर ये उपाय राज्य के हिस्से के एक छोटे भाग को उन काउंटियों को हस्ताँतरित करेंगे जो नयी योजनाओं को लागू करते हैं। इससे करदाताओँ द्वारा भुगतान किये जाने वाले बिक्रीकरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हस्तांतरण से योजनाओं वाली काउंटियों में भाग लेने वाली स्थानीय सरकारों के राजस्व में कुछ ही समय में सालाना लगभग $200 मिलियन की वृद्धि होगी। राज्य सरकार को उसी राशि का घाटा होगा जो अब राज्य कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध नहीं होगी। बिक्रीकर भाग लेने वाले काउंटियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित किये जायेंगे। उपाय के लिए एक स्थानीय योजना आवश्यक है ताकि इनका और अन्य निधियों का वितरण उपलब्ध कराया जा सके जिनका मंतव्य स्थानीय योजना को लागू करने में समर्थन करना है।

चित्र 1

प्रस्ताव 31 के मुख्य प्रावधान

✓ **स्थानीय सरकारी योजनाओं को अधिकृत करता है और वित्तपोषण उपलब्ध कराता है**

- राज्य के राजस्वों को उन काउंटियों को हस्ताँतरित करता है जिनमें स्थानीय सरकारें अपनी सावर्जनिक सेवाओं का समन्वय करने के लिए योजनाओं को लागू करती हैं।
- इन राज्य सरकारों को राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करने की अनुमति देता है।
- इन स्थानीय सरकारों को स्थानीय संपत्ति करों को अपने बीच हस्ताँतरित करने की अनुमति देता है।

✓ **कुछ बिलों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है**

- कुछ अधिनियमों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है। जो राज्य की लागतों को बढ़ाते हैं या राजस्व को घटाते हैं। जब तक की वित्तपोषण के नये स्त्रोत और/या खर्च में कटौतियों की पहचान नहीं कर ली जाती।
  - विभिन्न प्रकार के बिलों को उपरोक्त आवश्यकता से छूट देता है।
- विधायी अनुमोदन से कम से कम 3 दिन पहले सभी बिलों और संशोधनों को जनता के लिए उपलब्ध कराने को आवश्यक बनाता है।

✓ **राज्य के खर्च में कटौती करने की गवर्नर की क्षमता का विस्तार करता है**

- कुछ दशाओं में राज्य वित्तीय आपातकाल में खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर को अनुमति देता है।

✓ **सावर्जनिक बजट बनाने और निरीक्षण करने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करता है**

- सालाना बजट प्रक्रिया को एक 2 वर्षीय राज्य बजट प्रक्रिया में बदलता है।
- सावर्जनिक कार्यक्रमों के विधायी निरीक्षण के लिए प्रत्येक 2 वर्षीय सत्र के हिस्से को अलग करने के लिए विधायिका से अपेक्षा करता है।
- राज्य और स्थायी सरकारों से कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और यह व्याख्या करने की, कि उनके बजट विभिन्न उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, अपेक्षा करता है।

प्रस्ताव 31 के पाठ के लिए, पृष्ठ 84 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

वित्तीय प्रभाव

ऊपर वर्णित $200 मिलियन को हस्तांतरित करने के अतिरिक्त राज्य और स्थायी सरकारों पर अन्य वित्तीय प्रभाव भी होंगे। उदाहरण के लिए, स्थानीय सरकारों को राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों का प्रशासन करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने की अनुमति से काफी महत्तपूर्ण रूप से भिन्न कार्यक्रम परिणाम आते हैं और राज्य या स्थायी लागत, जो अन्यथा होती। स्थानीय सरकारों को संपत्ति करों का हस्तांतरण करने की अनुमति से प्रभाव पड़ सकता है कि किसी स्थानीय सरकार को कितना पैसा जाता है, परन्तु इससे संपत्ति करदाताओं द्वारा कुल भुगतान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संभवतः स्थायी सरकार नयी योजनाओं को तैयार करने और उनका प्रशासन करने के लिए एक छोटी अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। उपाय के इस भाग के कारण होने वाले परिवर्तन इन पर निर्भर करेंगे (1) कितने काउंटी योजनायें तैयार करते हैं। (2) कितनी स्थानीय सरकारें उस तरीके में परिवर्तन करती हैं जो राज्य वित्तपोषित कार्यक्रमों का प्रशासन करता है और (3) उनकी गतिविधियों के परिणाम। उन कारणों के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारों के लिए इस उपाय के राजस्व प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ काउंटियों में यह प्रभाव महत्तवपूर्ण हो सकते हैं।

कुछ बिलों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है

वर्तमान कानून

बजट और अन्य बिल। प्रत्येक वर्ष विधायिका और गवर्नर राज्य बजट बिल और अन्य बिलों को अनुमोदित करते हैं। बजट बिल सामान्य फंड से और अन्य अनेकों राज्य खातों से खर्च की अनुमति देता है। (सामान्य फंड राज्य का मुख्य ऑपरेटिंग खाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं, जेलों, और अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराता है)। सामान्य रूप से, विधायिका के दोनों सदनों (सीनेट और असेंबली) का बहुमत मतदान बजट बिल और अन्य अधिकांश बिलों के अनुमोदन के लिए आवश्यक होता है। हालाँकि राज्य करों में वृद्धि करने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई मत आवश्यक है।

नये कानूनों पर विचार करने की अपनी सामान्य प्रक्रिया के भाग के रूप में, विधायिका और गवर्नर प्रस्तावित कानून के राज्य के व्यय और राजस्व पर पड़ने वाले अनुमानों की समीक्षा करते हैं। जहाँ राज्य का संविधान यह स्थापित नहीं करता है कि राज्य पहचान करे की प्रत्येक नये कानून का वित्तपोषण किस प्रकार किया जायेगा, यह आवश्यक है कि राज्य का कुल बजट संतुलित किया जाये। विशेषकर, रूप से प्रत्येक वर्ष जब राज्य अपना बजट अपनाता है, तो राज्य को दिखाना होगा कि सामान्य फंड के राजस्व अनुमोदित सामान्य व्यय या तो पूरा करेंगे या अससे अधिक होंगे।

प्रस्ताव

राज्य की लागतों को बढ़ाने की विधायिका की क्षमता को सीमित करता है। इस उपाय के लिए आवश्यक है कि विधायिका दिखाये कि कुछ बिल, जो किसी वित्तीय वर्ष में राज्य के व्यय में $25 मिलियन से अधिक की वृद्धि करते हैं, उनका भुगतान खर्च में कटौतियों, राजस्व में बढ़ोत्तरी या दोनों के संयोजन से किया जायेगा। यह आवश्यकता उन बिलों पर लागू होती है जो नये राज्य विभागों या कार्यक्रमों का सृजन करते हैं, वर्तमान राज्य विभागों या कार्यक्रमों का विस्तार करते हैं या राज्य अधिकृत स्थानीय कार्यक्रमों का सृजन करते हैं। इन आवश्कताओं से छूट में वे बिल शामिल हैं जो राज्य के विभाग या कार्यक्रम के लिए एक बार के खर्च की अनुमति देते हैं, कार्य भार या जीवनयापन की लागत में वृद्धि के कारण किसी विभाग या कार्यक्रम के वित्तपोषण में वृद्धि करते हैं, संघीय कानून द्वारा आवश्यक वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं या सामूहिक सौदेबाजी अनुबन्ध के अनुसार राज्य के कर्मचारियों के वेतन या अन्य मुआवजे में वृद्धि करते हैं। यह उपाय उन बिलों को भी छूट देता है जो 2008–09 के बाद राज्य के बजट को संतुलित करने में मदद करने के लिए किसी वर्ष में उन राज्य के कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण को बहाल करते हैं।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

राज्य के राजस्वों को घटाने की विधायिका की क्षमता को सीमित करता है। इस उपाय की यह भी आवश्यकता है कि विधायिका यह भी दिखाये कि जो बिल राज्य के करों या अन्य राजस्वों में किसी वित्तीय वर्षों में $25 मिलियन से अधिक की कमी करते हैं उनका भुगतान खर्च में कटौती, राजस्व में बढ़ोत्तरी, या दोनों के संयोजन से किस प्रकार किया जायेगा।

जब विधायिका बिलों को पारित कर सकती है तो परिवर्तित हो जाता है। यह उपाय अन्य परिवर्तनों को करता है जो विधायिका के बिलों को पारित किये जा सकने पर प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, इस उपाय की आवश्यकता है कि विधायिका बिलों को और उनमें किए जाने वाले संशोधनों को पारित करने से पहले कम से कम 3 दिनों के लिए जनता को उपलब्ध कराये (केवल कुछ बिलों को छोड़कर जो प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमलों से संबंधित होते हैं)।

वित्तीय प्रभाव

यह उपाय विधायिका के लिए ऐसे कुछ बिलों को पारित करना कठिन बना देगा जो राज्य के व्यय में वृद्धि करते हैं या राज्स्व में कमी करते हैं। इस प्रकार विधायिका की क्षमता को सीमित करने के परिणामस्वरूप सावर्जनिक सेवाओं पर राज्य की निधि को खर्च करने में कमी आ सकती है—या कर या शुल्क अधिक हो सकते हैं—उसके मुकाबले जो अन्यथा होते। क्योंकि इस उपाय के इस भाग का वित्तीय प्रभाव विधायिका के भविष्य के निर्णयों पर निर्भर करता है, इस प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता परन्तु आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि राज्य स्थानीय सरकारों को वित्तपोषण उपलब्ध कराते हैं, इसलिए समय के साथ उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

जारी

राज्य के खर्चे घटाने के लिए गवर्नर की क्षमता का विस्तार करता है।

वर्तमान कानून

प्रस्ताव 58 (2004) के तहत बजट बिल स्वीकृत हो जाने के बाद गवर्नर यदि यह निर्धारित करते हैं कि राज्य विशाल राजस्व कमी या अत्याधिक खर्च का सामना कर रहा है तो वह राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो गवर्नर को विधायिका का विशेष सत्र बुलाना होगा और वित्तीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए कार्यवाईयों का प्रस्ताव देना होगा। विधायिका के पास अपने जवाब पर विचार करने के लिए 45 दिन का समय होता है। हालाँकि राज्य के खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर की शक्तियाँ वर्तमान में बहुत सीमित हैं, भले ही विधायिका 45 दिन की अवधि में कोई कार्यवाही न करे।

प्रस्ताव

विशेष परिस्थितियों में खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर को अनुमति देता है। इस उपाय के तहत, यदि विधायिका 45 दिनों के भीतर वित्तीय आपातकाल को संबोधित करने के लिए कानून पारित नहीं करती है तो गवर्नर सामान्य फंड से खर्च में कुछ कटौती कर सकते हैं। गवर्नर उस खर्च में कटौती नहीं कर सकते हैं जो संविधान या संघीय कानून के तहत आवश्यक है—जैसे अधिकांश स्कूल खर्च, ऋण सेवायें, पेंशन योगदान, और स्वास्थ्य एवं समाज सेवा कार्यक्रमों पर कुछ खर्च। (सामान्य फंड में से खर्च अधिकांश वर्तमान में इन्ही श्रेणियों पर होता है।) कटौतियों की कुछ राशि बजट को संतुलित करने की आवश्यक राशि से अधिक नहीं हो सकती। विधेयक अपने दोनों सदनों में दो तिहाई मतदान से सभी कटौतियों या इनके कुछ भागों को ओवरराइड करने का निश्चय कर सकता है।

प्रस्ताव 31 के पाठ के लिए, पृष्ठ 84 देखें।

वित्तीय प्रभाव

खर्च में कटौती करने के लिए गवर्नर की क्षमता का विस्तार करने के परिणामस्वरूप राज्य का कुछ खर्च उससे कम हो सकता है जितना यह अन्यथा होता। इस परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता परन्तु कुछ सालों में यह महत्वपूर्ण हो जायेगा। स्थानीय सरकारी बजटों पर भी कम राज्य खर्च से प्रभाव पड़ेगा।

सावर्जनिक बजट बनाने और निरीक्षण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करता है।

प्रस्ताव

सालाना राज्य बजट प्रक्रिया को दो वर्षीय प्रक्रिया में बदलता है। यह उपाय राज्य बजट प्रक्रिया को एक वर्षीय (सालाना) से दो वर्षीय प्रक्रिया में बदलता है। 2015 से शुरू होकर, हर दूसरे वर्ष गवर्नर आने वाले दो वित्तीय वर्षों के लिए बजट प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए, जनवरी 2015 में गवर्नर जुलाई 2016 में शुरू होकर हर दूसरे वर्ष गवर्नर एक प्रस्तावित बजट अध्यतन प्रस्तुत कर सकते हैं। 2016 में शुरू करते हुए हर दो साल, राज्यपाल एक प्रस्तावित बजट अद्यतन प्रस्तुत सकता है। यह उपाय बजट बिल को पारित करने के लिए विधायिका की वर्तमान 15 जून की संवैधानिक समय सीमा में परिवर्तन नहीं करता है।

सावर्जनिक कार्यक्रमों के विधायिका निरीक्षण के लिए विशिष्ट समय अवधि को खारिज करता है। वर्तमान में विधायिका अपने दो वर्षीय सत्र में विभिन्न समयों पर राज्य और स्थायी कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और उनकी पर्यवेक्षण करती है। इस उपाय की आवश्यकता है कि—सत्र के दूसरे वर्ष में जुलाई से शुरू होकर—विधायिका अपने दो वर्षीय सत्र के एक हिस्से को सावर्जनिक कार्यक्रमों के निरीक्षण और समीक्षा के लिए आरक्षित करे। विशेष रूप से इस उपाय की आवश्यकता है कि विधायिका एक प्रक्रिया तैयार करे और प्रत्येक राज्य वित्तपोषित कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इसे इस्तेमाल करे—चाहें वह राज्य द्वारा प्रतिबंधित हो या स्थानीय सरकार द्वारा—हर पांच साल में कम से कम एक बार। यह निरीक्षण करने के दौरान विधायिका उन बिलों को छोड़कर जो (1) तुरन्त प्रभावी हो जाते हैं (जिनके लिए आमतौर पर दोनों सदनों के दो तिहाई मतों की आवश्यता होती है) (2) गवर्नर के वीटो को ओवरराइड करता है (जिसके लिए दोनों सदनों के दो तिहाई मतों की आवश्यता होती हैं) बिलों को पारित नहीं कर सकती है।

नयी राज्य एवं स्थानीय बजट बनाने की आवश्यकताओं को लागू करता है। वर्तमान में राज्य और स्थायी सरकारों के पास यह निर्धारित करने में व्यापक लचीलापल है कि उनके सावर्जनिक कार्यक्रमों के संचालनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाये। यह उपाय राज्य और स्थायी सरकारों के लिए अपने बजटों में नयी मदों को शामिल करने के लिए कुछ सामान्य आवश्यकताओं को लागू करता है। विशेष रूप से, सरकारों को अपने कार्यक्रमों की प्रभाविकता का मूल्यांकन करना है और व्याख्या करनी है कि उनके बजट विभिन्न उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं। राज्य और स्थायी सरकारों को इन उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी प्रगति पर रिपोर्ट देनी होगी।

वित्तीय प्रभाव

राज्य और स्थायी सरकारों को नयी बजटिंग आवश्यकताओं को लागू करने के लिए प्रणाली को स्थापित करने और नयी मूल्यांकन आवश्यकताओं को लागू करने में बढ़ी हुई लागतों का अनुभव होगा। ये लागतें इस बात पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होंगी कि राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने आवश्यकताओं को किस प्रकार लागू किया। पूरे राज्य में, लागत **सालाना तौर पर मिलियनों से लेकर दसों मिलियन डॉलर के बीच** हो

सकती है जो समय के साथ स्थिर होती जायेगी। ये नयी बजटिंग और मूल्यांकन आवश्यकताएं विभिन्न तरीकों—जैसे व्यय का पुनर्नियोजन, कार्यक्रम की दक्षता और कुछ कार्यक्रम क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश में निर्णय करने को प्रभावित कर सकती है। सरकारों पर वित्तीय प्रभावों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

उपाय के वित्तीय प्रभावों का सारांश

चित्र 2 में दिये गये साराँश के अनुसार कुछ राज्य बिक्री कर राजस्वों को काउंटियों में हस्तांतरित करता है जो स्थानीय योजनाओं को लागू करती है। इस हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में सालाना $200 मिलियन की कमी आयेगी, और उन काउंटियों में स्थानीय सरकारों को फंडिंग में संबंधित बढ़ोतरी होगी। इस उपाय की अन्य स्थितियों और स्थानीय वित्त परिवर्तनों का शुद्ध प्रभाव आमतौर पर सावर्जनिक अधिकारियों के भविष्य पर निर्भर करेगा और इस कारण इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। दीर्घकाल में राज्य और स्थानीय व्यय या राजस्व में ये अन्य परिवर्तन उपरोक्त वर्णित $200 मिलियन के बिक्री कर हस्तांतरण से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

चित्र 2

प्रस्ताव 31 के मुख्य वित्तीय प्रभाव

	राज्य सरकार	स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारी योजना का वित्तपोषण और प्राधिकरण करता है		
योजनाओं के लिए वित्तपोषण	राजस्व में $200 मिलियन की कटौती।	योजनाओं का विकास करने वाले काउंटी में स्थानीय सरकारों को राजस्व में $200 मिलियन की सालाना वृद्धि।
नई योजनाओं पर प्रभाव	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु काफी महत्वपूर्ण।	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, परंतु कुछ काउंटी में काफी महत्वपूर्ण।
कुछ बिलों को पारित करने की विधायिका की क्षमता को प्रतिबन्धित करता है	संभावित रूप से कम खर्च—या अधिक राजस्व—विधायिका की भविष्य कार्रवाईयों के आधार पर।	विधायिका की भविष्य कार्रवाईयों के आधार पर स्थानीय कार्यक्रमों के लिए राज्य वित्तपोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
राज्य के खर्चे घटाने के लिए गवर्नर की क्षमता का विस्तार करता है	संभावित रूप से कुछ सालों में कम खर्च।	कुछ सालों में स्थानीय कार्यक्रमों के लिए काफी कम राज्य वित्तपोषण।
सावर्जनिक बजट बनाने और निरीक्षण प्रक्रियाओं को परिवर्तित करता है		
कार्यान्वयन लागत	सालाना संभवतः मिलियनों से दसियों मिलियन डॉलर, समय के साथ स्थिर।	सालाना संभवतः मिलियनों से दसियों मिलियन डॉलर, समय के साथ स्थिर।
नई आवश्यकताओं का प्रभाव	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।	पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रस्ताव 31 के पाठ के लिए, पृष्ठ 84 देखें।

प्रस्ताव 31 राज्य बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संवधिानकि संशोधन और अधनियिम।

★ प्रस्ताव 31 के पक्ष में तर्क ★

अच्छे और बुरे समय में, कैलिफोर्निया में लंबे समय से राज्य का बजट घाटे में रहा है जहाँ राजनेता राज्य सरकार की आमदनी की तुलना में अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं —जिसमें बहुत सा बर्बाद होता है, दुरूपयोग होता है और अधिक उधार लिया जाता है। बजट अक्सर विशेष हितों के प्रभाव पर आधारित होते हैं, बजाय इसके कि कैलिफोर्निया के निवासी क्या चाहते हैं। प्रस्ताव 31 राज्य के राजनेताओं को अंततः अपने साधनों के भीतर रहने के लिए मजबूर करता है, और यह मतदाताओं और करदाताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देता है ताकि वे राजनेताओं को जवाबदेह बना सकें।

2003 और 2010 के बीच कई राज्य एजेंसियों के गैर पक्षपातपूर्ण लेखा परीक्षक ने बताया कि यदि आपरेशनों में सुधार करने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लेखा परीक्षक के खुद के प्रस्तावों का लागू कर दिया जाता तो राज्य करदाताओं के लगभग $1.2 बिलियन को बचा सकता था। हाल की एक एकीकृत कोर्ट केस प्रबंधन प्रणाली से करदाताओं पर लगभग $500 मिलियन से अधिक की लागत आई, बजट से $200 मिलियन अधिक, जो परित्यक्त किए जाने से पहले सिर्फ 58 में 7 काऊंटी को जोड़ने के लिए थी।

प्रस्ताव 31 के लिए एक वास्तविक संतुलित बजट की आवश्यकता है। यह सार्वजनिक समीक्षा के बिना या नागरिक निरीक्षण के बिना अरबों डॉलर को खर्च करने पर रोक लगाता है। जब तक हम प्रस्ताव 31 को पारित न कर दें, हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की बर्बादी जारी रहेगी जिसका स्थानीय स्कूलों, कानून प्रवर्तन और अन्य सामुदायिक प्राथमिकताओं के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था।

प्रस्ताव 31 करों में वृद्धि नहीं करता है, करदाताओं के लिए लागत में वृद्धि नहीं करता है या किसी नई सरकारी नौकरशाही की स्थापना नहीं करता है। प्रस्ताव 31 स्पष्ट करता है कि इसके प्रावधानों को मौजूदा संसाधनों के साथ लागू किया जाना चाहिए—और यह कर के डॉलरों को शहरों और काउंटी के लिए वापस लौटाकर बचत पैदा करेगा।

31 पर हाँ:

- ***सार्वजनिक निवेश और पारदर्शिता में वृद्धि करता है***—सार्वजनिक समीक्षा के बिना बजट को पारित करने से राज्य को रोकता है। वर्तमान में, राज्य के बजट में कोई वास्तविक पारदर्शिता या सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यकताएं नहीं हैं। प्रस्ताव 31 की आवश्यकता है कि राज्य सरकार प्रस्तावित राज्य बजट पर कानून निर्माताओं के मतदान करने से पहले इसको *कम से कम* तीन दिन के लिए सार्वजनिक समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए।
- ***नए सरकारी खर्च पर राजकोषीय निरीक्षण और बाधाएं लगाता है***—प्रस्ताव 31 राज्य को किसी भी नए खर्च के लिए वित्तपोषण करने या किसी वित्तपोषक स्रोत की पहचान किए बिना $25 मिलियन से अधिक की कमी करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- ***स्थानीय नियंत्रण और लचीलापन बढ़ाता है***—2012 के राज्य के बजट ने स्थानीय सरकार से $1.4 बिलियन ले लिए। प्रस्ताव 31 स्थानीय सरकार को $200 मिलियन वापल लौटाता है जिनका इस्तेमाल स्थानीय प्राथमिकताओं के लिए किया जाएगा। यह शहरों, देशों, और स्कूल जिलों को अधिक लचीलापन और उन सेवाओं को डिजाइन करने के लिए अधिकार प्रदान करता है जो परिणामों में सुधार करती हैं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करती हैं।
- ***बजटों में प्रदर्शन और परिणाम की आवश्यकता लगाता है***—इसकी आवश्यकता है कि राज्य और स्थानीय सरकारें मापन करने योग्य प्राप्त परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें और यह आवश्यक करके जवाबदेही प्रदान करता है कि राज्य विधायिका और स्थानीय सरकारें अतिरिक्त खर्च के फैसले करने से पहले नियमित सार्वजनिक रिपोर्टों को जारी करें, और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
- ***राज्य सरकार के कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा को आवश्यक बनाता है***—अपेक्षा करता है कि सभी राज्य सरकार के कार्यक्रमों की प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक रूप से समीक्षा की जाए ताकि परिणाम में सुधार करने के तरीकों की पहचान की जा सके—या उनके वित्तपोषण को अधिक कुशल और प्रभावी कार्यक्रमों के लिए हस्तांतरित किया जा सके।
- ***दो वर्षीय राज्य बजट को आवश्यक बनाता है***—राजनेताओं को अल्पकालिक बजट चालबाज़ियों को पारित करने से रोकता है। कानून निर्माताओं से लंबी अवधि के राजकोषीय समाधान विकसित करने के लिए अपेक्षा करता है।

31 पर **हाँ** में मतदान करें। सरकार के खर्च को सीमित करें—राज्य बजट में जनता का विश्वास बढ़ाएं।

HON. CRUZ REYNOSO
कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट जस्टिस (सेवानिवृत्त)
HON. DELAINE A. EASTIN
फॉर्मर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन
PROF. JAMES FISHKIN, Ph.D.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी

★ प्रस्ताव 31 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

प्रस्ताव 31 बजट में संतुलन नहीं करता है, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि नहीं करता है या प्रदर्शन में सुधार नहीं करता है।

यदि प्रस्ताव 31 वास्तव में वह करता जिसका तर्क में वादा किया गया है, तो हम इसका समर्थन करते। लेकिन यह ऐसा नहीं करता है। इसके बजाय यह नए जटिल नियमों, प्रतिबंधों और आवश्यकताओं को जोड़ता है जिनको कैलिफोर्निया के संविधान में प्रविष्ट किया गया है। यह सरकार को अधिक बोझिल, अधिक महंगी, धीमी, और कम प्रभावी बनाता है। प्रावधान इतने भ्रामक और अस्पष्ट हैं कि अदालतों को उन मुकदमों का वह समाधान करने में सालों लग जाएंगे जो उनका मतलब है।

प्रस्ताव 31 लागत में वृद्धि करता है, नौकरशाही का नियंत्रण बढ़ाता है और सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर करता है।

यह स्थानीय राजनेताओं को उन कानूनों की अवहेलना करने या उनमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है जिनको वे पसंद नहीं करते हैं, जिससे **लोगों के मतदान के बिना** हवा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रमिक सुरक्षा में कमी होती है।

प्रस्ताव 31 करों में कटौती या शिक्षा के लिए वित्तपोषण में वृद्धि को लगभग असंभव बनाता है।

यह टैक्स में कटौती पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि अन्य करों में वृद्धि नहीं कर दी जाती है या कार्यक्रमों में कटौती नहीं की जाती है, और स्कूलों के लिए वित्तपोषण में वृद्धि को रोकता है जब तक करों में वृद्धि नहीं कर दी जाती है या कार्यक्रमों में कटौती नहीं की जाती है।

प्रस्ताव 31 में इतनी खामियां हैं कि प्रायोजन संगठन के कई सदस्यों ने इसको मतदाताओं के लिए प्रस्तुत करने के निर्णय के विरोध में इस्तीफा दे दिया।

बॉब बालगेनॉर्थ, जो कैलिफोर्निया फॉर्वर्ड एक्शन फंड के एक पूर्व बोर्ड सदस्य हैं, जो कि प्रस्ताव 31 के पीछे एक संगठन है, ने कहा कि "इसमें गंभीर खामियां हैं. . . और इससे कैलिफोर्निया का और नुकसान होगा।" अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि वह "निराश हैं कि कैलिफोर्निया फॉर्वर्ड ने पहल में खामियों को सुधारे बिना राज्य के सचिव को हस्ताक्षर पेश कर दिए।"

हम एक और त्रुटिपूर्ण पहल को सहन नहीं कर सकते। प्रस्ताव 31 पर नहीं में मतदान करें।

ANTHONY WRIGHT, कार्यकारी निदेशक
हैल्थ एक्सेस कैलिफोर्निया
LACY BARNES, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
कैलिफोर्निया फेडरेशन ऑफ टीचर्स
LENNY GOLDBERG, कार्यकारी निदेशक
कैलिफोर्निया टैक्स रिफॉर्म एसोसिएशन

इस पृष्ठ पर छपे तर्क लेखकों की राय हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इनकी सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

राज्य बजट। राज्य और स्थानीय सरकार। पहल संविधानिक संशोधन और अधिनियम।

★ प्रस्ताव 31 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 31 इतनी खराब तरह से लिखा गया है और विरोधाभासी है कि इससे मुकदमों और भ्रम की स्थिति पैदा होगी सुधार नहीं।

हम सभी सुधार चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय प्रस्ताव 31 नौकरशाही को बढ़ावा देता है और नई समस्याएं पैदा करता है। यह प्रतिबंध और खराब परिभाषित आवश्यकताओं की परत पर परत चढ़ाता है, महत्वपूर्ण निर्णयों को बिना चुने गए नौकरशाहों पर छोड़ता है, ऐसे निर्णय जैसे कि क्या कर में कटौती की अनुमति है या कार्यक्रम में बदलाव की—वे निर्णय जिनको साल दर साल अदालत में चुनौती दी जाएगी। हमें वास्तविक सुधारों की आवश्यकता है न कि मुकदमों की।

प्रस्ताव 31 शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से प्रयोगात्मक काउंटी कार्यक्रमों में वित्तपोषण के लिए $200 मिलियन को हस्तांतरित करेगा।

राज्य फिलहाल अपने बिलों का भुगतान मुश्किल से कर सकता है। और राज्य के बजट का अधिकाँश हिस्सा शिक्षा के लिए चला जाता है। फिर भी यह उपाय प्रति वर्ष $200 मिलियन को राज्य के राजस्व से एक विशेष खाते में प्रयोगात्मक काउंटी कार्यक्रमों के लिए भुगतान करने के लिए हस्तांतरित करता है। यह उस पैसे से जुआ खेलने का नहीं है जिसको हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं पर खर्च किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव 31 शिक्षा के लिए वित्तपोषण को बढ़ाने से रोकता है जब तक कि यह करों में वृद्धि ने कर दे या अन्य कार्यक्रमों में कटौती न कर दे—भले ही पैसे उपलब्ध हों।

जैसे कि यह अजीब लगता है, प्रस्ताव 31 वास्तव में राज्य को शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में सुधार करने या स्कूलों के लिए वित्तपोषण को बढ़ाने से रोकता है भले ही इसके पास यह सब करने के लिए पैसे हैं, **जब तक यह करों में वृद्धि न कर दे** या अन्य कार्यक्रमों में कटौती न कर दे। यह प्रावधान कई साल के लिए स्कूलों के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण को बाँध सकता है। **प्रस्ताव 31 से राज्य को करों में कटौती करने से रोकता है जब तक कि यह अन्य करों में वृद्धि न कर दे या कार्यक्रम में कटौती न कर दे—भले ही राज्य में बजट अधिशेष हो।**

इन प्रावधानों की विरोधाभासी प्रकृति राज्य को एक कर में कटौती करने से रोकती है जब तक कि यह किसी दूसरे कर में वृद्धि न कर दे, भले ही राज्य के पास बजट अधिशेष हो—भले ही इसका मंतव्य राज्य को आपके करों में कटौती करने से रोकने का हो या कोई दूसरा मामला हो—एक गंभीर मामला—एक लापरवाह प्रारूपण का। प्रस्ताव 31 इसे राज्य के संविधान में बंद करता है।

प्रस्ताव 31 हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पानी की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए काउंटी को राज्य के कानूनों की अवहेलना करने या उनमें परिवर्तन करने की अनुमति देकर खतरा पैदा कर रहा है।

कैलिफोर्निया ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, हवा और पानी के प्रदूषण को रोकने और अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यव्यापी मानकों को अपनाया है। प्रस्ताव 31 में एक प्रावधान शामिल है जो स्थानीय राजनेताओं को **लोगों के मतदान के बिना** ही इन कानूनों की अवहेलना करने या उनमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है, और दुरुपयोग को रोकने के किसी प्रभावी तरीके के बिना भी।

प्रस्ताव 31 के कारण प्रति वर्ष अतिरिक्त सरकारी प्रक्रिया और नौकरशाही के लिए दसियों मिलियन डॉलर खर्च होंगे—वह करने के लिए जिसको करने की सरकार से पहले से ही अपेक्षा की जाती है।

प्रदर्शन के आधार पर बजट कुछ और की तुलना में एक नारा अधिक है। इसको पहले भी कई बार आजमाया जा चुका है। एक बात जो हम जानते हैं कि इससे लादत में वृद्धि होगी। गैर-सरकारी विधायी विश्लेषक कार्यालय द्वारा राजकोषीय विश्लेषण का कहना है कि यह नए बजट प्रथाओं के लिए प्रति वर्ष दसियों मिलियन डॉलर की वृद्धि कर देगा, जबकि परणामों में सुधार की कोई गारंटी नहीं है। निश्चित लागत, अनिश्चित परिणाम।

हम सभी सुधार चाहते हैं, लेकिन प्रस्ताव 31 चीजों को बद से बदतर करेगा, बेहतर नहीं।

प्रस्ताव 31 पर नहीं का मतदान करने में हमारे साथ शामिल हों।

SARAH ROSE, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कैलिफोर्निया लीग ऑफ कंजर्वेटिव वोटर्स

JOSHUA PECHTHALT, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया फेडरेशन ऑफ टीचर्स

RON COTTINGHAM, अध्यक्ष
पीस ऑफिसर्स रिसर्च एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया

★ प्रस्ताव 31 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

"प्रस्ताव 31 अधिक पारदर्शिता, सार्वजनिक समीक्षा, और राज्य और स्थानीय सरकार पर निरीक्षण लाता है। सरकार की जवाबदेही का यह उपाय पर्यावरण सुरक्षा और श्रमिकों की सुरक्षा की रक्षा करेगा और साथ ही सुनिश्चित करेगा कि विशेष हितों और पैरवी करने वाले समूहों द्वारा करदाताओं से लाभ नहीं लिया जाए।"

—Hon. Cruz Reynoso, कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)

"यह कैलिफोर्निया के बजट प्रक्रिया पर प्रकाश डालने का समय है—अब और अधिक कई बिलियन डॉलर के घाटे का आश्चर्य नहीं। हमें ऐसे सुधारों की जरूरत है जो काम करते हैं, सामान्य रूप में कारोबार नहीं।"

—Professor James Fishkin, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय

"प्रस्ताव 31 उधार लेने और खर्च करने के राज्य के प्रलोभन को कम करेगा। प्रस्ताव 31 स्थानीय सरकारों और सामुदायिक स्कूलों को शिक्षा में सुधार करने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रस्ताव 31 पर **हाँ** कैलिफोर्निया के स्कूलों और छात्रों के लिए हाँ है।"

—Hon. Delaine Eastin, पूर्व स्टेट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन

*प्रस्ताव 31 पर **हाँ** से:*

- करों में कोई वृद्धि नहीं या सरकारी खर्च में वृद्धि की आवश्यकता नहीं।
- राज्य सरकार पर उस पैसे को खर्च करने से रोक जो हमारे पास नहीं है।
- फिलहाल बंद दरवाजों के पीछे तैयार किए जाने वाली बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता।
- सेक्रेमेंटो से शहरों और काउंटियों की ओर अधिक नियंत्रण और लचीलेपन का हस्तांतरण।
- और अधिक पैसा खर्च करने से पहले राज्य और स्थानीय सरकारों को परीणामों को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने को आवश्यक बनाता है।

कृपाय उपाय की समीक्षा *www.sos.ca.gov* पर जाकर स्वयं करें और सरकारी खर्च में बर्बादी को रोकने में मदद करें।

प्रस्ताव 31 संवैधानिक परिवर्तन के उच्चतम मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह उपाय लिखित होगा, कानूनी तौर पर मजबूत होगा, और स्पष्ट रूप से कैलिफोर्निया की बजट प्रक्रिया और शासन में सुधार करेगा।

BILL HAUCK, पूर्व अध्यक्ष
कैलिफोर्निया संविधान संशोधन आयोग

प्रस्ताव
32 वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों के लिए योगदान। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों को योगदान। पहल अधिनियम।

- यूनियनों को वेतन में से कटौती किए गए धन को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित करता है। कार्पोरेशनों या सरकारी ठेकेदारों द्वारा वेतन में से कटौतियों, यदि कोई हों, पर इस्तेमाल के वही प्रतिबंध लागू करता है।
- नियोक्ता-प्रायोजित समिति या यूनियन में स्वैच्छिक रूप से किए गए कर्मचारी योगदानों की अनुमति देता है यदि वार्षिक रूप से, लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाता है।
- यूनियनों और कार्पोरेशनों को उम्मीदवारों और उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समितियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान देने से प्रतिबंधित करता है।
- अन्य राजनीतिक खर्चे अप्रतिबंधित रहते हैं, जिन में उपलब्ध संसाधनों से कार्पोरेट खर्चे शामिल हैं जो वेतन से कटौती पर प्रतिबंध द्वारा सीमित नहीं किए गए हैं।
- निर्वाचित अधिकारियों या अधिकारी द्वारा नियंत्रित समितियों में सरकारी ठेकेदार के योगदानों को प्रतिबंधित करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- उपाय की ज़रूरतों को लागू करने और बाध्य करने के लिए, राज्य और स्थानीय सरकार के लिए बढ़े हुए खर्चे—संभावित रूप से $1 मिलियन सालाना से अधिक।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

राजनीतिक सुधार अधिनियम। कैलिफोर्निया का 1974 राजनीतिक सुधार अधिनियम मतदाताओं द्वारा अपनाया गई पहल है जिसको राज्य के अभियान वित्त और प्रकटीकरण कानून द्वारा स्थापित किया गया था। यह अधिनियम राज्य और स्थानीय उम्मीदवारों, मतदान उपायों और अधिकारियों पर लागू होता है, लेकिन संघीय उम्मीदवारों या अधिकारियों पर लागू नहीं होता हैं। राज्य का फेयर पॉलिटिकल प्रेक्टिसिज कमीशन (FPPC) (1) इस अधिनियम की आवश्यकताओं को लागू करता है, जिसमें कथित उल्लंघन की जांच करना शामिल है, और (2) अधिनियम की FPPC की व्याख्या के बारे में सलाह और राय को जारी करके जनता के लिए प्रशासनिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

स्थानीय अभियान वित्त कानून। इस अधिनियम द्वारा स्थापित आवश्यकताओं के अलावा, कुछ स्थानीय सरकारों के पास स्थानीय उम्मीदवारों, मतदान उपायों और अधिकारियों के लिए अभियान वित्त और प्रकटीकरण आवश्यकताएं हैं। इन अध्यादेशों को स्थानीय सरकार द्वारा लागू स्थापित किया गया है।

राजनीतिक खर्च। कई व्यक्ति, समूह और व्यवसाय राज्य के और स्थानीय उम्मीदवारों या मतदान उपायों का विरोध या समर्थन करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। यह राजनैतिक खर्च कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें उम्मीदवारों या समितियों के लिए पैसे का योगदान, अभियानों के लिए दान और राय का संवाद करने के लिए विज्ञापनों का निर्माण करना शामिल हैं। राज्य अभियान वित्त कानून के तहत, तीन प्रकार का राजनीतिक खर्च होता है:

- ***राजनीतिक योगदान।*** शब्द राजनीतिक "योगदान" में आमतौर पर पैसे, माल या सेवाएं (1) सीधे किसी उम्मीदवार को, (2) उम्मीदवार के अनुरोध पर या (3) किसी समिति को देना शामिल है जो इन संसाधनों का उपयोग किसी उम्मीदवार या मतदान उपाय का विरोध या समर्थन करने के लिए करती है। वर्तमान कानून उस राजनीतिक योगदान की राशि को, जो व्यक्ति, समूह और व्यवसाय किसी राज्य के उम्मीदवार (या समिति, जो किसी राज्य के उम्मीदवार को पैसे देती है) को दे सकते हैं, को सीमित करते हैं। 2012 में, उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति, समूह या व्यापार गवर्नर पद के लिए उम्मीदवार को $26,000 तक और विधायी कार्यालय के लिए किसी उम्मीदवार को $3,900 तक का योगदान कर सकता था। इसके अलावा, मौजूदा कानून की आवश्यकता है कि राजनीतिक योगदान का खुलासा राज्य या स्थानीय चुनाव अधिकारियों को किया जाए।
- ***स्वतंत्र व्यय।*** किसी उम्मीदवार या मतदान उपाय को समर्थन या विरोध का संचार करने के लिए खर्च को आमतौर पर एक स्वतंत्र खर्च माना जाता है, और अगर धन को एक ऐसे तरीके से खर्च किया जाता है जो इनके साथ समन्वित नहीं हैं (1) कोई उम्मीदवार या (2) किसी उम्मीदवार या मतदान उपाय का समर्थन या विरोध करने के लिए स्थापित समिति। उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार "के लिए मतदान" करने के लिए मतदाताओं से आग्रह करने के लिए कोई टेलीविजन विज्ञापन तैयार करना एक स्वतंत्र व्यय है अगर विज्ञापन को उम्मीदवार के अभियान के साथ बिना कोई समन्वय करे तैयार किया जाता है। वर्तमान कानून उस पैसे की राशि को सीमित नहीं करते हैं जिसे व्यक्ति, समूह, और कारोबार स्वतंत्र व्यय पर खर्च कर सकते हैं। हालाँकि, इन व्ययों का खुलासा चुनाव अधिकारियों को किया जाना चाहिए।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

- ***अन्य राजनीतिक खर्च।*** कुछ राजनीतिक खर्च को एक राजनीतिक योगदान या एक स्वतंत्र खर्च नहीं माना जाता है। इस व्यापक श्रेणी में "सदस्य संचार"—किसी संगठन द्वारा अपने सदस्यों, कर्मचारियों, या शेयरधारकों को राजनीतिक पृष्ठांकन का संवाद करने में खर्च शामिल है। इस खर्च पर राज्य के कानून द्वारा कोई सीमा नहीं है और चुनाव अधिकारियों को इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है।

वेतन कटौतियाँ। सीमित परिस्थितियों के तहत, नियोक्ता किसी कर्मचारी के वेतन चेक में से पैसे रोक सकते हैं। रोके गए धन को "वेतन में कटौती" कहा जाता है। कुछ आम वेतन कटौतियों में सामाजिक सुरक्षा, आय कर, चिकित्सा योजनाओं, और स्वैच्छिक धर्मार्थ योगदान के लिए कटौती शामिल हैं।

यूनियनों के देय और शुल्क। कैलिफोर्निया में लगभग 2.5 मिलियन श्रमिकों का श्रमिक यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। यूनियनें सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके द्वारा वे नियोक्ताओं के साथ रोजगार के नियम और शर्तों पर बातचीत करते हैं। आमतौर पर, यूनियनें अपनी गतिविधियों के लिए इनसे एकत्र किए गए पैसे से भुगतान करती हैं (1) यूनियन के सदस्यों से ली गई राशि और (2) यूनियन के गैर-सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया फेयर शुल्क, जिनका प्रतिनिधित्व सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में यूनियन द्वारा किया जाता है। कई मामलों में, नियोक्ता स्वतः ही अपने कर्मचारियों के वेतन में से इन देयों और शुल्क को घटा देते हैं और यूनियनों के लिए पैसे का हस्तांतरण कर देते हैं।

राजनीतिक खर्च के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल वेतन कटौती। कई यूनियनें वेतन कटौती से प्राप्त होने वाली इस निधि का इस्तेमान उन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए करती हैं जो सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के साथ सीधे संबंधित नहीं हैं। इन व्ययों में राजनीतिक योगदान और स्वतंत्र व्यय शामिल हैं—और साथ ही यूनियन के सदस्यों को राजनीतिक विचारों का संवाद करने में खर्च भी शामिल है। यूनियन के गैर-सदस्य अपने फेयर शेयर शुल्क का इस्तेमाल इस राजनीतिक खर्च के लिए न करने का विकल्प दे सकते हैं और अन्य खर्च से भी जो सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यूनियनों के अलावा, अपेक्षाकृत कुछ संगठन वर्तमान में वेतन कटौतियों का उपयोग कैलिफोर्निया में राजनीतिक खर्च के वित्तपोषण के लिए करते हैं।

प्रस्ताव

यह उपाय निम्न के द्वारा राज्य और स्थानीय अभियान खर्च को सीमित करने के लिए राज्य अभियान वित्त कानूनों में परिवर्तन करता है:

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की श्रमिक यूनियनें।
- निगम।
- सरकारी ठेकेदार।

जारी

ये प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस के सदस्यों जैसे संघीय कार्यालयों के लिए अभियान खर्च को प्रभावित नहीं करते हैं।

वेतन कटौती का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च का वित्तपोषण करने पर रोक लगाता है। यह उपाय यूनियनों, निगमों, सरकारी ठेकेदारों, और राज्य और स्थानीय सरकार के नियोक्ताओं को किसी कर्मचारी के वेतन में से काटे गए पैसे को "राजनीतिक उद्देश्यों" के लिए खर्च करने से प्रतिबंधित करता है। इस उपाय के तहत इस शब्द में राजनीतिक योगदान, स्वतंत्र व्यय, अभियानों से संबंधित सदस्य संचार और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अन्य व्यय शामिल हैं। यह उपाय यूनियनों के वेतन में से कटौती का इस्तेमाल अन्य गतिविधियों के लिए भुगतान करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी और संघीय अभियानों में राजनीतिक खर्च शामिल हैं।

निगमों और यूनियनों द्वारा राजनीतिक योगदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह उपाय उम्मीदवारों को निगमों और यूनियनों द्वारा योगदान को प्रतिबंधित करता है। यही कारण है कि वे इनको योगदान नहीं कर सकते हैं (1) सीधे उम्मीदवारों को (2) उन समितियों को जो उम्मीदवारों के लिए योगदान करती हैं। यह निषेध, तथापि, किसी निगम या यूनियन की स्वतंत्र व्यय पर पैसे खर्च करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

निर्वाचित अधिकारियों के लिए योगदान करने के सरकारी ठेकेदारों के प्राधिकरण को सीमित करता है। यह उपाय सरकारी ठेकेदारों (सामूहिक सौदेबाजी के ठेके वाले सार्वजनिक क्षेत्र की श्रमिक यूनियनों सहित) उन निर्वाचित अधिकारियों को, जो उनके ठेके देने में भूमिका निभाते हैं, योगदान करने पर प्रतिबंध लगाता है। विशेष रूप से, सरकारी ठेकेदार उस समय निर्वाचित अधिकारियों उस समय से लेकर, जब उनका अनुबंध विचारार्थ हो, अनुबंध समाप्त होने की तारीख तक योगदान नहीं कर सकते।

वित्तीय प्रभाव

राज्य में कानून के कथित उल्लंघन की जांच करने और सलाह के लिए अनुरोध करने की लागत में वृद्धि का अनुभव होगा। इसके अलावा, राज्य और स्थानीय सरकारों को कुछ अन्य बढ़ी हुई प्रशासनिक लागत का अनुभव होगा। संयुक्त रूप से, इन लागतें **सालाना $1 मिलियन** से अधिक हो सकती हैं।

प्रस्ताव 32 के पाठ के लिए, पृष्ठ 93 देखें।

प्रस्ताव 32 वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों के लिए योगदान। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 32 के पक्ष में तर्क ★

32 पर हाँ: विशेष हितों और राजनेताओँ के बीच पैसे के बंधन को काटता है।

राजनेता अभियान योगदान में निगमों और सरकारी यूनियनों से लाखों लेते हैं और उनके बताए गए विशेष हितों के अनुसार मतदान करते हैं। राजनेता अंततः विशेष हितों के लिए काम करते हैं न कि मतदाताओं के लिए।

परिणाम: भारी बजट घाटा और भव्य पेंशन और ऐसे अध्यापकों की तरह के दुष्प्रभाव, जिन्हें हम निकाल नहीं सकते हैं।

प्रस्ताव 32 कंपनियों और यूनियनों, दोनों के राजनेताओं को विशेष हित योगदानों को प्रतिबंधित करता है। **कोई छूट नहीं। कोई कमियाँ नहीं।** व्यक्तिगत रूप से कैलिफोर्नियावासी योगदान कर सकते हैं, विशेष हित नहीं!

मतदाता खबरदार हो जाएं:

विशेष हितों ने प्रस्ताव 32 द्वारा अपने और राजनेताओं के बीच बंधन को समाप्त करने से बचाने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं। वे यथास्थिति की रक्षा करने के लिए कुछ भी कहेंगे। उन्होंने एक झूठा, फर्जी, रेड हेरिंग तर्क तैयार किया है:

उनका दावा है कि प्रस्ताव 32 में स्वतंत्र PACs के वित्तपोषण के लिए अमीर लोगों और निगमों के लिए बचाव का रास्ता है। तथ्य यह है कि संघ और निगम, दोनों उन स्वतंत्र राजनीतिक समितियों का वित्तपोषण करते हैं जो संविधान द्वारा संरक्षित हैं और जिनको प्रतिबंधित नहीं किया सकता है।

> "प्रस्ताव 32 कैलिफोर्निया के राजनेताओं के लिए कॉर्पोरेट और संघ योगदान को समाप्त करता है। अवधि। कोई अपवाद नहीं। यह तब तक चलेगा जब तक कि अमेरिका का संविधान राज्य सरकार में विशेष हितों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनुमति देता है। मैं आपसे प्रस्ताव 32 पर हाँ में मतदान करने के लिए आग्रह करता हूं।"
>
> *—सेवानिवृत्त कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति John Arguelles*

32 पर हाँ: तीन सरल, सीधे सुधार

- नेताओं के लिए कॉर्पोरेट और संघ योगदान को प्रतिबंधित करता है
- ठेकेदारों द्वारा उन नेताओं को देने से प्रतिबंधित करता है जो उनके अनुबंध को मंजूरी देते हैं
- राजनीतिक योगदान को स्वैच्छिक बनाता है और कर्मचारियों के वेतन चैकों में से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली कटौती पर प्रतिबंध लगाता है

विशेष हितों और राजनेताओँ के बीच पैसे के बंधन को काटता है

राजनेता देश के क्लबों में महंगे टिकटों वाले फंड एकत्र करने के अभियान, शराब सेवन और सिगार धूम्रपान आयोजित करते हैं। मोटी आसामी और लॉबिंग करने वाले फंड एकत्र करने के अभियान में शामिल होते हैं और अभियान में दसियों लाख डॉलर का योगदान करते हैं। ऐसा अधिकाँश तब होता है जब ऐसे अनेक बिल मतदान के लिए होते हैं जो राजनेताओं और विशेष हितों के पक्ष में व्यापार करने के लिए अनुमति देते है:

- बड़े डेवलपर्स, अमीर फिल्म निर्माताओं और राज्य के बाहर के निगमों के लिए बहु मिलियन डॉलर कर कमियां देकर
- योगदानकर्ताओं को राज्य के पर्यावरण नियमों से छूट देकर
- सरकारी श्रमिकों को मनपसंद पेंशन सौदे देकर
- उच्च गति ट्रेन से लेकर कहीं के नहीं बेकार कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण की रक्षा कर, भले ही वे स्कूलों के लिए धन में कटौती कर रहे हैं और उच्च कर दरों को प्रस्तावित करने में कानून प्रवर्तन कर

विशेष हितों को कर्मचारी के वेतन चैकों में राजनीतिक कटौती को रोकता है जिससे गारंटी मिलती है कि राजनीति के लिए दिया गया हर डॉलर स्वैच्छिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बड़ी कैलिफोर्निया यूनियनों की राजनीतिक धन उगाहने की प्रथाएं "असमर्थनीय" थीं। *(Knox बनाम SEIU)*

प्रस्ताव 32 यह सुनिश्चित करेगा कि कैलिफोर्निया के श्रमिकों को यह निर्णय करने का अधिकार हो कि वे अपने कमाए गए पैसे को कैसे खर्च करें। उन पर राजनेताओं को योगदान देने या उन कारणों के लिए योगदान देने के लिए जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए जिनसे वे असहमत हैं।

ठेकेदारों को उन राजनेताओं को योगदान देने से रोकता है जो उनके अनुबंध को मंजूरी देते हैं।

आज यह नेताओं के लिए कानूनी है कि राजनीतिक योगदान देने वालों को ठेके दिए जाएं, जिससे इस प्रक्रिया में छोटे व्यवसाय बंद हो जाते हैं। प्रस्ताव 32 इस विशेष उपचार को समाप्त करेगा और उस अपशिष्ट को भी जो इसके कारण पैदा होता है, जैसे $95 मिलियन की राज्य कम्प्यूटर प्रणाली जिसने काम नहीं किया। *(CNET 12 जून, 2002)*

आपके मतदान के बिना यह समस्त विशेष हित वाला भ्रष्टाचार जारी रहेगा। 32 पर हाँ!

www.stopspecialinterestmoney.org

GLORIA ROMERO, राज्य निदेशक
डेमोक्रेट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म

GABRIELLA HOLT, अध्यक्ष
सिटिजन फॉर कैलिफोर्निया रिफॉर्म

JOHN KABATECK, कार्यकारी निदेशक
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस—कैलिफोर्निया

★ प्रस्ताव 32 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

इससे पहले कि आप प्रस्ताव 32 पर मतदान करें, दो सवालों के जवाब दें: क्या अरबपति इस चुनाव को होने के लिए भुगतान करेंगे जब तक कि उनको छूट मिल रही है? ऐसा पिछली बार कब था जब कैलिफोर्निया में विशेष हितों के द्वारा समर्थित प्रस्ताव में कमियां या छूट शामिल नहीं थे?

हमेशा ही संभावना होती है, और प्रस्ताव 32 कोई अलग नहीं है।

रियल एस्टेट डेवलपर्स, बीमा कंपनियाँ और अरबपति उद्यम पूँजीपति सिर्फ तीन ऐसे समूह हैं जिन्हें प्रस्ताव 32 के प्रावधानों से **छूट** है, जबकि एक संघ अब उम्मीदवारों के लिए योगदान करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा, बड़ी कंपनियों के विशेष हित राजनीति पर असीमित पैसा खर्च करना जारी रख सकते हैं।

प्रस्ताव 32 के समर्थकों का दावा है श्रमिकों को राजनेताओं या उन कारणों के लिए योगदान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनसे वे असहमत हैं। उनको मजबूर नहीं किया जाता है। वर्तमान कानून किसी संघ में शामिल होने या राजनीति के लिए यूनियनों के शुल्कों का भुगतान करने से श्रमिकों की रक्षा करता है।

वास्तव में क्या हो रहा है?

- प्रस्ताव 32 के प्रमुख योगदानकर्ता पूर्व वॉल स्ट्रीट निवेशक, बीमा कंपनी के अधिकारी और बचाव कोष के प्रबंधक हैं—उनको प्रस्ताव 32 के प्रावधानों से **छूट** हैं। अपने आप से पूछें क्यों।
- प्रस्ताव 32 के अन्य वित्तपोषक विकास कंपनियों के स्वामी हैं जिन्होंने उस कानून से छूट माँगी है जो हमारे पर्यावरण और पड़ोस की रक्षा करते हैं। प्रस्ताव 32 उन कंपनियों को भी **छूट** देता है। अपने आप से पूछें क्यों। अपने आप से पूछें क्यों।
- बिजनेस सुपर PACs और स्वतंत्र व्यय समितियों को प्रस्ताव 32 के प्रावधानों से **छूट** है।
- प्रस्ताव 32 बड़े पैमाने पर राज्य की नौकरशाही में बढ़ोत्तरी करता है और लागत और फोनी सुधार के लिए एक कैलिफोर्नियावासियों पर **दसियों लाख डॉलर** की लागत डालता है।

लीग ऑफ वीमैन वोटर्स प्रस्ताव 32 का विरोध करता है। यह इस सोच को बताकर कि यह गड़बड़ियों को सुधारेगा, मतदाताओं को मूर्ख बनाने का प्रयास है। वास्तव में, यह चीजों को बद से बदतर बना देंगे।

JO SEIDITA, चेयर
कैलिफोर्निया क्लीन मनी कैंपेन

JOHN BURTON, चेयर
कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी

ROBBIE HUNTER, कार्यकारी सचिव
लॉस एंजिल्स/ऑरेंज काउंटी बिल्डिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स काउंसिल

इस पृष्ठ पर छपे तर्क लेखकों की राय हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इनकी सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 32 वेतन में से कटौती द्वारा राजनीतिक योगदान। उम्मीदवारों के लिए योगदान। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 32 के खिलाफ तर्क ★

लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कॉमन कॉज और कैलिफोर्निया क्लीन मनी कैंपेन भी प्रस्ताव 32 विरोध करते हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रस्ताव 32 ऐसा नहीं है जैसा कि यह लगता है। प्रस्ताव 32 "राजनीतिक सुधार" का वादा करता है लेकिन वास्तव में इसको विशेष हितों द्वारा अपनी खुद की मदद करने के लिए और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। यही कारण है कि हम नहीं का मतदान करने का आग्रह करते हैं।

राजनीति में से पैसे को बाहर नहीं करेगा

- बिजनेस सुपर PACs और स्वतंत्र व्यय समितियों को प्रस्ताव 32 के नियंत्रणों से **छूट** है। ये संगठन उम्मीदवारों को जिताने या हराने का काम करते हैं और उपायों पर मतदान कराते हैं लेकिन स्वयं उन योगदान प्रतिबंधों और अभियानों के लिए पारदर्शिता आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इन समूहों को पैसे की असीमित मात्रा खर्च करने की अनुमति दी है। प्रस्ताव 32 का उससे कुछ लेना-देना नहीं है।
- यदि प्रस्ताव 32 पारित हो जाता है तो कॉर्पोरेट विशेष हितों द्वारा समर्थित समितियों सहित सुपर PACs अभियानों के वित्तपोषण का प्रमुख रास्ता बन जाएंगे। इन समूहों ने 2004 के बाद से अब तक कैलिफोर्निया के चुनावों में $95,000,000 से अधिक खर्च किए हैं। हमारे टीवी में और अधिक नकारात्मक विज्ञापनों की भरमार हो जाएगी।

असली अभियान वित्तपोषण सुधार नहीं

असली अभियान सुधार हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, किसी को कोई छूट नहीं। प्रस्ताव 32 को जानबूझ कर वॉल स्ट्रीट निवेश फर्मों, हेज फंड्स, डेवलपर्स, और बीमा कंपनियों की तरह बड़े कारोबारों को छूट देने के लिखा गया है। इस उपाय से छूट दी गई 1,000 से भी अधिक कंपनियाँ कैलिफोर्निया राज्य के सचिव द्वारा प्रमुख दाताओं के रूप में सूचीबद्ध हैं। इन्होंने सिर्फ 2009 के बाद से राजनीतिक अभियान के लिए $10,000,000 से अधिक का योगदान दिया है।

असंतुलित और अनुचित

इस उपाय का कहना है कि यह वेतन में की गई कटौती के पैसे का यूनियनों द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका कहना है कि यह निगमों पर भी लागू होता है, और इसलिए यह संतुलित लगता है। लेकिन कैलिफोर्निया के 99% से भी अधिक निगम राजनीतिक दान के लिए वेतन कटौती का उपयोग नहीं करते हैं, उनको अभी भी अपने लाभ का उपयोग चुनावों को प्रभावित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। न तो यह उचित है और न ही संतुलित।

जरा सरकारी सारांश पर एक नज़र डालें। आप इस पंक्ति से असंतुलन को देख सकते हैं: "अन्य राजनीतिक व्यय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसमें उपलब्ध संसाधनों से कॉर्पोरेट व्यय शामिल है, पर वेतन कटौती निषेध द्वारा सीमित नहीं है।"

देखें इसके पीछे कौन है

प्रस्ताव 32 के कई शीर्ष योगदानकर्ताओं में पूर्व बीमा कंपनी के अधिकारी, वॉल स्ट्रीट अधिकारी, डेवलपर्स, और उन कारणों के लिए बड़े दान देने वाले लोग हैं जिनको प्रस्ताव 32 की विशेष छूटों से लाभ होता है।

सेक्रेमेंटो में बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण कलह और गतिरोध है। राजनीतिक अभियान पर होने वाले खर्च के कारण हम सब में राजनीतिक अभियान प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा होता है। प्रस्ताव 32 के प्रायोजक अपने स्वयं के लाभ के लिए नियमों को बदलने के लिए हमारे क्रोध और अविश्वास का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रस्ताव 32 से चीजें बद से बदतर हो जाएंगी

कुछ लोगों का कहना है कि "यह असंतुलित है, लेकिन यह एक कदम आगे है।" यह इसकी समस्या है। कॉर्पोरेट विशेष हितों को न रोकते हुए यूनियनों और उनके श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने से एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली उत्पन्न हो जाएगी जो किसी और के बजाय कॉर्पोरेट विशेष हितों के पक्ष में है। यदि आप हवा और पानी की सुरक्षा के नियंत्रण में और उपभोक्ता सुरक्षा में विशेष हितों को नहीं चाहते हैं तो प्रस्ताव 32 पर **नहीं** में मतदान करें।

http://www.VoteNoOn32.com पर जाएं और खुद ही देखें कि प्रस्ताव 32 क्यों ऐसा नहीं है जैसा कि यह लगता है और औसत कैलिफोर्नियावासियों को तकलीफ क्यों देगा। प्रस्ताव 32 पर **नहीं** में मतदान करें।

JENNIFER A. WAGGONER, अध्यक्ष
लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया
DEREK CRESSMAN, क्षेत्रीय निदेशक
कैलिफोर्निया कॉमन कॉज
DAN STANFORD, पूर्व अध्यक्ष
कैलिफोर्निया फेयर पॉलिटिकल प्रेक्टिसिज कमीशन

★ प्रस्ताव 32 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

विशेष हित आपको सच नहीं बता रहे हैं।

वे कहते हैं कि वे प्रस्ताव 32 का विरोध उसके लिए करते हैं **जो यह नहीं करता है।** लेकिन वे इसको उसके लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं **जो यह करता है।**

तथ्य यह है कि प्रस्ताव 32 वहाँ तक काम करता है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है: यह निगमों और यूनियनों, दोनों को नेताओं के लिए पैसे देने से निषिद्ध करता है। *कोई छूट नहीं। कोई कमियां नहीं।*

32 पर हाँ: तीन सरल सुधार:

- 2010 के चुनावों के लिए, निगमों और यूनियनों ने राज्य के राजनेताओं को $48 मिलियन दिए। यदि प्रस्ताव 32 रहा होता, *तो वे $48 मिलियन उम्मीदवारों को कभी नहीं दिए जाते।*
- फिर कभी ठेकेदार उन नेताओं को पैसे नहीं देंगे, जो उनके अनुबंध को मंजूरी देते हैं।
- निगम या यूनियन अब और अधिक श्रमिकों के वेतन में कोई भी पैस राजनीति पर खर्च करने के लिए नहीं ले पाएंगे। प्रस्ताव 32 के तहत, हर नियोक्ता और यूनियन अनुमति माँगेगा और श्रमिक नहीं कह सकता है।

बड़े पैसे के विशेष हित प्रस्ताव 32 को रोकने के लिए *लाखों* खर्च कर रहे हैं। वे सेक्रेमेंटो पर अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं।

सिर्फ एक उदाहरण:

> जब लॉस एन्जलस स्कूल जिला जल्दी से अपने शिक्षक को बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के लिए नौकरी से निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ सका तो इसने कानून के निर्माताओं से इसको आसान बनाने के लिए एक कानून पारित करने को कहा। लेकिन राज्य के सबसे बड़े शिक्षक संघ—जिसने पिछलो दो सालों में राजनेताओं को $1 मिलियन से अधिक दिए—अपनी पैरवी के लिए अपनी सेना को बुला लिया। उन्होंने सुधार को मार डाला।
>
> लॉस एन्जलस मेयर Antonio Villaraigosa ने इसको "निंदक राजनीतिक हेरफेर" कहा। *सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल* के लिए भी यह "घिनौना" है।

सामान्य रूप से व्यापार असली कैलिफोर्निया वासियों को तकलीफ देता है। राजनेताओं के हाथ से बड़े पैसे को बाहर निकालता है। 32 **पर हाँ।**

MARIAN BERGESON
पूर्व शिक्षा सचिव कैलिफोर्निया
JON COUPAL, अध्यक्ष
हावर्ड जार्विस करदाता एसोसिएशन
HON. JOHN ARGUELLES
कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)

प्रस्ताव
33 वाहन बीमा कंपनियां। बीमा कवरेज के ड्राइवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

वाहन बीमा कंपनियां। बीमा कवरेज के ड्राइवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम।

- मौजूदा कानून में परिवर्तन करके बीमा कंपनियों को इस आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देता है कि क्या ड्राइवर ने पहले किसी बीमा कंपनी के साथ वाहन का बीमा कराया था।
- बीमा कंपनियों को उन ड्राइवरों को आनुपातिक छूट देने की अनुमति देता है जिनका पुराना बीमा कवरेज का कुछ इतिहास है।
- बीमा कंपनियों को उन ड्राइवरों के लिए कीमत बढ़ाने की अनुमति देगा जिन्होंने निरंतर कवरेज को बना कर नहीं रखा है।
- चूक वाले ड्राइवरों को निरंतर कवरेज वाला मानता है यदि चूक सैन्य सेवा या रोजगार के चले जाने के कारण हुई है, या यदि चूक 90 दिनों से कम की है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

33

- शायद राज्य बीमा प्रीमियम कर राजस्व पर राजस्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

वाहन बीमा, कैलिफोर्निया निवासियों द्वारा खरीदे जाने वाले बीमा का एक प्रमुख प्रकार है। 2011 में कैलिफोर्निया बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र प्रीमियम में इसका हिस्सा लगभग $21 बिलियन (40 प्रतिशत) था।

ऑटोमोबाइल बीमा राज्य विनियमन। 1988 में कैलिफोर्निया के मतदाताओं ने प्रस्ताव 103 को पारित किया, जिसमें बीमा आयुक्तों से अपेक्षित है कि दरों में परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले वे ऑटोमोबाइल बीमा सहित बीमा के कुछ प्रकारों के लिए दरों मे परिवर्तनों की समीक्षा करें और उनको अनुमोदित करें। प्रस्ताव 103 में यह भी अपेक्षित है कि ऑटोमोबाइल बीमा पॉलिसियों के लिए दरें एवं प्रीमियमों को निम्नलिखित रेटिंग कारकों को लागू करके स्थापित किया जाए, महत्व के घटते हुए क्रम में: (1) बीमित के ड्राइविंग सुरक्षा रिकॉर्ड, (2) उनके द्वारा प्रति वर्ष ड्राइव किए गए मील, एवं (3) उनके द्वारा ड्राइव किए गए वर्ष।

बीमा आयुक्त ऑटोमोबाइल दरों और प्रीमियमों का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त रेटिंग कारकों को अपना सकते हैं। वर्तमान में, 16 वैकल्पिक रेटिंग कारकों को इन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बीमा कंपनियाँ व्यक्तियों को अपनी कवरेज को बनाए रखने के लिए छूट प्रदान कर सकती हैं। हालाँकि, बीमा कंपनियाँ इस तरह की छूट की पेशकश उन नए ग्राहकों को करने के लिए निषिद्ध हैं, जो अन्य बीमा कंपनियों से उनकी कंपनी में आ रहे हैं।

बीमा प्रीमियम कर। कैलिफोर्निया में व्यापार करने वाली बीमा कंपनियाँ वर्तमान में राज्य निगम आय कर की बजाय बीमा प्रीमियम कर की भुगतान करती हैं। प्रीमियम कर सकल बीमा प्रीमियम की राशि पर आधारित होता है। राज्य में हर साल ऑटोमोबाइल बीमा के साथ-साथ अन्य प्रकार के बीमा कवरेज के लिए अर्जित किया जाता है। 2011 में, बीमा कंपनियों ने कैलिफोर्निया में ऑटोमोबाइल पॉलिसियों पर प्रीमियम कर राजस्व में लगभग $500 मिलियन का भुगतान किया। इन राजस्वों को राज्य की सामान्य निधि में जमा किया जाता है।

प्रस्ताव

यह उपाय एक बीमा कंपनी को किसी ऐसे नए ग्राहक को, जो किसी अन्य बीमा कंपनी से अपने कवरेज को स्विच करता है, ऑटोमोबाइल बीमा पॉलिसियों पर "निरंतर कवरेज" छूट की पेशकश करने के लिए अनुमति देता है। इस उपाय के तहत, निरंतर कवरेज का आमतौर पर मतलब होता है किसी भी बीमा कंपनी के साथ निर्बाध ऑटोमोबाइल बीमा कवरेज। कालातीत के साथ ग्राहक कवरेज में अभी भी इस छूट के लिए पात्र होगा, हालाँकि, यदि कालातीतः

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

- पिछले पाँच वर्षों में किसी भी कारण से 90 दिनों से अधिक नहीं था।
- छंटनी के कारण रोजगार चले जाने या अवकाश के कारण पिछले पांच वर्षों में 18 महीने से अधिक नहीं था।
- सक्रिय सैन्य सेवा के कारण था।

इसके अलावा, माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चे अपने माता-पिता की पात्रता के आधार पर छूट के लिए पात्र हो सकते हैं।

यदि बीमा कंपनी ऐसी किसी छूट को उपलब्ध कराने का चयन करती है, तो इसको एक आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। छूट उन तत्काल पिछले पांच वर्षों में वर्षों की संख्या (एक पूरी संख्या के लिए पूर्णांक) पर आधारित होगी जिनके लिए ग्राहक का बीमा किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक यह प्रदर्शित करने में सक्षम था कि उसके पास पिछले पाँच में तीन सालों के लिए कवरेज था तो ग्राहक को कुल निरंतर कवरेज छूट का 60 प्रतिशत प्राप्त होगा।

जारी

वित्तीय प्रभाव

इस उपाय के परिणामस्वरूप कैलिफोर्निया में बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित ऑटोमोबाइल बीमा प्रीमियम की कुल राशि, और राज्य द्वारा प्राप्त प्रीमियम कर राजस्व की राशि में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, निरंतर कवरेज छूट की शुरूआत करने से उनको द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि में कमी हो सकती है जो छूट के लिए पात्र है। हालाँकि, इसकी भरपाई आमतौर पर भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रीमियम से होगा उनके द्वारा जो ऐसी छूट के लिए पात्र नहीं हैं। इस उपाय से राज्य प्रीमियम कर राजस्व पर शुद्ध प्रभाव शायद कोई खास नहीं होगा।

प्रस्ताव 33 के पाठ के लिए, पृष्ठ 94 देखें।

प्रस्ताव 33 वाहन बीमा कंपनियां। बीमा कवरेज के ड्राइवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 33 के पक्ष में तर्क ★

कानून का पालन करने और कार बीमा को खरीदने के लिए कैलिफोर्निया के उपभोक्ता एक पुरस्कार के लायक हैं। प्रस्ताव 33 खरीदारी करने पर एक बेहतर सौदे छूट प्राप्त करने में आपकी मदद करता है।

कैलिफोर्निया के कानून के अनुसार सभी ड्राइवरों के लिए वाहन बीमा खरीदना आवश्यक है। कैलिफोर्निया के लगभग 85 प्रतिशत ड्राइवर कानून का पालन करते हैं और बीमा खरीदते हैं। यदि आप कानून का पालन करते हैं और सतत मोटर बीमा कवरेज को बनाए रखते हैं, तो आप वर्तमान में छूट के लिए पात्र हैं, *लेकिन तभी जब आप एक ही बीमा कंपनी के साथ रहते हैं।*

वर्तमान कानून आपको बेहतर बीमे की तलाश करने पर या किसी बेहतर सौदे को आजमाने पर सतत बीमा बनाए रखने पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दंडित करता है।

प्रस्ताव 33 इस समस्या में सुधार करता है और इस छूट को उन उपभोक्ताओं को प्रदान करता है जो किसी भी कंपनी के साथ बीमा बनाए रखते हैं। प्रस्ताव 33 आपको बीमा खरीद पर एक बेहतर सौदे के लिए अनुमति देता है।

दोनों पार्टियों, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के नेता, विदेशी युद्धों के दिग्गज (VFW), अमेरिकी GI फोरम ऑफ कैलिफोर्निया, फायरफाइटर्स, छोटो कारोबार के मालिक, व्यक्तिगत उपभोक्ता, और चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रस्ताव 33 के समर्थन में शामिल हैं। **प्रस्ताव 33 पर हाँ में मतदान करें।** यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कानून का पालन करते हैं।

जो पुरस्कार आप जिम्मेदार होने और कानून का पालन करने के लिए प्राप्त करते हैं, वह आपको प्रस्ताव 33 के तहत रखना है, भले ही आप किसी अन्य बीमा कंपनी के तहत जाने के अधिकार का इस्तेमाल करें। यही कारण है कि कुछ बीमा कंपनियाँ प्रस्ताव 33 को पसंद करती हैं जबकि कुछ नहीं। इससे प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। आपके पड़ोसी बीमा एजेंट प्रस्ताव 33 का समर्थन करते हैं क्योंकि यह बीमा कंपनियों को आपके कारोबार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करेगा।

हम आपको प्रस्ताव 33 को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आसान है। इसमें समझदारी है।

प्रस्ताव 33 पर हाँ का मतदान करें क्योंकि आपको वह छूट मिलनी चाहिए जिसे आपने अर्जित किया है, इस बात से बेअसर कि आपने किस बीमा कंपनी को चुना है।

प्रस्ताव 33 उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जिनके पास प्राप्त करने के लिए बीमा नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव 33 निरंतर कवरेज छूट प्राप्त करने के लिए इसको आसान बनाता है। आप बीमा कराने वाले प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए छूट का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। जितना लंबा आप बीमित रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको छूट मिलेगी। यह अबीमित ड्राइवरों को बीमा कराने के लिए और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रस्ताव 33 अन्य सुरक्षाएं भी प्रदान करता है:

- यदि आप सक्रिय सैन्य सेवा में हैं, तो प्रस्ताव 33 का कहना है कि आपकी छूट की हानि नहीं होगी। यही कारण है कि हमारे सैन्य परिवारों, जो अमेरिकी GI फोरम और विदेशी युद्धों के दिग्गजों के नेतृत्व में हैं, ने प्रस्ताव 33 पर हाँ कहा है।
- अगर आपकी छंटनी कर दी गई है या आप छुट्टी पर हैं, तो प्रस्ताव 33 आपको 18 महीने के लिए अपनी स्थिति को एक लगातार कवर किया हुआ बनाए रखने के लिए अनुमति देता है।
- प्रस्ताव 33 के तहत, ड्राइविंग की उम्र के बच्चों को भी छूट मिलती है, चाहें वे अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं या स्कूल में हैं।
- प्रस्ताव 33 आपको किसी भी कारण से 90 दिनों के लिए भुगतान करने की चूक हो जाने और इस छूट के लिए पात्र रहने की अनुमति देता है।

प्रस्ताव 33 के कारण बीमा कंपनियों के बीच और बेहतर प्रतिस्पर्धा होगी और बेहतर बीमा दरें मिलेंगी क्योंकि आप अपनी छूट को खोए बिना बीमा की खरीदारी करने में सक्षम हो सकेंगे।

कैलिफोर्निया में, आपके पास वाहन बीमा होना चाहिए। कानून का पालन करने के लिए आप एक पुरस्कार के लायक हैं। **प्रस्ताव 33 पर हाँ में मतदान करें।**

ROBERT T. WOLF, अध्यक्ष
CDF फायरफाइटर्स
ESTERCITA ALDINGER
छोटे व्यवसाय के मालिक
DEAN LEE
विदेशी युद्धों के दिग्गज (VFW)

★ प्रस्ताव 33 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

कार्यशील कैलिफोर्नियावासियों के लिए ये दिन काफी मुश्किल हैं। हमें वाहन बीमा के लिए किसी अन्य बीमा उद्योग की चाल की वजह से अधिक भुगतान नहीं करना चाहिए।

प्रस्ताव 33 एक बीमा उद्योग के अरबपति द्वारा 99 प्रतिशत वित्तपोषित है जो कहते हैं कि वह अपने वाहन बीमा पर ड्राइवरों के पैसे की बचत करना चाहते हैं।

पिछली बार बीमा कंपनी के अधिकारी ने एक मतदान पहल पर $8 मिलियन आपके पैसे बचाने के लिए कब खर्च किए थे?

प्रस्ताव 33 सही ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले ड्राइवरों के लिए दरें बढ़ा देगा। यह पहल गलत तरीके से उन लोगों को दंडित करती है जिन्होंने वैध कारणों से ड्राइविंग को बंद कर दिया है—जैसे कॉलेज के लिए जाना, किसी गंभीर चोट से उबरना या कोई सार्वजनिक परिवहन लेना—जब वे बीमा बाजार में लौटते हैं।

कैलिफोर्निया के कानून ऑटो बीमा कंपनियों को लोगों से मात्र इस कारण से अधिक वसूली करने पर रोक लगाते हैं कि उन्होंने पहले से ड्राइविंग नहीं की है या अतीत में ड्राइव करने में कुशल नहीं थे। प्रस्ताव 33 बीमा कंपनियों को कैलिफोर्नियावासियों से लाखों डॉलर वसूल करना शुरू करने की अनुमति देगा।

जब इस अरबपति बीमा कंपनी ने एक समान पहल को पारित करने के लिए $16 मिलियन खर्च किए थे तो *मतदाताओं ने 2010 में पहले से ही नहीं कहा।* अब यह फिर से आ गया है।

जो लोग काम के लिए सार्वजनिक परिवहन को लेते हैं वे फिर से ड्राइविंग शुरू करने पर अपने वाहन बीमा के लिए अधिक भुगतान क्यों करें।

बेरोजगार कैलिफोर्नियावासियों को दूसरी नौकरी पाने पर और फिर से ड्राइविंग शुरू करने पर अधिक भुगतान नहीं करना चाहिए।

जिन लोगों को किसी गंभीर बीमारी की वजह से अपने बीमा को छोड़ना है उनको ठीक होकर सड़क पर वापस आने पर अधिक भुगतान नहीं करना चाहिए।

प्रस्ताव 33 वाहन बीमा की दरों को बढ़ा देगा। इस बीमा कंपनी अरबपति को बता दें कि ऑटो बीमा को विनियमति करना ठीक नहीं है।

प्रस्ताव 33 पर नहीं में मतदान करें।

DEANN MCEWEN, RN, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया नर्सेस एसोसियेशन
RICHARD HOLOBER, कार्यकारी निदेशक
कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ कैलिफोर्निया
JAMIE COURT, अध्यक्ष
कंज्यूमर वाचडॉग

इस पृष्ठ पर छपे तर्क लेखकों की राय हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इनकी सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 33 वाहन बीमा कंपनियां। बीमा कवरेज के ड्राइवर के इतिहास पर आधारित कीमतें। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 33 के खिलाफ तर्क ★

उपभोक्ता के वकील सहमत हैं: **प्रस्ताव 33 पर नहीं**—यह कैलिफोर्निया में लाखों जिम्मेदार ड्राइवरों के लिए बीमा दरों को बढ़ाने की बीमा कंपनियों की एक और भ्रामक चाल है।

मर्करी इंश्योरेंस ने इसी तरह की पहल पर 2010 में $16 मिलियन खर्च किए थे। कैलिफोर्निया के निवासियों ने खारिज कर दिया था।

अब वे फिर से आ गए हैं। मर्करी इंश्योरेंस के अरबपति अध्यक्ष जॉर्ज जोसेफ ने प्रस्ताव 33 को वित्तपोषित करने के लिए पहले से ही $8 मिलियन खर्च कर दिए हैं। यह पिछली बार कब था जब किसी बीमा कंपनी अरबपति ने आपके पैसे बचाने के लिए पैसा खर्च किया हो?

प्रस्ताव 33 गलत तरीके से ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है, जिसने किसी भी अच्छे कारण से ड्राइविंग करना बंद कर दिया है, लेकिन उसे अब फिर से ड्राइविंग करने के लिए बीमा की जरूरत है। अटार्नी जनरल के आधिकारिक साराँश के अनुसार प्रस्ताव 33 "बीमा कंपनियों को बीमा की लागत में वृद्धि करने की अनुमति देगा"—उन ड्राइविंग करने वालों के लिए भी जो सही ड्राइविंग करते हैं।

प्रस्ताव 33 एक बड़ी चतुराई से शब्दों का इस्तेमाल करके तैयार की गई पहल है जो एक बात कहती है लेकिन दूसरी नहीं। सावधान रहें: कैलिफोर्निया के बीमा विभाग ने कहा है कि तथाकथित "निरंतर कवरेज छूट" योजना के कारण कई कैलिफोर्निया ड्राइवरों पर "*एक अधिभार लगेगा*"। यही कारण है कि उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता रिपोर्टों के नीति और वकालत प्रभाग प्रस्ताव 33 का विरोध करते हैं।

प्रस्ताव 33 कॉलेज पूरा करने वाले छात्रों के लिए बीमा दरों को बढ़ाता है जिनको अब नई नौकरी के लिए ड्राइव करने की जरूरत है।

प्रस्ताव 33 उन लोगों के बीमा दरों को बढ़ाता है जिन्होंने ऐसी किसी गंभीर बीमारी या चोट से उबरने के दौरान अपने बीमा कवरेज को छोड़ दिया था, जिसके कारण वे सड़क से दूर थे।

प्रस्ताव 33 बीमा उद्योग को बड़ी बीमा कंपनियों को कम जवाबदेह बनाकर विनियमित करता है—जिसके कारण ही इस उपाय के 99% को एक बीमा अरबपति द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है – जिसकी कंपनी, मर्करी इंश्योरेंस का उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली करने का रिकॉर्ड है। कैलिफोर्निया के बीमा विभाग का कहना है कि मर्करी की "अपने ग्राहकों को उत्पीड़ित करने और अहंकार और उदासीनता के साथ जानबूझकर कानून का उल्लंघन करने की प्रतिष्ठा है"। *33 पर नहीं: यह उन जिम्मेदार ड्राइवरों को, जिनको अतीत में ऑटो बीमा की जरूरत नहीं थी, दंडित करने के लिए जिम्मेदार है।*

प्रस्ताव 33 बीमा कंपनियों को उन ग्राहकों से नाटकीय रूप से उच्च दर वसूलने की अनुमति देता है जिनके पास सही ड्राइविंग रिकॉर्ड है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी समय ऑटो बीमा नहीं खरीदा था। ड्राइवरों को अनुचित दंड का भुगतान करना होगा, भले ही उनके पास कार नहीं है या किसी समय पर बीमा की आवश्यकता नहीं है।

33 पर नहीं: यह कैलिफोर्निया के मध्यम वर्ग के परिवारों को नुकसान पहुँचाता है।

ऐसे राज्यों में, जहां प्रस्ताव 33 का अधिभार कानूनी है, परिणाम है **उच्च प्रीमियम।**

- टेक्सस के निवासी 61% अधिक भुगतान कर सकते हैं।
- नेवेडा के निवासी 79% अधिक।
- फ्लोरिडा के निवासी 103% अधिक।

33 पर नहीं: इसके कारण अधिक अबीमित ड्राइवर होंगे, जिससे हमारी लागत और बढ़ेगी।

कैलिफोर्निया के बीमा विभाग के अनुसार, बीमा कंपनियाँ जो वित्तीय दंड थोपना चाहती हैं वह "*लोगों को बीमा खरीदने से हतोत्साहित करती हैं, जिसके कारण अबीमित ड्राइवरों की संख्या में वृद्धि करती हैं और अंततः हर बीमित व्यक्ति के लिए अबीमित ड्राइवरों की लागत में वृद्धि करती हैं।*"

अधिक अबीमित ड्राइवरों से करदाताओं और राज्य को नुकसान होता है।

33 प्रस्ताव पर नहीं: कैलिफोर्निया के निवासियों ने 2010 में पहले ही एक लगभग ऐसे ही प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हमें इन शक्तिशाली विशेष हितों को स्पष्ट करना है कि नहीं का मतलब नहीं है।

बीमा कंपनियों को हमारी दरें बढ़ाने की अधिक शक्ति न दें।

प्रस्ताव 33 पर नहीं में मतदान करें। *सच्चा होना अच्छा होता है।*

अधिक जानकारी के लिए *http://www.StopTheSurcharge.org* देखें।

HARVEY ROSENFIELD, संस्थापक
कंज्यूमर वाचडॉग

ELISA ODABASHIAN, निदेशक
वैस्ट कोस्ट ऑफिस एण्ड स्टेट कैंपेन्स, कंज्यूमर्स यूनियन,
कंज्यूमर रिपोर्टों का नीति एवं वकालत प्रभाग

NAN BRASMER, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया एलायंस फॉर रिटायर्ड अमेरिकंस

★ प्रस्ताव 33 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

कार बीमा कराने वाले कैलिफोर्नियावासी निम्नलिखित कानून के लिए छूट प्राप्त करते हैं—लेकिन वर्तमान कानून के तहत, अगर आप कंपनियों को बदलते हैं, तो आपकी छूट खत्म हो जाती है।

प्रस्ताव 33 आपको इस पुरस्कार को रखने और किसी एक अन्य कंपनी के साथ एक बेहतर सौदा करने की अनुमति देता है।

विपक्ष डराने की रणनीति और कुरूपता का उपयोग कर रहा है। हाँ, प्रस्ताव 33 के समर्थक और द्वितीय विश्व युद्ध के वेट George Joseph ने ग्राहक सेवा और कम दरों को उपलब्ध कराकर एक सफल कंपनी बनाई जिसका कैलिफोर्नियावासी समर्थन करते हैं।

सत्य के लिए प्रस्ताव 33 को पढ़ें।

अग्निशामक और कैलिफोर्निया एसोसियोशन ऑफ हाइवे पेट्रोलमैन प्रस्ताव 33 का समर्थन करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हर कोई बीमित हो और सभी कैलिफोर्नियावासियों के पास एक बेहतर वाहन बीमा सौदा खरीदने के लिए अवसर हो।

ग्रीनलाइनिंग इंस्टीट्यूट—अनुचित व्यापार व्यवहार से लड़ने के लिए स्थापित ग्राहक समूह—प्रस्ताव 33 का समर्थन करता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और इस छूट की *हर उस व्यक्ति* को अनुमति देता है जो कानून का पालन करता है।

- प्रस्ताव 33 ड्राइवरों को बीमा कंपनियों को बदलने के लिए और अपने लगातार कवरेज छूट को बनाए रखने की अनुमति देता है।
- प्रस्ताव 33 कानून का पालन करने और अपनी चयनित किसी कंपनी के साथ बीमा बनाए रखने के लिए पुरस्कृत करता है।
- प्रस्ताव 33 कंपनियों बीमा कंपनियों को बदलना आसान बनाती हैं, जिससे और अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है और सभी के लिए कम दर प्राप्त होती हैं।
- प्रस्ताव 33 उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और निरंतर कवरेज के लिए छूट को हर उस व्यक्ति पर लागू करता है जो कानून का पालन करता है।
- प्रस्ताव 33 सैन्य परिवारों की, उन उपभोक्ताओं की, जो बेरोजगार या छुट्टी पर हैं, और छात्र ड्राइवरों की सुरक्षा करता है, और अबीमित ड्राइवरों को बीमा खरीद करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

विदेशी युद्धों के दिग्गजों और GI फोरम सहित दिग्गज समूह प्रस्ताव 33 का समर्थन करते हैं।

प्रस्ताव 33 पर हाँ में मतदान करें।

ROBERT T. WOLF, अध्यक्ष
CDF फायरफाइटर्स

JULIAN CANETE, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया हिस्पैनिक चैंबर ऑफ कॉमर्स

SAMUEL KANG, सामान्य परामर्शदाता
ग्रीनलाइनिंग इंस्टीट्यूट

प्रस्ताव
34 मौत की सजा। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

मौत की सजा। पहल अधिनियम।

- हत्या के दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए अधिकतम दंड के रूप में मौत की सजा को भंग करता है और इसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास से बदलता है।
- पहले ही मौत की सजा सुनाए गए व्यक्तियों पर पिछली तारीख से लागू होता है।
- कहता है कि हत्या के दोषी पाए गए व्यक्तियों को सुधार और पुनर्वास विभाग (डिपार्ट्मन्ट ऑफ़ करेक्शन्ज़ अन्ड रीहबिलटैशन) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार जेल में रहते हुए काम करना होगा, और उनके वेतन पीड़ित व्यक्ति के मुआवज़े के लिए जुर्माने या उनके विरुद्ध आदेशों पर लागू होने वाली कटौतियों के अधीन होंगे।
- हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को $100 मिलियन देता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- पहले कुछ वर्षों में हत्या के मुकद्दमों, मौत की सजा पर अपीलों, और सुधार से संबंधित राज्य और काउंटी की लगभग $100 मिलियन सालाना की बचत, जो उसके बाद बढ़ कर लगभग $130 मिलियन हो जाएगी। यह अनुमान कुछ मिलियन डॉलर कम या ज़्यादा हो सकता है, जो मुख्य रूप से इस बात पर कि उपाय को कैसे लागू किया जाता है और उस दर पर निर्भर करता है जिस पर भविष्य में अपराधियों को अन्यथा मौत की सजा दी जाती।
- स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदानों के लिए एक बार किए जाने वाले कुल $100 मिलियन के खर्चे जिनका अगले चार वर्षों में भुगतान किया जाएगा।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

हत्या और मृत्यु दंड। पहली डिग्री की हत्या को आम तौर पर किसी मानव को मारने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो (1) जानबूझकर और पूर्वचिन्तित है या (2) अपहरण जैसे कुछ अन्य अपराधों के साथ-साथ घटित होती है। यह न्यूनतम 25 साल बाद राज्य पैरोल बोर्ड द्वारा छोड़े जाने की संभावना के साथ राज्य के किसी कारावास में आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय है। हालांकि, मौजूदा राज्य कानून पहली डिग्री की हत्या को मृत्यु दंड या पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास से दंडनीय बनाते हैं जब अपराध की निर्दिष्ट "विशेष परिस्थितियों" पर आरोप लगाया जाता है और अदालत में साबित किया जाता है। मौजूदा राज्य कानून ऐसी विशेष परिस्थितियों की पहचान करता है जिनमें आरोप लगाया जा सकता है, जैसे कि वे मामले जिनमें हत्या को वित्तीय लाभ के लिए किया गया है, विशेष रूप से क्रूर थी, या तब किया गया था जब प्रतिवादी अन्य निर्दिष्ट आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। जूरी आम तौर पर निर्धारित करती है कि जब विशेष परिस्थितियों में आरोप लगाया गया है और सिद्ध किया गया है तो किस दंड को लागू करना है।

कैलिफोर्निया में मृत्यु दंड का क्रियान्वयन। जहां मृत्यु दंड की मांग की जाती है, वहाँ हत्या के मुकदमों को दो चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण यह निर्धारित करता है कि क्या प्रतिवादी हत्या का दोषी है और क्या वह विशेष परिस्थितियों का आरोपी है, जबकि दूसरे चरण में यह निर्धारण शामिल है कि क्या मृत्यु दंड को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। मौजूदा राज्य कानून के तहत, मृत्यु दंड के फैसले के खिलाफ स्वतः ही कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। इन "प्रत्यक्ष अपीलों" में बचाव पक्ष के वकील तर्क देते हैं कि मुकदमे के दौरान राज्य के कानून या संघीय संवैधानिक कानून का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि सबूत को अनुचित तरीके से शामिल किया जाना या मुकदमे से बाहर रखना। यदि कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट अपराध और मृत्यु दंड की पुष्टि करता है, तो प्रतिवादी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए माँग कर सकता है। प्रत्यक्ष अपील के अलावा, मृत्यु दंड के मामलों में आमतौर पर, राज्य और संघीय अदालतों, दोनों में व्यापक कानूनी चुनौतियाँ शामिल होती हैं। इन चुनौतियों में मामले के वे पक्ष शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष अपीलों में शामिल नहीं थे (जैसे कि दावा कि प्रतिवादी का वकील अप्रभावी था) और उनको आमतौर पर "बंदी प्रत्यक्षीकरण" याचिका माना जाता है। अंत में, वे कैदी जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, वे भी अनुरोध कर सकते हैं कि गवर्नर उनकी सजा को कम कर दें। वर्तमान में, मृत्यु दंड के बाद की कार्रवाई को कैलिफोर्निया में पूरा होने में कई दशक लग सकते हैं।

राज्य और काउंटी सरकारें, दोनों हत्या के मुकदमों से संबंधित लागतों को वहन करती हैं, जिसमें अदालत और अभियोजन पक्ष की लागत शामिल हैं, और साथ ही हत्या के आरोपी उन लोगों के बचाव के लिए, जो कानूनी प्रतिनिधित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य वह लागत भी वहन करता है जो राज्य के न्याय विभाग द्वारा

अपील की प्रक्रिया में मृत्यु दंड को बनाए रखने की माँग करने के लिए वकीलों को नियोजित करने में आती है। विभिन्न राज्य एजेंसियों (राज्य के सार्वजनिक बचावकर्ता और बंदी प्रत्यक्षीकरण संसाधन केंद्र के कार्यालय सहित) को उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन वे कानूनी प्रतिनिधित्व को वहन नहीं कर सकते हैं।

जब से वर्तमान मृत्यु दंड कानून को कैलिफोर्निया में 1978 में लागू किया गया था, तब से लगभग 900 व्यक्तियों को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है। इनमें से 14 को फाँसी दी जा चुकी है, 83 की फाँसी दिए जाने से पहले मृत्यु हो चुकी है, और 75 की सजा में अदालतों द्वारा कमी की गई है। जुलाई 2012 को, कैलिफोर्निया में राज्य की जेलों में 725 अपराधी थे, जिनको मृत्यु दंड सुनाया गया था। इनमें से अधिकाँश अपराधी प्रत्यक्ष अपील या बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। मृत्युदंड प्राप्त पुरुष कैदियों को आमतौर पर सैन क्वेंटिन राज्य जेल (मौत की कगार पर) में रखा जाता है, जबकि मृत्युदंड प्राप्त महिला कैदियों को केन्द्रीय कैलिफोर्निया की चाउचिल्ला में महिला सुविधा में रखा जाता है। राज्य में वर्तमान में विभिन्न सुरक्षा नियम और प्रक्रियाएं हैं जिनके परिणामस्वरूप इन कैदियों के लिए सुरक्षा की लागत में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए, मृत्यु दंड के तहत कैदियों को आमतौर पर हथकड़ी पहनायी जाती है और उनके प्रकोष्ठों के बाहर उनके साथ एक या दो अधिकारियों को हर समय साथ रखा जाता है। इसके अलावा, इन अपराधियों को वर्तमान में अलग प्रकोष्ठों में रखा जाना आवश्यक हैं, जबकि अधिकांश कैदी प्रकोष्ठों को साझा करते हैं।

प्रस्ताव

यह उपाय राज्य के वर्तमान मृत्यु दंड क़ानून को समाप्त करता है। इसके अलावा, इसके लिए आमतौर पर आवश्यकता है कि हत्यारे जेल में रहने के दौरान काम करें और एक सीमित अवधि के आधार पर स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए राज्य को नया वित्त पोषण उपलब्ध कराएं।

मृत्यु दंड की समाप्ति। इस उपाय के तहत राज्य द्वारा किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं सुनाया जा सकता। यह उपाय यह भी बताता है वर्तमान में मृत्यु दंड के तहत अपराधियों को फाँसी नहीं दी जाएगी और इसके बजाय उनको पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास दिया जाएगा। यह उपाय कैलिफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट को अपनी सभी मौजूदा मृत्यु दंड प्रत्यक्ष अपीलों और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को राज्य की अपीलीय अदालतों या उच्चतर न्यायालयों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ये अदालतें उनके मृत्यु दंड को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास में बदलने के बाद शेष मुद्दों का समाधान करेंगी।

कैदी की कार्य आवश्यकता। राज्य के वर्तमान कानून की आमतौर पर आवश्यकता है कि—हत्यारों सहित—कैदी जेल में रहने के दौरान काम करें। कैलिफोर्निया के नियम इन काम की आवश्यकताओं के लिए कुछ अपवादों को भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि वे कैदी जो काम के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा, अदालतें कैदियों द्वारा अपराध के पीड़ितों को भुगतान करने को आवश्यक बना सकती हैं। यह उपाय बताता है कि हत्या का दोषी पाए गए हर व्यक्ति को जेल में रहने के दौरान काम करना होगा, और राज्य के नियमों के अधीन अपराध के पीड़ितों को देय किसी ऋण में भुगतान के लिए अपने वेतन में कटौती करानी होगी। क्योंकि यह उपाय राज्य के नियमों को नहीं बदलता है, कैदियों के जेल में काम करने की आवश्यकताओं से संबंधित मौजूदा प्रथाओं में जरूरी रूप से बदला नहीं जाएगा।

स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए फंड की स्थापना। यह उपाय एक विशेष फंड को स्थापित करता है, जिसे SAFE कैलिफोर्निया फंड कहा जाता है, जो पुलिस विभाग, शेरिफ विभाग और जिला अटॉर्नियों के कार्यालयों को उस दर में वृद्धि करने के प्रयोजन से जिस पर हत्या और बलात्कारों को हल किया जाता है, को समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, यह उपाय बताता है कि पैसे का इस्तेमाल हत्या और यौन अपराधों की जांच करने या अभियोजन पक्ष इकाइयों में स्टाफ को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस उपाय के तहत, कुल $100 मिलियन को चार सालों में राज्य के सामान्य फंड से SAFE कैलिफोर्निया फंड में स्थानांतरित किया जाएगा—2012–13 में $10 मिलियन और 2013–14 से लेकर 2015–16 तक $30 मिलियन SAFE कैलिफोर्निया फंड में से पैसे को राज्य के अटॉर्नी जनरल द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वितरित किया जाएगा।

वित्तीय प्रभाव

इस उपाय के राज्य और स्थानीय सरकारों पर अनेकों वित्तीय प्रभाव होंगे। उपाय के प्रमुख वित्तीय प्रभावों पर चर्चा नीचे की गई है।

हत्या के मुकदमे

अदालत की कार्यवाही। इस उपाय के कारण कुछ हत्या के मामलों से संबंधित, जो अन्यथा वर्तमान कानून के तहत मृत्यु दंड के लिए पात्र होते, राज्य और काउंटी के साथ जुड़ी लागतें कम होंगी। अगर मृत्यु दंड दो प्राथमिक कारणों से एक विकल्प नहीं था तो इन मामलों के कम खर्चीला होने की संभावना है। प्रथम, मुकदमों की अवधि को छोटा किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब यह निर्धारित करने के लिए कोई अलग चरण नहीं होगा कि क्या मृत्यु दंड दिया गया है। हत्या के मुकदमों के अन्य पहलुओं को भी छोटा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मुकदमों के जूरी चयन के समय को छोटा किया जा सकता है क्योंकि अब उन संभावित जूरी सदस्यों को हटाना आवश्यक नहीं होगा जो मृत्यु दंड को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा, मृत्यु दंड की समाप्ति से

प्रस्ताव 34 के पाठ के लिए, पृष्ठ 95 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

कुछ मुकदमों के लिए अभियोजन पक्ष और सार्वजनिक रक्षकों के लिए काउंटी द्वारा वहन की जाने वाली लागत में कमी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एजेंसियाँ आमतौर पर ऐसे मामलों में, जहां मृत्यु दंड की मांग की जाती है, अधिक वकीलों का उपयोग करती हैं और ऐसे मामलों में जांच करने में और जुर्माना चरण के लिए अन्य तैयारियों संबंधित ज्यादा खर्च वहन करती हैं।

काउंटी जेल। इस उपाय का प्रभाव हत्या के मुकदमों पर पड़ने के कारण काउंटी जेलों की लागत को भी कम किया जा सकता है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोग, विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहाँ उनको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, आमतौर मुकदमा पूरा होने तक और सजाए सुनाए जाने तक काउंटी जेलों में रहते हैं। चूँकि मृत्यु दंड को समाप्त करने से हत्या के कुछ मामलों को छोटा किया जा रहा है, अतः हत्या के आरोपी व्यक्ति राज्य की जेल में भेजे जाने से पहले काउंटी जेल में कम समय बिताएंगे। इस तरह के परिणाम से काउंटी जेल की लागत में कमी होगी और राज्य की जेल की लागत में वृद्धि होगी।

बचत। हत्या के मुकदमों से संबंधित लागत में कटौती से राज्य और काउंटी राज्यव्यापी आधार पर सालाना लाखों डॉलर की बचत प्राप्त कर सकते हैं। बचत की वास्तविक राशि मृत्यु दंड के मुकदमों, जो इस उपाय की अभाव में अन्यथा होते, सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। यह भी संभव है कि राज्य और काउंटी अपनी अदालतों से संबंधित कुछ संसाधनों को कुछ अन्य अदालत गतिविधियों को संदर्भित कर दें। इसी तरह, काउंटी जेल की बचत भी बिस्तरों की उस संख्या की हद तक परिपूर्ति की जाएगी जो अब मृत्यु दंड मुकदमों में बचाव पक्ष के लिए आवश्यक नहीं हैं और अन्य बचाव पक्ष द्वारा स्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि वे जिनको अब कुछ काउंटी में जेलों में कम समय बिताने के कारण जल्दी मुक्त किया जा रहा है।

उपरोक्त बचतें को आंशिक रूप से उस हद तक ऑफसेट किया जा सकता है जिस तक मृत्यु दंड की समाप्ति ने हत्या के कुछ मामलों में कम सजा के बदले में अपराधी ठहराने के लिए प्रोत्साहन राशि में कमी हुई है। अगर मृत्यु दंड निषिद्ध कर दिया जाता है और दलील समझौतों के बजाय अतिरिक्त मामले अदालतों में जाते हैं, तो अदालतों, अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील का समर्थन करने के लिए और साथ ही काउंटी की जेलों का समर्थन करने के लिए राज्य और काउंटी की लागत में वृद्धि हो सकती है। यह किस सीमा तक होगी, यह अज्ञात है।

अपीलीय याचिका

समय के साथ, इस उपाय से कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और मृत्यु दंड की अपील की प्रक्रिया में भाग लेने वाली राज्य की एजेंसियों के द्वारा राज्य पर आने वाला व्यय कम होगा। ये राज्य बचतें सालाना $50 मिलियन तक पहुंच जाएँगी। हालांकि, इन बचतों के कम समय में आंशिक रूप से ऑफसेट किए जाने की संभावना है क्योंकि शायद अपील पर खर्च तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अदालतें उन कैदियों के बारे में, जिनको पहले से मृत्यु दंड दिया जा चुका, सभी लंबित अपीलों का समाधान न कर लें। लंबे समय में, अपेक्षाकृत राज्य और स्थानीय लागत कम होगी—संभावित रूप से सालाना $1 मिलियन—पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा प्राप्त करने वाले अतिरिक्त अपराधियों से अपील की सुनवाई के लिए।

राज्य सुधार

मृत्यु दंड की समाप्ति से राज्य की जेल लागत पर अलग-अलग तरीकों से प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ, इसकी समाप्ति से कुछ जेलों में ज्यादा आबादी और उच्च लागत होगी क्योंकि पूर्व में मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वर्तमान में मृत्यु दंड पर कैदियों द्वारा बिताए गए समय की लंबाई को देखते हुए, इन लागतों के अधिक होने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, ये अतिरिक्त लागतों के संभावित रूप से मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों को जेल में न रखने से होने वाली कमी से ज्यादा होंगी। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को जेल में रखना पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को जेल में रखने की तुलना में अधिक महंगा होता है क्योंकि मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को जेल में रखने के लिए ज्यादा और अधिक महंगे सुरक्षा उपाय और पर्यवेक्षण करने पड़ते हैं।

इन वित्तीय प्रभावों का शुद्ध प्रभाव संभवतः राज्य की जेल प्रणाली के संचालन के लिए राज्य की लागत में शुद्ध कमी के रूप में होगा, और संभावित रूप से सालाना दसियों मिलियन डॉलर कम खर्च होंगे। ये बचतें, हालांकि, विभिन्न कारणों से अधिक या कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर उपाय के अभाव में भविष्य में होने वाली फाँसी की दर में वृद्धि होती है, तो उन कैदियों को जेल में रखने की भविष्य की लागत में कमी हो सकती है जिनको मृत्यु दंड सुनाया गया है। इसलिए, मृत्यु दंड को समाप्त करने के इस उपाय के प्रावधानों के परिणामस्वरूप कम सुधारात्मक बचत होगी। वैकल्पिक रूप से, अगर भविष्य में इस उपाय के अभाव में मृत्यु दंड सुनाए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इन व्यक्तियों को जेल में रखने की लागत में वृद्धि होगी। इस परिदृश्य में, मृत्यु दंड को समाप्त करने से हमारे अनुमान से अधिक सुधारात्मक बचत होगी।

SAFE कैलिफोर्निया फंड में सामान्य फंड स्थानान्तरण

इस उपाय की आवश्यकता है कि राज्य के सामान्य फंड से कुल $100 मिलियन को SAFE कैलिफोर्निया फंड में 2012–13 से लेकर 2015–16 तक स्थानाँतरित किया जाए। जिसके परिणामस्वरूप, उन वर्षों में राज्य के अन्य कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए सामान्य फंड से कम संसाधन उपलब्ध होंगे, लेकिन उन स्थानीय सरकारी एजेंसियों को धन

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण जारी

उपलब्ध होगा जो इन अनुदानों को प्राप्त करती हैं। उस सीमा तक, जिस तक SAFE कैलिफोर्निया फंड से स्थानीय एजेंसियों को प्रदान किए गए धन के कारण अतिरिक्त गिरफ्तारियां और आरोप तक होते हैं, यह उपाय निचली अदालत, जेल और जेल के संचालन के लिए राज्य और काउंटी की लागत में वृद्धि कर सकता है।

अन्य वित्तीय प्रभाव

जेल का निर्माण। यह उपाय मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की बढ़ी हुई संख्या को जेल में रखने से संबंधित भविष्य की सुविधा लागतों से बचने के लिए राज्य को अनुमति देकर भविष्य की जेल निर्माण लागतों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, ऐसी किसी भी बचत की सीमा सजायाफ्ता कैदियों की भविष्य की जनसंख्या में वृद्धि, राज्य द्वारा मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों को भविष्य में कैद में रखने के तरीके के चयन, और सामान्य जेल आबादी में भविष्य में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करती है।

हत्या की दर पर प्रभाव। कैलिफोर्निया में मृत्यु दंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का हत्या की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की हद तक, यह उपाय राज्य और स्थानीय सरकार के आपराधिक न्याय व्यय को प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, अज्ञात है।

सारांश

कुल मिलाकर, इस उपाय के परिणामस्वरूप, हत्या के मुकदमों, अपीलीय मुकदमेबाजी, और राज्य के सुधार से संबंधित राज्य और स्थानीय सरकारों की शुद्ध बचत होगी। शुरू के कुछ सालों में ये बचत सालान लगभग $100 मिलियन होने की संभावना है, जिसके बाद इसके सालाना $130 मिलियन तक बढ़ जाने की संभावना है। इन सालाना बचतों की वास्तविक राशि दसियों मिलियन डॉलर अधिक या कम हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें यह शामिल है कि उपाय को कैसे लागू किया जाता है और यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा अनुमोदित न किए जाने पर भविष्य में होने वाले मृत्यु दंड व फाँसी की दर शामिल हैं। इसके अलावा, इस उपाय की आवश्यकता है कि राज्य अगले चार वर्षों में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए $100 मिलियन का अनुदान उपलब्ध कराए।

प्रस्ताव 34 के पाठ के लिए, पृष्ठ 95 देखें।

प्रस्ताव 34 मौत की सजा। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 34 के पक्ष में तर्क ★

सबूतों से पता चलता है कि **अमेरिका में 100 से भी अधिक *निर्दोष* लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है,** और कुछ को फाँसी दे दी गई!

प्रस्ताव 34 का मतलब है हम कैलिफोर्निया में **किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी फाँसी नहीं देंगे।**

Franky Carrillo को जब गिरफ्तार किया गया और गलत तरीके से लॉस एंजिल्स में हत्या का दोषी पाया गया तो उसकी उम्र 16 साल की थी। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने में 20 साल लग गए! Cameron Willingham को टेक्सास में एक आगजनी के लिए, जिसमें उसके अपने बच्चे मारे गए थे, 2004 में फाँसी दे दी गई थी; निष्पक्ष जांचकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि वहाँ कोई आगजनी नहीं थी।

"अगर किसी को फाँसी दे दी जाती है और बाद में उसे निर्दोष पाया गया, तो हम वापस नहीं जा सकते"—न्यायाधीश LaDoris Cordell, सांता क्लारा (सेवानिवृत्त)

कैलिफोर्निया में मौत की सजा **बहुत महंगी** है और **मरम्मत के परे टूटी हुई** है।

- 1967 से केवल 13 लोगों को फाँसी दी गई है—2006 के बाद से किसी को नहीं। अधिकांश मौत की सजा पाए हुए कैदी बुढ़ापे के कारण मर जाते हैं।
- हम विशेष आवास और करदाता वित्तपोषित अपीलों, जो 25 सालों तक चल सकती हैं, पर कई **मिलियन डॉलर बर्बाद करते हैं।**
- आज, मौत की सजा पाए हुए कैदी कुछ भी न करते हुए बैठ सकते हैं।

न्यायाधीश के आदेश के अनुसार **34 दोषी पाए गए हत्यारों से काम कराता है** और पीड़ितों को मुआवजे की राशि का **भुगतान करवाता** है।

यह उन हत्यारों को, जिन्होनें जघन्य अपराध किए हैं, **तब तक जेल में रखता है जब तक वे मर नहीं जाते।**

यह **बर्बाद हो रहे लाखों कर-डॉलर को मुक्त करता है**—हमारे बच्चों के स्कूलों के लिए और अधिक हत्यारों और बलात्कारियों को पकड़ने के लिए—बिना करों में बढ़ोतरी किए।

34 पैसे बचाता है।

कैलिफोर्निया टूट चुका है। कई लोगों को लगता है कि मौत की सजा पैरोल के बिना जिंदगी से सस्ती है—यह सच **नहीं** है।

एक निष्पक्ष अध्ययन में पाया गया कि यदि हम पैरोल की संभावना के बिना मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दें कैलिफोर्निया पांच साल में **लगभग $1 मिलियन की बचत होगी।** बचत वकीलों की फीस और विशेष मौत आवासों को नष्ट करने से होती है।

http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf

बर्बाद हो रहे कर-डॉलर बेहतर तरीके से **कानून प्रवर्तन** और **हमारे स्कूलों** पर खर्च होगें।

हम क्रूर हत्यारों को न्याय से बचने नहीं दे सकते।

हर साल, लगभग सभी हत्याओं में से आधे से अधिक और सभी बलात्कारों में आधे से अधिक **अनसुलझे रह जाते हैं।** हत्यारे आजाद घूमते हैं और फिर से बलात्कार करते हैं और हत्या करते हैं। हजारों पीड़ित न्याय के लिए इंतजार करते रहते हैं जबकि हम मौत की कगार पर खड़े लोगों पर लाखों बर्बाद करते हैं।

जो हत्यारे राक्षसी कृत्य करते हैं उन्हें तेजी से न्याय के अधीन लाया जाना चाहिए, हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए।

- **34 कर बचाता है** और अधिक डीएनए परीक्षण, अपराध प्रयोगशालाओं, और अन्य उपकरणों के लिए, जिनसे पुलिस को बलात्कार और हत्या का समाधान करने में मदद मिलती है, उस बचत में $100 मिलियन को निर्देशित करता है।
- 34 उन हत्यारों को, जो भयानक अपराध करते हैं, कभी **बाहर न आने की उम्मीद** के साथ जेल में बाकी जीवन व्यतीत कराता है। यह उनसे **काम** कराता है ताकि वे पीड़ितों को पुर्नस्थापन के लिए मुआवज़ा **दे सकें**।
- यह न्याय है जो काम करता है।

हर वह व्यक्ति जिसे 1977 से उचित रूप से बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है वह अभी भी बंद है या जेल में मर गया है। पैरोल की संभावना के बिना जीवन काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम कैलिफोर्निया में **किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी फाँसी की सज़ा नहीं देंगें**।

"मौत की सजा हमें सुरक्षित नहीं करती है—बेहतर अपराध को सुलझाने की प्रक्रिया करती है।"—पूर्व अटार्नी जनरल John Van de Kamp

"मैं Willingham की तरह के मामलों से परेशान हूँ—उन निर्दोष लोगों के जिनको को फाँसी दे दी जाती है। मैं 34 का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह इस बात की गारंटी देता है कि हम कैलिफोर्निया में कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को फाँसी नहीं देंगें।"
—Bishop Flores, सैन डिएगो डायोसेसे

34 पर **हाँ** में मतदान करें।

GIL GARCETTI, जिला अटार्नी
लॉस एंजिल्स काउंटी, 1992–2000
JEANNE WOODFORD, वार्डन
कैलिफोर्निया डैथ रो प्रिजन, 1999–2004
JENNIFER A. WAGGONER, अध्यक्ष
लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया

★ प्रस्ताव 34 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

JERRY BROWN **का कहना है कि कैलिफोर्निया मौत की कगार पर कोई निर्दोष कैदी नहीं है**—*सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल,* 3/7/12

34 पर हाँ इतने उतावला है कि वे आपके वोट को पाने के लिए कुछ भी कहेंगे। **सार्वजनिक जनमत सर्वेक्षण मौत की सजा के लिए भारी समर्थन दिखाते हैं, इसलिए वे जानबूझकर मासूमियत, अपराधों को सुलझाना और पैसे की बचत आदि भ्रामक शब्दों का उपयोग करते हैं।**

मूर्ख न बनें।

"प्रस्ताव 34 कैलिफोर्निया के सामान्य फंड में $100 करोड़ लेता है। समर्थकों का दावा है कि पैसा कथित बचत से आने वाला है, गलत है। इसके अलावा, प्रस्ताव 34 हत्यारों को जीवन काल आवास और स्वास्थ्य लाभ की गारंटी दे कर करदाताओं के लाखों डॉलर को सालाना और अधिक खर्च करायेगा।**"**—Mike Genest, 2005–2009, कैलिफोर्निया वित्त निदेशक।

प्रस्ताव 34 के समर्थक अपनी पहल की रक्षा नहीं कर सकते। इसके बजाय वे धोखा देते हैं।

प्रस्ताव 34 की तथाकथित "काम की आवश्यकता?" जो हत्यारों को पीई कक्षाएं दिलाती है, पूरी हो जाती है।

Franky Carrillo बरी . . . उसे कभी मौत की सज़ा मिली ही नहीं।

कोई "कैलिफोर्निया मौत की कगार जेल" नहीं है। यह सैन क्वेंटिन है।

मतदाता होशियार हैं और उन्हें पता है कि प्रस्ताव 34 के समर्थक दशकों से मौत की सज़ा को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। **वे करदाता की निगरानी करने वाले वॉचडॉग नहीं हैं**—सिर्फ विपरीत। **वे न्याय को और ज्यादा महंगा बनाते हैं।**

"प्रस्ताव 34 उन परिवारों को सज़ा देता है जिनको निंदित हत्यारों द्वारा की गई भीषण मौतों का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि कैलिफोर्निया का **हर प्रमुख कानून प्रवर्तन संगठन प्रस्ताव 34 का विरोध करता है।**"—Scott Seaman, अध्यक्ष, कैलिफोर्निया पुलिस चीफ्स एसोसिएशन।

दोषी हत्यारों को जीतने ना दें। Scott Peterson ने असंवेदनशील तरीके से अपनी पत्नी Laci और उनके अजन्मे बेटे की हत्या कर दी। उसको मौत की सजा मिली। LACI **निर्दोष थी। शिशु** CONNER **असहाय था।**

पीड़ितों सहित, उन 43 पुलिस अधिकारियों को याद करें जिनकी हत्या हमें बचाने के कारण हुई। एक सुरक्षित कैलिफोर्निया के लिए खड़े हों।

प्रस्ताव 34 पर **नहीं** में मतदान करें।

CARL V. ADAMS, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया जिला अटार्नी एसोसिएशन
KERMIT ALEXANDER
लॉस एंजिल्स गैंग मैंबर द्वारा फाँसी दिया गया परिवार
RON COTTINGHAM, अध्यक्ष
पीस ऑफिसर्स रिसर्च एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया

इस पृष्ठ पर छपे तर्क लेखकों की राय हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इनकी सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 34 मौत की सजा। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 34 के खिलाफ तर्क ★

कैलिफोर्निया टूट चुका है। मौत की सजा को खत्म करने से करदाताओं पर **अगले चार वर्षों में $100 मिलियन और भविष्य में कई लाख डॉलर** की अधिक लागत आएगी। न्याय के बजाय, हत्यारों को जीवनकाल के लिए आवास/स्वास्थ्य लाभ का मिलता है।

प्रस्ताव 34 पैसे की बचत के बारे में नहीं है। यह ACLU के सार्वजनिक सुरक्षा कानून को कमजोर करने के एजेंडे के बारे में है। वे आपके समझाने के लिए बेताब हैं कि न्याय से हत्यारों को बचाना उचित है। और, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वे यह दावा करते हैं कि यह पैसे बचाता है!

ACLU के प्रयास असमर्थनीय, पीड़ितों के प्रियजनों के लिए क्रूर, भ्रामक और मतदाताओं के लिए अपमानजनक और कैलिफोर्निया के लिए खतरनाक हैं।

प्रस्ताव 34 सीरियल हत्यारों, पुलिस के हत्यारों, बच्चों के हत्यारों, और बुजुर्गों के हत्यारों को न्याय से बचने देता है। समर्थकों को स्वीकार नहीं है कि जब कैलिफोर्निया की मौत की पहले सजा समाप्त कर दी गयी थी, तो मौत की सजा प्राप्त अपराधियों को बलात्कार और फिर से हत्या करने के लिए छोड़ दिया गया!

मतदाताओं को न्याय बहाल करने के लिए मौत की सज़ा को बहाल करना होगा।

यहाँ तथ्य हैं। मौत की सजा 2% से भी कम हत्यारों को मिलती है जिनके अपराध इतने चौंकाने वाले होते हैं कि कानून को मानने वाले नागरिकों के निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से सजा देते हैं।

Richard Allen Davis: 12 वर्षीय Polly Klaas का अपहरण किया, बलात्कार किया और हत्या कर दी।

Richard "रात का शिकारी" Ramirez: 14 लोगों का अपहरण किया, बलात्कार किया, अत्याचार किया और विकृत कर दिया और साथ ही 11 से अधिक लोगों को आतंकित किया जिसमें बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल थे।

गिरोह का सदस्य Ramon Sandoval: पुलिस पर घात लगाकर हमला किया और एके 47 से पुलिस अधिकारी Daryle Black (एक पूर्व अमेरिकी मरीन) और Rick Delfin को गोली मार दी, जिसमें Black की मृत्यु हो गयी और Delfin को सिर में गोली लगी और साथ ही एक गर्भवती महिला घायल हुई।

सीरियल किलर Robert Rhoades ने, जो बच्चों का बलात्कारी है, 8 वर्षीय Michael Lyons का अपहरण किया। Rhoades ने Michael के साथ 10 घंटे तक बलात्कार किया और अत्याचार किया, और उसके शरीर को नदी में फेंकने से पहले व उसके गले को काटने से पहसे उसे 70 बार छुरे से भोंका।

Alexander Hamilton: पुलिस अधिकारी Larry Lasater (एक समुद्री युद्ध के दिग्गज) को फाँसी दे दी। Lasater की पत्नी उस समय सात महीने की गर्भवती थी।

भयानक हत्या के शिकार में शामिल हैं:

225 बच्चे

43 पुलिस अधिकारी

235 के साथ बलात्कार/हत्या

90 के साथ अत्याचार/हत्या

ACLU समस्या है: यह दावा करता है कि मृत्यु दंड गलत है और महंगा है। क्या पाखंड है! यह ACLU और समर्थक ही हैं जिन्होंने अंतहीन देरी के साथ कानून के उचित कार्यान्वयन को बाधित किया है। ओहियो और एरिजोना सहित अन्य राज्य अपराधियों को पूर्ण अधिकार देते हैं और निष्पक्ष रूप से मृत्यु दंड को लागू करते हैं। कैलिफोर्निया भी कर सकता है।

राजनीति कर रहे हैं: प्रस्ताव 34 का विपणन करते हुए, समर्थक अखबार के लेखों और ACLU या मृत्यु दंड के विरोधियों द्वारा लिखित "अध्ययनों" के आधार पर लागत का दावा करते हैं।

सुधारात्मक विभाग के आँकड़े सलाह देते हैं कि मौत की सज़ा को खत्म करने से सिर्फ आवास/स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक लागत में दसियों मिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। करदाताओं को उस प्रत्येक सजायाफ्ता हत्यारे की देखभाल के लिए कम से कम सालाना $50,000 खर्च करने होंगे जो मासूम बच्चों, पुलिस, माताओं और पिता की हत्या करने से पहले दो बार भी नहीं सोचते।

क्या आपको लगता है कि खतरनाक हत्यारों को आजीवन आवास और स्वास्थ्य लाभ देना पैसा बचाता है? बिल्कुल नहीं!

यही वह रहस्य है जो प्रस्ताव 34 के समर्थक नहीं चाहते कि आपको पता चले। यह पैसे के बारे में नहीं है. . . यह उनके राजनीतिक एजेंडा के बारे में है।

अभियोजन पक्ष, पुलिस, अपराध के शिकार लोग और कैलिफोर्निया भर के समुदाय नेता आपसे प्रस्ताव 34 के लिए **नहीं** में मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। ACLU को रोकें। मृत्यु दंड की रक्षा करें। कैलिफोर्निया को बचाएं।

Waitingforjustice.net पर जाएँ। कृपया हमारे साथ शामिल हों। प्रस्ताव 34 पर **नहीं** में मतदान करें।

HON. PETE WILSON
कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर

MARC KLAAS
हत्या की शिकार 12 वर्षीय Polly Klaas के पिता

KEITH ROYAL, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया स्टेट शेरिफ्स एसोसिएशन

★ प्रस्ताव 34 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

हम प्रस्ताव 34 के साथ **कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को फाँसी नहीं देंगे।**

कैलिफोर्निया में मृत्यु दंड काफी महंगा है और मरम्मत के परे टूटा हुया है।

तथ्यों की जांच करें:

- इस मतदाता गाइड में निष्पक्ष लागत विश्लेषण का कहना है कि प्रस्ताव 34 हर साल **लाखों डॉलर बचाता है।** अपने आप पढ़ें।
- कानून प्रवर्तन के नेताओं और अभियोजन पक्ष ने पाया कि कैलिफोर्निया का मृत्यु दंड **टूटा हुया** है और पैरोल के बिना आजीवन कारावास की तुलना में हर साल **लाखों डॉलर** की अधिक लागत आती है। यहाँ पढ़ें: *http://ccfaj.org/rr-dp-official.html.*
- 34 महंगे विशेष आवास, वकीलों, और निजी प्रकोष्ठों को समाप्त करता है। हमें इन बर्बाद कर डॉलरों की जरूरत हमारे स्कूलों के लिए है।

"कोई मौका नहीं है कि कैलिफोर्निया के मृत्यु दंड को कभी भी सही किया जा सकता है। इस टूटे हुए सिस्टम पर लाखों बर्बाद करने से बेहतर होगा कि हम शिक्षकों को नियोजित करने, पुलिस और अग्निशमन-कर्मियों को रखने में खर्च करें।"
—न्यायाधीश Carlos Moreno, कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट (सेवानिवृत्त)

34 **हत्यारों को पकड़ने और सज़ा दिलाने** में मदद करता है। यह:

- जघन्य हत्यारों को **कभी बाहर ना आने की उम्मीद** के साथ **जेल में तब तक रखता है जब तक वे मर ना जाए।**
- उन से **काम कराता** है और अदालत के आदेश अनुसार पीड़ितों के पुनरागमन के लिए **भुगतान कराता** है।
- सैकड़ों-लाखों डॉलर बचाता है और बलात्कार और हत्या का समाधान करने के कानून लागू करने के लिए $100 करोड़ का निर्देशन करता है। 46% हत्याऐं और 56% बलात्कार **अनसुलझे** रह जाते हैं, जबकि हम पहले से ही सलाखों के पीछे एक मुट्ठी अपराधियों पर **लाखों बर्बाद कर देते** हैं।

हर व्यक्ति जिसे उचित रूप में **पैरोल की संभावना के बिना** 1977 के बाद से **आजीवन कारावास** की सजा सुनाई गई है, **या तो जेल में ही है या उसकी जेल में मृत्यु हो चुकी है।**

याद रखें, सबूतों से पता चलता है कि अमेरिका में **100 से भी अधिक *निर्दोष* लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है,** और कुछ को फाँसी भी हो चुकी है!

हम 34 के साथ **किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी फाँसी नहीं देंगे।**

वह न्याय है जो काम करता है।

34 पर **हाँ** में मतदान करें।

मेयर ANTONIO R. VILLARAIGOSA
लॉस एंजिल्स शहर

HON. JOHN VAN DE KAMP, अटार्नी जनरल
कैलिफोर्निया राज्य, 1983–19912

न्यायाधीश LaDORIS CORDELL (सेवानिवृत्त)
सांता क्लारा काउंटी सुपीरियर कोर्ट

प्रस्ताव
35 मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश **अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार**

मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

- मानव तस्करी के लिए 15 वर्ष से उम्र कैद और $1,500,000 तक के जुर्माने सहित, बढ़े हुए अपराधिक दंड।
- इक्ट्ठे किए गए जुर्माने को पीड़ितों के लिए सेवा और कानून प्रवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाए।
- तस्करी के लिए दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों से यौन अपराधियों के रूप में पंजीकृत करने की मांग करता है।
- यौन अपराधियों से इंटरनेट तक पहुँच और उनके द्वारा ऑनलाइन इस्तेमाल की गई पहचानों के बारे में जानकारी देने की मांग करता है।
- अदालत की कार्यवाहियों में पीड़ित द्वारा यौन व्यवहार में शामिल होने के सबूत को पीड़ित के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने से रोकता है।
- पुलिस अधिकारियों के लिए मानव तस्करी प्रशिक्षण की मांग करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- मानव तस्करी के अपराधियों के अभियोजन और कैद से संबंधित अपराधिक न्याय गतिविधियों के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए बढ़े हुए खर्चे, जिनके वार्षिक तौर पर कुछ मिलियन डॉलर से बढ़ने की संभावना नहीं है।
- मानव तस्करी से संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए नई अनिवार्य प्रशिक्षण आवश्यकताओं के कारण, राज्यव्यापी आधार पर कुछ मिलियन डॉलर के संभावित एक बार होने वाले स्थानीय सरकार के खर्चे, और प्रत्येक वर्ष होने वाले कम राशि के अतिरिक्त खर्चे।
- नए आपराधिक जुर्मानों से संभावित अतिरिक्त राजस्व, जिसके वार्षिक तौर पर कुछ मिलियन तक होने की संभावना है, जिससे मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं के लिए और मानव तस्करी से संबंधित कानून प्रवर्तन गतिविधियों के लिए धन मिलेगा।

35

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

संघीय कानून। संघीय कानून में मानव तस्करी पर रोक लगाने के विभिन्न प्रावधान निहित हैं। संघीय तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम आमतौर पर मानव तस्करी के दो प्रकार परिभाषित करता है:

- ***यौन तस्करी***—जिसमें लोगों को भर्ती किया जाता है, भेजा जाता है या बल या धोखाधड़ी से प्रेरित होकर व्यावसायिक यौनाचार के लिए प्राप्त किया जाता है या जो पीड़ित यह कार्य कर रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम है। यौन तस्करी का एक उदाहरण एक व्यक्ति को मजबूरन वेश्यावृत्ति में ढकेलना है।
- ***श्रम तस्करी***—जिसमें लोगों को भर्ती किया जाता है, भेजा जाता है या बल या धोखाधड़ी से प्रेरित होकर श्रम या अन्य सेवाऐं प्राप्त की जाती है। इस का एक उदाहरण किसी विदेशी नागरिक को निर्वासन की धमकी दे कर मजबूरन मुफ्त में काम कराना है।

ये कानून संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू कराये जाते हैं, जो या तो स्वतंत्र रूप से या राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिल कर कार्य करती हैं।

राज्य कानून। मौजूदा राज्य कानून में मानव तस्करी के खिलाफ इसी तरह के आपराधिक प्रतिबंध शामिल हैं। विशेष रूप से, राज्य कानून मानव तस्करी को एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले के रूप में परिभाषित करता है जिसका मंतव्य या तो (1) कुछ बड़े अपराध (जैसे वेश्यावृत्ति) करना है या (2) बेगार या जबरदस्ती सेवाऐं प्राप्त करना है। मानव तस्करी राज्य कानून के तहत पांच साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय है, या यदि पीड़ित की उम्र 18 साल से कम हो तो आठ साल के लिए राज्य जेल की सजा के साथ। जिन अपराधियों को मानव तस्करी का दोषी पाया गया हो जिसके परिणामस्वरुप पीड़ित को गहरी शारीरिक चोटें आई हों, उन्हें अतिरिक्त शर्तों के साथ छह साल के लिए दंडित किया जा सकता है। हाल के वर्षों में, मानव तस्करी के अपराधों के लिए कुछ ही लोगों को सालाना तौर पर राज्य जेल में भेजा गया है। मार्च 2012 तक, राज्ट की जेलों में ऐसे 18 अपराधी थे।

मौजूदा राज्य कानून के तहत, ज्यादातर अपराधी जिन्हें किसी यौन अपराध का दोषी ठहराया गया है (मानव तस्करी से जुड़े कुछ अपराधों सहित), उनके लिए अपने स्थानीय पुलिस या शेरिफ विभागों के साथ यौन अपराधियों के रूप में रजिस्टर करना आवश्यक है।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

प्रस्ताव

यह उपाय मानव तस्करी से संबंधित राज्य के कानून में कई परिवर्तन करता है। विशेष रूप से, यह (1) मानव तस्करी की परिभाषा का विस्तार करता है, (2) मानव तस्करी के अपराधों के लिए सजा बढ़ाता है, (3) मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की सेवा-निधि के लिए नए जुर्माने लगाता है, (4) इस प्रक्रिया में बदलाव लाता है कि मानव तस्करी के पीड़ित लोगों के खिलाफ सबूतों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और (5) मानव तस्करी के मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण की आवश्यकता व्यक्त करता है। यह उपाय यौन अपराधी के रुप में रजिस्टर करने वालों पर अतिरिक्त आवश्यकताऐं भी लगाता है।

मानव तस्करी की विस्तारित परिभाषा। यह उपाय राज्य कानून के तहत मानव तस्करी की परिभाषा में बदलाव करता है। विशेष रूप से, यह उपाय उस अश्लील सामग्री के निर्माण और वितरण, जिससे नाबालिगों का चित्रण मानव तस्करी के रूप में होता है, से संबंधित अपराधों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, अपराधी का दर्शाये गए नाबालिग के साथ कोई संपर्क न होते हुए भी अश्लील सामग्री की नकल करना या बेचना मानव तस्करी माना जाएगा। इसके अलावा, नाबालिगों को शामिल करने वाले सेक्स के अवैध व्यापार से जुड़े मामलों के संबंध में अभियोजन पक्ष को यह दिखाने की जरुरत नहीं है कि बल या बलात्कार हुआ था। (इससे राज्य कानून संघीय कानून के समान हो जाएगा।)

मानव तस्करी के लिए और गंभीर आपराधिक दंड। यह उपाय मानव तस्करी के लिए राज्य कानून के तहत वर्तमान आपराधिक दंड को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यह उपाय श्रम तस्करी अपराधों के लिए जेल की सजा को 12 साल की अधिकतम अवधि तक बढ़ा देता है, और वयस्कों की यौन तस्करी के लिए प्रति अपराध 20 साल तक के लिए। बल या धोखाधड़ी को शामिल करते हुए नाबालिगों की यौन तस्करी आजीवन कारावास से दंडित होगी। चित्र 1 उपाय द्वारा प्रत्येक जेल की सजा में अधिकतम बढ़ोत्तरी, सजा संवर्द्धन, और आपराधिक जुर्माने को सूचीबद्ध करता है।

इसके अलावा, उपाय निर्दिष्ट करता है कि मानव तस्करी के लिए सजायाफ्ता अपराधी, जो पहले से ही मानव तस्करी के मामले में अपराधी घोषित हैं, उन्हें पूर्व की प्रत्येक अपराध घोषणा के अतिरिक्त पांच साल की कैद प्राप्त होगी। इस उपाय के तहत, मानव तस्करी के मामले में सजायाफ्ता अपराधी को, जिनके कारण पीड़ित गहन शारीरिक चोट का पीड़ित होते हैं, दस साल की अतिरिक्त अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। यह उपाय आपराधिक अदालतों को मानव तस्करी के अपराधों के लिए $1.5 मिलियन का जुर्माना लगाने की अनुमति भी देता है।

35

चित्र 1

उपाय मानव तस्करी के लिए अधिकतम आपराधिक दंड को बढ़ाता है

	वर्तमान कानून	प्रस्ताव 35
कारावास दंड[a]		
श्रम तस्करी	5 वर्ष	12 वर्ष
बलपूर्वक वयस्क यौन तस्करी	5 वर्ष	20 वर्ष
बल के बिना नाबालिग का यौन व्यापार	कोई नहीं[b]	12 वर्ष
नाबालिग के साथ बलपूर्वक यौन तस्करी	8 वर्ष	आजीवन
सजा में बढ़ोतरी[a]		
गहन शारीरिक चोट	6 वर्ष	10 वर्ष
पूर्व मानव तस्करी का अपराध	कोई नहीं	पूर्व अपराध घोषणा के लिए 5 साल
जुर्माने	नाबालिग की यौन तस्करी के लिए $100,000 तक	सभी मानव तस्करी अपराधों के लिए $1.5 मिलियन तक

[a] वास्तविक दंड में वर्षों की श्रृँखला शामिल है।

[b] इस उपाय के तहत बिना बल के नाबालिगों की यौन तस्करी के रूप में मानी गई गतिविधियाँ वर्तमान कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं परंतु उनको मानव तस्करी के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। इन अपराधों के लिए दंडों में परिवर्तन हो सकता है।

प्रस्ताव 35 के पाठ के लिए, पृष्ठ 100 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए कार्यक्रम। उपाय की आवश्यकता है कि उपर्युक्त जुर्माने से एकत्र की गई धनराशि मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं का समर्थन करे। विशेष रूप से, धन का 70 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक एजेंसियों को और गैर-मुनाफा संगठनों को आवंटित किया जाएगा, जो पीड़ितों के लिए इस तरह की प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। उपाय की आवश्यकता है कि शेष 30 प्रतिशत को उस अधिकार क्षेत्र में कानून प्रवर्तन और अभियोजन पक्ष एजेंसियों को प्रदान किया जाए जहां आरोप दर्ज किए गए थे और मानव तस्करी की रोकथाम, गवाह संरक्षण, और बचाव कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए।एकत्र और जमा किए गए जुर्माने का तीस प्रतिशत मानव तस्करी की रोकथाम, गवाहों की सुरक्षा और बचाव कार्य को धन देने के लिए उस अधिकार क्षेत्र के कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों को दिया जाएगा जहाँ आरोप लगाए गए थे।

अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने वाले परिवर्तन। उपाय आपराधिक मानव तस्करी के आरोप से जुड़े मामलों की सुनवाई को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से, यह उपाय उस व्यक्ति पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी व्यक्ति के आपराधिक यौन आचरण (जैसे कि वेश्यावृत्ति) में लिप्त होने के सबूत पर प्रतिबंध लगाता है जो व्यक्ति के मानव तस्करी के पीड़ित होने का परिणाम था। यह उपाय अदालत में पीड़ित की विश्वसनीयता या चरित्र पर हमला करने के प्रयोजनों के लिए मानव तस्करी के पीड़ित द्वारा यौन आचरण के साक्ष्य को भी अग्राह्य बनाता है। इसके अलावा, यह उपाय नाबालिगों से जुड़े मानव तस्करी के कई मामलों की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए, एक प्रतिवादी अपनी रक्षा में नाबालिग की उम्र के बारे में पता न होने का दावा नहीं कर सकता।

कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण। इस उपाय की आवश्यकता है कि पुलिस और शेरिफ विभाग और कैलिफोर्निया राजमार्ग गश्ती (CHP) द्वारा नियोजित सभी शांति पुलिस अधिकारियों को, जो क्षेत्रीय या जांच का काम करते हैं, कम से कम दो घंटे के प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता है कि मानव अवैध व्यापार की शिकायतों को कैसे संभाला जाए। यह प्रशिक्षण 1 जुलाई 2014 तक या क्षेत्रीय या जांच का काम सौंपे गए अधिकारी के छह महीने के भीतर पूरा करना होगा।

यौन अपराधी पंजीकरण के लिए विस्तारित आवश्यकताएँ। यह उपाय पंजीकृत यौन अपराधियों द्वारा अपने इंटरनेट प्रदाताओं और पहचानकर्ताओं के नाम स्थानीय पुलिस या शेरिफ विभागों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता की माँग करता है। इन पहचानकर्ताओं में ई-मेल पते, उपयोगकर्ता नाम, स्क्रीन नाम, या इंटरनेट संचार एवं गतिविधि के लिए अन्य व्यक्तिगत पहचानकर्ता शामिल हैं। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति अपने इंटरनेट खाते में परिवर्तन करता है या किसी इंटरनेट पहचानकर्ता को बदलता या जोड़ता है, तो व्यक्ति को इस तरह के परिवर्तन की सूचना 24 घंटे के भीतर कानून प्रवर्तन को देनी होगी।

वित्तीय प्रभाव

वर्तमान में, मानव तस्करी के मामलों पर कैलिफोर्निया राज्य के कानून के बजाय अक्सर संघीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जबकि कैलिफोर्निया की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ मामले की जांच में शामिल रहती हैं। ऐसा आँशिक रूप से इसलिये है क्योंकि इन अपराधों में अक्सर कई प्रकार के न्यायालय शामिल होते हैं और ऐसे मामलों में संघीय सरकार की ऐतिहासिक प्रमुख भूमिका के कारण भी। यह अज्ञात है कि इस उपाय में प्रस्तावित मानव तस्करी और अन्य परिवर्तनों की विस्तारित परिभाषा से राज्य में मानव तस्करी गिरफ्तारी और अपराधी घोषणा की संख्या में वृद्धि होगी या ऐसे अधिकांश मामले मुख्य रूप से संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित किये जाते रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप, इस उपाय के नीचे चर्चित राज्य और स्थानीय सरकारों पर वित्तीय प्रभाव कुछ अनिश्चितता के अधीन हैं।

बढ़ाए गए दंडों से राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय लागत में मामूली वृद्धि। इस उपाय के कारण मानव तस्करी के लिए आपराधिक दंड में वृद्धि के परिणामस्वरुप राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय की लागत में अतिरिक्त वृद्धि होगी। विशेष रूप से, उपाय में बढ़ायी गई जेल की सजा अपराधियों द्वारा राज्य की जेल में बिताए गए समय की लंबाई में वृद्धि करेगी। यह संभव है कि इस उपाय के प्रावधानों के कारण स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए धन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बढ़ाने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त मानव तस्करी गिरफ्तारी, अभियोजन, और अपराध घोषणा हो सकते हैं। यह राज्य और स्थानीय आपराधिक न्याय की लागत में भी वृद्धि कर सकता है। कुल मिलाकर, नई लागत **सालाना कुछ मिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना नहीं है।**

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

स्थानीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण की लागत में संभावित वृद्धि। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस उपाय की आवश्यकता है कि राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मानव तस्करी पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो। चूंकि CHP अधिकारियों को पहले से ही इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई अतिरिक्त राज्य लागत नहीं लगेगी। स्थानीय एजेंसियों पर इस आवश्यकता का वित्तीय प्रभाव किस हद तक होगा, यह स्थानीय अधिकारी वर्तमान में किस सीमा तक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ उपाय की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को किस प्रकार संतुष्ट करती हैं, इस पर निर्भर करेगा। काउंटियाँ और शहर सामूहिक रूप से मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए और उन अधिकारियों को बैकअप कर्मचारी प्रदान करने के लिए, जो प्रशिक्षण में है, **कुछ मिलियन डॉलर तक की लागत उठा सकते हैं,** जिससे प्रत्येक वर्ष नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की लागत कम होती जाएगी।

जारी

पीड़ितों की सेवाओं के लिए जुर्माने के राजस्व में वृद्धि। इस उपाय के द्वारा स्थापित नए आपराधिक जुर्मानों से कुछ अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसके कुछ सालाना मिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना नहीं है। वास्तविक राजस्व मानव तस्करी में पाये गए दोषी व्यक्तियों की संख्या पर, अदालतों द्वारा लगाये गए जुर्माने के स्तर पर और सजायाफ्ता अपराधियों द्वारा वास्तविक तौर पर किए गए भुगतान की राशि पर निर्भर करेगा। यह राजस्व मुख्य रूप से मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की सेवाओं के लिए समर्पित किया जाएगा, लेकिन यह मानव तस्करी की रोकथाम, गवाहों की सुरक्षा, और बचाव कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रस्ताव 35 के पाठ के लिए, पृष्ठ 100 देखें।

प्रस्ताव 35 मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 35 के पक्ष में तर्क ★

मानव तस्करी बंद करें—35 पर **हाँ।**

कैलिफोर्निया में, कमजोर महिलाओं और बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ मानव तस्करी करने वालों द्वारा अपने वित्तीय लाभ के लिए जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। कई पीड़ित तो 12 साल की छोटी लड़कियाँ हैं।

मानव तस्करी विश्व में एक सबसे तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्यमों में से एक है, और यह यहीं कैलिफोर्निया की गलियों में और ऑनलाइन हो रहा है, जहां जवान लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है।

हाल ही में एक राष्ट्रीय अध्ययन में कैलिफोर्निया को बाल यौन तस्करी के साथ निपटने वाले कानून के कारण "एफ" ग्रेड दिया गया।

यही कारण है कि हमें प्रस्ताव 35 की जरूरत है।

35 पर हाँ:

- इन अपराधियों को जवाबदेह बनाने के लिए मानव तस्करों के लिए जेल की मियाद में बढ़ोत्तरी होगी।
- भविष्य में अपराधों को रोकने के लिए, सजा प्राप्त मानव तस्करों को एक यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी।
- सभी पंजीकृत यौन अपराधियों को अपने इंटरनेट खातों का खुलासा करने की आवश्यकता होगी, ताकि बच्चों के ऑनलाइन शोषण को रोका जा सके।
- दोषी पाए गए मानव तस्करों से बढ़ा हुआ जुर्माना और इन निधियों का उपयोग पीड़ितों की सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए ताकि बचे हुए लोग अपने जीवन में सुधार कर सकें।

प्रस्ताव 35 बच्चों को यौन शोषण से बचाता है।

यौन अवैध व्यापार के कई शिकार कमजोर बच्चे होते हैं। वे अपने जीवन में भयभीत होते हैं और दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं—यौन, शारीरिक, और मानसिक रूप से। एफबीआई कैलिफोर्निया में तीन शहरों—लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, और सैन डिएगो—की पहचान एक उच्च तीव्रता वाले बाल यौन अवैध व्यापार क्षेत्रों के रूप में करती है। यही कारण है कि हमें प्रस्ताव 35 की बच्चों की शोषण से रक्षा करने के लिए जरूरत है।

प्रस्ताव 35 मानव तस्करों को उनके जघन्य अपराधों के लिए उनको जवाबदेह ठहराता है।

"यौन तस्कर हमारे समाज में सबसे कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। वे अमीर होते जाते हैं और अपने शिकारों को दूर फेंकते जाते हैं। प्रस्ताव 35 इन अपराधियों को जवाबदेह बनाता है। प्रस्ताव 35 को पारित करके, कैलिफोर्निया के निवासी एक बयान देते हैं कि हम अपने बच्चों के यौन शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इन जघन्य अपराधों के पीड़ितों के साथ खड़े हैं।"

—Leah Albright-Byrd, अल्मिडा काउंटी जिला अटार्नी और राष्ट्रीय पीड़ितों के अधिकारों की वकील

प्रस्ताव 35 बच्चों के ऑनलाइन से शुरू होने वाले शोषण को रोकने में मदद करता है।

इंटरनेट तस्करों को कमजोर बच्चों तक पहुँच उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव 35 की आवश्यकता है कि सजा प्राप्त यौन अपराधी अधिकारियों को अपनी इंटरनेट उपस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करें जिससे हमारे बच्चों की रक्षा करने और मानव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी।

कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा कानून प्रवर्तन समूह 35 पर हाँ करने का आग्रह करता है।

"मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सामने वाले लोगों की तरह, हम 35 पर दृढ़ता से हाँ कहते हैं ताकि हम यौन तस्करों पर मुकदमा चला सकें और यौन शोषण के शिकार लोगों की रक्षा कर सकें।"

—Ron Cottingham, अध्यक्ष, पीस ऑफिसर्स रिसर्च एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया, जो 64,000 सार्वजनिक सुरक्षा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है

अपराध पीड़ित और उनके अधिवक्ता 35 पर हाँ का आग्रह करते हैं।

"प्रस्ताव 35 बच्चों की उन मानव तस्करों से रक्षा करेगा जो उनकी गलियों और ऑनलाइन बिक्री से लाभ कमाते हैं।"

—Marc Klaas, अपराध पीड़ितों के वकील और Polly Klaas के पिता जिसका 1993 में अपहरण किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया था

"14 साल की उम्र में, मैं एक परेशान घर से भाग गयी और एक मानव तस्कर के चंगुल में फंस गयी। सालों तक मेरी तस्करी चलती रही और शोषण चलता रहा जबकि मैं अभी भी सिर्फ एक बच्ची थी। तस्करी के एक उत्तरजीवी के रूप में, मैं कैलिफोर्नियावासियों से यौन शोषण के खिलाफ खड़ा होने और 35 पर हाँ का मतदान करने के लिए कहती हूँ।"

—Leah Albright-Byrd मानव तस्करी की उत्तरजीवी

बच्चों की यौन शोषण से रक्षा करें। मानव तस्करों को रोकें।

35 पर हाँ। *VoteYeson35.com*

LEAH ALBRIGHT-BYRD
मानव तस्करी की उत्तरजीवी

MARC KLAAS, अध्यक्ष
क्लासकिड्स फाउंडेशन

SCOTT R. SEAMAN, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया पुलिस चीफ्स एसोसिएशन

★ प्रस्ताव 35 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

यह उपाय, जो कथित तौर पर मानव तस्करी के उद्देश्य से है, वास्तव में कई निर्दोष लोगों को धमकाता है:

यदि प्रस्ताव 35 पारित हो जाता है, तो वयस्कों के बीच सामान्य, आम सहमति से वेश्यावृत्ति से वित्तीय समर्थन प्राप्त करने वाले किसी पर भी—सेक्स कार्यकर्ता के बच्चे, माता-पिता, पति या पत्नी, घरेलू साथी, सहकक्षी, मकान मालिक, या अन्य सहित—मानव तस्कर के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है, और यदि दोषी पाया गया तो जीवन भर के लिए एक यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है!

"मेरे बेटे को, जिसने अमेरिकी सेना में हमारे देश की सेवा की है और अब कॉलेज में जाता है, एक मानव तस्कर के रूप में लेबल किया सकता है और उसे एक यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराना होगा अगर मैं कामुक सेवाएं प्रदान कर कमाने वाले पैसे से उसको समर्थन दूँ।"—Maxine Doogan

वास्तविक मानव तस्करी को रोकने के लिए सेक्स वर्कर समुदायों के साथ करने के बजाय दूर तक वामपंथी यौन विरोधी नारीवादी और दूर तक दक्षिणपंथी धार्मिक कट्टरपंथी जो प्रस्ताव 35 का समर्थन करते हैं, आशा करते हैं कि जो मतदाता "मानव तस्करी" के बारे में सुनते हैं, उनको आम सहमति से वयस्क वेश्यावृत्ति के साथ जुड़े लोगों का अपराधीकरण करके "दुनिया के सबसे पुराने पेशे" के खिलाफ अपने व्यर्थ धर्मयुद्ध का समर्थन करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। समर्थकों का यह तर्क कि कैलिफोर्निया मानव तस्करी के लिए एक उच्च तीव्रता वाला क्षेत्र है, संदेहास्पद रूप से उतना ही खारिज करने योग्य है जितने कहीं और दावे किए गए हैं: *http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html*

प्रस्ताव 35 हमारे राज्य के लिए एक नया अवित्तपोषित दायित्व तैयार करेगा, वह भी तब जब कैलिफोर्निया की सरकार वित्तीय संकट में है और कई शहरों ने पहले से ही दिवालिएपन के लिए दायर किया हुआ है। एक अमीर अधिकारी ने प्रस्ताव 35 के अभियान योगदान का 90% से भी अधिक उपलब्ध कराया —*http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html*—लेकिन लागू करने के लिए यह पैसे उसकी निधि में नहीं होंगे। बिल को मानव तस्करों द्वारा नजरअंदाज करना एक इच्छाधारी सोच है—जब्ती ने "ड्रग्स पर युद्ध" से कोई लाभ उपलब्ध नहीं कराया है, और यह "वेश्यावृत्ति पर युद्ध" से भी कभी कोई लाभ उपलब्ध नहीं कराएगा।

प्रस्ताव 35 पर **नहीं** में मतदान करें!

MANUAL JIMENEZ, CFO
कामुक सेवा प्रदाता कानूनी,
शिक्षा और अनुसंधान परियोजना, इंक.

NORMA JEAN ALMODOVAR
STARCHILD

इस पृष्ठ पर छपे तर्क लेखकों की राय हैं और किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इनकी सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 35 मानव तस्करी। दंड। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 35 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 35 अपने वादे से पीछे हटता है, और मतदाताओं को इसे ड्राइंग बोर्ड पर वापस भेज देना चाहिए।

अपराधीकरण संरक्षण नहीं लाता है।

यदि पारित हो जाता है, तो कैलिफोर्निया प्रस्ताव 35 के समर्थकों के लिए एक और खाली चेक लिख देगा। यह अदूरदर्शी मतदान उपाय दलाली की एक व्यापक परिभाषा पर निर्भर करता है। इसमें शामिल हैं: वेश्याओं के माता-पिता, बच्चे, सहकक्षी, घरेलू भागीदार, और जमींदार, जिनको यौन अपराधियों के रूप में चिह्नित किया जाएगा। वास्तविक लक्ष्य है परिसंपत्ति जब्ती तक पहुँच प्राप्त करना ताकि कानून को लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों और गैर-लाभों को लाभ हो सके। प्रस्ताव 35 में निरीक्षण या जवाबदेही नहीं है। यह भ्रष्ट प्रथाओं के लिए दरवाजा खोल देगा जिसको हमने पहले दवा प्रवर्तन के मामले में देखा है। *http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence*

यदि पारित हो जाता है, तो प्रस्ताव 35 का राज्य के बजट में एक हानिकारक प्रभाव होगा। यह क़ानून उन संसाधनों पर निर्भर करता है जो उन वयस्कों का अपराधीकरण करते हैं जो वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों के बचाव की आड़ में अंधाधुंध गिरफ्तार किए जाते हैं। *http://www.sfgate.com/default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-prostitute-pimp-suspects-3661229.php*

अनुसंधान से पता चलता है कि वेश्यावृत्ति के लिए गिरफ्तार ज्यादातर किशोरों के पास दलाल नहीं हैं, इसलिए यह विचार कि यह क़ानून खुद के लिए भुगतान करेगा, सबूत द्वारा समर्थित नहीं है। खोए हुए लड़के: नई शोध स्टीरियोटाइप *http://www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news/commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-underage-prostitution-sex-trafficking-minors/*

प्रस्ताव 35 विफल नीतियों पर निर्भर है जो अपराधीकरण का उपयोग "बचाव" का नाम देते हुए कम आयु के बच्चों की गिरफ्तारी के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है।

संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समूह के सदस्य, Cheryl Overs, बाल वाणिज्यिक यौन शोषण से निपटना पर *http://www.plri.org/story/tackling-child-commercial-sexual-exploitation* इन विफल नीतियों को और आगे न बढ़ाएं। *http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/*

यदि पारित हो जाता है, तो राज्य को संभावित रूप से इस क़ानून की रक्षा करना अदालत में आवश्यक हो जाएगा क्योंकि संभावना है कि इसको कई संदिग्ध और संभावित रूप से असंवैधानिक प्रावधानों के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: "मानव तस्करी" की संभवतः असंवैधानिक और अस्पष्ट परिभाषा, जिसमें "अश्लील सामग्री को वितरित करने का इरादा" शामिल है, संभवतः असंवैधानिक "क्रूर और असामान्य" दंड जिसमें अत्यधिक जेल नियम और जुर्माना शामिल हैं, संभवतः किसी प्रतिवादी को रक्षा मुकदमों में सबूत पेश करने के अधिकार का असंवैधानिक प्रतिबंध शामिल हैं।

इस अधिनियम से राज्य को अनिर्दिष्ट मात्रा में अतिरिक्त खर्च करना होगा: इससे पहले से ही अधिक बोझग्रस्त परिवीक्षा विभागों के काम का बोझ बढ़ जाएगा। Jaycee Dugard के मामले पर विचार करें और $20,000,000 पर भी जिसका कैलिफोर्निया को उसकी हिंसक यौन शिकारी के खिलाफ रक्षा न कर पाने के लिए भुगतान करना पड़ा। इस अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। *http://www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat*

गुमराह करने वाला यह प्रस्ताव तथ्यहीन भयभीत करने का उपयोग करता है ताकि मतदाताओं को भविष्य के जुर्माने शुल्क में उलझाया जा सके जिसमें राज्य के संसाधनों के मौजूदा सामाजिक सेवा हस्तक्षेप कार्यक्रमों से हस्ताँतरित होने का जोखिम है।

कानून लागू किया जा रहा है। *http://blog.sfgate.com/incontracosta/2012/06/25/concord-police-assist-with-multi-agency-operation-targeting-child-prostitution/*

प्रस्ताव 35 को अंतर्निहित करने वाली नीति को प्रभावित आबादी के बाहर बनाया गया है। समर्थकों को आपसी सहमति से काम करने वाले सेक्स वर्करों के लिए "सेवाओं को देने" के लिए भुगतान किए वाले वेतन के कारण आर्थिक लाभ होगा। सेक्स वर्कर आपराधिक कानून के माध्यम से काम से बाहर किए जाने के लिए मजबूर और समर्थकों से सेवाओं को प्राप्त करने के लिए मजबूर होना नहीं चाहते। सेक्स वर्करों आवाज उठाओं।

हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। वेश्यावृत्ति का अपराधीकरण वह दशा है जो शोषण को अनुमति देगी। इसके बजाय हमें उस मुद्दे को संबोधित करना होगा।

इन असफल नीतियों पर नहीं में मतदान करें।

प्रस्ताव 35 पर नहीं में मतदान करें।

MAXINE DOOGAN, अध्यक्ष
इरोटिक सर्विस प्रोवाइडर्स, लीगल,
एज्युकेशन अण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, इंक.
MANUAL JIMENEZ, मुख्य वित्तीय अधिकारी
इरोटिक सर्विस प्रोवाइडर्स, लीगल,
एज्युकेशन अण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, इंक.2

35

★ प्रस्ताव 35 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

"मैं उस समय केवल 10 साल की ही थी जब पहली बार मानव तस्कर द्वारा शोषण किया गया था। मेरा सालों तक शोषण किया जाता रहा, जबकि तस्कर को लाभ होता रहा। कृपया महिलाओं और बच्चों के लिए खड़े हो जाएं जिनकी गलियों में और ऑनलाइन तस्करी हो रही है। मानव तस्करी को रोकने के लिए 35 पर हाँ में मतदान करें।"
—Withelma Ortiz, मानव तस्करी उत्तरजीवी

35 पर **हाँ** से **मानव तस्करी** और महिलाओं व बच्चों की तस्करी और यौन शोषण **के खिलाफ लड़ाई होगी।**

एक ताजा अध्ययन में कैलिफोर्निया को बच्चों की मानव तस्करी के खिलाफ अपने कमजोर कानूनों के लिए "एफ" ग्रेड दिया गया है। एफबीआई ने सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, और सैन डिएगो क्षेत्रों को बाल यौन अवैध व्यापार के उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया है।

किसी लड़की की तस्करी किए जाने पर उसकी औसत उम्र 12 से 14 साल होती है। इन बच्चों को अपने होमवर्क के बारे में सोचना चाहिए, न कि इस बारे में कि कैसे एक और रात बिकने से बचा जाए।

प्रस्ताव 35 मानव तस्करी के खिलाफ दंड को बढ़ाकर, दोषी तस्करों को यौन अपराधियों के रूप में पंजीकृत कराकर, और सभी पंजीकृत यौन अपराधियों को अपनी इंटरनेट उपस्थिति के बारे में अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने को आवश्यक बनाकर ताकि ऑनलाइन मानव तस्करी पर रोक लगे, कैलिफोर्निया में बच्चों की रक्षा करेगा।

प्रस्ताव 35 मानव तस्करी के खिलाफ जुर्माना बढ़ाकर और इन निधियों को पीड़ितों की सेवाओं के लिए समर्पित करके पीड़ितों के जीवन को वापस पटरी पर लाने में मदद करता है।

प्रस्ताव 35 पर **हाँ** को एक **व्यापक गठबंधन द्वारा समर्थन प्राप्त है,** जिनमें शामिल हैं:

- बच्चों और पीड़ितों के वकील जैसे क्लासकिड्स फाउंडेशन और क्राइम विक्टिम यूनाइटेड
- कैलिफोर्निया कानून प्रवर्तन संगठन जो 80,000 से अधिक प्रवर्तन अधिकारियों के सभी दर्जों का प्रतिनिधित्व करता है
- मानव तस्करी के उत्तरजीवी

मानव तस्करी और **बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए** 35 **पर हाँ में मतदान करें।**

WITHELMA ORTIZ
मानव तस्करी उत्तरजीवी
CARISSA PHELPS
मानव तस्करी उत्तरजीवी
NANCY O'MALLEY
अल्मिडा काउंटी जिला अटार्नी

प्रस्ताव
36 तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़ा अपराध करने वाले अपराधी। दंड। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश | अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़ा अपराध करने वाले अपराधी। दंड। पहल अधनियिम।

- तीन हमलों के कानून को संशोधित करके केवल उस समय उम्र कैद देता है, जब नए बड़े अपराध की दोषसिद्धि गंभीर या हिंसक हो।
- उन अपराधियों के लिए फिर से सजा देने को अधिकृत करता है जो इस समय उम्र कैद की सजा काट रहे हैं यदि तीसरे हमले की दोषसिद्धि गंभीर या हिंसक नहीं थी और जज निर्धारित करता है कि सजा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अनुचित जोखिम नहीं है।
- उम्र कैद दी सजा देना जारी रखता है यदि तीसरे हमले की दोषसिद्धि कुछ विशेष गैर-गंभीर, गैर-हिंसक यौन या नशीले पदार्थों के अपराध के लिए थी या इसमें बंदूक रखना शामिल था।
- गैर-गंभीर, गैर-हिंसक तीसरे हमले के अपराधियों के लिए उम्र कैद की सजा बनाए रखता है यदि पिछली दोषसिद्धि बलात्कार, हत्या, या बच्चे के यौन शोषण के लिए थी।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- जारी रहने के आधार पर जेल और पेरोल कार्यवाहियों से संबंधित राज्य की वार्षिक $70 मिलियन की बचत, और आने वाले कुछ दशकों में—$90 मिलियन तक की—और भी अधिक बचत। राज्य की भविष्य कार्यवाहियों पर निर्भर करते हुए इन अनुमानों में कई मिलियन कम या ज़्यादा हो सकते हैं।
- कुछ विशेष अपराधियों को दोबारा सजा देने से संबंधित अदालत की कार्यवाहियों के लिए आने वाले कुछ वर्षों में राज्य और काउंटी के लिए एक बार होने वाले कुछ मिलियन डॉलरों के खर्चे।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

अपराधों की तीन श्रेणियां होती हैः बड़े अपराध, छोटे अपराध, और उल्लंघन। बड़ा अपराध अत्यंत गंभीर किस्म का अपराध होता है, और इसमें दोषी ठहराये गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों के तहत राज्य जेल की सजा हो सकती है। बड़े अपराधों में दोषी ठहराये गए ऐसे व्यक्तियों जिन्हें राज्य जेल की सजा नहीं हुई उन्हें काउंटी जेल भेजा जाता है, काउंटी परिवीक्षा विभाग द्वारा समुदाय में उनकी निगरानी की जाती है, अथवा दोनो होता है।

मौजूदा कानून कुछ बड़े अपराधों को "हिंसक" या "गंभीर," अथवा दोनों के रूप में वर्गीकृत करता है। इस समय बतौर हिंसक पारिभाषित बड़े अपराधों के उदाहरणों में हत्या, डकैती, और बलात्कार शामिल हैं। जबकि तकरीबन सभी हिंसक बड़े अपराध गंभीर भी माने जाते हैं, अन्य बड़े अपराध केवल गंभीर माने जाते हैं, जैसे डकैती की मंशा से हमला करना। ऐसे बड़े अपराधों जिन्हें हिंसक या गंभीर वर्गीकृत नहीं किया गया है, में बड़ी चोरी (जिसमें आग्नेयास्त्र शामिल नहीं हो) और किसी नियंत्रित वस्तु को रखना शामिल है।

मई 2012 में कैलिफोर्निया जेल व्यवस्था में 137,000 कैदी थे। 2012–13 में राज्य की जेल व्यवस्था के लिए बजट लगभग $9 बिलियन था।

तीन हमलों की सजा। प्रस्ताव 184 (आमूमन "तीन हमलों" के कानून के तौर पर संदर्भित किया जाता है) 1994 में मतदाताओं द्वारा अंगीकृत किया गया था। यह कुछ विशेष दोबारा अपराध करने वालों को लम्बी अवधि की जेल की सजा लगाता है। विशेष तौर पर, कानून यह व्यवस्था देता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो और जो पहले भी एक या अधिक हिंसक या गंभीर बड़े अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका हो उसे निम्नलिखित तरीके से राज्य जेल की सजा होगीः

- ***दूसरे हमले का अपराध।*** यदि किसी व्यक्ति को *पहले एक* गंभीर या हिंसक अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है, तो *किसी नये* बड़े अपराध (केवल गंभीर या हिंसक अपराध नहीं) की सजा की अवधि *दोगुनी* होती है अन्यथा कानून के तहत नयी दोषसिद्धि की जरूरत पड़ती है। अदालतों द्वारा इस प्रावधान के तहत सजा पाए अपराधियों को "सेकंड स्ट्राइकर्स" कहा जाता है। मार्च 2012 तक लगभग 33,000 कैदी सेकंड स्ट्राइकर्स थे।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

- ***तीसरे हमले का अपराध।*** यदि व्यक्ति को पहले *से ही दो या इससे अधिक* अपराध में दोषी ठहराया गया हो, तो *किसी तीसरे* अपराध (केवल गंभीर और हिंसक अपराध ही नहीं) की सजा उम्रकैद है जिसमे 25 साल के बाद ही पेरोल संभव है। इस प्रावधान के तहत दोषी ठहराये गए अपराधियों को "थर्ड स्ट्राइकर्स" कहा जाता है। मार्च 2012 तक लगभग 9,000 कैदी थर्ड स्ट्राइकर्स थे।

जब कानून को ऊपर वर्णित सजाओं की जरूरत होती है, कुछ मामलों में अदालत सजा सुनाने के दौरान पहले के बड़े अपराधों पर विचार नहीं करने का चुनाव कर सकती है। ऐसा होने पर, किसी अपराधी जिसे बतौर सेकंड या थर्ड स्ट्राइकर सजा हो सकती थी, को तीन हमलों के कानून के तहत जरूरी अवधि से कम की सजा होगी।

जेल रिहाई निर्धारण। मौजूदा कानून के तहत, ज्यादातर सेकंड स्ट्राइकर अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से स्वतः रिहा कर दिए जाते हैं। इसके विपरीत, थर्ड स्ट्राइकर्स केवल स्टेट बोर्ड आफ पेरोल हियरिंग्स (BPH) की मंजूरी से ही रिहा होते हैं। थर्ड स्ट्राइकर्स द्वारा उन्हें मिली सजा की न्यूनतम अवधि काट चुकने के बाद, एक BPH पैनल उनकी संभावित रिहाई पर विचार करने के लिए पेरोल विचार सुनवाई आयोजित करता है। उदाहरण के लिए, BPH 25 साल की उम्रकैद पाए किसी थर्ड स्ट्राइकर के लिए इस प्रकार की सुनवाई तब करेगा जब वह 25 साल जेल की सजा काट चुका हो। यदि BPH सुनवाई के समय थर्ड स्ट्राइकर को रिहा नहीं करने का फैसला करता है, तो बोर्ड भविष्य में उसके बाद की सुनवाई आयोजित करेगा। 1994 में तीन हमलों का कानून प्रभावी होने के बाद इस दशक के अंत तक पहले थर्ड स्ट्राइकर्स उनकी जेल से संभावित रिहाई के लिए सुनवाइयों के पात्र होंगे।

रिहाई बाद निगरानी। मौजूदा कानून के तहत सभी सेकंड और थर्ड स्ट्राइकर्स की जेल से रिहाई के बाद समुदाय में निगरानी जरूरी होती है। यदि कोई सेकंड स्ट्राइकर हाल ही किसी अगंभीर, अहिंसक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो समुदाय में उसकी निगरानी काउंटी परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अन्यथा, सेकंड स्ट्राइकर की समुदाय में निगरानी राज्य पेरोल एजेंट करते हैं। रिहाई के बाद सभी थर्ड स्ट्राइकर्स की निगरानी समुदाय में राज्य पेरोल एजेंटों द्वारा की जाती हैं। जब सेकंड अथवा थर्ड स्ट्राइकर्स अपनी सामुदायिक निगरानी की शर्तों का उल्लंघन करते हैं या कोई नया अपराध करते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार उन्हें काउंटी जेल अथवा राज्य जेल भेजा जाता है।

प्रस्ताव

यह उपाय तीन हमलों के कानून के तहत उन विशेष थर्ड स्ट्राइकर्स द्वारा काटी गई जेल की सजा को कम करता है जिनके मौजूदा अपराध अगंभीर और अहिंसक अपराध हैं। यह उपाय उन कुछ विशेष थर्ड स्ट्राइकर्स को पुनः सजा की अनुमति भी देता है जो विशिष्ट अगंभीर, अहिंसक बड़े अपराधों के लिए मौजूदा समय में उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं। इन दोनों बदलावों का वर्णन नीचे किया गया है।

कुछ थर्ड स्ट्राइकर्स के लिए छोटी सजाएं। इस उपाय के लिए आवश्यक है कि *पहले के दो या इससे अधिक* गंभीर या हिंसक अपराध में सजायाफ्ता और उसका *नया* अपराध अगंभीर, अहिंसक हो, उसे नये अपराध के लिए सामान्य अवधि से दोगुनी कैद की सजा हो बजाय मौजूदा तौर पर जरूरी न्यूनतम 25 साल से उम्रकैद की सजा के। उदाहरणस्वरूप, एक थर्ड स्ट्राइकर को जो एक ऐसे अपराध का दोषी हो जिसमें समान्यतया दो से चार साल की सजा होती है, उसे चार से आठ साल कैद की सजा होती है—जो अन्यथा लागू होने वाली अवधि की दोगुनी है—बजाय 25 साल से उम्रकैद के।

हालांकि छोटी सजाओं के कुछ अपवादों के लिए यह उपाय उपलब्ध कराया जाता है। विशेष तौर पर, यह उपाय तब जरूरी होता है यदि दोषी व्यक्ति ने कुछ विशेष नये या पुराने अपराध किए हों, जिनमें कुछ मादक पदार्थ,यौन, और बंदूक संबंधी बड़े अपराध शामिल हैं, वह अभी भी तीन हमलों के कानून के तहत उम्रकैद की सजा का पात्र हो।

कुछ मौजूदा थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा सुनाना। यह उपाय अदालतों द्वारा विशेष थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा सुनाने में लागू किये जाने की अनुमति देता है। यह उपाय उन थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा देने के लिए पात्रता को सीमित करता है जिनका वर्तमान अपराध अगंभीर, अहिंसक है और जिन्होंने विशेष मौजूदा और पहले के अपराधों, जैसेकि कुछ विशेष मादक द्रव्य, यौन,

प्रस्ताव 36 के पाठ के लिए, पृष्ठ 105 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

और बंदूक संबंधी बड़े अपराध को अंजाम नहीं दिया है। अदालतें इन दोबारा सजा संबंधी सुनवाइयों को संचालित करते हुए पहले इस बात का निर्धारण करेंगी कि क्या दोषियों का आपराधिक कृत्य इतिहास उन्हें दोबारा सजा सुनाने का पात्र बनाता है। अदालत के लिए पात्र दोषियों को दोबारा सजा सुनाना जरूरी होगा जबतक यह तय नहीं हो जाए कि दोषियों को दोबारा दंडित करना जन सुरक्षा के लिए अनुचित जोखिम भरा होगा। इस बात का निर्धारण करने में कि क्या किसी दोषी से इस प्रकार का खतरा है, अदालत ऐसे किसी भी साक्ष्य पर विचार कर सकती है जो प्रासंगिक हो, जैसेकि दोषी का आपराधिक इतिहास, जेल में उसका व्यवहार, और पुनर्सुधार कार्यक्रम में उसकी भागीदारी। यह उपाय दोबारा सजा प्राप्त दोषियों को उनके हाल फिलहाल के अपराध के लिए पहले दी गयी सजा के बजाय सामान्य अवधि से दोगुनी सजा देने के लिए जरूरी होता है। उन दोषियों, जिनके दोबारा सजा सुनाने के आग्रह को अदालतें अस्वीकार कर चुकी होती हैं, को मूल रूप से सुनाई गई उम्रकैद की सजा जारी रखनी होगी।

वित्तीय प्रभाव

राज्य की जेल संबंधी बचत। यह उपाय राज्य की जेल संबंधी प्रणाली पर कई वित्तीय प्रभाव डालेगा। सबसे महत्वपूर्ण, यह उपाय राज्य जेल के खर्चे दो तरीके से कम करेगा। पहला, तीन हमलों के कानून के तहत कम कैदी ही उम्रकैद की सजा के लिए जेल में रहेंगे क्योंकि इस उपाय के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के दंड केवल उन थर्ड स्ट्राइकर्स पर लागू होंगे जिनका मौजूदा अपराध गंभीर और हिंसक है। यह कुछ भावी बड़े अपराध के दोषियों की सजाएं कम कर देगा। इस उपाय के राज्य और स्थानीय सरकारों पर अनेकों वित्तीय प्रभाव होंगे। दूसरा, थर्ड स्ट्राइकर्स को दोबारा सजा दिये जाने के परिणामस्वरूप कई मौजूदा कैदी छोटी अवधि की जेल की सजा प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि अगले सत्र की शुरुआत में कैदियों की संख्या घट जाएगी।

यह उपाय राज्य का पेरोल खर्च भी घटाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस उपाय से प्रभावित दोषी जेल से रिहा होने के बाद—राज्य पेरोल की बजाय—सामान्यतया काउंटी परिवीक्षा विभाग की निगरानी में रहेंगे। ऐसा इसलिये है क्योंकि उनका मौजूदा अपराध गंभीर और अहिंसक होगा। इसके अतिरिक्त, थर्ड स्ट्राइकर की संख्या में कमी भविष्य में BPH द्वारा पेरोल विचार सुनवाइयों को कम कर देगी।

उपरोक्त बदलावों से राज्य की जेल संबंधी बचत लगभग $70 मिलियन सालाना होने की संभावना है जो अगले दो दशक में और ज्यादा बचत होने से बढ़कर—$90 मिलियन सालाना तक—हो जाएगी। हालांकि ये सालाना बचतें दसियों मिलयन डॉलर सालाना अधिक या कम हो सकती हैं जो कि कई कारकों पर निर्भर करता है। खासतौर पर, बचतों का वास्तविक स्तर अदालतों द्वारा दोबारा सजा सुनाये गए थर्ड स्ट्राइकर्स की संख्या और उस दर पर निर्भर करेगा जिसपर BPH ने भविष्य में मौजूदा कानून के तहत थर्ड स्ट्राइकर्स को रिहा किया होगा।

दोबारा सजा देने संबंधी खर्चे। इस उपाय के परिणामस्वरूप उन राज्य और काउंटियों पर एक बार का खर्च आएगा जो इस उपाय के दोबारा सजा देने के प्रावधानों से संबंधित हैं। इन प्रावधानों से अदालत में मामले बढ़ेंगे, जिससे जिला अधिवक्ताओं, लोक अभियोजकों, और काउंटी शेरिफ के उन विभागों पर अतिरिक्त खर्चे बढेंगे जो इन दोबारा सजा देने की कार्यवाहियों के वर्कलोड और कर्मचारियों का प्रबंधन करेंगे। इसके अलावा, काउंटियों को दोबारा सजा देने की कार्यवाहियों के दौरान जेल में बंद कैदियों का जेल खर्च उठाना पड़ेगा। दो साल बाद ये खर्च राज्यवार कुछ मिलियन डॉलर हो सकते हैं।

अन्य राजकोषीय प्रभाव। राज्य और काउंटियों के लिए अदालत, परिवीक्षा, और जेल संबंधी कुछ अतिरिक्त खर्चे होंगे। यह इसलिए क्योंकि इस उपाय के कारण जेल से रिहा होने वाले कुछ दोषियों की निगरानी राज्य पेरोल की बजाय परिवीक्षा विभागों द्वारा की जाएगी, और अगर वे अपनी निगरानी की शर्तों का उल्लंघन करते हैं या नया अपराध करते हैं तो अदालत की सुनवाई के बाद उन्हें जेल की सजा होगी। हमारा अनुमान है कि इस लंबी अवधि के खर्चे कुछ खास नहीं होंगे।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

यह उपाय अन्य राज्य और स्थानीय सरकार के राजकोषीय प्रभाव पर विभिन्न असर डाल सकता है। उदाहरणस्वरूप, सरकारें काफी हद तक अतिरिक्त खर्च उठाएंगी क्योंकि इस उपाय के कारण जेल से रिहा होने वाले अपराधियों को सरकारी सेवाओं की जरूरत होती है (जैसेकि निजी बीमा नहीं कराने वाले लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा) या उन्होंने अतिरिक्त अपराध को अंजाम दिया हो। राज्य और स्थानीय सरकार को एक हद तक अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी हो सकती है क्योंकि इस उपाय के कारण जेल से रिहा होने वाले अपराधी कार्यबल में शामिल हो जाते हैं। इन प्रभावों की महत्ता अज्ञात है।

प्रस्ताव 36 के पाठ के लिए, पृष्ठ 105 देखें।

प्रस्ताव 36 तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़ा अपराध करने वाले अपराधी। दंड। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 36 के पक्ष में तर्क ★

तीन हमलों का सुधार कानून, प्रस्ताव 36, को कानून प्रवर्तन नेताओं, नागरिक अधिकार संगठनों और करदाता वकीलों के एक विस्तृत द्विदलीय गठबंधन का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह:

- **दण्ड देकर अपराध पर लगाम लगाएगा**

मूल्यवान वित्तीय और कानून प्रवर्तन संसाधनों को कुछ अहिंसक अपराधों के लिए उम्रकैद देने के काम में अनुचित तरीके से नहीं लगाना चाहिए। प्रस्ताव 36 इस बात के लिए आश्वस्त करेगा कि बार-बार हिंसा करने वाले अपराधी दण्डित हों और उनकी जल्दी रिहाई नहीं हो।

- **कैलीफोर्निया का हर साल $100 मिलियन से अधिक बचाएगा**

करदाता हर साल $100 मिलियन से अधिक की बचत कर सकते हैं—इस धन का उपयोग स्कूलों को अनुदान देने, अपराध से निपटने और राज्य के घाटे को कम करने में किया जा सकता है। तीन हमलों का कानून उन खतरनाक पेशेवर अपराधियों को दण्डित करना जारी रखेगा जो गंभीर हिंसक अपराध करते हैं—उन्हें 25 साल के लिए सड़कों से बाहर रखेगा।

- **अपराधियों के लिए जेल में जगह बनाएगा**

प्रस्ताव 36 अहिंसक अपराधियों की भीड़ से भरी जेलों पर पड़ने वाले बोझ को रोकेगा, जिससे सड़कों पर मौजूद हिंसक अपराधियों को रखने की हमें जगह मिलेगी।

- **कानून प्रत्यर्पण समर्थन**

अभियोजक, जज और पुलिस अधिकारी प्रस्ताव 36 का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रस्ताव 36 इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जेलें खतरनाक अपराधियों को आजीवन कैद ख़ख सकें। प्रस्ताव 36 खतरनाक अपराधियों को सड़कों से बाहर रखेगा।

- **करदाता समर्थन**

प्रस्ताव 36 हर साल $100 मिलियन बचा सकता है। अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म के अध्यक्ष Grover Norquist कहते हैं, "तीन हमलों का सुधार कानून करदाताओं पर भारी पड़े बगैर अपराध पर भारी पड़ता है। यह हिंसक अपराध से लोगों की रक्षा करते हुए करदाताओं द्वारा मुश्किल तरीके से कमाये धन को अनावश्यक रूप से बर्बाद होने से बचाएगा।" कैलीफोर्निया राज्य के लेखा परीक्षक के अनुमान के अनुसार अगर कानून नहीं बदला तो करदाताओं को अहिंसक तीन हमलों के कैदियों को रखने और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल पर खर्चे के रूप में लाखों का भुगतान करना पड़ेगा। प्रस्ताव 36 करदाताओं का धन बचाएगा।

- **अपराध से कड़ाई और फुर्ती से निपटेगा**

आपराधिक न्याय विशेषज्ञों और कानून प्रत्यर्पण नेताओं ने प्रस्ताव 36 को सावधानीपूर्वक तैयार किया है जिससे सही मायने में खतरनाक अपराधियों को सुधार से कोई लाभ नहीं मिले। दोबारा अपराध करने वाले अपराधियों को गंभीर अथवा तीसरे हमले के अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा होगी। अहिंसक अपराध दोबारा करने वाले दोषियों को समान्य से दोगुनी सजा मिलेगी। ऐसे किसी भी प्रतिवादी जो कभी भी किसी अत्यंत हिंसक अपराध—जैसेकि बलात्कार, हत्या, अथवा बच्चों के यौन उत्पीड़न—में दोषी ठहराया गया हो, को 25 साल से उम्रकैद की सजा होगी, चाहे उसके तीसरे हमले का अपराध कितना भी छोटा क्यों न हो।

हमसे जुड़ें

प्रस्ताव 36 पारित होने के साथ कैलीफोर्निया सबसे कठिन आवर्ती अपराध संबंधी तीन हमलों के कानून को बनाए रखेगा लेकिन सजा देने में समानता पर जोर देते हुए निष्पक्ष बना रहेगा और इस महत्वपूर्ण कानून को ज्यादा निष्पक्षता से लागू कराएगा।

कृपया प्रस्ताव 36 पर हां मत देकर हमसे जुड़ें।

अधिक जानकारी *www.FixThreeStrikes.org* पर लें।

STEVE COOLEY, जिला अटार्नी
लॉस एंजिल्स काउंटी
GEORGE GASCON, जिला अटार्नी
सेन फ्रांसिस्को शहर और काउंटी
DAVID MILLS, प्रोफेसर
स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल

36

★ प्रस्ताव 36 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

वो बातें जो प्रस्ताव 36 के समर्थक आपको नहीं बताते:

- प्रस्ताव 36 में एक गुप्त प्रावधान हजारों खतरनाक अपराधियों को जेल की सजा **कम कराने** और जेल से जल्दी **रिहाई** का मौका देगा। फ्रेस्नो बी के अनुसार:

"यदि प्रस्ताव 36 पारित होता है तो तीन हमलों के कानून के तहत उम्रकैद की सजा भुगत रहे करीब 3,000 अपराधी सजा कम करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं... "

- इन खतरनाक अपराधियों में से कुछ **राज्य पेरोल या किसी कानून प्रवर्तन निगरानी के बगैर** रिहा हो जाएंगे। स्वतंत्र वैधानिक विश्लेषक के अनुसार:

"इस उपाय के तहत दोबारा सजा पाने वाले थर्ड स्ट्राइकर्स जेल से अपनी रिहाई के बाद राज्य पेरोल की बजाय काउंटी सामुदायिक निगरानी के योग्य हो जाएंगे...उनमें से कुछ सामुदायिक निगरानी के बगैर जेल से रिहा हो सकते हैं।"

- **प्रस्ताव 36 पूर्णत: अनावश्यक है।** अभियोजकों और जजों को तीन हमलों का कानून सही तरीके से लागू करने का अधिकार पहले से ही प्राप्त है। डिस्ट्रक्ट अटॉर्नीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं:

"जजों और अभियोजकों को प्रस्ताव 36 की जरूरत नहीं होती। वास्तव में, यह दोबारा अपराध करने वाले खतरनाक अपराधियों को निशाना बनाने और उन्हें एकबार हमेशा के लिए गिरफ्तार करने के लिए तीन हमलों के कानून के इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता को कम करता है।"

- **प्रस्ताव 36 का विरोध हर प्रमुख कानून प्रवर्तन संगठन और पीड़ित अधिकार समूह द्वारा किया गया है,** इनमें कैलीफोर्निया पुलिस प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग,शेरिफ, अभियोजक, और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। ध्यान दें कि प्रस्ताव 36 के समर्थक अपने पक्ष में एक भी कानून प्रवर्तन संगठन का नाम नहीं गिना सकते!
- **प्रस्ताव 36 कर नहीं घटाएगा।** सरकार अपराध से निपटने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती। वह बहुत कम खर्च करती है। ज्यादा अपराध का बोझ करदाताओं पर भी पड़ता है!

हम आपसे आग्रह करते हैं कि तीन हमलों के कानून की **रक्षा** करें। कृपया प्रस्ताव 36 पर **नहीं** मतदान करें।

CHIEF RICK BRAZIEL, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया पीस ऑफीसर्स एसोसिएशन
HENRY T. NICHOLAS, III, Ph.D., लेखक
कैलीफोर्नियाज विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स
CHRISTINE WARD, एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर
क्राइम विक्टिम्स एक्शन एलायंस

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों की राय है और इनकी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 36 तीन हमलों का कानून। दोबारा बड़ा अपराध करने वाले अपराधी। दंड। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 36 के खिलाफ तर्क ★

1994 में मतदाताओं ने तीन हमलों के कानून को जबर्दस्त ढंग से पारित किया—यह ऐसा कानून है जिसने दोबारा बड़े अपराध करने वाले अपराधियों की जेल की सजा को बढ़ाया। और इसने काम किया! तकरीबन तत्काल, हमारे राज्य का अपराध दर तेजी से गिरा और यहां तक की मौजूदा मंदी के दौरान भी नीचे ही रहा। इसका कारण बहुत आसान है। वही अपराधी ज्यादातर अपराध करते थे—हमारी अदालतों और जेलों के जरिये बार-बार घूमते हुए। मतदाताओं ने कहा बहुत हुआ—तीन हमलों का कानून और आप बाहर!

सन 2004 में ACLU और कड़े आपराधिक कानू के अन्य विरोधियों ने तीन हमलो के कानून को बदलने का प्रयास किया। मतदाताओं ने कहा **नहीं**। अब वे प्रस्ताव 36 के साथ फिर लौटे हैं। पिछली बार वे हमें बेवकूफ नहीं बना सके और इस बार भी नहीं बना पाएंगे।

पहले की ही तरह, प्रस्ताव 36 खतरनाक अपराधियों को उनकी जेल की सजा **कम कराने** और फिर **जेल से रिहा होने** का अवसर देता है! इसलिए प्रस्ताव 36 किसे लागू करना पड़ता है?

- अपराधी समाज के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें तीन हमले का आरोपी बनाने के लिए एक जिला अटार्नी का चयन करना पड़ता है;
- अपराधी इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें आरोपी बनाने के लिए एक जज को जिला अटार्नी के फैसले से सहमत होना पड़ता है;
- अपराधी इतने खतरनाक होते हैं कि उस अपराध के लिए एक जूरी उन्हें दोषी ठहराती है;
- अपराधी इतने खतरनाक होते हैं कि जज उन्हे 25 साल उम्रकैद की सजा देता है; और
- ये ऐसे अपराधी हैं जिनकी कानूनी अपील खारिज कर दी जाती थीं।

इन सब के बाद, प्रस्ताव 36 उन्हीं अपराधियों को मौका देगा कि वे स्वयं को मुक्त कराने के लिए एक **अलग** जज का आग्रह करें। सबसे बुरा यह है कि कुछ अपराधी **बिना पेरोल और किसी निगरानी के** जेल से रिहा हो जाएंगे!

प्रस्ताव 36 के तहत कुछ कैदियों की जल्दी रिहाई के बारे में स्वतंत्र वैधानिक विश्लेषक कहते हैं: "*उनमें से कुछ बिना सामुदायिक निगरानी के जेल से रिहा हो सकते हैं।*"

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कैलीफोर्निया पुलिस, शेरिफ और कानून प्रवर्तन समूहों द्वारा प्रस्ताव 36 का **विरोध किया** जाता है, विरोध करने वालों में शामिल हैं:

कैलीफोर्निया पुलिस चीफ़्स एसोसिएशन
कैलीफोर्निया स्टेट शेरिफ़्स एसोसिएशन
कैलीफोर्निया डिस्ट्रिक्ट अटार्नीज एसोसिएशन
पीस आफीसर्स रीसर्च एसोसिएशन ऑफ़ कैलीफोर्निया
लास एंजिलस पुलिस प्रोटेक्टिव लीग

आप क्या सोचते हैं कि नये रिहा हुए खतरनाक अपराधी एक बार जेल से बाहर आ जाने के बाद क्या करेंगे? हम पहले से ही इसका जवाब जानते हैं। वे ज्यादा अपराध करेंगे, ज्यादा बेगुनाहों को नुकसान पहुचाएंगे या मार डालेंगे, और अंत में वहीं पहुंच जाएंगे जहां वे आज हैं—जेल में। इन सभी चीजों का बोझ करदाताओं को उठाना होगा जो अपराधियों को जेल में रखने की अपेक्षा ज्यादा होगा।

कोई आश्चर्य नहीं कि प्रस्ताव 36 का पीड़ित अधिकार समूहों द्वारा विरोध किया जाता है, इसमें शामिल हैं:

क्राइम विक्टिम्स युनाइटेड ऑफ़ कैलीफोर्निया
क्राइम विक्टिम एक्शन एलायंस
सिटीजन्स अगेंस्ट होमीसाइड
क्रिमिनल जस्टिस लीगल फाउण्डेशन

उस वक्त जब मतदाताओं ने तीन हमलों के कानून को मंजूर किया, कुछ ने सोचा यह बहुत कठोर या बेहद खर्चीला हो सकता है। मतदाताओं ने 2004 में इस नजरिये को खारिज कर दिया। लेकिन यदि आप यह मानते हैं कि तीन हमलों के कानून में सुधार होना चाहिए तो प्रस्ताव 36 इसका जवाब नहीं है। सजा सुनाने वाले कानून में किसी प्रकार का बदलाव केवल भविष्य में घटित होने वाले अपराधों के मद्देनजर होना चाहिए—उन अपराधियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो पहले से ही सलाखों के पीछे हैं—उनकी सजाओं को छोटी करके। यह अपराध पीड़ितों के लिए इतना आसान नहीं है कि वे इन खतरनाक अपराधियों को दोबारा सजा सुनाये जाने और उनकी जल्दी रिहाई के दर्द को भुला पाएं। हम आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि **प्रस्ताव 36 पर नहीं मतदान करें।**

www.save3strikes.com

SHERIFF KEITH ROYAL, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया स्टेट शेरिफ़्स एसोसिएशन
DISTRICT ATTORNEY CARL ADAMS, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया डिस्ट्रिक्ट अटार्नीज एसोसिएशन
HARRIET SALERNO, अध्यक्ष
क्राइम विक्टिम्स युनाइटेड ऑफ कैलीफोर्निया

★ प्रस्ताव 36 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

प्रस्ताव 36 के विरोधियों द्वारा डराने की रणनीति पर यकीन नहीं करें।
तथ्य ये हैं:

- प्रस्ताव 36 इस बात की जरूरत बताता है कि हत्यारों, बलात्कारियों, बच्चों का यौन शोषण करने वालों और अन्य खतरनाक अपराधियों *को पूरी सजा भुगतनी पड़े।*
- *प्रस्ताव 36 करदाताओं के सैकड़ों मिलियन डॉलर बचाता है।*
- प्रस्ताव 36 *दोबारा अहिंसक अपराध के दोषियों की राज्य जेल की सजा को दोगुना करके उन्हें अभी भी दण्डित करता है।*

आजकल, खतरनाक अपराधी जेल से जल्दी रिहा हो जा रहे हैं क्योंकि जेलें ऐसे अहिंसक अपराधियों से अटी पड़ी हैं जिनसे जनता को खतरा नहीं है। प्रस्ताव 36 खतरनाक अपराधियों की जल्दी रिहाई पर रोक लगाता है। दुकान से एक जोड़ी मोजे, ब्रेड या बच्चों का सामान चुराने के दोषी उम्रकैद के पात्र नहीं हैं।

प्रस्ताव 36 का समर्थन कानून प्रवर्तन नेताओं द्वारा किया गया है, इनमें शामिल हैं:

- Steve Cooley, लॉस एंजिल्स काउंटी के जिला अटार्नी
- Jeffrey Rosen, सांता क्लारा काउंटी के जिला अटार्नी
- George Gascon, सेन फ्रांसिस्को शहर और काउंटी के जिला अटार्नी
- Charlie Beck, लॉस एंजिल्स के पुलिस प्रमुख

वे जानते हैं कि प्रस्ताव 36:

- *इस बात की जरूरत बताता है:* गंभीर और हिंसक अपराध करने वाले खतरनाक अपराधियों को उम्रकैद की सजा मिले।
- *अपराध के अनुरूप सही दण्ड देता है:* अहिंसक अपराधियों पर मूल्यवान पुलिस और जेल संसाधनों को बर्बाद करने से रोकता है।
- *हर साल $100 मिलियन से ज्यादा की बचत करता है।*

STEVE COOLEY, जिला अटार्नी
लॉस एंजिल्स काउंटी
JEFFREY F. ROSEN, जिला अटार्नी
सांता क्लारा काउंटी
CHARLIE BECK
पुलिस प्रमुख लॉस एंजिल्स

प्रस्ताव

37 आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश | अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

- उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेश किए गए कच्चे या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पर लेबल लगाने की मांग करता है यदि इन्हें निर्दिष्ट तरीकों से बदली गई आनुवंशिक सामग्री के साथ पौधों या जानवरों से बनाया गया है।
- ऐसे भोजन, या अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को "प्राकृतिक" के रूप में लेबल करने या विज्ञापित करने से प्रतिबंधित करता है।
- उन खाद्य पदार्थों को छूट देता है जो: प्रमाणित कार्बनिक हैं; अनजाने में आनुवंशिक रूप से तैयार की गई सामग्री के साथ तैयार किए गए हैं; ऐसे जानवरों से तैयार किए गए हैं जिन्हें आनुवंशिक रूप से तैयार की गई सामग्री खिलायी गई है लेकिन जो खुद आनुवंशिक रूप से तैयार नहीं किए गए हैं; चिकित्सकीय समस्याओं के इलाज के लिए दिए जाते हैं; तुरंत खाए जाने के लिए बेचे जाते हैं जैसे कि किसी रेस्तरां में; या अल्कोहल वाले पेय पदार्थ।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने को नियंत्रित करने के लिए कुछ लाख डॉलरों से लेकर $1 मिलियन तक के बढ़े हुए वार्षिक राज्य खर्चे।
- इस उपाय की ज़रूरतों के संभावित उल्लंघन से उत्पन्न मुक़दमेबाज़ी के कारण राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए संभावित खर्चे, लेकिन जिनके अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। इन खर्चों में से कुछ को अदालत में दायर की जाने वाली फीसों से समर्थन मिलेगा जो कि प्रत्येक कानूनी मामले में शामिल पक्ष को मौजूदा कानून के तहत देने की ज़रूरत होगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

जिनेटिकली इन्जीनियर्ड (GE) खाद्य पदार्थ। आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसी जीवित जीव की विशेषताओं में कुछ वांछित फेरबदल करने के लिए उस जीव की आनुवंशिक सामग्री को बदलने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पौधे और जानवर की नयी प्रजातियां विकसित करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है जो बाद में खाद्य पदार्थों के स्रोतों के रूप में उपयोग में आती हैं, इन्हें GE खाद्य पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का बहुधा इस्तेमाल कीटों के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने अथवा उन्हें ऐसा बनाने के लिए किया जाता है कि वे कीटनाशकों के उपयोग के बाद भी बरकरार रहें। सबसे आम GE फसलों में मक्का और सोयाबीन शामिल हैं। सन 2011 में, अमेरिका में उत्पादित कुल मक्के का 88 प्रतिशत और सोयाबीन का 94 प्रतिशत GE बीजों से हुआ। अन्य प्रचलित GE फसलों में रिजका, राई, कपास, पपीता,चुकंदर, और जुचीनी शामिल हैं। इसके अलावा GE फसलों का उपयोग खाद्य सामग्रियों (जैसेकि उच्च फलशर्करा कार्न सिरप) को बनाने में किया जाता है जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जो कच्चे कृषि फसल नहीं हैं) में अक्सर शामिल किये जाते हैं। किन्ही आकलनों के अनुसार, कैलीफोर्निया में किराने की दुकानों में बिकने वाले खाद्य उत्पादों के 40 से 70 फीसदी में कुछ GE सामग्रियां होती हैं।

संघीय विनियमन। GE खाद्य पदार्थों के विनियमन की विशेष जरूरत संघीय कानून को नहीं होती। हालांकि, अमेरिकी कृषि विभाग ने अभी उन GE फसलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है जो दूसरों पौधों के लिए हानिकारक हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन की जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करना है कि ज्यादातर खाद्य पदार्थों (इस बात की परवाह किए बिना कि वे आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए हैं) और खाद्य पदार्थ एडिटिव सुरक्षित हैं और उनपर उचित लेबल लगाया गया है।

राज्य विनियमन। मौजूदा राज्य कानून के तहत, कैलीफोर्निया एजेंसियों के खास तौर पर जरूरत नहीं है कि वे GE खाद्य पदार्थों का विनियमन करें। हालांकि, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हैल्थ (DPH) ज्यादातर खाद्य पदार्थों के विनियमन और उनपर लेबल लगाने के लिए जिम्मेदार है।

प्रस्ताव

यह उपाय GE खाद्य पदार्थों के विनियमन के लिए स्पष्ट तौर पर जरूरी कई बदलाव राज्य कानून में करता है। खास तौर पर यह, (1) इस बात की जरूरत बताता है कि बेचे जाने वाले अधिकतम GE खाद्य पदार्थों पर ठीक तरीके से लेबल लगे हों, (2) इस प्रकार के खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने के विनियमन के लिए DPH की जरूरत बताता है, और (3) व्यक्तियों को स्वीकृति देता है कि वे इस उपाय के लेबल लगाने के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले खाद्य पदार्थ निर्माताओं पर मुकदमा करें।

खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाना। यह उपाय इस बात की जरूरत बताता है कि राज्य में खुदरा बिकने वाले GE खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट

37

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

रूप से आनुवंशिक रूप से तैयार का लेबल लगा हो। विशेष तौर पर, यह उपाय इस बात की जरूरत बताता है कि आनुवंशिक रूप से पूरी तौर पर या आंशिक रूप से तैयार कच्चे खाद्य पदार्थों (जैसे फल और सब्जियां) पर आगे पैकेज या लेबर पर शब्द "आनुवंशिक रूप से तैयार" का लेबल लगा होना चाहिए। यदि वस्तु को अलग से पैकेज नहीं किया गया है या इसपर कोई लेबल नहीं लगा है, तो ये शब्द उस आलमारी या डिब्बे पर जरूर नजर आने चाहिए जहां इसे बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। उपाय इस बात की जरूरत भी बताता है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जरिए पूरी तौर पर या आंशिक रूप से उत्पादित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर "आनुवंशिक तौर पर आंशिक रूप से उत्पादित" अथवा "आंशिक तौर पर आनुवंशिक तरीके से उत्पादन संभव" का लेबल लगा हो।

खुदरा विक्रेता (जैसे कि किराने की दुकानें) इस उपाय का पालन करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके खाद्य उत्पादों पर सही तरीके से लेबल लगा हुआ है। GE लेबल लगे उत्पाद स्वीकृत होंगे। प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए जिसपर GE लेबल नहीं हो, खुदरा विक्रेता को सामान्यतया यह जरूर लिखना होगा कि उत्पाद को लेबल लगाने से छूट क्यों मिली। खुदरा विक्रेता मुख्यतः दो तरीकों से उत्पाद को छूट मिलने के संबंध में लिख सकता हैः (1) उत्पाद प्रदाता (जैसेकि एक थोक विक्रेता) से शपथ वक्तव्य प्राप्त करके जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उत्पाद को आनुवंशिक रूप से जानबूझ कर या चतुराई से तैयार नहीं किया गया है या (2) एक स्वतंत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करके कि उत्पाद में GE सामग्री नहीं मिली हुई है। पूरी खाद्य आपूर्ति शृंखला में अन्य संस्थाएं (जैसे किसान और खाद्य पदार्थ निर्माता) भी इन रिकार्डों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। यह उपाय कुछ खास खाद्य उत्पादों को भी उपरोक्त लेबल लगाने की जरूरत से बाहर रखता है। उदाहरण के तौर पर, मादक पेय, जैविक खाद्य पदार्थ, और रेस्तरां का भोजन तथा तत्काल खाए जाने वाले अन्य तैयार खाद्य पदार्थों को लेबल लगाने की जरूरत नहीं होती। पशु उत्पादों—जैसकि गोमांस या मुर्गा—जिनका उत्पादन सीधे तौर पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जरिए नहीं हुआ हो उन्हें भी छूट मिलेगी इस बात की परवाह किए बगैर कि उन्हें GE फसलें खिलाई गई थीं।

इसके अतिरिक्त, यह उपाय GE खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने और उनके विज्ञापन में इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है जैसेकि "प्राकृतिक", "प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया," "प्राकृतिक रूप से उगाया गया," और "पूरा प्राकृतिक"। जिस तरह से यह उपाय लिखा गया है उसे देखते हुए, इस बात की संभावना है कि इन प्रतिबंधों की व्याख्या अदालतें इस तरह करें कि ये कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर लागू होता है इस बात की परवाह किए बगैर कि वे आनुवंशिक रूप से तैयार की गई हैं।

राज्य विनियमन। इस उपाय के तहत GE खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने की जरूरतों का विनियमन DPH द्वारा किया जाएगा क्योंकि यह इसकी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और लेबलिंग को विनियमित करने की मौजूदा जिम्मेदारी का हिस्सा है। उपाय अपने द्वारा निर्धारित नियमों को अपनाने की अनुमति विभाग को देता है जो उपाय को लागू करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, DPH को उन नियमों को बनाने की जरूरत होगी जो सैंपलिंग प्रक्रिया का वर्णन करते हों इस बात के निर्धारण के लिए कि खाद्य पदार्थों में GE सामग्रियां हैं।

उपाय लागू करने के लिए मुकदमा। उपाय का उल्लंघन करने पर राज्य, स्थानीय, अथवा निजी पार्टियों द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यह अदालत को यह अनुमति देता है कि वह जांच और अभियोग कार्रवाई में आए सभी उचित खर्चों को इन पार्टियों को दिलाए। इसके अतिरिक्त, यह उपाय स्पष्ट रूप से बताता है कि उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता कानूनी उपाय अधिनियम के तहत जरूरी उपायों के उल्लंघन के लिए मुकदमा कर सकते हैं। यह कानून उपभोक्ताओं को अनुमति देता है कि उनके मुकदमे में कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए किसी विशेष नुकसान का प्रदर्शन किए जाने की जरूरत नहीं है।

वित्तीय प्रभाव

राज्य प्रशासनिक खर्चे में वृद्धि। इस उपाय के परिणामस्वरूप GE खाद्य पदार्थों की लेबलिंग को दुरुस्त करने में DPH के लिए राज्य पर अतिरिक्त खर्च आएगा, जैसे कि यह निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों की समीक्षा करना और नियमित अंतराल पर निरीक्षण करवाना कि खाद्य पदार्थ क्या वास्तव में सही लेबल के साथ बेचे जा रहे हैं। इस बात पर निर्भर करते हुए कि विभाग इन नियमों को कैसे और किस स्तर तक लागू करता है (जैसे कि किराना दुकानों का निरीक्षण यह कितने अंतराल पर करता है), इनके खर्चे **कुछ लाख डालर से $1 मिलयन सालाना से ज्यादा तक हो सकते हैं।**

मुकदमेबाजी से जुड़े खर्चे में संभावित वृद्धि। जैसा ऊपर वर्णन किया गया है, यह उपाय व्यक्तियों को लेबल लगाने की जरूरतों के उल्लंघन के लिए मुकदमे की अनुमति देता है। जैसे ही यह राज्य अदालतों में दायर मुकदमों की संख्या बढ़ाएगा, राज्य और काउंटी अतिरिक्त मामलों की प्रक्रिया और सुनवाई के लिए अतिरिक्त खर्च वहन करेंगे। इन खर्चों की सीमा दायर मुकदमों की संख्या, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा दायर मुकदमों की संख्या, और इनका फैसला अदालत ने कैसे किया इस बात पर निर्भर करेगी। बढ़े हुए अदालत के खर्चे में से कुछ भरपाई अदालत में मुकदमा दायर करने की फीस से हो जाएगी जो प्रत्येक मामले में शामिल पार्टियों को मौजूदा कानून के तहत देना होगा। अदालत के कुल खर्चों के संदर्भ में इन खर्चों के लम्बे समय तक महत्वपूर्ण रहने की संभावना नहीं है।

प्रस्ताव 37 के पाठ के लिए, पृष्ठ 110 देखें।

प्रस्ताव 37 आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 37 के पक्ष में तर्क ★

प्रस्ताव 37 पर हां —क्योंकि आपको यह जानने का अधिकार है कि आपके खाद्य पदार्थ में क्या है।

प्रस्ताव 37 पर हां के मतदान का मतलब तीन चीजें हैं

- **आपको यह जानने का अधिकार हासिल करना होगा कि आपके खाद्य पदार्थ में क्या है,** और क्या आपका खाद्य पदार्थ आनुवंशिक तौर पर किया गया है।
- **खाद्य पदार्थ पर सटीक तरीके से लेबल लगेगा।** खाद्य परदार्थ पर लगे लेबल को यह बताना होगा कि क्या उत्पाद आनुवंशिक तरीके से तैयार किया गया है।
- **आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना अपेक्षतया आसान होगा।** आपके पास खाद्य पदार्थों के बारे में वह सूचना होगी जिसकी आपको जरूरत होगी जैसा कि कुछ चिकित्सक और वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सूचना एलर्जी और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ी होगी।

जो खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं उनके लेबलों पर पोषण संबंधी सूचना पहले से ही होती है। प्रस्ताव 37 के साथ, सीधी भाषा में हमें वह सूचना मिलेगी कि क्या खाद्य पदार्थ आनुवंशिक तौर पर तैयार किया गया है, जिसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ में DNA है जो कि वायरस, बैक्टीरिया, या अन्य पौधों या पशुओं के जीनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किया गया है।

चूंकि आनुवंशिक तौर पर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ विवादित हैं, *दुनिया भर के करीब 40 से अधिक देशों में जिसमें यूरोप के ज्यादातर देश,* जापान, और यहां तक कि चीन और भारत शामिल हैं, आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ के लेबल की जरूरत पड़ती है। क्या अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका के लोगों को वही सूचना नहीं देनी चाहिए जो विदेशियों को दी जाती हैं?

लम्बी अवधि का स्वास्थ्य संबंधी ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं उपलब्ध है जिसने यह साबित किया हो कि आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए सुरक्षित है। चाहे आप आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ खरीदें या नहीं, आपको यह जानने का अधिकार है कि आप क्या खरीद रहे हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। लेबल लगने से हमें पता चलता है कि हमारे भोजन में क्या है इसलिए हम अपने बारे में फैसला कर सकते हैं।

प्रस्ताव 37 एक आसान, सामान्य बुद्धि वाला उपाय है। लेबल पर सूचना अंकित करने पर कोई खर्च नहीं आता, और यह चरणबद्ध होता है, निर्माताओं को नए लेबल छापने का मौका देना, आपको यह बताना कि खाद्य पदार्थ में क्या है, या उनके उत्पाद को बदलना यदि वे आनुवंशिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ को बेचना नहीं चाहते हैं।

प्रस्ताव 37 आनुवंशिक तौर पर तैयार उत्पादों पर गुमराह करने वाले शब्द "प्राकृतिक" के उपयोग पर रोक भी लगाता है।

बड़े खाद्य पदार्थ निर्माता और एग्रीकेमिकल कंपनियां तथा उनके प्रचारक इस उपाय का विरोध करते हैं। इनमें से कई वही कंपनियां हैं जिन्होंने कीटनाशकों के प्रभाव के बारे में हमसे झूठ बोला था या खाद्य पदार्थ लेबलों पर अन्य सूचना नहीं दिए जाने के लिए संघर्ष किया था, जैसे कि कैलोरी की संख्या, या उनके उत्पादों में कितना वसा और नमक है। अब वे हमारे खाद्य पदार्थों में उनकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं।

आप आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ खाना चाहते हैं या नहीं, **प्रस्ताव 37 आपको यह चुनने की शक्ति देता है** कि कौन सा खाद्य पदार्थ अपने परिवार को खिलाएं। बड़ी रासायनिक कंपनियों को आपके लिए फैसले नहीं लेने चाहिए।

उपभोक्ताओं, पारिवारिक किसानों, चिकित्सकों, नर्सों, आहार विशेषज्ञों, और छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों और **करीब एक मिलियन कैलीफोर्नियाई नागरिक उन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आ चुके हैं जो आपको यह जानने का अधिकार देता है कि हमारे खाद्य पदार्थ में क्या है। क्या आप उनमें शामिल होंगे?**

अधिक जानकारी या अभी हमसे जुड़ने के लिए लॉग करें *www.CARightToKnow.org.*

प्रस्ताव 37 पर मतदान करते समय कृपया स्वयं से एक सवाल जरूर करे: **क्या मुझे यह जानने का अधिकार है कि जो खाद्य पदार्थ मैं खाता हूं और अपने परिवार को खिलाता हूं उसमें क्या है?** जवाब *प्रस्ताव 37 पर हां* है।

www.CARightToKnow.org

DR. MICHELLE PERRO, शिशु रोग विशेषज्ञ
REBECCA SPECTOR, वेस्ट कोस्ट डाइरेक्टर
सेंटर फॉर फूड सेफ्टी
GRANT LUNDBERG, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
लुन्डबर्ग फैमिली फार्म्स

★ प्रस्ताव 37 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

प्रस्ताव 37 का तथाकथित "जानने का अधिकार" विनियम वास्तव में भ्रामक योजना है, उपभोक्ताओं और करदाताओं के लिए विशेष रुचि की छूट और गुप्त खर्चे से भरा हुआ।

प्रस्ताव 37 दूध, चीज और गोश्त पर लेबल लगाने की जरूरतों से छूट देता है। यह बीयर, वाइन, शराब, रेस्तरां में बिकने वाले भोजन और आनुवंशिक तौर पर तैयार (GE) सामग्री युक्त अन्य खाद्य पदार्थों को छूट देता है।

वास्तव में, **यह कैलीफोर्नियाई लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले कुल खाद्य पदार्थों के दो-तिहाई हिस्से को छूट देता है**—इनमें उन निगमों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद शामिल हैं जो प्रस्ताव 37 अभियान की आर्थिक मदद करते हैं।

नये शेकडाउन मुकदमे गढ़ता है

प्रस्ताव 37 एक सुनवाई वकील ने लिखा था जिसे व्यवसायों के खिलाफ मुकदमें दायर करने में महारथ हासिल है। यह वकीलों को किसानों, किराना दुकानदारों, और खाद्य पदार्थ कंपनियों पर—बगैर किसी प्रकार के उल्लंघन या नुकसान के सबूत के—मुकदमे की अनुमति देते हुए "शेकडाउन" मुकदमों की नयी श्रेणी बनाता है।

उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली सूचना मिलेगी

400 से ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि GE सामग्री से बने खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं। प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों जैसेकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नोबल पुरस्कार विजेता 24 वैज्ञानिक, और यूएस फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इससे सहमत है।

"जैव अभियांत्रिकी से तैयार खाद्य पदार्थों पर विशेष लेबल लगाने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है।"—अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन

उपभोक्ताओं और करदाताओं के लिए ज्यादा खर्चे

अध्ययन बताते हैं कि तमाम आम खाद्य उत्पादों को ऊंची कीमत वाली सामग्रियों के साथ पुनः पैकैज या पुनर्निर्मित करने का दबाव डालकर प्रस्ताव 37 कैलीफोर्निया के औसत परिवार का किराना सामग्री पर प्रतिवर्ष सैकड़ों डॉलर खर्च बढ़ाएगा।

आधिकारिक राज्य राजकोषीय प्रभाव विश्लेषक निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रस्ताव 37 की लाल फीताशाही और मुकदमों का प्रबंधन करदाताओं पर कई मिलियन का बोझ डालेगा।

यहां तक कि प्रस्ताव 37 को सर्वाधिक धन मुहैया कराने वाला मानता है कि "*यह एक महंगा सुप्रचालनिक दुःस्वप्न होगा।*"

प्रस्ताव 37 एक भ्रामक और महंगी योजना है। नहीं पर मतदान करें!

www.NoProp37.com

JONNALEE HENDERSON
कैलीफोर्निया फार्म ब्यूरो फेडरेशन
DR. HENRY I. MILLER, संस्थापक निदेशक
ऑफिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
TOM HUDSON, कार्यकारी निदेशक
कैलीफोर्निया टैक्सपेयर प्रोटेक्शन कमेटी

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों की राय है और इनकी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 37 आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। लेबल लगाना। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 37 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 37 एक आसान उपाय नहीं है जैसाकि समर्थक दावा करते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर लेबल लगाने संबंधी एक भ्रामक, अत्यंत दोषपूर्ण योजना है जो सरकारी नौकरशाही और करदाता के खर्चों को बढ़ाएगी, और ओछे किस्म के नए मुकदमे बनाएगी, और खाद्य पदार्थ के खर्चे कई बिलियन तक बढ़ाएगी—बगैर कोई स्वास्थ्य या सुरक्षा लाभ के। और, यह विशेष हित की छूटों से परिपूर्ण है।

प्रस्ताव 37 विज्ञान के साथ संघर्ष करता है

जैव तकनीक, जिसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी (GE) भी कहा जाता है, का उपयोग करीब दो दशक से विभिन्न प्रजातियों के मक्के, सोयाबीन और अन्य फसलों को उगाने में किया जा रहा है जो बीमारियों और कीड़ों की प्रतिरोधी है और इन्हें कम कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। हजारों आम खाद्य पदार्थ बायो तकनीक फसलों से प्राप्त सामग्रियों से बनाए जाते हैं।

प्रस्ताव 37 इन पूर्णतः सुरक्षित खाद्य पदार्थों को कैलीफोर्निया में प्रतिबंधित करता है जबतक कि उनपर विशेष तौर पर पुनः लेबल नहीं लगाया गया हो या महंगी सामग्रियों से पुनर्निर्मित नहीं किया गया हो।

यूएस फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि इस प्रकार की लेबल लगाने की नीति "*अपने आप में गुमराह करने वाली होगी।*"

प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संगठनों का निष्कर्ष है कि जैव तकनीक युक्त खाद्य पदार्थ सुरक्षित हैं, इनमें शामिल हैं:

- नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज
- अमेरिकन काउंसिल ऑन साइंस एंड हेल्थ
- एकेडमी ऑफ न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स
- वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन

"*जैव अभियांत्रिकी से तैयार खाद्य पदार्थों पर विशेष लेबल लगाने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है।*"—अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन,जून 2012

प्रस्ताव 37: विशेष रूचि की छूटों से परिपूर्ण

"*प्रस्ताव 37 के मनमाने नियम और छूटें कुछ विशेष हितों को फायदा पहुचाएंगे, उपभोक्तओं को नहीं।*"—Dr. Christine Bruhn, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूसी डेविस

प्रस्ताव 37 बेतुके, राजनीति से प्रेरित छूटों से भरा हुआ है। यह सोया दूध पर तो विशेष लेबल की जरूरत बताता है, लेकिन गाय के दूध और दुग्ध उत्पादों को छूट देता है। फल के जूस पर लेबल लगाना जरूरी है, लेकिन अल्कोहल को छूट है। मांसयुक्त पशु आहार पर लेबल जरूरी है, लेकिन मानव उपभोग के लिए मांस पर छूट है।

चीन और अन्य देशों से आयातित खाद्य पदार्थ पर छूट है यदि विक्रेताओं ने मात्र यह दावा किया है कि उनके उत्पाद "GE मुक्त" हैं। बेईमान विदेशी कंपनियों प्रणाली से खेल सकती हैं।

प्रस्ताव 37 "शेक डाउन" मुकदमों को अधिकृत करता है

इसे सुनवाई वकीलों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सुनवाई वकील ने लिखा था। यह वकीलों को नुकसान के किसी सबूत के बगैर पारिवारिक किसानों और किराना दुकानदारों पर मुकदमे करने की अनुमति देते हुए "शिकारी मुकदमों" का एक नया वर्ग तैयार करता है।

"*प्रस्ताव 37 सुनवाई वकीलों को पारिवारिक किसानों और किराना दुकानदारों से धन ऐंठने के लिए "शेकडाउन" मुकदमों के उपयोग का मौका देता है—जिससे कैलीफोर्निया की अदालतों, व्यवसायों और करदाताओं पर कई मिलिय़न खर्च का बोझ पड़ता है।*"—कैलीफोर्नीया सिटिजन्स अगेंस्ट लॉसूट अब्यूज

प्रस्ताव 37: नौकरशाही और करदाताओं पर ज्यादा खर्चे

प्रस्ताव 37 को कई लाख खाद्य पदार्थ लेबलों की निगरानी संबंधी इसकी जटिल आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए राज्य नौकरशाही की जरूरत होती है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि नौकरशाही, लाल फीताशाही और मुकदमों पर कितने मिलियन खर्च होंगे।

यह एक खाली चैक है . . . करदाताओं द्वारा भुगतान किया गया।

प्रस्ताव 37 का मतलब है महंगे खाद्य पदार्थ

प्रस्ताव 37 किसानों और खाद्य पदार्थ कंपनियों पर दबाव डालता है कि वे महंगी कार्यप्रणाली अपनाएं अथवा कैलीफोर्निया में खाद्य पदार्थ बेचने के लिए ज्यादा कीमत वाली, गैर GE अथवा आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करें।

आर्थिक अध्ययन बताते हैं कि इससे औसत परिवार के भोजन के खर्चे सालाना सैकड़ों डॉलर तक बढ़ जाएंगे—एक **छिपा हुआ खाद्य कर** जो विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और उन कम आय वाले परिवारों को परेशान करेगा जो मुश्किल से इसका भार वहन कर सकते हैं।

"*प्रस्ताव पारिवारिक किसानों और उपभोक्ताओं को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। इसे रोकना जरूरी है।*"—80,000 किसानों के प्रतिनिधित्व वाला कैलीफोर्निया फार्म ब्यूरो फेडरेशन

वैज्ञानिकों, चिकित्सा विशेषज्ञों, पारिवारिक किसानों, करदाता वकीलों से जुड़ें।

प्रस्ताव 37 पर नहीं मतदान करें।

इस भ्रामक, महंगी खाद्य लेबलिंग योजना को रोकें।

www.NoProp37.com

DR. BOB GOLDBERG, सदस्य
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज
JAMIE JOHANSSON
कैलीफोर्निया पारिवारिक किसान
BETTY JO TOCCOLI, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया स्माल बिजनेस एसोसिएशन

★ प्रस्ताव 37 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

प्रस्ताव 37—यह जानने के लिए कि आपको भोजन में क्या है, "हां" कहें।

प्रस्ताव 37 का आसान सा मतलब है कि आपको यह जानने का अधिकार है कि आपके भोजन में क्या है। यह सुनिश्चित करने का तरीका कि खाद्य पदार्थ पर लगे लेबल सटीक हैं।

प्रस्ताव 37 आपको उत्तरदायी बनाता है। कोई भी सरकारी नौकरशाही, राजनीतिज्ञ अथवा एग्रीकेमिकल कंपनी इस बात को छिपा नहीं पाएगी कि आपका खाद्य पदार्थ आनुवंशिक तौर पर तैयार किया गया है। प्रवर्तन का मामला तभी बनता है जब कंपनियां कानून को नहीं मानतीं! इन सभी को आपको यह जरूर बताना होगा कि आपके भोजन में क्या है, जैसा वे पहले से ही यूरोप, आस्ट्रेलिया, जापान और यहां तक कि चीन और रूस के 40 से अधिक अन्य देशों में पहले से ही करती हैं।

प्रस्ताव 37 आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ को प्रतिबंधित नहीं करता। कृषि व्यवसाय और कृषि रसायन संबंधी बड़ी कंपनियां और उनके प्रचारक आपको डराना चाहते हैं। प्रस्ताव 37 के तहत आप अपने मौजूदा खाद्य पदार्थ की खरीद जारी रख सकते हैं, अथवा उन खाद्य पदार्थों का चयन कर सकते हैं जो आनुवंशिक तौर पर तैयार नहीं किए गए हैं। यह आप पर निर्भर है।

प्रस्ताव 37 खाद्य पदार्थों की कीमतों या करों को नहीं बढ़ाता। चूंकि खाद्य पदार्थ कंपनिया नियमित रूप से लेबल का पुनर्प्रकाशन करती हैं और इसकी अवधि में तर्कपरक चरण होते हैं, प्रस्ताव 37 कीमतें नहीं बढ़ा पाएगा।

प्रस्ताव 37 आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा में मददगार होगा। FDA कहता है "आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ के बारे में उपभोक्ताओं को ज्यादा सूचना उपलब्ध कराना उपयोगी होगा।" खाद्य पदार्थ पर सटीक लेबल के बगैर, आपको वह खाद्य पदार्थ खाने का जोखिम रहता है जिससे आपको एलर्जी है। बड़ी खाद्य कंपनियां क्यों नहीं चाहतीं कि आप जानें कि आपके भोजन में क्या है? आनुवंशिक तौर पर तैयार खाद्य पदार्थ का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अनिश्चित विज्ञान से संघर्ष करते हुए, लेबल लगाना आपके परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारे भोजन में क्या है। *प्रस्ताव 37 पर हां।*

www.CARightToKnow.org

JAMIE COURT, अध्यक्ष
कंज्यूमर वाचडॉग
JIM COCHRAN, महाप्रबंधक
स्वांटन बेरी फार्म
DR. MARCIA ISHII-EITEMAN, वरिष्ठ वैज्ञानिक
पेस्टीसाइड ऐक्शन नेटवर्क

प्रस्ताव
38 शिक्षा और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों में धन लगाने के लिए कर। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश | अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

शिक्षा और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों में धन लगाने के लिए कर। पहल अधिनियम।

- बारह वर्ष के लिए, $7,316 से अधिक की वार्षिक आय पर व्यक्तिगत आयकर की दरों को सरकने वाले पैमाने का इस्तेमाल करते हुए न्यूनतम व्यक्तिगत अर्जकों के लिए 0.4% से $2.5 मिलियन से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए 2.2% पर बढ़ाता है।
- पहले चार वर्षों के दौरान, राजस्व का 60% K–12 स्कूलों के लिए, 30% राज्य का कर्ज चुकाने के लिए, और 10% शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों के लिए आवंटित करता है। उसके बाद, राजस्व का 85% K–12 स्कूलों के लिए और 15% शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों के लिए आवंटित करता है।
- K–12 धन को स्कूल-विशिष्ट, प्रति छात्र के आधार पर प्रदान करता है, जो कि स्थानीय नियंत्रण, लेखा परीक्षण और सार्वजनिक सहयोग के अंतर्गत है।
- राज्य को नए धन का निर्देशन करने से प्रतिबंधित करता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- 2013 से 2024 तक राज्य में व्यक्तिगत आयकर राजस्व को बढ़ाता है। 2013–14 में यह वृद्धि लगभग $10 बिलियन होगी जो समय के साथ बढ़ेगी। 2012–13 में वृद्धि इस राशि का लगभग आधा होगी।
- प्रारंभिक वर्षों में से प्रत्येक में, लगभग $6 बिलियन को स्कूलों के लिए, $1 बिलियन को बच्चों की देखभाल के लिए, और $3 बिलियन को कर्ज के भुगतान करने के लिए राज्य की बचत में इस्तेमाल किया जाएगा। 2012–13 में इकट्ठे किए गए धन के अतिरिक्त आवंटन के कारण 2013–14 में राशियों के अधिक होने की संभावना है।
- 2017–18 से लेकर 2024–25 तक, स्कूलों, बच्चों की देखभाल और प्रीस्कूल पर खर्च किया जाने वाला हिस्सा अधिक होगा और कर्ज के भुगतान पर किया जाने वाला हिस्सा कम होगा।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अवलोकन

यह उपाय कैलीफोर्निया के ज्यादातर करदाताओं पर व्यक्तिगत आयकर सन 2013 से 2024 तक बढ़ाता है। इस कर वृद्धि से एकत्र राजस्व पब्लिक स्कूलों, बच्चों की देखभाल और प्री-स्कूल कार्यक्रमों, और राज्य के कर्ज की अदायगी पर खर्च किया जाएगा। उपाय के प्रत्येक प्रमुख प्रावधान के बारे में ज्यादा विस्तार से नीचे चर्चा की गई है।

राज्य कर एवं राजस्व

38

पृष्ठभूमि

व्यक्तिगत आयकर (PIT)। PIT वेतन, व्यापार, निवेश, और व्यक्तियों और परिवारों की अन्य आय पर लगने वाला कर है। राज्य की PIT दर कई आय कोष्ठकों में से प्रत्येक में किसी करदाता की आय के कुछ भागों पर 1 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत तक होती है। (उनको सीमांत कर दरों के रूप में जाना जाता है।) जैसे-जैसे आय बढ़ती है, उच्च सीमांत कर दरें ली जाती हैं। इस कर से उत्पन्न कर राजस्व—वित्त वर्ष 2010–11 के लिए कुल $49.4 बिलियन—को राज्य के सामान्य फंड में जमा किया जाता है। इसके अलावा, $1 मिलियन से अधिक की वार्षिक आय पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त सालाना कर लागू होता है (संबद्ध राजस्व को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित करने के साथ)।

प्रस्ताव

PIT दरें बढ़ाता है। यह उपाय सबसे कम आय कोष्ठक को छोड़कर सभी पर राज्य PIT दरें बढ़ाता है, जो 2013 से 2024 तक 12 साल से अधिक अवधि तक के लिए प्रभावी है। जैसाकि चित्र 1 में दिखाया गया है, अतिरिक्त सीमांत कर दरें प्रत्येत ऊंचे कर कोष्ठक के साथ बढ़ेंगीं। उदाहरण के लिए, संयुक्त रूप से कर जमा करने वालों के मामले में , $34,692 और $54,754 के बीच आय वालों पर अतिरिक्त 0.7 प्रतिशत सीमांत कर दर लागू होगा, जिससे कुल दर बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो जाएगी। इसी प्रकार, 1.1 प्रतिशत सीमांत कर दर $54,754 और $76,008 के बीच आय वालों पर अतिरिक्त लगेगा, जिससे कुल दर बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो जाएगा। ये ऊंची कर दरें लगभग 60 प्रतिशत राज्य PIT विवरणों (रिटर्न्स) पर कर देयता बढ़ाएंगी। (अन्य कारकों के साथ व्यक्तिगत, निर्भर, वरिष्ठ, और अन्य टैक्स क्रेडिट कई कम आयकर भरने वालों के लिए सभी कर देयता खत्म करना जारी रखेंगी यहां तक कि तब भी जब वे उस आय कोष्ठक में आते हैं जो इस उपाय के दर वृद्धि द्वारा प्रभावित हुआ है।) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त 1 प्रतिशत

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

चित्र 1

मौजूदा और प्रस्ताव 38 के तहत प्रस्तावित व्यक्तिगत आयकर दरें

एकल दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	संयुक्त दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	परिवार के मुखिया की दाखिलकर्ता की कर योग्य आय[a]	वर्तमान सीमांत कर दर[b]	प्रस्तावित अतिरिक्त वर्तमान सीमांत कर दर[b]
$0–$7,316	$0–$14,632	$0–$14,642	1.0%	—
7,316–17,346	14,632–34,692	14,642–34,692	2.0	0.4%
17,346–27,377	34,692–54,754	34,692–44,721	4.0	0.7
27,377–38,004	54,754–76,008	44,721–55,348	6.0	1.1
38,004–48,029	76,008–96,058	55,348–65,376	8.0	1.4
48,029–100,000	96,058–200,000	65,376–136,118	9.3	1.6
100,000–250,000	200,000–500,000	136,118–340,294	9.3	1.8
250,000-500,000	500,000–1,000,000	340,294–680,589	9.3	1.9
500,000–1,000,000	1,000,000–2,000,000	680,589–1,361,178	9.3	2.0
1,000,000–2,500,000	2,000,000–5,000,000	1,361,178–3,402,944	9.3	2.1
2,500,000 से अधिक	5,000,000 से अधिक	3,402,944 से अधिक	9.3	2.2

[a] प्रदर्शित आय कोष्ठक 2011 के लिए प्रभावी थे और भविष्य के वर्षों में मंदी के लिए समायोजित किए जाएंगे। एकल फाइलर में ऐसे विवाहित व्यक्ति और पंजीकृत घरेलू भागीदार (RDPs) शामिल हैं जो अलग-अलग कर देते हैं। संयुक्त फाइलर में विवाहित और RDP जोड़े शामिल हैं जो संयुक्त रूप कर भरते हैं, साथ ही निर्भर बच्चे के साथ शिक्षित विधवाएं और विधुर भी इसमें शामिल हैं।

[b] सीमान्त कर दरें सूचीबद्ध हर कर कोष्ठक में कर योग्य आय पर लागू होती हैं।उदाहरण के लिए, $15,000 वाला एक एकल कर फाइलर की 2011 की कर देयता मौजूदा कर दरों के तहत $227 हो सकती है: $73 (फाइलर की आय के पहले $7,316 के 1 प्रतिशत के बराबर) और $154 (फाइलर की आय $7,316 से ज्यादा के 2 प्रतिशत के बराबर) का योग। यह कर देयता निजी, निर्भर, वरिष्ठ, और अन्य कर जमाओं सहित अन्य कारकों के द्वरा कम—और संभवतः खत्म—हो जाएगी। प्रस्तावित कर दरें 2013 की शुरुआत में प्रभावी होंगी और 2024 में खत्म हो जाएंगी। सूचीबद्ध मौजूदा कर दरें मानसिक स्वास्थ्य कर दर को बाहर रखती है जो $1 मिलियन से बेशी कर योग्य आय के लिए 1 प्रतिशत होता है।

दर $1 मिलियन से अधिक की आय पर अभी भी लागू होगा। उपाय की यह दर बदलती रहती है, इसलिए यह करदाताओं की इन सीमांत PIT दरों को 10.3 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाएगी। इस मत का प्रस्ताव 30 भी PIT दरों को बढ़ाएगी। पास का बॉक्स वर्णन करता है कि अगर दोनों उपायों को अनुमोदित कर दिया जाता है तो क्या होगा।

पब्लिक स्कूलों, शुरुआती देखभाल और शिक्षा (ECE), और कर्ज सेवा के लिए धन उपलब्ध कराता है। इस उपाय द्वारा एकत्र राजस्व नवगठित कैलीफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड (CETF) में जमा कराया जाएगा। ये कोष विशेष रूप से तीन उद्देश्यों को समर्पित होंगे। जैसा चित्र 2 में दिखाया गया है, 2013—14 और 2014—15 में, यह उपाय CETF कोष का 60 प्रतिशत स्कूलों,

चित्र 2

प्रस्ताव 38 द्वारा एकत्र राजस्व का आवंटन

	2013–14 और 2014–15	2015–16 और 2016–17	2017–18 तक 2023–24
स्कूल	60%	60%	85%
शुरुआती देखभाल और शिक्षा (ECE)	10	10	15
राज्य कर्ज अदायगी	30	30[a]	—[a]
कुल	100%	100%	100%
स्कूलों और ECE कार्यक्रमों को आवंटन पर वृद्धि सीमा[a]	नहीं	हां	हां

[a] प्रदर्शित करता है राज्य कर्ज अदायगी को समर्पित न्यूनतम हिस्सा। वृद्धि सीमा से परे राजस्व का उपयोग भी कर्ज अदायगी के लिए किया जाएगा।

प्रस्ताव 38 के पाठ के लिए, पृष्ठ 113 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

10 प्रतिशत ECE कार्यक्रमों, और 30 प्रतिशत राज्य के कर्ज की अदायगी के लिए आवंटित करता है। 2015–16 और 2016–17 में, वही सामान्य आवंटन अधिकृत हैं लेकिन कुछ ज्यादा हिस्सा राज्य की कर्ज अदायगी में आवंटित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2015–16 की शुरुआत में, उपायः (1) शुरुआती पांच वर्षों से अधिक तक कैलीफोर्निया प्रति व्यक्तिगत आय में औसत वृद्धि पर आधारित स्कूलों और ECE कार्यक्रमों को सकल आवंटन में वृद्धि को सीमित करता है और (2) वृद्धि दर से ऊपर एकत्रित धन को राज्य की कर्ज अदायगी के लिए समर्पित करता है। 2017–18 से 2023–24 तक, CETF कोष का 85 प्रतिशत स्कूलों को जाएगा और 15 प्रतिशत तक ECE कार्यक्रमों को जाएगा, साथ ही वृद्धि दर से बेशी राजस्व का उपयोग राज्य की कर्ज अदायगी के लिए होता रहेगा।

क्या होता है अगर मतदाता प्रस्ताव 30 व प्रस्ताव 38 दोनों को स्वीकृत कर देते हैं?

राज्य का संविधान निर्दिष्ट करता है कि अगर दोनों उपायों में संघर्ष होता है तो क्या होता है। यदि राज्यव्यापी मतदान में स्वीकृत दो उपायों के प्रावधानों में संघर्ष होता है तो संविधान निर्दिष्ट करता है कि अधिक "हाँ" के मत प्राप्त करने वाले उपाय के प्रावधान प्रबल होंगे। इस राज्यव्यापी मतदान में प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 38, दोनों व्यक्तिगत आय कर (PIT) की दरों में वृद्धि करते हैं, और इस तरह उनको परस्पर विरोधी के रूप में देखा जा सकता है।

उपाय व्यक्त करता है कि कर वृद्धि का केवल एक सेट ही प्रभावी होता है। प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 38, दोनों में यह स्पष्ट करने के लिए खण्ड हैं कि अगर दोनों उपाय पारित हो जाते हैं तो कौन से प्रावधान प्रभावी होंगे:

- ***यदि प्रस्ताव 30 को अधिक हाँ मत प्राप्त होते हैं।*** प्रस्ताव 30 में एक खण्ड है जो संकेत देता है कि इसके प्रावधान अपनी सम्पूर्णता में लागू होंगे और PIT की दरों में वृद्धि करने वाले किसी भी अन्य उपाय के प्रावधान—इस मामले में प्रस्ताव 38—प्रभावी नहीं होंगे।
- ***यदि प्रस्ताव 38 को अधिक हाँ मत प्राप्त होते हैं।*** प्रस्ताव 38 में एक खण्ड है जो संकेत देता है कि इसके प्रावधान प्रबल होंगे और बिक्री कर या और PIT की दरों में वृद्धि करने वाले किसी भी अन्य उपाय के प्रावधान—इस मामले में प्रस्ताव 30—प्रभावी नहीं होंगे। इस परिदृश्य के तहत, खर्च में कटौती, जिसे "ट्रिगर कटौती" के रूप में जाना जाता है, प्रस्ताव 30 की कर वृद्धि के प्रभावी न होने पाने के कारण प्रभावी होगी। (ट्रिगर कटौतियों पर अधिक जानकारी के लिए प्रस्ताव 30 के विश्लेषण देखें।)

जारी

विधानमंडल द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यदि मतदाताओं द्वारा स्वीकृत हुआ, इस उपाय में संशोधन केवल भावी मतदान के तरीके से ही किया जा सकता है। विधानमंडल पर मतदाताओं की मंजूरी के बगैर इस उपाय में किसी भी प्रकार का संशोधन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

वित्तीय प्रभाव

लगभग $10 बिलियन अतिरिक्त सालाना राज्य राजस्व। आरंभिक वर्षों में—2013–14 की शुरुआत में—अतिरिक्त राज्य राजस्व की सालाना वृद्धि लगभग $10 बिलियन होगा। (2012–13 में, इस उपाय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राज्य राजस्व इस राशि का लगभग आधा होगा।) कुल एकत्र राजस्व समय के साथ बढ़ेगा। किसी खास साल एकत्र राजस्व, हालांकि, पिछले साल की अपेक्षा बहुत अधिक या बहुत कम हो सकता है। ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि यह उपाय ऊपरी आय वाले करदाताओं के लिए कर दरें बढ़ाता है। इन व्यक्तियों की आय में परिवर्तन का रुख बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यह स्टॉक मार्केट, मकानों की कीमतें, और निवेशों में काफी हद तक बदलाव के कारण प्रभावित होता है। इन करदाताओं की आय में बदलाव और कर दरों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की अनिश्चितता के कारण, इस उपाय द्वारा बढ़े राजस्व का अनुमान मुश्किल है।

स्कूल

पृष्ठभूमि

ज्यादातर पब्लिक स्कूलों को वित्तपोषण राज्य वित्तपोषण फार्मूला से जुड़ा है। कैलीफोर्निया पब्लिक स्कूलों के लगभग 6 मिलियन विद्यार्थियों को शैक्षिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन विद्यार्थियों को शिक्षा 1,000 से ज्यादा शैक्षक एजेंसियों—मुख्यतःस्कूल जिलों के जरिए दी जाती है। ज्यादा स्कूलों को धन राज्य के स्कूल वित्तपोषण फार्मूला के जरिए उपलब्ध कराया जाता है—जिसे आम तौर पर प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी कहा जाता है। (न्यूनतम गारंटी प्राप्त करने के लिए कम्यूनिटी कॉलेज वित्तपोषण भी लागू होता है।) न्यूनतम गारंटी राज्य के सामान्य कोष और स्थानीय संपत्ति कर राजस्व के संयोजन के जरिए वित्तपोषित है। 2010–11 में, स्कूलों को स्कूल वित्तपोषण फार्मूला से $43 बिलियन प्राप्त हुआ।

ज्यादा स्कूल के खर्चे संबंधी फैसले स्थानीय संचालन बोर्डों द्वारा किए जाते हैं। राज्य- संबंधी स्कूल वित्तपोषण का लगभग 70 प्रतिशत किसी भी शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में, स्कूल जिला संचालन बोर्ड यह फैसला करता

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

है निधि कैसे खर्च की जानी चाहिए। संचालन बोर्ड खास तौर पर उन विशिष्ट गतिविधियों का निर्धारण करेगा जिसके लिए निधि का उपयोग होगा, साथ ही जिलो के स्कूल स्थलों के बीच निधियों का बंटवारा कैसे होगा। निधियों का बाकी 30 प्रतिशत विशिष्ट उद्देश्यों, जैसे कि स्कूल भोजन देना या बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, के लिए इस्तेमाल करना होगा। स्कूल जिले इसमें कम लचीला रुख ही अपना सकते हैं कि इन प्रतिबंधित निधियों का उपयोग कैसे करें।

प्रस्ताव

इस उपाय के तहत, स्कूलों को 2016–17 तक PIT दर वृद्धि से प्राप्त राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत प्राप्त होगा और उसके बाद लगभग 85 प्रतिशत सालाना मिलेगा। ये CETF कोष स्कूलों के लिए प्रस्ताव 98 के सामान्य कोष समर्थन के अतिरिक्त होंगे। कोष तीन अनुदान कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं। यह उपाय खर्च पर और इन कोषों से संबंधित रिपोर्टिंग जरूरतों पर प्रतिबंध भी लगाता है। इन प्रमुख प्रावधानों पर ज्यादा विस्तार के साथ नीचे चर्चा की गई है।

स्कूलो कोषों को तीन अनुदान कार्यक्रमों के जरिए वितरित करता है। प्रस्ताव 38 CETF कोषों को निम्नलिखित तरीके से आवंटित करने की जरूरत बताता है:

- ***शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान (कोषों का 70 प्रतिशत)।*** कोषों का सबसे बड़ा हिस्सा—सभी CETF स्कूल वित्तपोषण का 70 प्रतिशत—विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक स्कूल को वितरित किया जाएगा। विशिष्ट प्रति-विद्यार्थी अनुदान, हालांकि हर विद्यार्थी की कक्षा पर निर्भर करेगा, स्कूल ऊंची कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए ज्यादा धन प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान विस्तृत गतिविधियों पर खर्च किए जा सकते हैं, इसमें शामिल हैं निर्देश, स्कूल समर्थन स्टाफ (जैसेकि सलाहकार और लाइब्रेरियन) और माता-पिता से जुड़े कार्यक्रम।
- ***कम आय विद्यार्थी अनुदान(कोष का 18 प्रतिशत)*** यह उपाय इस बात की जरूरत बताता है कि CETF स्कूल कोष का 18 प्रतिशत हर स्कूल में नामांकित कम आय वाले विद्यार्थियों की संख्या (जिसको स्कूल में मुफ्त भोजन के पात्र विद्यार्थियों की संख्या के तौर पर परिभाषित किया गया है) पर आधारित राज्यवार एक दर पर आवंटित किया जाए। शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान की तरह ही, कम- आय विद्यार्थी अनुदान को शैक्षिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे पर खर्च किया जा सकता है।
- ***प्रशिक्षण, तकनीकी, और शैक्षिक सामग्री अनुदान (कोषों का 12 प्रतिशत)।*** बाकी 12 प्रतिशत कोष प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या पर आधारित एक राज्यवार दर पर आवंटित किया जाएगा। इस कोष का उपयोग केवल स्कूल स्टाफ के प्रशिक्षण और नयी तकनीकी तथा शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए किया जा सकता है।

कोष को अनुकूल स्कूल स्थलों पर खर्च किए जाने की जरूरत बताता है। इस उपाय से स्कूल जिलों द्वारा प्राप्त धन उन विशिष्ट स्कूलों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनके विद्यार्थी कोष जुटाते हैं। कम-आय विद्यार्थी अनुदान के मामले में, उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल जिले के 100 फीसदी कम-आय विद्यार्थी एक खास स्कूल में पढ़ते हैं, तो संपूर्ण कम-आय अनुदान कोष को उस विशेष स्कूल में खर्च करने की जरूरत होगी। हालांकि, ज्यादातर अन्य स्कूलों से वित्तपोषण की तरह, स्थानीय संचालन बोर्ड निर्धारण करता है कि CETF कोष कैसे प्रत्येक स्कूल स्थल पर खर्च किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव 38 कोष सभी स्कूलों के लिए वित्तपोषण में शुद्ध वृद्धि करेगा, यह उपाय स्कूल जिलों से यह भी चाहेगा कि वे प्रत्येक स्कूल स्थल के गैर-CETF स्रोतों से प्रति-विद्यार्थी वित्तपोषण को 2012–13 के स्तरों से नीचे नहीं आने देने के लिए उचित प्रयास करें। यदि कोई स्कूल जिला किसी स्कूल स्थल के लिए प्रति-विद्यार्थी वित्त पोषण 2012–13 के स्तर से कम करता है, तो उसे स्कूल या स्कूल के पास एक आम बैठक आयोजित कर इस कमी के कारणों को बताना होगा।

स्कूल जिलों से यह अपेक्षा करता है कि वे खर्च संबंधी फैसले लेने से पहले सार्वजनिक सहयोग मांगें। प्रस्ताव 38 यह अपेक्षा भी रखता है कि स्कूल जिला संचालन बोर्ड्स एक खुली सार्वजनिक सुनवाई में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशासकों, और अन्य स्कूल स्टाफ से सहयोग मांगे कि CETF स्कूल कोषों को कैसे खर्च करें। जब संचालन बोर्ड फैसला करता है कि कोषों को कैसे खर्च करें, उसे—सार्वजनिक तौर पर और ऑनलाइन—यह जरूर बताना चाहिए कि CETF स्कूल व्यय कैसे शैक्षिक परिणामों को सुधारेंगे और सुधरे परिणाम कैसे मापे जाएंगे।

प्रत्येक स्कूल के लिए बजट रिपोर्टिंग आवश्यकताएं बनाता है। इस उपाय में स्कूल जिलों के लिए कई रिपोर्टिंग आवश्यकताएं भी शामिल हैं। विशेष रूप से, 2012–13 की शुरुआत में, यह उपाय चाहता है कि प्रत्येक स्कूल जिले अपने हर स्कूल के लिए ऑनलाइन बजट बनाएं और उसका प्रकाशन करें। बजट में सभी वित्तीय स्रोतों

प्रस्ताव 38 के पाठ के लिए, पृष्ठ 113 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

से हर स्कूल को वित्त-पोषण और व्यय दिखाया जाना चाहिए, जो विभिन्न व्यय श्रेणियों में बंटा हुआ हो। राज्य सार्वजनिक अनुदेश अधीक्षक (स्टेट सूपरन्टेन्डन्ट ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) को बजटों के लिए रिपोर्ट किया जाने वाला एक समरूप प्रारूप उपलब्ध कराना चाहिए और सभी स्कूलों के बजट, जिसमें पिछले वर्षों के आंकड़े शामिल हों, को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा, स्कूल जिलों को एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर CETF कोष उनके प्रत्येक स्कूल पर कैसे खर्च किए गए।

अन्य भत्ते एवं प्रतिबंध। यह उपाय स्कूल जिले को आवंटित राशि का 1 प्रतिशत तक बजट बनाने, रिपोर्टिंग. और ऑडिट जरूरतों पर खर्च करने की अनुमति देता है। उपाय CETF स्कूल कोषों का उपयोग वेतन देने या लाभ में वृद्धि किए जाने पर रोक लगाता है जब तक कि बढ़ोत्तरी का लाभ अन्य उन समान कर्मचारियों को उपलब्ध न कराया जाए जिनको वेतन गैर-CETF डॉलर से मिलता है। इस उपाय में एक प्रावधान ऐसा भी है जो CETF स्कूल धन को 1 नवम्बर, 2012 को उपलब्ध कराये गए राज्य, स्थानीय, या संघीय वित्त-पोषण (फंडिंग) के स्थान पर उपयोग किए जाने पर रोक लगाता है।

वित्तीय प्रभाव

स्कूलों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराता है। आरंभिक वर्षों में स्कूल इस उपाय से लगभग $6 बिलियन सालाना, या $1,000 प्रति विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। इस राशि में से, $4.2 बिलियन शिक्षा कार्यक्रम अनुदान के लिए, $1.1 बिलियन कम-आय विद्यार्थी अनुदान के लिए, और $700 मिलियन प्रशिक्षण, तकनीकी, और शैक्षणिक सामग्री अनुदान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। (2013–14 की राशि ज्यादा रहेगी क्योंकि 2012–13 में एकत्र धन भी वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा।) भविष्य के वर्षों में उपलब्ध राशि समय के साथ बढ़ेगी। 2017–18 के शुरू में, स्कूलों पर खर्च किया जाने वाला धन भविष्य में बढ़ेगा क्योंकि राज्य की कर्ज अदायगी में उपयोग के लिए आवश्यक धन में बहुत कमी आएगी।

शुरुआती देखभाल और शिक्षा

पृष्ठभूमि

ECE कार्यक्रम पांच साल की उम्र के और उससे छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। किंडरगार्टेन में जाने से पहले—जो आम तौर पर पांच साल की उम्र में शुरू होता है—कैलीफोर्निया के ज्यादातर बच्चे किसी प्रकार के ECE कार्यक्रम में शामिल होते हैं। परिवार इन कार्यक्रमों में विभिन्न कारणों से भागीदारी करते हैं, जिसमें माता-पिता के काम करते समय बच्चों की देखभाल और बच्चे के सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल का विकास शामिल है। खास तौर पर जन्म से तीन साल तक के बच्चों की सेवा करने वाले कार्यक्रम को अबोध और नन्हें बच्चों की देखभाल कहा जाता है। तीन से पांच साल के बच्चों की सेवा वाले कार्यक्रम बहुधा प्री-स्कूल कहलाते हैं और उनका ध्यान केंद्रित किंडरगार्टेन के लिए बच्चों की तैयारी में मदद करने पर होता है। एक ओर जहां सभी कार्यक्रमों को राज्य से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को अपनाना जरूरी होता है, वहीं कार्यक्रमों के विशिष्ट गुण—स्टाफ गुणवत्ता, वयस्क-बच्चा अनुपात, पाठ्यक्रम, परिवार शुल्क, और देखभाल का शुल्क—भिन्न होते हैं।

कुछ बच्चे आर्थिक सहायता प्राप्त ECE सेवाओं के पात्र हैं। जबकि कई परिवार ECE कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भुगतान करते हैं, सार्वजनिक कोष कुछ बच्चों के लिए सेवाओं को आर्थिक सहायता देते हैं। ये सहायता आम तौर पर उन परिवारों के लिए आरक्षित होती है जो कम आय वाले हैं, "वेलफेयर-टू-वर्क" कार्यक्रमों या अन्य कार्य अथवा प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी करते हैं, और/ या जिनके विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं। सामान्यतः, ECE सहायता के लिए पात्रता उन परिवारों तक सीमित है जो राज्य के मध्य आय स्तर का 70 प्रतिशत या उससे कम अर्जित करते हैं (उदाहरण के लिए, तीन सदस्यों के एक परिवार के लिए यह सीमा $3,518 प्रति माह है)। राज्य सहायता प्राप्त ECE "स्लाट" के लिए प्रदाताओं को एक स्थापित प्रति-बच्चा दर का भुगतान करता है। भुगतान दर राज्य के क्षेत्र और देखभाल संबंधी व्यवस्था के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। यह खासतौर पर अबोध/नन्हें बच्चों की पूर्णकालिक देखभाल के लिए लगभग $1,000 प्रति माह और पूर्णकालिक प्री-स्कूल के लिए $700 प्रति माह है।

मौजूदा वित्त पोषण स्तर सभी पात्र बच्चों के लिए ECE कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता नहीं देते। 2010–11 में,राज्य और संघीय कोषों ने लगभग 500,00, या कैलीफोर्निया के पांच साल या उससे कम उम्र के 15 प्रतिशत बच्चों के लिए शिशु देखभाल अन्य प्री स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों को लगभग $2.6 बिलयन उपलब्ध कराए। हालांकि, कैलीफोर्निया के लगभग आधे बच्चे सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के लिए आय पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। चूंकि सभी पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य और संघीय कोष पर्याप्त नहीं है, ज्यदातर देशों में प्रतीक्षा सूची होना आम बात है।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

प्रस्ताव

जैसा पहले उल्लेख किया गया है, ECE कार्यक्रम 2016–17 तक PIT द्वारा दर वृद्धि से एकत्र राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत और उसके बाद करीब 15 प्रतिशत सालाना प्राप्त करेंगे। यह उपाय इन कोषों का विशिष्ट आवंटन उपलब्ध कराता है, जिसका सार चित्र 3 में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि चित्र के शीर्ष पर प्रदर्शित है, ECE कार्यक्रमों के लिए एकत्र कोष का 23 प्रतिशत तक बच्चों की देखभाल के "स्लाट" में राज्य के बजट में हुई कमी की बहाली और भुगतान दर उपलब्ध कराने में, साथ ही राज्य की ECE प्रणाली के समर्थन संबंधी कुछ निश्चित राज्यवार गतिविधियों को लागू करने को दिया जाएगा। चित्र के निचले हिस्से में प्रदर्शित ECE का बाकी कोष कम आय वाले परिवारों को ज्यादा बच्चों की सेवा के लिए शिशु देखभाल और प्री स्कूल कार्यक्रमों को विस्तारित करेगा तथा कुछ निश्चित ECE प्रदाताओं के लिए भुगतान दरें बढ़ाएगा। यह उपाय ECE कार्यक्रमों के लिए मौजूदा समर्थन को कम करने से राज्य को रोकता भी है। विशेष तौर पर, राज्य को भविष्य के वर्षों में ECE

चित्र 3

प्रस्ताव 38 के शुरुआती देखभाल और शिक्षा (ECE) प्रावधान

उद्देश्य /विवरण	ECE वित्तपोषण का प्रतिशत[a]
"बहाली और व्यवस्था सुधार"	
कार्यक्रम की बहाली—2008-09 से चल रहे आर्थिक सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के राज्य बजट में कटौती को आंशिक तौर पर बहाल करता है। बहाली में ज्यादा बच्चों की सेवा करना, परिवार की आय में वृद्धि करना और फिर भी वह परिलाभों का पात्र बना रहे, और राज्य के प्रति-बच्चा भुगतान दर में वृद्धि करना शामिल हैं।	19.4%
रेटिंग प्रणाली—ECE कार्यक्रमों के आकलन और उनके सार्वजनिक मूल्यांकन की प्रणाली बनाता है जो इस बात पर आधारित होता है कि वे कैसे बच्चों के सामाजिक/भावनात्मक विकास और उनकी अकादमिक तैयारी में कैसे सहयोग करते हैं।	2.6
ECE डेटाबेस—राज्य वित्त पोषित ECE कार्यक्रमों से जुड़े बच्चों के बारे में सूचना एकत्र करने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए राज्यवार डेटाबेस बनाता है। बच्चे के ECE कार्यक्रम के बारे में विस्तृत ब्यौरा शामिल करने के साथ यह किंडरगार्टेन तैयारी आकलन संबंधी उसके प्रदर्शन को शामिल करेगा। यह राज्य के K–12 डेटाबेस से जुड़ेगा।	0.6
लाइसेंसिंग निरीक्षण—राज्य लाइसेंसिंग एजेंसी की ओर से ECE कार्यक्रमों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निरीक्षणों की बारंबारता को बढ़ाएगा।	0.3
कुल योग	(23.0%)
"ECE कार्यक्रमों को मजबूत और विस्तारित करता है"	
तीन से पांच साल के बच्चों की सेवा करता है—कम-आय वाले पड़ोस में सेवा को प्राथमिकता देते हुए, कम-आय वाले परिवारों के बच्चों को शामिल करते हुए सहायता प्राप्त प्री स्कूल को विस्तारित करता है।	51.6%
जन्म से तीन साल तक के बच्चों के लिए सेवाएं देता है—कम-आय वाले परिवारों के बच्चों को देखभाल और परिवार समर्थन उपलब्ध कराने के लिए नया कैलीफोर्निया अर्ली हेड स्टार्ट कार्यक्रम स्थापित करता है।	16.6
भुगतान दर प्रदाता—नये रेटिंग मानक पर ज्यादा अंक हासिल करने वाले, राज्य से सहायता प्राप्त ECE कार्यक्रमों को पूरक प्रति-बच्चा भुगतान उपलब्ध कराता है, साथ ही प्री स्कूल कार्यक्रमों के लिए ज्यादा वित्तपोषण लक्ष्य देता है।सभी लाइसेंसधारी राज्य-सहायता प्राप्त ECE कार्यक्रमों, जो कि जन्म से 18 माह तक के बच्चों की सेवा करते हैं, का मौजूदा प्रति-बच्चा भुगतान दर भी बढ़ाता है।	8.9
कुल योग	(77.0%[b])
कुल	

[a] चूंकि बहाली और प्रणाली सुधार को समर्पित राशि $355 मिलियन है, वित्त पोषण का हल्का सा कम हिस्सा इन गतिविधियों के लिए होगा और थोड़ा ज्यादा हिस्सा ECE कार्यक्रमों की मजबूती व उनके विस्तार के लिए होगा जब उपाय का ऋण सेवा भुगतान 2017–18 में रोका जाएगा।

[b] इन कोषों का तीन प्रतिशत से ज्यादा राज्य स्तरीय प्रशासनिक खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ECE प्रदाताओं को आवंटित धन के 15 प्रतिशत से ज्यादा सुविधा खर्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

प्रस्ताव 38 के पाठ के लिए, पृष्ठ 113 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

कार्यक्रमों के लिए राज्य के सामान्य कोष राजस्व को उसी अनुपात में खर्च करना होगा जिस अनुपात में वह 2012–13 में खर्च कर रहा है (लगभग 1 प्रतिशत)। जैसा नीचे ज्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है, उपाय में इनसे संबंधित उल्लेखनीय प्रावधान शामिल हैः (1) ECE कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए एक रेटिंग प्रणाली, (2) प्री स्कूल, और (3) अबोध व छोटे बच्चों की देखभाल।

व्यक्तिगत ECE कार्यक्रमों की गुणवत्ता के आकलन के लिए राज्यवार रेटिंग प्रणाली स्थापित करता है। उपाय चाहता है कि राज्य व्यक्तिगत ECE कार्यक्रमों की प्रभाविता के आकलन के लिए एक "अर्ली लर्निंग क्वालिटी रेटिंग एंड इंप्रूवमेंट सिस्टम" (QRIS) को लागू करे। शुरुआती काम को करने के लिए जिसे राज्य पहले ही हाथ में ले चुका है, राज्य के पास इस बात के मूल्यांकन का मानक विकसित करने के लिए जनवरी 2014 तक का समय है कि कार्यक्रम बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास और अकादमिक तैयारियों के लिए कैसे सहयोग करते हैं। सभी ECE कार्यक्रम इस मानक पर रेटिंग के लिए चुने जा सकते हैं, और रेटिंग जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। राज्य प्रदाताओं की सेवाओं और उनकी रेटिंग में सुधार के बाबत उनकी मदद के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित करेगा। इसके अलावा, प्रस्ताव 38 QRIS मानक पर उच्च अंक हासिल करने वाले शिशु देखभाल और प्री स्कूल कार्यक्रमों को—मौजूदा प्रति-बच्चा सहायता दरों के शीर्ष दर से—पूरक भुगतान उपलब्ध कराएगा।

प्री स्कूल को कम आय वाले परिवारों से ज्यादा बच्चे उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव 38 कम आय वाले परिवार के अत्यधिक बच्चों वाले राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त पड़ोस के प्री स्कूल कार्यक्रमों में उपलब्ध स्लाट की संख्या विस्तारित करता है। इन नये स्लाट के प्रस्ताव के लिए वित्त पोषण केवल ऊंची गुणवत्ता रेटिंग वाले प्री स्कूल प्रदाताओं को उपलब्ध होगा। वित्तपोषण का आवंटन उन प्रदाताओं को होगा जो लक्षित पड़ोस के बच्चों, जो इस समय प्री स्कूल नहीं जाते, की अनुमानित संख्या पर आधारित हैं। (इन नये स्लाट का कम से कम 65 प्रतिशत उन कार्यक्रमों में होना चाहिए जो पूरे साल पूर्णकालिक सेवा की पेशकश करते हैं।) कार्यक्रम में भागीदारी उन्हीं बच्चों के लिए सीमित होगी जो मौजूदा परिवार आय पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं या लक्षित पड़ोस में रह रहे हैं इस बात की परवाह किए बिना कि उनके परिवार की आय कितनी है। इसमें कुछ निश्चित जोखिम वाले बच्चों (फॉस्टर केयर वाले बच्चों सहित) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

कम आय वाले परिवारों से अबोध और छोटे बच्चों के लिए नये कार्यक्रम स्थापित करता है। प्रस्ताव 38 कैलीफोर्निया "अर्ली हेड स्टार्ट" (EHS) कार्यक्रम स्थापित करता है, जिसे इसी नाम के संघीय कार्यक्रम के बाद बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण का 65 प्रतिशत तक तीन साल तक के बच्चों वाले कम आय के परिवारों को शिशु देखभाल और परिवार समर्थन सेवाओं दोनों के लिए देगा। (इस नये स्लाट का कम से कम 75 प्रतिशत पूरे वर्ष तक पूर्णकालिक देखभाल के लिए होना चाहिए।) EHS धन का कम से कम 35 प्रतिशत उन परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराएगा जो कार्यक्रम के बच्चों की देखभाल वाले हिस्से में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। दोनों मामलों में, परिवार समर्थन सेवाओं में कार्यक्रम कर्मचारी द्वारा घर का दौरा, बच्चों के विकास का आकलन, परिवार शिक्षा कार्यक्रम, और माता-पिता व देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं।

वित्तीय प्रभाव

ECE कार्यक्रमों के समर्थन और विस्तार के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराता है। शुरुआती वर्षों में, इस उपाय से लगभग $1 बिलियन सालाना राज्य की ECE प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। (2013–14 की राशि ज्यादा होगी क्योंकि 2012–13 में एकत्र कोष भी वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा।) वित्त पोषण का ज्यादा हिस्सा बच्चों की देखभाल और प्री स्कूल के विस्तार को समर्पित होगा—जो इसे लागू होने के शुरुआती वर्षों में अतिरिक्त लगभग 10,000 अबोध/ छोटे बच्चों और 90,000 प्री स्कूल जाने वाले बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भावी वर्षों में उपलब्ध राशि समय के साथ बढ़ेगी। 2017–18 की शुरुआत में, ECE कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि बढ़ेगी क्योंकि राज्य की कर्ज अदायगी के लिए जरूरी राशि बहुत घटेगी।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

राज्य कर्ज अदायगी

पृष्ठभूमि

सामान्य दायित्व बांड कर्ज अदायगी। बांड वित्तपोषण एक प्रकार का लम्बी अवधि का उधार लेना है जिसका उपयोग राज्य मुख्यतः लम्बी अवधि की बुनियादी सुविधाओं (इसमें शामिल हैं स्कूल और विश्वविद्यालय भवन, राजमार्ग, सड़कें, भूमि एवं वन्यजीव संरक्षण, और जल संबंधी सुविधाएं) के लिए धन जुटाने में करता है। राज्य निवेशकों को बांड बेचकर यह धन प्राप्त करता है। बदले में, राज्य एक विशिष्ट समय- सारणी के अनुसार, इस धन को ब्याज सहित चुकाने का वादा करता है। राज्य के बहुसंख्यक बांड सामान्य दायित्व बांड होते हैं, जिन्हें मतदाताओं द्वारा स्वीकृत और राज्य के सामान्य कराधान अधिकार द्वारा गारंटीकृत होना चाहिए। सामान्य दायित्व बांडों का खास तौर पर भुगतान सामान्य कोष से सालाना ऋण- सेवा भुगतान के साथ किया जाता है। 2010–11 में, राज्य की ओर से सामान्य दायित्व बांड ऋण भुगतान सेवा में $4.7 बिलियन की अदायगी की गई। इस राशि में से $3.2 बिलियन का भुगतान स्कूल और विश्वविद्यालय सुविधाओं पर ऋण-सेवा के लिए किया गया।

प्रस्ताव

2016–17 तक ऋण-सेवा राहत के लिए राजस्व का कम से कम 30 प्रतिशत। 2016–17 के अंत तक, प्रस्ताव 38 के राजस्व का कम से कम 30 प्रतिशत का उपयोग राज्य द्वारा ऋण-सेवा लागत का भुगतान करने में किया जाएगा। यह उपाय चाहता है कि इन कोषों का उपयोग पहले शिक्षा ऋण-सेवा लागत (प्री-किंडरगार्टेन से विश्वविद्यलय स्कूल सुविधाओं तक) के भुगतान में किया जाए। हालांकि, सालाना शिक्षा ऋण-सेवा लागत के भुगतान के बाद यदि कोष बचता है, तो इसका उपयोग अन्य राज्य सामान्य दायित्व बांड ऋण- सेवा लागतों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

2015–16 में शुरू होने वाले स्कूल और ECE आवंटन में वृद्धि को सीमित करता है, बेशी कोष का उपयोग ऋण- सेवा भुगतान के लिए करता है। 2015–16 में शुरू होने वाले, स्कूलों और ECE कार्यक्रमों को कुल CETF आवंटन पिछले पांच साल से अधिक तक कैलीफोर्निया प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय में औसत वृद्धि से अधिक दर से नहीं बढ़ सकता। इस वृद्धि दर से बेशी एकत्र CETF धन का भी उपयोग राज्य कर्ज अदायगी के लिए किया जाएगा। (यह उपाय राजस्व आवंटन में बदलाव करते हुए 2017–18 के लिए एक अपवाद उपलब्ध कराता है।)

वित्तीय प्रभाव

2016–17 तक लगभग $3 बिलियन सालाना सामान्य कोष बचत। 2016–17 के अंत तक, इस उपाय द्वारा एकत्र राजस्व का कम से कम 30 प्रतिशत—लगभग $3 बिलियन सालाना—का उपयोग सामान्य दायित्व ऋण-सेवा लागतों का भुगतान करने और राज्य सामान्य कोष बचत को उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। यह सामान्य कोष राजस्व को अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मुक्त कर देगा और इन वर्षों में बजट को संतुलित करना आसान कर देगा।

2015–16 में शुरू होने वाला संभावित अतिरिक्त सामान्य कोष बचत। इस उपाय के वृद्धि सीमा प्रावधान कुछ निश्चित वर्षों में सामान्य कोष बचत भी उपलब्ध कराएंगे। किसी बचत की राशि PIT राजस्व और प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय पर निर्भर करते हुए साल दर साल बदलती रहेगी लेकिन कई सौ मिलियन डॉलर सालाना हो सकती है।

प्रस्ताव 38 के पाठ के लिए, पृष्ठ 113 देखें।

प्रस्ताव 38 शिक्षा और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों में धन लगाने के लिए कर। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 38 के पक्ष में तर्क ★

शिक्षा हमारा भविष्य है क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। गुणवत्तायुक्त स्कूलों के बगैर, हमारे राज्य में कुशल कार्यबल की कमी रहेगी जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है।

हमारे स्कूलों में निवेश करने की बजाय, दोनों दलों के राजनीतिक इसमें कटौती करते रहे हैं। सन 2008 से वे स्कूल बजट में $20 बिलियन तक कटौती कर चुके हैं। 40,000 हजार से ज्यादा शिक्षक हटाए जा चुके हैं, और कैलीफोर्निया में अब देश की सबसे बड़े आकार की कक्षाएं हैं।

स्कूल को धन देना बहाल करें और उनमें विस्तार करें।

प्रस्ताव 38 स्कूलों को फिर से प्राथमिकता देता है। यह पूर्ण विकसित शिक्षा की बहाली और शैक्षिक परिणामों को सुधारने के लिए गारंटीयुक्त धन मुहैया कराता है।

यह नामांकन के आधार पर स्थानीय स्कूलों को बारह साल तक $10 बिलियन सालाना के औसत से कई बिलियन डॉलर की गारंटी देता है।

स्कूल स्थल कक्षा का आकार कम करने या कला, संगीत, गणित, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा तथा कॉलेज की तैयारी के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं—जो विभिन्न स्कूलों की भिन्न आवश्यकताओं पर आधारित है।

जानें प्रस्ताव 38 आपके समुदाय में कितना धन सीधे स्कूलों को भेजता है: www.moneyforlocalschools.org/restore.

और कटौती को रोकता है।

प्रस्ताव 38 सन 2016–17 तक सालाना $3 बिलियन अलग निकाल कर ज्यादा बजट कटौतियों पर रोक लगाने में और राज्य शिक्षा बांड कर्ज का भुगतान करके राज्य के घाटे को कम करने में मदद करता है।

बच्चों को सफलता के लिए तैयार करता है।

प्रस्ताव 38 बजट में कटौती बहाल करने, शुरुआती बचपन की शिक्षा, गुणवत्ता में सुधार, और प्री स्कूल में पहुंच के विस्तार के लिए सालाना $1.1 बिलियन से ज्यादा उपलब्ध कराता है।

हमारे स्कूलों में निवेश करने के लिए एक सही साझेदारी वाला तरीका।

कैलीफोर्नियाई होने के नाते हम सभी को हमारे स्कूलों को सुधारने के लिए कुछ सहयोग करना चाहिए क्योंकि लाभ में हम सभी का हिस्सा होगा। बेहतर स्कूल हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार और जीवन में गुणवत्ता लाएंगे।

प्रस्ताव 38 सभी कटौतियों के बाद आय पर राज्य कर की दरों को बढ़ाते हुए स्कूलों को धन देना बहाल करने के लिए सालाना $10 बिलियन उपलब्ध कराता है। इसमें भुगतान की क्षमता के आधार पर सरकने वाले पैमाने का उपयोग किया जाता है। सबसे धनी करदाता सबसे अधिक भुगतान करते हैं, $2.5 मिलियन आय वाले व्यक्तियों के लिए कर की दर 2.2% होती है। निचली सीमा पर, $25,000 से कम आय वाले करदाता सालाना औसतन $7.00 भुगतान करेंगे।

प्रस्ताव 38 आप जैसे करदाताओं को कैसे प्रभावित करता है, सीखें: www.moneyforlocalschools.org/taxcalculator.

अभिभावकों और करदाताओं को पांच गारंटी:

- *विधानमंडल धन को छू नहीं सकता।* प्रस्ताव 38 विधानमंडल को इस धन को दूसरे मद में ले जाने या उधार लेने से **रोकता है**, और यह स्कूलों को प्राप्त मौजूदा धन की जगह नये धन का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- *स्कूल को धन प्रत्येक स्कूल को प्रति शिष्य के हिसाब से मिलना **चाहिए** और स्कूल पर ही खर्च होना चाहिए।* इस धन की आडिट होगी और गलत आवंटन का कोई भी प्रयास एक बड़ा अपराध है जिसमें जेल की सजा हो सकती है और सार्वजनिक कार्यालय की जिम्मेदारी पर प्रतिबंध लग सकता है।
- *यह धन स्कूल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि या पेंशन पर खर्च **नहीं किया जा सकता**,* और प्रस्ताव 38 प्रशासन पर 1% से अधिक खर्च किए जाने पर रोक लगाता है।
- *खर्च करने के फैसले स्थानीय स्तर पर, जनता की राय लेने के बाद लिए जाएंगे।* जिलों को धन खर्च करने से पहले अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय की राय लेने के लिए प्रत्येक स्कूल स्थल पर खुली बैठक आयोजित **करनी होगी**।
- *स्कूल के जिले प्रत्येक स्कूल में सुधार के लिए जवाबदेह होंगे।* उन्हें हर स्कूल के लिए सालाना शैक्षिक सुधार लक्ष्य निर्धारित करना **होगा**, और सार्वजनिक तौर पर रिपोर्ट करना होगा कि धन कैसे खर्च किया गया और क्या सुधार लक्ष्य हासिल हुआ।

स्कूलों को पुनः प्राथमिकता बनाएं। प्रस्ताव 38 पर हां मतदान करें।

CAROL KOCIVAR, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया स्टेट पैरेंट टीचर एसोसिएशन
EDWARD JAMES OLMOS, अभिनेता
ARUN RAMANATHAN, कार्यकारी निदेशक
एजुकेशन ट्रस्ट- वेस्ट

★ प्रस्ताव 38 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

हम सभी बेहतर स्कूल चाहते हैं।

लेकिन **नये कर के $120 बिलियन की राशि** नयी गैरजिम्मेदार राज्य नौकरशाही में लगाने से हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता वापस नहीं आएगी।

व्यवस्था को सुधारने, नुकसान और गड़बड़ियों को दूर करने की बजाय प्रस्ताव 38 कर बढ़ाता है और एक गैरजिम्मेदार नौकरशाही में ज्यादा धन झोंकता है:

- प्रस्ताव 38 मध्य वर्ग के करदाताओं और छोटे व्यवसायों के लिए आयकर में जबर्दस्त इजाफा करने वाला है। यदि आपकी कर योग्य आय सालाना $8,000 या ज्यादा है, तो आपकी दर अगले **बारह वर्षों** के लिए 21% तक ज्यादा हो जाएगी।
- प्रस्ताव 38 पारिवारिक व्यवसायों पर खतरनाक तरीके से करों को बढ़ाकर छोटे व्यवसायों को बर्बाद कर देगा। पारिवारिक व्यवसायी एक व्यक्ति के तौर पर आयकर भरते और भुगतान करते हैं निगम के तौर पर नहीं।
- प्रस्ताव 38 छोटे और पारिवारिक व्यवसायों में नौकरियां खत्म कर देगा जहां ज्यदातर नौकरियां बढ़ रही हैं। ऊंचे बेरोजगारी दर के मामले में कैलीफोर्निया का देश में तीसरा नंबर है।
- प्रस्ताव 38 बारह वर्षों के लिए बदला नहीं जा सकता—यहां तक कि धोखाधड़ी और नुकसान के मामले में भी।
- प्रस्ताव 38 सैक्रामेंटो राजनीतिज्ञों को अपनी मर्जी के अनुरूप खर्च करने के लिए चार साल तक सालाना $3 बिलियन देता है।
- प्रस्ताव 38 मात्र मूल निधि प्राप्त करने के लिए जटिल लाल फीताशाही का चक्कर लगाने के वास्ते स्कूलों को बाध्य करके एक खर्चीली नयी नौकरशाही तैयार करता है, और नए कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाता है जबकि स्कूल के आवश्यक कार्यक्रम खत्म कर दिए जाते हैं।
- प्रस्ताव 38 विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारने के लिए आभासी तौर पर कुछ भी नहीं करता।

प्रस्ताव 38 पर नहीं मतदान करने में कैलीफोर्निया के शिक्षकों, चिकित्सकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, करदाता संगठनों और छोटे व्यापारी नेताओं के साथ जुड़ें। *www.StoptheMiddleClassTaxHike.com.*

ANDREW WONG, सदस्य
पोमोना युनीफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड ऑफ एजुकेशन
KEITH ROYAL, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया स्टेट शेरिफ्स एसोसिएशन
RICHARD RIDER, चेयरमैन
सैन डिएगो टैक्स फाइटर्स

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों की राय है और इनकी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 38 शिक्षा और शुरुआती बचपन के कार्यक्रमों में धन लगाने के लिए कर। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 38 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 38 पर नहीः

ज्यदातर कैलीफोर्नियाई नागरिकों पर $120 बिलियन की आयकर वृद्धि

यदि आपकी प्रतिवर्ष कर योग्य आय $17,346 या ज्यादा है, प्रस्ताव 38 आपकी कैलीफोर्निया व्यक्तिगत आयकर दर 21% तक बढ़ा देता है, यह उस भुगतान में सबसे ज्यादा है जो आप संघीय सरकार को करते हैं।

प्रस्ताव 38 कर वृद्धि 2024 तक जारी रहेगा। यदि आपका बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो आप ज्यादा आयकर का भुगतान तब तक करेंगे जबतक वह बच्चा हाईस्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाता।

यहां तक क जैसे अर्थव्यवस्था सुधरती है और ज्यादा लोग काम पर लौटते हैं, कर वृद्धि जारी रहती है। यहां तक कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधारों के बगैर, बुरे शिक्षकों को निकालने की योग्यता की तरह, कर वृद्धि तब भी जारी रहती है। प्रस्ताव 38 अगले बारह वर्षों के लिए हमें ऊंचे आयकर दर में बंद कर देता है—यह मायने नहीं रखता कि क्या!

राजनितिज्ञों और नौकरशाहों को नये करों में कई बिलियन डॉलर प्राप्त होते हैं, जिनकी आभासी तौर पर कोई जवाबदेही नहीं होती कि उन्होंने कैसे धनराशि खर्च की और वास्तव में कितना क्लास रूम में प्राप्त हुआ।

छोटे व्यवसायों को निशाना बनाता है और नौकरियां खत्म करता है

कैलीफोर्निया के तकरीबन 3.8 मिलियन छोटे व्यवसायी अपनी कमाई पर कार्पोरेट करों की बजाय व्यक्तिगत करों का भुगतान करते हैं। परिणामस्वरूप, छोटे व्यवसायी इन ऊंचे करों की वजह से तबाह हो जाएंगे—जबकि उनका व्यवसाय इतना छोटा जैसे $30,000 या $40,000 सालाना है।

रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था में सुधार करने की अपेक्षा प्रस्ताव 38 पारिवारिक व्यवसायों को नौकरी में कटौती, राज्य से बाहर जाने, या यहां तक कि व्यवसाय बंद करने के लिए बाध्य करेगा। यदि वे व्यापार में बने रहते हैं, तो ऊंचे करों के भुगतान के लिए कीमतें बढ़ाएंगे, जो अंततः उपभोक्ताओं पर जाएगा।

स्कूल का प्रदर्शन सुधारने की जरूरत नहीं

प्रस्ताव 38 के तहत स्कूलों का प्रदर्शन सुधारने अथवा बुरे शिक्षकों से निजात पाने की कोई जरूरत नहीं है। अत्यधिक धनराशि प्रशासन, सलाहकारों, पेंशन परिलाभों और ऊपरी खर्चों पर व्यय होती रहेगी और बहुत छोटी राशि क्लास रूम में खर्च की जाएगी। इस समय, कैलीफोर्निया के 24% विद्यार्थी हाईस्कूल से ग्रेजुएट नहीं हैं। प्रस्ताव 38 ज्यादा धनराशि एक ऐसी व्यवस्था में लगाता है जो विद्यार्थियों के परिणामों में सुधार की जरूरत समझे बिना हमारे बच्चों को फेल कर रही है।

धोखाधड़ी या बर्बाद होने पर भी 12 साल तक कोई बदलाव नहीं

प्रस्ताव 38 के सत्ताईस पन्नों में एक विशेष प्रावधान छिपा हुआ है जो सन 2024 तक इस उपाय में किसी भी प्रकार के बदलाव पर प्रतिबंध लगाता है (बगैर लोगों द्वारा अन्य मतदान के), यहां तक कि धोखाधड़ी, नुकसान या गड़बड़ी के मामले में भी।

नये करों मे $120 बिलियन, लेकिन हमारे घाटे को कम करने के लिए कुछ भी नहीं

प्रस्ताव 38 "सैक्रामेंटो" राजनीतिज्ञों को खर्च जारी रखने की अनुमति देता है। प्रस्ताव 38 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विशेष तैर पर घाटे को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रकार की धनराशि की जरूरत बताता हो और ऐसा भी कुछ नहीं है जो राजनीतिज्ञों को हमे उसी मेस में वापस लाने से रोकता हो जहां हम अभी हैं, यहां तक कि $120 बिलियन के नये करों के साथ।

प्रस्ताव 38 पर नहीः

- बेहतरीन छपाई और खामियों के 27 पृष्ठ
- ऊंचे करों में $120 बिलियन
- $17,346 से ऊपर कर योग्य आय वालों के लिए आयकर बढ़ाता है
- छोटे व्यवसाय को बर्बाद और नौकरियां खत्म करता है
- स्कूल का प्रदर्शन सुधारने की जरूरत नहीं
- बारह साल तक बदला नहीं जा सकता—धोखाधड़ी या नुकसान के लिए भी—बिना एक और मतदान के

प्रस्ताव 38 पर नहीं—एक और त्रुटिपूर्ण, महंगी और गुमराह करने वाली पहल।

ALLAN ZAREMBERG, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया चैम्बर ऑफ कॉमर्स
KEN WILLIAMS, सदस्य
ऑरेंज काउंटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन
THOMAS HUDSON, कार्यकारी निदेशक
कैलीफोर्निया टैक्सपेयर प्रोटेक्शन कमेटी

★ प्रस्ताव 38 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

हमारे स्कूल संकट में हैं। बजट कटौती $20 बिलियन। प्रति शिष्य खर्च के मामले में 50 राज्यों में 47वें स्थान पर। 40,000 शिक्षक हटाए जा चुके हैं। शिक्षा को प्राथमिकता देने की बजाय राजनीतिज्ञ कटौती कर रहे हैं।

प्रस्ताव 38 एक समाधान पेश करता है। इसके विरोधी कोई समाधान पेश नहीं करते, केवल गुमराह करने वाले हमले करते हैं।

- करों के बारे में डराने की रणनीति पर यकीन नहीं करें। प्रस्ताव 38 के तहत, आयकर दर 0.4% से 2.2% तक बढ़ेगी, 21% नहीं।
- $30,000 से $40,000 की आय वाले छोटे व्यवसाय बर्बाद **नहीं** होंगे। $25,000 और $50,000 के बीच आय के लिए प्रस्ताव 38 की औसत वृद्धि $54 है।
- प्रस्ताव 38 के तहत स्कूलों के लिए मिली धनराशि प्रत्येक स्थानीय स्कूल स्थल को प्रति शिष्य **अवश्य** मिलेगी। इसे वहांखर्च करना **होगा**—जहां विद्यार्थी हैं—और इसका उपयोग विद्यार्थियों के परिणामों मे सुधार में **होना चाहिए। सैक्रामेंटो राजनीतिज्ञ इस धन को छू नहीं सकते।**
- प्रस्ताव 38 स्कूल के धन को वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य परिलाभों में उपयोग पर **प्रतिबंध लगाता है**; प्रशासन पर खर्च 1% से बढ़ **नहीं सकता**।
- यहां वास्तव में जवाबदेही है। प्रस्ताव 38 स्वतंत्र ऑडिट और शैक्षिक परिणामों की रिपोर्टों के सार्वजनिक खुलासे की **जरूरत बताता है**। गलत आवंटन का प्रयास एक बड़ा अपराध है।
- **मतदाता** प्रस्ताव 38 में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन **राजनीतिज्ञ नहीं।** यह प्रस्ताव 38 की इस गारंटी की रक्षा करता है कि विधानमंडल धन को स्कूलों से इतर नहीं लगा सकता।

प्रस्ताव 38 कटौतियों की बहाली और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए 12 साल तक औसत $10 बिलियन स्कूलों को नयी फंडिंग की गारंटी देता है।

हम अपने बच्चों को शिक्षित करने और नियोक्ताओं को कुशल, उत्पादक कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक स्कूलों पर भरोसा करते हैं। स्कूलों में निवेश नहीं करने की स्थिति में हमारे बच्चों और अर्थ व्यवस्था को नुकसान पहुँचता है।

आप खुद *prop38forlocalschools.org* पर प्रस्ताव 38 का अध्ययन करें।

स्कूलों को एक प्राथमिकता बनाएं। प्रस्ताव 38 पर हां।

CELIA JAFFE, अध्यक्ष
फोर्थ डिस्ट्रिक्ट पीटीए, ऑरेंज काउंटी
ALEX KAJITANI
2009 कैलीफोर्निया टीचर ऑफ द ईयर
TINA REPETTI-RENZULLO
2010–2011 लॉस एंजिल्स काउंटी टीचर ऑफ द ईयर

प्रस्ताव
39 बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण। पहल अधिनियम।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश — अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण। पहल अधिनियम।

- बहुराज्य व्यवसायों को कैलिफोर्निया में उनकी बिक्री के प्रतिशत के आधार पर उनकी कैलिफोर्निया आयकर देयता की गणना करने की मांग करता है।
- बहुराज्य व्यवसायों को कर देयता फार्मूला चुनने का विकल्प देने वाले मौजूदा कानून को भंग करता है जो कि कैलिफोर्निया के बाहर संपत्ति और पेरोल वाले व्यवसायों को अनुकूल कर उपचार प्रदान करता है।
- राजस्व में प्रत्याशित वृद्धि से पाँच वर्ष के लिए सालाना $550 मिलियन को ऐसी परियोजनाओं में धन लगाने के लिए समर्पित करता है जो कैलिफोर्निया में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा नौकरियां तैयार करती हैं।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव का वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सार:

- बहुराज्य व्यवसायों की इस बारे में चुनाव करने की क्षमता को खत्म करके कि उनकी कैलिफोर्निया कर योग्य आय को कैसे निर्धारित किया जाता है, अतिरिक्त वार्षिक राज्य राजस्व में लगभग $1 बिलियन—जो समय के साथ बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ बहुराज्य व्यवसाय अधिक राज्य करों का भुगतान करेंगे।
- अगले पांच वर्षों में इस उपाय द्वारा इक्ट्ठे किए गए राजस्व में से, लगभग आधे को ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित किया जाएगा।
- शेष राजस्व में से, एक बड़े भाग की पब्लिक स्कूलों और सामुदायिक कॉलेजों पर खर्च किए जाने की संभावना है।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

स्टेट कार्पोरेट आयकर। वह धनराशि जो एक व्यवसाय प्रतिवर्ष कार्पोरेट आयकरों में राज्य को देता है व्यवसाय के करयोग्य आय पर आधारित होती है। ऐसे व्यवसाय के लिए जिनका संचालन कैलीफोर्निया और दूसरे राज्यों या देशों दोनों में होता है (बहुराज्य व्यवसाय), राज्य कर उसके केवल उन आयों का हिस्सा है जो कैलीफोर्निया से जुड़े हैं। जबकि निगमों का केवल एक छोटा हिस्सा प्रकृति में बहुराज्य है, बहुराज्य निगम राज्य के कारपोरेट आयकरों के बड़े हिस्से का भुगतान करते हैं। यह कर राज्य का तीसरा सबसे बड़ा सामान्य कोष राजस्व स्रोत है, जो 2010–11 में बढ़कर $ 9.6 बिलियन हो गया।

बहुराज्य व्यवसाय यह चुनते हैं कि उनके करयोग्य आय का निर्धारण कैसे हो। इस समय, राज्य कानून ज्यादातर बहुराज्य व्यवसायों को कैलीफोर्निया से जुड़े उनके आय और राज्य द्वारा करयोग्य राशि के निर्धारण के लिए दो में से एक तरीका अपनाने की अनुमति देता है:

- ***कर योग्य आय के निर्धारण के "तीन- कारक तरीके"।*** एक तरीका कंपनी की बिक्री का स्थान, उसकी संपत्ति और कर्मचारियों का उपयोग करता है। इस तरीके का इस्तेमाल करते समय, ज्यादा बिक्री, संपत्ति,या कर्मचारी जो बहुराज्य व्यवसाय के पास कैलीफोर्निया में हैं, व्यवसाय की आय का ज्यादा हिस्सा राज्य कर का मामला होता है।

- ***कर योग्य आय के निर्धारण का "एकल बिक्री कारक तरीका"।*** दूसरा तरीका केवल कंपनी की बिक्री के स्थान का उपयोग करता है। इस तरीके का उपयोग करते हुए, बहुराज्य व्यवसाय कैलीफोर्निया में जितना अधिक बिक्री करता है, व्यवसाय के अपेक्षया अधिक आय पर कर लगता है। (उदाहरण के लिए, यदि कंपनी के उत्पाद का एक-चौथाई हिस्सा कैलीफोर्निया में बेचा जाता है और बाकी दूसरे राज्यों में, कंपनी के कुल लाभ का एक-चौथाई कैलीफोर्निया कर निर्धारण का मामला होगा।)

बहुराज्य व्यवसायों को आम तौर पर उस तरीके को चुनने की अनुमति दी जाती है जो कर उद्देश्यों से उनके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हो।

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम। ऊर्जा खपत कम करने के लिए इस समय कई कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं। इन प्रयासों का इरादा ऊर्जा के नए बुनियादी ढांचे (जैसे कि बिजली संयत्र और पारेषण लाइन) के निर्माण की आवश्यकता कम करने और पर्यावरण की गुणवत्ता के मानकों को प्राप्त करने में मदद करने का है। उदाहरण के लिए, कैलीफोर्निया पब्लिक युटिलिटी कमिशन (CPUC) विभिन्न प्रकार के ऊर्जा दक्षता उन्नयन और उपकरण छूट कार्यक्रमों की देखरेख करता है जिनका वित्त पोषण उपयोगिता करदाताओं से एकत्र धन द्वारा होता है। इसके अलावा, कैलीफोर्निया एनर्जी कमिशन (CEC) भवन एवं उपकरण मानक विकसित करता है जिसका मकसद राज्य में ऊर्जा खपत कम करना होता है।

स्कूल अनुदान फार्मूला। प्रस्ताव 98, मतदाताओं द्वारा 1988 में पारित और 1990 में संशोधित, पब्लिक स्कूलों और कम्यूनिटी कॉलेजों (यहां बाद में जिन्हें स्कूल कहा गया है) के लिए हर साल राज्य और स्थानीय अनुदान एक न्यूनतम स्तर चाहता है। यह अनुदान स्तर प्रस्ताव 98 की न्यूनतम गारंटी के तौर पर जाना जाता है। यद्यपि विधानमंडल गारंटी और निधि को एक निचले स्तर पर स्थगित कर सकता है, यह खास तौर पर गारंटी के बराबर अथवा उससे ज्यादा वित्त पोषण उपलब्ध कराने का फैसला करता है। प्रस्ताव 98 की गारंटी राज्य के सामान्य कोष राजस्वों (इसमें वह राशि भी शामिल है जो राज्य कार्पोरेट आयकर से एकत्र की गई है) में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। इसी प्रकार, एक उपाय—जैसे कि यह—जिससे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, के परिणामस्वरूप स्कूल वित्त पोषण गारंटी भी ज्यादा हो सकती है। प्रस्ताव 98 के व्यय राज्य बजट के सबसे ज्यादा खर्चे वाली श्रेणी में आते हैं—कुल राज्य के सामान्य कोष व्यय का लगभग 40 प्रतिशत।

प्रस्ताव

बहुराज्य व्यवसायों की यह चुनने की क्षमता खत्म करता है कि कर योग्य आय का निर्धारण कैसे हो। सन 2013 में शुरू हो रहे इस उपाय के तहत, बहुराज्य व्यवसायों को ज्यादा समय तक यह अनुमति नहीं होगी कि वे अपने राज्य कर योग्य आय के निर्धारण का चुनाव करें जो कि उनके लिए ज्यादा लाभदायक है। इसके बजाय, ज्यादातर बहुराज्य व्यवसायों को एकल बिक्री कारक तरीका अपनाते हुए अपने कैलीफोर्निया कर योग्य आय का निर्धारण करना होगा। कैवल कैलीफोर्निया में संचालित होने वाले व्यवसाय इस उपाय से प्रभावित नहीं होंगे।

इस उपाय में इस संबंध में नियम भी शामिल हैं कि सभी बहुराज्य व्यवसाय कुछ बिक्री के हिस्से की गणना कैसे करते हैं जो राज्य कर उद्देश्यों के लिए कैलीफोर्निया को आवंटित किए गए हैं। इनमे कुछ निश्चित बड़ी केबल कंपनियों के लिए विशिष्ट नियम शामिल हैं।

ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है। यह उपाय ऊर्जा दक्षता में सुधार और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग में विस्तार के इरादे वाली परियोजनाओं के समर्थन के लिए एक नया राज्य कोष, स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष, स्थापित करता है। उपाय यह कहता

प्रस्ताव 39 के पाठ के लिए, पृष्ठ 125 देखें।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

है कि कोष का उपयोग निम्न के समर्थन में किया जा सकता है: (1)पब्लिक स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्षता "रेट्रोफिट्स" और वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं; (2) ऊर्जा "रेट्रोफिट्स" के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग; और (3) ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी रोजगार प्रशिक्षण व कार्यबल विकास कार्यक्रम। विधानमंडल कोष से खर्च का निर्धारण करेगा और ऊर्जा परियोजनाओं के प्रबंधन में माहिर एजेंसियों द्वारा संचालित किफायती परिजनाओं के लिए धन के उपयोग में उसकी जरूरत रहेगी। यह उपाय (1) स्पष्ट तौर पर बताता भी है कि सभी वित्त पोषित परियोजनाओं को CEC और CPUC से समन्वय करना होगा और (2) कोष से खर्चे की सालाना समीक्षा और मूल्यांकन के लिए नये नौ-सदस्यीय निगरानी बोर्ड का गठन भी करता है।

स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष को अनिवार्य एकल बिक्री कारक के संचालन द्वारा एकत्र कुछ नये राजस्व से सहायता मिलेगी। खास तौर पर, इस तरह एकत्रित राजस्वों का आधा हिस्सा—अधिकतम $550 मिलियन तक—सालाना स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये स्थानांतरण केवल पांच वित्तीय वर्षों—2013–14 से 2017–18 तक के लिए होंगे।

वित्तीय प्रभाव

राज्य राजस्व में वृद्धि। जैसा कि चित्र 1 के शीर्ष लाइन में दिखाया गया है, यह उपाय राज्य राजस्व में $1 बिलियन सालाना वृद्धि करेगा जो 2013–14 में शुरू हो रहा है। (2012-13 में लगभग आधे साल का प्रभाव रहेगा।) बढ़े राजस्व ज्यादा कर दे रहे कुछ बहुराज्य व्यवसाय से आएंगे। इस उपाय से एकत्रित राशि समय के साथ बढ़ेगी।

ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयोग होने वाले कुछ राजस्व। पांच साल की अवधि (2013–14 से 2017–18 तक) के लिए, अतिरिक्त राजस्व का लगभग आधा —$500 मिलियन से $550 मिलियन सालाना—ऊर्जा दक्षता और

चित्र 1
राज्य राजस्वों और खर्च पर प्रस्ताव 39 के प्रभाव का अनुमान

	2012–13	2013–14 से 2017–18 तक	2018–19 और उसके बाद
सालाना राजस्व	$500 मिलियन	$1 बिलियन, समय के साथ वृद्धि	$1 बिलियन से ज़्यादा
सालाना खर्च			
ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समर्पित राशि	कुछ नहीं	$500 मिलियन से $550 मिलियन	कुछ नहीं
स्कूल वित्त पोषण गारंटी में वृद्धि	$200 मिलियन से $500 मिलियन तक	$200 मिलियन से $500 मिलियन, समय के साथ वृद्धि	$500 मिलियन से $1 बिलियन से ऊपर

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन के लिए स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त राजस्व के कारण स्कूल वित्त पोषण बढ़ने की संभावना। सामनयतः, उपाय से एकत्रित राजस्व को राज्य के सालाना प्रस्ताव 98 न्यूनतम गारंटी की गणना में माना जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन कोष को स्थानांतरित कोष, हालांकि, का उपोयोग इस गणना में नहीं किया जाएगा। जैसाकि चित्र 1 के निचले हिस्से में दिखाया गया है, ज्यादा राजस्व 2012–13 से 2017–18 तक की अवधि के लिए कम से कम $200 मिलियन तक न्यूनतम गारंटी संभवतः बढ़ाएगा। इस अवधि के कुछ वर्षों में, हालांकि न्यूनतम गारंटी उल्लेखनीय रूप से ज्यादा हो सकती है। 2018–19 और उसके बाद के लिए, गारंटी के कम से कम $500 मिलियन ज्यादा होने की संभावना है। शुरुआती अवधि की तरह, गारंटी कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से ज्यादा हो सकती है। किसी खास वर्ष स्कूलों को जाने वाला एकत्रित राजस्व का सही-सही हिस्सा विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें राज्य राजस्व में संपूर्ण वृद्धि और उल्लेखनीय रूप से स्कूल वित्त पोषण दायित्वों का आकार शामिल है।

प्रस्ताव 39 के पाठ के लिए, पृष्ठ 125 देखें।

प्रस्ताव 39 बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 39 के पक्ष में तर्क ★

वर्ष 2009 में, एक राजनीतिक सौदेबाजी ने राज्य से बाहर के निगमों के लिए बिलियन डॉलर के कर की अदायगी से बचने का रास्ता बनाया...

वर्ष 2009 के अंत में सैक्रेमेंटो में बजट की बातचीत की समाप्ति पर, विधायकों और राज्य के बाहर के निगमों के लॉबिस्टों ने एक सौदेबाजी कर ली—बिना किसी सार्वजनिक सुनवाई या चर्चा के। उन्होंने राज्य के कानून में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे बाहर के राज्यों के कॉर्पोरेशन हर वर्ष हमारी कर प्रणाली में हेरफेर कर सकें और कैलिफोर्निया को उसका हिस्सा देने से बच सकें।

कर अदायगी से बचने के इस रास्ते के कारण कैलिफोर्निया को हर वर्ष $1 बिलियन के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

39 पर हां, प्रस्ताव राज्य से बाहर टैक्स चोरी के मार्ग को दूर करता है।

प्रस्ताव 39 बस कर चोरी के इस मार्ग को बंद कर देता है। यह हमारी कर प्रणाली में इस हेरफेर को समाप्त करता है और इसके तहत यह अनिवार्य होता है कि कैलिफोर्निया में व्यवसाय करने वाले सभी कॉर्पोरेशन यहां उनकी बिक्री के आधार पर करों को भुगतान करें, चाहें वे कॉरपोरेशन मूलत: कहीं भी आधारित हों।

प्रस्ताव 39, यह सुनिश्चित करके कि सभी बहु-राज्यीय कंपनियों पर कैलीफोर्निया के नियोक्ताओं के *समान नियम लागू हों*, **सभी को समान अवसर प्रदान करता है।**

प्रस्ताव 39 के लिए हां—कर अदायगी से बचने के इस मार्ग को बंद करना कैलीफोर्निया के जॉब मार्केट के लिए अच्छा है

कर अदायगी से बचने के मौजूदा रास्ते के जरिए बाहर के कॉरपोरेशन कैलीफोर्निया में कम कर्मचारी होने पर यहां अल्पतम कर की अदायगी करते हैं—जिससे कंपनियां राज्य से बाहर काम कराने के लिए मजबूर होती हैं।

दरअसल, राज्य के निष्पक्ष, स्वतंत्र वैधानिक विश्लेषक ने उन अध्ययनों का हवाला दिया है जो यह दर्शाते हैं प्रस्ताव 39 से कैलीफोर्निया में लगभग 40,000 नौकरियां आएंगी। इसीलिए स्वतंत्र वैधानिक विश्लेषक ने मौजूदा कमजोरी को दूर करने की मांग की है।

प्रस्ताव 39 के लिए हां से कैलिफोर्निया के करदाताओं का फायदा पहुंचता है

बहुराज्य कॉरपोरेशन जो यहां केवल कुछ नौकरियां प्रदान करते हैं, कैलिफोर्निया को उसका उचित हिस्सा देने से बचने के लिए कर चोरी के मार्ग का उपयोग कर रहे हैं जिससे राज्य को प्रति वर्ष $1 बिलियन का राजस्व नुकसान हो रहा है। प्रस्ताव 39 कर चोरी के इस मार्ग को बंद करेगा और सार्वजनिक सेवाओं हेतु अत्यंत आवश्यक राजस्व उपलब्ध कराने के लिए इन कोषों को कैलिफोर्निया में ही रखेगा। क्योंकि सभी नए राजस्वों के लगभग आधे हिस्से की कानूनी आवश्यकता इसे शिक्षा के लिए भेजने की है इसलिए प्रतिवर्ष हजारो डॉलर स्कूलों को समर्पित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव 39 करदाताओं के लिए बचत भी उत्पन्न करेगा। 39 द्वारा कर चोरी के मार्ग को बंद करने प्राप्त राजस्व के एक हिस्से का उपयोग स्कूलों व अन्य सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा किफायती परियोजनाओं को फंड प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रमाणित ऊर्जा किफायती प्रयासों जैसे इंसुलेशन बेहतर करना, रिसाव वाली खिड़कियों और दरवाजों को बदलना और छोटे स्तर के सोलन पैनल संस्थापित करने से राज्य की ऊर्जा लागत कम होगी—जिससे शिक्षा, पुलिस और अग्निसुरक्षा (फायर) जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए डॉलर उपलब्ध होंगे।

"ऊर्जा किफायत को बढ़ाकर, प्रस्ताव 30 द्वारा वायु प्रदूषण कम किया जाएगा जिसके कारण अस्थमा और फेफड़ों के रोग होते हैं। स्कूल भवनों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में, प्रस्ताव 39 द्वारा स्कूलों से लेड, ऐस्बेस्टस, मोल्ड व अन्य विषैले तत्वों को भी दूर किया जाएगा।"—Jane Warner, अध्यक्ष, अमेरिकन लंग एसोसिएशन इन कैलिफोर्निया

39 पर हां— कठोर जवाबदेही

प्रस्ताव 39 में वित्तीय जवाबदेही के कठोर प्रावधान हैं—**स्वतंत्र वार्षिक ऑडिट, सिटीजन ओवरसाईट बोर्ड** द्वारा निरंतर समीक्षा व मूल्यांकन, समस्त कोषों व व्ययों की **संपूर्ण एकाउंटिंग** और **पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण** सहित।

39 पर हां—यह सहज बुद्धि की बात है: राज्य से बाहर के निगमों द्वारा कर चोरी के मार्ग को बंद करो। कैलिफोर्निया में प्रति **वर्ष $1 बिलियन वापिस लाओ।**

http://www.cleanenergyjobsact.com/

JANE WARNER, अध्यक्ष
अमेरिकन लंग एसोसिएशन इन कैलिफोर्निया

TOM STEYER, चैयरमेन
कैलिफोर्नियंस फॉर क्लीन एनर्जी एंड जॉब्स

MARY LESLIE, अध्यक्ष
लॉस एंजिल्स बिजनेस कौंसिल

★ प्रस्ताव 39 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

जब आप प्रस्ताव 39 के अभियान, वादों को पढ़ते हैं तो याद रखें कि टॉम स्टेयर—जिसे सीएनएन ने "कैलिफोर्निया का हेज़ फंड किंग"—कहा था, "कर चोरी बंद करने के मार्ग" जैसे चुनावों में आजमाए गए धूर्ततापूर्ण शब्दों के जरिए और "क्लीन जॉब्स" का वादा करते हुए $20 मिलियन फंड धन दे रहा है।

कैलिफोर्निया पहले से ही रिकॉर्ड दर पर व्यवसायों को खोता जा रहा है। आप स्वयं से पूछें कि हजारों कैलिफोर्निया वासियों को नौकरी देनी वाली कंपनियों पर कर बढ़ाने से हालात कैसे बेहतर होंगे?

इससे कुछ नहीं होगा!

कैलिफोर्निया पहले से कई बिलियन के कर्ज में है लेकिन प्रस्ताव 39 तो हालात को बिगाड़ देगा!

कैलिफोर्निया लगातार *आठ सालों से व्यवसाय के लिए सबसे खराब राज्य है* और इसकी अमेरिका में सबसे खराब क्रेडिट रेटिंग है। यहां के लाखों लोग बेरोजगार हैं।

कर चोरी का मार्ग बंद करना? नहीं। प्रस्ताव 39 एक कर कानून को दोबारा प्रभावी बनाता है जो कई दशकों तक राज्य राजस्व में कई बिलियन लाते हुए प्रभावी रहा है। गैरपार्टीगत लेजिस्लेटिव एनालिसिस और वित्त मंत्रालय सहमत है: **39 $1 बिलियन कर बढ़ाने वाला प्रस्ता है।**

सच्चाई यह है। $1 बिलियन कर वृद्धि कैलिफोर्निया के नियोक्ताओं को यहां निवेश न करने या नौकरियां नहीं देने का एक और कारण दे देती हैं। कम नौकरियों का मतलब है कम राजस्व और स्कूलों व कानून प्रवर्तन के लिए अधिक कटौतियां।

क्या यह कैलिफोर्निया के लिए अच्छा है?

प्रस्ताव 39 अपने सबसे खराब रूप में मतपत्र की बजटिंग है। यह राज्य बजट से $2.5 बिलियन जब्त करता है—वह धन जो स्कूलों, सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खर्च हो सकता है।

प्रस्ताव 39 नई नौकरशाही को भी जोड़ता है—राजनीतिक दोस्तों के लिए वेतन और पेंशन में कई मिलियन। कोई जवाबदेही नहीं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ करदाताओं को कोई सुरक्षा नहीं।

अधिक कर, कम नौकरियां, अधिक नौकरशाही और संसाधनों की बर्बादी . . . **शून्य** जवाबदेही और हितों के टकराव के खिलाफ करदाताओं की कोई सुरक्षा नहीं। प्रस्ताव 39 की कुल मिलाकर यही कहानी है।

डेमोक्रेट, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिकन सहमत है—**नहीं** को वोट दें!

MIKE SPENCE, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया टैक्सपेयर प्रोटेक्शन कमेटी

ROBERT MING, चैयरमेन
फ्रैंड्स फॉर सेविंग कैलिफोर्निया जॉब्स

JACK STEWART, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया मैन्यूफैक्चरर्स एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों की राय है और इनकी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव 39 बहुराज्य व्यवसायों के लिए कर निर्धारण। स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण। पहल अधिनियम।

★ प्रस्ताव 39 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 39 कैलिफोर्निया के रोजगार निर्माताओं पर $1 बिलियन की भारी-भरकम कर वृद्धि है जिसका नतीजा मिडिल क्लास की हजारों नौकरियों के खत्म होने में होगा। 11% की बेरोजगारी दर पहले से ही लगभग कैलिफोर्निया पर देश में तीसरी सबसे खराब दर है। प्रस्ताव 39 हमारी दिक्कतों को बढ़ा देगा।

प्रस्ताव 39 संसाधनों की बर्बादी और भ्रष्टाचार का मेल है। इसमें नई नौकरशाही और विशेष हित आयोगों पर प्रस्ताव 22 मिलियत तक खर्च होते हैं। यह सेक्रामेंटो के राजनीतिज्ञों को हितों के टकराव के खिलाफ वास्तविक जवाबदेही या करदाता सुरक्षा के बगैर कई बिलियन खर्च करने की खुली छूट देते हैं।

तथ्य ये हैं: एक करोड़पति जिसे सीएनएन ने "कैलिफोर्निया का हेज़ फंड किंग" कहा था, आपके वोट को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए $20 मिलियन खर्च करते हुए 39 को धन मुहैया करा रहा है। उसके राजनीतिक परामर्शदाताओं ने "कर चोरी का मार्ग बंद करना" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है लेकिन उसका भरोसा न करें।

प्रस्ताव 39 में राजनीति अपने सबसे खराब रूप में मौजूद है। कैलिफोर्निया को सुधारों की जरूरत है न कि अधिक करों और बेकार में खर्च करने की। हमें नहीं का ही वोट देना चाहिए।

$2.5 बिलियन जो स्कूलों, स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यावरण रक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जा सकता है, इसके बजाय नए सरकारी आयोगों के लिए खर्च होता है जिनकी मोटी तनख्वाहें और थोड़ी सी जवाबदेही है। आज हमारा राज्य बजट घाटा लगभग $16 बिलियन है और प्रस्ताव 39 नई गैरजरूरी नौकरशाही पर पैसा बर्बाद करके हालात को और अधिक खराब करता है।

कैलिफोर्निया को अध्यापकों और पुलिस अधिकारियों की जरूरत है न कि नौकरशाहों की!

प्रस्ताव 39 उन व्यवसायों पर हमला करता है जो कैलिफोर्निया की मिडिल क्लास नौकरियां उपलब्ध कराते हैं। परिवारों को चलाने वाली निर्माण क्षेत्र की नौकरियां समाप्त हो रही हैं। लगभग बीस लाख परिश्रमी कैलिफोर्निया वासी किसी भी तरह का काम ढूंढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। $1 बिलियन प्रस्ताव 39 कर वृद्धि कर कानूनों को बदल देती है जो 40 वर्षों से अधिक समय से प्रभावी रहे हैं और इसकी कीमत यूनियन व गैर-यूनियन कर्मचारियों की अधिक नौकरियां गंवाने से चुकानी होगी।

प्रस्ताव 39 सरकार और नौकरशाही का आकार बढ़ाता है। आपने इसके बारे में पहले सुना होगा। सेक्रामेंटो की नौकरियां बढ़ाने की योजना है। हम उन्हें एक आकर्षक नाम जैसे सिटीजंस ओवरसाईट बोर्ड में राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां करने के लिए आयोग बनाने के मकसद से पैसा देते हैं। उन्हें कर के धन को खर्च करने (बर्बाद करने) की खुली छूट मिल जाती है।

प्रस्ताव 39 के अंतर्गत, पैसा तथाकथित "ग्रीन एनर्जी" कार्यक्रमों को ठेके देने के लिए खर्च किया जाता है। किन लोगों को ये ठेके मिलने की संभावना है? अभियान के बड़े अंशदान देने वाले लोग। **39 को इतना खराब तरह से लिखा गया है कि इसमें ठेकेदारों द्वारा सेक्रामेंटो के उन राजनीतिज्ञों को अभियान धन देने पर रोक भी नहीं लगाई गई है जो ठेके प्रदान करते हैं!**

कैलिफोर्निया को सुधारों की जरूरत है न कि कर वृद्धि की जो मिडिल क्लास की नौकरियां खत्म कर दें। प्रस्ताव 39 कैलिफोर्निया के रोजगार निर्माताओं पर $1 बिलियन के कर बढ़ाता है ताकि ज्यादा सरकारी नौकरशाही और अधिक अतिरिक्त पेंशनों के लिए कोष मिल सके। यह राज्य बजट के मौजूदा घाटे, ऊंची बेरोजगारी और निरंतर आर्थिक मंदी से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

याद रखें कि अपना एक निश्चित एजेंडा रखने वाला एक करोड़पति 39 के लिए धन मुहैया करा रहा है। कैलिफोर्निया के करदाताओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब मतदाताओं के ऊपर है। प्रस्ताव 39 पर नहीं को वोट देकर, आप कैलिफोर्निया के रोजगार निर्माताओं पर $1 बिलियन की नौकरी खत्म करने वाली कर वृद्धि को रोकेंगे। आप कैलिफोर्निया की मिडिल क्लास नौकरियों को समर्थन देंगे जो कई परिवारों को चलाती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को बचाए रखती हैं। और आप सेक्रामेंटो के राजनीतिज्ञों को बताएंगे कि अतिरिक्त सरकारी व पेंशन पर अधिक विशेष हित व्यय के लिए अब और खुली छूट नहीं दी जाएगी।

उच्च करों, बेकार के खर्चों और सामान्य तौर पर राजनीति को नहीं कहें। सरकारी जवाबदेही की मांग करें। 39 पर नहीं को वोट दें।

JACK STEWART, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया मैन्यूफैक्चरर्स एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन

LEW UHLER, अध्यक्ष
नेशनल टैक्स लिमिटेशन कमेटी

PAT FONG KUSHIDA, अध्यक्ष
कैलिफोर्निया एशियन पैसिफिक चैंबर ऑफ कॉमर्स

★ प्रस्ताव 39 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

तथ्य: प्रस्ताव 39 बाहर के राज्य से बाहर के निगमों द्वारा कर चोरी के मार्ग का अंत करता है

विपक्ष का तर्क शर्मनाक रूप से धोखा देने वाला तर्क है। प्रस्ताव 39 से कैलिफोर्निया के परिवारों पर एक पेनी की भी कर वृद्धि नहीं होती है। यह केवल कर अदायगी से बचने के रास्तों को बंद करता है जो राज्य से बाहर के निगमों को अनुचित कर अंतराल प्रदान करते हैं लेकिन जिनकी कीमत हम सभी को चुकानी होती है।

यही कारण है कि राज्य से बाहर के निगम—उपरोक्त तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले "निर्माण समूह" पर वर्चस्व रखने वाले लोगों सहित—39 के खिलाफ धोखाधड़ी वाला अभियान चला रहे हैं: ताकि अपनी कर चोरी के मार्ग को खुला रख सकें।

विधायकों और लॉबिस्ट ने 2009 में एक गुप्त सौदेबाजी में कर चोरी का यह मार्ग तैयार किया था

सैन जोस मर्करी न्यूज का कहना है कि कॉरपोरेट लॉबिस्ट ने "कैलिफोर्निया को धूर्तता के साथ धोखा दिया" और यह कि "यह एक प्रकार का छलकपट था जिसने कॉरपोरेशन को बदनाम किया और सरकारी खुलेपन का मजाक उड़ाया।"

प्रस्ताव 39 पर हां कर चोरी के इन मार्गों को बंद करता है, इस गंदगी और बनने वाली विधायिका को साफ-सुथरा करता है।

तथ्य: प्रस्ताव 39 कैलिफोर्निया में नौकरियां निर्मित करता है

कर देने वाले कर्मचारियों के बारे में विपक्ष का तर्क एक तमाशा है। बचने के रास्तों से उन निगमों को फायदा होता है जो नौकरियों को राज्य से बाहर रखते हैं। प्रस्ताव 39 कैलिफोर्निया में नौकरियां निर्मित करने में मौजूद बाधा को समाप्त करेगा। इसके साथ, प्रस्ताव 39 हजारों क्लीन एनर्जी नौकरियां निर्मित करेगा।

तथ्य: कठोर जवाबदेही आवश्यक बनाता है

नौकरशाही के बारे में विपक्ष का खोखला तर्क बेवकूफी है। प्रस्ताव 39 यह सुनिश्चित करने के लिए सिटीजंस ओवरसाईट बोर्ड बनाता है कि नौकरी निर्मित करने और ऊर्जा किफायत के लिए समर्पित कोष सही तरीके से खर्च किए जाएं साथ ही उनका वार्षिक तौर पर स्वतंत्र ऑडिट हो। कर चोरी के रास्ते बंद करने से मिलने वाले फंड के जरिए स्कूलों को सैकड़ो मिलियन प्राप्त होंगे।

39 पर हाँ। कर चोरी के मार्ग बंद करो—डॉलर और नौकरियों को कैलिफोर्निया में बनाए रखो।

ALAN JOSEPH BANKMAN, टैक्स लॉ के प्रोफेसर
स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल

RUBEN GUERRA, सीईओ
लैटिन बिजनेस एसोसिएशन

JANE SKEETER
कैलिफोर्निया स्माल बिजनेस ओनर

प्रस्ताव
40 ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह।

आधिकारिक शीर्षक एवं साराँश | अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार

ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह।

- "हाँ" वोट सिटीज़न्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा तैयार किए गए राज्य के नए सीनेट ज़िलों को स्वीकृति देती है, और "नहीं" वोट उन्हें अस्वीकार करती है।
- यदि नए ज़िलों को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो राज्य के सीनेट ज़िले की सीमा को कैलिफ़ोर्निया की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अधिकारियों द्वारा समायोजित किया जाएगा।
- राज्य के सीनेट ज़िलों को हर 10 वर्ष में संघीय जनगणना के बाद संशोधित किया जाता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर राजस्व संबंधी शुद्ध प्रभाव के बारे में वैधानिक विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- यदि मतदाता "हाँ" कहते हैं और सिटीज़न्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा प्रमाणित सीनेट ज़िले के नक्शे को स्वीकृति देते हैं, तो राज्य या स्थानीय सरकारों पर कोई राजस्व संबंधी प्रभाव नहीं होगा।
- यदि मतदाता "नहीं" कहते हैं और सिटीज़न्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा प्रमाणित सीनेट ज़िले के नक्शों को अस्वीकार कर देते हैं, तो राज्य को नए सीनेट ज़िले स्थापित करने के लिए एक बार होने वाला लगभग $500,000 का खर्च उठाना होगा। काउंटियों को नए ज़िलों के लिए नई सीमाओं वाले नक्शे और संबंधित चुनाव सामग्री तैयार करने के लिए राज्य भर में एक बार होने वाले लगभग $500,000 के खर्चे उठाने होंगे।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

कैलीफोर्निया विधानमंडल: सीनेट एवं असेम्बली। कैलीफोर्निया 40 राज्य सीनेट जिले में बंटा हुआ है और हरेक सीनेट जिले का प्रतिनिधित्व एक सीनेटर करता है। कैलीफोर्निया इसके अलावा 80 राज्य असेम्बली जिलों में बंटा हुआ है और असेम्बली का एक सदस्य प्रत्येक असेम्बली जिले का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य का संविधान इस बात को आवश्यक बनाता है कि प्रत्येक सीनेट और असेम्बली जिले में निवासियों की संख्या तकरीबन उतनी ही हो जितना कि अन्य सीनेट एवं असेंबली जिलों में होती है।

जिले की सीमाओं का निर्धारण करना। कैलीफोर्निया में रहने वाले लोगों की संख्या को संघीय जनगणना में गिन लिए जाने के बाद हरेक दस साल पर सीनेट, असेम्बली, बोर्ड आफ इक्वलाइजेशन और कांग्रेस के जिलों को समायोजित किया जाता है। 2008 से पहले विधानमंडल इन जिला सीमाओं को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार था। 2008 और 2010 में राज्य के मतदाताओं ने जिले की इन सीमाओं के निर्धारण की जिम्मेदारी नये सिटिजंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन को हस्तांतरित करते हुए प्रस्ताव 11 एवं 20 को क्रमश: मंजूरी प्रदान की।

सिटिजंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन। संविधान इस बात को आवश्यक बनाता है कि कमीशन में 14 सदस्य हों जो कि पंजीकृत मतदाताओं के तीन समूहों से मिलकर बने हों—5 वे जो कि स्टेट की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में पंजीकृत हों, 5 वे जो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी में पंजीकृत हों और 4 वे जो कि इनमें से किसी भी पार्टी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। निकट के बक्से (1) कमिश्नरों को चुनने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया और (2) उस कसौटी को निचोड़ रूप में पेश करते हैं जिसे कि संविधान के अनुसार जिले की सीमाओं को निर्धारित करते समय कमिश्नरों को ध्यान में रखना होता है। जिले की सीमाओं को अंगीकृत करने ("प्रमाणित करने") के लिए कमीशन द्वारा कार्रवाइयों के लिए कमिश्नरियों के हरेक

सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमिश्नरों को चुनने की प्रक्रिया

इन तीन चरणों वाली प्रक्रिया को अपनाकर हरेक दस वर्षों पर 14 कमिश्नरों का चयन किया जाता है:

- ***आवेदक समुच्चय (पूल) का विकास करना।*** कैलीफोर्निया का कोई भी पंजीकृत मतदाता आवेदन कर सकता है। राज्य ऑडिटर उस सूरत में पूल से आवेदकों को हटा देता है यदि उनके हितों में कुछ टकराव होता है, पिछले पांच सालों में उन्होंने अपनी राजनीतिक दल की संबद्धता बदली होती है अथवा पिछले तीन आम चुनावों में कम से कम दो बार वोट नहीं डाला होता है।
- ***आवेदकों के पूल को संकुचित करना।*** आवेदक के विश्लेषणात्मक कौशलों, निष्पक्षता और कैलीफोर्निया की विविधता की सराहना की समीक्षा करने के बाद तीन राज्य ऑडिटर 60 सर्वाधिक दक्ष आवेदकों का चयन करते हैं। विधानमंडल नेता इसके बाद आवेदक पूल से 24 नामों ले सकते हैं।
- ***कमिश्नरों का चयन करना।*** शेष बचे आवेदकों से राज्य ऑडिटर बेतरतीब ढंग से प्रथम आठ कमिश्नरों के नाम निकालता है। ये कमिश्नर इसके बाद संकुचित आवेदक पूल से अंतिम छह कमिश्नरों का चयन करते हैं।

वैधानिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण **जारी**

जिले बनाने के लिए प्रमुख संवैधानिक कसौटी

नये जिले का नक्शा बनाते समय राज्य का संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि कमीशन राजनीतिक दलों, पदस्थ अधिकारियों या राजनीतिक उम्मीद्वारों को ध्यान में नहीं ला सकता है। जहां तक संभव हो संविधान इस बात को आवश्यक बनाता है कि ऐसे जिले स्थापित किये जाएं जो कि निम्नलिखित मानदंड को पूरा करते हों (प्राथमिकता क्रम में सूचीबद्ध):

1. आबादी में समुचित रूप से बराबर हों।
2. संघीय वोटिंग राइट्स एक्ट का पालन करते हों।
3. भौगोलिग रूप से निकटस्थ हों।
4. किसी शहर, काउंटी, शहर एवं काउंटी, स्थानीय पड़ोस या स्थानीय हित समुदाय के बंटवारे को न्यूनतम बनाता हो।
5. भौगोलिक रूप से सघन हों।
6. दो संपूर्ण, पूर्ण एवं लगे हुए असेंबली जिलों को मिलाकर बने हों।

तीन समूहों में से कम से कम तीन हां के वोटों समेत नौ कमिश्नरियों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

जनमत-संग्रह। संविधान मतदाताओं को जनमतसंग्रह की प्रक्रिया के द्वारा कमीशन द्वारा प्रमाणित जिले के नक्शों को चुनौती देने की अनुमति प्रदान करता है। मतपत्र के लिए जनमतसंग्रह की अर्हता हासिल करने के लिए प्रस्तावकों को पंजीकृत मतदाताओं की उल्लिखित संख्या द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए। जिस नक्शे को चुनौती दी गयी है वह उस दशा में प्रभावी हो जाता है जबकि उसे राज्य के बहुसंख्यक मतदाताओं की मंजूरी प्राप्त होती है। अगर जनमतसंग्रह को राज्य के मतदाताओं द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो जिले का नक्शा प्रभावी नहीं होता और कैलीफोर्निया सुप्रीम कोर्ट नये नक्शे के विकास की निगरानी करता है।

जिले के प्रमाणित नक्शे। अगस्त 2011 में कमीशन ने सीनेट, असेम्बली, बोर्ड आफ इक्वलाइजेशन और कांग्रेस संबंधी जिलों के लिए सीमाओं की स्थापना करते हुए नक्शों के एक समुच्चय को प्रमाणित किया। नवंबर 2011 में प्रस्तावकों ने सीनेट के प्रमाणित नक्शों के जनमतसंग्रह के समर्थन में हस्ताक्षर प्रस्तुत किये। प्रस्तावकों ने कैलीफोर्निया सुप्रीम कोर्ट में इस बात के निर्धारण के लिए याचिका दयर की कि यदि जनमतसंग्रह मतदान के लिए क्वालीफाई होता है तो जून के प्राइमरी चुनाव और नवम्बर के आम चुनावों में किन नक्शों का उपयोग होगा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि प्रमाणीकृत सीनेट जिले नक्शे "ऐसा लगता है कि कैलीफोर्निया संविधान में स्थापित संवैधानिक रूप से अनिवार्य सभी मानदंडों को पूरा करते हैं," और यह व्यवस्था दी कि उनका उपयोग जून 2012 के प्राइमरी चुनाव और नवंबर 2012 के आम चुनाव में किया जा सकता है।

प्रस्ताव

यह जनमतसंग्रह मतदाताओं को सिटिजन्स रि-डिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा प्रमाणित सीनेट जिले की सीमाओं को मंजूर या खारिज करने की सुविधा प्रदान करता है। (कमीशन द्वारा प्रमाणित असेम्बली, बोर्ड आफ इक्वलाइजेशन और कांग्रेस संबंधी जिला सीमाएं जनमतसंग्रह के अधीन *नहीं* हैं।) सीनेट जिले के प्रमाणित नक्शों की प्रतियां इस वोटर सूचना गाइड के पीछे शामिल की गयी हैं। "हां" वोट इन जिलों को मंजूरी प्रदान करेगा और "नहीं" वोट उन्हें खारिज करेगा।

मतदाता अगर "हां" वोट देते हैं। आयोग द्वारा प्रमाणित सीनेट जिले की सीमाओं का प्रयोग उस समय तक किया जाएगा जब तक कि कमीशन 2020 की संघीय जनगणना के आधार पर नयी सीमाओं की स्थापना नहीं कर देता।

मतदाता अगर "नहीं" वोट देते हैं। कैलीफोर्निया सुप्रीम कोर्ट संविधान में उल्लिखित रिडिस्ट्रिक्टिंग कसौटी के अनुरूप सीनेट के नये जिले स्थापित करने के लिए "स्पेशल मास्टर्स" की नियुक्ति करेगा। (विगत में कोर्ट ने स्पेशल मास्टर्स के रूप में काम करने के लिए सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त किया था।) अदालत नये सीनेट जिले की सीमाओं को प्रमाणित करेगी। नयी सीमाओं का उपयोग भविष्य के चुनावों में तब तक होगा जबतक कमीशन 2020 की संघीय जनगणना पर आधारित नयी सीमाएं स्थापित नहीं कर देता।

वित्तीय प्रभाव

मतदाता अगर "हां" वोट देते हैं और आयोग द्वारा प्रमाणित सीनेट जिले नक्शों को मंजूरी प्रदान करते हैं तो राज्य या स्थानीय सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

वोटर अगर "नहीं" में वोट देते हैं और आयोग द्वारा प्रमाणित सीनेट जिले नक्शों को खारिज कर देते हैं तो कैलीफोर्निया सुप्रीम कोर्ट नये सीनेट जिले की सीमाओं को स्थापित करने के लिए स्पेशल मास्टरों की नियुक्ति करेगा। इसके फलस्वरूप राज्य के ऊपर तकरीबन **$500,000** का एक बार का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त काउंटियों को एक बार राज्यवार **$500,000** खर्च करने पड़ेंगे ताकि नये जिलों के लिए उप क्षेत्र के नये नक्शे और संबंधित चुनाव सामग्रियों को विकसित किया जा सके।

प्रस्ताव 40 के पाठ के लिए, पृष्ठ 130 देखें।

प्रस्ताव 40 ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह।

★ प्रस्ताव 40 के पक्ष में तर्क ★

40 पर हां मतदाता द्वारा मंजूर किये गये स्वतंत्र सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन की सुरक्षा करता है

प्रस्ताव 40 पर हां वोट का मतलब यह है कि मतदाता द्वारा मंजूर स्वतंत्र सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा बनाये गये राज्य की सीनेट के नक्शे अपनी जगह पर बने रहेंगे।

प्रस्ताव 40 पर नहीं वोट राजनीतिज्ञों को स्वतंत्र आयोग द्वारा बनाये गये उचित जिलों के विरुद्ध निर्णय देने का अवसर प्रदान करता है—इस प्रक्रिया में करदाताओं पर लाखों डालर का बोझ पड़ता है।

प्रस्ताव 40 मतदाता द्वारा मंजूर सिटिजन्स कमीशन और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के बीच एक सरल चुनाव है।

2008 में, कैलीफोर्निया के मतदाताओं ने प्रस्ताव 11 का अनुमोदन किया था, जिसने कि राज्य सीनेट और राज्य असेम्बली के लिए जिलों के नक्शे बनाने के लिए स्वतंत्र सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन का गठन किया था। प्रस्ताव 11 के पहले राज्य विधानमंडल के राजनीतिज्ञ अपने स्वयं के गैर-प्रतिस्पर्द्धी नक्शे बनाते थे और वस्तुत: अपने पुनर्निर्वाचन की गारंटी करते थे।

अब, "सैक्रामेंटो" राजनीतिज्ञों का एक छोटा समूह स्वतंत्र आयोग द्वारा बनाये गये राज्य सीनेट के नक्शों के परिणामों से नाखुश है। ये राजनीतिज्ञ इस जनमतसंग्रह का उपयोग अपने गैर-प्रतिस्पर्द्धी जिलों को वापस पाने की कोशिश में कर रहे हैं।

राजनीतिज्ञ अदालत में पहले ही विफल हो चुके हैं

जब इन्ही राजनीतिज्ञों ने राज्य सीनेट के नक्शों के खिलाफ मुकदमा दायर किया तो कैलीफोर्निया की सुप्रीम कोर्ट ने एकमत से उनके खिलाफ फैसला सुनाया:

"... कमीशन द्वारा प्रमाणित सीनेट जिले न केवल कैलीफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XXI में वर्णित संवैधानिक रूप से अनिवार्य समस्त मानदंड का अनुपालन करते हैं, बल्कि कमीशन द्वारा प्रमाणित सीनेट जिले उस चीज के उत्पाद भी हैं जो कि सामान्यत: खुली, पारदर्शी और जिले के फिर से बंटवारे की गैर-पक्षधर प्रक्रिया नजर आती है, जैसा कि अनुच्छेद XXI के वर्तमान प्रावधान जरूरी बताते हैं।" *Vandermost v. Bowen* (2012)

हम चाहते हैं आप पूरा निर्णय पढ़ें:
www.courts.ca.gov/opinions/archive/S198387.PDF

प्रस्ताव 40 पर हां कैलीफोर्निया के मतदाताओं की इच्छा की पुष्टि करता है

कैलीफोर्निया के मतदाताओं ने पिछले चार सालों में तीन बार इसके लिए मतदान किया है कि जिलों के नक्शे स्वतंत्र आयोग द्वारा बनाए जायं न कि राजनीतिज्ञों द्वारा:

- प्रस्ताव 11 पर हां (2008): ने राज्य असेम्बली और राज्य सीनेट के लिए नक्शे बनाने हेतु स्वतंत्र सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन की स्थापना की
- प्रस्ताव 20 पर हां (2010): ने प्रस्ताव 11 के सुधारों को कैलीफोर्निया के कांग्रेस जिलों तक विस्तारित किया
- प्रस्ताव 27 पर नहीं (2010): ने स्वतंत्र आयोग को खत्म करने और अपने खुद के लेजिस्लेटिव जिलों को बनाने की शक्ति वापस राजनीतिज्ञों को देने के राजनीतिज्ञों के प्रयास को खारिज कर दिया

प्रस्ताव 40 पर हां—राजनीतिज्ञों को जवाबदेह बनाता है

प्रस्ताव 11 और प्रस्ताव 20 का पारित होना और प्रस्ताव 27 के गिर जाने ने निष्पक्ष रि-डिस्ट्रिक्टिंग प्रक्रिया को शुरू किया जिसने कि सैक्रामेंटो राजनीतिज्ञों को शामिल नहीं किया!

मतदाताओं द्वारा मंजूर इन सुधारों के कारण कई दशकों में पहली बार 2012 के चुनावों के साथ शुरुआत करते हुए स्वतंत्र आयोग ने सीनेट विधायकों और कांग्रेस के लिए उचित जिलों की स्थापना की।

जिलों के फिर से बंटवारे के इन सुधारों ने यह सुनिश्चित करके कि प्रक्रिया पारदर्शी और जनता के लिए खुली हो, पीछे से होने वाले राजनीतिज्ञों के सौदों पर विराम लगा दिया। और, अब राजनीतिज्ञों के दोबारा चुने जाने की गारंटी नहीं होती बल्कि वे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं और निर्वाचकों की जरूरतों का उन्हें ध्यान रखना होता है।

"कमीशन ने राजनीतिज्ञों को प्रक्रिया से बाहर कर दिया और शक्ति मतदाताओं को लौटा दी।"—John Kabateck, एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडीपेंडेंट बिजनेस/कैलीफोर्निया

प्रस्ताव 40 पर हां मतदान करें - राजनीतिज्ञों को मतदाताओं द्वारा मंजूर चुनाव सुधार को उलटने से रोकें

www.HoldPoliticiansAccountable.org

JENNIFER A. WAGGONER, अध्यक्ष
लीग ऑफ वीमैन वोटर्स ऑफ कैलिफोर्निया

DAVID PACHECO, अध्यक्ष
एएआरपी कैलीफोर्निया

ALLAN ZAREMBERG, अध्यक्ष
कैलीफोर्निया चैम्बर ऑफ कॉमर्स

★ प्रस्ताव 40 के पक्ष में तर्क के लिए खंडन ★

प्रस्ताव 40 के प्रायोजक के रूप में हमारा इरादा कमीशन के 2012 के लिए राज्य सीनेट जिलों के विरुद्ध निर्णय देना था। फिर भी, राज्य के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते जिसने कि इन जिलों को 2012 के लिए बनाये रखा है, हमने अपना अभियान स्थगित कर दिया और अब नहीं वोट नहीं चाह रहे हैं।

JULIE VANDERMOST, प्रायोजक
प्रस्ताव 40

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों की राय है और इनकी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

प्रस्ताव
40 ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह।

★ प्रस्ताव 40 के खिलाफ तर्क ★

प्रस्ताव 40 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में हमारा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि मतदान के लिए इसकी अर्हता सीनेट जिले की वर्तमान सीमाएं 2012 में क्रियान्वित नहीं होने पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया की समीक्षा की और जिले की सीमाओं को बरकरार रखने के लिए हस्तक्षेप किया। कोर्ट की कार्रवाई के साथ इस विधेयक की जरूरत नहीं रह गयी है और अब हम नहीं वोट के लिए नहीं कह रहे हैं।

JULIE VANDERMOST, प्रायोजक
प्रस्ताव 40

★ प्रस्ताव 40 के खिलाफ तर्क के लिए खंडन ★

मतदाताओं द्वारा मंजूर स्वतंत्र सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव 40 पर हां वोट अभी भी जरूरी है

मतदाताओं के लिए प्रस्ताव 40 पर हां वोट अभी भी जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं द्वारा मंजूर स्वतंत्र सिटिजन्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा बनाए गए राज्य सीनेट नक्शे कायम रहेंगे—हालांकि इस जनमतसंग्रह के प्रायोजकों ने ऊपर इंगित किया है कि अब वे "नहीं" वोट के लिए नहीं कह रहे हैं।

एक बार जनमतसंग्रह जब मतदान के लिए अर्हता प्राप्त कर लेता है तो उसे हटाना असंभव हो जाता है - फिर उसके समर्थक विधेयक को त्याग ही क्यों न दें, जैसा कि उन्होंने ऊपर किया है।

प्रस्ताव 40 महंगी वैकल्पिक प्रक्रिया और वोटरों द्वारा मंजूर सिटीजंस कमीशन के बीच एक आसान चुनाव है

40 पर हां में मतदान करना:

- मतदाताओं द्वारा मंजूर स्वतंत्र सिटिजन्स रि-डिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा बनाये गये **राज्य सीनेट के नक्शों की रक्षा करता है।**
- **करदाताओं के** लाखों डालर **बचाता है।**
- **राजनीतिज्ञों को जवाबदेह ठहराता है:** स्वतंत्र सिटिजन्स कमीशन द्वारा तय की गयी जिले की सीमाओं के साथ राजनीतिज्ञों के लिए दोबारा चुने जाने की गारंटी खत्म हो गयी है और वे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें निर्वाचकों की जरूरतों को ध्यान में रखना होता है।
- **मतदाताओं की इच्छा को बनाये रखता है:** कैलिफोर्निया वासियों ने राजनीतिज्ञों की बजाय स्वतंत्र आयोग द्वारा तैयार किये गये जिलों के नक्शों के लिए पिछले चार सालों में तीन बार वोट दिया है।

प्रस्ताव 40 पर "नहीं" वोट स्वतंत्र कमीशन द्वारा बनाये गये निष्पक्ष जिलों के विरुद्ध निर्णय देगा—और राजनीतिज्ञों को अपने खुद के फायदे के लिए जिलों के पुन: बंटवारे की प्रक्रिया को एक बार फिर प्रभवित करने का मौका प्रदान करेगा।

प्रस्ताव 40 पर हां

प्रस्ताव 40 पर हां में वोट देने के लिए कृपया हमारे साथ आयें और अच्छी सरकार, व्यवसाय, वरिष्ठ वकील और नागरिक आजादी समूहों का व्यापक गठबंधन बनायें *www.HoldPoliticiansAccountable.org*

KATHAY FENG, एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर
कैलीफोर्निया कॉमन काज
JOHN KABATECK, कार्यकारी निदेशक
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस/कैलिफोर्निया
GARY TOEBBEN, अध्यक्ष
लास एंजिल्स एरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स

40

इस पृष्ठ पर मुद्रित तर्क लेखकों की राय है और इनकी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा सटीकता के लिए जाँच नहीं की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार

कैलिफोर्निया इलेक्शंस कोड की धारा 9084 के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार संबंधी सूचना कैलिफोर्निया के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। अधिक विवरण के लिए *www.voterguide.sos.ca.gov* पर जाएं।

विधायिका व कॉन्ग्रेस के उम्मीदवार

इस मतदाता गाइड में मतपत्र संबंधी राज्यव्यापी उपायों व यू.एस. सीनेट के उम्मीदवारों के बारे में सूचना शामिल है। स्टेट सीनेट, असेंबली और यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के प्रत्येक पद का संबंध केवल एक या कुछ काउंटी के मतदाताओं से होता है इसलिए इन पदों के लिए कुछ उम्मीदवारों के विवरण आपकी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उपलब्ध हो सकते हैं।

कैलिफोर्निया कानून में राज्य विधायिका (स्टेट लेजिस्लेटिव) पद (संघीय पद नहीं जैसे कि यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और यू.एस. सीनेट) के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए स्वैच्छिक व्यय सीमा शामिल है। विधायिका पद के उम्मीदवार जो अपने अभियान को निर्दिष्ट डॉलर राशि के भीतर रखने का विकल्प चुनते हैं, काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिकाओं में उम्मीदवार विवरण के लिए 250 शब्दों तक का स्थान खरीद सकते हैं।

स्टेट सीनेट के उम्मीदवार जिन्होंने अपने अभियान का व्यय सीमित रखने की स्वैच्छिक सहमति दी है वे आम चुनाव में $1,169,000 अमेरिकी डॉलर से कम खर्च कर सकते हैं। असेंबली के उम्मीदवार जिन्होंने अपने अभियान का व्यय सीमित रखने की स्वैच्छिक सहमति दी है वे आम चुनाव में $909,000 अमेरिकी डॉलर से कम खर्च कर सकते हैं।

कैलिफोर्निया की स्वैच्छिक अभियान व्यय सीमा स्वीकार करने वाले विधायिका के उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए, *www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm* पर जाएं।

यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के सभी उम्मीदवारों के पास काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उम्मीदवार विवरण हेतु स्थान खरीदने का विकल्प होता है। (यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के कुछ उम्मीदवार काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उम्मीदवार विवरण हेतु स्थान खरीदने का विकल्प नहीं चुनते हैं।)

कैलिफोर्निया की स्वैच्छिक अभियान व्यय सीमा यू.एस.सीनेट सहित, संघीय पदों के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, यू.एस.सीनेट के सभी उम्मीदवारों के पास इस मतदाता गाइड में उम्मीदवार विवरण के लिए स्थान खरीदने का विकल्प मौजूद रहता है। (यू.एस.सीनेट के कुछ उम्मीदवार, उम्मीदवार विवरण के लिए स्थान खरीदने का विकल्प नहीं चुनते हैं।)

यू.एस.सीनेट के उम्मीदवार हैं:

- Dianne Feinstein
- Elizabeth Emken

सभी नामांकित उम्मीदवारों की सूची के लिए, *www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm* पर जाएं।

यू.एस. सीनेट उम्मीदवार विवरण

एक यू.एस. सीनेटर:

- उन दो सीनेटरों में से एक सीनेटर के तौर पर काम करता है जो यू.एस.कॉन्ग्रेस में कैलिफोर्निया के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नए राष्ट्रीय कानूनों को प्रस्तावित करता है व उन पर मत देता है।
- पुष्टि प्राप्त करने वाले संघीय जजों, यू.एस.सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और असैन्य व सैन्य पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली कई उच्चस्तरीय नियुक्तियों पर अपना मत देता है।

DIANNE FEINSTEIN
पार्टी वरीयता:
डेमोक्रेटिक

1801 Avenue of the Stars, Suite 829
Los Angeles, CA 90067

(310) 203-1012
www.diannefeinstein2012.com

हमारे राज्य और हमारे राष्ट्र के लिए यह कठिन समय है। हमारी अर्थव्यवस्था जो अभी पटरी पर आने की शुरुआती अवस्था में ही है, अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब मंदी के दौर से निकल रही है। पूरी दुनिया में देश आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। कैलिफोर्निया को यू.एस.सीनेट में मंजे हुए नेतृत्व की जरूरत है जो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता कैलिफोर्निया और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है। मैं अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए तर्कसंगत उपायों जैसे पै रोल टैक्स कटौती, घर के स्वामियों को उनका मॉर्गेज़ लोन चुकाने में मदद देने और हमारे राज्य में फोरक्लोज़र (बंधक संपत्ति को मुक्त कराने का अधिकार खत्म करना) की बीमारी खत्म करने के लिए रिफायनेंसिंग प्लान, नौकरियां निर्मित करने के लिए बेहद ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, अध्यापकों और फर्स्ट रिस्पोंडर (आपातकालीन चिकित्साकर्मी) के वेतन के लिए सहायता और उन नियोक्ताओं को टैक्स क्रेडिट देना जो पूर्व सैनिकों (वैटरंस) और लंबे समय से बेरोजगार लोगों को नियुक्त करते हैं। मैं सोशल सिक्योरटी और मेडिकेयर कार्यक्रमों की रक्षा करने के लिए भी पूरी तरह से वचनबद्ध हूं जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद अहम होते हैं। सीनेट इंटेलीजेंस कमेटी जिसका मैं अध्यक्ष हूं, अब पार्टीगत हितों से ऊपर उठकर काम करती है और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आतंकवादी गतिविधि को रोकने और इंटेलीजेंस कमेटी की 16 एजेंसियों पर महत्वपूर्ण निगरानी रखने में हमें अधिक सक्षम बना रही है। ज्यूडिशिएरी कमेटी के सदस्य के तौर पर, हमारे सभी नागरिकों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने के प्रति मैं सावधान रहा हूं और सभी प्रकार के हमलों के विरुद्ध महिला के पास चुनने के लिए उपलब्ध अधिकारों की रक्षा करने में दृढ़निश्चयी रहा हूं। मैं यू.एस.सीनेट के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे पास कैलिफोर्निया में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी समझदारी, अनुभव और समर्पण भाव मौजूद है। आपके समर्थन का मैं अत्यधिक आभारी होउंगा।

ELIZABETH EMKEN
पार्टी वरीयता:
रिपब्लिकन

P.O. Box 81
Danville, CA 94526

(925) 395-4475
info@emken2012.com
www.emken2012.com

हम वाशिंगटन को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम वाशिंगटन में मौजूद कुछ लोगों को नहीं बदल देते। कॉन्ग्रेस में हमें रोजाना दिखाई देने वाला भयंकर अवरोध कैलिफोर्निया के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे राज्य में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, नौकरियों की संख्या में वृद्धि काफी धीमी है और इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया के परिश्रमी पुरुषों व महिलाओं के लिए बहुत कम अवसर मौजूद हैं। बेरोजगारी की सबसे खराब स्थिति वाले, अमेरिका के 10 शहरों में से 9 हमारे राज्य में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की सीनेट में लगभग बीस वर्षों से कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व एकजैसा रहा, इसके बावजूद हमारी चुनौतियां अधिक खराब रूप में सामने आई हैं। महत्वपूर्ण बिल पर सीनेट द्वारा काम करने में विफल रहने का मतलब है छोटे व्यवसाय जो नौकरियां निर्मित करने के लिए जरूरी होते हैं, उनपर ज्यादा टैक्स का खतरा और ज्यादा भार डालने वाले नियम। हमारी सेन्ट्रल वैली के किसानों को पानी की जरूरत है। हमारे हाई टैक सेक्टर को कर सुधार की जरूरत है जिससे नौकरियां यहीं बनी रहें। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा उद्योग पर गंभीर खतरा है। यथास्थिति बनाए रखने का तरीका नाकामयाब हो गया है। अब हमें यू.एस.सीनेट में नए नेतृत्व, नई ऊर्जा और एक ताज़ा शुरुआत की जरूरत है। एक पत्नी और तीन बच्चों की मां के तौर पर, मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। विदेशों के बजाय यहां कैलिफोर्निया में नौकरी सृजित करना आसान बनाकर, यह सुनिश्चित करके कि आप व आपके परिवार उस शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को चुन सके जो आपका अधिकार है, और उनकी मदद करके जो वाकई जरूरतमंद हैं, मेरा दृढ़ संकल्प है कि वाशिंगटन को मैं काम की जगह बनाउंगी। मुझे आपका समर्थन हासिल करके सम्मानित महसूस होगा। अधिक जानकारी *www.Emken2012.com* पर पाएं।

उम्मीदवार विवरणों का क्रम संयोग के आधार पर अक्षर चुनकर निर्धारित किया जाता है।
इस पृष्ठ के विवरण उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए हैं और सटीकता के लिए इनकी जांच नहीं की गई है।
प्रत्येक विवरण को उम्मीदवार द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत किया गया है और इसे उम्मीदवार के व्यय पर प्रकाशित किया गया है।

प्रस्ताव 30

30

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा कैलिफोर्निया संविधान में एक धारा जोड़ी गई है; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012

खंड 1. शीर्षक।

इस प्रयास को "स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012" के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

खंड 2. परिणाम।

(a) केवल पिछले चार वर्षों के दौरान ही, कैलिफोर्निया को शिक्षा, पुलिस व अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व अन्य महत्वपूर्ण राज्य व स्थानीय सेवाओं में से $56 बिलियन से अधिक की राशि घटानी पड़ी। फंडिंग में इस कटौती ने अध्यापकों को नौकरी छोड़ने, स्कूल में कक्षाओं का आकार बढ़ाने, कॉलेज फीस बढ़ाने, पुलिस सुरक्षा कम होने, आग लगने पर बचाव उपाय देरी से शुरू होने, जेलों में क्षमता से अधिक लोग होने की बिगड़ी हुई खतरनाक स्थिति और पैरोल पर छूटने वाले लोगों पर निगरानी काफी कम करने पर मजबूर कर दिया।

(b) महत्वपूर्ण सेवाओं में इन कटौतियों ने कैलिफोर्निया के वरिष्ठ नागरिकों, मध्यमवर्गीय कामकाजी परिवारों, बच्चों, कॉलेज के छात्रों और छोटे व्यवसायों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम शिक्षा और हमारे लिए जरूरी अन्य सेवाओं में अब अधिक कटौती सहन नहीं कर सकते हैं। हम शिक्षा और हमारे लिए जरूरी अन्य सेवाओं में अब अधिक कटौती सहन नहीं कर सकते हैं।

(c) कई वर्षों की कटौतियों और मुश्किल विकल्पों के बाद, अब राज्य की स्थिति बदलना आवश्यक हो गया है। नए कर राजस्व उत्पन्न करना हमारे भविष्य में निवेश करना है जो कैलिफोर्निया को विकास और सफलता की राह पर दोबारा ले आएगा।

(d) स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012 कैलिफोर्निया की कर व्यवस्था को अधिक न्यायोचित बना देगा। जब कामकाजी परिवार जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हों और हमारे बीच मौजूद धनी लोग आय में वृद्धि का रिकॉर्ड बना रहे हों तो धनी लोगों को उनके उपयुक्त हिस्से का भुगतान करने के लिए कहना बिलकुल सही है।

(e) स्कूल व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा बचाव अधिनियम 2012 उन लोगों पर आय कर लगाता है जो आय पैमाने के सबसे ऊंचे सिरे पर मौजूद हैं—वे लोग जो इसे सबसे ज्यादा वहन कर सकते हैं। 2011 की शुरुआत में लागू दर से बिक्री कर की कुल दर को कम रखते हुए, यह अस्थायी रूप से पिछले वर्ष लागू कुछ बिक्री कर को भी दोबारा लागू करता है।

(f) इस प्रयास के नए कर अस्थायी हैं। कैलिफोर्निया संविधान के अंतर्गत ¼ प्रतिशत बिक्री कर वृद्धि चार वर्षों में समाप्त हो जाती है और सर्वाधिक धनवानों के लिए आय कर वृद्धि सात वर्षों में समाप्त होती है।

(g) कैलिफोर्निया संविधान में नए कर राजस्व के सीधे स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट व कम्यूनिटी कॉलेज में जाने की गारंटी दी गई है। शहरों व काउंटियों को सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे स्थानीय पुलिस व बाल रक्षा सेवाओं के लिए निरंतर फंड देने की गारंटी दी गई है। बजट को संतुलित रखने और वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी परिवारों, और छोटे व्यवसायों के लिए सेवाओं में अधिक संकटकारी कटौतियां करने से बचाने के लिए राज्य धन को मुक्त रखा गया है। इससे प्रत्येक को लाभ मिलता है। इससे प्रत्येक को लाभ मिलता है।

(h) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धन वहां जाए जहां इसे भेजने की मतदाता की इच्छा है, इन्हें विशेष खातों में रखा जाता है जिसे विधायिका (लेजिस्लेचर) छू भी नहीं सकती है। इन नए राजस्व में से किसी को भी राज्य की नौकरशाही या प्रशासनिक लागत पर खर्च नहीं किया जा सकता है।

(i) इन फंड को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र ऑडिट के अंतर्गत रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि इन्हें केवल स्कूलों व सार्वजनिक रक्षा के लिए ही खर्च किया जाए। यदि चुने हुए अधिकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं तो वे अभियोग चलाए जाने व आपराधिक दंड पाने के अधीन होंगे।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

(a) इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य धनी लोगों से उनके करों का समुचित हिस्सा देने के लिए कहकर स्कूलों व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करना है। इस प्रयास द्वारा फंड को राज्य के नियंत्रण से बाहर लाया जाता है और उन्हें विशेष खातों में रखा जाता है जोकि राज्य संविधान में विशेष रूप से स्कूलों व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं।

(b) यह प्रयास व्यापक राज्य बजट योजना पर निर्मित है जिसने राज्य खर्च में कई बिलियन डॉलर की स्थायी कटौती की है।

(c) इस प्रयास में स्कूलों, कम्यूनिटी कॉलेज, और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ठोस, विश्वसनीय फंडिंग की गारंटी दी जाती है जबकि साथ ही बजट के संतुलन को कायम रखा जाता है और वरिष्ठ नागरिकों, मध्यमवर्गीय कामकाजी परिवारों, बच्चों व छोटे व्यवसायों की सेवाओं में संकटकारी कटौतियों को बढ़ने से रोका जाता है।

(d) इस प्रयास द्वारा स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमों को राज्य से स्थानीय नियंत्रण में हस्तांतरित करने और राज्य राजस्वों को स्थानीय सरकार को हस्तांतरित करने को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि इन कार्यक्रमों के लिए भुगतान हो। हस्तांतरण के बगैर स्कूलों को संभवत: प्राप्त होने वाले फंड की अपेक्षा अधिक फंड प्रदान करके यह स्कूलों को नुकसान नहीं पहुंचने देने की गारंटी देता है।

(e) यह प्रयास गारंटी देता है कि इसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले नए राजस्वों को सीधे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में कक्षा के व्ययों के लिए भेजा जाएगा न कि प्रशासनिक लागत के लिए। इस स्कूल फंडिंग को निलंबित या रोका नहीं जा सकता है चाहे राज्य बजट में कुछ भी हो जाए।

(f) इस प्रयास से मिलने वाले समस्त राजस्व का प्रत्येक वर्ष स्थानीय ऑडिट किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र कंट्रोलर द्वारा ऑडिट किया जाता है कि उनका उपयोग केवल स्कूलों व स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हो।

खंड 4. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII में धारा 36 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

खंड 36. (a) इस धारा के उद्देश्यों के लिए:

(1) "सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं" में निम्नलिखित शामिल होती है:

(A) कानून प्रवर्त्तन कर्मियों, आपराधिक कार्यवाहियों के लिए नियुक्त वकील और कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ सहित, सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करना व प्रशिक्षण देना।

(B) स्थानीय जेलों की व्यवस्था करना और अवयस्क व वयस्क अपराधियों के लिए आवास, उपचार व सेवाएं प्रदान करना तथा निगरानी करना।

(C) बाल दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न को रोकना; दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न के शिकार बच्चों व युवाओं अथवा दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न के जोखिम वाले बच्चों व युवाओं और उनके परिवारों को सेवाएं प्रदान करना; गोद लेने संबंधी सेवाएं प्रदान करना; और वयस्क सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।

(D) बच्चों व वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना ताकि स्कूल में विफल होने, स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने, बेघर होने और जेलों या अस्पताल आदि संस्थाओं में भर्ती होने की रोकी जाने योग्य घटनाओं को कम किया जाए।

(E) दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, उपचार करना व इससे ठीक कराने संबंधी सेवाएं देना।

(2) "2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन" से मतलब 30 सितंबर, 2012 को या उससे पहले बनाए गए कानून से है ताकि राज्य बजट योजना को लागू किया जाए जिसे 2011 रिअलाईनमेंट शीर्षक दिया गया है और इसमें रिपोर्ट करने संबंधी जिम्मेदारियों सहित, स्थानीय एजेंसियों को सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपने की शर्त शामिल है। यह कानून स्थानीय एजेंसियों को संघीय कानून और फंडिंग आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को तैयार, व्यवस्था और प्रदान करने पर अधिकतम लचीलापन और नियंत्रण, इस कानून के अनुसार प्रदान करेगा। हालांकि, 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शुरुआती नियमित जांच, रोग-निदान और उपचार (EPSDT) कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधित देखभाल के अतिरिक्त, 1 जनवरी 2012 के बाद स्थानीय एजेंसियों को सौंपा गया कोई भी नया कार्यक्रम शामिल नहीं होगा।

(b) (1) उपश्रेणी (d) में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त, जो वित्तीय वर्ष 2011–12 में आरंभ हुए और उसके बाद जारी रहे, निम्नलिखित राशि को लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किया जाएगा जैसा कि गवर्नमेंट कोड्स की धारा 30025 में प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

(A) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड, की धारा 6051.15 और 6201.15 में वर्णित करों से प्राप्त समस्त राजस्व, रिफंड घटाकर, जैसी कि उक्त धाराओं की 1 जुलाई, 2011 को व्याख्या हुई।

(B) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड, की धारा 11005 में वर्णित वाहन लाइसेंस फीस से प्राप्त समस्त राजस्व, रिफंड घटाकर, जैसी कि उक्त धारा की 1 जुलाई, 2011 को व्याख्या हुई।

(2) 1 जुलाई 2011 को या इसके बाद, पैराग्राफ (1) के अनुसार जमा कराए गए राजस्वों को जनरल फंड के राजस्व या कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए लागू करों की आय नहीं माना जाएगा।

(c) (1) लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा फंड का निरंतर उपयोग एकमात्र रूप से स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के प्रावधानों को फंड देने के लिए किया जाता है। 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के पूर्ण क्रियान्वयन के लंबित रहते हुए, स्थानीय एजेंसियों की ओर से कार्यक्रम के लिए राज्य को प्रतिपूर्ति करने के लिए भी फंड का उपयोग किया जा सकता है। फंड आवंटन की पद्धति 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

(2) काउंटी कोषाध्यक्ष, शहरी व काउंटी कोषाध्यक्ष, या अन्य उपयुक्त अधिकारी प्रत्येक काउंटी या शहर व काउंटी के राजकोष में काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 बनाएगा। प्रत्येक काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में मौजूद धन का उपयोग एकमात्र रूप से स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था के फंड के लिए किया जाएगा जैसा कि 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में वर्णित है।

(3) अनुच्छेद XIII B की धारा 6, या किसी भी अन्य संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन, या अपनाए गए किसी भी विनियम या इस कानून को लागू करने के लिए जारी किसी भी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा लागू स्थानीय एजेंसी के किसी नए कार्यक्रम या सेवा के उच्च स्तर का आदेश, इस प्रकार का आदेश नहीं बनेगा जिसके लिए राज्य को उस धारा के अर्थ के भीतर फंड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। कोई भी आवश्यकता जिसका स्थानीय एजेंसी गवर्नमेंट कोड्स के शीर्षक 5 के प्रभाग 2 के भाग 1 के अध्याय 9 (धारा 54950 से शुरू करते हुए) के अनुसार अपनी सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने, या किसी अन्य संबंध में पालन करती है, अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश नहीं होगा।

(4) (A) 30 सितंबर, 2012 के बाद बना कानून जिसका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, केवल उसी सीमा तक स्थानीय एजेंसी पर लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य द्वारा व्यय वृद्धि के लिए वार्षिक फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय एजेंसियां उस स्तर से अधिक, इस उप-पैराग्राफ में वर्णित, कानून द्वारा आवश्यक कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए फंड प्रदान किया गया है।

(B) 9 अक्टूबर, 2011 के बाद लागू किए गए विनियम, कार्यकारी आदेश, या प्रशासनिक निर्देश जो 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन लागू करने के लिए आवश्यक नहीं हैं, और जिनका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, केवल उसी सीमा तक स्थानीय एजेंसी पर लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य द्वारा व्यय वृद्धि के लिए वार्षिक फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय एजेंसियां उस स्तर से अधिक, इस उप-पैराग्राफ में वर्णित, नए विनियमों, कार्यकारी आदेशों, या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए फंड प्रदान किया गया है।

(C) उप-पैराग्राफ (A) और (B) में वर्णित, उस स्तर से ऊपर जिसके लिए फंडिंग प्रदान की गई है, स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी नया कार्यक्रम या सेवा के उच्चतर स्तर के लिए न तो राज्य द्वारा फंड की वित्तीय सहायता देना आवश्यक होगा और न ही यह अन्य प्रकार से अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के अधीन होगा। यह पैराग्राफ अनुच्छेद XIII B की धारा 6 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (2) के अंतर्गत वित्तीय सहायता से मुक्त वर्तमान कानून पर लागू नहीं होगा जैसा कि इस पैराग्राफ की 2 जनवरी, 2011 को व्याख्या की गई।

(D) राज्य द्वारा संघीय सरकार को कोई भी ऐसी योजनाएं या अधित्याग, या उन योजनाओं या अधित्यागों में संशोधन नहीं किए जाएंगे जिनका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, सिवाय उस सीमा तक जिस सीमा तक ये योजनाएं, अधित्याग या संशोधन संघीय कानूनों द्वारा आवश्यक किए जाते हैं, अथवा राज्य बढ़े हुए व्यय के लिए वार्षिक फंडिंग प्रदान करता है।

(E) राज्य के लिए इस पैराग्राफ के अनुसार ऐसे आदेश के लिए फंड की वित्तीय सहायता देना आवश्यक नहीं होगा जिसे राज्य द्वारा स्थानीय एजेंसी के अनुरोध पर या संघीय कानून का पालन करने के लिए लागू किया गया है। इस पैराग्राफ के अनुसार आवश्यक राज्य फंड उपश्रेणी (b) और (d) में वर्णित स्रोतों से पृथक स्रोत से लिये जाएंगे, यथामूल्य, संपत्ति कर, या लोकल रेवेन्यू फंड के सेल्स टैक्स एकाउंट के सोशल सर्विसेज सबएकाउंट।

(5) (A) उप-पैराग्राफ (C) से लेकर (E) तक वर्णित, उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) सहित, और 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शामिल कार्यक्रमों के लिए, यदि संघीय अधिनियमों, या विनियमों में उत्तरवर्ती परिवर्तन होते हैं जो उन स्थितियों को बदलते हैं जिनके अंतर्गत 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार समान राशि के संघीय फंड प्राप्त किए जाते हैं, और जिनका समग्र प्रभाव स्थानीय एजेंसी द्वारा किए जाने वाले व्ययों के बढ़ने पर पड़ता है, तो राज्य द्वारा उन व्ययों के राज्य द्वारा निर्धारित गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(B) जब राज्य संघीय न्यायिक क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यवाही में की गई किसी शिकायता का एक पक्ष होता है जिसमें उप-पैराग्राफ (C) से लेकर (E) तक वर्णित, उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) सहित और 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शामिल या एक या अधिक कार्यक्रम शामिल होते हैं, और कोई निपटारा या न्यायिक अथवा प्रशासनिक आदेश होता है जिसमें आर्थिक दंड के रूप में व्यय लगाया जाता है या जिसका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसियों द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों के बढ़ने में होता है, तो राज्य द्वारा उन व्ययों के राज्य द्वारा निर्धारित गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा। राज्य द्वारा भुगतान करना आवश्यक नहीं है यदि राज्य निर्धारित करता है कि निपटारा या आदेश एक या अधिक ऐसी स्थानीय एजेंसियों से संबंधित है जो मंत्रालय संबंधी कर्तव्य निभाने में विफल रही, अच्छी मंशा के साथ कानूनी बाध्यता पूरी करने में विफल रही है या लापरवाह अथवा असावधान तरीके से काम कर रही है।

(C) इस पैराग्राफ में बताए गए राज्य फंड उपश्रेणी (b) और (d) में वर्णित स्रोतों से पृथक स्रोत से लिये जाएंगे, यथामूल्य, संपत्ति कर, या लोकल रेवेन्यू फंड के सेल्स टैक्स एकाउंट के सोशल सर्विसेज सबएकाउंट।

(6) यदि राज्य या स्थानीय एजेंसी इस धारा के अंतर्गत या 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अंतर्गत कोई कर्तव्य या बाध्यता पूरी करने में विफल रहती है तो किसी उपयुक्त पक्ष द्वारा न्यायिक राहत मांगी जा सकती है। इन कार्यवाहियों को अन्य सभी दीवानी मामलों के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होगी।

(7) काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किए गए फंड को इस तरीके से व्यय किया जाएगा जिसे संघीय समान राशि के फंड के लिए राज्य की पात्रता बनाए रखने, और सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के राज्य के प्रावधान नियंत्रित करने वाले लागू संघीय मानकों का राज्य द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

(8) काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किए गए फंड को स्थानीय एजेंसी द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए अन्य फंडिंग का स्थान लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(d) यदि उपश्रेणी (b) में वर्णित करों को कम किया जाता है या निष्प्रभावी बनाया जाता है तो राज्य द्वारा लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा राशि के समान या उपश्रेणी (b) में वर्णित करों द्वारा अन्य प्रकार से प्रदान किये जाने वाली कुल राशि से अधिक प्रदान की जाएगी। इस राशि को निश्चित करने का तरीका 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में बताया जाएगा और राज्य उस समय तक यह राशि स्थानीय एजेंसियों को देने के लिए बाध्य होगा तब तक कि 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवा की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आवश्यक होता है। यदि राज्य वार्षिक आधार पर यह राशि देने में विफल रहता है तो कंट्रोलर द्वारा इस राशि को जनरल फंड से समानुपातिक आधार पर मासिक हिस्सों में लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, कंट्रोलर इस राशि को उस तरीके से स्थानीय एजेंसियों को वितरित करेगा जो 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में निर्देशित किया गया है। इस उपश्रेणी के अंतर्गत जनरल फंड के धन के लिए राज्य की बाध्यताएं निम्न प्राथमिकता में होंगी जबकि पहली प्राथमिकता अनुच्छेद XVI की धारा 8 के अंतर्गत धन अलग रखने और दूसरी प्राथमिकता अनुच्छेद XVI की धारा 1 में वर्णित मतदाताओं द्वारा स्वीकृत ऋणों व देयताओं का भुगतान करने की होगी।

(e) (1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान न पहुंचे, एतद्वारा जनरल फंड में एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट बनाया गया है ताकि इस धारा के अनुसार लागू करों में उत्तरोतर वृद्धि से प्राप्त राजस्व को प्राप्त व वितरित किया जाए, जैसा कि उपश्रेणी (f) में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) (A) 30 जून, 2013 से पहले, और 2014 से 2018 तक प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक द्वारा अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, की कुल राशि का अनुमान लगाया जाएगा जो उपश्रेणी (f) में दी गई कर दरों में उत्तरोतर वृद्धि से प्राप्त की जाएगी तथा जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरण हेतु उपलब्ध होगी। वित्त निदेशक द्वारा अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, के लिए भी ऐसा ही अनुमान 10 जनवरी, 2013 को लगाया जाएगा जो वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक प्राप्त होगा।

(B) 2013–14 से लेकर 2018–19 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाही में से प्रत्येक तिमाही के अंतिम 10 दिनों के दौरान, कंट्रोलर द्वारा उस वित्तीय वर्ष के उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार अनुमानित कुल राशि के एक-चौथाई हिस्से को एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरित किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जबकि इस राशि को उप-पैराग्राफ (D) के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

(C) 2012–13 से लेकर 2020–21 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट के लिए लागू प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित राशियों को एकसाथ जोड़कर समायोजन की गणना करेगा, जैसा कि उप-पैराग्राफ (D) में बताया गया है:

(i) 2012–13 से लेकर 2018–19 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लगाए गए अनुमान की दोबारा गणना करेगा, और उस वित्तीय वर्ष के लिए एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में पहले हस्तांतरित की गई राशियों में से इस नवीनतम अनुमान को घटा देगा।

(ii) जून 2015 में और 2016 से 2021 तक प्रत्येक जून में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक द्वारा दो वर्ष पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपश्रेणी (f) में बताई कर दरों में उत्तरोतर वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व की राशि, रिफंड घटाकर, का अंतिम निर्धारण करेगा। दो वर्ष पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपवाक्य (i) में गणना की गई नवीनतम अनुमानित राशि को इस अंतिम निर्धारण की राशि से घटा दिया जाएगा।

(D) यदि उप-पैराग्राफ (C) के अनुसार निर्धारित राशि सकारात्मक है तो कंट्रोलर द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 10 दिनों के भीतर उस राशि के समान राशि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी। यदि यह राशि नकारात्मक है तो कंट्रोलर द्वारा उस समय तक एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में उत्तरवर्ती तिमाही हस्तांतरण को निलंबित या कम कर दिया जाएगा जब तक कि कुल कमी यहां वर्णित नकारात्मक राशि के बराबर नहीं हो जाती है। उप-पैराग्राफ (C) के उपवाक्य (i) के अनुसार की गई किसी भी गणना के उद्देश्यों के लिए, तिमाही हस्तांतरण की राशि को इस उप-पैराग्राफ के अनुसार किए गए किसी निलंबन या कमी को दर्शाने के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा।

(3) एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट की समस्त राशि का एतद्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, चार्टर स्कूलों, और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की सहायता के लिए निरंतर उपयोग किया जाता है जैसा कि इस पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है।

(A) इस पैराग्राफ के अनुसार उपयोग किए गए धन का ग्यारह प्रतिशत कैलिफोर्निया कम्यूनिटी कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गर्वनर द्वारा कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट को तिमाही आवंटन किया जाएगा ताकि एजुकेशन कोड की धारा 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों के अनुपात में सामान्य उद्देश्य फंडिंग प्रदान की जाए, जैसी कि इस धारा के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है। इस उप-पैराग्राफ के अनुसार गणना की गई आवंटित राशि की उस कमी को एजुकेशन कोड की धारा 84751 की उपश्रेणियों (a), (c) और (d) में निर्दिष्ट राशियों द्वारा पूरा किया जाएगा, जैसी कि इस धारा के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है, जो एजुकेशन कोड की

धारा 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों से अधिक होती है, जैसी कि इस धारा के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है, बशर्ते कोई भी कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक पूर्णकालिक समकक्ष छात्र के लिए एक सौ डॉलर ($100) से कम प्राप्त नहीं करेगा।

(B) इस पैराग्राफ के अनुसार उपयोग किए जाने वाले धन का उन्यासी प्रतिशत सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा क्रमश: स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन को सामान्य उद्देश्य फंडिंग के लिए, और चार्टर स्कूलों को राज्य की सामान्य उद्देश्य फंडिंग के लिए एजुकेशन कोड की धारा 2558 और 42238 के अनुसार गणना की गई राजस्व सीमा और काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड की धारा 47633 के अनुसार गणना की गई राशियों के अनुपात में प्रदान किया जाएगा, जैसी कि मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है। इस प्रकार गणना की गई राशि की कमी एजुकेशन कोड की धारा 2558 की उपश्रेणी (c) में निर्दिष्ट राशियों, क्रमश: काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड की धारा 42238 और धारा 47635 की उपश्रेणी (h) के पैराग्राफ (1) से लेकर (7) तक के ज़रिए पूरी की जाएगी, जैसी कि मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है जो क्रमश: काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड की धारा 2558, 42238 और धारा 47633 के अनुसार गणना की राशियों से अधिक होती है, जैसी कि मतदाता स्वीकृति द्वारा इस संहिता की धारा की व्याख्या की गई है, बशर्ते कोई भी काउंटी के शिक्षा कार्यालय, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूल औसत दैनिक उपस्थिति के लिए प्रति इकाई दो सौ डॉलर ($200) से कम प्राप्त नहीं करेगा।

(4) उपश्रेणी स्वत: प्रभावी है और इसके लिए किसी कानून के प्रभावी होने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद XVI की धारा 8 के पैराग्राफ (h) को लागू करके, अनुच्छेद IV की धारा 12 के अनुसार वार्षिक बजट बिल बनाने के लिए विधायिका व गर्वनर की विफलता के कारण, या विधायिका या गर्वनर द्वारा की गई किसी कार्रवाई या काम करने में विफलता के कारण कैलिफोर्निया कम्यूनिटी कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गर्वनर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में धन के वितरण में देरी नहीं की जाएगी या यह अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।

(5) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में जमा धन विधायिका, गर्वनर, या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यय के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(6) कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूल के पास यह निर्धारित करने का एकल अधिकार होगा कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से प्राप्त धन को स्कूल या इसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों पर किस प्रकार खर्च किया जाए, बशर्ते कि उपयुक्त शासी निकाय या निकाय द्वारा शासी निकाय या निकाय की सार्वजनिक बैठक के खुले सत्र में इस खर्च का निर्धारण किया जाए और एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट के किसी भी फंड का उपयोग वेतन या प्रशासकों के लाभ या किसी अन्य प्रशासनिक लागत के लिए नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूल अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रतिवर्ष इसका हिसाब-किताब प्रकाशित करेगा कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से कितना धन प्राप्त हुआ और उस धन में से कितना खर्च किया गया।

(7) कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं के अतिरिक्त, यह निश्चित व सत्यापित करने के लिए कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूलों का वार्षिक स्वतंत्र वित्तीय व अनुपालन ऑडिट किया जाएगा कि क्या एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से प्राप्त फंड इस धारा के अनुसार समुचित रूप से वितरित किए गए व खर्च किए गए। इस धारा की ऑडिट संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता का पालन करने के लिए इन निकायों द्वारा खर्च किए गए व्ययों का भुगतान एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट की फंडिंग से किया जा सकता है और इस धारा के उद्देश्यों के लिए इन्हें प्रशासनिक लागत नहीं माना जाएगा।

(8) इस धारा के अनुसार एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में जमा करने के लिए उपश्रेणी (f) के अनुसार प्राप्त किए गए राजस्व, रिफंड घटाकर, को अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए "जनरल फंड राजस्व", "करों से प्राप्त जनरल फंड आय" और "स्कूल डिस्ट्रिक्ट और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की सहायता के लिए राज्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला धन" माना जाएगा।

(f) (1) (A) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 1 (धारा 6001 के साथ शुरू होने वाले) द्वारा लागू करों के अतिरिक्त, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को खुदरा में बेचने के अधिकार के लिए, 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 को या उससे पहले इस राज्य में खुदरा पर बेची गई समस्त मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी भी रिटेलर की सकल प्राप्ति के 1/4 प्रतिशत दर से सभी रिटेलर पर एतद्वारा एक कर लगाया जाता है।

(B) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 1 (धारा 6001 के साथ शुरू होने वाले) द्वारा लागू करों के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2013 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 को या उससे पहले इस राज्य में किसी भी रिटेलर से खरीदी गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर, इस राज्य में संपत्ति की बिक्री कीमत के 1/4 प्रतिशत की दर से भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए एतद्वारा उत्पाद कर लगाया जाता है।

(C) इस धारा के प्रभावी होने की तिथि पर या इसके बाद लागू किसी भी संशोधन सहित, इस पैराग्राफ के अनुसार लगाए गए करों पर बिक्री व उपयोग कर कानून लागू होगा।

(D) यह पैराग्राफ 1 जनवरी, 2017 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(2) 1 जनवरी, 2012 को या इसके बाद और 1 जनवरी, 2019 को या इससे पहले आरंभ होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष के लिए, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अनुसार लागू कर के संबंध में, आय कर दायरा और रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) में निर्धारित 9.3 प्रतिशत दर को निम्निलखित में से प्रत्येक द्वारा संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) कर योग्य आय के उस हिस्से के लिए जो दो सौ पचास हजार डॉलर ($250,000) से अधिक परंतु तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से कम है, कर की दर दो सौ पचास हजार डॉलर ($250,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 10.3 प्रतिशत होती है।

(ii) तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से अधिक परंतु पांच सौ डॉलर ($500,000) से कम, कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 11.3 प्रतिशत होती है।

(iii) पांच सौ डॉलर ($500,000) से अधिक कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर पांच सौ डॉलर ($500,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 12.3 प्रतिशत होती है।

(B) उपपैराग्राफ़ (A) के उपवाक्य (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आय कर के दायरे की दोबारा गणना की जाएगी, जैसा कि अन्य प्रकार से केवल 1 जनवरी, 2013 को या इसके बाद आरंभ होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 की उपश्रेणी (h) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।

(C) (i) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 19136 की उपश्रेणी (g) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ को उस तिथि को मान्य माना जाएगा जिस तिथि को यह प्रभावी होता है।

(ii) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 10 (धारा 17001 से आरंभ) और भाग 10.2 (धारा 18401 से आरंभ) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ

30

द्वारा निर्धारित व लागू संशोधित कर दायरे व कर की दरों को रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अंतर्गत निर्धारित व लागू माना जाएगा।

(D) यह पैराग्राफ 1 दिसंबर, 2019 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(3) 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद, और 1 जनवरी, 2019 से पहले रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अनुसार लागू कर के संबंध में, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (1) में निर्धारित आय कर के दायरे और 9.3 प्रतिशत की दर को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया जाएगा:

31

(A) (i) कर योग्य आय के उस हिस्से के लिए जो दो सौ पचास हजार डॉलर ($340,000)से अधिक परंतु चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से कम है, कर की दर तीन सौ चालीस हजार डॉलर ($340,000)से अधिक अतिरिक्त राशि का 10.3 प्रतिशत होती है।

(ii) चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से अधिक परंतु छह सौ अस्सी डॉलर ($680,000) से कम, कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 11.3 प्रतिशत होती है।

(iii) छह सौ अस्सी डॉलर ($680,000) से अधिक कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर छह सौ अस्सी डॉलर ($680,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 12.3 प्रतिशत होती है।

(B) उप पैराग्राफ़ (A) के उपवाक्य (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आय कर के दायरे की दोबारा गणना की जाएगी, जैसा कि अन्य प्रकार से केवल 1 जनवरी, 2013 को या इसके बाद आरंभ होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 की उपश्रेणी (h) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।

(C) (i) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 19136 की उपश्रेणी (g) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ को उस तिथि को मान्य माना जाएगा जिस तिथि को यह प्रभावी होता है।

(ii) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 10 (धारा 17001 से आरंभ) और भाग 10.2 (धारा 18401 से आरंभ) के उद्देश्यों के लिए, इस पैराग्राफ द्वारा निर्धारित व लागू संशोधित कर दायरे व कर की दरों को रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 17041 के अंतर्गत निर्धारित व लागू माना जाएगा।

(D) यह पैराग्राफ 1 दिसंबर, 2019 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(g) (1) कंट्रोलर अपने वैधानिक अधिकार के अनुसार लोकल रेवेन्यू फंड 2011 और किसी भी काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 के व्ययों का ऑडिट यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि इन फंडों का उपयोग व लेखांकन इस धारा के अनुरूप तरीके से किया गया है।

(2) एटार्नी जनरल या स्थानीय डिस्ट्रिक्ट एटार्नी द्वारा काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 या एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से धन के किसी भी दुरुपयोग की तेजी से जांच की जाएगी, और वे इसके लिए दीवानी या आपराधिक जुर्माने की मांग कर सकते हैं।

खंड 5. प्रभावी तिथि।

कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 36 की उपश्रेणी (b), जैसी कि इस प्रयास द्वारा जोड़ी गई है, 1 जुलाई, 2011 को प्रभावी होगी। कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 36 की उपश्रेणी (f) के पैराग्राफ (2) और (3), जैसा कि इस प्रयास द्वारा जोड़ा गया है, 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी होंगे। इस प्रयास के अन्य सभी प्रावधान उस चुनाव के एक दिन बाद प्रभावी होंगे जिसमें प्रस्तुत प्रयास पर मतदान करके बहुसंख्यक मतदाताओं द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।

खंड 6. परस्पर टकराने वाले प्रयास।

उस स्थिति में जबकि यह प्रयास और अन्य प्रयास जो व्यक्तिगत आय पर कर की दरों के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि लागू करता है, एक ही राज्यस्तरीय मतपत्र पर दिखाई देंगे तो अन्य प्रयास या प्रयासों के प्रावधानों को इस प्रयास के साथ परस्पर टकराव वाला माना जाएगा। उस स्थिति में कि इस प्रयास को इसके साथ टकराव वाले प्रयास की तुलना में अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं तो इस प्रयास के प्रावधान अपनी संपूर्णता में उपस्थित रहेंगे, और अन्य प्रयास या प्रयासों को अकृत एवं शून्य माना जाएगा।

खंड 7. इस प्रयास द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट व कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेतु उस राशि के लिए फंडिंग प्रदान की जाती है जो कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए, 2011 के स्टैच्यूट के अध्याय 43 के अनुसार रेवेन्यू व टैक्सेशन कोड की धारा 6051.15 और 6201.15 के अनुसार यदि जमा किए राजस्व को "जनरल फंड राजस्व" या "करों से जनरल फंड आय" माना जाता है तो इस पर प्रदान किए जाने वाली राशि के समान या अधिक होती।

प्रस्ताव 31

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार कैलिफोर्निया के लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रयास द्वारा कैलिफोर्निया संविधान की धाराओं को संशोधित व धाराएं जोड़ी जाती हैं और एजुकेशन कोड व गवर्नमेंट कोड में धाराएं जोड़ी जाती हैं; इसलिए मिटाये जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

सरकारी प्रदर्शन व जवाबदेही अधिनियम

खंड 1. परिणाम व घोषणाएं

कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा यह पाते हैं और घोषित करते हैं कि सरकार को होना चाहिए:

1. विश्वसनीय। कैलिफोर्निया सरकार ने अपने नागरिकों का विश्वास खो दिया है और कैलिफोर्निया की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है। करदाता अपने निवेश पर उच्चतर प्रतिफल पाने के पात्र होते हैं और आम लोग सरकारी सेवाओं से बेहतर परिणामों की अपेक्षा करते हैं।

2. परिणामों के लिए जवाबदेह। विश्वास दोबारा अर्जित करने के लिए, सरकार को सभी स्तरों पर परिणामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। लोग यह जानने का अधिकार रखते हैं कि कर के डॉलरों को किस तरह खर्च किया जा रहा है और सरकार कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राज्य व स्थानीय सरकारी एजेंसियों को समस्त व्ययों के लिए मापे जाने योग्य परिणाम निर्धारित करने चाहिए और इन परिणामों के लिए होने वाली प्रगति को नियमित व सार्वजनिक रूप से सूचना देनी चाहिए।

3. मितव्ययी। कैलिफोर्निया को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी होने के लिए अपने अल्प सार्वजनिक स्रोतों में बुद्धिमत्तापूर्वक निवेश करना चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ती हुई प्रभाविता व क्षमता के साथ दिया जाना चाहिए।

4. पारदर्शी। यह आवश्यक है कि जनता के कार्य को सार्वजनिक किया जाए। ईमानदारी और खुलापन लोकतंत्र की सत्यनिष्ठा और लोगों व उनकी सरकार के बीच संबंधों को बढ़ाती व सुरक्षित रखती है।

5. परिणामों पर ध्यान केंद्रित। परिणामों को बेहतर करने के लिए, सार्वजनिक एजेंसियों में सार्वजनिक उद्देश्य की स्पष्ट व साझा समझदारी होनी चाहिए। इस प्रयास

द्वारा लोग घोषित करते हैं कि राज्य व स्थानीय सरकारों का उद्देश्य एक समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। ये उद्देश्य कम से कम निम्नलिखित लक्ष्यों द्वारा हासिल करके आगे बढ़ते हैं: रोजगार बढ़ाना, शिक्षा बेहतर करना, गरीबी कम करना, अपराध घटाना और स्वास्थ्य बेहतर करना।

6. सहयोग। प्रत्येक डॉलर का महत्व सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक एजेंसियों को नौकरशाही कम करने, दोहरापन समाप्त करने, और विवादों को निपटाने के लिए मिलजुलकर काम करना चाहिए। उन्हें सेवाओं को एकीकृत करना चाहिए और ऐसी कार्यनीतियां अपनानी चाहिए जो आजमायी हुई हों और कैलिफोर्निया के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें।

7. लोगों से निकटता। कई सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से प्रदान की जाती हैं जहां सरकारी अधिकारी अपने समाज को जानते हैं और निवासियों की पहुंच निर्वाचित अधिकारियों तक होती है। स्थानीय सरकारों को अपने समुदायों की जरूरतों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को बनाने के लिए लचीलेपन की जरूरत है।

8. क्षेत्रीय नौकरी निर्माण के लिए सहायक। कैलिफोर्निया में कई क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। आर्थिक जीवंतता के कई घटकों का सबसे बेहतर समाधान क्षेत्रीय पैमाने पर होता है। अच्छा वेतन देने वाली नौकरियां निर्मित करने के लिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए क्षमता बढ़ाने के मकसद से राज्य द्वारा स्थानीय सरकारों को क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करने में सक्षम व प्रोत्साहित करना चाहिए।

9. सुनने की इच्छुक। गतिमान व प्रतिक्रिया देने वाले लोकतंत्र और प्रतिक्रिया देने वाली व जवाबदेह सरकार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक है। जब सरकार सुनती है तो अधिक लोग अपने समाज और उनकी सरकारों में सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक होते हैं।

10. किफायती व चौकस। आज राज्य व स्थानीय सरकारें बजट प्रक्रियाओं पर हजारों मिलियन डॉलर खर्च कर देती हैं जो लोगों को यह नहीं बताता है कि कौन सा काम पूरा हुआ। इन्हीं फंड का बेहतर उपयोग ऐसे बजट तैयार करने में किया जा सकता है जो डॉलर को लक्ष्यों से जोड़ें और इन लक्ष्यों के लिए हुई प्रगति को बताएं, जो सार्वजनिक बजट का प्राथमिक उद्देश्य होता है।

खंड 2. उद्देश्य व अभिप्राय

इस प्रयास को अधिनियमित करने में, कैलिफोर्निया राज्य के लोगों की मंशा है:

1. वर्तमान संसाधनों के साथ राज्य व स्थानीय सरकारों के लिए बजट प्रक्रिया को बेहतर करके परिणाम बेहतर किए जाएं व करदाताओं व लोगों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाया जाए।

2. ऐसी राज्य बजट प्रक्रिया के ज़रिए राज्य सरकार को अधिक प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी बनाया जाए जो निम्नलिखित काम करें:

a. बजट के ऐसे निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करे जो कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां प्रगति हो रही है।

b. दो वर्षीय बजट का विकास आवश्यक करे और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बाद प्रत्येक कार्यक्रम की समीक्षा हो कि धन इस समय के दौरान सही ढंग से खर्च हुआ है।

c. प्रमुख नए कार्यक्रमों व कर कटौतियों को अधिनियमित करने से पहले उनके फंडिंग स्रोतों की स्पष्टता से पहचान करना आवश्यक करता हो।

d. कानून बनाने—बजट अधिनियम सहित—को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इस पर मत देने से तीन पहले सार्वजनिक किया जाए।

3. धन बचाने, परिणाम बेहतर करने और निम्नलिखित के ज़रिए जनता के प्रति जवाबदेही दोबारा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारों को मिलजुलकर काम करने के लिए सक्षम व प्रोत्साहित करके सरकारों को जनता के अधिक निकट लाया जाए:

a. स्थानीय सरकारों के बजट निर्णयों को उन चीजों पर केंद्रित करे जो कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां प्रगति हो रही है।

b. समाज की उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वे स्वयं हासिल नहीं कर सकते हैं, एक सार्वजनिक प्रक्रिया के ज़रिए के लिए काउंटी, शहरों और स्कूलों को कम्यूनिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान (सामुदायिक कार्यनीतिक कार्रवाई योजना) विकसित करने का अधिकार देना।

c. स्थानीय सरकारों को अधिकार देना जिससे एक्शन प्लान में लचीलेपन को स्वीकृति मिलती हो कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में परिणाम बेहतर करने के लिए राज्य के धन को किस प्रकार खर्च करेंगे।

d. स्थानीय सरकारों को अधिकार देना जिससे ऐसे एक्शन प्लान को स्वीकृति मिलती हो कि जिसमें उन राज्य कानूनों या विनियमों को चिह्नित करने की क्षमता हो जो प्रगति को रोकते हैं और राज्य की आवश्यकताएं हासिल करने के लिए स्थानीय नियम बनाने की प्रक्रिया बनाने की क्षमता हो।

e. क्षेत्रीय पैमाने पर अधिक प्रभावी ढंग से पूरे किए जाने वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए स्थानीय सरकारों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

f. एक्शन प्लान विकसित करने के लिए स्थानीय सरकारों को प्रोत्साहन के तौर पर कुछ राज्य फंड प्रदान करना।

g. स्थानीय सरकारों से उनकी प्रगति की रिपोर्ट वार्षिक तौर पर मांगना और निरंतर लचीलेपन की शर्त के तौर पर प्रत्येक चार वर्ष में उनकी कोशिशों का मूल्यांकन करना—इस तरह स्थानीय तौर पर चुने हुए अधिकारियों की स्थानीय मतदाताओं व करदाताओं के प्रति जवाबदेही दोबारा स्थापित करना।

4. प्राथमिकताएं चिह्नित करने, लक्ष्य निर्धारित करने, परिणामों का मापन स्थापित करने, बजट में संसाधन आवंटित करने और प्रगति की निगरानी रखने के लिए लोगों को शामिल किया जाए।

5. बजट सुधारों को लागू करना जैसे यहां पर बिना महत्वपूर्ण अतिरिक्त फंड के राज्य और इसके राजनीतिक उपश्रेणियों की बजट प्रक्रिया को समर्पित वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना। इसके अलावा, वर्तमान कर आधारों और राजस्वों से परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड स्थापित करना। इसके किसी प्रावधान के लिए करों में वृद्धि या किसी कर दर या आधार में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 3. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 8 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 8. (a) बिल को पेश करने के बाद 31वें दिन तक नियमित सत्रों में बजट बिल के अलावा अन्य किसी बिल को समिति या किसी भी हाउस द्वारा सुना या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि हाउस वर्तमान सदस्यता के तीन चौथाई मतों को बोलकर (रोलकॉल) दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराते हुए इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

(b) विधायिका द्वारा संविधि के अतिरिक्त कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है और बिल के अतिरिक्त कोई संविधि अधिनियमित नहीं की जा सकती है। कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे प्रत्येक हाउस में 3 दिनों में शीर्षक सहित पढ़ा नहीं जाता है सिवाय उस स्थिति के जब हाउस वर्तमान सदस्यता के दो तिहाई मतों को बोलकर (रोलकॉल) दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराते हुए इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। *जिसे प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमले से पैदा, गर्वनर द्वारा घोषित आपात स्थिति से निपटने के लिए गर्वनर द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में पास किए गए अत्यावश्यकता शर्त वाले बिल के अतिरिक्त* अन्य कोई भी बिल उस समय तक पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि संशोधन सहित बिल ~~प्रकाशित किया जा चुका~~ है *प्रकाशन में* है और सदस्यों को वितरित नहीं किया गया है और *कम से कम 3 दिनों के लिए आम लोगों को उपलब्ध* नहीं है। कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक हाउस की बहुसंख्यक सदस्यता द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर मत (रोलकॉल) नहीं डाले जाते हैं।

(c) (1) इस उपश्रेणी के पैराग्राफ (2) व (3) के प्रावधानों के अतिरिक्त, नियमित सत्र में बनाई गई संविधि, संविधि बनाने की तिथि के 90 दिनों की अवधि के बाद अगली 1 जनवरी से प्रभावी होगा और विशेष सत्र में बनाई गई संविधि उस विशेष सत्र के भंग होने के 91वें दिन प्रभावी होगा जिसमें बिल पास किया गया था।

(2) किसी विधान सभा, कांग्रेस संबंधी या अन्य चुनाव जिले की सीमाओं को निर्धारित या परिवर्तित करने वाली संविधि के अलावा, कोई संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पुन: आयोजित करने के मकसद से संयुक्त विश्राम अवधि के लिए विधायिका स्थगित करने की तिथि को या उससे पहले विधायिका द्वारा पास किए बिल द्वारा बनाया गया है, संविधि बनाने के बाद की अगली 1 जनवरी से प्रभावी होगा जब तक कि 1 जनवरी से पहले, अनुच्छेद II की धारा 10 की उपश्रेणी (d) के अनुसार एटार्नी जनरल को संविधि को प्रभावित करने वाले मत-संग्रह याचिका की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिस स्थिति में संविधि अधिनियमन तिथि के बाद 91वें दिन से प्रभावी होगी जब तक कि याचिका अनुच्छेद II की धारा 9 की उपश्रेणी (b) के अनुसार सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(3) चुनाव की मांग करने वाली संविधि, कर छूट या राज्य के सामान्य वर्तमान व्ययों के विनियोजन के लिए संविधि और अत्यावश्यक संविधि उन्हें बनाए जाने के बाद तुरंत प्रभावी हो जाएंगी।

(d) अत्यावश्यक संविधि वे संविधि होती हैं जो सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यकता को दर्शाने वाला तथ्य वक्तव्य बिल के एक हिस्से में रखा जाएगा। दो तिहाई सहमत सदस्यता द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर डाले गए मत (रोलकॉल) के ज़रिए, प्रत्येक हाउस में यह हिस्सा और बिल अलग-अलग पास किए जाएंगे। अत्यावश्यक संविधि किसी कार्यालय को बना या समाप्त नहीं कर सकती है या किसी कार्यालय के वेतन, अवधि या कर्तव्यों को बदल नहीं सकती है अथवा कोई विशेष अधिकार या विशेष प्राधिकार नहीं दे सकती है या कोई अंर्तनिहित अधिकार या हित निर्मित नहीं कर सकती है।

खंड 4. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV में धारा 9.5 जोड़ी गई है, जिसकी व्याख्या यह है:

खंड 9.5. विधायिका द्वारा पास किया गया कोई बिल जो (1) अनुच्छेद XIII B की धारा 6 में वर्णित राज्य द्वारा अनिवार्य किए गए स्थानीय कार्यक्रम सहित, राज्य का नया कार्यक्रम या नई एजेंसी बनाता है, या वर्तमान राज्य कार्यक्रम या एजेंसी के दायरे को विस्तारित करता है, जिसका प्रभाव, यदि फंड मिला तो उस वित्तीय वर्ष में या आने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य लागत में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक शुद्ध वृद्धि के रूप में होगा, या (2) राज्य कर या राज्य राजस्व के अन्य स्रोत को कम करता है जिसका प्रभाव उस वित्तीय वर्ष में या आने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य लागत में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक शुद्ध वृद्धि के रूप में होगा, अमान्य है जब तक कि राज्य कार्यक्रम में कमी या अतिरिक्त राजस्व, या उनकी संयुक्त रूप से कमी को ऐसी राशि वाले बिल या अन्य बिल में पूरा नहीं किया जाता है जो राज्य लागत या राज्य राजस्व में शुद्ध कमी में शुद्ध वृद्धि के बराबर या उससे अधिक नहीं होती है। इस खंड मे निर्दिष्ट पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) की सीमा को केलिफोर्निया कंज्यूमर प्राईस इंडेक्स के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

खंड 5. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 10 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 10. (a) विधायिका द्वारा पास किए जाने वाले प्रत्येक बिल को गर्वनर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि गर्वनर इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह संविधि (स्टैच्यूट) बन जाता है। गर्वनर इसे भेजने वाले मूल हाउस को आपत्तियों के साथ लौटाकर इस पर वीटो कर सकते हैं, जिससे दैनिकी (जर्नल) में आपत्तियां दर्ज होंगी और इन पर दोबारा विचार करने के लिए भेजा जाएगा। यदि प्रत्येक हाउस सहमत दो तिहाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत (रोलकॉल) द्वारा बिल को पास कर देता है तो यह संविधि बन जाती है।

(b) (1) किसी विधान सभा, कांग्रेस संबंधी या अन्य चुनाव जिले की सीमाओं को निर्धारित या परिवर्तित करने वाली संविधि के अलावा, कोई संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पुन: आयोजित करने के मकसद से संयुक्त विश्राम अवधि के लिए विधायिका स्थगित करने की तिथि को या उससे पहले विधायिका द्वारा पास किया गया है, और यह उस तिथि के बाद गर्वनर के पास है, और जिसे उस तिथि के बाद 30 दिनों के भीतर लौटाया नहीं जाता है वह संविधि बन जाती है।

(2) कोई *संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 30 जून से पहले विधायिका द्वारा पास किया गया है, और जो 30 जून को या इसके बाद गर्वनर के पास है, और जिसे उस वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पहले लौटाया नहीं जाता है वह संविधि बन जाती है। इसके अतिरिक्त, कोई* बिल जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 1 सितंबर से पहले विधायिका द्वारा पास किया गया है, और जो 1 सितंबर को या इसके बाद गर्वनर के पास है, और जिसे उस वर्ष की 30 सितंबर को या उससे पहले लौटाया नहीं जाता है वह संविधि बन जाती है।

(3) गर्वनर को प्रस्तुत किया गया कोई अन्य बिल जिसे 12 दिनों के भीतर लौटाया नहीं जाता है, संविधि बन जाती है।

(4) यदि विशेष सत्र के स्थगित होने के कारण विधायिका वीटो संदेश के साथ बिल का लौटाया जाना रोक देती है, तो बिल संविधि बन जाती है जब तक कि गर्वनर द्वारा इसे जमा कराकर और सेक्रेटी ऑफ स्टेट के कार्यालय में वीटो संदेश देकर, इसे प्रस्तुत करने के 12 दिनों के भीतर इस पर वीटो नहीं देता है।

(5) यदि उस उपश्रेणी के पैराग्राफ (3) और (4) के अनुसार जिस अवधि के भीतर गर्वनर द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, उस अवधि का 12वां दिन शनिवार, रविवार या अवकाश का दिन है तो यह अवधि अगले दिन तक विस्तारित हो जाएगी जो शनिवार, रविवार या अवकाश का दिन नहीं है।

(c) *(1)* विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के पहले कामकाजी वर्ष के दौरान प्रस्तुत कोई ऐसा बिल जिसे द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 31 जनवरी तक मूल हाउस द्वारा पास नहीं किया गया है, अब हाउस द्वारा कार्रवाई के योग्य नहीं हो सकता है। किसी भी हाउस द्वारा कोई भी बिल ~~सम संख्या वाले वर्ष की 1 सितंबर~~ *द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 30 जून* को या उसके बाद पास नहीं किया जा सकता है सिवाय ~~चुनाव की मांग करने वाली संविधि, कर छूट या राज्य के सामान्य वर्तमान व्ययों के विनियोजन के लिए संविधि और अत्यावश्यक संविधि के~~ *ऐसे बिल के जो तत्काल प्रभावी होते हैं*, और गर्वनर द्वारा वीटो किए जाने के बाद बिल पास होते हैं।

(2) किसी भी बिल को द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पेश या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है जो पर्याप्त रूप से ऐसे किसी भी प्रयास के प्रस्तुत या संशोधित संस्करण के समान प्रभाव रखता है जिसे पैराग्राफ (1) के अनुसार आवश्यक द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 31 जनवरी को मूल हाउस द्वारा पास नहीं किया गया था।

(d) *(1)* विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष की 15 नवंबर के बाद विधायिका द्वारा गर्वनर को कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। *द्विवार्षिकी के दूसरे वर्ष की 4 जुलाई के बाद पहले सोमवार को, विधायिका अपने नियमित सत्र के हिस्से के तौर पर कार्यक्रम का सिंहावलोकन व समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाएगी। संविधि और बाएनियल बजट एक्ट में निर्धारित प्रदर्शन संबंधी मानकों के आधार पर, राज्य या राज्य की ओर से राज्य फंड से संचालित कार्यक्रमों लागू*

करने वाली स्थानीय एजेंसियों द्वारा लिये गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने व प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विधायिका द्वारा एक निगरानी प्रक्रिया तय की जाएगी। इस प्रावधान की प्रभावी तिथि के एक वर्ष के भीतर, राज्य के सभी कार्यक्रमों के लिए एक समीक्षा समयसारणी निश्चित की जाएगी चाहे इसे राज्य या राज्य की ओर से राज्य फंड से संचालित कार्यक्रमों को लागू करने वाली स्थानीय एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस समयसारणी में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की समीक्षा का क्रम तय किया जाएगा ताकि कार्यक्रम के उद्देश्यों के बीच के संबंध को चिह्नित किया जा सके और उसकी समीक्षा की जा सके। समीक्षा प्रक्रिया का परिणाम प्रस्तावित विधान के रूप में अनुशंसाओं में आएगा जो कार्यक्रमों को बेहतर या समाप्त करती हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी।

(2) पैराग्राफ (1) के अंतर्गत कार्यक्रम निगरानी के लिए निश्चित प्रक्रिया में यह निश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद XI A के अनुसार अपनाई गई कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान की समीक्षा भी शामिल होती है कि क्या कोई राज्य संविधि या विनियम जिसे परिणाम बेहतर करने के लिए भागीदार स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्य बाधा के रूप में चिह्नित किया गया है, को कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान के साथ कम से कम तीन वर्ष के अनुभव की समीक्षा के आधार पर भागीदारी स्थानीय सरकारी एजेंसियों के अनुरोध द्वारा संशोधित या निरस्त किया जाना चाहिए। समीक्षा यह मूल्यांकित करेगी कि क्या एक्शन प्लान द्वारा प्लान में चिह्नित समुदाय के सभी हिस्सों में सेवाओं की आपूर्ति व प्रभाविता को बेहतर किया गया है।

(e) सरकार किसी बिल के अन्य हिस्सों को स्वीकृति देते हुए नियोजन के एक या अधिक बिंदुओं को घटा या समाप्त कर सकती है। गर्वनर इस कार्रवाई के कारण सहित बिल के साथ उन बिंदुओं के विवरण को परिशिष्ट के तौर पर जोड़ेंगे जिन्हें घटाया या समाप्त किया गया है। गर्वनर बिल पेश करने वाले हाउस को विवरण व कारणों की एक प्रति भेजेंगे। घटाये या समाप्त किए गए बिंदुओं पर अलग से विचार किया जाएगा और बिल के समान तरीके से गर्वनर के वीटो के ऊपर पास किया जा सकता है।

(f) (1) यदि 2004–05 वित्तीय वर्ष या बाद के वित्तीय वर्ष के लिए बजट बिल बनाने के बाद, यदि गर्वनर निश्चित करता है कि उस वित्तीय वर्ष के जनरल फंड राजस्व, उस वित्तीय वर्ष के जनरल फंड राजस्व के अनुमान से पर्याप्त कम हो जाएंगे जिस वर्ष पर बजट बिल आधारित है या जनरल फंड व्यय, जनरल फंड राजस्व के उस अनुमान से पर्याप्त अधिक हो जाएंगे, या दोनों होंगे, तो गर्वनर वित्तीय आपातस्थिति घोषित करते हुए घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी कर सकता है और इसके कारण इस उद्देश्य के लिए विधायिका संयोजित की जाती है। घोषणा (प्रोक्लेमेशन) वित्तीय आपातस्थिति की प्रकृति की पहचान करेगी और वित्तीय आपातस्थिति का समाधान करने के लिए प्रस्तावित विधान के साथ गर्वनर द्वारा विधायिका को प्रस्तुत की जाएगी। *गर्वनर की घोषणा (प्रोक्लेमेशन) की प्रतिक्रिया में, बिल इस वित्तीय आपातस्थिति से निपटने के लिए विधायिका गर्वनर को एक बिल या कई प्रस्तुत कर सकती है।*

(2) यदि विधायिका इसे पास करने में विफल रहती है और घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने के बाद 45वें दिन वित्तीय आपातस्थिति से निपटने के लिए गर्वनर को बिल या कई बिल भेजे जाते हैं तो विधायिका न तो किसी अन्य बिल पर कार्रवाई कर सकती है और न ही संयुक्त अधिवेशन के लिए स्थगित की जा सकती है उस समय तक जब तक कि वह बिल या वे बिल पास नहीं हो जाते हैं और गर्वनर के पास भेज नहीं दिये जाते हैं।

(3) इस धारा के अनुसार घोषित वित्तीय आपातस्थिति से निपटने वाले बिल में इस प्रभाव का एक विवरण होगा। *पैराग्राफ (2) और (4) के उद्देश्यों के लिए, इस विवरण का शामिल किये जाने का मतलब निर्णायक रूप से यह माना जाएगा कि यह बिल वित्तीय आपातस्थिति से निपटता है। इस धारा के अनुसार वित्तीय आपातस्थिति से निपटने वाला बिल जिसमें इस प्रभाव का विवरण होता है, और जिसे पास किया जाता है और वित्तीय आपातस्थिति घोषित करने वाली घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने के बाद 45वें दिन गर्वनर को भेजा जाता है, इसके अधिनियमन पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।*

(4) (A) यदि विधायिका ने वित्तीय आपातस्थिति के दौरान घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी होने के बाद 45वें दिन तक बिल या कई बिल पास नहीं किए हैं और इन्हें गर्वनर को नहीं भेजा है तो गर्वनर द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड के नियोजन को उस सीमा तक कार्यकारी आदेश द्वारा घटाया या समाप्त किया जा सकता है जिस सीमा तक नियोजन अन्य प्रकार से इस संविधान या संघीय कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है। गर्वनर द्वारा घटाये या समाप्त किए गए नियोजन की कुल राशि उस राशि तक सीमित रहेगी जिससे संबंधित वित्तीय प्रश्न के जनरल फंड व्यय पैराग्राफ (1) के अनुसार किए गए जनरल फंड राजस्व के सबसे हाल के अनुमान से अधिक न हो।

(B) यदि विधायिका का सत्र चल रहा है तो उप-पैराग्राफ (A) के अनुसार गर्वनर द्वारा कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के बाद 20 दिनों के भीतर, वह प्रत्येक हाउस के सहमत दो तिहाई सदस्यों द्वारा बोलकर मत दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराकर समस्त कार्यकारी आदेश या उसके हिस्से को अधिभूत (ओवरराइड) कर सकता है। यदि विधायिका का सत्र नहीं चल रहा है जब गर्वनर ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं तो विधायिका के पास पुन: संयोजित होने और उपरोक्त उल्लेखित मत द्वारा प्रस्ताव से समस्त या आंशिक कार्यकारी आदेश को अधिभूत (ओवरराइड) करने के लिए 30 दिन का समय होगा। विधायिका द्वारा अधिभूत (ओवरराइड) नहीं किए गए कार्यकारी आदेश या इसका हिस्सा कार्यकारी आदेश को अधिभूत (ओवरराइड) करने वाली अवधि समाप्त होने के बाद की तिथि को प्रभावी होगा। वित्तीय आपातस्थिति घोषित करने वाली घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी करने के बाद 45वें दिन के बाद, पैराग्राफ (2) में निर्धारित प्रतिबंध लागू होना समाप्त हो जाएगा जब (i) इस पैराग्राफ के अनुसार एक या अधिक कार्यकारी आदेश प्रभावी हो जाते हैं, या (ii) विधायिका ने वित्तीय आपातस्थिति से निपटने के लिए बिल या कई बिल पास कर दिए हैं और इन्हें गर्वनर के पास भेज दिया है।

(C) उप-पैराग्राफ (B) के अनुसार बजट में संतुलन वापिस लाने वाला बिल गर्वनर द्वारा हस्ताक्षर करने पर या कानून में निर्दिष्ट तिथि पर तत्काल प्रभाव से लागू होने के लिए, सहमत बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा बोलकर मत (रोलकॉल) देते हुए दैनिकी (जर्नल) में दर्ज करके प्रत्येक हाउस में पास किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई भी बिल जो नया कर लगाता है या वर्तमान कर में वृद्धि करता है, विधायिका के प्रत्येक हाउस के सदस्यों के दो तिहाई मत द्वारा पास किया जाना चाहिए।

खंड 6. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 12 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 12. (a) *(1) विषम संख्या* वाले प्रत्येक कामकाजी वर्ष के पहले 10 दिनों के भीतर, गर्वनर द्वारा एक विवरणात्मक संदेश के साथ आने वाले दो वित्तीय ~~वर्ष~~ *वर्षों* के लिए एक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें अनुशंसित राज्य व्यय व इन व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध अनुमानित कुल राज्य ~~राजस्व~~ *संसाधनों* के बिंदुवार विवरण शामिल होंगे। *इस उपश्रेणी के अनुसार प्रस्तुत अनुशंसित राज्य व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध अनुमानित कुल राज्य संसाधनों के बिंदुवार विवरणों में उन संसाधनों की राशि को चिह्नित किया जाएगा, यदि कोई है जिनके बारे में एक बार उपयोग के संसाधन होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। दो वर्षीय बजट जिसमें बजट वर्ष का बजट और अगले वित्तीय वर्ष का बजट शामिल होगा, को संयुक्त रूप से द्विवार्षिक बजट के तौर पर जाना जाएगा। सम संख्या वाले प्रत्येक वर्ष के पहले 10 दिनों के भीतर, गर्वनर द्विवार्षिक बजट को संशोधित करने के लिए संपूरक बजट प्रस्तुत कर सकता है या अधिनियमित द्विवार्षिक बजट में संवृद्धि कर सकता है।*

(b) द्विवार्षिक बजट में प्रदर्शन और जवाबदेही को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित संघटक शामिल होंगे:

(1) बजट वर्ष का बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुशंसित व्ययों के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों का अनुमान।

(2) बजट वर्ष से पहले वाले वित्तीय वर्ष के बाद के तीन वित्तीय वर्षों के लिए अनुमानित व्यय व अनुमानित राजस्व का अनुमानित स्वरूप।

(3) इस बारे में एक विवरण कि बजट किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देगा, कम से कम निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करके: रोजगार बढ़ाना; शिक्षा बेहतर करना; गरीबी कम करना; अपराध घटाना; और स्वास्थ्य बेहतर करना।

(4) परिणाम संबंधी प्रयासों का विवरण जिसका उपयोग प्रगति का मूल्यांकन करने और आम लोगों को परिणामों की सूचना देने और राज्य एजेंसियों व कार्यक्रमों के लिए प्रदर्शन मानक के लिए किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार के प्रत्येक प्रमुख व्यय के लिए परिणाम संबंधी प्रयास का विवरण जिसके लिए बजट में सार्वजनिक संसाधनों के नियोजन का प्रस्ताव है और पैराग्राफ (3) में निर्धारित समग्र उद्देश्यों व लक्ष्यों के साथ उनका संबंध।

(6) इस बारे में विवरण कि राज्य किस प्रकार सार्वजनिक संसाधनों के अपने व्यय व निवेश का तालमेल ऐसे अन्य सरकारी निकायों के साथ करेगा जो पैराग्राफ (3) में निर्धारित समग्र उद्देश्यों व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की ओर से राज्य के कामों व कार्यक्रमों को लागू करते हैं।

(7) पैराग्राफ (3) में निर्धारित समग्र उद्देश्यों व लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के बारे में एक सार्वजनिक रिपोर्ट और पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित परिणाम संबंधी उपायों के अनुसार उद्देश्य व लक्ष्य हासिल करने में प्रभावी रहने का मूल्यांकन।

(c) बजट वर्ष और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए संयुक्त रूप से, में यदि अनुमानित राजस्व से अधिक व्ययों की अनुशंसा की जाती है तो गवर्नर *व्ययों में कमी करने या* स्रोतों *अथवा दोनों* के लिए अनुशंसा करेगा जिनके द्वारा अतिरिक्त राजस्व प्रदान किए जाने चाहिए। *व्यावहारिक सीमा तक इन अनुशंसाओं में दीर्घकालिक प्रभाव का विश्लेषण होगा जो व्ययों में कमी या अतिरिक्त राजस्व से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। द्विवार्षिक बजट के साथ पांच वर्षीय पूंजी संरचनागत व कार्यनीतिक विकास योजना के साथ गवर्नर विधायिका को कोई ऐसा कानून प्रस्तुत करेगा जो द्विवार्षिक बजट में नियोजन लागू करने के लिए आवश्यक होगा, जैसा संविधि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।*

(d) यदि गवर्नर का बजट प्रस्तावित करता है (1) अनुच्छेद XIII B की धारा 6 में वर्णित राज्य द्वारा अनिवार्य किए गए स्थानीय कार्यक्रम सहित, कोई नया राज्य कार्यक्रम, या नई एजेंसी, किसी वर्तमान राज्य कार्यक्रम या एजेंसी का दायरा विस्तारित करता है जिसका प्रभाव फंड प्रदान किए जाने पर उस वित्तीय वर्ष या उत्तरवर्ती किसी भी वित्तीय वर्ष में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक राज्य लागत में शुद्ध वृद्धि होने में होगा, या (2) किसी राज्य कर या राज्य राजस्व के किसी अन्य स्रोत को कम करता है जिसका प्रभाव उस वित्तीय वर्ष या उत्तरवर्ती किसी भी वित्तीय वर्ष में पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) से अधिक राज्य राजस्व में शुद्ध कमी होने में होगा, तो बजट में इस कमी को पूरा करने के लिए उस राशि की राज्य कार्यक्रम में कमी या अतिरिक्त राजस्व, या इन्हें संयुक्त करना प्रस्तावित किया जाएगा जो राज्य लागत शुद्ध वृद्धि या राज्य राजस्व में शुद्ध कमी के बराबर या उससे अधिक होती है। इस उपश्रेणी में निर्दिष्ट पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) की सीमा केलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए वार्षिक रूप से समायोजित की जाएगी।

~~(b)~~ *(e)* गवर्नर या निर्वाचित गवर्नर किसी राज्य एजेंसी, अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी कोई भी सूचना देने क लिए कह सकता है जो *द्विवार्षिक* बजट और *कोई संपूरक बजट* तैयार करने के लिए आवश्यक समझी जाती है।

~~(c)~~ *(f)* (1) *द्विवार्षिक* बजट और *कोई संपूरक बजट* के साथ *बजट वर्ष और उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष* के लिए अनुशंसित व्ययों का बिंदुवार बजट बिल होगा। *संपूरक बजट के साथ संपूरक बजट प्रस्तावित करने वाला बिल होगा।*

(2) बजट बिल *या संपूरक बजट बिल से संबंधित नियोजन के लिए प्रदान किए जाने वाले बजट बिल व अन्य बिल, जैसा कि उन्हें गवर्नर ने प्रस्तुत किया है,* बजट पर विचार करने वाली समितियों के अध्यक्षों द्वारा प्रत्येक हाउस में तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) बजट बिल पर विधायिका के प्रत्येक हाउस द्वारा उपयुक्त समितियों द्वारा विचार करने के बाद, प्रत्येक वर्ष 1 मई को या इससे पहले, प्रत्येक हाउस बजट बिल को विधायिका की संयुक्त समिति को भेजेगा जिसमें कांफ्रेंस कमेटी शामिल हो सकती है जो बजट बिल और बजट बिल से संबंधित नियोजन उपलब्ध कराने वाले अन्य बिल की समीक्षा करेगी और अपनी अनुशंसाओं की रिपोर्ट प्रत्येक हाउस को प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले सौंप देगी। इसमें संयुक्त समिति के साथ नीति समिति को इनमें से कोई बिल भेजना शामिल नहीं होगा।

~~(3)~~ *(4)* बजट बिल और *बजट बिल से संबंधित नियोजन उपलब्ध कराने वाले अन्य बिल* को प्रत्येक वर्ष की 15 जून को विधायिका अर्द्धरात्रि तक पास कर देगी। *उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बजट बिल और बजट बिल से संबंधित नियोजन उपलब्ध कराने वाले अन्य बिल के नियोजनों को बजट वर्ष में विस्तारित नहीं किया जाएगा।*

~~(4)~~ *(5)* जब तक बजट बिल अधिनियमित नहीं होता है विधायिका गवर्नर को ~~वित्तीय~~ *बजट* वर्ष *या उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष* ~~जिसके लिए बजट बिल बनाया जाना है~~, विचार के लिए नहीं भेजेगी सिवाय आपात बिल के जिनकी अनुशंसा गवर्नर द्वारा की गई है या जो विधायिका के वेतन व व्ययों के नियोजन के लिए हैं।

~~(d)~~ *(g)* बजट बिल *या संपूरक बजट बिल* के अतिरिक्त किसी बिल में नियोजन के एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं, और वह एक निश्चित बिंदु भी स्पष्ट उद्देश्यों के लिए हो सकता है। सरकारी स्कूलों के लिए नियोजन और बजट बिल के लिए नियोजनों, *संपूरक बजट बिल* और बजट बिल से संबंधित नियोजनों के लिए अन्य बिलों में नियोजन के सिवाय, राज्य के जनरल फंड से नियोजन अमान्य हैं जब तक कि इन्हें सहमत दो तिहाई सदस्यों द्वारा प्रत्येक हाउस में बोलकर मत डालने (रोलकॉल) को दैनिकी (जर्नल) में दर्ज कराकर पास नहीं किया जाता है।

~~(e)~~ *(h)* (1) कानून के किसी प्रावधान या संविधान के बावजूद, बजट बिल, *संपूरक बजट बिल* और बजट बिल से संबंधित नियोजन प्रदान करने वाले अन्य बिल गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर करने पर या कानून में निर्दिष्ट तिथि पर तत्काल प्रभाव से लागू होने के लिए, सहमत बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा बोलकर मत (रोलकॉल) देते हुए दैनिकी (जर्नल) में दर्ज करके प्रत्येक हाउस में पास किया जा सकता है। इस उपश्रेणी के किसी प्रावधान से इस धारा की उपश्रेणी ~~(d)~~ *(g)* और इस अनुच्छेद की धारा 8 की उपश्रेणी (b) में शामिल सरकारी स्कूलों के लिए नियोजन की मत संबंधी आवश्यकता प्रभावित नहीं होगी।

(2) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "बजट बिल से संबंधित नियोजन प्रदान करने वाले अन्य बिल *या संपूरक बजट बिल*" में केवल वे बिल ही शामिल होंगे जिन्हें विधायिका द्वारा पास बजट बिल में बजट से संबंधित *या संपूरक बजट बिल* से संबंधित के तौर पर चिह्नित किया गया है।

(3) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "बजट बिल" का मतलब ऐसे बिल या कई बिलों से होगा जिसमें बजट वर्ष और उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बजट शामिल है।

~~(f)~~ *(i)* विधायिका द्वारा बजट प्रस्तुत करने, स्वीकृति और लागू करने और सभी राज्य एजेंसियों द्वारा दावा प्रस्तुत करने को नियंत्रित किया जा सकता है।

~~(g)~~ *(j)* वित्तीय वर्ष 2004–05 या किसी भी उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए, विधायिका द्वारा न तो कोई कानून विचारार्थ गवर्नर के पास भेजा ~~जा सकता है~~ *जाएगा*, और न ही गवर्नर उस पर हस्ताक्षर ~~कर सकते हैं~~ *करेंगे*, जो बजट वर्ष के

लिए या *उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बजट* बिल से संबंधित होगा जो *द्विवार्षिक बजट के* ~~उस~~ *प्रत्येक* वित्तीय वर्ष से ऐसी कुल राशि को जनरल फंड से प्राप्त करेगा जिसे बजट बिल की स्वीकृति की तिथि को उस वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड से किए गए समस्त नियोजनों के साथ, और अनुच्छेद XVI की धारा 20 के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए बजट स्टेबलाइजेशन एकाउंट में हस्तांतरित जनरल फंड के धन की राशियों के साथ जोड़ा जाता है तो यह बजट बिल की स्वीकृति की तिथि को अनुमानित उस वित्तीय वर्ष के लिए *पिछले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध जनरल फंड राजस्व, हस्तांतरित, शेष राशि* से अधिक होता है। कि जनरल फंड राजस्व, *हस्तांतरित, शेष राशि* का ~~वह~~ *यह* अनुमान विधायिका द्वारा पास बजट बिल में तय किया जाएगा। *विधायिका द्वारा पास बजट बिल में द्विवार्षिक बजट के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इस उपश्रेणी में वर्णित कुल जनरल फंड बाध्यताओं का विवरण, उस राशि के बारे में स्पष्टीकरण सहित जिसके द्वारा विधायिका तत्कालिक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड राजस्व से भिन्न करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के जनरल फंड राजस्व को प्रस्तुत करती है और इसके साथ जनरल फंड राजस्व के अनुमान के आधार के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाएगा।*

~~(h)~~ *(k)* इस धारा की उपश्रेणी ~~(c)~~ *(f)* इस अनुच्छेद की धारा 4 और अनुच्छेद III की धारा 4 व 8 सहित, कानून के किसी प्रावधान या इस संविधान के बावजूद, किसी भी वर्ष में जिसमें 15 जून की अर्द्धरात्रि तक विधायिका द्वारा बजट बिल पास नहीं किया जाता है, 15 जून की अर्द्धरात्रि से लेकर उस तिथि तक जब गर्वनर को बजट बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है, की अवधि के लिए किसी भी नियमित या विशेष सत्र के दौरान विधायिका के सदस्यों के लिए यात्रा व निर्वाह व्यय हेतु कोई वेतन या प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए वर्तमान या भविष्य के बजट से कोई नियोजन नहीं किया जाएगा। इस उपश्रेणी के अनुसार समाप्त यात्रा या निर्वाह व्ययों के लिए किसी वेतन या प्रतिपूर्ति का भुगतान पूर्व क्रियाकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

खंड 7. कैलिफोर्निया संविधान में अनुच्छेद XI A जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद XI A
कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान

खंड 1. (a) कैलिफोर्निया निवासी यह अपेक्षा व मांग करते हैं कि स्थानीय सरकारी निकाय सार्वजनिक रूप से व्ययों के उद्देश्यों को और यह स्पष्ट करें कि क्या उनके लक्ष्यों की ओर प्रगति की जा रही है। इसलिए, इस संविधान के प्रावधान की किसी अन्य आवश्यकता के अतिरिक्त, प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा अपनाये गये बजट में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे क्योंकि वे निकाय की शक्तियों व कर्तव्यों पर लागू होते हैं:

(1) एक विवरण कि बजट, किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ावा देगा, जो स्थानीय सरकारी निकाय के कामों, भूमिका, और स्थानीय तौर पर निर्धारित प्राथमिकताओं पर लागू होती हैं और जो निम्नलिखित लक्ष्यों में दिखते हैं: रोजगार बढ़ाना, शिक्षा बेहतर करना, गरीबी कम करना, अपराध घटाना, स्वास्थ्य बेहतर करना और अन्य सामुदायिक प्राथमिकताएं।

(2) परिणाम संबंधी प्रयासों का विवरण जिसका उपयोग पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकार द्वारा तय लक्ष्यों के लिए समुदाय के सभी हिस्सों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

(3) सरकार के प्रत्येक प्रमुख व्यय के लिए परिणाम संबंधी प्रयास का विवरण जिसके लिए बजट में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा तय समग्र लक्ष्यों के साथ उनका संबंध।

(4) इस बारे में विवरण कि स्थानीय सरकारी निकाय किस प्रकार अपने व्ययों व सार्वजनिक संसाधनों के निवेश को पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकीकृत करेगी।

(5) पैराग्राफ (1) के अनुसार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति के बारे में एक सार्वजनिक रिपोर्ट और पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित उपायों के अनुसार परिणाम हासिल करने में प्रभावी रहने का मूल्यांकन।

(b) प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय एक खुला व पारदर्शी प्रक्रिया विकसित व लागू करेगा जो पैराग्राफ (1) की उपश्रेणी (a) के अनुसार समुदाय की प्राथमिकताएं चिह्नित करने सहित, इसके प्रस्तावित बजट के विकास में समुदाय के सभी पहलुओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

(c) यह धारा स्थानीय सरकारी निकाय के बजट वर्ष में प्रभावी होगी जो वर्ष 2014 में आरंभ होता है।

(d) इस धारा के प्रावधान स्वत:प्रभावी हैं और केवल उन गतिविधियों पर लागू करने के लिए इनकी व्याख्या की जाती है जिन पर स्थानीय निकायों का अधिकार होता है।

खंड 2. (a) कोई काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स की कार्रवाई द्वारा कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान बनाने का काम आरंभ कर सकती है जिसके इसके बाद एक्शन प्लान कहा जाएगा। काउंटी के भीतर की उन सभी अन्य स्थानीय सरकारी निकायों को भागीदारी के लिए आमंत्रित करेगी जिनके वर्तमान कार्य या सेवाएं एक्शन प्लान के पूर्वानुमानित दायरे के भीतर हैं। काउंटी के भीतर का कोई भी स्थानीय सरकारी निकाय योजना बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने, या एक्शन प्लान को संशोधित करने के मकसद से, एक्शन प्लान आरंभ करने के लिए बोर्ड ऑफ सुपरवाइज़र्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

(b) भागीदारी करने वाला स्थानीय सरकारी निकाय एक खुली व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक्शन प्लान का ड्राफ्ट तैयार करेगा जिससे समुदाय के आसपास के नेताओं सहित, समुदाय के सभी पहलुओं की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिले। एक्शन प्लान में निम्नलिखित सभी पहलू शामिल होंगे:

(1) एक विवरण जो (A) रेखांकित करता है कि इस अनुच्छेद के खंड 1 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) से लेकर (5) सम्मिलित, में निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों को एक्शन प्लान किस प्रकार हासिल करेगा, (B) वे सार्वजनिक सेवाएं जो एक्शन प्लान के अनुसार दी जाएंगी और भागीदार निकायों की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, (C) स्पष्ट करता है कि क्यों इन सेवाओं को एक्शन प्लान के अनुसार अधिक प्रभावी तरीके से व क्षमतापूर्वक प्रदान किया जाएगा, (D) संभवत: परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड से प्राप्त होने वाले फंड सहित, प्लान को समर्थन देने वाले संसाधनों के आवंटन का ब्यौरा देता है, (E) एक्शन प्लान द्वारा जिन समुदायों की सेवा की जाती है उनके भीतर मौजूद विषमताओं पर विचार करता है, और (F) स्पष्ट करता है कि किस प्रकार एक्शन प्लान भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा स्वीकार किए गए बजट के अनुरूप है।

(2) भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा वांछित परिणाम और यह कि ये परिणाम किस प्रकार मापे जाएंगे।

(3) सार्वजनिक रूप से व राज्य को परिणामों की नियमित सूचना देने का तरीका।

(c) (1) एक्शन प्लान काउंटी के भीतर मौजूद प्रत्येक भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय की गवर्निंग बॉडी (शासी निकाय) को प्रस्तुत किया जाएगा। सहयोग का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए, एक्शन प्लान को ऐसी काउंटी, स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए जो एक्शन प्लान के अनुसार काउंटी की न्यूनतम रूप से बहुसंख्या को नगर निगम संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, और एक या अधिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो काउंटी में सरकारी स्कूल के छात्रों की न्यूनतम रूप से बहुसंख्या के लिए काम कर रहे हैं।

(2) काउंटी सहित, स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा एक्शन प्लान, या एक्शन प्लान में संशोधन को स्वीकृति देने के लिए उस निकाय की गवर्निंग बॉडी की सदस्यता के बहुसंख्यक मत की आवश्यकता होगी। एक्शन प्लान किसी भी ऐसे स्थानीय सरकारी निकाय पर लागू नहीं होगा जो इस पैराग्राफ के प्रावधान के अनुसार एक्शन प्लान को स्वीकृति नहीं देता है।

31 *(d)* एक्शन प्लान को अपनाने के बाद, काउंटी ऐसे अनुबंध कर सकती है जो प्रत्येक भागीदार निकायों के कर्तव्य व बाध्यताओं को चिह्नित कर सकते हैं व इन्हें सौंप सकते हैं, बशर्ते कि उक्त अनुबंध एक्शन प्लान लागू करने के लिए आवश्यक हों और प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय की गवर्निंग बॉडी के बहुसंख्यक मत द्वारा स्वीकृत किए गए हों जो इस अनुबंध में एक पक्ष है।

(e) इस धारा के अनुसार एक्शन प्लान को स्वीकार कर चुके और इस अनुच्छेद के खंड 3 की आवश्यकताओं को पूरा कर चुके स्थानीय सरकारी निकाय, यदि लागू है, एक्शन प्लान में चिह्नित सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें सौंपे गए राज्य या स्थानीय फंड को इस प्रकार एकीकृत कर सकते हैं जो एक्शन प्लान के लक्ष्यों को आगे बढ़ाए।

खंड 3. *(a)* यदि इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार अपनाए गए एक्शन प्लान के पक्ष यह निष्कर्ष निकालते हैं कि फंड के व्यय को सीमित करने वाले संविधि या विनियम सहित, कोई राज्य संविधि या विनियम एक्शन प्लान के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रगति को रोकता है या उन्हें एक्शन प्लान को लागू करने के लिए अतिरिक्त संविधात्मक अधिकार चाहिए तो स्थानीय सरकारी निकाय एक्शन प्लान में ऐसे प्रावधान शामिल कर सकते हैं जो कार्यात्मक रूप से लागू संविधि या विनियम के उद्देश्य या उद्देश्यों के समान होते हैं। इस प्रावधान में वांछित राज्य उद्देश्य, बेहतर परिणामों के लिए नियम किस प्रकार बाधा है, प्रस्तावित सामुदायिक नियम, और ये विवरण शामिल होंगे कि किस प्रकार समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता को बढ़ाते हुए बेहतर परिणाम देने में सामुदायिक नियम योगदान दे सकते हैं। इस धारा के उद्देश्यों के लिए, कोई प्रावधान कार्यात्मक रूप से संविधि या विनियम के उद्देश्य या उद्देश्यों के समकक्ष है यदि यह पर्याप्त रूप से संविधि या विनियम की नीति व उद्देश्य का पालन करता है।

(b) विभिन्न पक्ष एक या अधिक राज्य संविधि के संबंध में उपश्रेणी *(a)* में वर्णित कार्यात्मक रूप से समकक्ष प्रावधानों वाले एक्शन प्लान को नियमित या विशेष सत्र के दौरान विधायिका के सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि एक्शन प्लान प्राप्त होने के बाद 60 दिनों के भीतर प्रावधानों को अस्वीकृत करने के लिए विधायिका प्रस्ताव या अन्य प्रकार से कोई कार्य नहीं करती है तो ये प्रावधान कानून में इस प्रभाव के साथ प्रभावी समझे जाएंगे जिससे प्रावधानों का पालन राज्य संविधि या संविधियों का पालन माना जाएगा।

(c) यदि इस अनुच्छेद की धारा 2 के अनुसार किसी एक्शन प्लान के पक्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई विनियम एक्शन प्लान के लक्ष्यों को रोकता है, तो वे उस एजेंसी या विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपकर इस धारा की उपश्रेणी *(a)* में वर्णित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जो इस विनियम को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं और जो इस प्रस्ताव पर 60 दिनों के भीतर विचार करेंगे। यदि एक्शन प्लान प्राप्त होने के बाद 60 दिनों के भीतर एजेंसी या विभाग प्रावधानों को अस्वीकृत करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं तो ये प्रावधान कानून में इस प्रभाव के साथ प्रभावी समझे जाएंगे जिससे प्रावधानों का पालन राज्य संविधि या संविधियों का पालन माना जाएगा। प्रावधानों को अस्वीकृत करने की किसी भी कार्रवाई में ऐसा करने के कारण बताने वाला विवरण शामिल होगा।

(d) यह धारा केवल उन संविधियों या विनियमों पर लागू होगी जो किसी ऐसे राज्य कार्यक्रम की व्यवस्था को सीधे नियंत्रित करती हैं जिसका वित्तपोषण पूरी तरह या आंशिक तौर पर राज्य फंड से होता है।

(e) इस खंड के अनुसार प्रदान किया गया कोई भी अधिकार प्रभावी होने की तिथि से चार वर्ष बाद स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उसे इस धारा के अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है।

खंड 4. *(a)* इस अनुच्छेद के अनुसार तैयार किए गए कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान में शामिल एकीकृत सेवा आपूर्ति को लागू करने के लिए राज्य संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य कोष (स्टेट ट्रेज़री) में एतद्वारा परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड स्थापित किया जाता है। गवर्नमेंट कोड की धारा 13340 के होते हुए भी, फंड में मौजूद धन का एकमात्र रूप से इस अनुच्छेद में दिए गए उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद XVI के खंड 8 के उद्देश्यों के लिए, इस अनुच्छेद को जोड़ने वाले अधिनियम के अनुसार परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में हस्तांतरित राजस्व को करों की जनरल फंड आय माना जाएगा जिसका उपयोग अनुच्छेद XIII B के अनुसार किया जा सकता है।

(b) संविधि के अनुसार परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में मौजूद धन उन काउंटियों को वितरित किया जाएगा जिनके एक्शन प्लान में फंड के व्यय के लिए ऐसा बजट शामिल होता है जो इस अनुच्छेद के खंड 1 व 2 को पूरा करते हैं।

(c) एक्शन प्लान के अनुसार स्कूल डिस्ट्रिक्ट को आवंटित किसी भी फंड का भुगतान परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड के बजाये राजस्व स्रोत से ही होना चाहिए और यह भुगतान एक्शन प्लान के भागीदार निकायों द्वारा तय किसी अन्य स्रोत से भी किया जा सकता है। एक्शन प्लान के अनुसार किसी भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट को प्राप्त होने वाले आवंटन को अनुच्छेद XVI के खंड 8 के उद्देश्यों के लिए कर से जनरल फंड आय या आवंटित की गई कर से स्थानीय आय नहीं माना जाएगा।

खंड 5. इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार एक्शन प्लान को अपनाने वाली काउंटी प्रत्येक चार वर्ष में कम से कम एक बार एक्शन प्लान की प्रभाविता का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन प्रकिया में आम लोगों से इस पर टिप्पणियां प्राप्त करने और इन टिप्पणियों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने का अवसर रहेगा। मूल्यांकन का उपयोग भागीदार निकायों द्वारा एक्शन प्लान को बेहतर करने और आम लोगों द्वारा अपनी सरकार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाएगा। मूल्यांकन में उस सीमा की समीक्षा शामिल होगी जिस सीमा तक धारा 1 की उपश्रेणी *(a)* के पैराग्राफ (1) से (5) सम्मिलित, में निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों को हासिल किया है, इनके सहित: लागू सरकारी सेवाओं की आपूर्ति व प्रभाविता में भागीदार निकायों के बीच परिणाम बेहतर करना; सामुदायिक विषमता को कम करने में हुई प्रगति; और क्या ये सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों या समुदाय के सदस्यों को एक्शन प्लान को विकसित करने व उसे लागू करने में प्रतिनिधित्व दिया गया था।

खंड 6. *(a)* राज्य इस पर विचार करेगा कि खंड 2 के अनुसार अपनाए गए एक्शन प्लान के ज़रिए स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा सेवाओं को अधिक प्रभावी व सक्षम तरीके से देने में वह किस प्रकार उनकी मदद कर सकता है। इस लक्ष्य के अनुरूप, राज्य या उसका कोई विभाग या एजेंसी एक या अधिक स्थानीय सरकारी निकाय के साथ अनुबंध कर सकता है जो ऐसे काम करने के लिए एक्शन प्लान में भागीदार हैं जिन्हें अनुबंध करने वाले पक्ष तय करते हैं कि ये स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी व सक्षम तरीके से किए जा सकते हैं। इस खंड के अनुसार किए गए कोई भी अनुबंध धारा 2 की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाए एक्शन प्लान के अनुरूप होगा।

(b) राज्य इस पर विचार करेगा व निर्धारित करेगा कि वह किस प्रकार उन चुनौतियों को पूरा करने और उन समस्याओं का समाधान करने के मकसद से मिलजुलकर काम करने के लिए स्थानीय सरकारी निकाय और जनता के प्रतिनिधियों के प्रयासों को वित्तीय व नियामक प्रोत्साहन के ज़रिए समर्थन दे सकता है जिन्हें स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा स्वैच्छिक व संयुक्त रूप से निश्चित किया जाता है कि वे समृद्ध अर्थव्यवस्था, गुणवत्तायुक्त पर्यावरण और सामुदायिक निष्पक्षता बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र के भौगोलिक पैमाने पर सबसे अच्छी तरह पूरे किए जा

सकते हैं। राज्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवंतता व वैश्विक प्रतियोगी क्षमता को प्रोत्साहित करेगा और लागू प्रावधानों के अनुसार उन भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय पर, आधारभूत संरचना और मानवीय सेवाओं हेतु राज्य नियंत्रित फंड के लिए प्राथमिकता से विचार करके क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देगा जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग योजना बनाई है और अपनी योजना के उद्देश्यों व लक्ष्यों में प्रगति कर रहे हैं जिसमें खंड 1 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) से (5) सम्मिलित, में निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य शामिल होंगे।

खंड 7. इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान का अभिप्राय न तो स्थानीय सरकारी निकाय द्वारा वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे किसी अधिकार को रद्द करना या प्रतिस्थापित करना है और न ही स्थानीय सरकारी निकाय को क्षेत्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं को विकसित करने व भागीदारी करने से निरुत्साहित करना या प्रतिबंधित करना है जिन्हें सरकारी सेवाओं की आपूर्ति व प्रभाविता बेहतर करने के लिए तैयार किया गया है।

खंड 8. इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "स्थानीय सरकारी निकाय" का मतलब किसी काउंटी, शहर, शहर व काउंटी, और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सहित किसी भी अन्य स्थानीय सरकारी निकाय से होगा।

खंड 8. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 29 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

खंड 29. (a) विधायिका काउंटी, शहर व काउंटी व शहरों को किसी भी ऐसे बिक्री या उपयोग कर से प्राप्त राजस्व को उनके बीच बांटने का अनुबंध करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो उनके द्वारा लागू किया गया है और जिसे उनके लिए राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है। अनुबंध के प्रभावी होने से पहले, इसे प्रत्येक न्यायाधिकार क्षेत्र में सामान्य सीधे प्राथमिक चुनाव में इस प्रश्न पर मत देने वाले बहुसंख्यक लोगों द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

(b) उपश्रेणी (a) के होते हुए भी, इस उपश्रेणी की प्रभावी तिथि को और उसके बाद, काउंटी, शहर व काउंटी व शहर किसी भी ऐसे बिक्री या उपयोग कर से प्राप्त राजस्व को उनके बीच बांटने का अनुबंध कर सकते हैं जिसे उनके द्वारा ब्रैडले-बर्न्स यूनीफॉर्म लोकल सेल्स एंड यूज़ टैक्स लॉ या किसी उत्तरवर्ती प्रावधान के अनुसार लागू किया गया है और जिसे उनके लिए राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है, यदि प्रत्येक अनुबंध को प्रस्तावित करने वाला अध्यादेश या प्रस्ताव उस प्रत्येक न्यायाधिकार क्षेत्र की गवर्निंग बॉडी के दो-तिहाई मतों द्वारा स्वीकृत होता है जो इस अनुबंध का एक पक्ष है।

(c) उपश्रेणी (a) के होते हुए भी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सहित काउंटी, शहर व काउंटी, शहर और कोई भी अन्य स्थानीय सरकारी निकाय जो अनुच्छेद XI A के अनुसार अपनाए गए कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान के पक्ष हैं, उस राजस्व को अपने बीच बांटने के लिए अनुबंध कर सकते हैं जो उन्हें आवंटित यथामूल्य संपत्ति कर से प्राप्त होता है, यदि प्रत्येक अनुबंध को प्रस्तावित करने वाला अध्यादेश या प्रस्ताव उस प्रत्येक न्यायाधिकार क्षेत्र की गवर्निंग बॉडी के दो-तिहाई मतों द्वारा स्वीकृत होता है जो इस अनुबंध का एक पक्ष है। इस खंड के अनुसार किए गए अनुबंध अनुच्छेद XI A के खंड 1 के अनुसार अपनाए गए प्रत्येक भागीदार निकाय के बजट के अनुरूप होंगे।

खंड 9. गवर्नमेंट कोड के शीर्षक 5 की श्रेणी 2 के भाग 2 में अध्याय 6 (धारा 55750 से आरंभ) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अध्याय 6. कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान

55750. (a) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 7101 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2013–14 से आरंभ, राजस्व राशि जो, शुद्ध रिफंड के बाद, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 6051 के अनुसार एकत्रित और 0.035 प्रतिशत दर से संबंधित है, राज्य कोष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड के नाम जमा की जाएगी, जैसा कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है और एकमात्र रूप से केवल उस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी जिस उद्देश्य के लिए यह फंड निर्मित किया गया है।

(b) जिस सीमा तक विधायिका बिक्री कर आधार कम करती है और इस कमी का परिणाम परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड में प्राप्त राजस्व की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होने में आता है, कंट्रोलर जनरल फंड से परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में वह राशि हस्तांतरित करेगा जो उस वित्तीय वर्ष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड द्वारा प्राप्त राजस्व में जोड़े जाने पर, 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड द्वारा प्राप्त राजस्व की राशि के समान होती है।

55751. (a) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 7101 या कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2013–14 से आरंभ, राजस्व राशि जो, शुद्ध रिफंड के बाद, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड की धारा 6201 के अनुसार एकत्रित और 0.035 प्रतिशत दर से संबंधित है, राज्य कोष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड के नाम जमा की जाएगी, जैसा कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है और एकमात्र रूप से केवल उस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी जिस उद्देश्य के लिए यह फंड निर्मित किया गया है।

(b) जिस सीमा तक विधायिका उपयोगिता कर आधार कम करती है और इस कमी का परिणाम परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड में प्राप्त राजस्व की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होने में आता है, कंट्रोलर जनरल फंड से परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में वह राशि हस्तांतरित करेगा जो उस वित्तीय वर्ष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड द्वारा प्राप्त राजस्व में जोड़े जाने पर, 2013–14 वित्तीय वर्ष में फंड द्वारा प्राप्त राजस्व की राशि के समान होती है।

55752. (a) वित्तीय वर्ष 2014–15 और अनुवर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार कंट्रोलर स्थापित परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में प्रत्येक काउंटी को फंड वितरित करेगा जिन्होंने ऐसा कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान अपनाया है जो पिछले वित्तीय वर्ष की 30 जून या उससे पहले से प्रभावी है, और जिसने इस धारा के अंतर्गत फंड मांगने के उद्देश्य से कंट्रोलर के पास अपना एक्शन प्लान प्रस्तुत कर दिया है। वितरण वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में वितरण के लिए उपलब्ध कुल राशि से, कंट्रोलर प्रत्येक काउंटी के परफोरमेंस एंड एकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट फंड में राशि देगा जिसे एतद्वारा इसके एक्शन प्लान को फंडिंग करने में सहायता देने के लिए स्थापित किया गया है और जो वह प्रतिशत है जो उपश्रेणी (c) के अंतर्गत उस काउंटी के लिए गणना किए गए प्रतिशत के बराबर है।

(b) जैसा कि इस धारा में उपयोग किया गया है, किसी कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान का उपयोग करने वाली आबादी किसी भौगोलिक क्षेत्र की वह आबादी होती है जो सभी भागीदार स्थानीय सरकारी निकाय की आबादी का कुल योग होती है, बशर्ते उस निवासी जिसके लिए एक या अधिक स्थानीय सरकारी निकाय काम करते हैं, को केवल एक बार गिना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फायनेंस के सबसे हाल के जनसांख्यिकीय डेटा के अनुसार, एक्शन प्लान में उस भौगोलिक क्षेत्र की आबादी की गणना शामिल होगी जिसके लिए एक्शन प्लान काम करता है।

(c) कंट्रोलर उपश्रेणी (a) के अनुसार समस्त एक्शन प्लान के लिए फंडिंग पाने की पात्र गणना की गई कुल आबादी के प्रतिशत के तौर पर, प्रत्येक काउंटी के एक्शन प्लान का उपयोग करने वाली आबादी निश्चित करेगा।

31

(d) कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A के खंड 4 के अनुसार प्रदत्त फंड और यह अध्याय अलग-अलग हिस्से में उन सतत बचतों को दर्शाते हैं जो राज्य को होती हैं, जो 2011 रिअलाईनमेंट और उस प्रयास से संबंधित हैं जिसने इस खंड को जोड़ा है। इस खंड के अनुसार फंड के प्रथम आवंटन के चार वर्षों बाद लेजिस्लेटिव एनालिस्ट'स ऑफिस एक्शन प्लान के वित्तीय प्रभाव और उस सीमा का मूल्यांकन करेगा जिस सीमा तक योजनाओं ने सेवा आपूर्ति की क्षमता व प्रभाविता बेहतर की है या राज्य के फंड से संचालित सेवाओं की मांग कम की है।

31

खंड 10. एजुकेशन कोड में धारा 42246 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

42246. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XI A द्वारा अधिकृत कम्यूनिटी स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान में स्कूल डिस्ट्रिक्ट की भागीदारी के अनुसार इसके द्वारा योगदान या प्राप्त फंड पर धारा 42238 या किसी अनुवर्ती संविधि के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में राज्य के हिस्से की गणना करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

खंड 11. गवर्नमेंट कोड में धारा 9145 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

9145. कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 9.5 और 12 के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(a) "वर्तमान राज्य कार्यक्रम या एजेंसी के दायरे को विस्तारित करने" में निम्नलिखित कोई बिंदु शामिल नहीं होगा:

(1) फंडिंग को किसी एजेंसी या कार्यक्रम के लिए वापिस निर्धारित करना जिसे बजट को संतुलित करने या पूर्वानुमानित कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में कम या समाप्त किया गया था।

(2) जीवनयापन या कार्यभार की लागत में वृद्धि सहित, किसी कार्यक्रम या एजेंसी को इसकी वर्तमान संवैधानिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए राज्य फंडिंग में वृद्धि, और विधायिका द्वारा स्वीकृत सहमति ज्ञापन से अधिकृत कोई भी वृद्धि।

(3) संघीय कानून या ऐसे कानून द्वारा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के लिए राज्य फंडिंग में वृद्धि जो इस खंड को जोड़ने वाले प्रयास की प्रभावी तिथि को प्रभावी होती है।

(4) राज्य कार्यक्रम या एजेंसी के लिए एक बार किए जाने वाले व्यय पूरे करने के लिए फंडिंग जैसा कि इन्हें उस संविधि में चिह्नित किया गया है जो फंडिंग को नियोजित करती है।

(5) कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XIII B के खंड 6 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (5) में वर्णित आवश्यकता के लिए फंडिंग।

(b) "राज्य लागत" में राज्य के जनरल ऑब्लीगेशन बॉण्ड की मूल राशि या ब्याज के भुगतान के लिए लगने वाली लागत शामिल नहीं होती है।

(c) "अतिरिक्त राजस्व" में राज्य का वह राजस्व शामिल है परंतु इसी तक सीमित नहीं है जो संघीय या राज्य कानून द्वारा किए गए विशेष परिवर्तनों का परिणाम होता है और जिसे एकत्र करने के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी ने स्थायी वृद्धि हेतु मात्रा निर्धारित की है व निश्चित किया है।

खंड 12. गवर्नमेंट कोड में धारा 11802 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

11802. 30 जून, 2013 से पहले, गवर्नर राज्य के कर्मचारियों व अन्य इच्छुक पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के प्रदर्शन आधारित बजट संबंधी प्रावधानों को लागू करने की योजना विधायिका को प्रस्तुत करेगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 और प्रत्येक अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में पूरी तरह लागू होगी।

खंड 13. गवर्नमेंट कोड में धारा 13308.03 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

13308.03. धारा 13308 में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त, डायरेक्टर ऑफ फायनेंस:

(a) प्रत्येक वर्ष की 15 मई तक, उस बजट वर्ष और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए राज्य राजस्व व राज्य व्यय का नवीनतम पूर्वानुमान विधायिका को प्रस्तुत करेगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा जिन्हें विधायिका के एक या दोनों हाउस में लंबित बजट बिल में प्रस्तावित किया गया है या जैसा अधिनियमित बजट बिल में नियोजित किया गया है, जो भी लागू हो।

(b) विधायिका द्वारा द्विवार्षिक बजट, या किसी संपूरक बजट की स्वीकृति के तत्काल पहले उस बजट वर्ष और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल राजस्व व कुल व्यय का विवरण विधायिका को प्रस्तुत करेगा, जिसे बजट बिल में शामिल किया जाएगा।

(c) प्रत्येक वर्ष की 30 नवंबर तक, अपनाए गए बजट में निर्धारित राजस्व व व्यय की तुलना में, वर्ष आरंभ होने से लेकर वर्तमान तिथि तक (ईयर-टू-डेट) के वास्तविक राजस्व व व्यय का वित्तीय अपडेट विधायिका को प्रस्तुत करेगा। यह आवश्यकता लेजिस्लेटिव एनालिस्ट'स ऑफिस द्वारा फिस्कल आउटलुक रिपोर्ट के प्रकाशन से पूरी हो सकती है।

खंड 14. संशोधन

इस प्रयास के वैधानिक प्रावधानों को विधायिका के प्रत्येक हाउस के सदस्यों के दो-तिहाई मतों द्वारा स्वीकृत और गर्वनर द्वारा हस्ताक्षरित बिल द्वारा ही एकमात्र रूप से इस प्रयास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

खंड 15. पृथक्कीकरण

यदि इस प्रयास का कोई प्रावधान या इस प्रयास के किसी भी प्रावधान को किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों में अनुप्रयोग असंवैधानिक या अन्य प्रकार से अमान्य पाया जाएगा तो वह निष्कर्ष शेष बचे हुए प्रावधानों या इस प्रयास के अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा, और इस सीमा तक इस प्रयास के प्रावधान पृथक्करणीय माने जाते हैं।

खंड 16. प्रभावी तिथि

इस अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 वर्ष 2014 में दिसंबर के पहले सोमवार को प्रभावी होंगी। जब तक कि अधिनियम में अन्य प्रकार से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, और इस अधिनियम की अन्य धाराएं चुनाव के बाद उस तिथि को प्रभावी हो जाएंगी जिस चुनाव में इस अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

खंड 17. विधायी परिषद

(a) लोग यह पाते हैं और घोषित करते हैं कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 में इस प्रयास द्वारा प्रस्तावित संशोधन, 2009–10 के नियमित सत्र के असेंबली कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 4 द्वारा प्रस्तावित कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के संशोधनों के अनुरूप हैं (Res. Ch. 174, Stats. 2010) (इसके बाद ACA 4), जो 4 नवंबर, 2014 के राज्यव्यापी आम चुनाव के मतपत्र में दिखाई देगा।

(b) इलेक्शन कोड की धारा 9086 और 9091 और गवर्नमेंट कोड की धारा 88002 और 88005.5 के अनुसार ACA 4 के पाठ की विधायी परिषद द्वारा तैयारी करने व प्रूफरीडिंग करने के उद्देश्यों के लिए, कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के वर्तमान प्रावधान उस खंड के प्रावधान माने जाएंगे जैसा कि इस प्रयास द्वारा संशोधित किया जाएगा। विधायी परिषद कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 में ACA 4 द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद IV के खंड 12 के प्रावधानों से पृथक करने के लिए, तदनुसार ACA 4 का पाठ तैयार करेगी व उसकी प्रूफरीडिंग करेगी जैसा कि इस प्रयास द्वारा संशोधित किया गया है। सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ACA 4 के संपूर्ण पाठ, जैसा कि इस खंड के अनुसार विधायी परिषद द्वारा तैयार व प्रूफरीड किया गया, को 4 नवंबर, 2014 के राज्यव्यापी आम चुनाव के मतपत्र में रखेगा।

प्रस्ताव 32

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा गवर्नमेंट कोड में धाराएं जोड़ी गई हैं; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

खंड 1. शीर्षक, निष्कर्ष और उद्देश्य की घोषणा

A. स्पेशल इंटरेस्ट (विशेष हित समूह) का सरकार पर बहुत अधिक प्रभाव है। प्रत्येक वर्ष, कॉरपोरेशन और यूनियन कई मिलियन डॉलर राजनीतिज्ञों को देती हैं और स्पेशल इंटरेस्ट (विशेष हित) के खर्च के पहाड़ के नीच सार्वजनिक हित दबा दिए जाते हैं।

B. इसके साथ ही, कई वर्षों से कैलिफोर्निया सरकार ने अपने लोगों को निराश किया है। हमारे राज्य पर कई बिलियन डॉलर का कर्ज है और कई स्थानीय सरकारें दिवालिया होने की कगार पर हैं। अधिकांशत: राजनीतिज्ञ उनके अभियान के लिए चंदा देने वाले कॉरपोरेशन, लेबर यूनियनों और सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों के संकीर्ण विशेष हितों के पक्ष में आम जनता की जरूरत को नजरंदाज कर देते हैं।

C. इन अंशदानों की वजह से बड़े व्यावसायिक संगठनों को विशेष कर राहत और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, खर्चीले सरकारी कार्यक्रम बनते हैं जो निजी लेबर यूनियनों को समृद्ध करते हैं, और सरकारी कर्मचारी यूनियन के सदस्यों के लिए पेंशन, लाभ और वेतन अस्थायी होते हैं और ये सब कैलिफोर्निया के करदाताओं की कीमत पर किया जाता है।

D. यहां तक कि कुछ न्यायाधिकार क्षेत्रों में लागू अंशदान सीमा से भी राजनीतिक प्रक्रिया में कॉरपोरेट और यूनियन के राजनीतिक धन का प्रवाह धीमा नहीं हो पाया है। कैलिफोर्निया की राजनीति में हो रही बहुत सारे धन की बौछार का परिणाम कर्मचारियों के वेतन से स्वत: कटौती किए जाने में होता है। कॉरपोरेट नियोक्ता और यूनियनें अक्सर कॉरपोरेशन या यूनियन के राजनीतिक उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए कभी चुपचाप तो कभी खुलकर कर्मचारियों पर उनके वेतन का एक हिस्सा छोड़ने का दबाव डालते हैं। उनका उद्देश्य हमारे निवार्चित नेताओं पर प्रभाव हासिल करने के लिए कई मिलियन डॉलर इकट्ठा करना होता है, उन कर्मचारियों के राजनीतिक विचारों पर कोई ध्यान दिए बगैर जो यह धन प्रदान करते हैं।

E. इन कारणों से और वास्तविक भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट और लेबर यूनियनों के अंशदानों द्वारा हमारी सरकार के प्रतीत होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा इस उद्देश्य से स्टॉप स्पेशल इंटरेस्ट मनी नाउ एक्ट (विशेष हित धन पर तत्काल रोक संबंधी अधिनियम) अधिनियमित करते हैं ताकि:

1. कॉरपोरेट और लेबर यूनियनों द्वारा उम्मीदवारों को अंशदान देने पर प्रतिबंध लगाया जाए;

2. सरकारी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उन सरकारी अधिकारियों को अंशदान में धन देने से प्रतिबंधित किया जाए जो उन्हें ठेके प्रदान करते हैं;

3. कॉरपोरेशन और लेबर यूनियनों को कर्मचारियों व यूनियन के सदस्यों से राजनीतिक फंड एकत्र करने से प्रतिबंधित किया जाए जो वेतन में कटौती के अंतर्निहित बलपूर्वक साधन का उपयोग करते हैं; और

4. सभी कर्मचारियों का राजनीतिक अंशदान किसी अन्य साधन से कराया जाए जो पूर्णतया स्वैच्छिक हो।

खंड 2. स्टॉप स्पेशल इंटरेस्ट मनी नाउ एक्ट

गवर्नमेंट कोड के शीर्षक 9 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 1.5 (धारा 85150 से आरंभ) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 1.5. स्टॉप स्पेशल इंटरेस्ट मनी नाउ एक्ट

85150. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान और इस शीर्षक के होते हुए भी, कोई भी कॉरपोरेशन, लेबर यूनियन या सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन किसी भी उम्मीदवार, उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति; या राजनीति पार्टी की समिति सहित किसी भी अन्य समिति को अंशदान नहीं देगी, यदि उक्त फंड का उपयोग किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवार द्वारा नियंत्रित समिति को अंशदान देने के लिए किया जाएगा।

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान और इस शीर्षक के होते हुए भी, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रायोजित समिति किसी निर्वाचित अधिकारी या निर्वाचित अधिकारी द्वारा नियंत्रित समिति को अंशदान नहीं देगा यदि उक्त निर्वाचित अधिकारी उस अवधि के दौरान सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति देने, ठेके पर काम देने या सौंपने का काम करता है, इसमें भागीदारी करता है, या किसी प्रकार से इसे प्रभावित करने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग करता है, जिस अवधि में और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट की स्वीकृति देने, ठेके पर काम देने या सौंपने का फैसला लिया गया था।

85151. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान और इस शीर्षक के होते हुए भी, कोई भी कॉरपोरेशन, लेबर यूनियन, सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, या सरकारी नियोक्ता किसी कर्मचारी के वेतन, आय, या मुआवजे से किसी भी राशि के धन की कटौती नहीं करेगा जिसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है।

(b) यह खंड किसी भी कर्मचारी को अपने नियोक्ता, लेबर यूनियन, या सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन की प्रायोजित समिति को किसी भी तरीके से स्वैच्छिक अंशदान करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी, उन प्रावधानों से अलग जिसे उपश्रेणी (a) में प्रतिबंधित किया गया है, उस समय तक जब तक कि उक्त सभी अंशदान उस कर्मचारी की लिखित सहमति के साथ दिए जाते हैं, जो सहमति एक वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगी।

(c) यह खंड न तो रिटायरमेंट लाभ, स्वास्थ्य, जीवन, मृत्यु या विकलांगता बीमा या इसी प्रकार के अन्य लाभ में कटौती पर लागू होगा और न ही यह यूनाईटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 26 की धारा 501(c)(3) के तहत संगठित कल्याणकारी संगठन के लाभ के लिए किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक कटौती पर लागू होगा।

85152. इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(a) "कॉरपोरेशन" का मतलब ऐसे प्रत्येक कॉरपोरेशन से है जो इस राज्य, यूनाईटेड स्टेट्स के किसी अन्य राज्य, या कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट के कानूनों या यूनाईटेड स्टेट्स की कॉन्ग्रेस के किसी अधिनियम के अंतर्गत संगठित हुआ है।

(b) "सरकारी कॉन्ट्रैक्टर" से मतलब सरकारी नियोक्ता के किसी कर्मचारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति से है जो सरकारी नियोक्ता को सामान, अचल संपत्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए उस व्यक्ति और सरकारी नियोक्ता के बीच हुए अनुबंध का एक पक्ष है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर में सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन शामिल होती है जो सरकारी नियोक्ता के साथ अनुबंध में एक पक्ष होती है।

(c) "सरकारी नियोक्ता" से मतलब काउंटी, शहर, चार्टर काउंटी, चार्टर शहर, चार्टर शहर व काउंटी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सटी, विशेष जिले, बोर्ड, आयोग और एजेंसियों सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, परंतु यूनाईटेड स्टेट्स सरकार के अतिरिक्त, कैलिफोर्निया राज्य या इसके किसी भी राजनीतिक प्रभाग से है।

(d) "लेबर यूनियन" से मतलब किसी भी प्रकार के संगठन या कोई एजेंसी या कर्मचारी प्रतिनिधित्व समिति या योजना से है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं और जो पूर्णत: या आंशिक रूप से शिकायतों, श्रम विवादों, पारिश्रमिक, वेतन की दर, काम के घंटों या काम की स्थितियों के लिए नियोक्ता से संबंध बनाने के उद्देश्य से बनाए जाती हैं।

(e) "राजनीतिक उद्देश्य" से मतलब ऐसे भुगतान से है जिसे किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष या विरोध में नामांकन या चुनाव के कार्य, या किसी प्रयास को पात्रता या स्वीकृति दिलाने के मकसद से प्रभावित करने या प्रभावित करने की कोशिश के लिए किया गया है; या किसी भी ऐसे भुगतान से है जिसे राज्य केंद्रीय समिति और काउंटी केंद्रीय समिति सहित, उम्मीदवार, नियंत्रित समिति, राजनीतिक पार्टी की समिति, या किसी भी सदस्यता वाले संगठन, लेबर यूनियन, सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन, या कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित राजनीतिक कार्रवाई समिति सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं मुख्यत: राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निर्मित या मौजूदा संगठन की ओर से प्राप्त या भुगतान किया जाता है।

32

(f) "सरकारी कर्मचारी लेबर यूनियन" से मतलब ऐसी लेबर यूनियन से है जिस लेबर यूनियन में भाग लेने वाले कर्मचारी सरकारी नियोक्ता के कर्मचारी हैं।

33

(g) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द जिन्हें 1974 के पोलिटिकल रिफॉर्म एक्ट, संशोधन (शीर्षक 9 (धारा 81000 से आरंभ)) के अनुसार, या फेयर पोलिटिकल प्रैक्टिसेस कमीशन द्वारा अधिनियमित विनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, उनका इन दस्तावेजों में दिए गए अर्थ के समान अर्थ होगा, जैसे कि वे 1 जनवरी, 2011 को हैं।

खंड 3. लागूकरण

(a) यदि इस प्रयास के किसी प्रावधान, या इसके किसी हिस्से, या किसी व्यक्ति, संगठन या परिस्थिति पर ऐसे किसी प्रावधान या हिस्से के अनुप्रयोग को किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक माना जाता है तो बचे हुए प्रावधान, हिस्से और अनुप्रयोग, अमान्य प्रावधान, हिस्से या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी रहेंगे।

(b) इस प्रयास का अभिप्राय किसी वर्तमान अनुबंध या सामूहिक सौदेबाजी समझौते में हस्तक्षेप करना नहीं है। नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट द्वारा नियंत्रित प्रावधानों के अतिरिक्त, कोई भी नया अनुबंध या सामूहिक सौदेबाजी समझौता मान्य नहीं होगा यदि वह इस प्रयास का उल्लंघन करता है।

(c) इस प्रयास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसका आशय पर्याप्त रूप से लगाया जाएगा। किसी भी कानूनी कार्रवाई में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी कर्मचारी या यूनियन सदस्य द्वारा इसे शामिल करने पर, इसके प्रावधानों के साथ पालन सिद्ध करने की जिम्मेदारी नियोक्ता या लेबर यूनियन की होगी।

(d) गवर्नमेंट कोड की धारा 81012 के होते हुए भी, इस प्रयास के प्रावधान विधायिका द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रयास को केवल उत्तरवर्ती प्रयास या कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II के खंड 10 की उपश्रेणी (c) के अनुसार ही संशोधित या निरस्त किया जा सकता है।

प्रस्ताव 33

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा इंश्योरेंस कोड में एक धारा जोड़ी गई है; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

खंड 1. शीर्षक

इस प्रयास को 2012 ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस डिस्काउंट एक्ट के नाम से जाना जाएगा।

खंड 2. कैलिफोर्निया राज्य के लोग यह पाते व घोषित करते हैं कि:

(a) कैलिफोर्निया कानून के अंतर्गत, इंश्योरेंस कमिश्नर बीमा दरों को नियमित करते हैं और निश्चित करते हैं कि ऑटो इंश्योरेंस कंपनियां चालकों को कितना डिस्काउंट दे सकती हैं।

(b) कैलिफोर्निया के बीमा उपभोक्ताओं के सर्वाधिक हित में है कि उन्हें छूट सहित कीमतें प्राप्त करने की अनुमति दी जाए यदि वे निरंतर राज्य के अनिर्वाय बीमा कानूनों का पालन करते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी बीमा कंपनी की सेवाएं ली हों।

(c) निरंतर ऑटोमोबाइल कवरेज (सुरक्षा) के लिए उपभोक्ता को मिलने वाला डिस्काउंट जिम्मेदार व्यवहार का पुरस्कार होता है। यह छूट उपभोक्ता से संबंधित होनी चाहिए न कि बीमा कंपनी से।

(d) निरंतर कवरेज बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत डिस्काउंट बीमा कंपनियों के बीच प्रतियोगिता आरंभ करता है और अधिक उपभोक्ताओं द्वारा ऑटोमोबाइल बीमा खरीदने व बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहक उपाय है।

खंड 3. प्रयोजन

इस प्रयास का उद्देश्य कैलिफोर्निया के बीमा उपभोक्ताओं को डिस्काउंट पर कीमतें हासिल करने का मौका देना है यदि उन्होंने अनिवार्य बीमा कानूनों का निरंतर पालन किया है।

खंड 4. इंश्योरेंस कोड में धारा 1861.023 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

1861.023. (a) धारा 1861.02 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (4) के होते हुए भी, कोई बीमा कंपनी धारा 1861.02 के तहत आने वाली किसी भी बीमा पॉलिसी के लिए वैकल्पिक ऑटो इंश्योरेंस रेटिंग कारण के तौर पर निरंतर कवरेज का उपयोग कर सकती है।

(b) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "निरंतर कवरेज" का मतलब कैलिफोर्निया ऑटोमोबाइल एसाईन्ड रिस्क प्लान या कैलिफोर्निया लो-कोस्ट ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस प्रोग्राम के अनुसार प्रदान किए जाने वाले कवरेज सहित, किसी भी स्वीकृत बीमाकर्ता या बीमाकर्ताओं के साथ अबाधित ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कवरेज से है।

(1) निरंतर कवरेज को अस्तित्व में माना जाएगा यदि बीमाकृत व्यक्ति की सक्रिय सैन्य सेवा की वजह से कवरेज में कोई चूक (लैप्स) होती है।

(2) निरंतर कवरेज को अस्तित्व में माना जाएगा यदि नौकरी से मुक्त करने (लेऑफ) या अवकाश पर भेजने (फरलॉफ) के फलस्वरूप नौकरी खत्म होने की वजह से पिछले पांच वर्षों में 18 महीनों तक की कवरेज में चूक होती है।

(3) निरंतर कवरेज को अस्तित्व में माना जाएगा यदि किसी भी कारण से पिछले पांच वर्षों में 90 दिनों से कम कवरेज की चूक होती है।

(4) माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों को माता-पिता की निरंतर कवरेज डिस्काउंट पाने की योग्यता के आधार पर निरंतर कवरेज के लिए डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा।

(c) निरंतर कवरेज दर्शाने में विफल रहने वाले उपभोक्ताओं को अनुपात के आधार पर डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट उस कटौती दर की राशि का अनुपात होगा जिसे तब प्रदान किया जाता जबकि उपभोक्ता निरंतर कवरेज दर्शाने में सफल रहता। यह अनुपात ठीक पिछले पांच वर्षों के संपूर्ण वर्ष की संख्या दर्शाएगा जिनमें उपभोक्ता बीमाकृत था।

खंड 5. परस्पर टकराने वाले मतपत्र प्रयास

उस स्थिति में जब इस प्रयास और अन्य प्रयास या कवरेज की निरंतरता से संबंधित प्रयास एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र में उपस्थित होंगे तो अन्य प्रयासों के प्रावधानों को इस प्रयास के साथ टकराव की स्थिति में माना जाएगा। उस स्थिति

में जबकि इस प्रयास को अधिक संख्या में मत हासिल होते हैं तो इस प्रयास के प्रावधान अपनी संपूर्णता के साथ मौजूद रहेंगे, और अन्य प्रयासों के प्रावधान अकृत व शून्य हो जाएंगे।

खंड 6. संशोधन

इस अधिनियम के प्रावधानों को विधायिका द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली संविधि द्वारा जिसे सहमत दो-तिहाई सदस्यों द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर मत डालते (रोलकॉल) हुए पास किया गया है।

खंड 7. पृथक्कीकरण

लोगों की ऐसी इच्छा है कि इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हों और यह कि यदि किसी भी व्यक्ति या स्थिति पर इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान, या इनका अनुप्रयोग अमान्य माना जाता है तो उक्त अमान्यता इस अधिनियम के किसी ऐसे अन्य प्रावधान या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी किया जा सकता है।

प्रस्ताव 34

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा पीनल कोड की धाराओं को संशोधित व निरस्त किया गया है व गवर्नमेंट कोड की धाराओं को जोड़ा गया है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

SAFE कैलिफोर्निया अधिनियम

खंड 1. शीर्षक

इस प्रयास को "द् सेविंग, एकाउंटेबिलिटी, एंड फुल इन्फोर्समेंट फॉर कैलिफोर्निया एक्ट" या "SAFE कैलिफोर्निया अधिनियम (सेफ कैलिफोर्निया एक्ट)" के नाम से जाना जाएगा या उल्लेखित किया जा सकता है।

खंड 2. परिणाम व घोषणाएं

कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

1. हत्यारों व बलात्कारियों को रोके जाने, कानून के अधीन लाने और दंडित किए जाने की जरूरत है। अभी भी, हर वर्ष औसतन, हत्या के शर्मनाक 46 प्रतिशत और बलात्कार के 56 प्रतिशत मामले अनसुलझे रह जाते हैं। हमारे सीमित कानून प्रवर्तन संसाधनों का उपयोग अपराधों की अधिक घटनाओं को सुलझाने, हमारी सड़कों से अधिक अपराधियों को दूर करने और हमारे परिवारों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए।

2. अब पुलिस, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को उस फंडिंग की कमी हो रही है जिसकी जरूरत उन्हें आधुनिक फोरेंसिक साइंस जैसे DNA टेस्टिंग, बलात्कार व हत्या के मामलों में तेजी से सबूत पेश करने के लिए या पर्याप्त संख्या में हत्या व यौन अपराध के जांचकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिए होती है। कानून प्रवर्तन के पास वे संसाधन होने चाहिए जिनकी जरूरत कानून के पूर्ण प्रवर्तन के लिए होती है। बलात्कार व हत्या के अधिक मामलों को सुलझाकर और अधिक अपराधियों को न्याय के अधीन लाकर, हम अपने परिवारों व समुदायों को अधिक सुरक्षित रखते हैं।

3. कई लोग सोचते हैं कि पेरोल पर छूटने की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा से मृत्युदंड कम खर्चीला होता है, लेकिन यह सच नहीं है। मृत्युदंड के भूतपूर्व प्रोसेक्यूटर (अभियोजक) और जज, Arthur Alarcon और कानून की प्रोफेसर Paula Mitchell द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, कैलिफोर्निया ने 1978 से मृत्युदंड पर $4 बिलियन खर्च किए हैं और मृत्युदंड के मुकदमों उन मुकदमों से 20 गुना अधिक खर्चीले रहे हैं जिनमें पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद मांगी गई। मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, कैलिफोर्निया करदाता प्रत्येक वर्ष $100 मिलियन से अधिक बचा सकेंगे। इस धन का उपयोग अपराध की रोकथाम करने और सजा दिलाने में किया जा सकता है।

4. हत्यारे और बलात्कारी सड़कों पर खुले घूमते हैं और हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं जबकि हम करदाताओं के कई मिलियन डॉलर उन कुछ चुनिंदा लोगों पर खर्च करते हैं जो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए पहले से ही हमेशा के लिए जेल की सीखचों के पीछे कैद हैं। इन संसाधनों को हिंसा की रोकथाम करने और शिक्षा पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है ताकि हमारे परिवार सुरक्षित रहें।

5. मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, हम एक भी कैदी को छोड़े बगैर पांच वर्षों में राज्य के $1 बिलियन बचाएंगे—$1 बिलियन जिन्हें हमारे समुदायों को अधिक सुरक्षित रखने के लिए कानून प्रवर्तन में, हमारे बच्चों के स्कूलों में, और बूढ़े व विकलांग लोगों की सेवाओं में निवेश किया जा सकता है। पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा सुनिश्चित करती है कि निकृष्टतम अपराधी भी हमेशा के लिए जेल में रहें और धन बचे।

6. इस देश में 100 से अधिक निर्दोष लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और कुछ निर्दोष लोगों को तो वास्तव में मृत्युदंड दिया जा चुका है। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि Cameron Todd Willingham को उस आग के लिए गलती से मृत्युदंड दिया गया जिससे उसके तीन बच्चों की मौत हुई। मृत्युदंड में हमेशा निर्दोष लोगों को मौत की सजा मिलने का जोखिम हमारे साथ रहेगा।

7. विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि कैलिफोर्निया निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा देने के जोखिम में बना हुआ है। निर्दोष लोगों को गवाह की गलत पहचान, पुराने तरीके के फोरेंसिक साइंस और कट्टर प्रोसेक्यूशन द्वारा गलत तरीके से अपराधी सिद्ध किया जाता है। हम वह नहीं कर रहे हैं जो हमें निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। करदाताओं और पीड़ित लोगों के प्रति जवाबदेही को नकारते हुए, राज्य कानून किसी प्रोसेक्यूटर (अभियोजक) की भी रक्षा करते हैं यदि उसने जानबूझकर किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाया है। मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलने से कम से कम यह सुनिश्चित होगा कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा नहीं देते हैं।

8. अपराधी सिद्ध हो चुके हत्यारों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और उनके अपराधों का उन्हें हिसाब चुकाना चाहिए। मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले कैदियों में से 1 प्रतिशत से कम काम करते हैं, और फलस्वरूप, उनसे पीड़ित लोगों को बहुत कम क्षतिपूर्ति मिलती है। हत्या के आरोप में अपराधी सिद्ध हर व्यक्ति के लिए उच्च सुरक्षा वाले जेल में काम करना आवश्यक होना चाहिए और मर्सी'ज़ लॉ द्वारा गारंटी दिए गए पीड़ित के अधिकार के अनुरूप, अर्जित धन का उपयोग पीड़ित के क्षतिपूर्ति फंड के ज़रिए पीड़ित की मदद करने के लिए करना चाहिए।

9. कैलिफोर्निया का मृत्युदंड एक खोखला वायदा साबित होता है। मृत्युदंड के मामले कई दशकों तक चलते हैं। पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा शोकग्रस्त परिवारों को शीघ्रता से सांत्वना प्रदान करती है और यह अधिक निश्चित सजा है।

10. इस अधिनियम को पुराने क्रियाकलापों पर लागू करने से खर्चीली और अप्रभावी प्रक्रिया समाप्त होगी, कानून प्रवर्तन संसाधन वह दर बढ़ाने के लिए मुक्त हो जाएंगे जिस दर से हत्या व बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं और सजा देने में निष्पक्षता, समानता और एकरूपता हासिल होगी।

33

34

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय

कैलिफोर्निया राज्य के लोग इस अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए अपने उद्देश्य व अभिप्राय को निम्न प्रकार से घोषित करते हैं:

1. अधिक हत्यारों व बलात्कारियों को सड़कों से दूर रखना और हमारे परिवारों की रक्षा करना।

2. पांच वर्षों में करदाताओं के $1 बिलियन बचाना ताकि ये डॉलर स्थानीय कानून प्रवर्तन, हमारे बच्चों के स्कूलों और बूढ़े व विकलांग लोगों को सेवाएं देने में निवेश किए जा सकें।

3. मृत्युदंड को बदलने से होने वाली कुछ बचत का उपयोग SAFE कैलिफोर्निया फंड निर्मित करने के लिए करना ताकि स्थानीय कानून प्रवर्तन, खासतौर पर पुलिस विभागों, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस को फंड प्रदान किए जाएं जिससे उस दर को बढ़ाया जाए जिस दर से हत्या व बलात्कार के मामलों को सुलझाया जाता है।

4. निर्दोष लोगों को मौत की सजा देने के जोखिम को कम करना।

5. यह आवश्यक करना कि विशेष परिस्थितियों के साथ हत्या करने के अपराधी सिद्ध व्यक्ति उच्च सुरक्षा वाले जेल में अनिवार्य काम करते हुए, अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जेल में रहें और अर्जित किए हुए धन का उपयोग पीड़ित के क्षतिपूर्ति फंड के ज़रिए पीड़ित की मदद करने के लिए किया जाए।

6. न्यायालय की दर्जनों तारीखें और केस बार-बार मुल्तवी होते हुए जिसे शोकग्रस्त परिवारों को अपने प्रियजनों की याद में सहना पड़ता था, मृत्युदंड के मामलों में समीक्षा की 25 वर्ष लंबी प्रक्रिया को समाप्त करना।

7. खर्चीली और अप्रभावी प्रक्रिया को समाप्त करना और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए कानून प्रवर्तन संसाधनों को मुक्त करना।

8. इस अधिनियम को पुराने क्रियाकलापों पर लागू करके (पूर्वप्रभावी बनाकर) मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, सजा देने में निष्पक्षता, समानता और एकरूपता हासिल करना।

खंड 4. पीनल कोड की धारा 190 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

190. (a) हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध के दोषी प्रत्येक व्यक्ति को ~~मृत्यु~~, राज्य के जेल में पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा, या राज्य के जेल में न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा। लागू किया जाने वाला जुर्माना धारा ~~190.1~~, 190.2, ~~190.3~~, 190.4 और 190.5 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

उपश्रेणी (b), (c) या (d) में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा।

(b) उपश्रेणी (c) के प्रावधानों के अतिरिक्त, हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि धारा 830.1 की उपश्रेणी (a), धारा 830.2 की उपश्रेणी (a), (b) या (c), धारा 830.33 की उपश्रेणी (a) या धारा 830.5 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था।

(c) हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा से दंडित किया जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि धारा 830.1 की उपश्रेणी (a), धारा 830.2 की उपश्रेणी (a), (b) या (c), धारा 830.33 की उपश्रेणी (a) या धारा 830.5 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था, और निम्नलिखित तथ्यों का आरोप लगाया जाता है और इन्हें वास्तविक पाया जाता है:

(1) प्रतिवादी ने विशेष तौर पर शांति अधिकारी को मारा।

(2) प्रतिवादी ने विशेष तौर पर शांति अधिकारी को गंभीर शारीरिक नुकसान, जैसा कि धारा 12022.7 में परिभाषित किया गया है, पहुंचाया।

(3) प्रतिवादी ने धारा 12022 की उपश्रेणी (b) का उल्लंघन करते हुए, अपराध करने के लिए खतरनाक या जानलेवा हथियार का व्यक्तिगत उपयोग किया।

(4) प्रतिवादी ने धारा 12022.5 का उल्लंघन करते हुए, अपराध करने के लिए आग्नेयास्त्र का व्यक्तिगत उपयोग किया।

(d) हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 20 वर्ष कैद की सजा से दंडित किया जाएगा यदि गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से मोटर वाहन में से आग्नेयास्त्र चलाकर वाहन के बाहर मौजूद अन्य व्यक्ति की जघन्य कृत्य द्वारा जानबूझकर हत्या की गई थी।

(e) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 का अनुच्छेद 2.5 (धारा 2930 से आरंभ), इस धारा के अनुसार दी गई सजा की न्यूनतम अवधि कम करने के लिए लागू नहीं होगा। इस धारा के अनुसार सजा सुनाए गए व्यक्ति को इस धारा में निर्दिष्ट कैद की न्यूनतम अवधि पूरी करने से पहले पेरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा।

(f) इस धारा के अनुसार हत्या का दोषी पाया गया व सजा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी कैद की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन उच्च सुरक्षा वाले जेल में कई घंटे तक समर्पित श्रम का काम करना होगा जैसा कि धारा 2700 के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कैदी को क्षतिपूर्ति जुर्माना चुकाना या क्षतिपूर्ति आदेश पूरा करना है, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन का सेक्रेट्री कैदी के पारिश्रमिक व ट्रस्ट एकांउट डिपोजिट के धन को घटाएगा और इस फंड को धारा 2085.5 और 2717.8 के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के नियम व शर्तों के अनुसार कैलिफोर्निया विक्टिम कम्पेनसेशन एंड गवर्नमेंट क्लेम्स बोर्ड में हस्तांतरित कर देगा।

खंड 5. पीनल कोड की धारा 190.1 को निरस्त किया गया है।

~~190.1. एक मामला जिसमें इस अध्याय के अनुसार मृत्युदंड दिया जा सकता है, पर निम्न प्रकार से पृथक चरणों में विचार किया जाएगा:~~

~~(a) सबसे पहले प्रतिवादी के जुर्म का प्रश्न निश्चित किया जाएगा। यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाता है तो वह उसी समय धारा 190.2 में निर्दिष्ट आरोप लगाई गई सभी विशेष परिस्थितियों की वास्तविकता भी निश्चित करता है सिवाय एक विशेष परिस्थिति के जिसका धारा 190.2 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (2) के अनुसार आरोप लगाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पिछली कार्यवाही में अपराधी सिद्ध किया गया था।~~

~~(b) यदि प्रतिवादी को प्रथम श्रेणी के अपराध का दोषी पाया जाता है और धारा 190.2 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (2) के अनुसार एक विशेष परिस्थिति को आरोपित किया जाता है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पिछली कार्यवाही में अपराधी सिद्ध किया गया था तो उस पर उक्त विशेष परिस्थिति के प्रश्न पर अतिरिक्त कार्यवाही की जाएगी।~~

~~(c) यदि प्रतिवादी को प्रथम श्रेणी के अपराध का दोषी पाया जाता है और धारा 190.2 में निर्दिष्ट एक या अधिक विशेष परिस्थिति को आरोपित किया जाता है और वास्तविक पाया जाता है तो धारा 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील पर उसके मानसिक स्वास्थ्य को धारा 190.4 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि उसे मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाए जाने के प्रश्न पर अतिरिक्त कार्यवाही होगी। उक्त कार्यवाही धारा 190.3 और 190.4 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।~~

खंड 6. पीनल कोड की धारा 190.2 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

190.2. (a) हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध में दोषी पाये जाने वाले प्रतिवादी के लिए ~~मृत्युदंड~~ या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य के जेल में उम्रकैद की सजा है यदि धारा 190.4 के तहत एक या अधिक निम्नलिखित विशेष परिस्थितियां वास्तविक पाई जाती हैं:

(1) हत्या जानबूझकर की गई थी और आर्थिक लाभ पाने के लिए की गई थी।

(2) प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पहले दोषी सिद्ध किया गया था। इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए, पृथक न्यायाधिकार क्षेत्र में किया गया अपराध जो यदि कैलिफोर्निया में किया जाता तो हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध के तौर पर दंडनीय होता, को हत्या का प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध माना जाएगा।

(3) इस कार्यवाही में प्रतिवादी हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध के लिए एक से अधिक अपराधों के लिए अपराधी सिद्ध हो चुका है।

(4) हत्या विध्वंसात्मक उपकरण, बम या किसी स्थान, क्षेत्र, निवास, भवन या ढांचे में लगाए गए, छिपे हुए या छिपाए गए विस्फोटक के माध्यम से किया गया था और प्रतिवादी जानता था या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए था कि उसकी कार्रवाई से एक या अधिक मनुष्यों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

(5) हत्या कानूनी गिरफ्तारी से बचने या उसे रोकने, या कानूनी हिरासत से बच निकलने के काम को पूरा करने या पूरा करने का प्रयास करने के उद्देश्य से की गई थी।

(6) हत्या विध्वंसात्मक उपकरण, बम या विस्फोटक के माध्यम से की गई थी जिसे प्रतिवादी ने डाक द्वारा भेजा या सुपुर्द किया, डाक द्वारा भेजने या सुपुर्द करने का प्रयास किया या डाक द्वारा भिजवाया या सुपुर्द करवाया और प्रतिवादी जानता था या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए था कि उसकी कार्रवाई से एक या अधिक मनुष्यों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

(7) पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि धारा 830.1 धारा 830.2, धारा 830.3, धारा 830.31, धारा 830.32, धारा 830.33, धारा 830.34, धारा 830.35, धारा 830.36, धारा 830.37, धारा 830.4, धारा 830.5, धारा 830.6, धारा 830.10, धारा 830.11 या धारा 830.12 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था; या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था या इनमें से किसी भी धारा के अंतर्गत भूतपूर्व शांति अधिकारी था, और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया।

(8) पीड़ित व्यक्ति संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था; या पीड़ित एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था, और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया।

(9) पीड़ित व्यक्ति फायरफाईटर (अग्निशामक कर्मचारी) था जैसा कि धारा 245.1 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाने वाला एक फायरफाईटर था।

(10) पीड़ित व्यक्ति किसी अपराध का गवाह था जिसे किसी आपराधिक या किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही में उसकी गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से जानबूझकर मारा गया और हत्या उस अपराध को करने या करने की कोशिश के दौरान नहीं हुई थी जिसका वह गवाह था; या पीड़ित व्यक्ति किसी अपराध का गवाह था जिसे किसी आपराधिक या किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही में उसकी गवाही देने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया। जैसा कि इस पैराग्राफ में उपयोग किया गया है, "किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही" का मतलब ऐसी कार्यवाही से है जिसे वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 602 या 707 के अनुसार संचालित किया गया है।

(11) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में, या फेडरल प्रोसेक्यूटर्स ऑफिस में प्रोसेक्यूटर (अभियोजक) या असिस्टेंट प्रोसेक्यूटर या भूतपूर्व प्रोसेक्यूटर या सहायक प्रोसेक्यूटर था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(12) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य या संघीय व्यवस्था में किसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड (सक्षम न्यायालय) में जज या भूतपूर्व जज था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(13) पीड़ित व्यक्ति संघीय सरकार, अथवा इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य सरकार का निर्वाचित या नियुक्त अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(14) हत्या विशेष तौर पर जघन्य, पाश्विक या क्रूर थी जो असमान्य दुष्टता व्यक्त करती थी। जैसा कि इस धारा में उपयोग किया गया है, "विशेष तौर पर जघन्य, पाश्विक या क्रूर थी जो असमान्य दुष्टता व्यक्त करने वाली" वाक्यांश का मतलब अविवेकपूर्ण या दयाहीन भाव से किए गए अपराध से है जो पीड़ित व्यक्ति के लिए अनावश्यक रूप से अत्यधिक कष्टकारी था।

(15) प्रतिवादी ने पीड़ित व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हुए उसे जानबूझकर मारा था।

(16) पीड़ित व्यक्ति की उसकी नस्ल, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता या मूल देश की वजह से जानबूझकर हत्या की गई थी।

(17) हत्या उस समय हुई जब प्रतिवादी निम्नलिखित आपराधिक कृत्य करने, या करने की कोशिश के तत्काल बाद हुई लड़ाई लड़ने या लड़ने की कोशिश में शामिल था, या उसमें सहयोगी था:

(A) धारा 211 या 212.5 के उल्लंघन में डकैती।

(B) धारा 207, 209 या 209.5 के उल्लंघन में अपहरण।

(C) धारा 261 के उल्लंघन में बलात्कार।

(D) धारा 286 के उल्लंघन में कुकर्म।

(E) धारा 288 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर दुराचार या लंपटतापूर्ण कार्य करना।

(F) धारा 288a के उल्लंघन में मुख मैथुन।

(G) धारा 460 के उल्लंघन में चोरी का प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध।

(H) धारा 451 की उपश्रेणी (b) के उल्लंघन में आगजनी।

(I) धारा 219 के उल्लंघन में ट्रेन को नुकसान पहुंचाना।

(J) धारा 203 के उल्लंघन में उत्पात मचाना।

(K) धारा 289 के उल्लंघन में यौन आक्रमण (रेप बाई इंस्ट्रूमेंट)।

(L) धारा 215 के उल्लंघन में कार लूटना।

(M) उपश्रेणी (B) में अपहरण या उपश्रेणी (H) में आगजनी की विशेष परिस्थिति सिद्ध करने के लिए, यदि इसमें हत्या करने की विशिष्ट मंशा शामिल है, केवल इसकी आवश्यकता होती है कि इन आपराधिक कृत्यों के साक्ष्य मौजूद हों। यदि ऐसा सही पाया जाता है तो ये दो विशेष परिस्थितियां साबित हो जाती हैं चाहे अपहरण या आगजनी का आपराधिक कृत्य मुख्य या एकमात्र रूप से हत्या करने के उद्देश्य से किया गया है।

(18) हत्या जानबूझकर की गई थी और इसमें यातना देना शामिल था।

(19) प्रतिवादी ने जहर देकर जानबूझकर पीड़ित व्यक्ति की हत्या की।

(20) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य या संघीय व्यवस्था में किसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड (सक्षम न्यायालय) में जूरी सदस्य था और

हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(21) हत्या जानबूझकर की गई थी और यह हत्या करने की मंशा से अन्य व्यक्ति या वाहन के बाहर मौजूद अन्य व्यक्ति पर जानबूझकर मोटर वाहन से आग्नेयास्त्र चलाकर की गई थी। इस पैराग्राफ के उद्देश्यों के लिए, "मोटर वाहन" का मतलब व्हीकल कोड की धारा 415 के परिभाषित किसी भी वाहन से है।

(22) प्रतिवादी ने जानबूझकर पीड़ित व्यक्ति की हत्या की जब प्रतिवादी आपराधिक सड़कछाप गिरोह का सक्रिय भागीदार था, जैसा कि धारा 186.22 की उपश्रेणी (f) में परिभाषित किया गया है, और हत्या आपराधिक सड़कछाप गिरोह की गतिविधियों को करने के लिए की गई थी।

(b) जब तक कि उपश्रेणी (a) में निर्दिष्ट विशेष परिस्थिति के लिए उसके तहत हत्या की मंशा की विशेष तौर पर आवश्यकता नहीं होती है तब तक वास्तविक हत्यारे के पास जिसके लिए धारा 190.4 के तहत विशेष परिस्थिति को वास्तविक पाया जाता है, अपराध करते समय हत्या की मंशा होने की जरूरत नहीं है जो ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा पाने के लिए विशेष परिस्थिति का आधार है।

(c) वास्तविक हत्यारा नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति, जो हत्या की मंशा से हत्या के प्रथम श्रेणी के अपराध करने वाले व्यक्ति को सहायता पहुंचाता है, सलाह देता है, आदेश देता है, उकसाता है, प्रलोभन देता है, अनुरोध करता है या सहायक होता है, उसे ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा दी जाएगी यदि उपश्रेणी (a) में एक या अधिक विशेष परिस्थिति को धारा 190.4 के तहत वास्तविक पाया जाता है।

(d) उपश्रेणी (c) के होते हुए भी, वास्तविक हत्यारा नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो मानवीय जीवन के प्रति अविवेकपूर्ण उदासीनता के साथ, प्रमुख भागीदार के तौर पर उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (17) में निर्दिष्ट आपराधिक कृत्य करने के लिए उकसाता, प्रलोभन देता है, अनुरोध करता है या सहायक होता है जिसका परिणाम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु में होता है और जिसे हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाया जाता है, को ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा दी जाएगी उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (17) में निर्दिष्ट विशेष परिस्थिति को धारा 190.4 के अनुसार वास्तविक पाया जाता है।

दंड इस धारा और धारा ~~190.1, 190.3~~; 190.4; और 190.5 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

खंड 7. पीनल कोड की धारा 190.3 को निरस्त किया गया है।

~~190.3. यदि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाया जाता है, और विशेष परिस्थिति का आरोप लगाया जाता है और इसे वास्तविक पाया जाता है या यदि प्रतिवादी संभवत: मिलिटरी एंड वेटरन कोड की धारा 1672 की उपश्रेणी (a) या इस कोड की धारा 37, 128, 219 या 4500 का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के बाद मृत्युदंड के अधीन है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज यह निश्चित करेगा कि क्या दंड मृत्युदंड या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद होगी। दंड के प्रश्न पर होने वाली कार्यवाही में लोगों व प्रतिवादी दोनों के द्वारा ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो वर्तमान अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों, पूर्व मे किसी आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने या कई कृत्यों में दोषी सिद्ध होना, चाहे उक्त दोष सिद्ध होने में हिंसा का अपराध शामिल था या नहीं, प्रतिवादी द्वारा अन्य आपराधिक कार्रवाई की मौजूदगी या अनुपस्थिति जिसमें बल का प्रयोग या बल प्रयोग करने की कोशिश या हिंसा शामिल थी या हिंसा सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं कोई भी मामला जो भड़काने, शांत करने और सजा सुनाए जाने और प्रतिवादी के चरित्र, पृष्ठभूमि, इतिहास, मानसिक स्थिति व शारीरिक स्थिति से संबंधित हैं।~~

~~लेकिन, प्रतिवादी द्वारा अन्य आपराधिक कार्रवाई के संबंध में कोई सबूत दाखिल नहीं किया जाएगा जिसमें बल प्रयोग या बलप्रयोग की कोशिश शामिल नहीं थी या हिंसा या बल अथवा हिंसा के उपयोग की स्पष्ट या छिपी हुई धमकी शामिल नहीं थी। जैसा कि इस खंड में इस्तेमाल किया गया है, आपराधिक गतिविधि के लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है।~~

~~हालांकि, किसी भी स्थिति में पिछली आपराधिक कार्रवाई के साक्ष्य को उस अपराध के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रतिवादी पर अभियोग लगाया गया था और बरी किया गया था। इस साक्ष्य के उपयोग पर पाबंदी लगाने का अभिप्राय केवल इस धारा के अनुसार कार्यवाही पर इसे लागू करना है और इसका अभिप्राय उन वैधानिक या निर्णय संबंधी कानून को प्रभावित करना नहीं है जो इस साक्ष्य को किसी भी अन्य कार्यवाही में उपयोग करने की अनुमति देते हैं।~~

~~अपराध या विशेष परिस्थिति के सबूत के तौर पर पेश साक्ष्य के अतिरिक्त जो प्रतिवादी को मृत्युदंड के अधीन लाते हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्ष्य को क्रोधपूर्वक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक पेश किए जाने वाले साक्ष्य की सूचना समुचित अवधि के भीतर, सुनवाई से पहले प्रतिवादी को दी गई जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस साक्ष्य का खंड करते हुए सूचना के बगैर ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन्हें प्रतिवादी द्वारा अपराध की गंभीरता कम करने के लिए प्रस्तुत किया है।~~

~~तथ्यों पर विचार करने वाले जज को निर्देश दिए जाएंगे कि पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा भविष्य में सजा लागू करने के बाद, ऐसी सजा में रूपांतरित या संशोधित की जा सकती है जिसमें कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर द्वारा पेरोल पर छोड़ने की संभावना शामिल होती है।~~

~~सजा निश्चित करते हुए, तथ्यों पर विचार करने वाला जज निम्नलिखित कारणों पर गौर करेगा यदि ये उपयोगी हैं:~~

~~(a) अपराध की परिस्थितियां जिनके लिए प्रतिवादी को वर्तमान कार्यवाही में दोषी ठहराया गया और किसी विशेष परिस्थिति की मौजूदगी जो धारा 190.1 के अनुसार वास्तविक पाई जाती हैं।~~

~~(b) प्रतिवादी द्वारा की गई आपराधिक कार्रवाई की मौजूदगी या अनुपस्थिति जिसमें बल प्रयोग या बलप्रयोग की कोशिश या हिंसा या बल अथवा हिंसा के उपयोग की स्पष्ट या छिपी हुई धमकी शामिल होती है।~~

~~(c) पिछले आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने की मौजूदगी या अनुपस्थिति।~~

~~(d) क्या अपराध उस किया गया था या नहीं जब प्रतिवादी अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक परेशानी के प्रभाव में था।~~

~~(e) क्या पीड़ित व्यक्ति प्रतिवादी के हत्या संबंधी आचरण में शामिल था या नहीं या उसने हत्या के लिए सहमति दी थी या नहीं।~~

~~(f) क्या अपराध उन परिस्थितियों में किया गया था या नहीं जिसके लिए प्रतिवादी का समुचित रूप से मानना है कि यह उसके आचरण का नैतिक औचित्य या न्यूनीकरण था।~~

~~(g) क्या प्रतिवादी ने अत्यधिक दबाव या अन्य व्यक्ति के पर्याप्त वर्चस्व के तहत कार्रवाई की या नहीं।~~

~~(h) क्या अपराध करते समय प्रतिवादी की क्षमता उसके आचरण को आपराधिक साबित करने या कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप उसका आचरण होने के लिए मानसिक रोग या गड़बड़ी, या नशीले पदार्थ के प्रभाव के फलस्वरूप कमजोर हो गई थी या नहीं।~~

~~(i) अपराध के समय प्रतिवादी की आयु।~~

~~(j) क्या प्रतिवादी अपराध में एक सहयोगी था या नहीं और अपराध करने में उसकी भागीदारी सापेक्षिक रूप से कम थी या नहीं।~~

~~(k) कोई अन्य परिस्थिति जो अपराध की गंभीरता को न्यून करती है हालांकि यह अपराध के लिए कोई कानूनी बहाना नहीं है।~~

~~समस्त साक्ष्यों को सुनने और प्राप्त करने के बाद, और वकीलों की दलीलें सुनने और उन पर विचार करने के बाद, तथ्यों पर विचार करने वाले जज इस धारा में बताई गई मामला भड़काने व शांत करने वाली परिस्थितियों पर गौर करते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए, यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज निष्कर्ष निकालता है कि मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियों पर भारी पड़ीं तो वह मृत्यु की सजा सुनाएगा। यदि तथ्यों पर विचार करने वाला निश्चित करता है कि मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां पर भारी पड़ीं तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा सुनाएगा।~~

खंड 8. पीनल कोड की धारा 190.4 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

190.4. (a) जब कभी धारा 190.2 में निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों का आरोप लगाया जाता है और जज प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाता है तो जज प्रत्येक आरोपित विशेष परिस्थिति की वास्तविकता पर भी विशेष निष्कर्ष निकालेगा। किसी भी या समस्त विशेष परिस्थितियों की वास्तविकता का निर्धारण जज द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर या ~~धारा 190.1 की उपश्रेणी (b) के अनुसार की गई सुनवाई में किया जाएगा।~~

इस बारे में समुचित संदेह होने पर कि क्या विशेष परिस्थिति वास्तविक है, प्रतिवादी वह निष्कर्ष (फाईडिंग) निकाले जाने का पात्र है जो वास्तविक नहीं है। तथ्यों पर विचार करने वाला जज एक विशेष निष्कर्ष निकालेगा कि आरोप लगाए गए प्रत्येक विशेष परिस्थिति वास्तविक है या नहीं। जब कभी विशेष परिस्थिति के लिए अपराध करने या करने की कोशिश के सबूत की जरूरत होती है तो उक्त अपराध आरोपित किया जाएगा और मुकदमे व अपराध का दोष सिद्ध होने पर लागू होने वाले सामान्य कानून के अनुसार सिद्ध किया जाएगा।

यदि जूरी के बगैर संचालित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषी सिद्ध किया जाता है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है जिस स्थिति में जज न्यायालय होगा। यदि प्रतिवादी दोषी ठहराने की दलील द्वारा दोषी सिद्ध हुआ था तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है।

यदि जज पाता है कि धारा 190.2 में निर्दिष्ट एक या अधिक विशेष परिस्थितियां आरोपों के अनुसार वास्तविक हैं, तो ~~पृथक सजा के लिए सुनवाई होगी~~ *प्रतिवादी को पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद का दंड दिया जाएगा,* ~~और जब न तो निष्कर्ष है कि आरोपित बची हुई कोई भी विशेष परिस्थिति वास्तविक नहीं है और न ही जज जूरी है, तो वास्तविकता या अवास्तविकता के मामले पर सहमत होने की जूरी की अक्षमता की वजह से पृथक सजा सुनाए जाने की सुनवाई रूक जाएगी।~~

~~किसी भी मामले में प्रतिवादी को जूरी द्वारा दोषी पाया जाता है और जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि आरोपित एक या अधिक विशेष परिस्थितियां वास्तविक हैं, और इस सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंचती हैं कि आरोपित सभी विशेष परिस्थितियां वास्तविक नहीं हैं तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और मामलों पर विचार करने के लिए एक नई जूरी बनाने का आदेश देगा, लेकिन न तो दोषी ठहराए जाने के मामले पर उक्त जूरी द्वारा विचार किया जाएगा और न ही उक्त जूरी ऐसी किसी भी विशेष परिस्थिति की वास्तविकता के मामले पर पुन: विचार करेगी जिसे पिछली जूरी द्वारा सर्वसम्मत फैसले से अवास्तविक पाया गया था। यदि नई जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि एक या अधिक विशेष परिस्थितियां जिनपर वह विचार कर रही है वास्तविक हैं, तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और न्यायालय अपने स्वविवेक से या तो मामले पर विचार करने के लिए नई जूरी बनाने का आदेश देगा जिन पर पिछली जूरी सर्वसम्मत फैसले से पहुंचने में विफल रही थी या राज्य जेल में 25 वर्ष की कैद की सजा सुनाएगा।~~

~~(b) यदि जूरी के बगैर संचालित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषी सिद्ध किया जाता है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है जिस स्थिति में जज न्यायालय होगा। यदि प्रतिवादी दोषी ठहराने की दलील द्वारा दोषी सिद्ध हुआ था तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है।~~

~~यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी है और वह इस बारे में सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच पाता है कि सजा क्या होगी, तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और मामले पर विचार करने के लिए एक नई जूरी बनाने का आदेश देगा कि सजा क्या होगी। यदि यह नई जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि सजा क्या होगी तो न्यायालय अपने स्वविवेक से या तो नई जूरी बनाने का आदेश देगा या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा सुनाएगा।~~

~~(c)~~ *(b)* यदि जज जो प्रतिवादी को उस अपराध के लिए दोषी सिद्ध करता है जिसके लिए उसे *पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद* ~~मृत्युदंड~~ दी जा सकती है जूरी था, तो यही जूरी धारा 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील और विशेष परिस्थिति की वास्तविकता जिसका आरोप लगाया जा सकता है ~~और दी जाने वाली सजा~~ पर विचार करेगी जब तक कि न्यायालय को दिखाए गए किसी उचित कारण की वजह से न्यायालय उस जूरी को सेवामुक्त कर देता है जिस स्थिति में नई जूरी बनाई जाएगी। न्यायालय रिकॉर्ड में उचित कारण के निष्कर्ष के समर्थन में तथ्यों का उल्लेख करेगा और उन्हें मिनिट्स में दर्ज कराएगा।

~~(d) कोई भी मामला जिसमें प्रतिवादी को मृत्युदंड दिया जा सकता है, धारा 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील के तहत होने वाली कार्यवाही सहित सुनवाई के पिछले चरण में पेश किए गए साक्ष्य पर सुनवाई के बाद के चरण में विचार किया जाएगा यदि पिछले चरण का जज बाद वाले चरण का भी जज है।~~

~~(e) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें जज ने मृत्युदंड देने वाले फैसले या निष्कर्ष को वापिस कर दिया है, धारा 11 की उपश्रेणी 7 के अनुसार उक्त फैसले या निष्कर्ष के संशोधन के लिए प्रतिवादी द्वारा आवेदन करना माना जाएगा। आवेदन पर निर्णय करते हुए, जज साक्ष्य की समीक्षा करेगा, उस पर विचार, गौर करेगा और धारा 190.3 में दी गई मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली और कम करने वाली स्थितियों से मार्गदर्शन लेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या जूरी का निष्कर्ष और फैसला कि मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियों पर भारी पड़ीं, कानून या प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत हैं। जज अपने निष्कर्षों के कारणों को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।~~

~~जज आवेदन पर अपने निर्णय के कारण निर्धारित करेगा और निर्देश देगा कि उन्हें क्लर्क के मिनिट्स में दर्ज किया जा सकता है। धारा 1181 की उपश्रेणी (7) के अनुसार मृत्युदंड के फैसले में संशोधन को अस्वीकार करने पर धारा 1239 की उपश्रेणी (b) के अनुसार प्रतिवादी की स्वत: अपील पर समीक्षा की जाएगी। आवेदन करने की अनुमति देने की समीक्षा पैराग्राफ (6) के अनुसार पीपल'स (लोगों की) अपील पर की जाएगी।~~

खंड 9. अध्याय 33 (धारा 7599 से आरंभ) को गवर्नमेंट कोड के शीर्षक 1 की श्रेणी 7 में जोड़ा गया है जो इस प्रकार है:

अध्याय 33. अनसुलझे बलात्कार व हत्याओं की जांच करने के लिए SAFE कैलिफोर्निया फंड

अनुच्छेद 1. SAFE कैलिफोर्निया फंड का निर्माण

7599. राज्य कोष के भीतर "SAFE कैलिफोर्निया फंड" के तौर पर पहचाने जाने वाला एक विशेष फंड तैयार किया गया है और इस श्रेणी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग में लाया जाता है।

अनुच्छेद 2. फंड का नियोजन व आवंटन

7599.1. नियोजन फंडिंग

1 जनवरी, 2013 को 2012–13 वित्तीय वर्ष के लिए जनरल फंड से SAFE कैलिफोर्निया फंड में दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) हस्तांतरित किए जाएंगे और उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग में लाए जाएंगे जिसने इस अध्याय को जोड़ा है। 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 जुलाई को जनरल फंड से SAFE कैलिफोर्निया फंड में तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000) की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की जाएगी और उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग में लाई जाएगी जिसने इस अध्याय को जोड़ा है। SAFE कैलिफोर्निया फंड में हस्तांतरित होने वाले फंड का एकमात्र उपयोग उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसने इस अध्याय को जोड़ा है और विधायिका द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नियोजन या हस्तांतरण के अधीन नहीं होगा। SAFE कैलिफोर्निया फंड के फंड को वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बगैर उपयोग किया जा सकता है।

7599.2. SAFE कैलिफोर्निया फंड से धन का वितरण

(a) अटार्नी जनरल के निर्देश पर कंट्रोलर SAFE कैलिफोर्निया फंड में जमा धन का वितरण पुलिस विभाग, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस को उस दर को बढ़ाने के लिए उद्देश्य के लिए करेगा जिस दर पर हत्या व बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं। बलात्कार के मामलो में एकत्र किए जाने वाले भौतिक साक्ष्य पर तेजी से कार्रवाई करने, DNA विश्लेषण व मिलान सहित फोरेंसिक साइंस की क्षमताओं को बढ़ाने, हत्या व यौन अपराध जांच या अभियोजन इकाइयों में स्टाफ की संख्या बढ़ाने और गवाह स्थानांतरण (विटनेस रिलोकेशन) सहित परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं परियोजनाओं व गतिविधियों को फंड दिया जा सकता है। SAFE कैलिफोर्निया फंड के धन को पुलिस विभाग, शेरिफ और डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस को अटार्नी जनरल द्वारा निर्धारित निष्पक्ष व समान वितरण के फार्मूले के ज़रिए आवंटित किया जाएगा।

(b) इन फंडों के आवंटन व वितरण से संबंधित किसी भी लागत को SAFE कैलिफोर्निया फंड से घटाया जाएगा। अटार्नी जनरल और कंट्रोलर आवंटन व वितरण की लागत को शून्य या शून्य के नजदीक रखने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो कि फंडिंग की अधिकतम राशि उन कार्यक्रमों व गतिविधियों को आवंटित हो जो उस दर को बढ़ाते है जिस दर पर हत्या व बलात्कार के मामले सुलझाए जाते हैं।

34

35

खंड 10. अधिनियम का पूर्व के क्रियाकलापों पर लागू होना

(a) धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य हासिल करने के लिए और सजा सुनाने में निष्पक्षता, समानता व एकरूपता हासिल करने के लिए, इस अधिनियम को पूर्व के क्रियाकलापों पर लागू (पूर्वप्रभावी) किया जाएगा।

(b) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी या कैदी को इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से पहले मृत्युदंड सुनाया गया था, इस अधिनियम के नियम व शर्तों के अनुसार यह सजा स्वत: ही पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा में बदल जाएगी। कैलिफोर्निया राज्य इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद मौत की कोई सजा नहीं देगा।

(c) इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद, सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित पड़ी मृत्युदंड की समस्त अपीलों व बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं (हेबिअस पेटीशन) को, सुप्रीम कोर्ट के स्वविवेक से कोर्ट ऑफ अपील (अपील न्यायालय) के किसी भी जिले या उच्चतर न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

खंड 11. प्रभावी तिथि

यह अधिनियम कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II के खंड 10 की उपश्रेणी (a) के अनुसार चुनाव के बाद की तिथि में प्रभावी हो जाएगा।

खंड 12. पृथक्कीकरण

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान या इनका अनुप्रयोग खंड 10 सहित परंतु इसी तक सीमित नहीं के अनुसार अमान्य माना जाता है तो यह अमान्यता अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रस्ताव 35

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार कैलिफोर्निया के लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रयास एवीडेंस कोड में एक धारा जोड़ता है और पिनल कोड को संशोधित करता है और अध्याय शीर्षक और धाराएं जोड़ता है; इसलिए मिटाये जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

यौन शोषण के खिलाफ कैलिफोर्निया वासी अधिनियम ("CASE अधिनियम")

खंड 1. शीर्षक।

इस उपाय को "यौन शोषण के खिलाफ कैलिफोर्निया वासी अधिनियम" ("CASE अधिनियम") के रूप में जाना जाएगा और इसी रूप में उद्धत किया जा सकता है।

खंड 2. परिणाम व घोषणाएं।

कैलिफोर्निया राज्य के लोग यह पाते हैं और घोषित करते हैं:

1. हमारे राज्य में हर व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे बच्चों, की यौन शोषण के सभी रूपों से रक्षा करना सर्वोच्च महत्वपूर्ण है।

2. मानव तस्करी, मानव गरिमा के खिलाफ एक अपराध है और बुनियादी मानव और नागरिक अधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है। मानव तस्करी आधुनिक गुलामी है, जो दूसरे की कमजोरियों के शोषण के माध्यम से प्रकट होती है।

3. संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के एक अध्ययन के अनुसार 300,000 से अधिक अमेरिकी बच्चों को व्यावसायिक यौन शोषण का खतरा है। ज्यादातर को 12–14 साल की उम्र की आयु में देह व्यापार में खींच लिया जाता है, लेकिन कुछ की चार साल जैसी छोटी उम्र में तस्करी की जाती है। क्योंकि कानूनी तौर पर नाबालिग यौन गतिविधियों के लिए सहमति देने के सक्षम नहीं होते हैं, ये नाबालिग मानव तस्करी से पीड़ित हैं भले ही बल प्रयोग किया गया हो या नहीं।

4. जबकि इंटरनेट की वृद्धि ने कैलिफोर्निया को बहुत ज़्यादा लाभ दिया है, मानव तस्करों और यौन अपराधियों द्वारा इस तकनीक के हिंसक उपयोग ने इस तरह के शोषकों को हमारे राज्य में कमजोर व्यक्तियों को लुभाने और शिकार बनाने का एक नया तरीका दिया है।

5. हमें महिलाओं और बच्चों का यौन प्रयोजनों के लिए का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले मानव तस्करों और ऑनलाइन शिकारियों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए मजबूत कानूनों की जरूरत है।

6. शिकारियों को मानव तस्करी और यौन शोषण में सहायता के लिए इंटरनेट का उपयोग करने से रोकने के लिए हमें यौन अपराधी पंजीकरण आवश्यकताओं को मजबूत बनाने की जरूरत है।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

कैलिफोर्निया राज्य के लोगों ने CASE अधिनियम बनाने के अपने उद्देश्य व अभिप्राय की घोषणा निम्नानुसार की है:

1. मानव तस्करी के अपराध से लड़ना और मानव तस्करी के अपराध को बढ़ावा देने या इसमें संलग्न लोगों को न्यायोचित और प्रभावी सजा सुनिश्चित करनी।

2. मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को पीड़ितों के रूप में पहचाना न कि अपराधियों के रूप में, और मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करनी।

3. यौन शोषण से संबंधित कानून को मज़बूत करना, जिसमें यौन अपराधी पंजीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं, ताकि कानून प्रवर्तन ऑनलाइन सेक्स अपराधों और मानव तस्करी पर निगरानी रख सके और इसे रोक सके।

खंड 4. एवीडेंस कोड में धारा 1161 को जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

1161. (a) इस साक्ष्य कि मानव तस्करी, जैसा कि दंड संहिता की धारा 236.1में परिभाषित है, से पीड़ित व्यक्ति मानव तस्करी से पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यावसायिक यौन कार्य में शामिल हुआ है, को उस गतिविधि से संबंधित किसी भी व्यवहार के लिए पीड़ित व्यक्ति का आपराधिक दायित्व साबित करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता है।

(b) मानव तस्करी, जैसा कि दंड संहिता की धारा 236.1में परिभाषित है, से पीड़ित व्यक्ति के किसी भी यौन इतिहास या व्यावसायिक यौन कार्य के इतिहास के सबूत को किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से पीड़ित व्यक्ति की विश्वसनीयता पर हमला करने या उसके चरित्र को दोषी ठहराने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

खंड 5. दंड संहिता के भाग 1 के शीर्षक 8 के अध्याय 8 (धारा 236 के साथ शुरू होते हुए) के सिरनामा को संशोधित किया गया है, जो इस प्रकार है:

अध्याय 8. झूठी कारावास *और मानव तस्करी*

खंड 6. दंड संहिता की धारा 236.1 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

236.1. (a) कोई भी व्यक्ति जो धारा ~~266, 266h, 266i, 267, 311.4, या 518 को लागू करने या इनके बड़े उल्लंघन को बनाए रखने~~ के इरादे से या जबरन मज़दूरी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हटाता है या इसका या उल्लंघन करता है, मानव तस्करी का दोषी है *और उसे राज्य की जेल में 5, 8, या 12 साल के कारावास और पांच लाख ($ 500,000) डॉलर तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।*

~~(b) सिवाय उसके जैसा कि उपश्रेणी (c) में प्रदान किया गया है, इस धारा का उल्लंघन राज्य की जेल में तीन, चार या पाँच साल के कारावास के द्वारा दंडित है।~~

~~(c) इस धारा का उल्लंघन जहां तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की उम्र अपराध किए जाने के समय 18 वर्ष से कम थी, तो अपराध के लिए दंड राज्य की जेल में चार, छह या आठ साल के लिए कारावास की सजा है।~~

~~(d) (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवैध रूप से हटाना या इसका उल्लंघन करना में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक और निरंतर रूप से प्रतिबंधित करना शामिल है जिसे धोखाधड़ी, छल, अवपीड़न, हिंसा, दबाव, डरावा, या पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति को अवैध चोट के खतरे के माध्यम से, परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है जहां धमकी प्राप्त करने वाले या अनुभव करने वाले व्यक्ति का उचित रूप से यह मानना जो कि धमकी देने वाले के द्वारा इसे पूरा किए जाने की संभावना है।~~

~~(2) दबाव में पीड़ित व्यक्ति के किन्हीं भी वास्तविक या कथित पासपोर्ट या आव्रजन दस्तावेज़ों को जानबूझकर नष्ट करना, छुपाना, हटाना, जब्त करा, या रखना शामिल है।~~

~~(e) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "जबरन मज़दूरी या सेवाओं " का अर्थ है ऐसी मज़दूरी या सेवाएं जो किसी व्यक्ति द्वारा की या प्रदान की जाती हैं और बल, धोखाधड़ी, या अवपीड़न, या इसके समान व्यवहार जो उचित रूप से व्यक्ति की इच्छा को दबाएगा, के माध्यम से प्राप्त की जाती या बना कर रखी जाती हैं।~~

(b) कोई भी व्यक्ति जो धारा 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, या 518 को लागू करने या इनके उल्लंघन को बनाए रखने के इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हटाता है या इसका या उल्लंघन करता है, मानव तस्करी का दोषी है और उसे राज्य की जेल में 8, 14, या 20 साल के कारावास और पांच लाख ($ 500,000) डॉलर तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(c) कोई भी व्यक्ति जो धारा 266, 266h, 266i, 266j, 267, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4, 311.5, 311.6, या 518 को लागू करने या इनके उल्लंघन को बनाए रखने के इरादे से किसी व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय नाबालिग है, के व्यावसायिक यौन कार्य में संलग्न होने का कारण बनता है, प्रेरित करता है, या फुसलाता है, या कारण बनने, प्रेरित करने या फुसलाने की कोशिश करता है, मानव तस्करी का दोषी है। इस उपश्रेणी का उल्लंघन निम्नलिखित के अनुसार राज्य की जेल में कारावास की सजा द्वारा दंडनीय है:

(1) पांच, 8, या 12 साल और पांच लाख डॉलर ($ 500,000) तक का जुर्माना।

(2) पंद्रह साल से लेकर आजीवन और पांच लाख डॉलर ($ 500,000) तक का जुर्माना जब अपराध में पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बल, भय, धोखाधड़ी, छल, अवपीड़न, हिंसा, दबाव, डरावा, या अवैध चोट की धमकी शामिल है।

(d) यह निर्धारित करते हुए कि क्या किसी नाबालिग को व्यावसायिक यौन कार्य में संलग्न किया गया था, इसके लिए प्रेरित किया गया था, या फुसलाया गया था, पीड़ित व्यक्ति की उम्र, तस्कर या तस्कर के एजेंट के साथ उसका संबंध, और पीड़ित व्यक्ति की कोई विकलांगता या असमर्थता के साथ परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाएगा।

(e) अपराध होने के दौरान मानव तस्करी से पीड़ित ऐसे व्यक्ति जो नाबालिग है, द्वारा सहमति इस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा चलाने से एक बचाव नहीं है।

(f) अपराध होने के दौरान मानव तस्करी से पीड़ित ऐसे व्यक्ति, जो नाबालिग है, की उम्र के बारे में गलती इस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा चलाने से एक बचाव नहीं है।

~~(f)~~ *(g)* विधानमंडल को पता चलता है कि इस धारा में मानव तस्करी की परिभाषा युनाइटेड स्टेट कोड के शीर्षक 22 की धारा 7102 (8) में पाई जाती तस्करी के गंभीर रूप की संघीय परिभाषा के समान है।

~~(g) (1) उपश्रेणी (c) में निर्दिष्ट जुर्माने के अलावा, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी मानव तस्करी करता है जिसमें व्यावसायिक यौन कार्य शामिल है जहां अपराध होने के समय मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी, को एक लाख डॉलर ($100,000) तक से जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा।~~

~~(2) जैसा कि उपश्रेणी में इस्तेमाल किया गया है, "व्यावसायिक यौन कार्य" का अर्थ है कोई भी यौन व्यवहार जिसके लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा मूल्य की कोई भी चीज़ दी या प्राप्त की जाती है।~~

35

~~(h) इस धारा के अनुसार लगाया गया और एकत्र किया गया हर जुर्माना पीड़ित गवाह सहायता फंड में जमा किया जाएगा और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं के लिए निधि का विनियोग करने के लिए उपलब्ध होगा। इस धारा के अनुसार लगाए गए और एकत्र किए गए जुर्माने में से कम से कम 50 प्रतिशत को ऐसे समुदाय आधारित संगठनों को दिया जाएगा जो मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को सेवा देते हैं।~~

(h) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती है:

(1) "अवपीड़न" में शामिल है ऐसी कोई भी तरतीब, योजना, या पैटर्न जिसका इरादा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना हो कि कोई कार्य करने में विफलता का परिणाम किसी भी व्यक्ति को गंभीर नुकसान या उसके विरुद्ध शारीरिक प्रतिबंध होगा; कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग या दुरुपयोग की धमकी; ऋण बंधन; या किसी व्यक्ति को, उसकी निर्णय लेने की शक्ति को खराब करने के इरादे से कोई भी नियंत्रित पदार्थ प्रदान करना या हासिल करने में सहायता करना है।

(2) "व्यावसायिक यौन कार्य" का अर्थ है यौन व्यवहार जिसके लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा मूल्य की कोई भी चीज़ दी या प्राप्त की जाती है।

(3) "किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हटाना या इसका उल्लंघन करना" में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक और निरंतर रूप से प्रतिबंधित करना शामिल है जिसे बल, डर, धोखाधड़ी, छल, अवपीड़न, हिंसा, दबाव, डरावा, या पीड़ित या किसी अन्य व्यक्ति को अवैध चोट के खतरे के माध्यम से, परिस्थितियों में प्राप्त किया जाता है जहां धमकी प्राप्त करने वाले या अनुभव करने वाले व्यक्ति का उचित रूप से यह मानना जो कि धमकी देने वाले के द्वारा इसे पूरा किए जाने की संभावना है।

(4) "दबाव" में शामिल है बल, हिंसा, खतरे, कठिनाई, या प्रतिशोध की प्रत्यक्ष या निहित धमकी जो किसी उचित व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य करने की सहमति देने या करने का कारण बने जो उसने अन्यथा नहीं दी होती या नहीं किया होता; पीड़ित व्यक्ति के वास्तविक या कथित पासपोर्ट या आव्रजन दस्तावेज़ों को नष्ट करने, छिपाने, हटाने, ज़ब्त करने या अपने पास रखने की कोई भी प्रत्यक्ष या निहित धमकी; या पीड़ित व्यक्ति के वास्तविक या कथित पासपोर्ट या आव्रजन दस्तावेज़ों को जानबूझकर नष्ट करना, छिपाना, हटाना, ज़ब्त करना या अपने पास रखना।

(5) "जबरन मज़दूरी या सेवाओं" का अर्थ है ऐसी मज़दूरी या सेवाएं जो किसी व्यक्ति द्वारा की या प्रदान की जाती हैं और बल, धोखाधड़ी, दबाव, या अवपीड़न, या इसके समान व्यवहार जो उचित रूप से व्यक्ति की इच्छा को दबाएगा, के माध्यम से प्राप्त की जाती या बना कर रखी जाती हैं।

(6) "बड़ी शारीरिक चोट" का अर्थ है कोई महत्वपूर्ण या ठोस शारीरिक चोट।

(7) "नाबालिग" का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति।

(8) "गंभीर नुकसान" में शामिल है मनोवैज्ञानिक, वित्तीय, या प्रतिष्ठा को नुकसान सहित कोई भी नुकसान, चाहे शारीरिक हो या गैर-शारीरिक, जो आसपास की सभी परिस्थितियों के अंतर्गत, उसी पृष्ठभूमि के किसी उचित व्यक्ति को और उन्हीं परिस्थितियों में उस नुकसान से बचने के लिए श्रम, सेवाओं, या व्यावसायिक यौन कार्य करने या करना जारी रखने हेतु मज़बूर करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर हो।

(i) पीड़ित व्यक्ति की उम्र, पीड़ित और तस्कर या तस्कर के एजेंटों के बीच संबंध, पीड़ित व्यक्ति की विकलांगता या असमर्थता सहित कुल परिस्थितियां, वे कारक होंगे जिन पर इस धारा में वर्णित किए अनुसार "दूसरे लोगों की स्वतंत्रता के वंचन या उल्लंघन", "दबाव", और "अवपीड़न" की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए विचार किया जाएगा।

खंड 7. पीनल कोड की धारा 236.2 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

236.2. कानून प्रवर्तन एजेंसियों मानव तस्करी के सभी पीड़ितों की पहचान करने के लिए, व्यक्ति की नागरिकता पर ध्यान दिए बिना, उचित जांच का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई शांति अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति जिसे उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, *कोई नाबालिग जो व्यावसायिक यौन कार्य में संलग्न हुआ है,* कोई व्यक्ति जिस पर धारा 647 की उपश्रेणी (a) या (b) के उल्लंघन का संदेह है, या घरेलू हिंसा या ~~बलात्कार~~ के *यौन उत्पीड़न* के किसी अपराध के पीड़ित के संपर्क में आता है तो शांति अधिकारी विचार करेगा कि क्या मानव तस्करी के निम्नलिखित संकेतक मौजूद हैं:

(a) आघात, थकान, चोट, के लक्षण या खराब देखभाल के अन्य सबूत।

(b) व्यक्ति अंतर्मुखी बन गया है, बात करने से डरता है, या उसके संचार को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सेंसर कर दिया गया है।

(c) व्यक्ति को आने-जाने की स्वतंत्रता नहीं है।

(d) व्यक्ति एक ही स्थान पर रहता और काम करता है।

(e) व्यक्ति पर उसके नियोक्ता का ऋण बकाया है।

(f) व्यक्ति के साथ संपर्क करने वालों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है।

(g) व्यक्ति का अपनी सरकार द्वारा जारी पहचान या अपने कर्मचारी आप्रवास दस्तावेजों पर नियंत्रण नहीं है।

खंड 8. पिनल कोड में धारा 236.4 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

236.4. (a) किसी व्यक्ति के धारा 236.1के उल्लंघन के की दोषसिद्धि पर, लगाए गए कसी भी अन्य दंड, जुर्माने, या मुआवज़े के अलावा, अदालत प्रतिवादी को एक मिलियन डॉलर ($ 1,000,000) तक का अतिरिक्त जुर्माना देने का आदेश दे सकती है। जुर्माने की राशि स्थापित करते समय, अदालत किन्हीं भी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी, जिनमें अपराध की गंभीरता और गहराई, अपराध की परिस्थितियां और अवधि, अपराध के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को प्राप्त हुए आर्थिक लाभ की राशि, और अपराध के परिणाम स्वरूप पीड़ित व्यक्ति को हुए घाटे की सीमा शामिल हैं लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं हैं।

(b) किसी भी व्यक्ति जो धारा 236.1 के उल्लंघन में या उल्लंघन के प्रयास में पीड़ित व्यक्ति पर बड़ी शारीरिक चोट पहुँचाता है, को राज्य के जेल में 5, 7, या 10 साल के लिए एक अतिरिक्त और लगातार कैद द्वारा दंडित किया जाएगा।

(c) कोई भी व्यक्ति जिसे पहले धारा 236.1 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, को अलग रूप से लगाए गए और मुकदमा चलाए गए प्रत्येक अतिरिक्त दोषसिद्धि के लिए राज्य के जेल में 5 साल के लिए एक अतिरिक्त और लगातार कैद की अवधि प्राप्त होगी।

(d) धारा 236.1 और इस खंड के अनुसार लगाया गया और एकत्र किया गया हर जुर्माना पीड़ित गवाह सहायता फंड में जमा किया जाएगा, जिसका प्रबंधन कैलिफ़ोर्निया आपातकाल प्रबंधन एजेंसी (Cal EMA) के द्वारा और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सेवाओं के लिए निधि देने के लिए किया जाएगा। एकत्र और जमा किए गए जुर्माने का सत्तर प्रतिशत उन सार्वजनिक एजेंसियों और गैर-मुनाफा निगमों को दिया जाएगा जो तस्करी के पीड़ितों के लिए आश्रय, परामर्श, या अन्य प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। एकत्र और जमा किए गए जुर्माने का तीस प्रतिशत मानव तस्करी की रोकथाम, गवाहों की सुरक्षा और बचाव कार्य को धन देने के लिए उस अधिकार क्षेत्र के कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों को दिया जाएगा जहाँ आरोप लगाए गए थे।

खंड 9. पीनल कोड की धारा 290 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290. (a) धारा 290 से ~~290.023~~ *290.024*, सम्मिलित, को सेक्स ऑफेन्डर रजिस्ट्रेशन एक्ट के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है। उन वर्गों में "ऐक्ट" के लिए सभी संदर्भ सेक्स ऑफेन्डर रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए होते हैं।

(b) उपश्रेणी (c) में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति, कैलिफोर्निया में रहने, या स्कूल में जाने या कैलिफोर्निया में काम करने के दौरान अपने बाकी के जीवन के लिए, जैसा कि धारा 290.002 और 290.01 में वर्णित किया गया है, को उस किसी भी शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी, या कैम्पस जिसमें वह अस्थायी रूप से रहता है, में आने या उसमें अपना निवास बदलने, के पाँच कार्यकारी दिनों के भीतर, जिस शहर में वह रह रहा है उसके पुलिस के प्रमुख के पास, या काउंटी के शेरिफ़ के पास यदि वह अनिगमित क्षेत्र या शहर में रह रहा है जहाँ कोई पुलिस विभाग नहीं है, और, अतिरिक्त रूप से, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, या समुदायक कॉलेज के कैम्पस के पुलिस के प्रमुख के पास यदि वह कैम्पस में या इसकी सुविधाओं में से किसी में रह रहा है, पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी, और उसके बाद अधिनियम के अनुसार पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी।

(c) निम्नलिखित व्यक्तियों को पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी:

कोई भी व्यक्ति, जो 1 जुलाई 1944 के बाद से, इस राज्य में किसी भी अदालत में या किसी भी संघीय या सैन्य अदालत में बलात्कार या इन धारायों के अंतर्गत दंडनीय किसी भी कार्य का अपराध करने, या अपराध करने की कोशिश करने में धारा 187 के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया है या ठहराया जाता है - धारा 286, 288, 288a, या 289, धारा 207 या 209 जो कि धारा 261, 286, 288, 288a, या 289, धारा 220, का उल्लंघन करने के इरादे से किया गया है, सिवाय तबाही मचाने के लिए हमले के, *धारा 236.1 की उपश्रेणी (b) और (c),* धारा 243.4, धारा 261 की उपश्रेणी (a) के पैरा (1), (2) (3) (4), या (6), धारा 262 की उपश्रेणी (a) के पैरा (1) जिसमें बल या हिंसा का उपयोग शामिल हो जिसके लिए व्यक्ति को राज्य की जेल में भेजा जाता है, धारा 264.1, 266, या 266c, धारा 266h की उपश्रेणी (b), धारा 266i की उपश्रेणी (b), धारा 266j, 267, 269, 285, 286, 288, 288a, 288.3, 288.4, 288.5, 288.7, 289, या 311.1, धारा 311.2 की उपश्रेणी (b), (c), या (d), धारा 311.3, 311.4, 311.10, 311.11, या 647.6, पूर्व धारा 647a, धारा 653f की उपश्रेणी (c), धारा 314 की उपश्रेणी (1) और (2), कोई भी अपराध जिसमें धारा 272 के तहत भद्दा या कामुक व्यवहार शामिल है, या धारा 288.2 का कोई भी गंभीर उल्लंघन; कोई भी वैधानिक पूर्ववर्ती जिसमें ऊपर उल्लेख किए एक या सभी तत्व शामिल हों; या कोई भी व्यक्ति जिसे उस तिथि के बाद से ऊपर उल्लेख किए अपारधों में से किसी भी अपराध को करने या उसकी साजिश करने का दोषी पाया गया है या जाता है।

खंड 10. पीनल कोड की धारा 290.012 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290.012. (a) उस व्यक्ति के पते में परिवर्तन के पंजीकरण के बाद पहले जन्मदिन से शुरू करते हुए, उसके जन्मदिन के पांच दिनों के भीतर, सालाना तौर पर पंजीकरण करने की ज़रूरत होगी, ताकि धारा 290 की उपश्रेणी (b) में वर्णित संस्थाओं के पास उसके पंजीकरण को अद्यतन किया जा सके। वार्षिक अद्यतन पर, व्यक्ति वर्तमान जानकारी प्रदान करेगा जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस की वार्षिक अद्यतन प्रपत्र पर मांग की गई है, जिसमें धारा 290.015 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) से ~~(3)~~ *(5)*, सम्मलित, में वर्णित जानकारी शामिल है। पंजीकरण एजेंसी पंजीकरण करने वाले को डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस से पंजीकरण आवश्यकताओं की एक प्रति देगी।

(b) इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 6600 में परिभाषित किए अनुसार, एक हिंसक यौन शिकारी के रूप में निर्णय लिया गया है, हिरासत से उसकी रिहाई के बाद, कम से कम प्रत्येक 90 दिनों के बाद, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा स्थापित ढंग के द्वारा, अपने पते और काम करने के स्थान की पुष्टि करेगा या करेगी, जिसमें नियोक्ता का नाम और पता शामिल है। हिंसक यौन शिकारी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को हर 90 दिनों पर अपने पंजीकरण की पुष्टि करने की आवश्यकता है, जहाँ भी वह पँजीकरण करता है वहां उसे उसकी पंजीकरण दायित्वों में वृद्धि के बारे में सूचित किया जाएगा। यह नोटिस पंजीकरण एजेंसी या एजेंसियों के द्वारा लिखित रूप में प्रदान किया जाएगा। इस सूचना को प्राप्त करने में अफलता धारा 290.018 की उपश्रेणी (f) में निर्धारित दंड से एक बचाव होगा।

(c) इसके अलावा, अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कैलिफोर्नीया में अस्थायी रूप से रहने के दौरान कम से कम प्रत्येक 30 दिनों पर, धारा 290.011 के अनुसार अपने पंजीकरण का अद्यतन करेगा।

(d) कोई भी संस्था इस धारा के अनुरूप अपने पंजीकरण को पंजीकृत करने या अद्यतन करने के लिए व्यक्ति से शुल्क का भुगतान करने की मांग नहीं करेगी। पंजीकरण एजेंसी वार्षिक अद्यतन या पते के परिवर्तन सहित पंजीकरण को सीधे डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के वॉयलेंट क्राइम इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (VCIN) के पास जमा करेगी।

खंड 11. पीनल कोड की धारा 290.014 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290.014. *(a)* यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता है, अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से, पाँच कार्यकारी दिनों के भीतर, उस कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियों को सूचित करेगा, जिनके साथ वह वर्तमान में पंजीकृत है। कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियां इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर इस जानकारी की एक प्रति डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को अग्रेषित करेगी।

(b) यदि कोई भी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अनुसार पंजीकरण करने की आवश्यकता है, किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ अपने खाते में परिवर्तन करता है या किसी इंटरनेट पहचानक को जोड़ता है या इसमें परिवर्तन करता है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर जुड़ाव या परिवर्तन के बारे में उस कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियों को लिखित नोटिस भेजेगा जिनके पास वह वर्तमान में पंजीकृत है। कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियां इस जानकारी के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को सूचित करेगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर इस उपश्रेणी के प्रभावी बनने के समय यह उपश्रेणी लागू होती है, इस उपश्रेणी के द्वारा आवश्यक जानकारी तुरंत प्रदान करेगा।

खंड 12. पीनल कोड की धारा 290.015 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

290.015. (a) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन आता है, क़ैद, प्लेसमेंट, प्रतिबद्धता, या परिवीक्षा से रिहाई पर धारा 290 की उपश्रेणी (b) के अनुरूप पंजीकरण करेगा, या यदि वह पहले से पंजीकृत है तो फिर से पंजीकरण करेगा। यह धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो 30 दिनों से कम के लिए कैस में है, यदि उसने अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार पंजीकरण किया है, कैद के बाद वह पहले से पंजीकृत पते पर वापिस आता है, और पंजीकरण की वार्षिक नवीनीकरण जो धारा 290.012 की उपश्रेणी (a) के अनुरूप उसके जन्मदिन के पाँच कार्यकारी दिनों के अंदर होती है, उस कैद की अवधि के अंदर नहीं आई थी। पंजीकरण में निम्न में से सभी कुछ शामिल होगा:

(1) व्यक्ति के हस्ताक्षर वाला लिखित में एक बयान, जिसमें वह जानकारी हो जिसी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ज़रूरत है, और व्यक्ति के नियोक्ता का नाम और पता, और व्यक्ति के रोजगार के स्थान का पता हो यदि यह नियोक्ता के मुख्य पते से अलग है।

(2) पंजीकरण अधिकारी द्वारा लिए गए व्यक्ति की उंगलियों के निशान और एक मौजूदा तस्वीर।

(3) उस किसी भी वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या जिसका वह व्यक्ति मालिक है, नियमित रूप से चलाता है या उसके नाम पर पंजीकृत है।

35

(4) किसी भी और सभी इंटरनेट पहचानों की सूची जो व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई है या इस्तेमाल की जाती है।

(5) किसी भी और सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची जो व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।

(6) लिखित में एक बयान है, जिस पर व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, और स्वीकार किया गया हो कि व्यक्ति को पैराग्राफ (4) और (5) में दी गई जानकारी को पंजीकरत करने और अद्यतन करने की आवश्यकता है जैसा कि इस अध्याय के द्वारा आवश्यक है।

~~(4)~~ *(7)* उस व्यक्ति को नोटिस कि, अधिनियम की आवश्यकताओं के अलावा, उसे किसी भी अन्य राज्य में पंजीकरण करने की ज़रूरत हो सकती है, जहां वह स्थानांतरित हो कर जा सकते या सकती है।

~~(5)~~ *(8)* निवास के पर्याप्त सबूत की प्रतियां, जो कि कैलिफोर्निया के ड्राइवर के लाइसेंस, कैलिफोर्निया पहचान कार्ड, हाल ही के किराया या सुविधा रसीद, मुद्रित व्यक्तिगत बनाए गए चेक या उस व्यक्ति का नाम और पता दिखाने वाले अन्य हाल के बैंकिंग दस्तावेज़ों, या किसी भी अन्य जानकारी तक सीमित है जो पंजीकरण अधिकारी का मानना है कि विश्वसनीय है। यदि उस व्यक्ति का कोई निवास नहीं है और निकट भविष्य में निवास प्राप्त करने की कोई उचित उम्मीद नहीं है, व्यक्ति को यह पंजीकरण अधिकारी को बताएगा और पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए इस तथ्य को बयान करने वाले एक बयान पर हस्ताक्षर करेगा। पंजीकरण अधिकारी को निवास का प्रमाण या इस बारे में एक हस्ताक्षरित बयान प्रस्तुत करने पर कि व्यक्ति का कोई निवास नहीं है, व्यक्ति को पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। यदि व्यक्ति दावा करता है कि उसके पास एक निवास है, लेकिन निवास का कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वह पंजीकरण करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर निवास का प्रमाण प्रस्तुत करेगा या करेगी।

(b) उसके बाद तीन दिनों के भीतर, पंजीकरण कानून प्रवर्तन एजेंसी या एजेंसियां बयान, उंगलियों के निशान, तस्वीरें, और वाहन की लाइसेंस प्लेट संख्या, यदि कोई हों, डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस को आगे भेंज देंगी।

(c) (1) यदि कोई व्यक्ति उपश्रेणी (a) के अनुसार रिहाई के बाद अनुसार पंजीकरण करने में विफल रहता है, तो अधिकार क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी जहां व्यक्ति को पेरोल पर रखा जाना था निवेदन कर सकता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाए और उसके पास धारा 290.018 के अनुसार व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा।

(2) यदि रिहाई के समय व्यक्ति पैरोल या परिवीक्षा पर नहीं था, तो निम्नलिखित लागू होने वाले अधिकार क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को 290.018 धारा के अनुसार व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा:

(A) यदि व्यक्ति को पहले उस अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत किया गया जिसमें व्यक्ति ने पिछली बार पंजीकृत किया था।

(B) यदि वहाँ कोई पुराणा पंजीकरण नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने उस अधिकार क्षेत्र में जहां उसकी रहने की उम्मीद है, डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के यौन अपराधी पंजीकरण ज़रूरत के नोटिस पर संकेत दिया है कि उसकी कहां रहने की उम्मीद है।

(C) यदि न तो पैराग्राफ (A) और न ही (B) लागू होता है, उस अधिकार क्षेत्र में जहां इस अधिनियम के तहत व्यक्ति से पंजीकरण की मांग करने वाला अपराध किया गया था।

खंड 13. पिनल कोड में धारा 290.024 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

290.024. इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:

(a) "इंटरनेट सेवा प्रदाता" का अर्थ है कोई व्यवसाय, संगठन, या अन्य इकाई जो उपभोक्ताओं को सीधे कंप्यूटर और संचार सुविधा प्रदान करती है जिसके द्वारा व्यक्ति इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त कर सकता है। किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कोई ऐसा व्यवसाय, संगठन, या अन्य इकाई, जो केवल दूरसंचार सेवाएं, केबल सेवाएं, या वीडियो सेवाएं प्रदान कती है, या किसी भी लाइब्रेरी या शैक्षिक संस्थान द्वारा चलाई जाती प्रणाली या पेश की जाती सेवा शामिल नहीं है।

(b) "इंटरनेट पहचानकर्ता" का अर्थ है कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, उपयोगकर्ता नाम, स्क्रीन नाम, या इसी तरह की पहचान जिसे इंटरनेट मंच चर्चा, इंटरनेट चैट रूम चर्चा, त्वरित संदेश, सामाजिक नेटवर्किंग, या इसी तरह के इंटरनेट संचार के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

खंड 14. पीनल कोड की धारा 13519.14 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

13519.14. (a) आयोग 1 जनवरी, 2007 तक कैलिफोर्निया में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मानव तस्करी की शिकायतों से निपटने में प्रशिक्षण देने के लिए कोई पाठ्यक्रम या शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करेगा और साथ ही मानव तस्करी पर कानून प्रवर्तन की प्रतिक्रिया के लिए मार्गदर्शन विकसित करेगा। पाठ्यक्रम या शिक्षा के पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन में मानव तस्करी की गतिशीलता और अभिव्यक्तियों, पीडितों को पहचानने और उनके साथ संचार करने, संघीय कानून द्वारा अपेक्षित ~~कानून प्रवर्तन एजेंसी~~ *लॉ एन्फोर्समेंट एजंसी (LEA)* की पुष्टि ~~(LEA)~~ को संतुष्ट करने वाले दस्तावेज़ प्रदान करने, संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने, चिकित्सा के आधार पर उपयुक्त खोजी तकनीकों, नागरिक और आप्रवास उपचार और समुदायक संसाधनों की उपलब्धता, और पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा पर ज़ोर दिया जाएगा। जहां उपयुक्त हो, प्रशिक्षण पेश करने वाले द्वारा मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सीधी सेवाएं देने में अनुभव वाले मानव तस्करी के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम के समापन को दूरसंचार, वीडियो प्रशिक्षण टेप या अन्य शिक्षा से संतुष्ट किया जा सकता है।

(b) जैसा कि इस धारा में एस्तेमाल किया गया है, "कानून प्रवर्तन अधिकारी" का अर्थ है स्थानीय पुलिस विभाग या शेरिफ के कार्यालय का कोई भी अधिकारी का कर्मचारी, और *डिपार्टमें ऑफ़ दि* कैलीफोर्नीया हाईवे पैट्रोल का कोई भी शांति अधिकारी, जैसा कि धारा 830.2 की उपश्रेणी (a) द्वारा परिभाषित किया गया है।

(c) शिक्षा का पाठ्यक्रम, सीखने और प्रदर्शन के उद्देश्य, प्रशिक्षण के लिए मानक, और मार्गदर्शन को अआयोग के द्वारा उपयुक्त समूहों मानव तस्करी के क्षेत्र में रुचि और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों के साथ परामर्श में विकसित किया जाएगा।

(d) इन समूहों और व्यक्तियों के साथ परामर्श में आयोग मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा ताकि निर्धारित किया जा सके कि मानव तस्करी प्रशिक्षण को चल रहे कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में कैसे शामिल किया जा सकता है।

(e) ~~पाठ्यक्रम या इस खंड में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में शांति अधिकारियों या उन्हें रोजगार पर रखने वाली एजेंसियों के द्वारा भागीदारी स्वैच्छिक है~~ *प्रत्येक कानून प्रवर्तन अधिकारी जिसे क्षेत्र या जांच-पड़ताल का काम सौंपा जाता है, 1 जुलाई 2014 तक, या उस स्थिति पर लगाए जाने के छह महीने के अंदर, जो भी बाद में आता हो, उपश्रेणी (a) में परिभाषित किए अनुसार मानव तस्करी की शिकायतों से निपटने से संबंधित पाठ्यक्रम या शिक्षा के पाठ्यक्रम में कम से कम दो घंटे का प्रशिक्षण पूरा करेगा।*

खंड 15. संशोधन।

इस अधिनियम में इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए क़ानून द्वारा संशोधन किया जा सकता है जिसे विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रोज़नामचा में शामिल की गई हाज़िरी वोट द्वारा, प्रत्येक सदन की सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

35

खंड 16. पृथक्कीकरण।

यदि इस प्रयास का कोई प्रावधान या इस प्रयास के किसी भी प्रावधान को किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों में अनुप्रयोग असंवैधानिक या अन्य प्रकार से अमान्य पाया जाएगा तो ऐसा निष्कर्ष शेष बचे हुए प्रावधानों या इस प्रयास के अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों पर अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा, और इस सीमा तक इस प्रयास के प्रावधान पृथक्करणीय माने जाते हैं।

प्रस्ताव 36

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा पीनल कोड की धाराओं को संशोधित किया गया है और जोड़ा गया है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

2012 का तीन हमले सुधार अधिनियम

खंड 1. परिणाम व घोषणाएं:

कैलिफोर्निया के मूल तीन हमलों के कानून को पुनर्स्थापित करने के मूल इरादे के साथ लोगों में 2012 का तीन हमले सुधार अधिनियम का क़ानून बनाना - जिसमें बलात्कारियों, हत्यारों, और बच्चों से यौन छेड़छाड़ करने वालों पर आजीवन कारावास लगाई जाती है।

यह अधिनियम निम्नलिखित काम करेगा:

(1) मांग करनी कि हत्यारे, बलात्कारी, और बच्चों से यौन छेड़छाड़ करने वाले अपनी पूरी सज़ा पूरा करें—अन्हें आजीवन कैद मिलेगी, भले ही उन्हें किसी मामूली तीसरे हमले के लिए दोषी पाया जाता है।

(2) तीन हमलों के कानून को जनता की मूल समझ तक पुनर्स्थापित करना जिसमें आजीवन कारावास की मांग केवल तभी की जाए यदि प्रतिवादी की मौजूदा दोषसिद्धि हिंसक या गंभीर अपराध के लिए है।

(3) इसे बनाए रखना कि दुकानों से चोरी और साधारण नशीले पदार्थ रखने जैसे गैर-हिंसक, गैर-गंभीर अपारधों के दोषी पाए गए दोबारा अपराध करने वाले अपराधी को आजीवन कारवास की बजाए साधारण सज़ा से दोगुनी सज़ा प्राप्त होगी।

(4) कम से कम 10 सालों के लिए प्रत्येक साल करदाताओं के कई मिलियन डॉलरों को बचाना। राज्य अब मामूली अपराधों के लिए आजीवन कारावास पूरी कर रहे बुजुर्ग, कम जोखिम वाले, गैर हिंसक वाक्य सेवा कैदियों के लिए आवास या दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान नहीं करेगा।

(5) उन खतरनाक अपराधियों की शीघ्र रिहाई को रोकना जिन्हें वर्तामान में जल्दी रिहा किया जा रहा है क्योंकि जेलें और कारागार छोटे अपराधों के लिए आजीवन कारावास पूरा कर रहे म जोखीम वाले, गैर-हिंसक कैदियों के साथ भरे हुए हैं।

खंड 2. पीनल कोड की धारा 667 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

667. (a) (1) धारा 1385 की उपश्रेणी (b) के अनुलन में, गंभीर अपराध के लिए दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति जिसे पहले इस राज्य में गंभीर बड़े अपराध के लिए या किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में किसी भी अन्य ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया था जिसमें गंभीर अपराध के सभी तत्व शामिल हों, को अदालत द्वारा वर्तमान अपराध के लिए दी गई सज़ा के अलावा, ऐसी प्रत्येक पूर्व दोषसिद्धि के लिए पांच साल की वृद्धि मिलेगी जिसके लिए अलग से दोष लागया गया था और मुकदमा चलाया गया था। वर्तमान अपराध और प्रत्येक वृद्धि की अवधि एक साथ चलेगी।

(2) इस उपश्रेणी को लागू नहीं किया जाएगा जब कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दी गई सज़ा का परिणाम लंबे समय तक सज़ा होगी। इस उपश्रेणी के लागू होने के लिए पूर्व क़ैद या प्रतिबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) विधानमंडल प्रत्येक सदन के बहुमत द्वारा पारित क़ानून द्वारा इस उपश्रेणी में दी गई सज़ा की वृद्धि की लंबाई में वृद्धि कर सकता है।

(4) जैसा कि इस उपश्रेणी में इस्तेमाल किया गया है, "गंभीर बड़ा अपराध" का अर्थ है धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में सीचीबद्ध कोई गंभीर अपराध।

(5) यह उपश्रेणी किसी नाबालिग को कोई भी मेथाम्फेटामाइन-संबंधित दवा बेचने, प्रस्तुत करने, लगाने, या देने या बेचने, प्रस्तुत करने, लगाने, या देने की पेशकश करने के लिए दोषी पाए गए या मेथाम्फेटामाइन के किन्हीं भी व्यापारियों पर लागू नहीं होगा जब तक कि पहले की दोषसिद्धि धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) के उपपैराग्राफ (24) में वर्णित गंभीर बड़े अपराध के लिए नहीं थी।

(b) उपश्रेणी (b) से (i), सम्मिलित बनाने में विधायक मंडल का इरादा है उनके लिए लंबी जेल की सज़ा और बड़ा दंड सुनिश्चित करना जो बड़े अपराध करते हैं और जिन्हें पहले *एक या अधिक* गंभीर और/या हिंसक घोर अपराध के लिए दोषी पाया गया है।

(c) किसी अन्य कानून के होते हुए भी, यदि किसी प्रतिवादी को बड़े अपराध के लिए दोषी पाया गया है और बहस करके के बाद साबित किया गया है कि प्रतिवादी की एक या अधिक पहले *गंभीर और या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियां हैं जैसे कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है, तो अदालत निम्नलिखित में से प्रत्येक का पालन करेगी:

(1) किसी भी बाद की बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के लिए लगातार सज़ा के उद्देश्यों के लिए कोई कुल अवधि की सीमा नहीं होगी।

(2) वर्तमान अपराध के लिए परिवीक्षा नहीं दी जाएगी, और न ही किसी पिछले अपराध के लिए सज़ा के निष्पादन या अधिरोपण को निलंबित किया जाएगा।

(3) पिछले *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोष सिद्धि और वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि सज़ा के आरोपण को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) राज्य की जेल के अलावा किसी भी अन्य सुविधा के लिए प्रतिबद्धता नहीं की जाएगी। सज़ा में परिवर्तन नहीं दिए जाएंगे और न हीम प्रतिवादी कैलिफोर्निया पुनर्वास केंद्र के लिए प्रतिबद्धता का हकदार होगा जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड के खंड 3 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (धारा 3050 से आरंभ खरते हुए) में दिया गया है।

(5) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 के अनुच्छेद 2.5 (धारा 2930 से आरंभ करते हुए) के अनुसार दिए गए क्रेडिट की कुल राशि दी गई कारावास की कुल अवधि के पाँचवें हिस्से से अधिक नहीं होगी और उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक प्रतिवादी को शारीरिक रूप से राज्य की जेल में रख नहीं दिया जाता है।

(6) यदि एक से अधिक बड़े अपराधों के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है, जो एक ही समय पर नहीं किए गए हैं, और संचालक तथ्यों के उसी समूह से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो अदालत प्रतिवादी को उपश्रेणी (e) के अनुसार प्रत्येक दोष के लिए लगातार चलने वाली सज़ा देगी।

(7) यदि एक से अधिक गंभीर या हिंसक बड़े अपराध के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है जैसा कि पैराग्राफ (6) में वर्णित किया गया है, तो अदालत प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए सज़ा किसी अन्य सोषसिद्धि के लिए सज़ा के बाद शुरू करेगी जिसके लिए प्रतिवादी को कानून द्वारा प्रस्तावित ढंग से लगातार सज़ा दी गई हो सकती है।

(8) उपश्रेणी (e) के अनुसार दी गई कोई भी सज़ा किसी भी अन्य सज़ा के क्रमागत लगाई जाएगी जो प्रतिवादी पहले से ही पूरी कर रहा है, जब तक कि कानून के द्वारा कोई अन्य प्रावधान न हो।

(d) किसी अन्य कानून के होते हुए भी और उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए किसी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए पहले की दोषसिद्धि को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा:

(1) कोई भी अपराध जिसे धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है या कोई भी अपराध जिसे धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में इस राज्य के भीतर गंभीर बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह निर्धारण कि उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए क्या कोई पहले की दोषसिद्धि पहले की बड़े अपराध की दोषसिद्धि है, उस पहले की दोषसिद्धि की तारीख पर किया जाएगा और लगाई गई सज़ा से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि सज़ा, शुरुआती सज़ा देने के बाद, अपने-आप बड़े अपराध से छोटे अपराध में नहीं बदल जाती है। उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगी कि कोई पहले की दोषसिद्धि पहले का बड़ा अपराध है:

(A) निर्णय या सज़ा लागू किए जाने पर स्थगन।

(B) सज़ा के निष्पादन पर रोक।

(C) किसी बड़े अपराध की दोषसिद्धि के बाद मानसिक रूप से गड़बड़ी वाले यौन अपराधी के रूप में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ सर्विसिज़ के साथ प्रतिबद्धता।

(D) कैलिफोर्नीया रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी भी अन्य सुविधा के साथ प्रतिबद्धता जिसका कार्य राज्य की जेल से पुनर्वास परिवर्तन है।

(2) किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में किसी ऐसे अपराध के लिए *पहले की* दोषसिद्धि जो, यदि कैलिफोर्नीया में किया गया था, राज्य की जेल में कैद द्वारा दंडनीय है *में शामिल होगा* किसी विशेष *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की कोई पहले की दोषसिद्धि ~~में शामिल होगा किसी दूसरे~~ यदि *अन्य* अधिकार क्षेत्र में *पहले* की दोषसिद्धि किसी ऐसे अपराध के लिए है जिसमें धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में किसी विषेष *हिंसक* बड़े अपराध के या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में *परिभाषित किए अनुसार गंभीर बड़े अपराध* के तत्व शामिल हैं।

(3) सज़ा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किसी पहले के किशोर निर्णय में कोई पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि शामिल होगी यदि:

(A) पहले का अपराध करने के समय किशोर की उम्र 16 वर्ष या अधिक थी।

(B) पहले का अपराध वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध हैं या पैराग्राफ (1) या (2) में *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के रूप में वर्णित है।

(C) यदि किशोर को किशोर न्यायालय कानून के तहत निपटने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति पाया गया था।

(D) यदि किशोर को वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 602 के अर्थ के अंदर किशोर अदालत का संरक्षित घोषित किया गया था क्योंकि उस व्यक्ति ने वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध अपराध किया था।

(e) उपश्रेणियों (b) से (i), सम्मिलित, के उद्देश्यों के लिए, और किसी भी अन्य वृद्धि या सज़ा के प्रावधानों के अतिरिक्त, जो कि लागू हो सकते हैं, निम्नलिखित लागू होगा जहां किसी प्रतिवादी की *एक या अधिक* पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* हैं:

(1) यदि प्रतिवादी की पहले की एक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि है *जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है* जिसे बहस करके के बाद साबित किया गया है, किसी अनिश्चित अवधि के लिए नियत अवधि या न्यूनतम अवधि उस अवधि से दोगुनी होगी जब तक कि वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए सज़ा के रूप में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।

(2) (A) ~~यदि~~ *सिवाय उसके जैसा कि उपपैराग्राफ (C) में दिया गया है, यदि* किसी प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, मौजूदा बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए अवधि आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि होगी जहां अनिश्चित अवधि की न्यूनतम अवधि की गणना ~~इससे बड़ी~~ *इनमें से सबसे बड़ी* के रूप में की जाएगी:

(i) उस अवधि से तीन गुणा जो अन्यथा दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के बाद प्रत्येक वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्दि के लिए सज़ा के रूप में दी जाती है।

(ii) राज्य के जेल में 25 साल के लिए कैद।

(iii) अंतर्निहित दोषसिद्धि के लिए धारा 1170 के अनुसार अदालत द्वारा निर्धारित की गई अवधि, जिसमें भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4.5 (धारा 1170 से आरंभ करते हुए) के अंतर्गत लागू होने वाली कोई भी वृद्धि, या धारा 190 या 3046 के द्वारा प्रस्तावित कोई भी अवधि शामिल है।

(B) उपपैराग्राफ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि उस किसी भी अन्य कैद की अवधि से लगातार दी जाएगी जिसके लिए कानून के द्वारा लगातार अवधि लगाई जा सकती है। उपपैराग्राफ़ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि के बाद लगाई गई कोई भी अन्य अवधि उसके साथ नहीं मिलायी जाएगी बल्कि उस समय से शुरू होगी जब व्यक्ति को अन्यथा जेल से रिहा कर दिया गया होता।

(C) यदि प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, और वर्तमान अपराध गंभीर या हिंसक बड़ा अपराध नहीं है जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है, तो प्रतिवादी को उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ़ (1) के अनुसार सज़ा दी जाएगी जब तक कि अभियोजन बहस करने के बाद निम्नलिखित में से कोई साबित नहीं करता है:

(i) मौजूदा अपराध नियंत्रित पदार्थ का आरोप है, जिसमें हैल्थ एंड सेफ्टी कोड की धारा 11370.4 या 11379.8 के तहत किसी आरोप को स्वीकार किया गया था या सच्च पाया गया था।

(ii) मौजूदा अपराध धारा 261.5 की उपश्रेणी (d) या धारा 262 में परिभाषित एक बड़ा यौन अपराध है, या कोई भी ऐसा बड़ा अपराध है जिसका परिणाम धारा 266 और 285 के उल्लंघन को छोड़कर धारा 290 की उपश्रेणी (c), धारा 286 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 288a की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 311.11, और धारा 314 के अनुसार यौन अपराधी के रूप में अनिवार्य पंजीकरण के रूप में होता है।

(iii) वर्तमान अपराध करने के दौरान, प्रतिवादी ने एक बन्दूक का इस्तेमाल किया, वह बन्दूक या घातक हथियार के साथ लैस था, या किसी अन्य व्यक्ति को बड़ी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा रखता था।

(iv) प्रतिवादी की निम्नलिखित में से किसी भी कारण के लिए, पहले की गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध की दोषसिद्धि है, जैसा कि इस धारा की उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है:

(I) कोई "यौन हिंसक अपराध" जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 6600 की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है।

(II) किसी बच्चे के साथ मौखिक संभोग जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 288a द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुदामैथुन जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 286 द्वारा परिभाषित किया गया है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन प्रवेश जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 289 द्वारा परिभाषित किया गया है।

(III) धारा 288 के उल्लंघण में, कोई भद्दा या कामुक कार्य जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा शामिल हो।

(IV) कोई हत्या का अपराध, जिसमें हत्या की कोशिश का अपराध शामिल है, जो धारा 187 से 191.5, सम्मिलित, में परिभाषित किया गया है।

(V) कत्ल करने के लिए लालच जैसा धारा 653f में परिभाषित किया गया है।

(VI) किसी मशीन गन के साथ किसी शांति ऑफिसर या फायरफाईटर (अग्निशामक कर्मचारी) पर हमला, जैसा कि धारा 245 की उपश्रेणी (d) के पैराग्राफ (3) में परिभाषित किया गया है।

(VII) कोई सामूहिक विनाश का हथियार रखना, जैसा कि धारा 11418 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित किया गया है।

(VIII) कोई भी गंभीर और/या हिंसक बड़ा अपराध जो कैलिफोर्नीया में आजीवन कारावास या मृत्यु के द्वारा दंडित है।

(f) (1) किसी अन्य कानून के होते हुए भी, उस प्रत्येक मामले में उपश्रेणी (b) से (i), सम्मिलित, लागू होंगे जिसमें प्रतिवादी की ~~कोई~~ *एक या अधिक* पहले का *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* है जैसा कि उपश्रेणी (d) में परिभाषित किया गया है। अभियोग वकील पहले के प्रत्येक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि पर बहस करके उसे साबित करेगा सिवाय उसके जैसा कि पैराग्राफ (2) में कहा गया है।

(2) धारा 1385 के अनुसार न्याय को आगे लेजाने के लिए, या यदि पहले के *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अभियोग वकील पहले के *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि के आरोप को खारिज करने या हटाने का निवेदन कर सकता है। यदि अदालत की संतुष्टि पर पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अदालत आरोप को खारिज कर सकती है या हटा सकती है। *इस खंड में कुछ भी धारा 1385 के अंतर्गत अदालत के अधिकार को बदलने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए।*

(g) पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसोद्धियों कि धारा 1192.7 की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है। अभियोजन पहले की सभी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों पर बहस करके इन्हें साबित करेगा और किन्हीं भी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के आरोप को हटाने या खारिज करने के लिए समझौते में शामिल होगा सिवाय उसके जैसा कि उपश्रेणी (f) के पैराग्राफ (2) में दिया गया है।

(h) उपश्रेणियों (c) से (g), सम्मिलित, में मौजूदा कानून के प्रति सभी संदर्भ उस कानून के प्रति हैं जो ~~30 जून 1993~~ *7 नवंबर 2012* को मौजूद है।

(i) यदि उपश्रेणियों (b) से (h), सम्मिलित, के किसी भी प्रावधान या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इनके अनुप्रयोग को अवैध माना जाता है, तो वह अवैधता उन अपरश्रेणियों के अन्य प्रवाधानों या अनुप्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगी जो कि अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए उन उपश्रेणियों के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

(j) इस खंड के प्रावधानों को विधानमंडल के द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रत्येक सदन में सहमत दो तिहाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत (रोलकॉल) द्वारा पारित की गई संविधि के, या उस संविधि के द्वारा जो केवल निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर प्रभावी बनता है।

खंड 3. पीनल कोड की धारा 667.1 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

667.1. खंड 667 की उपश्रेणी (h) के होते हुए भी, ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख~~ *7 नवंबर 2012* को या इसके बाद किए गए सभी अपराधों के लिए, खंड 667 की उपश्रेणियों (c) से (g), सम्मिलित, में मौजुदा संविधियों के सभी संद्रभ, उन संवीधियों को हैं जो ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख, जिसमें 2005–06 नियमित सैशन के दौरान बनाए गए अधिनियमों के द्वारा उन संविधियों में किए गए संशोधन शामिल हैं, जिसने इस कंड को संशोधित किया था~~ *7 नवंबर 2012* को मौजूद थे।

खंड 4. पीनल कोड की धारा 1170.12 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

1170.12. ~~(a)~~ *एक से अधिक दोषसिद्धियों के लिए कुल और लगातार अवधियां; पहले के बड़े अपराधों के रूप में पहले की दोषसिद्धियां; प्रतिबद्धताएं और अन्य वृद्धियां या सज़ाएं।*

(a) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, यदि किसी प्रतिवादी को बड़े अपराध के लिए दोषी पाया गया है और बहस करके के बाद साबित किया गया है कि प्रतिवादी की एक या अधिक पहले *गंभीर और या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियां हैं जैसे कि उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है, तो अदालत निम्नलिखित में से प्रत्येक का पालन करेगी:

(1) किसी भी बाद की बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के लिए लगातार सज़ा के उद्देश्यों के लिए कोई कुल अवधि की सीमा नहीं होगी।

(2) वर्तमान अपराध के लिए परिवीक्षा नहीं दी जाएगी, और न ही किसी पिछले अपराध के लिए सज़ा के निष्पादन या अधिरोपण को निलंबित किया जाएगा।

(3) पिछले *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोष सिद्धि और वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि सज़ा के आरोपण को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) राज्य की जेल के अलावा किसी भी अन्य सुविधा के लिए प्रतिबद्धता नहीं की जाएगी। सज़ा में परिवर्तन नहीं दिए जाएंगे और न हीम प्रतिवादी कैलिफोर्निया पुनर्वास केंद्र के लिए प्रतिबद्धता का हकदार होगा जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड के खंड 3 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (धारा 3050 से आरंभ खरते हुए) में दिया गया है।

(5) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 के अनुच्छेद 2.5 (धारा 2930 से आरंभ करते हुए) के अनुसार दिए गए क्रेडिट की कुल राशि दी गई कारावास की कुल अवधि के पाँचवें हिस्से से अधिक नहीं होगी और उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक प्रतिवादी को शारीरिक रूप से राज्य की जेल में रख नहीं दिया जाता है।

(6) यदि एक से अधिक बड़े अपराधों के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है, जो एक ही समय पर नहीं किए गए हैं, और संचालक तथ्यों के उसी समूह से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो अदालत प्रतिवादी को इस खंड के अनुसार प्रत्येक दोष के लिए लगातार चलने वाली सज़ा देगी।

(7) यदि एक से अधिक गंभीर या हिंसक बड़े अपराध के लिए वर्तमान दोषसिद्धि है जैसा कि ~~इस~~ उपश्रेणी *(b)* ~~के पैराग्राफ (6)~~ में वर्णित किया गया है, तो अदालत प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए सज़ा किसी अन्य सोषसिद्धि के लिए सज़ा के बाद शुरू करेगी जिसके लिए प्रतिवादी को कानून द्वारा प्रस्तावित ढंग से लगातार सज़ा दी गई हो सकती है।

~~(8) इस खंड के अनुसार दी गई कोई भी सज़ा किसी भी अन्य सज़ा के क्रमागत लगाई जाएगी जो प्रतिवादी पहले से ही पूरी कर रहा है, जब तक कि कानून के द्वारा कोई अन्य प्रावधान न हो।~~

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी इस खंड के उद्देश्यों के लिए पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा:

(1) कोई भी अपराध जिसे धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है या कोई भी अपराध जिसे धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में इस राज्य के भीतर गंभीर बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह निर्धारण कि इस खंड के उद्देश्यों के लिए क्या कोई पहले की दोषसिद्धि पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धि है उस पहले की दोषसिद्धि की तारीख पर किया जाएगा और लगाई गई सज़ा से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि सज़ा, शुरुआती सज़ा देने के बाद, अपने-आप बड़े अपराध से छोटे अपराध में नहीं बदल जाती है। इस खंड के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित स्थितियों

में से कोई भी इस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेगी कि कोई पहले की *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि ~~पहले का~~ *गंभीर और/या हिंसक* बड़ा अपराध है:

(A) निर्णय या सज़ा लागू किए जाने पर स्थगन।

(B) सज़ा के निष्पादन पर रोक।

(C) किसी बड़े अपराध की दोषसिद्धि के बाद मानसिक रूप से गड़बड़ी वाले यौन अपराधी के रूप में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ सर्विसिज़ के साथ प्रतिबद्धता।

(D) कैलिफोर्नीया रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी भी अन्य सुविधा के साथ प्रतिबद्धता जिसका कार्य राज्य की जेल से पुनर्वास परिवर्तन है।

(2) किसी दूसरे अधिकार क्षेत्र में किसी ऐसे अपराध के लिए *पहले की* दोषसिद्धि जो, यदि कैलिफोर्नीया में किया गया था, राज्य की जेल में कैद द्वारा दंडनीय है *में शामिल होगा* किसी विशेष *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की कोई पहले की दोषसिद्धि ~~में शामिल होगा~~ *यदि* ~~किसी दूसरे~~ *अन्य* अधिकार क्षेत्र में *पहले की* दोषसिद्धि किसी ऐसे अपराध के लिए है जिसमें धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) में उस विषेष *हिंसक* बड़े अपराध के या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) में *परिभाषित किए अनुसार गंभीर बड़े अपराध* के तत्व शामिल हैं।

(3) सज़ा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किसी पहले के किशोर निर्णय में कोई पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि शामिल होगी यदि:

(A) पहले का अपराध करने के समय किशोर की उम्र सोलह वर्ष या अधिक थी, और

(B) पहले का अपराध

(i) वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड के खंड 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध है, या

(ii) उपश्रेणी में *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के रूप में सूचीबद्ध है, और

(C) यदि किशोर को किशोर न्यायालय कानून के तहत निपटने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति पाया गया था, और

(D) यदि किशोर को वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 602 के अर्थ के अंदर किशोर अदालत का संरक्षित घोषित किया गया था क्योंकि उस व्यक्ति ने वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 707 की उपश्रेणी (b) में सूचीबद्ध अपराध किया था।

(c) इस खंड के उद्देश्यों के लिए, और किसी भी अन्य वृद्धियों या सज़ा के प्रावधानों के अतिरिक्त, जो कि लागू हो सकते हैं, निम्नलिखित लागू होगा जहां किसी प्रतिवादी की ~~कोई~~ *एक या अधिक* पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* हैं:

(1) यदि प्रतिवादी की पहले की एक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि है *जैसा कि उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है* जिसे बहस करके के बाद साबित किया गया है, किसी अनिश्चित अवधि के लिए नियत अवधि या न्यूनतम अवधि उस अवधि से दोगुनी होगी जब तक कि वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए सज़ा के रूप में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है।

(2) (A) ~~यदि~~ *सिवाय उसके जैसा कि उपपैराग्राफ (C)* में दिया गया है, *यदि* किसी प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि उपश्रेणी (b) ~~के पैराग्राफ़ (1)~~ में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, मौजूदा बड़े अपराध की दोषसिद्धि के लिए अवधि आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि होगी जहां अनिश्चित अवधि की न्यूनतम अवधि की गणना ~~इससे बड़ी~~ *इनमें से सबसे बड़ी* के रूप में की जाएगी:

(i) उस अवधि से तीन गुणा जो अन्यथा दो या अधिक पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के बाद प्रत्येक वर्तमान बड़े अपराध की दोषसिद्दि के लिए सज़ा के रूप में दी जाती है; या

(ii) पच्चीस वर्ष या

(iii) अंतर्निहित दोषसिद्धि के लिए धारा 1170 के अनुसार अदालत द्वारा निर्धारित की गई अवधि, जिसमें भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 4.5 (धारा 1170 से आरंभ करते हुए) के अंतर्गत लागू होने वाली कोई भी वृद्धि, या धारा 190 या 3046 के द्वारा प्रस्तावित कोई भी अवधि शामिल है।

(B) इस उपश्रेणी के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि उस किसी भी अन्य कैद की अवधि से लगातार दी जाएगी जिसके लिए कानून के द्वारा लगातार अवधि लगाई जा सकती है। इस उपश्रेणी के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ़ (A) में वर्णित अनिश्चित अवधि के बाद लगाई गई कोई भी अन्य अवधि उसके साथ नहीं मिलायी जाएगी बल्कि उस समय से शुरू होगी जब व्यक्ति को अन्यथा जेल से रिहा कर दिया गया होता।

(C) यदि प्रतिवादी की दो या अधिक पहले की गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के लिए दोषसिद्धियां हैं जैसा कि खंड 667.5 की उपश्रेणी (c) या खंड 1192.7 की उपश्रेणी (c) में परिभाषित किया गया है जिन्हें बहस करके के बाद साबित किया गया है, और वर्तमान अपराध इस खंड की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) में वर्णित किए गए अनुसार बड़ा अपराध नहीं है, तो प्रतिवादी को इस खंड की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ़ (1) के अनुसार सज़ा दी जाएगी जब तक कि अभियोजन बहस करने के बाद निम्नलिखित में से कोई साबित नहीं करता है:

(i) मौजूदा अपराध नियंत्रित पदार्थ का आरोप है, जिसमें हैल्थ एंड सेफ्टी कोड की धारा 11370.4 या 11379.8 के तहत किसी आरोप को स्वीकार किया गया था या सच्च पाया गया था।

(ii) मौजूदा अपराध धारा 261.5 की उपश्रेणी (d) या धारा 262 में परिभाषित एक बड़ा यौन अपराध है, या कोई भी ऐसा बड़ा अपराध है जिसका परिणाम धारा 266 और 285 के उल्लंघन को छोड़कर धारा 290 की उपश्रेणी (c), धारा 286 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 288a की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (1) और उपश्रेणी (e), धारा 314, और धारा 311.11 के अनुसार यौन अपराधी के रूप में अनिवार्य पंजीकरण के रूप में होता है।

(iii) वर्तमान अपराध करने के दौरान, प्रतिवादी ने एक बन्दूक का इस्तेमाल किया, वह बन्दूक या घातक हथियार के साथ लैस था, या किसी अन्य व्यक्ति को बड़ी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा रखता था।

(iv) प्रतिवादी की निम्नलिखित गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराधों में से किसी भी के लिए, पहले की दोषसिद्धि है, जैसा कि इस धारा की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है:

(I) कोई "यौन हिंसक अपराध" जैसा कि वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 6600 की उपश्रेणी (b) द्वारा परिभाषित किया गया है।

(II) किसी बच्चे के साथ मौखिक संभोग जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 288a द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुदामैथुन जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 286 द्वारा परिभाषित किया गया है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन प्रवेश जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है और जो उससे 10 वर्ष से अधिक छोटा है जैसा कि धारा 289 द्वारा परिभाषित किया गया है।

(III) धारा 288 के उल्लंघण में, कोई भद्दा या कामुक कार्य जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा शामिल हो।

(IV) कोई हत्या का अपराध, जिसमें हत्या की कोशिश का अपराध शामिल है, जो धारा 187 से 191.5, सम्मिलित, में परिभाषित किया गया है।

(V) कत्ल करने के लिए लालच जैसा धारा 653f में परिभाषित किया गया है।

(VI) किसी मशीन गन के साथ किसी शांति ऑफिसर या फायरफाईटर (अग्निशामक कर्मचारी) पर हमला, जैसा कि धारा 245 की उपश्रेणी (d) के पैराग्राफ (3) में परिभाषित किया गया है।

(VII) कोई सामूहिक विनाश का हथियार रखना, जैसा कि धारा 11418 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित किया गया है।

(VIII) कोई भी गंभीर और/या हिंसक बड़ा अपराध जो कैलिफोर्नीया में आजीवन कारावास या मृत्यु के द्वारा दंडित है।

(d) (1) कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, उस प्रत्येक मामले में यह खंड लागू होगा जिसमें प्रतिवादी की ~~कोई~~ *एक या अधिक* पहले का *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की ~~दोषसिद्धि~~ *दोषसिद्धियां* है जैसा कि इस खंड में परिभाषित किया गया है। अभियोग वकील पहले के प्रत्येक *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि पर बहस करके उसे साबित करेगा सिवाय उसके जैसा कि पैराग्राफ (2) में कहा गया है।

(2) धारा 1385 के अनुसार न्याय को आगे लेजाने के लिए, या यदि पहले के *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अभियोग वकील पहले के *गंभीर और/या हिंसक* दोषसिद्धि के आरोप को खारिज करने या हटाने का निवेदन कर सकता है। यदि अदालत की संतुष्टि पर पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धि को साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हो, तो अदालत आरोप को खारिज कर सकती है या हटा सकती है। *इस खंड में कुछ भी धारा 1385 के अंतर्गत अदालत के अधिकार को बदलने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए।*

(e) पहले की *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसोद्धियों कि धारा 1192.7 की उपश्रेणी (b) में परिभाषित किया गया है। अभियोजन पहले की सभी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों पर बहस करके इन्हें साबित करेगा और किन्हीं भी *गंभीर और/या हिंसक* बड़े अपराध की दोषसिद्धियों के आरोप को हटाने या खारिज करने के लिए समझौते में शामिल होगा सिवाय उसके जैसा कि उपश्रेणी (d) के पैराग्राफ (2) में दिया गया है।

(f) यदि उपश्रेणियों (a) से (e), सम्मिलित, या खंड 1170.126 के किसी भी प्रावधान, या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इनके अनुप्रयोग को अवैध माना जाता है, तो वह अवैधता उन अपरश्रेणियों के अन्य प्रवाधानों या अनुप्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगी जो कि अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए उपश्रेणियों के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

(g) इस खंड के प्रावधानों को विधानमंडल के द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रत्येक सदन में सहमत दो तिहाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत (रोलकॉल) द्वारा पारित की गई संविधि के, या उस संविधि के द्वारा जो केवल निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर प्रभावी बनता है।

खंड 5. पीनल कोड की धारा 1170.125 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

1170.125. प्रस्ताव 184 के खंड 2 के होते हुए भी, जैसा कि 8 नवंबर 1994 के ~~आम चुनावों~~ *आम चुनावों* में अपनाया गया था, ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख~~ *7 नवंबर 2012* को या उसके बाद किए गएसभी अपराध, ~~खंड~~ *खंडों* 1170.12 *और 1170.126* में मौजूदा संविधियों के सभी संदर्भ उन ~~संविधियों~~ *खंडों* को हैं जैसे ~~इस अधिनियम की प्रभावी तारीख, जिसमें 2005–06 नियमित सैशन के दौरान बनाए गए अधिनियमों के द्वारा उन संविधियों में किए गए संशोधन शामिल हैं, जिसने इस कंड को संशोधित किया था~~ *7 नवंबर 2012* को मौजूद थे।

खंड 6. पिनल कोड में धारा 1170.126 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार है:

1170.126. (a) इस खंड और संबंधित संविधियों के तहत फिर से सज़ा देने के प्रावधानों का प्रयोजन अनन्य रूप से धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के अनुसार वर्तमान में कैस की एक अनिश्चित अवधि पूरी कर रहे व्यक्तियों लागू होता है जिसकी इस अधिनियम के तहत सज़ा अनिश्चित आजीवन कारावास नहीं होता।

(b) कोई भी व्यक्ति जो दोषसिद्धि के बाद धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के अनुसार, मुक्दमा चलाने के द्वारा हो या अपराध स्वीकार करने के द्वारा, ऐसे बड़े अपराध या बड़े अपराधों के लिए लगाई गई आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि पूरी कर रहा है, जो धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) के द्वारा गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है, उस अधिनियम की प्रभावी तारीख के दो साल के अंदर जिसनेअयह खंड जोड़ा था या अच्छा कारण दिखाते हुए किसी बाद की तारीख पर, उस मुकदमा चलाने वाली अदातलत के सामने जिसने उसके मामले में दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था, सज़ा को उलटाने के लिए याचिका दायर कर सकता है, ताकि धारा 667 की उपश्रेणी (e), और धारा 1170.12 की उपश्रेणी के प्रवधानों के अनुसार फिर से सज़ा देने का निवेदन किया जा सके, क्योंकि वे संविधियां उस अधिनियम के द्वारा बदल दी गई हैं जिसने यह खंड जोड़ा है।

(c) कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में "दूसरे हमले" की दोषसिद्धि के लिए धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (1), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (1) के अनुसार दी गई कैद की सज़ा पूरी कर रहा है, इस खंड के प्रावधानों के तहत फिर से सज़ा दिए जाने के योग्य नहीं होगा।

(d) उपश्रेणी (b) नेण वर्णित सज़ा को उल्टाने के लिए याचिका में वर्तमान में लगाए गए सभी बड़े अपराधों का विवरण देगा, जिनके परिणाम से धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2) या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) या दोनों के तहत सज़ा दी गई थी, और धारा 667 की उपश्रेणी (d) ऊर धारा 1170.12 की उपश्रेणी (b) के तहत कथित और साबित की गई पहले की सभी दोषसिद्धियों का विवरण देगा।

(e) कोई कैदी फिर से सज़ा दिए जाने के योग्य है यदि:

(1) कैदी धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के अनुसार ऐसे बड़े अपराध या बड़े अपराधों के लिए लगाई गई आजीवन कारावास की अनिश्चित अवधि पूरी कर रहा है जो धारा 667.5 की उपश्रेणी (c) या धारा 1192.7 की उपश्रेणी (c) के द्वारा गंभीर और/या हिंसक बड़े अपराध के रूप में परिभाषित नहीं है।

(2) कैदी की वर्तमान सज़ा धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (i) से (iii), सम्मिलित या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (i) से (iii), सम्मिलित में मौजूद अपराधों के लिए नहीं दी गई थी।

(3) कैसी की वर्तमान सज़ा धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (iv) या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के उपवाक्य (iv) में मौजूद अपराधों के लिए कोई पहले की दोषसिद्धियां नहीं हैं।

(f) इस खंड के तहत सज़ा को उल्टाने की याचिका प्राप्त होने के बाद, अदालत निर्धारित करेगी कि क्या याचिकाकर्ता उपश्रेणी (e) में दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। यदि याचिकाकर्ता उपश्रेणी (e) में दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है, तो याचिकाकर्ता को धारा 667 की उपश्रेणी (e) के पैराग्राफ (1), या धारा 1170.12 की उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (1) के अनुसार फिर से सज़ा दी जाएगी, जब तक कि अदालत, अपने विवेक से, यह निर्धारित नहीं करती है कि याचिकाकर्ता को फिर से सज़ा देने के जनता की सुरक्षा को अनुचित जोखिम होगा।

(g) उपश्रेणी (f) में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अदालत निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

(1) याचिकाकर्ता का अपराधिक दोषसिद्धियों का इतिहास, जिसमें शामिल है किए गए अपराधों का प्रकार, पीड़ितों को चोट की सीमा, पहले की जेल की प्रतिबद्धताओं की अवधि, और अपराधों की असंबद्धता;

(2) याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और कारावास में रहने के दौरान पुनर्वास का रिकॉर्ड; और

(3) कोई भी अन्य सबूत जो अदालत, अपने विवेक से, निर्धारित करती है कि इस बारे में फैसला लेने में संबंधित है कि क्या नई सज़ा के परिणाम स्वरूप जनता की सुरक्षा को अनुचित जोखिम होगा।

(b) किसी भी परिस्थिति में इस अधिनियम के तहत फिर से सज़ा देने के परिणाम स्वरूप मूल सज़ा से लंबी सज़ा नहीं दी जाएगी।

(i) धारा 977 की उपश्रेणी (b) के होते हुए भी, फिर से सज़ा देने के लिए याचिका देने वाला प्रतिवादी अदालत में अपनी उपस्थिति को छोड सकता है, बशर्ते दोबारा सज़ा देने के दौरान आरोप लगाने वाले अभिवचन को बदला नहीं जाता है, और व्यक्ति पर नया मुकदमा चलाया जाएगा या फिर से मुकदमा चलाया जाएगा। उपस्थिति को छोड़ा जाना लिखित में और प्रतिवादी के हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए।

(j) यदि वह अदालत, जिसने प्रतिवादी को मूल रूप से सज़ा सुनाई थी, प्रतिवादी को फिर से सज़ा देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन न्यायाधीश प्रतिवादी की याचिका पर फैसला सुनाने के लिए एक अन्य न्यायाधीश को नामित करेगा।

(k) इस खंड में किसी भी चीज़ का इरादा उन अधिकारों या उपायों को घटाना या निरस्त करना नहीं है जो अन्यता प्रतिवादी को उपलब्ध हैं।

(l) इस और संबंधित खंडों में किसी भी चीज़ का इरादा किसी भी मामले में अदालत के अंतिम निर्णयों को घटाना या निरस्त करना नहीं है जो इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

(m) इस अधिनियम के तहत आदेश दी गई फिर से सज़ा देने की सुनवाई में कैलिफोर्नीया के संविधान (मार्सी के कानून) की धारा 28 की उपश्रेणी (b) के पैराग्राफ (7) के तहत "दोषसिद्धि के बाद रिहाई की कार्रवाइयां" शामिल होगी।

खंड 7. उदार आशय:

यह अधिनियम कैलिफोर्निया राज्य के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए कैलिफोर्निया राज्य के लोगों की सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग है, और इसका आशय उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उदारता से समझाया जाएगा।

36

खंड 8. पृथक्कीकरण:

यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान, या किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर इनके अनुप्रयोग को अवैध माना जाता है, तो वह अवैधता इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी, जो इस अधिनियम के उद्देशायों को पूरा करने के लिए अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

37

खंड 9. परस्पर टकराने वाले प्रयास:

यदि इस उपाय को मतदाताओं द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन उसी चुनाव में अधिक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित परस्पर विरोधी मतपत्र उपाय द्वारा इसकी जगह ले ली जाती है, और बाद में परस्पर विरोधी मतपत्र को अमान्य कर दिया जाता है, तो मतदाताओं का यह आशय है कि इस अधिनियम को कानून की ताकत दी जाए।

खंड 10. प्रभावी तिथि:

यह अधिनियम मतदाताओं द्वारा अधिनियमन के पहले दिन पर प्रभावी हो जाएगा।

खंड 11. संशोधन:

सिवाय उसके जो अन्यथा कानूनों के पाठ में दिया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों को निम्नलिखित में से एक के अलावा किसी अन्य ढंग से बदला या संशोधित नहीं किया जाएगा:

(a) विधानमंडल के प्रत्येक सदन में, दो तिहाई सदस्यों और गवर्नर की सहमति से, दैनिकी (जर्नल) में दर्ज द्वारा पारित करने के द्वारा; या

(b) विधानमंडल के प्रत्येक सदन में, सदस्यों के बहुत की सहमति से, दैनिकी (जर्नल) में दर्ज द्वारा पारित करने के द्वारा, जिसे अगले सामान्य चुनाव में रखा जाएगा और निर्वाचकों की बहुमत मंजूरी दी जाएगी; या

(c) संविधि द्वारा जो निर्वाचकों की बहुमत द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रभावी बन जाती है।

प्रस्ताव 37

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II, धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रयास द्वारा हैल्थ एंड सेफ्टी कोड को संशोधित किया गया है और उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं; इसलिए जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

कैलिफोर्निया राज्य के लोग यह घोषित करते हैं कि:

कैलिफोर्निया आनुवंशिक रूप से तैयार किए खाद्य पदार्थों के बारे में जानने का अधिकार

खंड 1. परिणाम व घोषणाएं

(a) कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि जो खाद्य पदार्थ वे खरीदते हैं क्या उन्हें पता आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करते हुए बनाया गया था। पौधों और जानवरों की आनुवंशिक तकनीक अक्सर अनपेक्षित परिणामों का कारण बनती है। जीनों का जोड़-तोड़ करना और उन्हें जीवों में डालना एक विधिपूर्वक प्रक्रिया नहीं है। परिणाम हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं या नियंत्रणीय नहीं होते हैं, और उनके स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

(b) सरकारी वैज्ञानिकों ने कहा है कि पौधों में कृत्रिम DNA प्रविष्ट करना, जो कि आनुवंशिक तकनीक के लिए अद्वितीय तकनीक है, से पौदों के खाद्य पदार्थों के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी आनुवंशिक तकनीक खाद्य पदार्थों में ज्ञात विषैले पदार्थों के स्तर को बढ़ा सकती है और नए विषैले पदार्थ और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

(c) आनुवंशिक तकनीक के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थों की अनिवार्य पहचान आनुवंशिक ढंग से तैयार खाद्य पदार्थ खाने के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव पर नज़र रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान कर सकती है।

(d) कोई भी संघीय या कैलिफोर्निया का कानून यह मांग नहीं करता है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादक पहचानें कि क्या खाद्य पदार्थों का उत्पादन आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करके किया गया था। उसी समय पर, यू.एस. फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन ऐसे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा अध्ययन की मांग नहीं करता है। जब तक इन खाद्य पदार्थों में कोई ज्ञात एलर्जी पैदा करने वाला पदार्थ न हो, FDA आनुवंशिक ढंग से उगाई गई फसलों को विकसित करने वालों से एजेंसी के साथ परामर्श करने की मांग भी नहीं करता है।

(e) मतदान लगातार दिखाते हैं कि 90 प्रतिशत से अधिक जनता जानना चाहती है कि क्या उनके भोजन का उत्पादन आनुवंशिक तकनीक का उपयोग करके किया गया था।

(f) यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, जापान और अन्य प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों सहित—पचास देशों के पास आनुवंशिक तकनीक से तैयार खाद्य पदार्थों के अनिवार्य प्रकटीकरण के कानूनों हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौते आनुवंशिक

तकनीक के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थों की अनिवार्य पहचान को निषेध नहीं करते हैं।

(g) प्रकटीकरण के बिना, आनुवंशिक तकनीक से तैयार किए गए भोजन के उपभोक्ता अनजाने में अपने स्वयं के आहार और धार्मिक प्रतिबंध का उल्लंघन कर सकते हैं।

(h) आनुवंशिक तकनीक से तैयार की गई फसलों की खेती का भी पर्यावरण के लिए गंभीर प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, सबसे अधिक आनुवंशिक तकनीक से तैयार फसलें घास-फूस हटाने वाले कीटनाशकों का सामना करने के लिए तैयार की गई हैं, जिन्हें शाकनाशी के रूप में जाना जाता है। परिणाव स्वरूप, अमेरिकी खेतों पर अतिरिक्त शाकनाशी के लाखों पाउंड का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के उत्पादों के बड़े पैमाने पर उपयोग की वजह से, शाकनाशी-प्रतिरोधी घास बढ़ गया है—एन ऐसी समस्या जिसने कारण, अधिक विषाक्त शाकनाशी पदार्थों का उपयोग बढ़ा है। ये विषैले शाकनासक हमारे कृषि क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे पीने के पानी को ख़राब करते है, और खेत मजदूरों और उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं के पास ऐसे खाद्य पदार्थों को खरीदने से बचने का विकल्प होना चाहिए जिनके कारण पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुँच सकता है।

(i) जैविक खेती कैलिफोर्निया कृषि का एक बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैलिफोर्निया में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक जैविक खेत हैं और देश के हर चार प्रमाणित जैविक संचालनों में से लगभग एक यहां है। कैलिफोर्निया की जैविक खेती 20 प्रतिशत प्रति साल से अधिक तेजी से बढ़ रही है।

(j) कार्बनिक किसानों को अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले बीजों का उपयोग करना मना है। बहरहाल, इन किसानों की फसलों को नियमित रूप से पड़ोसी ज़मीनों से खतरा रहता है जहां अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाली फसलें उगाई जाती हैं। संदूषण का जोखिम इस उद्योग को काफी हद तक नष्ट करते हुए, कैलिफोर्निया के जैविक उत्पादों में जनता का विश्वास खत्म कर सकता है। कैलिफोर्नीया वासियों के पास ऐसा भोजन खरीदने से बचने का चुनाव होना चाहिए जिसका उत्पादन राज्य के जैविक किसानों और जैविक खाद्य पदार्थ उद्योग को नुकसान पहुँचा सकता है।

(k) "प्राकृतिक","प्राकृतिक ढंग से बनाए," "प्राकृतिक ढंग से उगाए," या "पूरा प्राकृतिक" जैसे शब्दों का एस्तेमाल करके अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले खाद्य पदार्थों की लेबलिंग, विज्ञापन और विपणन कैलिफोर्निया के उपभोक्ताओं को गुमराह कर ररते हैं।

खंड 2. उद्देश्य का ब्यान

इस उपाय का उद्देश्य कैलिफोर्निया के लोगों का एक मौलिक अधिकार बनाना और लागू करना है जिससे वे पूरी तरह से सूचित हों कि जिस भोजन को वे खरीदते और खाते हैं क्या वह आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग किया गया है और प्राकृतिक के रूप में गलत ढंग से पेश नहीं किया जा रहा है ताकि वे खुद चुनाव कर सकें कि क्या ऐसे भोजन को खरीदना और खाना है। इसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदारतापूर्वक आशय लगाया जाएगा।

खंड 3. स्वास्थ्य अवं शिक्षा संहिता के खंड 104 के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 6.6 (धारा 110808 के साथ शुरू) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 6.6.

कैलिफोर्निया आनुवंशिक रूप से तैयार किए खाद्य पदार्थों के बारे में जानने का अधिकार

110808. परिभाषाएं

निम्नलिखित परिभाषाएं केवल इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए लागू होगी:

(a) व्यावसायिक तौर पर उपजाया गया। "व्यावसायिक तौर पर उपजाया गया" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय या व्यापार के दौरान उगाया या बड़ा किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर बेचा गया।

(b) एनजाइम। "एनजाइम" का अर्थ है एक प्रोटीन जो अन्य पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कैटालाइज़ करता है और प्रतिक्रिया के पूरा होने पर यह खुद नष्ट नहीं होता है या इसमें बदलाव नहीं आता है।

(c) अनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया। (1) "अनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया" का अर्थ है कोई भी खाद्य पदार्थ जो ऐसे जीव या जीवों से तैयार किया गया है जिनमें निम्नलिखित के अनुप्रयोग द्वारा आनुवंशिक सामग्री को बदल दिया गया है:

(A) रीकॉम्बीनैंट डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) सहित इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड तकनीकें और कोशिकाओं या ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लिक एसिड का सीधा टीका, या

(B) मूलतत्त्व संलयन सहित, कोशिकाओं के फ्यूजन, या संकरण तकनीकें जो प्राकृतिक शारीरिक, प्रजनन सबंधी, या पुनर्संयोजन बाधाओं को पार करती हैं जहां दाता कोशिकाएं/मूलतत्त्व उसी टेक्सोनोमिक परिवार के भीतर नहीं आते हैं, ऐसे ढंग से जो प्राकृतिक गुणन या प्राकृतिक पुनर्संयोजन ढंग द्वारा नहीं होता है।

(2) इस उपश्रेणी के उद्देश्यों के लिए:

(A) "जीव" का अर्थ है कोई भी जैविक इकाई जो आनुवंशिक सामग्री के प्रतिरूप बनाने, प्रजनन या हस्तांतरण के सक्षम है।

(B) "इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड तकनीकों" में ऐसी रीकॉम्बीनैंट DNA या RNA तकनीकें शामिल हैं जो जीवों के बाहर तैयार वंशानुगत सामग्री के जीवों में प्रत्यक्ष रूप से जोड़े जाने की वेक्टर प्रणालियों और तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि माइक्रो-इंजेक्शन, मैक्रो-इंजेक्शन, कीमोपोरेशन, इलैक्ट्रोपोरेशन, सूक्ष्म इन्कैप्सुलेशन, और लिपोसम संलयन।

(d) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। "प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ" का अर्थ है कच्ची कृषि सामग्री के अलावा कोई भी भोजन, और इसमें ऐसी कच्ची कृषि सामग्री से तैयार भोजन शामिल है जिस पर केनिंग, स्मोकिंग, दबाने, पकाने, फ्रीज़ करने, निर्जलीकरण, किण्वन, या मिलिंग जैकी प्रक्रिया की गई है।

(e) प्रसंस्करण में सहायक चीज़ें। "संस्करण में सहायक चीज़ें" का अर्थ है:

(1) कोई पदार्थ जो खाद्य-पदार्थ के प्रसंस्करण के दौरान उसमें जोड़ा जाता है, लेकिन इसे अंतिम रूप में पैक करने से पहले किसी तरह से उसमें से निकाल दिया जाता है;

(2) कोई पदार्थ जो प्रसंस्करण के दौरान खाद्य-पदार्थ में जोड़ा जाता है, आम तौर पर खाद्य-पदार्थ में मौजूद घटक में परिवर्तित किया जाता है, और प्रकृतिक रूप से खाद्य-पदार्थ में पाए जाते घटकों की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है; या

(3) कोई पदार्थ जो प्रसंस्करण में इसके तकनीकी या कार्यात्मक प्रभाव के लिए खाद्य-पदार्थ में जोड़ा जाता है, लेकिन अंतिम खाद्य पदार्थ में काफी बड़े स्तर पर मौजूद रहता है और उस अंतिम खाद्य-पदार्थ में इसका कोई तकनीकी या कार्यात्मक प्रभाव नहीं होता है।

(f) खाद्य सुविधा। "खाद्य सुविधा" का अर्थ आगे खंड 113789 में दिया गया अर्थ होगा।

110809. खाद्य-पदार्थों की आनुवंशिक तकनीक के संबंध में प्रकटीकरण

(a) 1 जुलाई 2014 से शुरू करते हुए, केलिफोर्निया में खुदरा बिक्री के लिए पेश किया गया कोई भी भोजन यदि पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पादित आनुवंशिक ढंग से तैयार किया गया हो सकता है लेकिन इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है तो यह गलत ढंग से पेश किया जा रहा है:

(1) कच्ची कृषि वस्तुओं के मामले में बिक्री के लिए पेश किए गए पैकेज पर, ऐसी वस्तु के पैकेज के अगले हिसे पर स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में "आनुवंशिक रूप

से तैयार किया गया", या ऐसी वस्तु के मामले में जो अलग रूप से पैकेज या लेबल नहीं की जाती है, खुदरा स्टोर के शेल्फ या बिन पर दिखाई देने वाले लेबल पर जहां ऐसी वस्तु बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती है;

(2) किसी भी प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ के मामले में, ऐसे खाद्य-पदार्थ के अगले या पिछले हिस्से पर, स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में, "आंशिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ उत्पादित" या "शायद आंशिक रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ उत्पादित" शब्दों के साथ।

(b) इस खंड की उपश्रेणी (a) और खंड 110809.2 की उपश्रेणी (e) का आशय इस आवश्यक्ता के रूप में नहीं लगाया जाएगा कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग से तैयार किए गए किसी भी घटक या घटकों की सूची देने या पहचान बताई जाए या "अनुवांशिक रूप से तैयार किया" शब्दों को खाद्य-पदार्थ के आम नाम या मुख्य उत्पाद वर्णन के बिल्कुल साथ रखा जाए।

110809.1. आनुवंशिक रूप से तैयार भोजन को "प्राकृतिक" के रूप में गलत ढंग से पेश करना

खंड 110809 द्वारा आवश्यक कीसी भी प्रकटीकरण के अलावा, यदि खाद्य-पदार्थ खंड 110808 की उपश्रेणी (c) या (d) की किसी भि परिभाषा को पूरा करता है, और अन्यथा इसे खंड 110809.2 के तहत लेबल देने से छूट नहीं प्राप्त है, तो खाद्य-पदार्थ कैलिफोर्निया में, इसके लेबल पर, या खुदरा संस्था में इसके साथ दिए गए संकेतों पर, या किसी भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री में, यह नहीं कह सकता है कि खाद्य-पदार्थ "प्राकृतिक","प्राकृतिक ढंग से बनाया गया," "प्राकृतिक ढंग से उगाया गया," या "पूरा प्राकृतिक" है या इसी तरह के अन्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो किसी भी तरह से किसी भी उपभोक्ता को गुमराह करे।

110809.2. आनुवंशिक रूप से तैयार भोजन पर लेबल लगाना—छूटें

धारा 110809 की ज़रूरतें निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी:

(a) ऐसे खाद्य-पदार्थ जिनमें पूरी तरह से ऐसा जानवर शामल है, या जो पूरी तरह से ऐसे जानवर से तैयार किया गया है जो खुद आनुवंशिक ढंग से तैयार नहीं किया गया है, भले ही ऐसे जानवर को कोई अनुवांशिक ढंग से तैयार भोजन खिलाया गया था या इसका टीका लगाया गया था या ऐसे दवाई दी गई थी जो अनुवांशिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई थी।

(b) कोई कच्ची कृषि वस्तु या उससे निकाले गए खाद्य-पदार्थ जो अनुवांशिक तकनीक वाले बीजों या खाद्य-पदार्थों के जानकारी होते हुए या जानबूझकर अनुवांशिक तकनीक के उपयोग के बिना उगाए गए, बढ़ाए गए या तैयार किए गए हैं। उस खाद्य-पदार्थ को केवल तभी पिछले वाक्य में वर्णित नहीं माना जाएगा यदि अन्यथा कच्ची कृषि वस्तु या खाद्य-पदार्थों के संबंध में धारा 110809 की उपश्रेणी (a) की ज़रूरतों का पालन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस व्यक्ति, जिस ने उस व्यक्ति को वस्तु या खाद्य-पदार्थ बेचा है, से एक शपथबद्ध बयान प्राप्त करता है कि ऐसी वस्तु या खाद्य-पदार्थ: (1) जानकारी होते हुए या जानबूझकर अनुवांशिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है; और (2) इसे उस खाद्य-पदार्थ से अलग किया गया है, और जानकारी होते हुए या जानबूझकर उस खाद्य-पदार्थ के साथ नहीं मिलाया गया है, जो शायद किसी भी समय पर अनुवांशिक तकनीक से तैयार किया गया हो सकता है। ऐसा शपथबद्ध बयान देते हुए, कोई भी व्यक्ति अपने या अपने खुद आपूर्तिकर्ता से शपथबद्ध बयान पर निर्भर कर सकता है जिसमें पिछले वाक्य में दी गई अभिपुष्टि शामिल हो।

(c) कोई भी प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ जिस पर धारा 110809 एकमात्र रूप से इस लिए लागू होगी क्योंकि इसमें एक या अधिक अनुवांशिक रूप से तैयार प्रसंस्करण सहायक चीज़ें या एंजाइम शामिल हैं।

(d) कोई भी अल्कोहल वाले पेय जो अल्कोहलिक बेवेरेज कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि बिज़नेस एंड प्रोफेशन कोड की श्रेणी 9 (खंड 23000 से शुरू करते हुए) में दिया गया है।

(e) 1 जुलाई 2019 तक, कोई भी प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ जिस पर धारा 110809 एकमात्र रूप से इस लिए लागू होगी क्योंकि इसमें एक या अधिक अनुवांशिक रूप से तैयार प्रसंस्करण अंश शामिल है, बशर्ते: (1) कोई भी ऐसा एकेला अंश ऐसे प्रसंस्कृत खाद्य के कुल वजन के एक प्रतिशत के आधे से अधिक नहीं है; और (2) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में ऐसे 10 से अधिक अंश शामिल नहीं हैं।

(f) खाद्य-पदार्थ जो किसी स्वतंत्र संगठन से निर्धारित किया है कि जानकारी होते हुए या जानबूझकर किसी अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले बीज या अनुवांशिक इंजीनियरिंग वाले खाद्य-पदार्थ से तैयार नहीं किया गया है या इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है, बशर्ते कि ऐसा निर्धारण विभाग द्वारा अपनाए गए नियमों में अनुमोदित नमूना और परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। विभाग द्वारा कोई भी नमूना और परीक्षण प्रक्रिया को अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि नमूना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे कि इंट्रनेशनल स्टैंर्डर्ज ऑर्गेनाइज़ेशन (ISO) और ग्रेन एण्ड फ़ीड ट्रेड एसोसिएशन (GAFTA) द्वारा सिफारिश सिद्धांतों के अनुरूप सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूना लेने की योजना के अनुसार नहीं लिया गया है। विभाग द्वारा किसी भी परीक्षण प्रक्रिया को अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक कि: (1) यह कोडेक्स एलिमेनटेरियस द्वारा प्रकाशित सबसे हाल के "खाद्य-पदार्थों में विशिष्ट DNA अनुक्रमों और विशिष्ट प्रोटीन की जांच, पहचान करने और मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन के मानदंड और तरीके के मान्यकरण पर मार्गदर्शन," (CAC/GL 74 (2010)) के अनुसार नहीं है; और (2) यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के ऐसे परीक्षण पर निर्भर नहीं करता है जिसमें किसी DNA पा पता नहीं लगाया जाता है।

(g) ऐसे खाद्य-पदार्थ जो 1990 के संघीय कार्बनिक खाद्य उत्पाद अधिनियम और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा उसके अनुसार प्रख्यापित नियमों के अनुसार कानूनी रूप से "जैविक" का लेबल लगाए जाने, विपणन और बिक्री के लिए पेश किए जाने के लिए प्रमाणित है।

(h) जो खाद्य-पदार्थ खुदरा बिक्री के लिए पैक नहीं किया गया है और या तो: (1) एक प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ है जो तत्काल मानव उपभोग के लिए तैयार किया गया और प्रयोजन से है या (2) किसी ऐसे रेस्तरां या अन्य भोजन सुविधा में परोसा जाता, बेचा जाता या अन्यथा प्रदान किया जाता है जो मुख्य रूप से तत्काल मानव उपभोग के लिए तैयार किया गया और प्रयोजन से भोजन बेचने में लगे हुए हैं।

(i) चिकित्सकीय भोजन।

110809.3. नियमों को अपनाना

विभाग किन्हीं भी ऐसे नियमों को अपना सकता है यो यह निर्धारित करता है कि इस अनुच्छेद को लागू करने और इसकी व्याख्या करने के लिए ज़रूरी हैं, बशर्ते कि विभाग धारा 110809.2 में दी गई छूटों के अलावा कोई छूटें अधिकृत नहीं करता है।

110809.4. लागूकरण

अध्याय 8 के अनुच्छेद 4 (खंड 111900 से शुरू करते हुए) के तहत किसी कार्यवाही के अलावा, खंड 110809 या 110890.1का किसी भी उल्लंघण को नागरिक संहिता की धारा 1770 की उपश्रेणी (a) के पैराग्राफ (5) का उल्लंगण माना जाएगा और उसके लिए नागरिक संहिता के श्रेणी 3 के भाग 4 के शीर्शक 1.5 (धारा 1750 से शुरू करते हुए) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, और कानूनी कार्यवाही करने वाले उपभोक्ता को कथित उल्लंघन से कोई विशेष नुकसान स्थापित करने, या उस पर कोई निर्भरता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। धारा 110809 द्वारा ज़रूरी कोई भी प्रकटीकरण करने में असफलता, या धारा 110809.1 में मना किया गया कोई भी बयान देने से, प्रत्येक को कम से कम कथित उल्लंघन करने वाले पैकेज या उत्पाद के वास्तविक या पेश किए गए खुदरा मूल्य का राशि के बराबर नुकसान किया गया माना जाएगा।

खंड 4. लागूकरण

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की धारा 111910 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

111910. (a) धारा 111900 के प्रवाधानों का कानून के किसी और प्रावधान के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति इस धारा के अनुसार सुपीरियर कोर्ट में एक मुकदमा ला सकता है और सुनवाई करने पर और कारण दिखाए जाने के लिए, किसी व्यक्ति को *अनुच्छेद 6.6 (धारा 110808 से शुरू करते हुए), या* अध्याय 5 के अनुच्छेद 7 (धारा 110810 से शुरू करते हुए) के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघण करने से रोकते हुए अस्थायी या स्थायी आदेश लगाना अदालत के अधिकार क्षेत्र में होगा। इस धारा के तहत कोई भी कार्रवाई नागरिक प्रक्रिया संहिता के भाग 2 के शीर्षक 7 के अध्याय 3 (525 धारा के साथ शुरू करते हुए) की ज़रूरतों के अनुरूप होगी, सिवाय इसके कि व्यक्ति को कानून के पास उचित उपाय की कमी को दिखाने, या दिखाने की कोशिश करने, या अद्वितीय या विशेष व्यक्तिगत चोट या नुकसान दिखाने, या दिखाने की कोशिश करने के लिए ज़रूरी तथ्यों का आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।

(b) उपश्रेणी (a) में प्रदान की गई आदेशात्मक राहत के अलावा, अदातलत उस व्यक्ति, संगठन या संस्था को उचित वकील की फीसें *और मुकदमे की जांच-पड़ताल करने और उस पर कार्रवाही करने में हुए सभी उचित खर्चे*, जैसा कि अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है, दे सकती है।

(c) इस खंड का आशय धारा 111900 या कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के अनुसार इस अध्याय को लागू करने के लिए मुकदमा चलाने की विभाग और इसके अधिकृत एजेंटों की शक्तियों को सीमित करने या बदलने के लिए लगाया जाएगा।

खंड 5. गलत ढंग से पेश करना

स्वास्थ्य अवं सुरचा संहिता की धारा 110663 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

110663. यदि किसी भी खाद्य-पदार्थ दा लेबल धारा 110809 या 110809.1की ज़रूरतों का पालन नहीं करता है तो इसे गलत ढंग से पेश किया गया है।

खंड 6. पृथक्कीकरण

यदि इस पहल के किसी भी प्रावधान या उसके अनुप्रयोग को किसी भी कारण से अवैध या असंवैधानिक करार कर दिया जाता है, तो यह इस पहले के अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो अवैध या असंवैधानिक प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाए जा सकते हैं, और इस उद्देश्य के लिए इस पहल के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

खंड 7. अन्य कानूनों के साथ आशय

इस पहल का किसी भी संघीय या कैलिफोर्निया क़ानून या विनियमन की ज़रूरतों को पूर्ण करने, उसकी जगह न लेने, का आशय नहीं लगाया जाएगा जो इस पहल के तहत आने वाले किसी भी कच्ची कृषि वस्तु या प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थ की कठोर या कम पूर्ण लेबलिंग का प्रावधान देते हैं।

खंड 8. प्रभावी तिथि

यह पहल कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II के खंड 10 की उपश्रेणी (a) के अनुसार पारित किए जाने पर प्रभावी हो जाएगी।

खंड 9. परस्पर टकराने वाले उपाय

उस हालत में जब उसी राज्यव्यापी मतदान में दिखाई दने वाला या वाले कोई अन्य उपाय अनुवांशिक तकनीक वाले खाद्य-पदार्थ के उत्पादन, बिक्री और / या लेबलिंग से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं लगाते हों, तो अन्य उपाय या उपायों के प्रावधानों, यदि मतदाताओं द्वारा अनुमोदित कर दिए जाते हैं, को इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, बशर्ते कि अन्य उपाय या उपायों के प्रावधान इस अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन को रोकते नहीं हैं या माफ नहीं करते हैं।

यदि अन्य उपाय या उपायों के प्रावधान अधिनियम के अनुपालन को रोकते हैं या माफ करते हैं, और इस अधिनियम को अधिक संख्या में स्वीकरति वोट मिलते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधान अपनी पूर्णता में प्रबल होंगे, और अन्य उपाय अशक्त और निरर्थक होगा या होंगे।

खंड 10. संशोधन

इस प्रयास को प्रत्येक सदन में दो-तिहाई वोटों द्वारा पारित कानून के द्वारा विधानमंडल द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके केवल इसके इरादे और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए।

प्रस्ताव 38

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रयास उपाय शिक्षा संहिता, दंड संहिता और राजस्व एवं कराधान संहिता में संशोधन करती है और धाराएं जोड़ती है; इसलिए निरसित किए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइक आउट~~ प्रकार से मुद्रित किया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किया गया ताकि संकेत मिल सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम

खंड 1. शीर्षक।

इस उपाय को "हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम" के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

खंड 2. निष्कर्ष और उद्देश्य की घोषणा।

(a) कैलिफोर्निया हमारे बच्चों और हमारे राज्य के भविष्य के साथ धोखा कर रहा है। आज, प्रत्येक छात्र को शिक्षित करने के लिए निवेश में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर 46वें स्थान पर है। देश में कक्षा के सबसे बड़े आकार के साथ, कैलिफोर्निया 50 राज्यों में सबसे अंतिम 50वें स्थान पर भी है।

(b) हाल ही में बजट में कटौतियों के कारण हमारे स्कूलों को और भी पीछे कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कैलिफोर्निया के स्कूलों से $20 बिलियन से अधिक की कटौती की गई है; आवश्यक कार्यक्रम और सेवाएं जिनकी सभी बच्चों के सफल होने के लिए ज़रूरत है, हटा दी गई हैं या कम कर दी गई हैं, और 40,000 से अधिक शिक्षकों को हटा दिया गया है।

(c) हम हमारे प्रारंभिक बचपन के विकास कार्यक्रमों में भी पीछे रह रहे हैं, जो कि कई अध्ययनों ने पुष्टि की है कि एक सबसे अच्छा शैक्षिक निवेश हैं को हम कर सकते हैं। हमारे कम वित्तपोषित सार्वजनिक प्रीस्कूल कार्यक्रम योग्य तीन और चार साल के बच्चों में से केवल 40 प्रतिशत को ही सेवा देते हैं। कम आय वाले शिशुओं और छोटे बच्चों, जिन्हें सहायता की सबसे अधिक ज़रूरत है, में से केवल 5 प्रतिशत की ही प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों तक पहुँच है।

(d) हम बेहतर कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चों को सफल होने के लिए तैयार करने के लिए हमारे स्कूलों और प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों में निवेश करना सबसे अच्छा काम है जो हम हमारे बच्चों और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राज्य के भविष्य के लिए कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के बिना, हमारे बच्चों वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। एक कुशल कार्यबल के बिना, हमारा राज्य नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। हमारे बच्चों की शिक्षा में सुधार करना हम पर हमारे बच्चों और हम खुद का कर्ज है।

(e) यह एक असली फर्क लाने का समय है: कोई और आधा उपाय नहीं बल्कि स्कूलों में असली, परिवर्तनकारी निवेश जिस पर हमारे राज्य और हमारे परिवारों का भविष्य निर्भर करता है। यह अधिनियम स्कूलों को अच्छी तरह से संतुलित शिशा जो प्रत्येक छात्र के लिए कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों सहित कॉलेज और कैरियर तत्परता में सहायता करे; छोटे आकार की क्लासें, स्कूल पुस्तकालए, स्कूल नर्सें, और काउंसलर देने के समर्थ बनाएगा।

(f) यह अधिनियम मांग करता है कि इस बारे में फैसले कि हमारे स्कूलों में सुधार करने के लिए धन का सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में फैसले सकारामेंटों में नहीं बल्कि अभिभावकों, शिक्षकों, अन्य स्कूल स्टाफ, और समुदाय के सदस्यों के विचारों का सम्मान करते हुए स्थानीय तौर पर लिए जाने चाहिए। यह मांग करता है कि यह फैसला लेने के लिए कि क्या प्रत्येक विशेष स्कूल में सबसे अधिक किस चीज़ की जरूरत है, स्थानीय स्कूल बोर्ड अभिभावकों, शिक्षकों, अन्य स्कूल स्टाफ, और समुदाय के सदस्यों के साथ मिल कर काम करे।

(g) हमारे सभी स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए, जिससे हमारे सभी बच्चों को लाभ हो, यह अधिनियम निश्चित करता है कि नए फंड प्रत्येक स्थानीय स्कूल तक पहुँचे—जिनमें चार्टर स्कूल, काउंटी स्कूल, और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूल शामिल हैं—और इसे निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आवंटित किया जाए। नए फंड प्रत्येक स्थानीय स्कूल को प्रति छात्र के आधार पर आवंटित किए जाएंगे, जिसमें धन को स्थानीय स्कूलों में खर्च किए जाने की ज़रूरत होगी, जिला मुख्यालयों में नहीं।

(h) यह उपाय स्थानीय स्कूल बोर्डों को इस बारे में जवाबदेह बनाता है कि वे नए करदाताओं के पैसे को कैसे खर्च करते हैं। अन्हें व्याख्या करने की ज़रूरत है कि खर्चों से शैक्षिक परिणामों कैसे सुधार होगा और उनकी इस बात को निर्धारित करने की क्या योजना है कि खर्च सफल थे। उन्हें वापस रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी कि क्या परिणाम प्राप्त किए गए थे ताकि माता-पिता, शिक्षक और समुदाय को पता होगा कि क्या उनके पैसे को समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है।

(i) यह अधिनियम इस बात को सीमित करता है कि स्कूल इस कोष में से प्रशासनिक लागतों पर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं और सुनिश्चित करता है कि स्कूल इस कोष को वेतन और लाभ में वृद्धि करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं।

(j) यह अधिनियम प्रारंभिक बचपन के शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तर को ऊपर उठा कर और इनमें हाज़िर होने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ा कर वंचित युवा बच्चों की स्कूल में और जीवन में सफल होने के लिए तैयारी करने में मदद करेगा।

(k) कैलिफोर्नीया के निवासियों के रूप में, हम सभी को हमारे स्कूलों और प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार की लागत में हिस्सा डालना चाहिए क्योंकि हम सभी को उन लाभों से फायदा होगा जो बेहतर स्कूल और एक अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राज्य में जीवन की गुणवत्ता में लाएंगे।

(*l*) हमारे स्कूलों और प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रम को वर्षों से कम धन लगाए जाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। और कटौतियों की अनुमति देने की बजाय, हमें हर बच्चे को सफल होने का अवसर प्रदान करने के लिए कोष में वृद्धि करने की ज़रूरत है। अगर हम सब एक साथ शामिल होकर हमारे सभी बच्चों और कक्षाओं के लिए और अधिक संसाधन भेजें, और हम सभी यह सुनिश्चित करने में भाग ले कि इस बारे में अच्छे फैसले लिए जाते हैं कि इस कोष को प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम एक बार फिर कैलिफोर्निया स्कूलों को शानदार बना सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था विकसित कर सकते हैं।

(m) यह उपाय बदलने वाले पैमाने पर आय कर में वृद्धि जो कि करदाताओं की भुगतान करने की क्षमता के साथ बदलता रहता है, जिसमें उच्चतम आय कमाने वाले सबसे अधिक योगदान देते हैं, के माध्यम से हमारे बच्चों में निवेश करने के लिए ज़रूरी पैसा इक्ट्ठा करता है।

(n) इस पहल के पहले चार वर्षों के दौरान, जैसा कि नीचे वर्णित है, धन का 60 प्रतिशत K–12 स्कूलों में जाएगा, 10 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा में जाएगा और 30 प्रतिशत राज्य के कर्ज को कम करने और दूसरी बजट में हानिकारक कटौती को रोकने में जाएगा जो नए शैक्षिक निवेश को कमजोर बना सकती हैं। पहल के शेष आठ सालों के लिए, 2017 से, धन का 100 प्रतिशत K–12 और प्रारंभिक शिक्षा के धन में वृद्धि करने के लिए लगाया जाएगा। राजस्व में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए और आवश्यक स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाओं में निरंतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए, कैलिफोर्निया प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय में वृद्धि दर से अधिक किसी भी राजस्व को सेवा में मदद करने और मौजूदा राज्य शिक्षा बांड ऋण का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे, जैसा ज़रूरी हो, स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए कैलिफोर्निया की नए बांड जारी करने की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(o) इस पहल से इक्ट्ठा किया गया सारे नए पैसे को एक अलग न्यास निधि में डाल दिया जाएगा जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, *केवल* स्थानीय स्कूलों के लिए, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए, और सेवा में मदद करने और स्कूल बांड ऋण को खत्म करने के लिए खर्च किया जा सकता है। विधायक मंडल और राज्यपाल और किसी भी अन्य चीज़ के लिए इस पैसे का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे प्रति छात्र आवंटन प्रणाली को बदल सकेंगे जो सुनिश्चित करती है कि पैसा निष्पक्ष ढंग से प्रत्येक स्थानीय स्कूल तक पहुँचे।

(p) इस पहल में कठिन, प्रभावी जवाबदेही के प्रावधान शामिल हैं जो निरीक्षण, अंकेक्षण और सार्वजनिक प्रकटीकरण की मांग करते हैं। पहली बार, हमारे पास पारदर्शी स्कूल के स्थान के लिए बजट होगा और पता होगा कि हर स्कूल में हमारे पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है। कोई को व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम के आवंटन या वितरण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, एक बड़े अपराध का दोषी होगा।

(q) यह पहल 12 साल के बाद कर को खत्म करके जवाबदेही की एक अतिरिक्त परत में बनाता, जब तक कि इसे मतदाताओं द्वारा फिर से मंजूरी नहीं दे दी जाती है। इससे हमारे स्कूलों को यह दिखाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है कि नए कोष में वास्तव में शैक्षिक परिणामों में सुधार किया है, और साथ ही अगर मतदाता तय करते हैं वे इसे नहीं रखना चाहते हैं तो कर को बंद करके करदाताओं की रक्षा करता है।

(r) यह पहल ऐसे समय पर प्रभाव में आएगी जब कैलिफोर्निया अपने इतिहास की सबसे खराब आर्थिक गिरावट के साथ संघर्ष कर रहा है। यदि पहल को तुरंत पूरी तरह से लागू कर दिया जाता और हमारे राज्य के बजट घाटे को बंद करने में मदद के लिए कुछ न किया जाता, तो बजट में चरम कटौतियों को जारी रखने से हमारे स्कूल और बच्चे उस समर्थन से वंचित हो जाएंगे जिसनी उन्हें इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शिक्षा निवेश का पूरा फायदा उठाने के लिए ज़रूरत है। इसलिए, इस पहल के दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चार वित्तीय वर्षों के लिए, 2016–17 के अंत तक, कोष का 30 प्रतिशत—लगभग $3 बिलियन—राज्य स्कूल बाँड और

अन्य बांड ऋण की सर्विस करने और इस समाप्त करने में जाएगा, जिससे बच्चों और परिवारों और उन समुदायों जिनमें वे रहते हैं, के समग्र कल्याण के लिए ज़रूरी अन्य बजट ज़रूरों को पूरा करने के लिए इसके बराबर की राशि खाली हो जाएगी। 2017–18 वित्तीय वर्ष में शुरू करते हुए, इस पहल को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, और कोष का 100 प्रतिशत नया पैसा होगा, जो प्रस्ताव 98 या K–12 शिक्षा या प्रारंभिक बचपन के कार्यक्रमों के लिए किसी अन्य मौजूदा वित्त पोषण की जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का परिणाम यह होगा कि, तुरंत शुरू करते हुए, 70 प्रतिशत धन को स्कूलों और प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए धन में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाएगा जैसा कि इस अधिनियम के द्वारा जरूरी है, और चार साल बाद, पूरा धन—100 प्रतिशत—हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए हमारे दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य के लिए खर्च किया जाएगा।

खंड 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

कैलिफोर्निया के राज्य के लोग यह घोषित करते हैं कि इस अधिनियम का निम्नलिखित का इरादा है:

(a) अकादमिक प्रदर्शन, पास होने की दरों, और व्यावसायिक, कॉलेज, कैरियर, और जीवन तत्परता में सुधार के लिए प्रति छात्र धन में वृद्धि द्वारा, चार्टर स्कूलों सहित, कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों को मजबूत बनाना और समर्थन देना।

(b) वित्त पोषण के बहाल करने, गुणवत्ता में सुधार लाने, और वंचित और जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच का विस्तार करने के द्वारा कैलिफोर्निया के बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाना और समर्थन देना।

(c) इस बारे में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता, और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना कि सार्वजनिक शिक्षा धन को कैसे खर्च किया जाता है।

(d) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न राजस्व स्कूलों में K–12 शैक्षिक गतिविधियों के लिए; वंचित बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा में विस्तार करने और इसे मज़बूत बनाने के लिए; और, सीमित हद तक और विशेष रूप से इस अधिनियम के द्वारा अनुमति दी गई सीमित परिस्थितियों में, राज्य के समग्र वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए और वर्तमान राज्य शिक्षा बांड ऋण के बोझ को कम करके शैक्षिक सुविधाओं में पर्याप्त भविष्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(e) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न राजस्व K–12 शिक्षा या प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए मौजूदा राज्य वित्त पोषण को हटाना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(f) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायकमंडल इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न राजस्व से उधार नहीं ले सकता है या इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं मोड़ सकता है, और न ही स्थानीय स्कूल समुदायों को निर्देश दे सकता है कि इस धन को कैसे खर्च किया जाएगा।

खंड 4. अध्याय 9.7 (धारा 14800 से आरंभ) को शिक्षा संहिता के शीर्षक 1 की श्रेणी 1 में जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

भाग 9.7. हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम

14800. इस भाग को "हमारे बच्चे, हमारे भविष्य: स्थानीय स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम" के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

14800.5. इस भाग, और शीर्षक 1 की श्रेणी 1 के भाग 6 के अध्याय 1.8 (धारा 8160 से शुरू करते हुए) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(a) "स्थानीय शिक्षा एजेंसी" या "LEA" में स्कूली जिले, शिक्षा के काउंटी कार्यालय, स्वतंत्र सार्वजनिक चार्टर स्कूलों के संचालन बोर्ड, और बहरों के लिए कैलिफोर्निया स्कूल और अनेत्रहीनों के लिए कैलिफोर्निया स्कूल सहित राज्य द्वारा प्रदान की जाती प्रत्यक्ष अनुदेशात्मक सेवाओं के संचालक निकाय शामिल हैं।

(b) "K–12-स्कूल" या "स्कूल" का अर्थ है कोई भी पब्लिक स्कूल, जिसमें सीमा के बिना कोई भी चार्टर स्कूल, काउंटी स्कूल, या विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूल शामिल है, जो किंडगार्टन से लेकर 12 तक किसी भी ग्रेड में विद्यार्थियों को वार्षिक रूप से दाखिल करते हैं, और प्रत्यक्ष पढ़ाई सेवाएं प्रदान करते हैं जो कि किसी भी LEA के संचालन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। इस हिस्से में शब्द "किंडरगार्टन" में परिवर्तनशील किंडरगार्टन शामिल हैं।

(c) "प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा" या "ECE" का अर्थ है प्रीस्कूल और अन्य कार्यक्रम जो जन्म से लेकर किंडरगार्टन की योग्यता तक बच्चों की देखभाल करने और उनकी शिक्षा को आगे लेजाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनें बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने वाले कार्यक्रम और माता पिता और देखभाल करने वालों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा क्षमता में सुधार लाने, ताकि वे बच्चों की बेहतर ढंग से सेवा कर सकें, वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

(d) 2013–14 स्कूल वर्ष के लिए, किसी स्कूल के "दाखले" का अर्थ है 2012–13 स्कूल वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई अक्टूबर दाखिला आंकड़ों में, पिछले तीन स्कूल वर्षों में इसके अक्टूबर दाखिला आंकड़े में औसत प्रतिशत वृद्धि या कमी के द्वारा कमी या वृद्धि। बाद के सभी वर्षों के लिए, किसी स्कूल के "दाखले" का अर्थ है पिछले स्कूल वर्ष के लिए औसत मासिक सक्रिय दाखले जिसनी धारा 46305 के अनुसार गणना की गई है यदि धारा 46305 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, या पिछले स्कूल वर्ष के लिए अक्टूबर दाखले में पिछले तीन स्कूल वर्षों के दौरान इन दाखिल आंकड़ों में हुई औसत प्रतिशत वृद्धि या कमी के द्वारा कमी या वृद्धि। प्रत्येक LEA का दाखिल उस LEA के क्षेत्राधिकार के तहत सभी स्कूलों में दाखिले का योग होगा। राज्यव्यापी दाखिला सभी LEA के दाखिलों का योग होगा।

(e) "शैक्षिक कार्यक्रम" का अर्थ है किसी K–12 स्कूल के स्थान पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए व्यय, जिसे स्कूल पर अधिकार के साथ किसी LEA के संचालक बोर्ड ने, विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन, स्नातक दरों, और व्यावसायिक, कैरियर, कॉलेज, और जीवन तत्परता के सुधार लाने के लिए किसी सार्वजनिक सुनवाई में मंजूरी दी हो:

(1) कला, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वित्तीय साक्षरता, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं, और तकनीकी, व्यावसायिक, या कैरियर शिक्षा में पढ़ाई।

(2) छोटे आकार की क्लासें।

(3) स्कूल की जगह पर अधिक काउंसलर, पुस्तकालय, स्कूल नर्सें, और अन्य सहयोगी स्टाफ।

(4) स्कूल के लंबे दिनों या स्कूल के लंबे सालों, गर्मियों में स्कूल, प्रीस्कूल, स्कूल के बाद संवर्धन कार्यक्रमों, और ट्यूटरिंग के माध्यम से पढ़ाई का विस्तारित समय।

(5) अंग्रेजी भाषा सीखने वालों, कम आय वाले विद्यार्थियों, और विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सामाजिक और अकादमिक सहायता।

(6) वैकल्पिक शिक्षा मॉडल जो महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता के लिए विद्यार्थियों की क्षमता का निर्माण करते हैं।

(7) सफल होने में सभी बच्चों की मदद करने में स्कूलों के साथ सच्ची भागीदार के रूप में माता-पिता के साथ संचार और जुड़ाव।

(f) "CETF फंड" का मतलब है वे राजस्व जो राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1 के अनुसार कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड में जमा है, उनके प्रारंभिक आवंटन के फैसला होने तक उस फंड पर अर्जित सारे ब्याज और उनके

प्रारंभिक आवंटन के फैसला होने तक फिर से हासिल किए गए धन पर कमाया गया सारा ब्याज।

(g) "सुपरिनटेनडेंट" का अर्थ है पब्लिक इंस्ट्रक्शन का सुपरिनटेनडेंट।

14801. (a) एतद्द्वारा कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड (CETF) को राज्य के खजाना में बनाया जाता है। CETF के धन विश्वास में प्रतिधारित किए जाते हैं, और सरकारी संहिता की धारा 13340 के बावजूद वित्तीय साल के संबंध में अनुभाग में उल्लिखित विशेष प्रयोजनों के लिए विनियोजित किए जाते हैं।

(b) कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से या इस में स्थानांतरित और आवंटित CETF फ़ंड में कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XIII B के प्रयोजनों के लिए सीमा के अधीन स्वायत्तीकरण शामिल नहीं होगा। CETF फ़ंड ट्रस्ट के पास केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं और उन्हें जनरल कोष राजस्व या करों की आय नहीं समझा जाएगा, और इस प्रकार अनुच्छेद XVI की धारा 8 के द्वारा आवश्यक गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, और न ही अनुच्छेद IV की धारा 12 या अनुच्छेद XVI की धारा 20 के प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे।

(c) CETF फ़ंड को विशेष रूप से इस अधिनियम में उल्लिखित किए अनुसार आवंटित और इस्तेमाल किया जाएगा प्रशासनिक लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जो विशेष रूप से अधिनियम के द्वारा अधिकृत किया गया है। कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, CETF फ़ंड किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी भी समय पर जनरल फंड या किसी भी अन्य फंड, व्यक्ति, या इकाई को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा या उधार नहीं दिया जाएगा सिवाय उसके जिसकी धारा 14813 में स्पष्ट अनुमति दी गई है।

(d) CETF से LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित CETF फंड 1 नवंबर, 2012 को सार्वजनिक K–12 स्कूलों और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध राज्य, स्थानीय और संघीय फंड में जोड़ जाएगा, और इसे प्रति व्यक्ति राज्य, स्थानीय, या संघीय वित्त पोषण का स्तर को हटाने जो कि उस तारीख को इन उद्देश्यों के लिए स्थापित थे, जीवन यापन की लागत में परिवर्तन के लिए सही किए गए थे और, संघीय कोष के संदर्भ में, संघीय फ़ंड की उपलब्धता में किसी भी समग्र गिरावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। K–12 शिक्षा प्रणाली और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के समर्थन के लिए CETF के अलावा अन्य निधियों से विनियोजित राशियां, भले ही संवैधानिक रूप से अनिवार्य हों या अन्यथा, इस अधिनियम के अनुसार आवंटित धन के परिणाम के रूप में कम नहीं की जाएंगी।

14802. (a) वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड एतद्द्वारा और सभी CETF फंडों का वितरण और प्रयोग में निरीक्षण और जवाबदेही उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। बोर्ड के सदस्य कंट्रोलर, राज्य लेखा परीक्षक, कोषाध्यक्ष, अटार्नी जनरल, और वित्त निदेशक हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि CETF फ़ंड को बिल्कुल उसी तरह से वितरित किया जाता है जैसे इस भाग द्वारा प्रदान किया गया है और केवल इस भाग में निश्चित किए गए प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड के प्रशासन में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, कंट्रोलर, और सुपरिनटेनडेंट द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागतों का भुगतान CETF फंड के द्वारा किया जाएगा; बशर्ते, तथापि, इस तरह की लागत किसी भी तीन साल की अवधि के दौरान फंड में एकत्र पूरे राजस्व के 1 प्रतिशत के तीन-दसवें भाग, वार्षिक रूप से 1 प्रतिशत के दस में से एक भाग की औसत से अधिक नहीं हो सकता। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत का 30 प्रतिशत धारा 14802.1 के अनुसार प्रदान किए गए अस्थायी समर्थन कोष से काट लिया जाएगा, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत का 60 प्रतिशत धारा 14803 के अनुसार K–12 के लिए अलग से रखे गए फंडों में से काट लिया जाएगा, और इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत का 10 प्रतिशत धारा 14803 के अनुसार ECE के लिए अलग रखी गई राशि से काट लिया जाएगा। उसके बाद, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत लागत के 85 प्रतिशत K–12 के लिए अलग से रखे गए धन से काट लिया जाएगा, और 15 प्रतिशत धन धारा 14803 के अनुसार ECE के लिए अलग रखे गए फ़ंड से काट लिया जाएगा।

(c) वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड आपातकालीन विनियमों सहित ऐसे नियमों को अपना सकता है, जो इस अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

14802.1. (a) 2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, कंट्रोलर CETF फ़ंड का 30 प्रतिशत इस खंड में प्रदान किए अनुसार और शेष धाराएं 14803, 14804, 14805, 14806, और 14807 के अनुसार आवंटित करेगा। उसके बाद, सभी CETF फ़ंड को धाराएं 14803, 14804, 14805, 14806, और 14807 अनुसार आवंटित किआ जाएगा।

(b) 2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, धारा 14803 में इस्तेमाल किए गए अनुसार शब्द "CETF फंड" का अर्थ होगा CETF धन का 70 प्रतिशत जो धाराएं 14803, 14804, 14805, 14806 और 14808 के अनुसार में आवंटित किया जाता है और शब्द "अस्थायी समर्थन धन" का अर्थ होगा CETF धन का 30 प्रतिशत जो इस खंड के अनुसार आवंटित किया जाता है।

(c) 2016–17 वित्तीय वर्ष के अंत तक, एक त्रैमासिक आधार पर, कंट्रोलर वारंट तैयार करेगा और अस्थायी समर्थन फंड को धारा 14813 द्वारा, उस धारा के अनुसार आवंडित किए जाने के लिए, स्थापित शिक्षा ऋण सेवा फंड को वितरित करेगा।

14803. (a) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के बाद पहले दो पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान, कंट्रोलर CETF फंड के 85 प्रतिशत को K–12 स्कूलों के लिए स्थानीय शिक्षा एजेंसियों को आवंटित करने के लिए, और CETF फंड के 15 प्रतिशत को इस अधिनियम में दी गई राशियों में और ढंग से, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों के प्रावधान हेतु सुपरिनटेनडेंट को आवंटित करने के लिए अलग रख देगा। ये फंड, धारा 14802 की उपश्रेणी (b) के अनुसार वास्तविक लागत को घटा कर, धारा 14804 के तरह "उपलब्ध राजस्व" माना जाएगा।

(b) स्थिरता प्रदान करने और फंड प्रदान करने में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के बाद पहले दो पूर्ण वित्त वर्षों के बाद CETF धन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित अनुसार वितरित किया जाएगा:

(1) (A) 2015–16 वित्तीय वर्ष के साथ शुरू करते हुए और 2017–18 वित्तीय वर्ष के अलावा प्रत्येक एक वित्तीय वर्ष को छोड़ कर, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड औसत दर तय करेगा जिस पर पिछले पांच साल के दौरान कैलिफोर्निया व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय बढ़ी है और वृद्धि की उस प्रतिशत दर को उन CETF फंडों पर लागू करेगा जो अभी-अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित किए गए थे।

(B) केवल 2017–18 वित्तीय वर्ष के लिए, धारा 14802.1 की उपश्रेणी (a) के दावारा प्रदान किए गए अस्थायी समर्थन कोष से K–12 स्कूलों और ECE कार्यक्रमों की पूर्ण वित्तपोषण में परिवर्तन करने के लिए, वित्त वर्ष की शुरुआत में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड औसत दर निर्धारित करेगा जिस पर पिछले पांच साल के दौरान कैलिफोर्निया व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय बढ़ी है और वृद्धि की उस प्रतिशत दर को उन CETF फंडों की राशि को 1.429 से गुणा करके लागू करेगा जो अभी-अभी समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित किए गए थे।

(2) पैरा (1) के अनुसार निर्धारित राशि, से धारा 14802 की उपश्रेणी (b) के अनुसार वास्तविक लागत को घटा कर, धारा 14804 के तरह "उपलब्ध राजस्व"

माना जाएगा और उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में तिमाही आधार पर LEAs और सुपरिनटेनडेंट को आवंटित किए जाने के लिए उपलब्ध होगा।

(c) जो CETF फ़ंड उपलब्ध राजस्व से अधिक हो जाता है उसे धारा 14813 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में आवंटित किया जाएगा।

(d) LEAs को आवंटित किया गया सारा CETF फंड LEAs द्वारा मिलने के एक साल के भीतर खर्च किया जाएगा, बशर्ते, तथापि, कि LEAs इन धन का अधिकतम 10 प्रतिशत अगले स्कूल वर्ष में खर्च करने के लिए ले जा सकती हैं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड किसी भी मूल एक साल की अवधि के भीतर खर्च नहीं किया गया और आगे लेजाया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया कोई भी धन वापिस ले लेगा। वापिस प्राप्त किया गया सारे धन को उपलब्ध राजस्व समझा जाएगा, अन्य उपलब्ध राजस्व के साथ मिला दिया जाएगा, और धारा 14804 के अनुसार में पुनः आवंटित किया जाएगा।

14804. (a) एक त्रैमासिक आधार पर, कंट्रोलर वारंट निकालेगा और उपलब्ध राजस्व के 15 प्रतिशत को भाग 6 के अध्याय 1.8 (धारा 8160 से शुरू करते हुए) मे दिए गए तरीके से और राशियों में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रमों और समर्थ के प्रावधानों के लिए सुपरिनटेनडेंट को आवंटित करेगा।

(b) एक त्रैमासिक आधार पर, कंट्रोलर वारंट निकालेगा और उपलब्ध राजस्व के 85 प्रतिशत को LEAs को आवंटित करेगा, जो धारा 14805 से 14807 सम्मिलित के अनुसार कंट्रोलर द्वारा गणना की गई राशियों में, प्रत्येक LEA के अधिकार क्षेत् के अंदर प्रत्येक K–12 पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित है।

(c) यह धारा, और धारापें 14802.1, 14803, 14805, 14806, और 14807, स्व-क्रियान्वित हैं और इनके लिए किसी विधायी कार्रवाई के प्रभावी होने की आवश्यकता नहीं है। CETF फ़ंड और अस्थायी समर्थन फंड के वितरण में कोई देरी नहीं होगी या यह अन्यथा कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद IV की धारा 12 के अनुसार वार्षिक बजट विधेयक अधिनियमित करने में विधानमंडल और गवर्नर की असफलता से, और न ही गवर्नर या विधानमंडल की किसी भी कार्रवाई या निष्क्रियता से प्रभावित नहीं होगा।

14805. धारा 14804 की उपश्रेणी (b) के तहत LEAs को त्रैमासिक वितरण के लिए आवंटित उपलब्ध राजस्व में से कंट्रोलर 70 प्रतिशत को प्रति छात्र शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान के रूप में वितरित करेगा। प्रत्येक LEA को वितरित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम अनुदानों की संख्या और आकार और LEA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक K–12 के लिए निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान की संख्या और आकार, निम्नलिखित अनुसार होंगे:

(a) कंट्रोरल निम्नलिखित तीन ग्रेड स्तर के समूहों में से प्रत्येक के लिए एकसमान, राज्यव्यापी प्रति छात्र अनुदान स्थापित करेगा: किडरकार्टन से लेकर ग्रेड 3, सम्मिलित ("K–3 अनुदान"), ग्रेड 4 से ग्रेड 8, सम्मिलित ("4–8 अनुदान"), और ग्रेड 9 से ग्रेड 12, सम्मिलित ("9–12 अनुदान")।

(b) ये एकसमान अनुदान तीन ग्रेड स्तर के समूहों में से प्रत्येक में कुल राज्यव्यापी दाखिलों पर आधारित होंगे। प्रति छात्र 4–8 अनुदान की राशि प्रति छात्र K–3 अनुदान की राशि का 120 प्रतिशत होगी, और प्रति छात्र 9–12 अनुदान की राशि प्रति छात्र K–3 अनुदान की राशि का 140 प्रतिशत होगी।

(c) प्रत्येक LEA को उसी संख्या में K-3 अनुदान जो इसने किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 3 तक, सम्मिलित, दाखिल किए हैं, उसी संख्या में 4–8 अनुदान जो इसने ग्रेड 4 से ग्रेड 8, सम्मिलित, में दाखिल किए हैं, और उसी संख्या में 9–12 अनुदान जो इसने ग्रेड 9 से ग्रेड 12, सम्मिलित, में दाखिल किए हैं, प्राप्त होंगे।

(d) इन प्रति-छात्र अनुदानों में से प्रत्येक विशेष स्कूल K–12 के लिए निर्धारित होगा जिसका दाखिला उस अनुदान के लिए LEA की योग्यता को बढ़ाता है।

(e) उपश्रेणियों (a) और (b) में प्रदान किए गए ग्रेड स्तर समायोजन एकमात्र परिवर्तन होंगे जिनकी सभी K–12 स्कूलों को उनके दाखिलों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम के लिए फंड के समान प्रति-छात्र वितरण में अनुमति है।

14806. धारा 14804 की उपश्रेणी (b) के तहत LEAs को त्रैमासिक वितरण के लिए आवंटित उपलब्ध राजस्व में से कंट्रोलर 18 प्रतिशत को निम्न आय प्रति छात्र अनुदान के रूप में वितरित करेगा। प्रत्येक LEA को वितरित किए जाने वाले निम्न आय प्रति छात्र अनुदान की संख्या और आकार और योग्य LEA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक K–12 के लिए निर्धारित निम्न आय प्रति छात्र अनुदान की संख्या और आकार, निम्नलिखित अनुसार होंगे:

(a) उन सभी K–12 स्कूलों में कुल राज्यव्यापी दाखिले के आधार पर जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा स्थापित आय पात्रता दिशा निर्देशों के तहत 1966 के संघीय रिचर्ड बी. रसेल राष्ट्रीय स्कूल दोपहर के भोजन के अधिनियम ("नि:शुल्क भोजन के लिए पात्र विद्यार्थी") लो लागू करने के लिए मुफ्त भोजन के लिए योग्य के रूप में पहचाना गया है, कंट्रोलर इन कम आय वाले छात्रों ("कम आय प्रति छात्र अनुदान") के लिए अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने हेतु, एक-समान, राज्यव्यापी प्रति छात्र अनुदान स्थापित करेगा।

(b) प्रत्येक LEA को उसी संख्या में कम आय प्रति छात्र अनुदान प्राप्त होगा जितने इसके पास मुफ्त भोजन के पात्र छात्र हैं।

(c) इन कम आय प्रति छात्र अनुदानों में से प्रत्येक विशेष स्कूल K–12 के लिए निर्धारित होगा जिसका मुफ्त भोजन के पात्र छात्र का दाखिला उस अनुदान के लिए LEA की योग्यता को बढ़ाता है।

14807. धारा 14804 की उपश्रेणी (b) के तहत LEAs को त्रैमासिक वितरण के लिए आवंटित उपलब्ध राजस्व में से कंट्रोलर 12 प्रतिशत को प्रति छात्र के आधार पर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और शिक्षण सामग्री अनुदान के लिए वितरित करेगा। प्रत्येक LEA को वितरित किए जाने वाले इन अनुदानों की संख्या और आकार और LEA के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक K–12 के लिए निर्धारित अनुदान की संख्या और आकार, निम्नलिखित अनुसार होंगे:

(a) सभी K–12 स्कूलों के लिए कुल राज्यव्यापी नामांकन के आधार पर, नियंत्रक K–12 स्कूलों के स्टाफ के लिए बढ़े हुए शिक्षण कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी और शिक्षण सामग्री में सहायता करने के लिए (प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, और शिक्षण सामग्री अनुदान "या" 3T "अनुदान") एकसमान, राज्यव्यापी प्रति छात्र अनुदान स्थापित करेगा।

(b) प्रत्येक LEA को उसी संख्या में 3T अनुदान प्राप्त होंगे, जितने LEA के दाखिले के आधार पर, इसके पास छात्र हैं।

(c) इन प्रति-छात्र 3T अनुदानों में से प्रत्येक विशेष स्कूल K–12 के लिए निर्धारित होगा जिसका दाखिला उस अनुदान के लिए LEA की योग्यता को बढ़ाता है।

14808. (a) उपश्रेणी (c) के पैराग्राफ (2) में प्रदत्त सीमित अपवादों के साथ, LEAs को धाराएं 14805, 14806, और 14807 के अनुसार प्राप्त हुए फंड उन विशेष K–12 स्कूलों पर खर्च किए जाएंगे या दिए जाएंगे जिनके लिए वे धारा 14805 की उपश्रेणी (d), धारा 14806 की उपश्रेणी (c) और धारा 14807 की उपश्रेणी (c) के अनुसार क्रमवार निर्धारित किपे गए थे, और केवल इस धारा के द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

(b) शैक्षिक कार्यक्रम और कम आय वाले छात्रों के लिए अनुदान को शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए या, किसी भी स्कूल के 3T अनुदानों के एक 200 प्रतिशत तक, किसी 3T अनुदान के लिए अनुमति किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 3T अनुदान केवल नवीनतम शिक्षण सामग्री और प्रौद्योगिकी के लिए और स्कूल स्टाफ के कौशलों को इस ढंग से मजबूत बनाने के लिए खर्च किया जाएगा कि जिससे छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन, स्नातक दरों, और व्यावसायिक, कैरियर, कॉलेज, और जीवन तत्परता में सुधार हो।

(c) (1) उसके अलावा जैसा कि विशेष रूप से पैराग्राफ (2) में प्रावदान दिया गया है, धाराएं 14805 से 14807, सम्मिलित, के अनुसार प्रापत हुए पूरे फंड को K–12 स्कूलों में सेवाओं या सामग्री के प्रत्यक्ष प्रावधान के लिए ही खर्च किया जाएगा और किन्हीं भी ऐसी सेवाओं या सामग्री पर खर्च नहीं किया जाएगा को बौतिक रूप से स्कूल या इसके छात्रों को नहीं दी जाती हैं; न हीं किसी भी ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों पर खर्च किया जाएगा जो अपने वेतन प्राप्त करने वाले समय का कम से कम 90 प्रतिशत स्कूल में या स्कूल के छात्रों के साथ नहीं बिताते हैं; न ही किसी भी कर्मचारी पर सिवाय उस समय को कवर करने के लिए जब कर्मचारी बौतिक रूप में स्कूल में या स्कूल के छात्रों के साथ मौजूद रहते हैं; न ही LEA द्वारा खर्च किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रशासनिक लागतों के लिए खर्च किया जाएगा।

(2) (A) प्रत्येक LEA के संचालक बोर्ड, इसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रति-छात्र अनुदान से समान प्रतिशत के आधार पर, इस भाग की सार्वजनिक बैठक, लेखा परीक्षा, बजट और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में अपनी वास्तविक लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त राशि रोक सकता है। ऐसे प्रयोजनों के लिए रोके गए फंड किसी भी दो साल की अवधि में प्राप्त कुल अनुदान के 2 प्रतिशत, प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की एक औसत से अधिक नहीं होंगे।

(B) स्कूल के स्टाफ के सदस्यों के लिए विशेष रूप से स्कूल में या स्कूल के छात्रों को सेवाएं प्रदान करने में उनके कौशलों में सुधार करने के लिए स्कूल से बाहर प्रदान किए गए कौशल सुधार कार्यक्रमों की लागतों को इन प्रति छात्र अनुदान द्वारा कवर किया जा सकता है, जब ऐसी सेवाओं का स्कूल से बाहर प्रावधान स्कूल के अंदर की व्यवस्था से लागत कुशल हों।

(d) किसी भी CETF फंड को किसी भी कर्मचारियों या कर्मचारियों की श्रेणी के लिए वेतन और लाभों को उस वेतन और लाभों से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो कि 1 नवंबर, 2012 को उन कर्मचारियों या कर्मचारियों की श्रेणी के लिए स्थापित था; बशर्ते, तथापि, कि इस अधिनियम के द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित पद CETF फंड से संचालक बोर्ड द्वारा अपनाई गई बढ़ोतरियों और स्कूल में अन्य समान कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जाती बढ़ोतरियों के बराबर, उनकी आंशिक या पूर्ण समय स्थिति के लिए आनुपातिक आधार पर वेतन और लाभ में बढोतरी प्राप्त कर सकते हैं।

14809. LEAs को CETF फंड के प्रत्येक तिमाही आबंटन के बाद 30 दिन के अंदर, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड फंड प्राप्त करने वालीं प्रत्येक LEA और धाराओं 14805, 14806, और 14807 में से प्रत्येक के अंतर्गत उस LEA के अंदर प्रत्येक स्कूल के लिए निर्धारित फंड की राशि की सूची तैयार करेगा। बोर्ड इस सूची को ऑनलाइन किसी उपयुक्त स्थान पर प्रकाशित करेगा, और सुपरिनडेनटेनडेंट, सुपरिनडेनटेनडेंट की इंटरनेट वेब साइट के मुख्य पृष्ठ पर एक प्रमुख स्थान पर ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए एक कड़ी प्रकाशित करेगा।

14810. LEA के संचालक बोर्ड, जिसके पास स्कूल पर परिचालन क्षेत्राधिकार है, के अलावा, न तो विधानमंडल और न ही गवर्नर, न ही कोई अन्य राज्य या स्थानीय सरकारी संस्था निर्देश देगी कि उस स्कूल में CETF फंडों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक LEA के संचालक बोर्ड के पास उस फैसले पर पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर, तथापि, निम्नलिखित लागू होता है:

(a) प्रत्येक वर्ष संचालक बोर्ड, व्यक्तिगत रूप से या उपयुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्कूल में या इसके नज़दीक स्कूल के माता-पिता, शिक्षकों, प्रशासकों, अन्य स्कूल स्टाफ और छात्रों, जैसा उपयुक्त हो ("स्कूल समुदाय"), के साथ एक खुली सार्वजनिक बैठक में इस बारे में मांगेगा कि स्कूल में CETF फंड को कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाएगा।

(b) उस बैठक के बाद, LEA या उसके उचित प्रतिनिधि स्कूल में या इसके नज़दीक, एक दूसरी खुली सार्वजनिक बैठक में CETF फंड का उपयोग करने के बारे में लिखित सिफारिश की पेशकश करेगा, जहां स्कूल समुदाय को LEA की सिफारिश पर प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया जाता है।

(c) संचालक बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि, CETF धन के उपयोग के संबंध में फ़ैसला लेने की प्रक्रिया के दौरान, स्कूल समुदाय के सभी सदस्यों को लिखित में या ऑनलाइन राय देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(d) जिस समय यह प्रत्येक वर्ष धन के उपयोग के बारे में अपने निर्णय लेता है, संचालक बोर्ड सार्वजनिक रूप से और ऑनलाइन, इस बात की व्याख्या करेगा कि इसके CETF धन के प्रस्तावित खर्च से शैक्षिक परिणामों में कैसे सुधार होगा और बोर्ड कैसे निर्धारण करेगा कि क्या वे सुधरे हुए परिणाम प्राप्त कर लिए गए हैं।

14811. (a) कोई भी CETF फंड प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में, प्रत्येक LEA उस पैसे की प्राप्ति और खर्च के लिए एक अलग खाता स्थापित करेगी, जिस खाते को स्पष्ट रूप से कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड खाते के रूप में पहचाना जाएगा। प्रत्येक LEA उस खाते में धन का आवंटन और खर्च केवल धाराएं 14805 से 14808 सम्मिलित, के अनुसार करेगी।

(b) स्कूली जिलों के लिए आवश्यक स्वतंत्र वित्तीय और अनुपालन लेखा परीक्षा, कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं के अलावा, पता करेगा और सत्यापित करेगा कि CETF फंड को सही ढंग से वितरित किया गया और खर्च किया गया है जैसा कि इस भाग के द्वारा आवश्यक है। इस आवश्यकता को स्कूल जिलों के लिए लेखा परीक्षा मार्गदर्शन आवश्यकताओं को जोड़ा जाएगा और लेखा परीक्षा रिपोर्टों का हिस्सा होगा जिन्हें सालाना आधार पर धारा 14504 के अनुसार कंट्रोलर द्वारा समीक्षा और निगरानी की जाएगी।

(c) LEAs सालाना आधार पर प्रत्येक स्कूल वर्ष के समाप्त होने के बाद 60 दिनों के भीतर, इस बारे में एक स्पष्ट और पारदर्शी की रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपनी इंटरनेट वेब साइटों पर प्रकाशित करेंगी कि उनके क्षेत्राधिकार के अंदर स्कूलों में से प्रत्येक में CETF धन को वास्तव में कैसे खर्च किया गया था, उस खर्च के क्या लक्ष्य थे जो धारा 14810 के तहत स्कूल समुदाय को बताए गए थे, और उनके द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किए गए थे। सुपरिनटेनडेंट LEAs द्वारा सभी ऐसी रिपोर्टें पोस्ट किए जाने के बाद दो सप्ताह के भीतर अपनी इंटरनेट वेब साइट पर एक लिंक प्रदान करेगा जो समुदाय के सदस्यों और शोधकर्ताओं को ऐसी सभी रिपोर्टों तक राज्यव्यापी पहु.च प्रदान करेगा।

14812. (a) 2012–13 स्कूल वर्ष के साथ शुरु करते हुए, CETF धन प्राप्त करने की एक शर्त के रूप में, इस अधिनियम के तहत धन प्राप्त करने वाली प्रत्येक LEA का संचालक बोर्ड LEA के अधिकार क्षेत्र के अंदर प्रत्येक स्कूल के लिए बजट तैयार करेगा और ऑनलाइन प्रकाशित करेगा जो उस स्कूल के लिए पिछले वित्तीय वर्ष से वास्तविक वित्त पोषण और खर्चों की चालू वित्त वर्ष के लिए उस स्कूल के लिए बजट बनाए गए वित्त पोषण और खर्चों के साथ तुलना करेगा। सुपरिनटेनडेंट की इंटरनेट वेब साइट एक लिंक प्रदान करेगी जो समुदाय के सदस्यों और शोधकर्ताओं को वर्तमान और 2012–13 स्कूल वर्ष तक पिछले वर्षों के लिए, ऐसे सभी बजट तक राज्यव्यापी पहुँच प्रदान करेगा। बजट स्कूल में खर्च किए जा रहे ऐसे पूरे फंड का स्रोत राशि दिखाएगा, जिसमें इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया फंड, और फंड की प्रत्येक स्रोत श्रेणी को कैसे खर्च किया जा रहा है, शामिल होगा लेकिन यह इस तक ही सीमित नहीं है। बजट एक एकसमान प्रारूप में होगा और सुपरिनटेडेंट के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। खर्चों की रिपोर्ट कुल मिला कर प्रति-छात्र और औसत शिक्षक वेतन के अनुसार, और साथ ही पढ़ाई, पढ़ाई में समर्थन, प्रशासन, रखरखाव, और अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों के अनुसार होगी। राज्य का शिक्षा विभाग मांग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि स्कूली जिले और स्कूल खर्च की उपयुक्त श्रेणी के अनुसार रिपोर्ट करें और एकसमान ढंग से स्कूल और स्कूली जिले के खर्चों में अंतर बताएं। बजट में कर्मचारियों की संख्या, जिसे संख्या, प्रकार, और कर्मचारियों की वरिष्ठता के द्वारा वर्णित किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति

की पहचान की जानकारी के बिना कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन और लाभ के आंकड़े भी शामिल होंगे। कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से पैसे प्राप्त कर रहा प्रत्येक K–12 स्कूल एक एकल स्कूल योजना में एक अलग खंड के रूप में इन फंडों को भी शामिल करेगा जो ठोस रूप से धारा 64001 की उपश्रेणियों (d), (f), और (h) की शर्तों को पूरा करती है।

(b) कैलिफोर्निया शिक्षा ट्रस्ट कोष से आवंटन छात्रों को उससे अतिरिक्त सहायता और कार्यक्रम उपलब्ध कराने के इरादे से होते हैं जो वर्तमान में अन्य राज्य, स्थानीय, और संघीय स्रोतों से प्रदान कि जाते हैं। 2013–14 वित्तीय वर्ष में शुरू करते हुए, LEAs को इस अधिनियम के तहत प्रदान किए जाते फंड के अलावा अन्य फंडों से, अपने स्कूलों में से प्रत्येक में प्रति छात्र खर्च को कम से कम 2012–13 वित्तीय वर्ष के प्रति छात्र खर्च, जीवनयापन की लागत में परिवर्तन के लिए समायोजित करते हुए, के बराबर बनाए रखने का हर उचित प्रयास करना चाहिए। इस उस स्कूल के लिए "प्रयास लक्ष्य का रखरखाव" के रूप में जाना जाएगा। उपश्रेणी (a) के द्वारा ज़रूरी स्कूल की साइट के एकसमान बजट में इस बारे में एक स्पष्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कि 2012–13 वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के तहत प्रदान किपे गए फंडों के अलावा फंड के सभी स्रोतों से उस स्कूल में प्रति-छात्र खर्च कितने थे, और यह इरादा कि वर्तमान स्कूल वर्ष के लिए ये खर्च क्या होंगे यदि स्कूल ने अपने प्रयास लक्ष्य के रखरखाव को वार्षिक रूप से पूरा किया था। यदि किसी भी वर्ष में कोई LEA अपने स्कूलों में से किसी के लिए भी प्रयास लक्ष्य के रखरखाव को पूरा नहीं कर पाती है, तो LEA व्याख्या करेगी कि उस स्कूल के लिए इसके सकूल की साइट के बजट में इसका कारण बताएगी और एक सार्वजनिक बैठक में उस व्याख्या पर चर्चा करेगी जो धारा 14810 के अनुसार स्कूल की साइट पर या इसके नज़दीक आयोजित की जाएगी। उस बैठक में, LEA से अधिकारी इस बात पर ध्यान देंगे कि उस विषेश स्कूल के लिए प्रयास लक्ष्य के रखरखाव को पूरा करना क्यों संभव नहीं है, और एजेंसी असफल स्कूल द्वारा लक्ष्य पूरा किए जाने के लिए क्या प्रस्ताव देती है, जिससे छात्र और उनके परिवारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न हो।

14813. (a) धारा 14802.1 के उपखंड (a) के अनुसार आवंटित फंड और CETF फंड, जो राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा उपलब्ध राजस्व और बोर्ड एवं नियंत्रक की वास्तविक प्रतिपूर्ति लागत से धारा 14803 के अनुसार अधिक निर्धारित किए जाते हैं, उनको आवंटित शिक्षा ऋण सेवा फंड के नियंत्रक द्वारा एक त्रैमासिक आधार पर हस्ताँतरित किया जाएगा, जो इसके द्वारा राज्य फंड में बनाया गया है। शिक्षा ऋण सेवा फंड के धन विश्वास में प्रतिधारित किए जाते हैं, और सरकारी संहिता की धारा 13340 के बावजूद वित्तीय साल के संबंध में अनुभाग में उल्लिखित विशेष प्रयोजनों के लिए विनियोजित किए जाते हैं।

(b) शिक्षा ऋण सेवा फंड में धन का पूरी तरह से इस्तेमाल बांड पर ऋण सेवा भुगतान करने, अनुवर्ती वित्तीय साल में परिपक्व होने वाले बांड्स को भुनाने या उनको डीफीज करने के लिए किया जाएगा, जो या तो (1) राज्य द्वारा निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, या प्री-किंडरगार्टन के प्रतिस्थापन के लिए विश्वविद्यालय स्कूल सुविधाओं के माध्यम से जारी किए गए थे, जिनमें स्कूल की सुविधाओं की साज-संवार करना और उनको तैयार करना, या स्कूल की ऐसी सुविधाओं के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना या पट्टे पर लेना शामिल है ("स्कूल बांड्स"), या (2) उपखंड के द्वारा अनुमन्य सीमित हद तक (c), राज्य द्वारा बच्चों के अस्पताल या अन्य सामान्य दायित्व बांड्स के लिए द्वारा जारी किए गए थे।

(c) शिक्षा ऋण सेवा फंड में हस्तांतरित धन से, वित्त निदेशक के निर्देशों के अनुसार स्कूल बांड, बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स का भुगतान करने या डीफीज स्कूल बाँड, बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स को भुनाने पर भुगतान करने के लिए सामान्य फंड में व्यय कटौती के रूप वर्तमान साल की ऋण सेवा की लागत की भरपाई करने के लिए आवश्यक राशि को अधीक्षक हस्ताँतरित करेंगे, बशर्ते, तथापि, शिक्षा ऋण सेवा फंड में से कोई भी धन वर्तमान साल की ऋण सेवा की लागत की भरपाई करने के लिए बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स का भुगतान करने या बच्चों के अस्पताल, या अन्य सामान्य दायित्व बाँड्स को भुनाने या डीफीज करने की लागत की भरपाई करने के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि वित्त निदेशक के निर्देशों पर नियंत्रक ने वर्तमान साल के लिए सभी बकाया स्कूल बांड पर ऋण सेवा भुगतान की प्रतिपूर्ति कर दे। इस प्रकार हस्तांतरित फंड कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित करों के सामान्य फंड का गठन नहीं करेगा, कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के प्रयोजनों के लिए।

14814. (a) प्रत्येक वित्तीय साल की समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने में, राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड के लिए एक निष्पक्ष लेखा-परीक्षण का आयोजन करेगा और विधायिका और गवर्नर को प्रस्तुत करेगा, और राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड की इंटरनेट वेब साइट पर संपूर्ण लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा के परिणामों के आसानी से समझ में आने वाले सारांश, दोनों के साथ प्रमुखता से पोस्ट करेगा, जिसकी रिपोर्ट के लिए लिंक अधीक्षक के मुख पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। रिपोर्ट में व्यक्तिगत कर में होने वाली वृद्धि से होने वाली समस्त आय, जिसको राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1के तहत स्थापित किया गया है, कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड की उन आयों के सभी हस्ताँतरण, उस वित्तीय साल में प्रत्येक LEA व उस LEA के क्षेत्राधिकार के भीतर प्रत्येक स्कूल कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड से प्राप्त धन राशि की एक सूची, और धारा 14811 के उपखंड (c) के द्वारा सभी LEA द्वारा वाँछित रिपोर्टों पर आधारित एक साराँश, जो उस पद्धति को प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक LEA अपने स्कूलों में धनराशि का इस्तेमाल कैसे करता है, का लेखांकन तथा LEA द्वारा अपेक्षित व प्राप्त किए गए परिणाम शामिल होंगे।

(b) राजकोषीय निरीक्षण बोर्ड के साथ परामर्श करके अधीक्षक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए आवश्यक जानकारी की एक समान रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रपत्र या प्रारूप तैयार करेंगे और प्रत्येक LEA और ECE प्रदाता को उपलब्ध कराएंगे।

(c) वार्षिक लेखा परीक्षण करने, आवश्यक रिपोर्टों को बनाने, उनका वितरण करने, और उनको संग्रहित करने की लागत का निर्धारण राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किया जाएगा ताकि इस अधिनियम के इरादे को पूरा करने को सुनिश्चित करते हुए धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह की लागतों को उन मदों में शामिल किया जाएगा जिनकी वास्तविक लागत का भुगतान CETF फंड द्वारा धारा 14802 के उपखंड (b) के अनुसार किया जा सकता है।

(d) वार्षिक लेखा परीक्षण को करने और उस पर रिपोर्टिंग करने के दौरान, स्वतंत्र लेखा परीक्षक अटॉर्नी जनरल और जनता को किसी भी संदिग्ध आवंटन या इस अधिनियम के उल्लंघन में धन के उपयोग की रिपोर्ट तुरंत करेंगे, चाहे वह राजकोषीय पर्यवेक्षण बोर्ड या उसके एजेंटों, या किसी भी अन्य LEA द्वारा किया गया हो।

(e) हर अधिकारी जिस पर धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806 और 14807 के अनुसार धन आवंटन या वितरण का प्रभार है, जो जान-बूझकर प्रत्येक LEA और प्रत्येक स्कूल के लिए धन का आवंटन करने या वितरण करने में प्रति छात्र के आधार पर निर्दिष्ट किए गए के अनुसार ऐसा करने में विफल रहता है, एक गंभीर अपराध का दोषी है, जो अटार्नी जनरल द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधीन है, या अगर वह तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो दंड संहिता की धारा 425 के उपखंड (b) के अनुसार किसी काउंटी के जिला अटॉर्नी द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधीन है। अटॉर्नी जनरल, या अगर अटॉर्नी जनरल कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो किसी काउंटी के जिला अटॉर्नी, शीघ्रता से जांच करेंगे और धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806, एवं 14807 के उल्लंघन में धन के किसी आवंटन या वितरण के लिए आपराधिक दंड और तत्काल न्यायिक राहत की माँग कर सकते हैं।

खंड 5. शिक्षा संहिता की धारा 46305 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

46305. प्रत्येक प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, और एकीकृत स्कूल जिला, *और प्रत्येक स्वतंत्र चार्टर स्कूल, शिक्षा का काउंटी कार्यालय, और सरकारी स्कूल,* शिक्षा विभाग को अन्य सभी आवश्यक उपस्थिति डेटा, प्रत्येक स्कूल माह के प्रत्येक तीसरे बुधवार को सक्रिय नामांकन और प्रत्येक स्कूल माह के प्रत्येक तीसरे बुधवार को वास्तविक उपस्थिति के अलावा द्वारा तैयार प्रारूपों पर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अधीक्षक को रिपोर्ट करेंगे, सिवाय जब यदि ऐसा दिन स्कूल की छुट्टी है, तो तत्काल पूर्ववर्ती स्कूल दिवस के सक्रिय नामांकन और वास्तविक उपस्थिति को सूचित किया जाएगा। किसी दिन "सक्रिय नामांकन" की गिनती का मतलब होता है उस स्कूल साल के पहले दिन जिस पर स्कूलों का सत्र चालू था, जिले के नियमत स्कूल दिनों में छात्रों का नामाँकन, और प्लस बाद के समस्त पंजीकरण कराने वाले माइनस ~~उस दिन के बाद से समस्त नाम वापस वाले~~ *छात्र जो स्कूल साल के पहले दिन या उस तुरंत अगले पूर्ववर्ती दिवस के बाद के पहले स्कूल दिवस जिसके लिए इस धारा के अनुसार गिनती की गई थी, जो भी कम हो, और जिस दिन गिनती की जा रही है, समावेशी, के बीच कम से कम एक दिन उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीक्षक, यथा आवश्यक, संग्रहण तिथियों या तरीकों को संशोधित कर सकते हैं ताकि इस धारा के कार्यान्वयन में किसी भी स्थानीय शैक्षिक एजेंसी के प्रशासनिक कर्तव्यों को कम किया जा सके।*

खंड 6. अध्याय 1.8 (धारा 8160 के साथ शुरू) को शिक्षा संहिता के शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 6 में जोड़ा गया है, ताकि इस प्रकार पढ़ा जा सके:

अध्याय 1.8. प्रारंभिक बाल्यावस्था गुणवत्ता सुधार एवं विस्तारण कार्यक्रम

अनुच्छेद 1. सामान्य प्रावधान

8160. निम्नलिखित परिभाषाएं इस पूरे अध्याय में लागू होंगी:

(a) शब्द "प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम" या "ECE कार्यक्रम" का मतलब जन्म से लेकर किंडरगार्टन तक पात्रता के लिए किसी भी राज्य वित्त पोषित या राज्य की छूट प्राप्त प्रीस्कूल, चाइल्ड केयर, या अन्य राज्य वित्त पोषित या राज्य की छूट प्राप्त बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम से है, जिनमें कैलिफोर्निया बाल एवं परिवार ट्रस्ट फंड से वित्तपोषित पूर्ण या आँशिक रूप से समर्थित कार्यक्रम शामिल हैं परंतु इन तक ही सीमित नहीं हैं। जहां ECE कार्यक्रम विशेष रूप से राज्य के धन से वित्त पोषित नहीं है, शब्द "ECE कार्यक्रम" का मतलब है कार्यक्रम का वह हिस्सा जो राज्य वित्त पोषित है।

(b) शब्द "ECE प्रदाता" या "प्रदाता" का मतलब है कोई व्यक्ति या एजेंसी जो कानूनी तौर पर किसी ECE कार्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत है।

(c) शब्द "टेक-अप दरें" का मतलब है वह डिग्री जिसके लिए ECE प्रदाता इस अध्याय के प्रावधानों के तहत कार्यक्रम वित्त पोषण के लिए आवेदन करता है और उनको स्वीकृति दी जाती है।

(d) शब्द "प्रतिपूर्ति दर" का मतलब है ECE प्रदाताओं द्वारा राज्य के फंड से पात्र परिवारों की ओर से ECE सेवाएं प्रदान करने में अपनी लागत की भरपाई के लिए प्राप्त किया जाने वाला प्रति बच्चा भुगतान।

(e) शब्द "ECE फंड" का मतलब है धाराओं 14803 और 14804 के अनुसार प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए आवंटित धन।

(f) शब्द "SAE फंड" का मतलब है धारा 8161 के उपखंड (b) के अनुसार ECE कार्यक्रमों को सशक्त करने और उनका विस्तार करने के लिए निर्धारित धनराशि।

(g) शब्द "उच्च जोखिम वाले बच्चे" का मतलब है वे बच्चे जो कम आय वाले परिवारों में जन्मे हैं, कम आय वाले परिवारों में पोषित हैं, या कम आय समूह के घरों से हैं और जो (1) पालक देखभाल में हैं या जिनको बच्चा सुरक्षा सेवाओं में भेज दिया गया है, (2) जो उन छोटे माता-पिताओं के बच्चे हैं जो खुद पालक देखभाल में हैं, या (3) जो अन्यथा उत्पीड़ित, उपेक्षित, या शोषित हैं, या जिनका संभवतः उत्पीड़न, उपेक्षा या शोषण किया जाने का खतरा है, जिसको आगे अधीक्षक द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

8161. इस्तेमाल किए जाने के लिए ECE फंड का सालाना आवंटन अधीक्षक को निम्न प्रकार किया जाएगा:

(a) ECE फंड का अधिकतम 23 प्रतिशत निम्न प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा:

(1) तीन सौ मिलियन डॉलर ($300,000,000) मौजूदा ECE कार्यक्रमों के लिए, वित्तीय साल 2009–10 से लेकर 2012–13 तक, समावेशी, ECE कार्यक्रम में की गई कटौती के लिए अनुपात में वित्त साल 2008–09 के स्तर पर वित्त पोषण को बहाल करने के लिए, जो निम्न के अधीन है:

(A) बहाली समान रूप से कटौतियों के सभी प्रकारों के लिए लागू होगी, चाहे यह बच्चे की पात्रता में कमी, प्रतिपूर्ति दर में कमी, अनुबंध राशि में कमी, ठेकों की संख्या में कमी, या अन्यथा कारण से हुई हो।

(B) उस हद तक, जिस तक अधीक्षक को सामाजिक सेवा के राज्य विभाग या किसी अन्य उत्तराधिकारी एजेंसी के लिए धन की इस बहाली को पूरा करने के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता है, वह ऐसा करेगा/करेगी।

(C) अगर अधीक्षक और राज्य का सामाजिक सेवा विभाग संयुक्त रूप से पाते हैं कि टेक-अप दरों में कमी के कारण किसी फंड को बहाल नहीं किया जा सकता है, तो उन फंडों को धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार स्थापित आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दरों में वृद्धि करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(2) अधीक्षक और राज्य के सामाजिक सेवा विभाग या किसी उत्तराधिकारी एजेंसी द्वारा सहमत शर्तों के तहत वित्तीय साल 2011–12 से आगे ECE प्रदाताओं के लाइसेंस निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि करने के लिए राज्य के सामाजिक सेवा विभाग के सामुदायिक देखभाल लाइसेंसिंग डिवीजन या किसी उत्तराधिकारी एजेंसी को पांच मिलियन डॉलर ($5,000,000) 1 जुलाई 2013 से पहले।

(3) दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) तक धारा 8171 के अनुसार उन बच्चों की शैक्षिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए, जिन्होंने राज्य के ECE कार्यक्रमों में भाग लिया है, डेटाबेस को विकसित करने और उसको लागू करने के लिए।

(4) अनुच्छेद 4 (धारा 8167 के साथ शुरू) के अनुसार स्थापित प्रारंभिक अध्ययन गुणवत्ता रेटिंग और सुधार प्रणाली ("QRIS प्रणाली") को विकसित करने, लागू करने और रखरखाव करने के लिए चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000)। इस धारा द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उपयोग प्रदाता की प्रतिपूर्ति दर या अन्य प्रदाता मुआवजे में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रणाली के डिजाइन, कार्यान्वयन, और मूल्यांकन के लिए, ECE प्रदाता के मूल्यांकन और कौशल विकास के लिए, सामुदायिक कॉलेजों और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुत ECE कौशल विकास सुधार कार्यक्रमों का सुधार करने और विस्तार करने के लिए, डेटा को रखने और विश्लेषण के लिए, और ECE प्रदाताओं द्वारा प्राप्त गुणवत्ता के स्तर के बारे में जनता के साथ संचार के लिए किया जाएगा।

(5) धारा 42238.1 के उपखंड (b), जैसा कि इस धारा के अधिनियमन की तिथि को पढ़ा जाता है, के अनुसार गणना की गई मुद्रास्फीति समायोजन के द्वारा पैराग्राफ (1) से (4) में निर्धारित राशि, समावेशी, को सालाना तौर पर समायोजित किया जाएगा।

(6) किसी भी साल, जिसमें ECE फंड पैराग्राफ (1), (3) और (4) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, उन पैराग्राफों के लिए आवश्यक राशि को यथानुपात कम किया जाएगा।

(b) उपखंड (a) में उपलब्ध कराए गए बहाली और प्रणाली सुधार फंडों के आवंटन के बाद, अधीक्षक शेष ECE फंड का उपयोग, जिसे धारा 8160 के उपखंड (f) के अनुसार "SAE फंड" के रूप में जाना जाता है, इस अध्याय में उल्लिखित ECE कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए और विस्तार करने के लिए करेंगे।

(c) अधीक्षक को आवंटित ECE फंड अधीक्षक द्वारा उसकी प्राप्ति के एक साल के भीतर इस अध्याय में प्रदत्त प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाएगा। धारा 14802 के अनुसार स्थापित राजकोषीय ओवरसाइट बोर्ड सालाना तौर पर किसी भी खर्च न की गई फंड की वसूली करेगा, और वे फिर से ECE फंड का हिस्सा बन जाएंगे, जिसको इस अध्याय के अनुसार फिर से आवंटित किया जाएगा।

8162. (a) सिवाय उसके, जो संघीय कानून में अपेक्षित है, किसी भी ECE कार्यक्रम के लिए किसी भी बच्चे की पात्रता को, इस अध्याय के तहत आवंटित फंड से स्थापित, उन्नत, या विस्तारित किसी भी ECE कार्यक्रम सहित, लेकिन इस तक ही सीमित नहीं, कार्यक्रम में बच्चे के नामांकन पर सालाना तौर पर स्थापित किया जाएगा। नामांकन के बाद, किसी बच्चे को कार्यक्रम साल के शेष के लिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र समझा जाएगा, और उसके बाद के वर्षों में वार्षिक आधार पर पात्रता को पुन: स्थापित किया जा सकता है।

(b) वित्तीय साल 2013–14 में शुरू होकर, सामान्य फंड के प्रतिशत के रूप में ECE कार्यक्रमों के लिए वार्षिक विनियोजन में इस अधिनियम के परिणामस्वरूप आवंटित फंड में ECE कार्यक्रमों के लिए 2012–13 वित्तीय साल के लिए विनियोजित सामान्य फंड के प्रतिशत से नीचे कटौती नहीं की जाएगी।

8163. अधीक्षक SAE फंड को निम्न प्रकार आवंटित करेंगे:

(a) SAE फंड का पच्चीस प्रतिशत इस उपखंड के अनुसार जन्म से लेकर तीन साल तक के बच्चों के लाभ के लिए निम्न प्रकार आवंटित किया जाएगा:

(1) SAE फंड का 1 प्रतिशत तक 18 महीने से छोटी उम्र के बच्चों के लिए अनुबंधित समूह देखभाल कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति दर को आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दर तक बढ़ाने के लिए आवंटित किया जाएगा जिसको धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार स्थापित किया गया है।

(2) SAE फंड का 2½ प्रतिशत तक, जैसे कि टेक-अप दरें अनुमति देती हैं, प्रतिपूर्ति दरों में 2012–13 वित्तीय साल की दरों से ऊपर बढ़ोत्तरी करने के लिए आवंटित किया जाएगा जो QRIS प्रणाली के तहत प्रदान पूरकों के माध्यम से उन ECE कार्यक्रमों और प्रदाताओं के लिए, जो जन्म से लेकर तीन साल की उम्र वर्ग के बच्चों को सेवा प्रदान करते हैं, जो QRIS प्रणाली के तहत उनके गुणवत्ता मानकों में सुधार करती हैं जो पहले से ही धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार आधारभूत गुणवत्ता मानक से अधिक QRIS गुणवत्ता मानक को पूरा करते हैं।

(3) SAE फंड का साढ़े इक्कीस प्रतिशत कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए आवंटित किया जाएगा जिसको अनुच्छेद 2 (धारा 8164 के साथ शुरू) के अनुसार स्थापित किया गया है। इस पैराग्राफ के अधीन कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए आवंटित SAE फंड के कम से कम 35 प्रतिशत को धारा 8164 के उपखंड (d) के अनुसार माता-पिताओं और अन्य देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।

(b) SAE फंड का पिछत्तर प्रतिशत अनुच्छेद 3 (धारा 8165 के साथ शुरू) में उल्लिखित के अनुसार तीन से पांच साल के बच्चों के लिए प्रीस्कूल कार्यक्रम के विस्तार और उसे मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(c) SAE फंड का अधिकतम 3 प्रतिशत राज्य स्तर पर प्रशासनिक खर्च के लिए खर्च किया जाएगा।

(d) SAE फंड से किसी ECE प्रदाता द्वारा प्राप्त धन का अधिकतम 15 प्रतिशत किसी उपयुक्त कार्यक्रम सुविधा के लिए पुन:प्रयोजन, नवीकरण, विकास, रखरखाव या किराए, और पट्टे के खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अधीक्षक सुविधाओं के लिए SAE फंड के उचित इस्तेमाल की देखरेख और संरचना के लिए नियमों को प्रख्यापित करेंगे।

अनुच्छेद 2. कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम

8164. धारा 8163 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) के अनुसार आवंटित फंड का उपयोग करके, अधीक्षक जन्म से लेकर तीन साल के उम्र वर्ग के बच्चों की देखभाल को विस्तारित करने के लिए कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम को निम्न प्रकार विकसित और लागू करेंगे:

(a) कार्यक्रम, अधीक्षक के चल रहे विनियमन और नियंत्रण के अंतर्गत होगा, परन्तु इसको संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता के शीर्षक 42 की धारा 9840a के अनुसार स्थापित संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम पर मॉडल किया जाएगा। धारा 8167 में वर्णित प्रारंभिक अध्ययन सलाहकार परिषद (ELAC) के साथ परामर्श में, अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे, कि कम से कम, कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नवम्बर 2011 की सभी सामग्री और गुणवत्ता मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करे। अधीक्षक अपने विवेक पर बाद में संघीय प्रारंभिक प्रमुख कार्यक्रम मानकों और आवश्यकताओं को अपना सकते हैं।

(b) कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल फंड का इस्तेमाल जन्म से लेकर तीन साल उम्र वर्ग के बच्चों के लिए किसी भी अन्य राज्य या संघीय कार्यक्रम पर वर्तमान में व्यय को हटाने के लिए नहीं किया जाएगा।

(c) अधीक्षक नवम्बर 2011 में संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम द्वारा इस्तेमाल किए गए एक ही पात्रता मानकों को अपनाएंगे; बशर्ते, तथापि, नामांकन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को दी जाएगी, उसके बाद धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (2) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को, और उसके बाद धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (3) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को।

(d) लाइसेंसीकृत केंद्रों और पारिवारिक बाल देखभाल गृहों में उच्च गुणवत्ता वाली सामूहिक देखभाल उपलब्ध कराने के अलावा, कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम उन बच्चों के परिवारों और देखभालकर्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराएगा जो किसी कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट सामूहिक देखभाल सेटिंग में पंजीकृत नहीं हैं। इन सेवाओं को जन्म से तीन साल की उम्र के बच्चों के माता-पिता और देखभालकर्ताओं की सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए डिजाइन किया जाएगा ताकि सामूहिक देखभाल सेटिंग्स और घर, दोनों में बहुत छोटे बच्चों की देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। सेवाओं में उनमें से कोई भी शामिल हो सकती है जो संघीय या कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट सामूहि देखभाल नामितों के परिवारों को पेश की जा सकती है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन स्वैच्छिक घर का दौरा, प्रारंभिक विकास जाँच और हस्तक्षेप, पारिवारिक और देखभालकर्ता साक्षरता कार्यक्रम, और माता-पिता और देखभालकर्ता प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। इस उपखंड के अनुसार देखभालक्रताओं को उपलब्ध कराए गए कार्यक्रमों में प्राथमिकता लाइसेंस मुक्त परिवार, दोस्त, पड़ोसी प्रदाताओं को दी जाएगी।

(e) ELAC के साथ परामर्श में, अधीक्षक संघीय प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के प्रशिक्षण घटकों और मानकों को शामिल करते हुए उपखंड (d) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों की स्थापना करेंगे। अधीक्षक इन कार्यक्रमों में समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों को संचालित करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

(f) कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट फंड का इस्तेमाल जन्म से तीन साल उम्र वर्ग के बच्चों के लिए मौजूदा ECE द्वारा सेवा प्राप्त बच्चों की संख्या का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, बशर्ते कार्यक्रम उपखंडों (a) एवं (e) में वर्णित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों, और सेवा प्राप्त बच्चे उपखंड (c) के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

(g) कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट फंड के साथ राज्य भर में तैयार सामूहिक देखभाल रिक्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण दिवसीय, पूर्ण वर्षीय देखभाल उपलब्ध कराएंगी।

अनुच्छेद 3. प्रीस्कूल कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार

8165. (a) धारा 8163 के उपखंड (b) के तहत तीन से पाँच साल उम्र के बच्चों के लिए प्रीस्कूल कार्यक्रमों को सशक्त करने और उनका विस्तार करने के लिए आवंटित SAE फंड का इस्तेमाल निम्न प्रकार किया जाएगा:

(1) SAE फंड का 8 प्रतिशत तक, जैसे कि टेक-अप दरें अनुमति देती हैं, प्रतिपूर्ति दरों में 2012–13 वित्तीय साल की दरों से ऊपर बढ़ोत्तरी करने के लिए आवंटित किया जाएगा जो QRIS प्रणाली के तहत प्रदान पूरकों के माध्यम से उन ECE कार्यक्रमों और प्रदाताओं के लिए जो जन्म से तीन से पांच साल की उम्र वर्ग के बच्चों की सेवा करते हैं जो QRIS प्रणाली के तहत उनके गुणवत्ता मानकों में सुधार करती हैं जो पहले से ही धारा 8168 के उपखंड (b) के अनुसार आधारभूत गुणवत्ता मानक से अधिक QRIS गुणवत्ता मानक को पूरा करते हैं।

(2) शेष, जो समस्त SAE फंड के 67 प्रतिशत से कम नहीं हो, का इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले प्रीस्कूल कार्यक्रमों द्वारा सेवा प्रदत्त लाइसेंसीकृत या K–12 आधारित कार्यक्रमों में तीन से पांच साल के बच्चों की संख्या का विस्तार करने के लिए किया जाएगा जो QRIS प्रणाली के तहत दो सर्वोच्च गुणवत्ता रेटिंगों को पूरा करते हैं। जब तक राज्यव्यापी QRIS की स्थापना न हो जाए और वह काफी बड़ी संख्या में कार्यक्रमों की गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम न हो जाए, अधीक्षक उन कार्यक्रमों के लिए जिन्होंने अन्यथा उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने का प्रदर्शन किया है, इस उपखंड में वर्णित विस्तार फंड के इस्तेमाल को अधिकृत करने के लिए अस्थायी विनियमों को जारी कर सकते हैं, जिसमें मौजूदा स्थानीय या क्षेत्रीय QRIS प्रणाली के दो शीर्ष टियरों में रेटिंग वाले कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणन के साथ कार्यक्रम, या संक्रमणकालीन किंडरगार्टन पर लागू गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं, परंतु इन तक ही समीमित नहीं हैं। QRIS कार्यक्रम मानकों को 1 जनवरी 2014 से पहले स्थापित किया जाएगा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अधीक्षक के अस्थायी नियमों के तहत पात्र प्रदाता नई प्रणाली के तहत मूल्यांकन के लिए प्राथमिकता प्राप्त करेंगे। अस्थायी नियम 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो जाएंगे, प्रावधिक प्रमाणित प्रदाता उसके बाद स्थापित QRIS कार्यक्रम के मानकों के तहत पात्र बने रहने के लिए अधिकतम 1 जनवरी 2017 तक फंड को प्रतिधारित करेंगे।

(3) पैराग्राफ (2) के तहत राज्य भर में तैयार नई रिक्तियों में कम से कम 65 प्रतिशत पूर्ण दिवसीय, पूर्ण वर्षीय होंगी, जिनको केवल इस अध्याय के माध्यम से या स्कूल के बाद एवं ग्रीष्मकालीन संवर्धन कार्यक्रम के बाद एक संयुक्त स्कूल दिवस बनाने के लिए दो या दो से अधिक स्रोतों से वित्त पोषणों का संयोजन करके तैयार किया जा सकता है।

(b) यदि बच्चे उस स्कूल साल के 1 सितंबर को, जिसमें वे कार्यक्रम में पंजीकृत हैं, तीन या चार साल के हैं एवं अभी किंडरगार्टन में जाने के लिए पात्र नहीं हैं, तो उनको "तीन से पांच साल की उम्र" का समझा जाएगा और उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) के तहत वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिए पात्र समझा जाएगा।

8166. (a) संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो से डेटा का प्रयोग करके, अधीक्षक धारा 8165 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) के अनुसार आवंटित फंड ("प्रीस्कूल विस्तार फंड") को सभी कैलिफोर्निया पड़ोस की एक आय क्रमित सूची के अनुसार वितरित करेंगे, जिसमें सबसे कम आय वाले पड़ोस के साथ शुरू होकर और पड़ोस की सूची में आय के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा जैसा कि प्रीस्कूल विस्तार फंड अनुमति देती है, निम्न प्रकार:

(1) अधीक्षक औसत घरेलू आय और ज़िप कोड या किसी समकक्ष भौगोलिक इकाई द्वारा परिभाषित पड़ोस पर आधारित एक पड़ोस सूची बनाएंगे। इस पूरी धारा में, शब्द "पड़ोस" का मतलब है एक ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई जो पड़ोस सूची में शामिल है। ECE प्राप्यता पर उपलब्ध डेटा का उपयोग करके, अधीक्षक वार्षिक आधार पर पड़ोसों और स्कूल जिलों की पहचान करेंगे जिनके भीतर वे बच्चे रहते हैं जो प्रीस्कूल विस्तार वित्तपोषण के लिए उम्र-पात्र हैं और जिनको कोई ECE कार्यक्रम या कोई संक्रमणकालीन किंडरगार्टन कार्यक्रम सुलभ नहीं है।

(2) प्रत्येक ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई के लिए, अधीक्षक पात्रों की संख्या, असेवित बच्चों की संख्या का निर्धारण करेंगे और स्कूल जिले, लाइसेंसीकृत परिवार बाल देखभाल गृह शिक्षा नेटवर्क ("लाइसेंसीकृत नेटवर्क"), लाइसेंसीकृत केंद्र-आधारित ECE प्रदाताओं, और संघीय हेड स्टार्ट या अन्य संघीय ECE कार्यक्रमों ("संघीय प्रदाता"), जो ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई के भीतर ऑपरेट करते हैं, को सूचित करेंगे कि वे इन बच्चों को सेवा देने के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए और प्रीस्कूल वित्तपोषण के लिए उनसे आवेदनों को स्वीकार करने के लिए पात्र हैं। वित्तपोषण के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को उन पात्र बच्चों को सेवा देने में सक्षम और इच्छुक होना होगा जिनके लिए वे पात्रता की अधिसूचना के बाद पहले स्कूल साल में आवेदन कर रहे हैं।

(3) अगर एक ही पात्रता के लिए डुप्लिकेट आवेदन हैं तो लाइसेंसीकृत नेटवर्क, लाइसेंसीकृत केंद्र आधारित ECE कार्यक्रम, और ज़िप कोड या अन्य भौगोलिक इकाई के भीतर ऑपरेट करने वाले संघीय प्रदाताओं को प्राथमिकता मिलेगी। संयुक्त आवेदनों को प्राथमिकता देकर, अधीक्षक स्कूल जिलों, लाइसेंसीकृत नेटवर्क, लाइसेंसीकृत केंद्र आधारित ECE प्रदाताओं, और पात्र क्षेत्रों में संघीय प्रदाताओं को एक संयुक्त आवेदन, जो सभी कार्यक्रमों की शक्ति को अधिकतम करता है एवं विवादों को न्यूनतम करता है, में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि पात्र स्कूल जिला, पात्र नेटवर्क, पात्र केंद्र आधारित कार्यक्रम, और संघीय प्रदाता सभी उन बच्चों, या उनमें से किसी एक को सेवा देने में असमर्थ हैं या इससे इंकार करते हैं, जिनको सेवा देने के लिए वे पात्र हैं, तो अधीक्षक वैकल्पिक पात्र स्थानीय शिक्षा एजेंसियों, लाइसेंसीकृत नेटवर्क, केंद्र आधारित ECE प्रदाताओं, और संघीय प्रदाताओं से पात्र बच्चों को सेवा देने के प्रस्ताव का अनुरोध करेंगे। वैकल्पिक पात्र प्रदाताओं की तलाश करने में, अधीक्षक संचार करेंगे, विशेष रूप से बिना किसी सीमा, उस काउंटी में काम करने वाले वैकल्पिक भुगतान प्रदाताओं के साथ जहां पात्र बच्चे रहते हैं।

(4) इस अध्याय के अनुसार स्थापित या विस्तारित प्रीस्कूल कार्यक्रमों सहित प्रीस्कूल में उपस्थिति स्वैच्छिक है। एकीकृत स्थान जो लगातार तीन वर्षों के लिए किसी जिप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई में पूरे पात्र समुदाय में प्रभावी आउटरीच के साथ पेश किए गए हैं, लेकिन जो अभी भी नहीं भरे गए हैं, उनको इंकार किया गया समझा जा सकता है, और उनको पड़ोस सूची में अगले सर्वोच्च आय पड़ोस के लिए पेश किया जा सकता है।

(5) हर पांच साल में कम से कम एक बार, अधीक्षक समीक्षा करेंगे कि कौन सा रिक्त स्थान इंकार किया गया समझा गया है और खोई गई पात्रता को किसी पड़ोस के लिए बदली शर्तों की सीमा तक बहाल करेंगे जो संकेत दें कि अब रिक्त स्थान को भरा जाएगा।

(b) बच्चे यह साबित करने पर, कि वे एक पात्र ज़िप कोड या समकक्ष भौगोलिक इकाई में रहते हैं या उनके परिवार किसी मौजूदा साधन-परीक्षित ECE कार्यक्रम की आय पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रीस्कूल विस्तार धन के साथ वित्त पोषित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र होंगे; बशर्ते, तथापि, नामांकन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता धारा 8160 के उपखंड (g) के पैराग्राफ (1) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को जाएगी, उसके बाद पैराग्राफ (2) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को, और उसके बाद पैराग्राफ (3) में परिभाषित उच्च जोखिम वाले बच्चों को।

अनुच्छेद 4. कैलिफोर्निया प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता रेटिंग और सुधार प्रणाली

8167. जैसा कि इस अनुच्छेद में इस्तेमाल किया गया है, शब्द "प्रारंभिक शिक्षा सलाहकार परिषद" (ELAC) का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा सलाहकार परिषद जिसको कार्यकारी आदेश S–23–09 या किसी भी उत्तराधिकारी एजेंसी के अनुसार स्थापित किया गया है।

8168. (a) 2010 में कैलिफोर्निया प्रारंभिक अध्ययन गुणवत्ता सुधार प्रणाली सलाहकार समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट और सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अधीक्षक, ELAC के साथ परामर्श में एक प्रारंभिक अध्ययन गुणवत्ता रेटिंग और सुधार प्रणाली (QRIS प्रणाली) को 1 जनवरी 2014 से पहले विकसित करेंगे और लागू करेंगे, जिसमें निम्न में से सभी शामिल होंगे:

(1) प्रीस्कूल सहित सभी ECE कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध एक स्वैच्छिक गुणवत्ता रेटिंग स्केल, जो जन्म से पांच साल उम्र के बच्चों को सेवा देता है, जिसमें प्रीस्कूल उम्र के बच्चे, शिशु और नन्हें-मुन्ने शामिल हैं। गुणवत्ता रेटिंग स्केल ECE कार्यक्रमों की उन विशेषताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा जिनको छोटे बच्चों के स्वस्थ सामाजिक और भावनात्मक विकास और स्कूल में सफलता के लिए तत्परता के लिए सबसे अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने को प्रदर्शित किया गया है।

(2) ECE प्रदाताओं की QRIS प्रणाली के तहत उनके कार्यक्रमों के गुणवत्ता मूल्यांकन में वृद्धि करने में मदद करने के लिए एक स्वैच्छिक मूल्यांकन और कौशल विकास कार्यक्रम।

(3) ECE कार्यक्रमों और प्रदाताओं के लिए प्रदत्त पूरक के माध्यम से वित्तीय साल 2011–12 की दरों से ऊपर प्रतिपूर्ति दरों में वृद्धि के लिए एक विधि जो उनकी रेटिंग में सुधार करती या सत्यापित करती है कि उन्होंने पहले से ही QRIS प्रणाली के तहत उच्च रेटिंग मानकों को पूरा कर लिया है।

(4) एक तरीका जिसके द्वारा माता-पिता और देखभालकर्ता उन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिनमें उनके बच्चे पंजीकृत हैं या पंजीकृत हो सकते हैं, जिसमें QRIS प्रणाली के तहत कार्यक्रमों की रेटिंग का शीघ्र प्रकाशन और प्रदाता शामिल हैं।

(b) अधीक्षक, ELAC साथ परामर्श में, आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दरों को भी स्थापित करेंगे जो उन कार्यक्रमों के लिए लागू गुणवत्ता मानकों पर ECE कार्यक्रमों को प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं, जिनको कानूनों और विनियमों ने 1 नवंबर 2012 को शासित किया ("आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दर")। यदि कोई मौजूदा प्रतिपूर्ति दर आधारभूत गुणवत्ता प्रतिपूर्ति दर से कम है, तो अधीक्षक प्रतिपूर्ति दर में वृद्धि करने के लिए धारा 8161 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) तहत उपलब्ध किसी भी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या 18 माह से छोटे बच्चों के किसी भी कार्यक्रम के लिए, धारा 8163 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के तहत उपलब्ध फंड।

8169. (a) ELAC और अधीक्षक स्थानीय योजना परिषदों, प्रथम 5 कैलिफोर्निया आयोग, और प्रत्येक काउंटी के प्रथम 5 आयोग के साथ QRIS, कैलिफोर्निया प्रारंभिक हेड स्टार्ट कार्यक्रम, और अनुच्छेद 2 (धारा 8164 के साथ शुरू), अनुच्छेद 3 (धारा 8165 के साथ शुरू), और इस धारा के अनुसार स्थापित प्रीस्कूल विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करने एवं निगरानी करने के लिए सहयोग करेंगे। ये व्यक्ति और संस्थाएँ कैलिफोर्निया बाल एवं परिवार अधिनियम 1998 (स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता का प्रभाग 108 (धारा 130100 के साथ शुरू)) के अनुसार उपलब्ध संसाधनों सहित स्थानीय, राजकीय, संघीय, और निजी संसाधनों का उपयोग ECE प्रणाली की दक्षता, शिक्षा और विकास प्रभावशीलता, और सामुदायिक जवाबदेही को उन्नत करने के लिए व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में साथ मिलकर काम करेंगे।

(b) ELAC राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र की स्थानीय योजना परिषदों और क्षेत्र के काउंटी प्रथम 5 आयोगों (वैकल्पिक रूप से कैलिफोर्निया बाल एवं पारिवारिक आयोगों के रूप में ज्ञात) के साथ सार्वजनिक इनपुट और इस अधिनियम के तहत स्थापित कार्यक्रमों की प्रगति पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हर साल कम से कम एक संयुक्त सार्वजनिक बैठक करेगा।

(c) धारा 8161 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (4) के तहत दी गई फंड को इस धारा के द्वारा आवश्यक गतिविधियों के सहयोग करने और उनको आयोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

8170. (a) अधीक्षक प्रत्येक वित्तीय साल की समाप्ति के बाद 90 दिनों के भीतर इस अध्याय के तहत प्राप्त धन का लेखा अन्य समस्त प्राप्त या खर्च धन से अलग रखेंगे, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें वे ECE कार्यक्रम अपनी यथा उपलब्ध गुणवत्ता रेटिंग के साथ जिन्होंने धन प्राप्त किया, प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा प्राप्त राशि, उनके द्वारा उपलब्ध सेवा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों को प्राप्त सेवाओं के प्रकार, और यथा उपलब्ध बच्चे के प्राप्त परिणाम सूचीबद्ध होंगे। अधीक्षक रिपोर्ट तैयार होते ही उसे यथाशीघ्र अधीक्षक की इंटरनेट वेब साइट पर पोस्ट करेंगे और अपने मुख पृष्ठ पर इसके लिए एक लिंक उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्ट को धारा 8236.1 के तहत जारी की गई रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। राजकोषीय निरीक्षण बोर्ड रिपोर्ट की सामग्री को सत्यापित करेगा और इसको धारा 14814 के उपखंड (a) द्वारा आवश्यक वार्षिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करेगा।

(b) अधीक्षक निम्नलिखित में से सभी को भी करेंगे:

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ECE प्रदाता गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, अनुबंध प्रदान करने पर निगरानी।

(2) इस अध्याय के तहत वित्तपोषण प्राप्त करने वाले समस्त ECE प्रदाताओं के लिए एकसमान वित्तीय रिपोर्टिंग और स्वतंत्र वार्षिक लेखापरीक्षण को सुनिश्चित करना।

(3) इस अध्याय के तहत स्थापित कार्यक्रमों के किसी भी पहलू के बारे में शिकायतों को प्राप्त करना, जांच करना, और उन पर कार्रवाई करना।

8171. (a) अधिकतम 1 जुलाई 2014 तक, अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जन्म से पाँच साल तक का हर बच्चा जो किसी ECE कार्यक्रम में भाग लेता है, उसको एक अद्वितीय पहचानसूचक आवंटित किया जाता है जिसको राज्यव्यापी प्रारंभिक शिक्षा सेवा डाटाबेस के भाग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और उसका रखरखाव किया जाता है।

(b) प्रारंभिक शिक्षा सेवा डेटाबेस कैलिफोर्निया लॉन्गिच्यूडनल प्यूपिल अचीवमेंट डेटा सिस्टम (CALPADS), या किसी भी उत्तराधिकारी छात्र-स्तरीय डेटा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा होगा, जो किसी बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक शैक्षिक पथ को ट्रेस कर सके, ताकि बच्चे के अद्वितीय पहचानसूचक के माध्यम से किसी भी बच्चे की ECE भागीदारी सहित उसका पूर्ण शैक्षिक इतिहास, स्वचालित रूप से सुलभ हो जाएगा।

(c) कम से कम, प्रारंभिक शिक्षा सेवा डेटाबेस में प्रत्येक बच्चे के लिए निम्न में से सभी शामिल होगा:

(1) प्रत्येक साल बच्चे के निवास का जिप कोड।

(2) प्रत्येक साल बच्चे ने क्या ECE सेवाएं प्राप्त कीं, जैसे क्या बच्चे ने पूर्णदिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया या अर्द्धदिवसीय कार्यक्रम में।

(3) वह सेटिंग जिसमें ECE सेवाओं को दिया गया।

(4) वह एजेंसी जिसने ECE सेवाओं को दिया।

(5) उस ECE प्रदाता के लिए QRIS रेटिंग एवं कोई और अन्य उपलब्ध गुणवत्ता रेटिंग।

(6) बच्चे का किंडरगार्टन-तत्परता मूल्यांकन, यदि उपलब्ध है, जिसमें शामिल है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है, बच्चे की प्राथमिक घरेलू भाषा, प्रवाह का स्तर, और क्या प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए बच्चे की जाँच की गई थी।

(d) इस धारा को लागू करने के लिए धारा 8161 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) में आवंटित वार्षिक राशि तक CALPADS की वास्तविक लागत के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8172. अधीक्षक इस अध्याय को लागू करने के लिए आपातकालीन विनियमों सहित विनियमों को जारी करेंगे।

खंड 7. पीनल कोड की धारा 425 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

425. *(a)* सार्वजनिक धन की प्राप्ति, उसको सुरक्षित रखने, या उसके वितरण के लिए प्रभारित के लिए प्रत्येक अधिकारी, जो कानून द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसा करने में विफल रहता है, वह एक गंभीर अपराध का दोषी है।

(b) हर अधिकारी जिस पर शिक्षा संहिता की धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806 और 14807 के अनुसार धन आवंटन या वितरण का प्रभार है, जो जान-बूझकर प्रत्येक लोकल एज्युकेशन एजेंसी और प्रत्येक स्कूल के लिए धन का आवंटन करने या वितरण करने में प्रति छात्र के आधार पर निर्दिष्ट किए गए के अनुसार करने में विफल रहता है, एक गंभीर अपराध का दोषी है, जो अटार्नी जनरल द्वारा मुकदमा चलाए जाने के अधीन है, या अगर वह तुरंत कार्रवाई करने में विफल रहता है तो किसी काउंटी के जिला अटार्नी द्वारा। अटार्नी जनरल, या अगर अटार्नी जनरल कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो किसी काउंटी के जिला अटॉर्नी, शीघ्रता से जांच करेंगे और शिक्षा संहिता की धाराओं 14803, 14804, 14805, 14806, एवं 14807 के उल्लंघन में धन के किसी आवंटन या वितरण के लिए आपराधिक दंड और तत्काल न्यायिक राहत की माँग कर सकते हैं। इस उपखंड का उल्लंघन करने वाला दोषी व्यक्ति धारा 18 के अनुसार दंडित किया जाएगा और उसको इस राज्य में किसी भी पद के लिए अपात्र कर दिया जाएगा।

खंड 8. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

17041.1. (a) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, किसी अन्य इस हिस्से द्वारा लगाए गए किसी अन्य करों के अलावा, एक अतिरिक्त कर को एतद्द्वारा किसी करदाता की कर योग्य आय पर लगाया जाता है जिसकी गणना धारा 17041 के उपखंड (a) के तहत कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड का समर्थन करने के लिए की गई है। 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, और 1 जनवरी 2014 से पहले, अतिरिक्त कर की गणना निम्न दर तालिका के आधार पर की जाएगी, जिसमें कर ब्रेकेटों को 2011 और 2013 के बीच कैलिफोर्निया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है:

यदि कर योग्य आय है:	*तो कर योग्य आय पर अतिरिक्त कर है:*
$7,316 से अधिक नहीं	*0*
$7,316 से अधिक लेकिन $17,346 से अधिक नहीं	*$7,316 से अधिक का 0.4%*
$17,346 से अधिक लेकिन $27,377 से अधिक नहीं	*$40 जमा $17,346 से अधिक का 0.7%*
$27,377 से अधिक लेकिन $38,004 से अधिक नहीं	*$110 जमा $27,377 से अधिक का 1.1%*
$38,004 से अधिक लेकिन $48,029 से अधिक नहीं	*$227 जमा $38,004 से अधिक का 1.4%*
$48,029 से अधिक लेकिन $100,000 से अधिक नहीं	*$368 जमा $48,029 से अधिक का 1.6%*
$100,000 से अधिक लेकिन $250,000 से अधिक नहीं	*$1,199 जमा $100,000 से अधिक का 1.8%*
$250,000 से अधिक लेकिन $500,000 से अधिक नहीं	*$3,899 जमा $250,000 से अधिक का 1.9%*
$500,000 से अधिक लेकिन $1,000,000 से अधिक नहीं	*$8,649 जमा $500,000 से अधिक का 2.0%*
$1,000,000 से अधिक लेकिन $2,500,000 से अधिक नहीं	*$18,649 जमा $1,000,000 से अधिक का 2.1%*
$2,500,000 से अधिक	*$50,149 जमा $2,500,000 से अधिक का 2.2%*

(b) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, किसी अन्य इस हिस्से द्वारा लगाए गए किसी अन्य करों के अलावा, एक अतिरिक्त कर को एतद्द्वारा किसी करदाता की कर योग्य आय पर लगाया जाता है जिसकी गणना धारा 17041 के उपखंड (c) के तहत कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड का समर्थन करने के लिए की गई है। 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, और 1 जनवरी 2014 से पहले, अतिरिक्त कर की गणना निम्न दर तालिका के आधार पर की जाएगी, जिसमें कर ब्रेकेटों को 2011 और 2013 के बीच कैलिफोर्निया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है:

यदि कर योग्य आय है:	*तो कर योग्य आय पर अतिरिक्त कर है:*
$14,642 से अधिक नहीं	*0%*
$14,642 से अधिक लेकिन $34,692 से अधिक नहीं	*$14,642 से अधिक का 0.4%*
$34,692 से अधिक लेकिन $44,721 से अधिक नहीं	*$80 जमा $34,692 से अधिक का 0.7%*
$44,721 से अधिक लेकिन $55,348 से अधिक नहीं	*$150 जमा $44,721 से अधिक का 1.1%*
$55,348 से अधिक लेकिन $65,376 से अधिक नहीं	*$267 जमा $55,348 से अधिक का 1.4%*
$65,376 से अधिक लेकिन $136,118 से अधिक नहीं	*$408 जमा $65,376 से अधिक का 1.6%*
$136,118 से अधिक लेकिन $340,294 से अधिक नहीं	*$1,540 जमा $136,118 से अधिक का 1.8%*
$340,294 से अधिक लेकिन $680,589 से अधिक नहीं	*$5,215 जमा $340,294 से अधिक का 1.9%*
$680,589 से अधिक लेकिन $1,361,178 से अधिक नहीं	*$11,680 जमा $680,589 से अधिक का 2.0%*
$1,361,178 से अधिक लेकिन $3,402,944 से अधिक नहीं	*$25,292 जमा $1,361,178 से अधिक का 2.1%*
$3,402,944 से अधिक	*$68,169 जमा $3,402,944 से अधिक का 2.2%*

(c) 1 जनवरी 2014 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, इस धारा के तहत लागू अतिरिक्त कर की गणना उपखंडों (a) एवं (b) में वर्णित कर दर तालिका के आधार पर की जाएगी, जिसमें 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले प्रत्येक कर योग्य साल के लिए, और 1 जनवरी 2014 से पहले प्रभावी ब्रेकेट हैं, जिनको कैलिफोर्निया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

(d) उपखंडों (e) और (f) के सिवाय, इस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर इस संहिता के सभी अन्य प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए धारा 17041 के तहत

लगाए गए समझे जाएंगे, जिसमें संयुक्त प्रतिलाभों से संबंधित धारा 17045 या अन्य कोई उत्तराधिकारी प्रावधान शामिल हैं।

(e) उस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर से उत्पन्न राजस्व की अनुमानित राशि, रिफंड को घटाकर, मासिक आधार पर कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड में जमा किया जाएगा, जिसको शिक्षा संहिता की धारा 14801 के द्वारा ऐसे तरीके से स्थापित किया गया है जो इस संहिता की धारा 19602.5 में उल्लिखित प्रक्रिया से मेल खाता है और इस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर के आधार पर फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर 2012 से पहले विनियमन द्वारा स्थापित किया गया है। इस धारा के द्वारा अधिकृत विनियमन को अपनाने, संशोधित करने, या निरसित करने को एतद्द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 का अध्याय 3.5 (धारा 11340 के साथ शुरू) के नियम बनाने के प्रावधानों से छूट दी गई है।

(f) सरकारी संहिता की धारा 13340 के होते हुए भी, कैलिफोर्निया एजुकेशन ट्रस्ट फंड को एतद्द्वारा वित्तीय साल के संबंध के बिना विनियोजित किया जाता है, केवल हमारे बच्चे, हमारे भविष्य के वित्त पोषण के लिए: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश एवं बाँड ऋण में कमी अधिनियम।

(g) इस धारा के तहत लगाए गए अतिरिक्त कर 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद शुरू किसी भी कर योग्य साल पर लागू नहीं होते हैं, सिवाय उसके जहाँ किसी उपाय में उपलब्ध कराया गया हो जो हमारे बच्चे, हमारे भविष्य का विस्तार करता है: स्थानीय स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा निवेश और बाँड ऋण में कमी अधिनियम और नवंबर 2024 में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को या उससे पहले किसी राज्यव्यापी चुनाव में मतदाताओं ने मंजूरी दे दी है।

खंड 9. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 19602 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

19602. धारा 17935, 17941, 17948, 19532 एवं 19561 के तहत एकत्र राशि के सिवाय, ~~और~~ धारा 19602.5 के अनुसार जमा राजस्व *और धारा 17041.1 के अनुसार एकत्र राजस्व*, फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड द्वारा भाग 10 (धारा 17001 के साथ शुरू) के तहत लगाए गए के रूप में राशि, और संबंधित दंड, कर में जोड़, और इस भाग के अंतर्गत लगाए गए ब्याज को प्रेषण की निकासी के बाद राजकीय कर बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रेषण को राजकीय फंड में जमा किया जाएगा और व्यक्तिगत आयकर फंड में क्रेडिट किया जाएगा।

खंड 10. पृथक्कीकरण।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस उपाय का कोई प्रावधान या इस उपाय के किसी प्रावधान की अनुप्रयोज्यता को किसी भी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए असंवैधानिक या अन्यथा अमान्य पाया जाता है, तो निष्कर्षों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए अधिनियम के अन्य प्रावधानों या इस उपाय की अनुप्रयोज्यता पर नहीं होगा।

खंड 11. परस्पर विरोधी पहलें।

(a) किसी भी करदाता या करदाताओं के समूह के लिए कैलिफोर्निया में व्यक्तिगत आय कर की दर में संशोधन करने वाले, या खुदरा क्षेत्र में अमूर्त निजी संपत्ति की बिक्री करने के लिए विशेषाधिकार के लिए खुदरा विक्रेताओं पर लगाए गए कर की दर में संशोधन करने वाले, या इस राज्य में किसी खुदरा विक्रेता से भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए खरीदी गई अमूर्त निजी संपत्ति पर इस राज्य में अमूर्त निजी संपत्ति के भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर लागू आबकारी कर की दर में संशोधन करने वाले इस उपाय या अन्य उपाय उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रदर्शित होगा, दर में संशोधन करने वाले उपाय एवं इस उपाय के समस्त प्रावधान जो इसके दर में संशोधन करने वाले प्रावधानों द्वारा वित्त पोषित हैं, इस उपाय के साथ संघर्ष में समझे जाएंगे। इस उपाय के अन्य उपायों की तुलना में अधिक सकारात्मक मत प्राप्त करने की दशा में अन्य उपाय के दर में संशोधन करने वाले प्रावधान, और उस उपाय के समस्त प्रावधान जो दर में संशोधन करने वाले प्रावधानों से वित्त पोषित हैं, उनको अशक्त और अमान्य माना जाएगा, और इस उपाय के प्रावधान लागू होंगे।

(b) अन्य प्रावधानों के बीच टकरावों का समाधान, जो उपखंड (a) के अधीन नहीं हैं, कैलिफोर्निया के संविधान के अनुच्छेद II की धारा 10 के उपखंड (b) के अनुसार किया जाएगा।

खंड 12. संशोधन।

इस अधिनियम में एक राज्यव्यापी आम चुनाव में लोगों के बहुमत के अलावा संशोधन नहीं किया जा सकता है।

खंड 13. प्रभावी तिथियाँ और समय-सीमा समाप्ति।

(a) यह उपाय इसको लागू करने के बाद के दिन से प्रभावी होगा। इस उपाय के विभिन्न प्रावधानों के लिए संचालन तिथियाँ वह होंगी जो इस अधिनियम में उल्लिखित होंगी।

(b) इस अधिनियम के तहत जोड़े गए राजस्व और कराधान संहिता की धारा 17041.1 के उपखंडों (a) एवं (b) द्वारा लगाए गए कर संचालित नहीं रहेंगे और 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि मतदाता बहुमत द्वारा नवंबर 2024 में पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार या उसके बाद होने वाले एक राज्यव्यापी चुनाव में अधिनियम के विस्तार को स्वीकृत न कर दे।

प्रस्ताव 39

यह प्रयास कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

यह पहल उपाय सार्वजनिक संसाधन संहिता और राजस्व एवं कराधान संहिता में संशोधन करती है, धाराओं में निरसन करती है और जोड़ती है, इसलिए निरसित किए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधानों को ~~स्ट्राइक आउट~~ प्रकार से मुद्रित किया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक प्रकार* में मुद्रित किया गया ताकि संकेत मिल सके कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

कैलिफोर्निया स्वच्छ ऊर्जा रोजगार अधिनियम

खंड 1. कैलिफोर्निया राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

(1) कैलिफोर्निया एक विनाशकारी मंदी से पीड़ित है जिसने एक मिलियन से अधिक कैलिफोर्नियावासियों को काम से बाहर कर दिया है।

(2) वर्तमान कर कानून बहुराजकीय कंपनियों को कैलिफोर्निया में नौकरी तलाशने और रोजगार पैदा करने वाली कैलिफोर्निया की कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान में डालने, दोनों के लिए हतोत्साहित करते हैं।

(3) इस समस्या का समाधान करने के लिए, अधिकाँश अन्य राज्यों ने अपने कानूनों में बहुराजकीय कंपनियों पर उस राज्य में बिक्री के प्रतिशत पर कर लगाने के लिए संशोधन किया है, जिसे एक "एकल बिक्री कारक" कर दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित किया गया है।

(4) यदि कैलिफोर्निया एकल बिक्री कारक दृष्टिकोण को अपनाए, तो स्वतंत्र विधान विश्लेषक कार्यालय का अनुमान है कि राज्य के राजस्व प्रति साल 1.1 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी और 40,000 कैलिफोर्निया नौकरियों का शुद्ध लाभ होगा।

(5) इसके अलावा, बढ़े राजस्व के एक हिस्से को ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए समर्पित करके, कैलिफोर्निया सीधे दसियों हजार

अतिरिक्त नौकरियों का सृजन कर सकता है, जिससे बेरोजगारी में कमी होगी, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और ऊर्जा पर करदाताओं के पैसे की बचत होगी।

(6) अतिरिक्त राजस्व वर्तमान कैलिफोर्निया के कानून के साथ संगत सार्वजनिक स्कूलों के लिए उपलब्ध होगा।

खंड 2. प्रभाग 16.3 (धारा 26200 के साथ शुरू) को सार्वजनिक संसाधन संहिता में जोड़ा गया है, ताकि इस प्रकार पढ़ा जा सके:

प्रभाग 16.3. स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान

26200. इस प्रभाग को कैलिफोर्निया स्वच्छ ऊर्जा रोजगार अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

26201. इस प्रभाग के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(a) कैलिफोर्निया में अच्छा भुगतान करने वाले ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा रोजगार का सृजन।

(b) कैलिफोर्निया के निवासियों को स्कूलों और सार्वजनिक भवनों की मरम्मत करने और उनको अद्यतन करने पर लगाना ताकि उनकी ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सके और अन्य स्वच्छ ऊर्जा सुधार कर सकें जो रोजगार का सृजन करते हैं और ऊर्जा व पैसे की बचत करते हैं।

(c) वाणिज्यिक और आवासीय इमारतों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने वाले निजी क्षेत्र के नए रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना।

(d) उपलब्ध फंड के साथ रोजगार सृजन और ऊर्जा लाभ की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करना।

(e) कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग और कैलिफोर्निया सार्वजनिक सुविधा आयोग के साथ समन्वय में कैलिफोर्निया के लिए उन्नत आर्थिक और ऊर्जा लाभों को पैदा करने के लिए मौजूदा ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों को पूरित करना और उनसे लाभ उठाना।

(f) व्यय किए समस्त धन और रोजगार और प्राप्त लाभों का एक पूर्ण सार्वजनिक लेखा उपलब्ध कराना ताकि इस प्रभाग के अनुसार वित्त पोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके।

अध्याय 2. स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन फंड

26205. स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन फंड को एतद्द्वारा राजकीय फंड में स्थापित किया जाता है। धारा 26208 में उपलब्ध कराए गए को छोड़कर, पांच सौ पचास मिलियन डॉलर ($550,000,000) की राशि को वित्तीय साल 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में सामान्य फंड में रोजगार सृजन फंड के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। फंड में से धन उन परियोजनाओं के विनियोग के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होगा जो ऊर्जा दक्षता में सुधार करके और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करके कैलिफोर्निया में रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, निम्नलिखित में से समस्त सहित:

(a) स्कूल एवं सार्वजनिक सुविधाएं:

(1) सार्वजनिक स्कूल: संबंधित सुधार और मरम्मत सहित ऊर्जा दक्षता मरम्मत और स्वच्छ ऊर्जा संस्थापन जो सार्वजनिक स्कूलों में परिचालन लागत को कम करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं।

(2) विश्वविद्यालय और कॉलेज: ऊर्जा दक्षता मरम्मत, स्वच्छ ऊर्जा संस्थापन, और अन्य ऊर्जा प्रणाली सुधार जो लागत में कमी करते हैं और ऊर्जा एवं पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करते हैं।

(3) अन्य सार्वजनिक भवन और सुविधाएं: सार्वजनिक सुविधाओं पर किफायती ऊर्जा दक्षता मरम्मत और स्वच्छ ऊर्जा संस्थापनों के लिए परिक्रामी ऋण फंडों, कम ब्याज ऋण, या वित्तीय सहायता सहित वित्तीय और तकनीकी सहायता।

(b) रोजगार प्रशिक्षण और कार्यबल विकास: ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर वंचित युवाओं, बुजुर्गों, और दूसरों को प्रशिक्षित करने और नियोजित करने के लिए कैलिफोर्निया संरक्षण कोर, प्रमाणित सामुदायिक संरक्षण कोर, यूथबिल्ड, और अन्य मौजूदा कार्यबल विकास कार्यक्रमों के लिए वित्पोषण।

(c) अन्य सार्वजनिक-व्यक्तिगत साझेदारी: संपत्ति मूल्यांकन स्वच्छ ऊर्जा (PACE) कार्यक्रमों को स्थापित करने और उनका सुधार करने में स्थानीय सरकारों को सहायता या इसी प्रकार की किफायती मरम्मतों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता जिसमें चुकौती आवश्कताएं शामिल हैं। वित्त पोषण को प्राथमिकता रोजगार सृजन, ऊर्जा बचत, और भौगोलिक और आर्थिक इक्विटी को अधिकतम करने के लिए दी जाएगी। जहां संभव हो, चुकौती राजस्व का इस्तेमाल परिक्रामी ऋण फंडयों को बनाने या इसी तरह के चालू वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार सृजन के लाभ जारी रखे जा सकें।

26206. रोजगार सृजन फंड में से समस्त व्ययों के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होते हैं:

(a) परियोजना के चयन और निरीक्षण को ऊर्जा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में विशेषज्ञता वाली मौजूदा राज्य और स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

(b) सभी परियोजनाओं का चयन प्रत्येक परियोजना के प्रकार के लिए राज्य में रोजगार सृजन और ऊर्जा लाभ के आधार पर किया जाएगा।

(c) सभी परियोजनाएं किफायती होंगी: कुल लाभ समय के साथ परियोजना लागत की तुलना में अधिक होंगे। परियोजना के चयन में ऊर्जा के लाभ के अलावा स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे गैर-ऊर्जा लाभों पर विचार शामिल हो सकता है।

(d) सभी परियोजनाओं के लिए ऐसे अनुबंधों की आवश्यकता होगी जो परियोजना विनिर्देशों, लागतों और अनुमानित ऊर्जा बचतों की पहचान करते हैं।

(e) सभी परियोजनाएं लेखा परीक्षा के अधीन होगी।

(f) कार्यक्रम की ओवरहैड लागत कुल वित्तपोषण के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(g) वित्तपोषण को केवल उन एजेंसियों के लिए विनियोजित किया जाएगा जिनको ऊर्जा परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ स्थापित किया गया है।

(h) सभी कार्यक्रमों को कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग और कैलिफोर्निया सार्वजनिक सुविधा आयोग के साथ समन्वित किया जाएगा ताकि दोहराव से बचा जा सके और मौजूदा ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(i) पात्र व्यय में तकनीकी सहायता से जुड़ी लागतें, और परियोजनाओं की लागतों को कम करने और विलंब से संबंधित लागतें, जैसे उन प्रक्रियाओं का विकास एवं कार्यान्वयन जो डिजाइन की लागत को कम करते हैं, जिससे परियोजना को पूरा करने और रोजगार सृजन की अनुमति या वित्तपोषण या अन्य बाधाओं की अनुमति।

26208. यदि वित्त विभाग और विधान विश्लेषक संयुक्त रूप से तय करते हैं कि राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128, 25128.5, 25128.7 एवं 25136 में संशोधन करने, जोड़ने, या निरसित करने के फलस्वरूप राजस्व में अनुमानित वार्षिक वृद्धि एक बिलियन एक सौ मिलियन डॉलर्स ($1,100,000,000) से कम है तो रोजगार सृजन फंड को हस्तांतरित राशि में राजस्व में अनुमानित वार्षिक वृद्धि के आधे के बराबर राशि को कम किया जाएगा।

अध्याय 3. जबावदेही, निष्पक्ष लेखा परीक्षण, सार्वजनिक खुलासा

26210. (a) नागरिक पर्यवेक्षण बोर्ड इसके द्वारा बनाया गया है।

(b) बोर्ड में नौ सदस्य होंगे: तीन सदस्यों की नियुक्ति कोषाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, तीन सदस्यों की नियुक्ति नियंत्रक द्वारा और तीन सदस्यों की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल

द्वारा की जाएगी। प्रत्येक नियुक्ति कार्यालय एक सदस्य की नियक्ति करेगा, जो निम्नलिखित मानदंडों में से प्रत्येक को पूरा करता है:

(1) भवन निर्माण या डिजाइन में ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोई इंजीनियर, वास्तुकार, या अन्य पेशेवर।

(2) वित्तीय लेनदेन और कार्यक्रम की किफायत के मूल्यांकन में ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोई लेखाकार, अर्थशास्त्री, या अन्य पेशेवर।

(3) ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, या ऊर्जा प्रणालियों और कार्यक्रमों में कोई तकनीकी विशेषज्ञ।

(c) कैलिफोर्निया सार्वजनिक सुविधा आयोग और कैलिफोर्निया ऊर्जा आयोग में से प्रत्येक बोर्ड पर सेवा करने के लिए पदेन सदस्यों को नामित करेंगे।

(d) बोर्ड निम्न में से सभी को करेगा:

(1) रोजगार सृजन फंड में से समस्त व्ययों के लिए वार्षिक समीक्षा।

(2) रोजगार सृजन फंड को कमीशन करना और वार्षिक निष्पक्ष समीक्षा करना और इस प्रभाग के उद्देश्यों को पूरा करने में व्यय की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पूरी की गई परियोजनाओं का चयन।

(3) जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ इंटरनेट वेब साइट पर पोस्ट करते हुए प्रत्येक साल सभी व्ययों का पूरा लेखा प्रकाशित करना।

(4) विधायिका को इस प्रभाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करने के लिए कार्यक्रम के मूल्यांकन को जमा करना।

अध्याय 4. परिभाषाएं

26220. निम्नलिखित परिभाषाएं इस प्रभाग पर लागू होंगी:

(a) "स्वच्छ ऊर्जा" का मतलब है एक उपकरण या प्रौद्योगिकी जो धारा 26003 में "अक्षय ऊर्जा" की परिभाषा को पूरा करता है, या उन्नत ऊर्जा प्रबंधन या दक्षता के लिए योगदान देता है।

(b) "बोर्ड" का मतलब है नागरिक धारा 26210 में स्थापित पर्यवेक्षण बोर्ड।

(c) "रोजगार सृजन फंड" का मतलब है धारा 26205 में स्थापित स्वच्छ ऊर्जा रोजगार सृजन फंड।

(d) "कार्यक्रम ओवरहैड लागत" में इस प्रभाग के अनुसार राज्य एजेंसी विकास और फंड कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए स्टाफ शामिल है, लेकिन तकनीकी सहायता, मूल्यांकन, मापन, और सत्यापन, या परियोजना दक्षता को बढ़ाने या निष्पादन से संबंधित लागतों, और स्थानीय कार्यान्वयन से संबंधित लागतों को छोड़कर।

खंड 3. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 23101 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

23101. (a) "व्यापार करने" का मतलब है वित्तीय या आर्थिक लाभ या फायदे के प्रयोजन के लिए किसी भी लेन-देन में सक्रिय रूप से लिप्त होना।

(b) 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरु होने वाले कर योग्य साल के लिए, एक करदाता इस राज्य में किसी कर योग्य साल के लिए व्यापार करता है यदि निम्न में से कोई भी शर्त संतुष्ट हो जाती है:

(1) करदाता इस राज्य में संगठित है या वाणिज्यिक रूप से अधिवासित है।

(2) धारा 25120 के उपखंड (e) या (f) में परिभाषित के अनुसार, जो कर योग्य साल के लिए लागू है, इस राज्य में किसी करदाता की बिक्री पांच सौ हजार डॉलर ($500,000) या करदाता की कुल बिक्री के 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो, उससे अधिक है। इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, करदाता की बिक्री में किसी एजेंट या करदाता के स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा बिक्री शामिल हैं। इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, इस राज्य में बिक्री का निर्धारण ~~धारा~~ *धाराएं* 25135 और ~~धारा~~ 25136 ~~के उपखंड (b)~~, और इनके तहत बनाए गए विनियमों, जिनको धारा 25137 के तहत संशोधित किया गया है, के तहत बनाए गए नियमों का उपयोग करके किया जाएगा।

(3) इस राज्य में कर दाता की अचल संपत्ति और मूर्त निजी संपत्ति पचास हजार डॉलर ($50,000) या कर दाता की कुल अचल संपत्ति और मूर्त निजी संपत्ति के 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, उससे अधिक है। अचल संपत्ति और मूर्त निजी संपत्ति का मूल्य और यह निर्धारण कि क्या यह संपत्ति इस राज्य में स्थिति है, धाराओं 25129 से लेकर 25131, समावेशी, में निहित नियमों, और उनके तहत विनियमों के अनुसार किया जाएगा, जो धारा 25137 के तहत विनियमन द्वारा संशोधित किए गए हैं।

(4) इस राज्य में मुआवजे के लिए करदाता द्वारा भुगतान की गई राशि, जैसे कि धारा 25120 के उपखंड (c) में परिभाषित है, पचास हजार डॉलर ($50,000) या करदाता द्वारा भुगतान किए गए कुल मुआवजे के 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो, से अधिक है। इस राज्य में मुआवजे का निर्धारण पेरोल को निर्दिष्ट करने के लिए धारा 25133 में निहित नियमों और उनके तहत विनियमों के अनुसार किया जाएगा, जो धारा 25137 के तहत विनियमन द्वारा संशोधित किए गए हैं।

(c) (1) फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड धारा 17041 के उपखंड (h) के अनुसार उपखंड (b) के अनुच्छेदों (2), (3) और (4) में राशि को सालाना संशोधित करेगा।

(2) अनुच्छेद (1) द्वारा आवश्यक समायोजन के प्रयोजनों के लिए धारा 17041 के उपखंड (h) को "1988" के एवज में "2012" को प्रतिस्थापित करके लागू किया जाएगा।

(d) करदाता की बिक्री, संपत्ति, पेरोल में करदाता का यथानुपात या पास-थ्रू संस्थाओं का वितरण पात्र हिस्सा शामिल है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "पास-थ्रू संस्थाओं" का मतलब है एक साझेदारी या एक "S" निगम।

खंड 4. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25128. (a) धारा 38006 के होते हुए भी, *1 जनवरी 2013 से पहले शुरू होने वाले कर योग्य वर्षों के लिए* सभी व्यापारिक आय को व्यापारिक आय को एक अंश से गुणा करके इस राज्य के लिए विभाजित किया जाएगा, जिसका अंश संपत्ति कारक प्लस पेरोल कारक प्लस बिक्री कारक का दोगुना है, और उसका हर उपखंड (b) या (c) में प्रदत्त के सिवाय चार है।

(b) यदि विभाजित व्यापार या कारोबार अपनी "सकल व्यापार प्राप्तियों" के 50 प्रतिशत को एक या एक से अधिक पात्र व्यापारों को करके प्राप्त करता है तो समस्त विभाजित व्यापार या कारोबार की आय को व्यापारिक आय को व्यापारिक आय को एक अंश से गुणा करके इस राज्य के लिए विभाजित किया जाएगा, जिसका अंश संपत्ति कारक प्लस पेरोल कारक प्लस बिक्री कारक है, और उसका हर तीन है।

(c) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक "पात्र व्यावसायिक गतिविधि" का मतलब निम्नलिखित है:

(1) एक कृषि व्यापार गतिविधि।

(2) एक निष्कर्षित व्यापार गतिविधि।

(3) एक बचत एवं ऋण गतिविधि।

(4) बैंकिंग या वित्तीय कारोबार गतिविधि।

(d) इस धारा के प्रयोजनों के लिए:

(1) "सकल व्यापार प्राप्ति" का मतलब है धारा 25120 के उपखंड (e) या (f) में वर्णित सकल प्राप्ति (किसी विभाज्य व्यापार या कारोबार के भीतर निगमों के समूहों के सदस्यों के बीच लेन-देन के अलावा बिक्री से प्राप्ति जिनकी आय और प्रभाजन कारकों को धारा 25101, सीमित, यदि लागू है, के तहत धारा 25137 के तहत एक संयुक्त रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है, यदि लागू हो, 25110 धारा) के द्वारा, चाहे या नहीं प्राप्तियों बिक्री कारक से आपरेशन द्वारा बाहर रखा गया है।

(2) "कृषि व्यापार गतिविधि" का मतलब है किसी भी स्टॉक, डेयरी, मुर्गी पालन, फल, फर वाले पशु, ट्रक फार्म, वृक्षारोपण, खेत, नर्सरी, या सीमा से संबंधित गतिविधियाँ। "कृषि कारोबार गतिविधि" में मिट्टी की खेती करने या किसी भी कृषि या बागवानी वस्तु को उगाने या कटाई करने सहित संबंधित गतिविधियाँ शामिल

39

है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, किसी फार्म पर पशुओं का उत्पादन, कर्तन, भोजन, देखभाल, प्रशिक्षण, या प्रबंधन और साथ ही फार्म पर किसी कृषि या बागवानी वस्तु का इसकी अनिर्मित अवस्था में रखरखाव, सुखाना, पैकिंग, ग्रेडिंग, या भंडारण करना, लेकिन केवल तभी जब अगर फार्म के मालिक, किरायेदार या ऑपरेटर नियमित रूप से किसी वस्तु के आधे से अधिक का उत्पादन करते हैं।

(3) "निष्कर्षित व्यावसायिक गतिविधि" का मतलब है तेल, प्राकृतिक गैस, या खनिज अयस्क के उत्पादन, शोधन, या प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियाँ।

(4) "बचत और ऋण गतिविधि" का मतलब है बचत एवं ऋण द्वारा या बचत बैंकों द्वारा निष्पादित गतिविधियाँ जिनको संघीय या राज्य कानून द्वारा चार्टर्ड किया गया है।

(5) "बैंकिंग या वित्तीय कारोबार गतिविधि" का मतलब है राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारोबार के साथ पर्याप्त प्रतिस्पर्धा में धन या धन संबंधी लेन-देन के कारण गतिविधियाँ।

(6) "व्यापार या कारोबार का प्रभाजन" का मतलब है एक विशिष्ट व्यापार या कारोबार जिसकी व्यापारिक आय को धाराओं 25101 एवं 25120 के तहत, सीमित, यदि लागू हो तो धारा 25110 के द्वारा, प्रभाजित किया जाना आवश्यक है, प्रत्येक लागू पेरोल, संपत्ति, और बिक्री कारकों के लिए एक ही विभाजक का उपयोग करके।

(7) उपखंड (c) का पैराग्राफ (4) लागू होगा अगर फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड वित्तीय संस्थानों, या इसकी पर्याप्त समकक्षों से शुद्ध आय के एकसमान प्रभाजन के लिए प्रस्तावित बहुराजकीय कर आयोग फॉर्मूला स्वीकार कर लेता है, और उसी तिथि से ऑपरेटिव होगा जिससे कि अपनाया गया फॉर्मूला।

(8) किसी भी अवस्था में जहाँ दो या दो से अधिक बचत संघों या निगमों की आय और प्रभाजन कारकों को धारा 25101 के तहत, सीमित, यदि लागू हो, धारा 25110 के द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट में शामिल किया जाना वाँछित है, तो निम्न में से दोनों लागू होंगे:

(A) उपखंड (b) के 50 प्रतिशत से अधिक परीक्षणों का अनुप्रयोजन पूरे प्रभाज्य व्यापार या समूह के कारोबार की "सकल व्यापार प्राप्ति" के संबंध में किया जाएगा।

(B) समूह की पूरी व्यापार आय या तो उपखंड (a) या (b) के अनुसार, या ~~धारा 25128.5 के उपखंड (b);~~ *धारा 25128.5 या 25128.7* के अनुसार प्रभाजित की जाएगी, जैसा लागू हो।

खंड 5. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128.5 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25128.5. (a) धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* कोई भी प्रभाजक व्यापार या कारोबार, धारा 25128 के उपखंड (b) में वर्णित व्यापार या कारोबार के अलावा, एक मूल समयबद्ध दायर रिटर्न पर एक सालाना अपरिवर्तनीय वार्षिक चुनाव कर सकता है, जिसके तरीके और फॉर्म को फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड द्वारा इस धारा के अनुसार इसकी आय को प्रभाजित करने के लिए निर्धारित किया गया है और धारा 25128 के अनुसार नहीं।

(b) धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू हेने वाले कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* किसी प्रभाजक व्यापार या कारोबार, जो उपखंड (a) में वर्णित चुनाव को करता है, की समस्त आय व्यापार आय को बिक्री गुणक से गुणा करके इस राज्य को प्रभाजित की जाएगी।

(c) इस धारा के तहत चुनाव करने के संबंध में आवश्यक या उचित विनियमों को जारी करने के लिए फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड अधिकृत है, जिसमें वे विनियम शामिल हैं जो धारा 25113 के तहत चुनाव करने के लिए निर्धारित नियमों के साथ संगत हैं।

(d) यह धारा 1 जनवरी 2013 या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल पर लागू नहीं होगी, और, अब 1 दिसम्बर 2013 को निरसित कर दिया गया है।

खंड 6. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25128.7 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25128.7. धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरू हेने वाले कर योग्य साल के लिए, धारा 25128 के उपखंड (b) में वर्णित व्यापार या कारोबार के अलावा, किसी प्रभाजक व्यापार या कारोबार की समस्त आय व्यापार आय को बिक्री गुणक से गुणा करके इस राज्य को प्रभाजित की जाएगी।

खंड 7. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25136 इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

25136. (a) 1 जनवरी 2011 से शुरू होने वाले कर योग्य साल और 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य सालों के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* जिसके लिए धारा 25128.5 ऑपरेटिव है और धारा 25128.5 के उपखंड (a) के तहत चुनाव नहीं किया गया है, तो मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के अलावा बिक्री, इस राज्य में हैं, अगर:

(1) आय पैदा करने वाली गतिविधि इस राज्य में निष्पादित की जाती है; अथवा

(2) आय पैदा करने वाली गतिविधि इस राज्य के बाहर और भीतर दोनों में निष्पादित की जाती है और आय पैदा करने वाली गतिविधि का एक बड़ा अनुपात निष्पादन की लागत के आधार पर किसी अन्य राज्य की तुलना में इस राज्य में निष्पादित किया जाता है।

(3) 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले,* जिसके लिए धारा 25128.5 किसी करदाता के लिए ऑपरेटिव नहीं है इस भाग के अंतर्गत लगाए गए कर के अधीन, यह उपखंड लागू होगा, और उपखंड (b) लागू नहीं होगा।

(b) 1 जनवरी 2011 को या उसके बाद शुरू कर योग्य साल के लिए, *और 1 जनवरी 2013 से पहले*:

(1) सेवाओं से बिक्री उस हद तक इस राज्य में है जिस तक सेवा के खरीदार ने इस राज्य में सेवा का लाभ प्राप्त किया हो।

(2) इस राज्य में अमूर्त संपत्ति से बिक्री उस हद तक है जिस तक संपत्ति का इस राज्य में प्रयोग किया जाता है। विपणन पात्र प्रतिभूतियों के मामले में, बिक्री इस राज्य में है अगर ग्राहक इस राज्य में है।

(3) अचल संपत्ति की बिक्री करने, पट्टे पर देने, किराये पर देन, या लाइसेंस देने से बिक्री इस राज्य में है अगर अचल संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(4) मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के किराए, पट्टे, या लाइसेंस से बिक्री इस राज्य में है यदि संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(5) (A) यदि धारा 25128.5 ऑपरेटिव है, तो ऐसे किसी भी कर योग्य साल जिसके लिए चुनाव को धारा 25128.5 के उपखंड (a) के तहत किया गया है, उपखंड (a) के एवज में यह उपखंड लागू होगा।

(B) यदि धारा 25128.5 ऑपरेटिव नहीं है, तो यह उपखंड लागू नहीं होगा और उपखंड (a) ऐसे किसी भी करदाता के लिए लागू होगा जो इस भाग के तहत कराधान के अधीन है।

(C) उप अनुच्छेद (A) या (B) के होते हुए भी, यह उपखंड धारा 23101 के उपखंड (b) के पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए लागू होगा।

(c) फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड उन विनियमों की सिफारिश कर सकता है जो उपखंड (b) के प्रयोजनों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

(d) यह धारा 1 जनवरी 2013 या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल पर लागू नहीं होगी, और, अब 1 दिसम्बर 2013 को निरसित कर दिया गया है।

खंड 8. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25136 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25136. (a) धारा 38006 के होते हुए भी, 1 जनवरी 2013 या उसके बाद शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को छोड़ बिक्री इस राज्य में हैं, यदि:

(1) इस राज्य में सेवाओं से बिक्री उस हद तक है जिस तक सेवा के खरीदार ने इस राज्य में सेवाओं का लाभ प्राप्त किया हो।

(2) इस राज्य में अमूर्त संपत्ति से बिक्री उस हद तक है जिस तक संपत्ति का इस राज्य में प्रयोग किया जाता है। विपणन पात्र प्रतिभूतियों के मामले में, बिक्री इस राज्य में है अगर ग्राहक इस राज्य में है।

(3) अचल संपत्ति की बिक्री करने, पट्टे पर देने, किराये पर देन, या लाइसेंस देने से बिक्री इस राज्य में है अगर अचल संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(4) मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के किराए, पट्टे, या लाइसेंस से बिक्री इस राज्य में है यदि संपत्ति इस राज्य में स्थित है।

(b) फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड उन विनियमों की सिफारिश कर सकता है जो इस धारा के प्रयोजनों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

खंड 9. राजस्व और कराधान संहिता की धारा 25136.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

25136.1. (a) 1 जनवरी 2013 को या उसके बाद शुरु होने वाले कर योग्य साल के लिए, एक पात्र करदाता जो धारा 25128.7 के तहत अपनी व्यापार आय को विभाजित करता है, वह निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करेगा:

(1) 25137 धारा के होते हुए भी, इस राज्य को आवंटित पात्र बिक्री उस पात्र बिक्री की 50 प्रतिशत के बराबर होगी जो धारा 25136 के अनुसार इस राज्य को आवंटित की जाएगी लेकिन धारा के लागू होने को छोड़कर। शेष 50 प्रतिशत इस राज्य को आवंटित नहीं की जाएगी।

(2) अन्य सभी बिक्री को धारा 25136 के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

(b) इस धारा के प्रयोजनों के लिए:

(1) "पात्र करदाता" का मतलब है किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह, जो एक पात्र समूह भी है, का एक सदस्य, जैसा कि कैलिफोर्निया विनियम संहिता शीर्षक 18 की धारा 25106.5 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (10) में परिभाषित है, जो इस धारा में जोड़ते हुए अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावी है।

(2) "पात्र समूह" का मतलब है एक संयुक्त रिपोर्टिंग समूह, जैसा कि कैलिफोर्निया विनियम संहिता शीर्षक 18 की धारा 25106.5 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (3) में परिभाषित है, जो इस धारा में जोड़ते हुए अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावी है, जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता है:

(A) उसने कर योग्य साल के लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता को संतुष्ट किया है।

(B) कैलेंडर साल 2006 में संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के लिए शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए, संयुक्त रिपोर्टिंग समूह ने एक या एक से अधिक केबल सिस्टम के आपरेशन से अपने संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क के सकल व्यापार प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक व्युत्पन्न किया हो।

(C) उप-अनुच्छेद (B) की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(i) यदि किसी कर योग्य साल के लिए संयुक्त रिपोर्टिंग समूह का कोई सदस्य कैलेंडर साल 2006 में कर योग्य साल के शुरुआत के लिए उसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह का सदस्य नहीं था, तो उस गैर शामिल सदस्य की सकल व्यापार प्राप्तियों को संयुक्त रिपोर्टिंग समूह की सकल व्यापार प्राप्तियों का कैलेंडर साल 2006 में शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए निर्धारण करने में इस प्रकार शामिल किया जाएगा मानो वह गैर शामिल सदस्य कैलेंडर साल 2006 में शुरू होने वाले कर योग्य साल के लिए संयुक्त रिपोर्टिंग समूह का एक सदस्य था।

(ii) सकल व्यापार प्राप्तियों में किसी पात्र साझेदारी की सकल व्यापार प्राप्तियाँ शामिल होंगी, परन्तु केवल साझेदारी में एक सदस्य के हित की हद तक।

(3) "केबल प्रणाली" और "नेटवर्क" का अर्थ वही होगा जो सार्वजनिक सुविधाएं संहिता की धारा 5830 में परिभाषित है, जैसा कि इस अनुभाग में जोड़ने वाले अधिनियम की प्रभावी तिथि पर प्रभावी है। "नेटवर्क सेवाओं" का मतलब है वीडियो, केबल, आवाज, या डाटा सेवाएं।

(4) "सकल व्यापार प्राप्तियाँ" का मतलब है धारा 25120 के उपखंड (f) के अनुच्छेद (2) में परिभाषित सकल प्राप्तियाँ (किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के सदस्यों के बीच बिक्री या अन्य लेनदेन से सकल प्राप्तियाँ, सीमित, यदि लागू हैं, धारा 25110 के अनुसार)।

(5) "न्यूनतम निवेश की आवश्यकता" का मतलब है कैलेंडर साल के दौरान किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह द्वारा कर योग्य साल की शुरुआत सहित कम से कम दो सौ पचास मिलियन डॉलर ($250,000,000) का पात्र व्यय।

(6) "पात्र व्यय" का मतलब है इस राज्य के लिए उन व्ययों का कोई संयोजन जो मूर्त संपत्ति, पेरोल, सेवाओं, फ्रेंचाइज शुल्क, या किसी भी अमूर्त संपत्ति के वितरण या अन्य अधिकारों के लिए किसी संयुक्त रिपोर्टिंग के किसी सदस्य के द्वारा या उसकी ओर से भुगतान किए जाते हैं या किए जाते हैं।

(A) मूर्त संपत्ति के अलावा किसी अन्य के लिए व्यय इस राज्य के कारण से हो सकता है अगर संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के सदस्य ने इस राज्य में खरीदारी करने या व्यय करने का लाभ प्राप्त किया हो।

(B) मूर्त संपत्ति की खरीदारी या उसके लिए व्यय इस राज्य के कारण से हो सकता है अगर संपत्ति इस राज्य में सेवा के लिए स्थापित है।

(C) पात्र व्यय में किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह द्वारा संपत्ति या सेवाओं को खरीदने, उनका प्रयोग करने, या इस राज्य में स्वतंत्र ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए जाने के लिए व्यय शामिल होगा।

(D) पात्र व्यय में किसी पात्र साझेदारी द्वारा व्यय भी शामिल होगा, लेकिन केवल साझेदारी में सदस्य के हित की हद तक।

(7) "पात्र साझेदारी" का मतलब है एक साझेदारी अगर साझेदारी की आय और प्रभाजन कारकों को किसी संयुक्त रिपोर्टिंग समूह के किसी सदस्य की आय और प्रभाजन कारकों में शामिल किया जाता है, लेकिन केवल साझेदारी में सदस्य के हित की हद तक शामिल।

(8) "पात्र बिक्री" का तात्पर्य है ग्राहक परिसर उपस्कर की बिक्री और किराए पर लेने से सकल प्राप्तियों के अलावा किसी भी नेटवर्क सेवाओं के प्रावधान से सकल व्यापार प्राप्ति। "पात्र बिक्री" में किसी पात्र साझेदारी द्वारा पात्र बिक्री शामिल हैं, परन्तु साझेदारी में केवल किसी सदस्य के हित की हद तक।

(c) इस खंड में किसी पात्र साझेदारी द्वारा पात्र बिक्री के संबंध में नियमों का मंतव्य कैलिफोर्निया विनियम संहिता के शीर्षक 18 की धारा 25137–1 के उपखंड (f) के अनुच्छेद (3) के तहत साझीदारी के लिए नियमों के अनुरूप होना है।

प्रस्ताव 40

राज्यव्यापी सीनेट नक्शा जिसे 15 अगस्त, 2011 को सिटीज़ंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन ने प्रमाणित किया है, को कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XXI के खंड 2 की (i) उपश्रेणी के अनुसार मत-संग्रह के रूप में लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित कानून

प्रस्तुत किया गया
कैलिफोर्निया राज्य के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट
के कार्यालय में 15 अगस्त 2011

स्वीकृत प्रस्ताव
कैलिफोर्निया सिटीज़ंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन
राज्यव्यापी सीनेट नक्शे का प्रमाणन

15 अगस्त, 2011

जबकि, 29 जुलाई, 2011 को कैलिफोर्निया सिटीज़ंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन (कमीशन) ने राज्यव्यापी सीनेट नक्शे (सीनेट नक्शा) को प्रकाशित करने व सार्वजनिक टिप्पणी हेतु स्वीकृति के लिए मत दिया है जिसे प्रारंभिक अंतिम सीनेट नक्शे के तौर पर उललेखित किया है; और,

जबकि, 15 अगस्त, 2011 को कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XXI के खंड 2(c)(5) के अनुसार, कमीशन ने सीनेट नक्शे को अंतिम के तौर पर स्वीकार करने हेतु मत दिया है जिसे crc_20110815_senate_certified_statewide.zip और सुरक्षित हैश अल्गोरिथम (SHA-1) संख्या 14cd4e126ddc5bdce946f67376574918f3082d6b द्वारा चिह्नित किया गया।

इसलिए, अब यह स्वीकृत किया जाता है कि कैलिफोर्निया संविधान के अनुच्छेद XXI के खंड 2(g) के अनुसार, सीनेट नक्शा जिसे उपरोक्त उल्लेखित SHA-1 द्वारा चिह्नित किया गया, को एतद्वारा कमीशन द्वारा प्रमाणित किया जाता है और इसे कैलिफोर्निया के सेक्रेटी ऑफ स्टेट को तत्काल भेज दिया जाएगा; और,

आगे स्वीकृत किया जाता है कि कमीशन के सदस्यों ने इस स्वीकृत प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

Gabino Aguirre, Commissioner (D)

Stanley Forbes, Commissioner (DTS)

Angelo Ancheta, Commissioner (D)

Connie Galambos-Malloy, Commissioner (DTS)

Vincent Barabba, Commissioner (R)

Lilbert "Gil" Ontai, Commissioner (R)

Maria Blanco, Commissioner (D)

M. Andre Parvenu, Commissioner (DTS)

Cynthia Dai, Commissioner (D)

Jeanne Raya, Commissioner (D)

Michelle DiGuilio, Commissioner (DTS)

Michael Ward, Commissioner (R)

Jodie Filkins Webber, Commissioner (R)

Peter Yao, Commissioner (R)

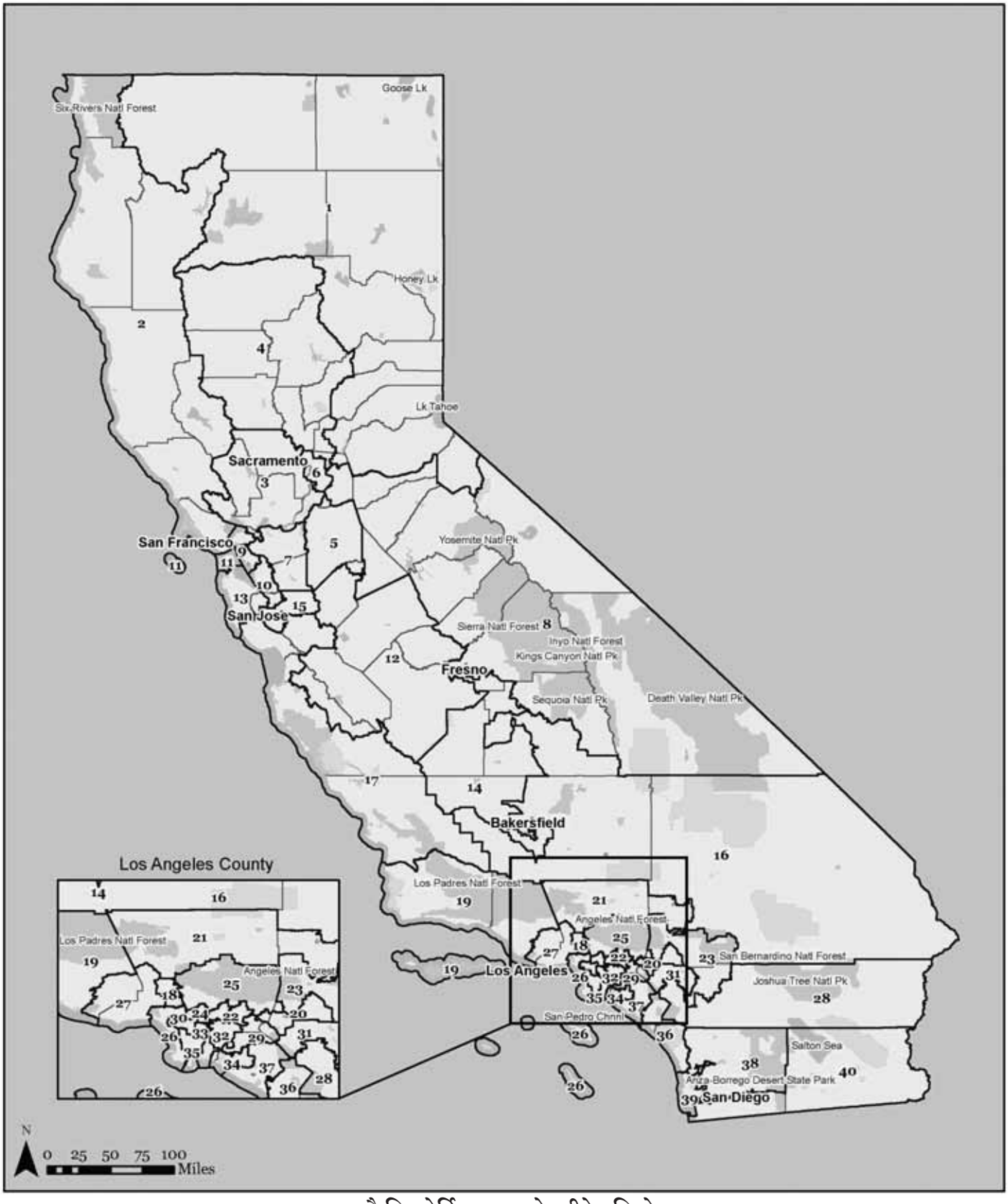

कैलिफोर्निया राज्य के सीनेट ज़िले

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 1

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 2

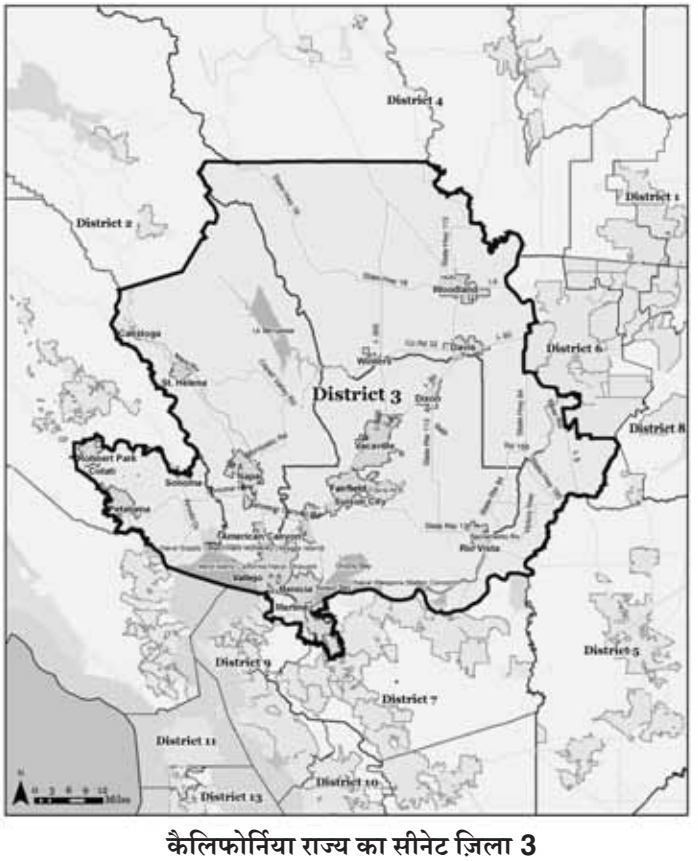

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 3

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 4

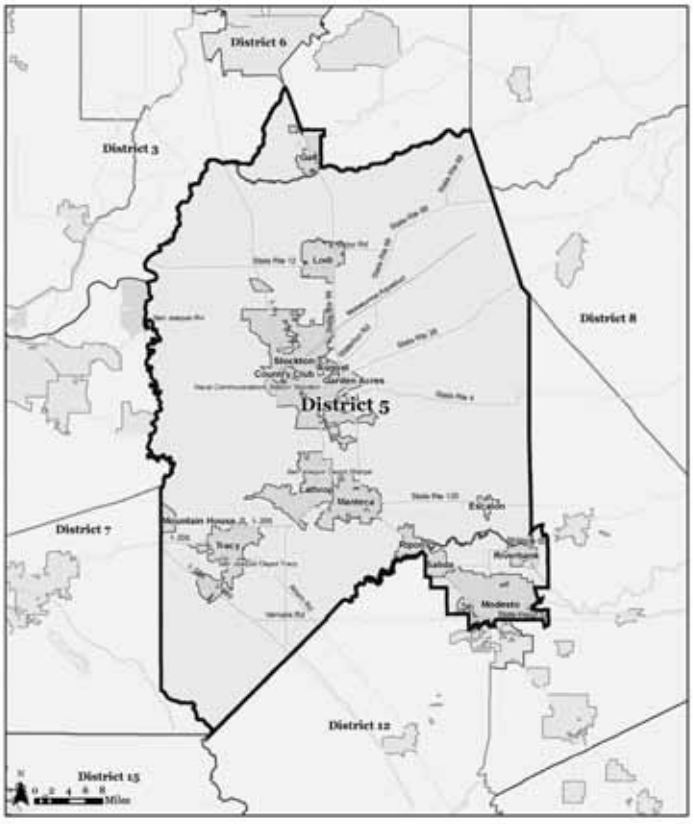

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 5

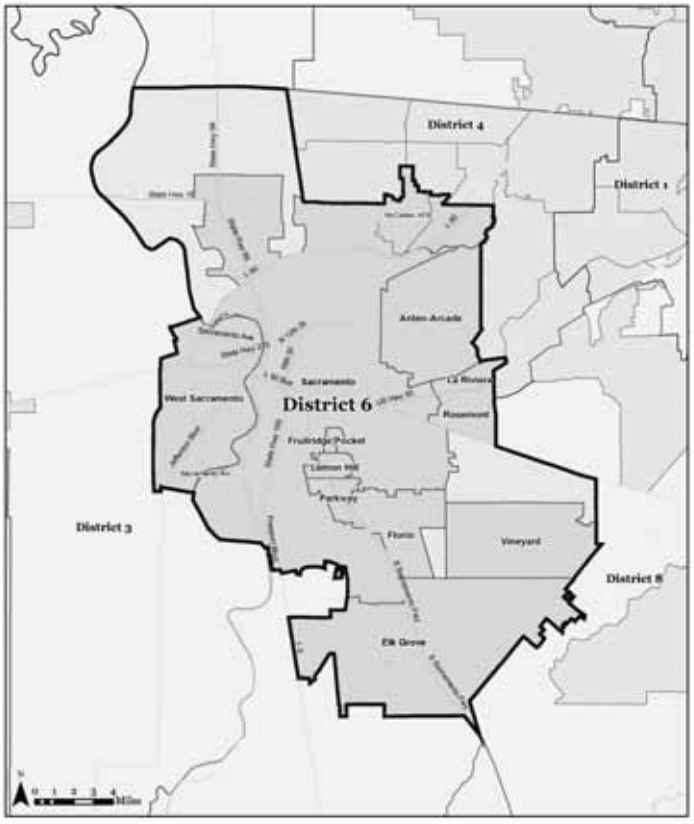

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 6

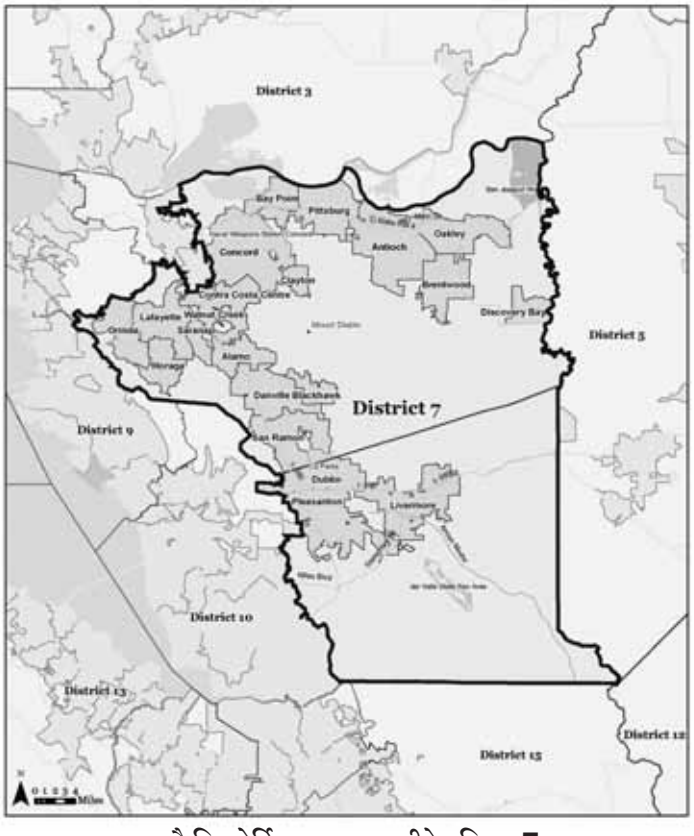

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 7

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 8

40

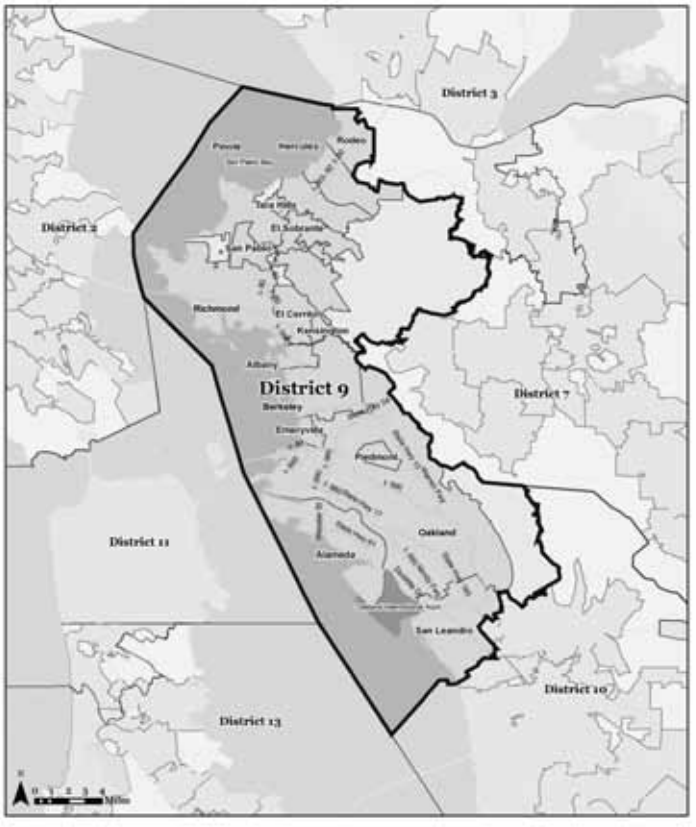

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 9

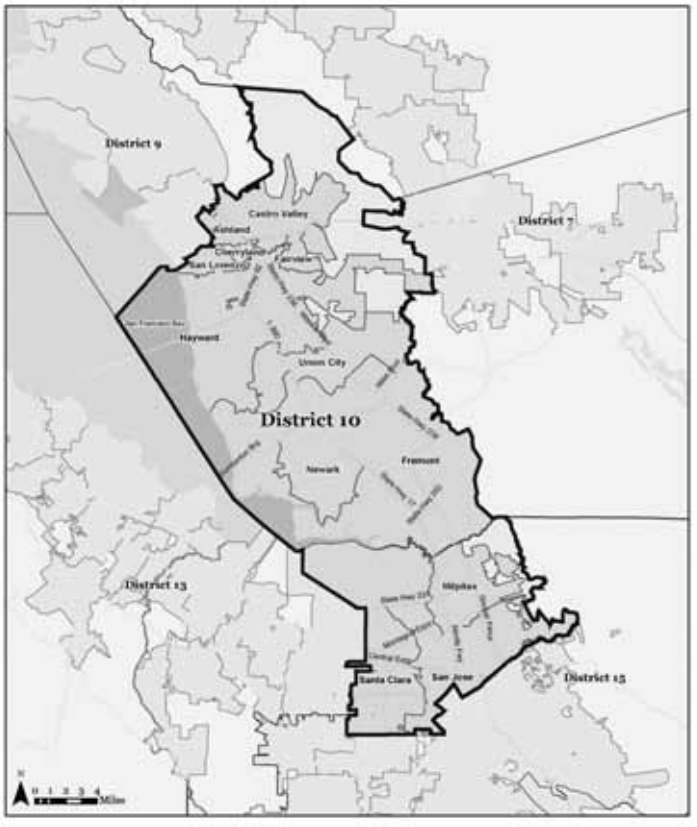

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 10

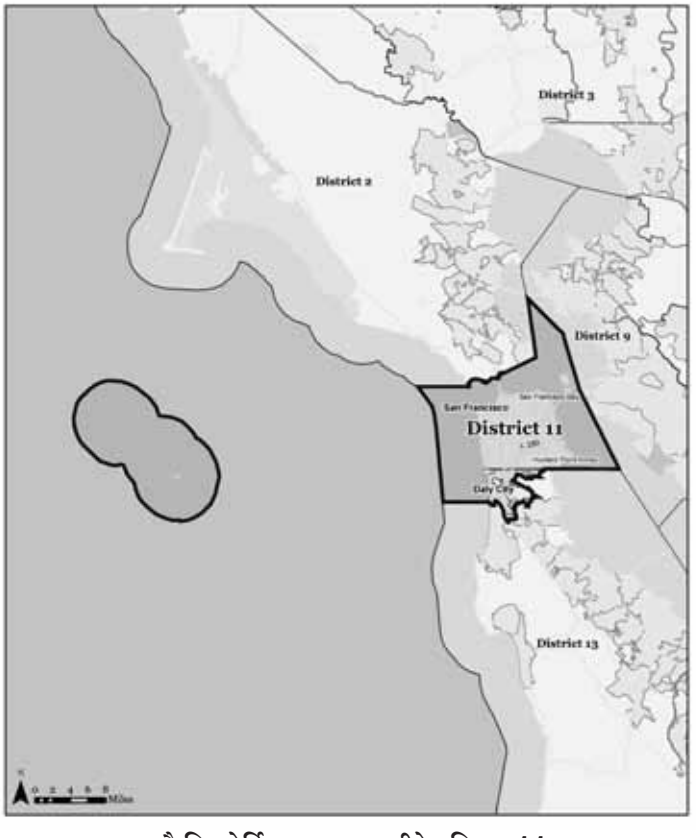

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 11

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 12

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 13

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 14

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 15

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 16

40

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 17

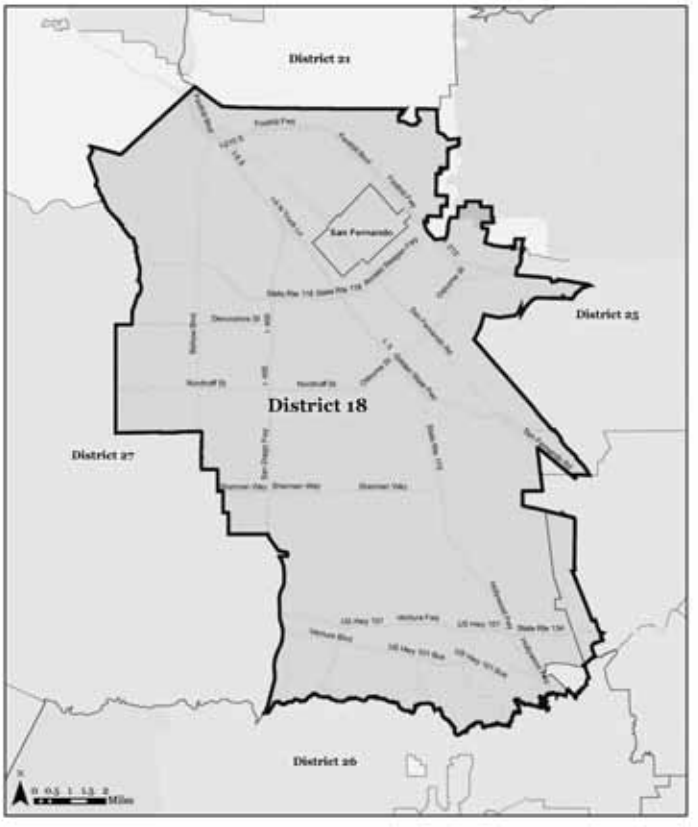

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 18

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 19

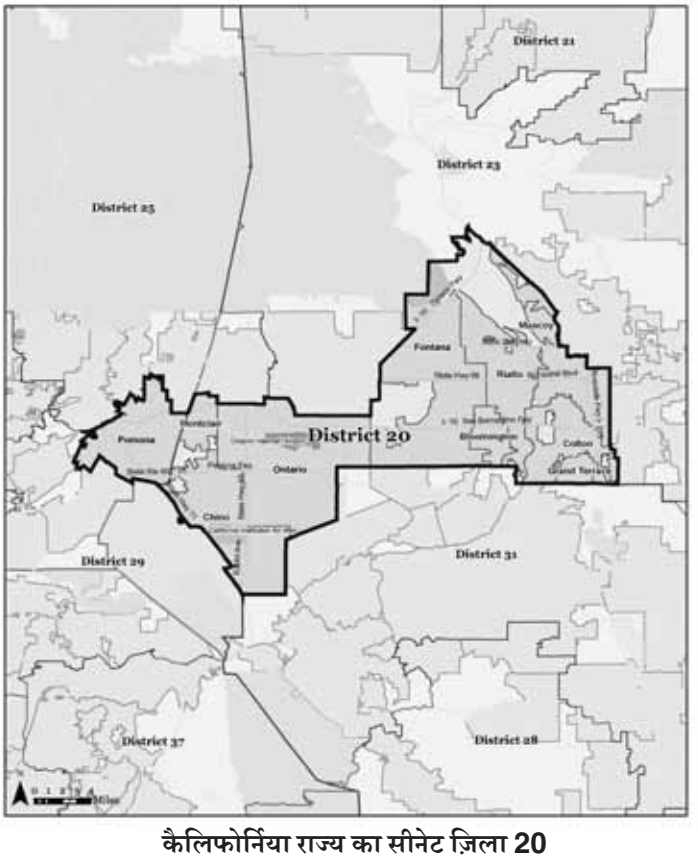

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 20

40

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 21

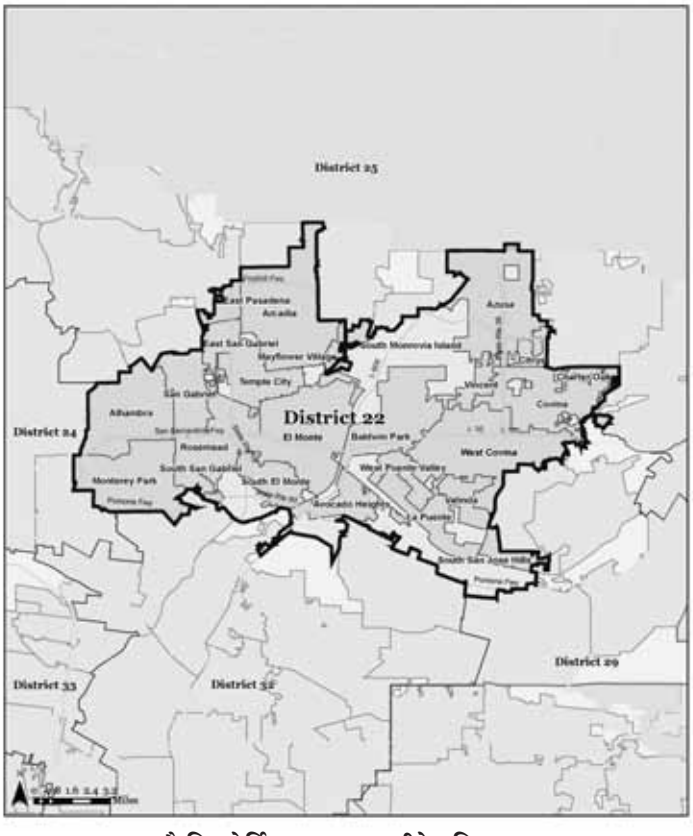

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 22

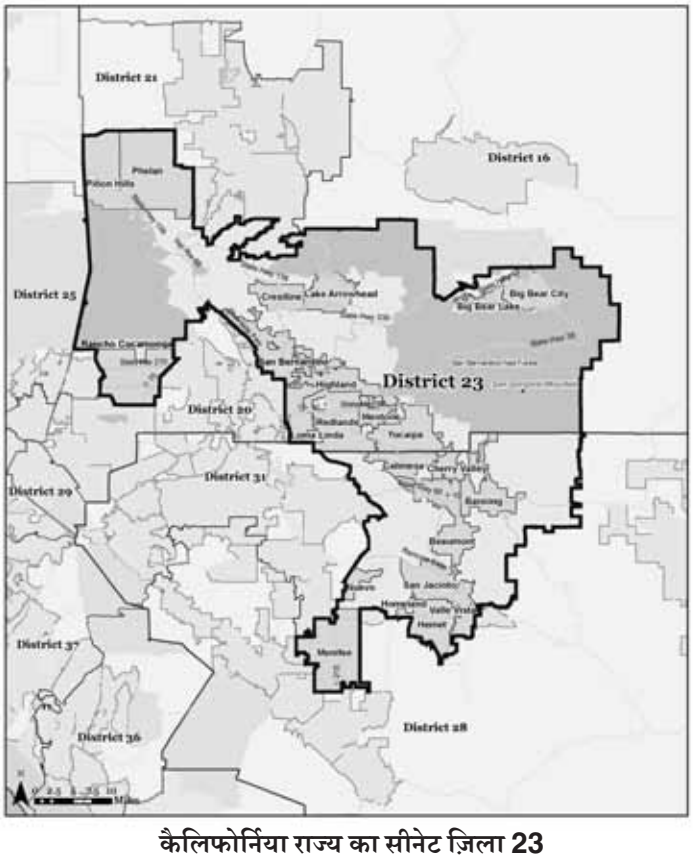

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 23

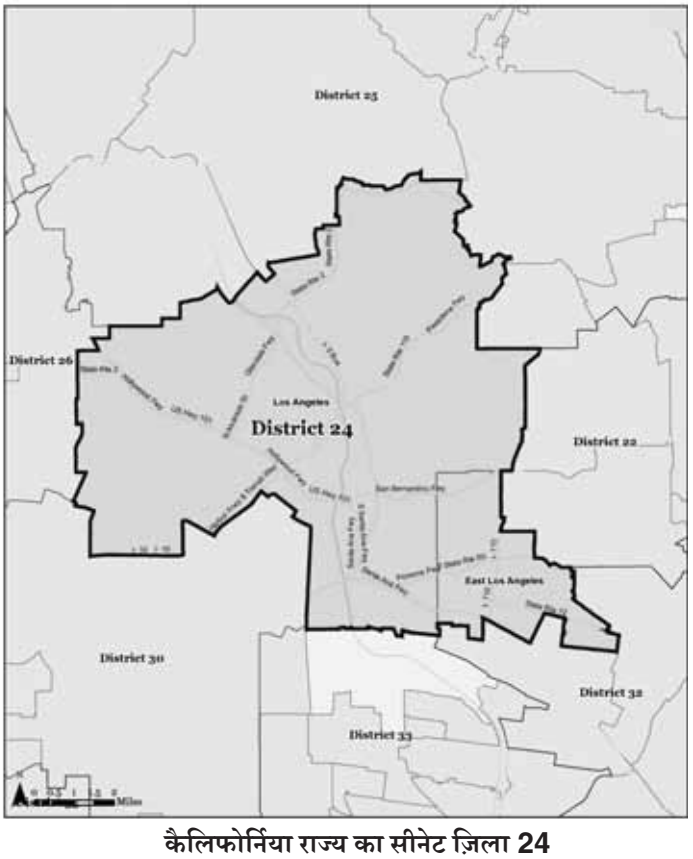

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 24

40

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 25

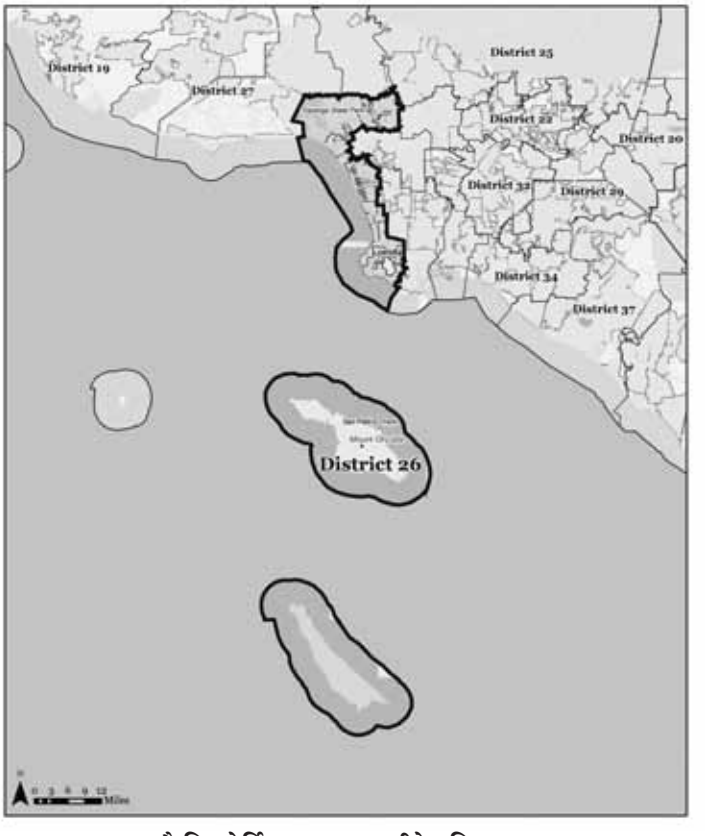

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 26

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 27

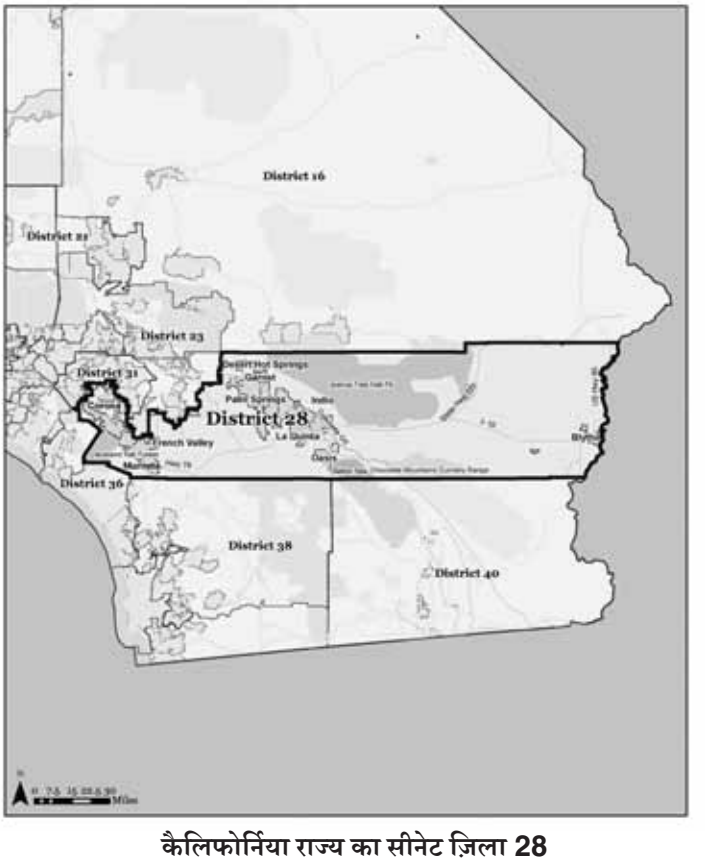

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 28

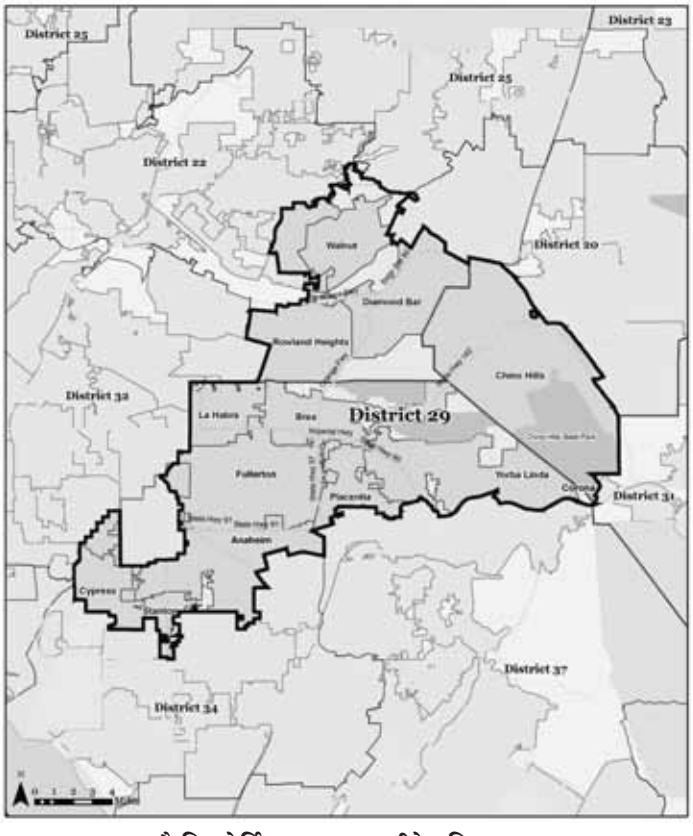

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 29

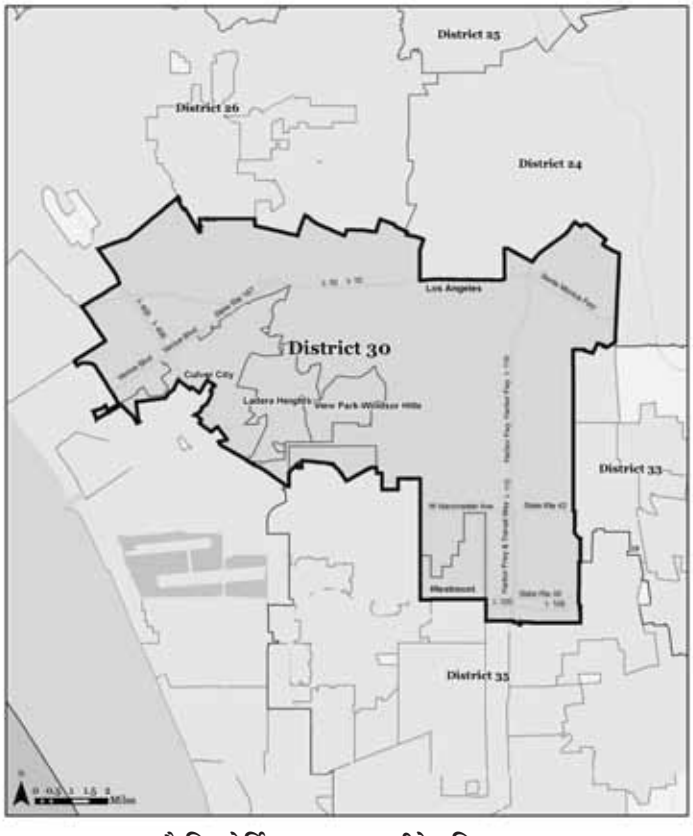

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 30

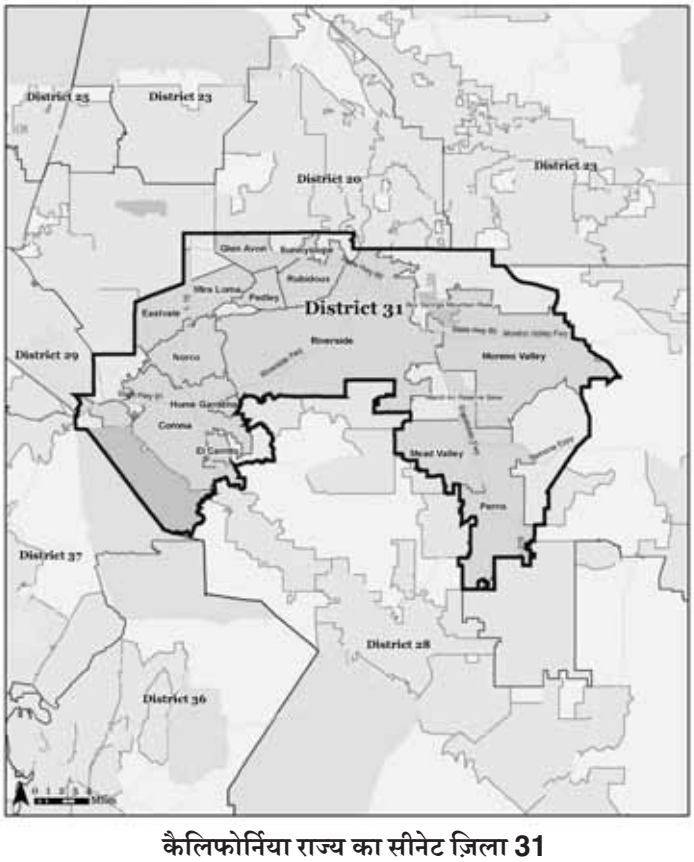

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 31

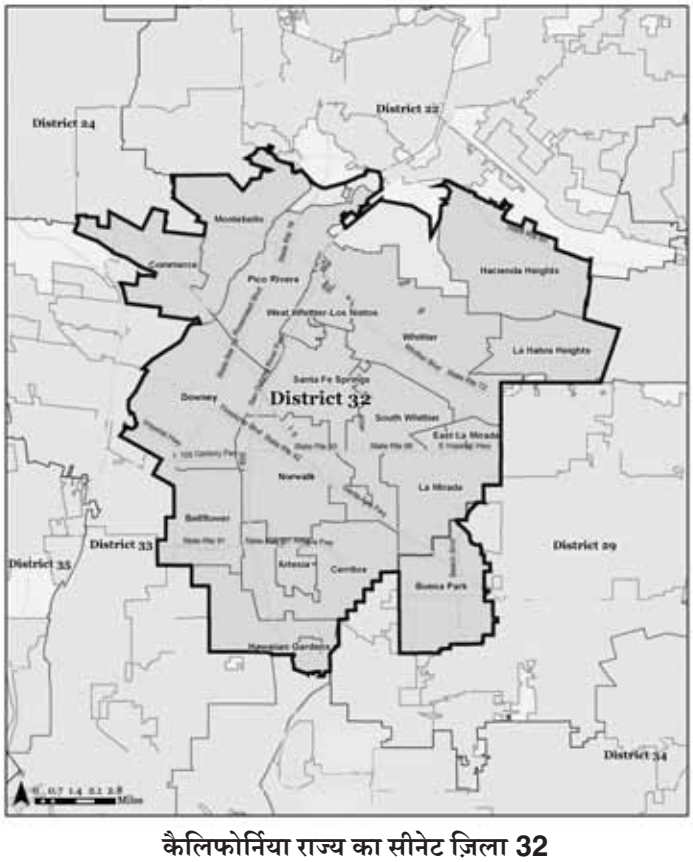

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 32

40

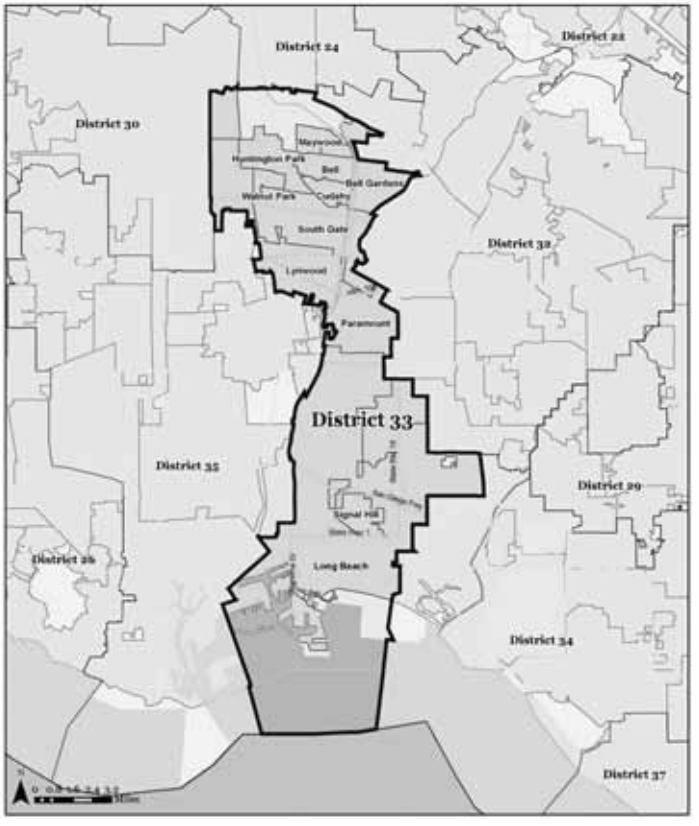

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 33

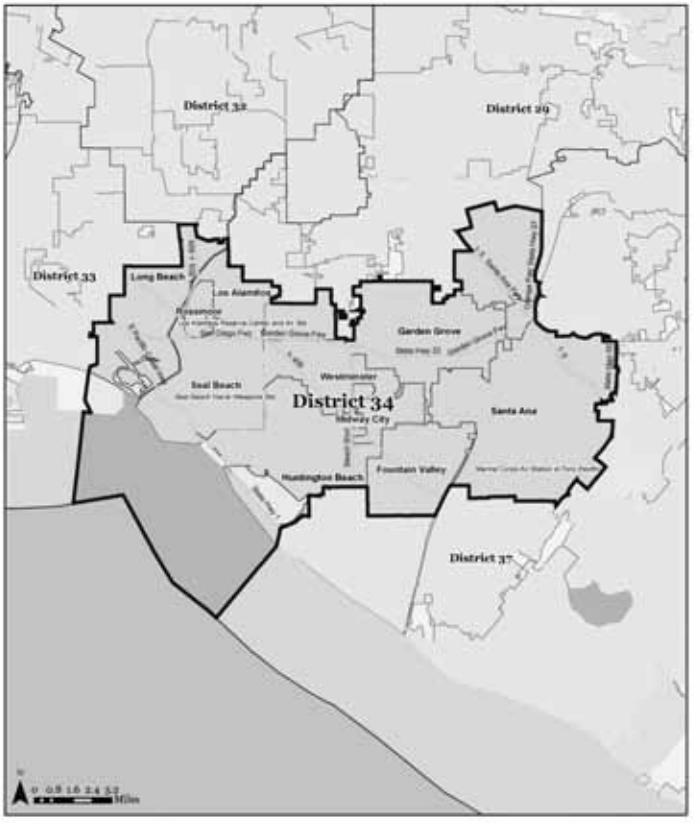

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 34

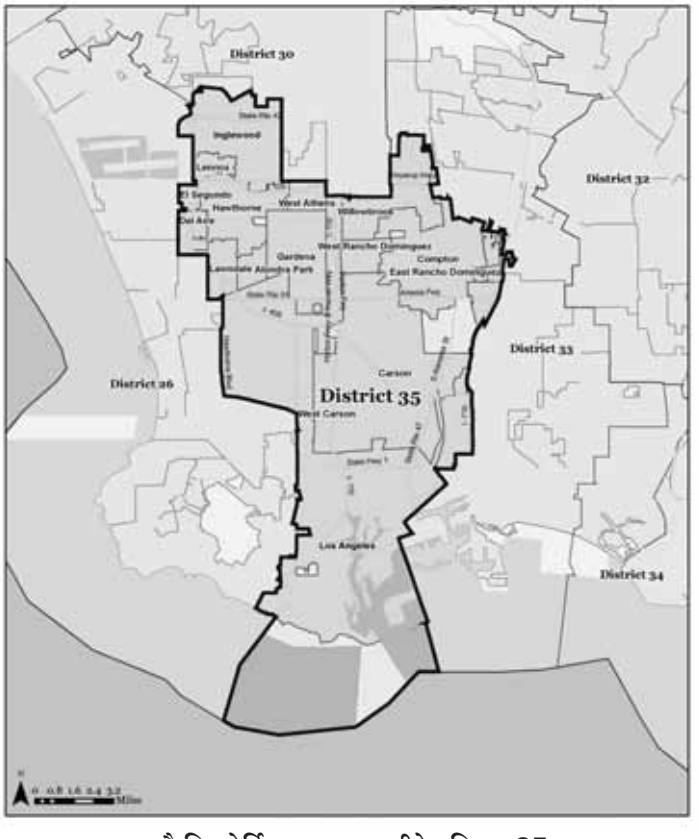

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 35

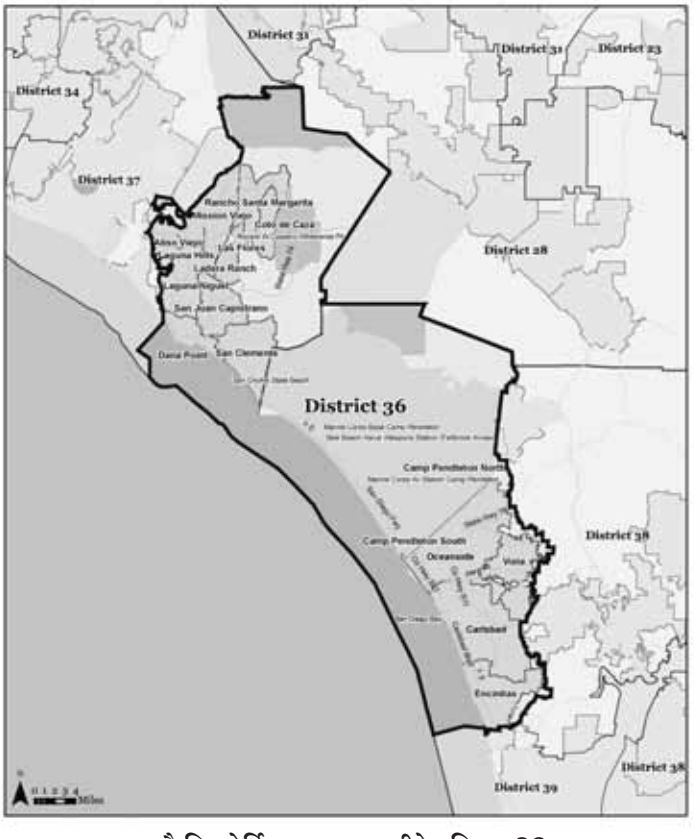

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 36

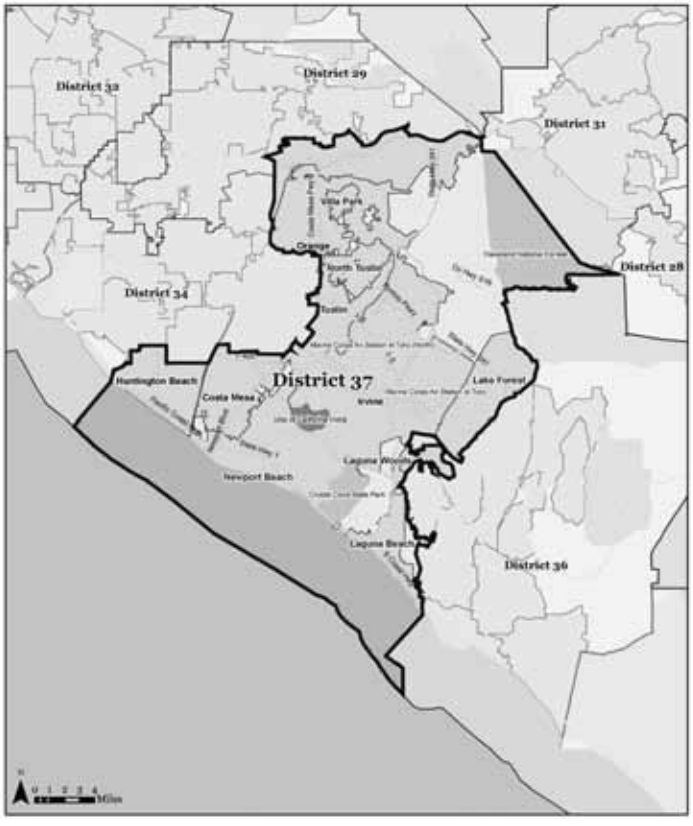

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 37

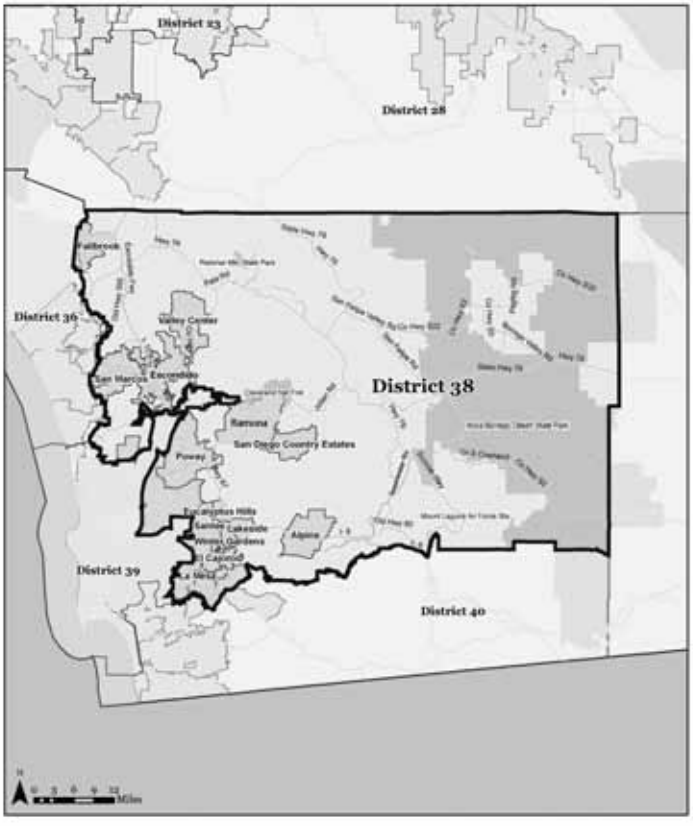

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 38

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 39

कैलिफोर्निया राज्य का सीनेट ज़िला 40

बड़े अक्षरों में प्रकाशित सामग्री व ऑडियो वोटर गाइड

आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका (वोटर इन्फोरमेशन गाइड) के बड़े अक्षरों में प्रकाशित, ऑडियो कैसेट या कॉम्पैक्ट डिस्क संस्करण का आदेश देने के लिए, *www.voterguide.sos.ca.gov/alt-versions* पर जाएं या सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका के डाउनलोड करने योग्य ऑडियो एमपी3 संस्करण के लिए, *www.voterguide.sos.ca.gov/audio* पर जाएं।

पैसे कमाएं और अंतर लाएं... इलेक्शन डे पर चुनाव कर्मी के तौर पर काम करें!

हमारे लोकतंत्र के साधनों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव लेने के अलावा, चुनाव कर्मी इलेक्शन डे पर उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। चुनाव कर्मी बनने के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में संपर्क करें या (888) 345-2692 पर फोन करें।

मतदाता पंजीकरण

अपनी मतदाता पंजीकरण सूचना को नवीनीकृत कराने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको अपना मतदाता पंजीकरण नवीनीकृत कराना चाहिए यदि आपका घर का पता बदला है, आपका डाक पता बदला है, आपका नाम बदला है या आप राजनीतिक पार्टी वरीयता को बदलना या चुनना चाहते हैं।

ध्यान दें: यदि आप अपने नए पते पर 22 अक्टूबर, 2012 के बाद गए हैं तो आप अपने पहले वाले मतदान स्थल पर मतदान कर सकते हैं।

मतदान के लिए पंजीकरण कराना आसान और निशुल्क है। पंजीकरण फॉर्म *www.sos.ca.gov* पर ऑनलाइन और ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, शहर व काउंटी के सरकारी कार्यालयों और कैलिफोर्निया के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

वोट देने के लिए पंजीकरण कराने हेतु आपको अमेरिकी नागरिक, कैलिफोर्निया का निवासी, इलेक्शन डे पर कम से कम 18 वर्ष आयु का होना चाहिए, कैद में या काउंटी जेल में ("निम्न स्तरीय" आपराधिक कृत्य के लिए राज्य जेल में सजा या एक वर्ष से अधिक अवधि की सजा) या पेरोल पर, रिहाई के बाद सामुदायिक निगरानी में, या आपराधिक कृत्य के लिए सजा सुनाने के बाद प्रोबेशन अवधि में नहीं होना चाहिए, और न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

मतदाता पहचान संबंधी राज्य व संघीय आवश्यकताएं

अधिकांश मामलों में, कैलिफोर्निया के मतदाताओं के लिए वोट देने से पहले पहचान दिखाना आवश्यक नहीं होता है। यदि आप डाक द्वारा अपना पंजीकरण कराने के बाद पहली बार वोट दे रहे हैं और आपने पंजीकरण कार्ड पर अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर, कैलिफोर्निया पहचान संख्या या आपके सोशल सिक्योरटी नंबर के अंतिम चार अंक प्रदान नहीं किए हैं तो आपको किसी प्रकार की पहचान दिखाने के लिए कहा जा सकता है जब आप वोट देने जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप मतदान के लिए अपने साथ पहचान संबंधी दस्तावेज लाएं या अपने डाक द्वारा वोट के मतपत्र के साथ इसकी एक प्रति संलग्न करें। नीचे पहचान के 30 से अधिक स्वीकार्य स्वरूपों में से कुछ की आंशिक सूची दी गई है। आप सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां *www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm* पर "हेल्प अमेरिका वोट एक्ट आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड" को देख सकते हैं।

- ड्राईवर लाइसेंस या राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- कर्मचारी आईडी कार्ड
- क्रेडिट या डेबिट कार्ड
- मिलिट्री आईडी
- छात्र आईडी

मतदाता अधिकार बिल

1. यदि आप एक मान्य पंजीकृत मतदाता हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है।

   एक मान्य पंजीकृत मतदाता से मतलब अमेरिकी नागरिक से है जो इस राज्य का निवासी है, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और जो आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने पर कैद या पेरोल पर नहीं है और जो अपने वर्तमान आवासीय पते पर वोट देने के लिए पंजीकृत है।
2. यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आपको अस्थायी मतपत्र पर वोट देने का अधिकार है।
3. आपको वोट देने का अधिकार है यदि आप मतदात समाप्त होने से पहले मतदान स्थल पर लाईन में मौजूद हैं।
4. आपको किसी प्रकार के भय से मुक्त गुप्त मतपत्र पर वोट देने का अधिकार है।
5. आपको नया मतपत्र हासिल करने का अधिकार है यदि अपना वोट देने से पहले आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है।

   यदि आपके द्वारा अंतिम रूप से मत देने से पहले किसी भी समय आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आपको खराब हुए मतपत्र के स्थान पर नया मतपत्र पाने का अधिकार है। डाक द्वारा वोट देने वाले मतदाता भी नया मतपत्र पाने का अनुरोध कर सकते हैं व इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि वे चुनाव तिथि को चुनाव समाप्त होने से पहले चुनाव अधिकारी को अपना खराब मतपत्र वापिस कर देते हैं।
6. आपको अपना वोट देने के लिए सहायता पाने का अधिकार है यदि आप सहायता के बगैर मत देने में अक्षम हैं।
7. आपको डाक द्वारा वोट के भरे हुए मतपत्र को देश के किसी भी प्रांत में वापिस करने का अधिकार है।
8. आपको चुनाव सामग्री अन्य भाषा में प्राप्त करने का अधिकार है यदि इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता के लिहाज से आपके प्रांत में पर्याप्त संख्या में निवासी मौजूद हैं।
9. आपको चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और चुनाव प्रक्रिया को देखने का अधिकार है।

   आपको प्रांतीय बोर्ड और चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने और उत्तर प्राप्त करने या उत्तर के लिए उपयुक्त अधिकारी के पास भेजे जाने का अधिकार है। हालांकि, लगातार प्रश्न पूछने के कारण उनके कर्तव्य को पूरा करने में अवरोध उत्पन्न होती है तो बोर्ड या चुनाव अधिकारी प्रश्नों के उत्तर देना रोक सकते हैं।
10. आपको किसी भी गैरकानूनी या धोखाधड़ी वाली गतिविधि की सूचना स्थानीय चुनाव अधिकारियों या सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के कार्यालय में देने का अधिकार है।

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई अधिकार देने से मना किया गया है, या आप चुनाव संबंधी धोखाधड़ी या गलत आचरण से परिचित हैं तो कृपया सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की गोपनीय टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

चुनाव अधिकारियों द्वारा आपके मतदाता पंजीकरण हलफनामे पर मौजूद सूचना का उपयोग आपको चुनाव प्रक्रिया जैसे आपके मतदान स्थल की जगह और मतपत्र में आने वाले मुद्दे और उम्मीदवारों के बारे में आधिकारिक सूचना देने के लिए किया जाएगा। मतदाता पंजीकरण सूचना का व्यावसायिक उपयोग कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है और यह खराब आचरण है। सेक्रेट्री ऑफ स्टेट द्वारा तय किए जाने वाले चुनाव, अकादमिक, पत्रकारिता, राजनीतिक या सरकारी उद्देश्यों के लिए मतदाता संबंधी सूचना किसी पद के उम्मीदवार, मतपत्र आकलन समिति या अन्य व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। इन उद्देश्यों के लिए ड्राईवर लाइसेंस व सामाजिक सुरक्षा नंबर (सोशल सिक्योरटी नंबर) या आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दिखाए गए हस्ताक्षरों को जारी नहीं किया जा सकता है। यदि आपके मतदाता संबंधी सूचना के बारे में कोई प्रश्न हैं या आप उक्त सूचना के संदेहास्पद दुरुपयोग की सूचना देना चाहते हैं तो कृपया सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

जीवन को संकट में डालने वाली स्थितियों का सामना कर रहे कुछ मतदाता गोपनीय मतदाता स्थिति के पात्र हो सकते हैं। अधिक सूचना के लिए सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के सेफ एट होम कार्यक्रम के टोलफ्री नंबर (877) 322-5227 पर फोन करें या *www.sos.ca.gov* पर जाएं।

California Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814

NONPROFIT
U.S. POSTAGE
PAID
CALIFORNIA
SECRETARY OF STATE

OFFICIAL ELECTION MAIL
Authorized by the U.S. Postal Service ®

कैलिफोर्निया आम चुनाव

www.voterguide.sos.ca.gov

आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका

वोट देना याद रखें!
मंगलवार, 6 नवंबर, 2012
मतदान सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला है

सोमवार, 22 अक्टूबर, 2012
मत के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि

For additional copies of the Voter Information Guide in English, please contact your county elections office or call (800) 345-VOTE (8683). For TTY/TDD, call (800) 833-8683.

Para obtener copias adicionales de la Guía de Información para el Votante en español, póngase en contacto con la oficina electoral de su condado o llame al (800) 232-VOTA (8682).

如需索取額外的中文選民資訊指南，請與您的縣立選舉辦事處聯繫或致電(800) 339-2857。

हिन्दी में मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका की अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करने के लिए, कृपया अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या इस नंबर पर फ़ोन करें (888) 345-2692।

投票情報ガイドの日本語版をご希望の場合は、最寄の郡選挙事務所にお問い合わせになるか(800) 339-2865にお電話ください。

សំរាប់សំណៅបន្ថែម នៃព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត ជាភាសាខ្មែរ សូមទាក់ទងការិយាល័យបោះឆ្នោត ខោនធីរបស់អ្នក ឬទូរស័ព្ទ (888) 345-4917។

한국어로 된 유권자 정보 지침의 사본이 추가로 필요할 경우 해당 카운티 선거관리 사무실로 연락하거나 다음 번호로 전화하십시오: (866) 575-1558

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante sa Tagalog, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng inyong county o tumawag sa (800) 339-2957.

สำหรับสำเนาเพิ่มเติมของคู่มือสำหรับผู้ออกเสียงเลือกตั้งเป็นภาษาไทย กรุณาติดต่อสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ หรือโทรศัพท์ถึง (855) 345-3933

Muốn có thêm Tập Hướng Dẫn Cử Tri bằng Việt Ngữ, xin liên lạc với văn phòng bầu cử quận của quý vị hoặc gọi số (800) 339-8163.

चुनाव की लागत को कम करने के लिए, राज्य प्रत्येक मतदान करने वाले परिवार को केवल एक गाइड भेजता है।

OSP 12 127220

HINDI